चतुर्दश माला, खंड 28, अंक 3

मंगलवार, 14 अगस्त, 2007
23 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 6 Oct 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 3, मंगलवार, 14 अगस्त, 2007/23 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
मंत्री का परिचय	4
भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई	7–8
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	8–9
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 46	9–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 45 और 47 से 60	23–105
अतारांकित प्रश्न संख्या 291 से 436 और 438 से 520	106–534
सभा पटल पर रखे गए पत्र	534–536
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां-एक समीक्षा	537
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	537
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
दो सौ तीनवां प्रतिवेदन	537
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	537–538
(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	538
सदस्यों द्वारा निवेदन	
असम में उल्फ आतंकवादियों द्वारा हिन्दी भाषी लोगों की लगातार की जा रही हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में	539–559
सभा से सदस्य का निकाला जाना	561–566

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नकली औषधियां, जिसके फलस्वरूप जनता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, की बिक्री और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में	566-591
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	566, 569-572
डा. अंबुमणि रामदास	566-568, 582-591
श्रीमती सुमित्रा महाजन	572-574
श्री बसुदेव आचार्य	574-576
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	576-578
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	578-580
नियम 377 के अधीन मामले	591-603
(एक) तमिलनाडु के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री पसुम्पोन मुथुरामलिंगा तेवर की जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	591-592
(दो) पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग में तीस्ता लोअर डैम परियोजना चरण-III और चरण-IV में हुई हानि का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	593
(तीन) गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 पर शेड का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	593-594
(चार) देश में बेसहारा बच्चों के कल्याण और उनके विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	594
(पांच) असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	595
(छह) गुजरात के कर्मसाड में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक के रख-रखाव और विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की समग्र निधि की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	595
(सात) राजस्थान के अजमेर में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	595-596

विषय	कॉलम
(आठ) राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण से अर्जित लाभों में राज्य को 50% हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भंवर सिंह डांगावास	596–597
(नौ) मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों में रहने वाले जनजातीय लोगों को अधिवास का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	597
(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन प्राथमिकता के आधार पर चित्तौड़गढ़-नीमच सड़क को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीचन्द कृपलानी	597–598
(ग्यारह) घरेलू बाजार से उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने और विदेशी बाजार से गेहूं के आयात के सौदे को रद्द किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	598
(बारह) पश्चिमी घाट के लिए एक नया रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय केरल में हो, स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	598–599
(तेरह) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई नीति के आवश्यक घटकों पर एक श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	599
(चौदह) बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार को विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	600
(पन्द्रह) तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले के मुक्कुडल में बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल में चिकित्सकों और चिकित्सा सहायकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अप्पादुरई	600–601
(सोलह) बिहार में जिला सीवान में महाराजगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	601
(सत्रह) बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सूरज सिंह	601–602
(अठारह) विशाखापट्टनम जिले में खनन गतिविधियों को रोकने और जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए विजयनगरम जिले में तेलशोधक कारखाने की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडु	602–603

विषय	कॉलम
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004	603–632
विचार करने के लिए प्रस्ताव	605
श्री टी. आर बालू	603–605, 626–630
प्रो. रासा सिंह रावत	605–609
श्री के.एस. राव	609–612
श्री गणेश प्रसाद सिंह	612–613
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	613–615
श्री अधीर चौधरी	615–618
श्री समिक लाहिरी	618–622
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	622–624
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	624–626
खण्ड 2 से 7 और 1	630–631
पारित करने के लिए प्रस्ताव	632
नियम 193 अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	632–707
श्री अनंत कुमार	633–645
श्री हन्नान मोल्लाह	646–650
श्री प्रभुनाथ सिंह	650–658
श्री बालासाहिब विखे पाटील	658–666
श्री मोहन सिंह	667–671
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	672–678
श्री अनंत गुढ़े	678–681
योगी आदित्यनाथ	681–688
श्री जय प्रकाश नारायण	689–698
श्री भर्तृहरि महताब	698–703
श्री रामचन्द्र पासवान	703–705
श्री कीरेन रिजीजू	705–707
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	719
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	720–726
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	727–728
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	727–728

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 14 अगस्त, 2007/23 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर रोज ऐसा नहीं चल सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बुरा बर्ताव करना कोई शान की बात नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस जी आज मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है, आप सभी मेरा साथ देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा। यहां क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकरन जी यह उचित नहीं है। मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके व्यवहार पर केवल अपना क्षोभ व्यक्त कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि आप कौन-सा मुद्दा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अब क्यों उठा रहे हैं? आपने कोई पूर्व सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अपना गहन क्षोभ व्यक्त कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आप सब मेरा साथ देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्रिकेट में जीत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि सदन में यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई पत्र मत दिखाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपको बैठना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल यादव जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आरम्भ से ही कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री के. फ्रांसिस जार्ज, श्री सुरेश कुरूप और श्री अजय कुमार अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अन्यथा आज आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आज इन सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का मन बनाकर आया हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपको अध्यक्षपीठ के प्रति इतनी शालीनता तो दिखानी ही चाहिए। श्री थामस जी, कृपया बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तमाशे की जगह नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी नहीं लिखा जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप भी गलत व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज जी, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम-पुस्तिका दीजिए। बहुत हो चुका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकरन जी यह प्रश्न-काल है, अत: मैं किसी अन्य बात की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं आपके सदस्यों से इतने खराब व्यवहार की आशा नहीं करता। यह बहुत दुखद बात है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप उनमें से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी अनुमति नहीं दूंगा। किसी भी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे मेरे पास आए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि प्रश्न काल के बाद मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। वे मेरे सामने इस बात पर सहमत थे और अब वे इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। क्या अपके दल के सदस्यों द्वारा ऐसे ही जिम्मेदारी प्रदर्शित की जा रही है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कम-से-कम कुछ जिम्मेदारी का परिचय तो दीजिए। कल, आपने इस सदन को कलंकित किया है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

मंत्री का परिचय

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं, आपका और आपके माध्यम से इस प्रतिष्ठित सभा का परिचय अपने सहयोगी श्रीमती वी. राधिका सेलवी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से कराना चाहता हूं, जिन्हें हाल ही में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इनका अभिवादन करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि इस मामले को मध्याह्न 12.00 बजे उठाया जाएगा तो आसमान नहीं टूट जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताइए, आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अपने समय की प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे नियम पुस्तिका दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके व्यवहार से यह साबित होता है।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्यगण चाहते हैं तो वे इन मुद्दों को उठा सकते हैं हम रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कृपया सभा का कार्य चलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के माननीय नेता जी, मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि मैं, उन्हें मध्याह्न 12.00 बजे इसकी अनुमति दूंगा। क्या वे 50 मिनट प्रतीक्षा नहीं कर सकते? वे पूर्णतया गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे हैं। मैं उनके इस कृत्य पर शर्मिंदा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि आपको यह याद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपसे सदन की रक्षा करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप के दल के सदस्य मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मैं उन्हें मध्याह्न 12.00 बजे बोलने की अनुमति दूंगा। वे मुझसे सहमत थे और फिर भी वे इस प्रकार से गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: स्वयं को प्रमाणपत्र मत दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं मंत्री जी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा 11.30 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय अच्छा सुबह की घटना पर हमें खेद है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसमें शामिल नहीं थे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: किस बात की अनुमति?

श्री बसुदेव आचार्य: यह केरल से संबंधित अति आवश्यक मामला है। कृपया उन्हें 12.00 बजे बोलने की अनुमति दें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, आज की घटना पर मैं अपने साथी सांसद के साथ बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसका मान्य समाधान निकालना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: हम इसका समाधान कर सकते हैं। लालू जी इसका समाधान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने दल के सदस्यों पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहिए।

क्या मैं बिना व्यवधान के 2-3 मिनट सभा में बोल सकता हूं? स्थिति यह है कि अध्यक्ष को भी बोलने के लिए सब की अनुमति लेनी पड़ती है।

पूर्वाह्न 11.30$^{1}/_{2}$ बजे

भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, सभा में व्यवधान के कारण मैं पुन: दोहरा रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तथा उनके दल को इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीतने पर बधाई देने में आप सब मेरे साथ हैं, हम उन्हें भविष्य में भी सफलता की कामना करते हैं।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज सभा कार्य आरम्भ करने से पहले मैं अत्यधिक खेद और चिंता के साथ इस कक्ष, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते है, में कल जो कुछ हुआ उसका उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ सदस्य द्वारा ऐसे अशोभनीय आचरण किए गए कि ठीक ही ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या हम, लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रहे है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इस प्रकार का संदेह, स्वतंत्रता, जिसके लिए हमारे हजारों देशवासियों ने सर्वोच्च बलिदान दिए, की साठवीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर उठाए जा रहे हैं। क्या कल की तथा ऐसी घटनाओं से हम उन्हें तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे अत्यधिक खेद है कि जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस समय अत्यधिक हंगामें का दृश्य उत्पन्न किया गया जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें, आज की घटना पर भी मुझे खेद हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज की घटना पर भी मुझे खेद है।

मैंने बार-बार कहा है कि नियमों और समय की उपलब्धता की सीमाओं के अध्यधीन, सभा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, जिन्हें सदस्य उठाना चाहते हैं, पर निश्चित रूप से चर्चा करेगी। सदस्य, जिस विषय पर वे चाहते हैं, उस पर निश्चित रूप से अपने ठोस विचार व्यक्त करने के हकदार हैं, लेकिन विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति ऐसी रीति से होनी चाहिए जो सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों द्वारा अनुमत है। ऐसा नि:संदेह मर्यादित रूप में होना चाहिए और सही तरीके से बहस तथा विचार-विमर्श होना चाहिए, जैसा कि अनुमत है। सभी अनुमेय मुद्दों पर बहस करने में तथा किसी

भी विषय पर किसी भी सदस्य द्वारा विचार व्यक्त किए जाने पर कोई बाधा नहीं हो सकती, लेकिन दुर्भाग्य से नियमों का लगातार उल्लंघन होता है तथा अध्यक्ष की अवज्ञा की जाती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

लोग हमें देख रहे हैं। निःसंदेह वे उपयुक्त समय पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। परंतु उसके पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि भविष्य में सभी रीतियां जो हमारे नियमों में उपबंधित हैं, सभा में न्यूनतम अनुशासन लागू करने के लिए अपनायी जायेंगी भले ही वे कितनी भी कष्टकर हों। हम अपने ही लोगों द्वारा पूर्णतः अनुचित और अस्वीकार्य व्यवहार, जो समय-समय पर सभा में प्रदर्शित किया जाता है और जिसका आज भी प्रदर्शन किया गया है, के कारण नागरिकों की नजर में इस महान संस्था की प्रतिष्ठा और अधिक कम नहीं होने दे सकते।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आज की घटना को भी अशोभनीय कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या 41 लेते हैं।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता

*41. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और विद्यालयों को धनराशि देने के लिए स्कीम शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के स्तर का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का विभिन्न राज्यों में गैर-सहायता प्राप्त, स्व-वित्तपोषित स्कूलों और कालेजों के वित्तपोषण का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 11वीं योजना में, यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब तक कवर न किए गए कुछेक कालेजों और विश्वविद्यालयों, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त हों अथवा गैर-सहायता प्राप्त हों और जो स्व-वित्तपोषित न हों, को संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत शामिल करेगा ताकि वे केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता के लिए पात्र बन सकें।

(ग) और (घ) शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करना मुख्यतः उन विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी होती है जिनके साथ कालेज संबद्ध होते हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा से संबंधित सरकारी और निजी संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालयी केन्द्र, नामतः राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बनाया गया है। दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार इसने 3632 संस्थाओं (140 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं और 3492 कालेज) का मूल्यांकन कर लिया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायन अनिवार्य नहीं है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अधीन गठित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में कार्यक्रम प्रत्यायित करता है।

देश में सभी स्कूलों के मूल्यांकन की कोई औपचारिक पद्धति नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने से संबद्ध सभी स्कूलों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है। इसी प्रकार, राज्य बोर्डों की मूल्यांकन की अपनी पद्धतियां हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, देश भर के विभिन्न राज्यों में अनेक गैर-सहायता प्राप्त स्कूल तथा कालेज हैं। देश की स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात भी आज शिक्षा से वंचित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सिर्फ डा. शर्मा का भाषण ही सम्मिलित किया जाएगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मंत्रालय जिस पर देश भर में शिक्षा के प्रसार का दायित्व है, इन गैर-सहायता प्राप्त कालेजों के वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव लाने में असफल रहा है।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

(तत्पश्चात प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर संतोषजनक नहीं है। उनका मात्र यह सुझाव है कि यू.जी.सी. वित्तपोषण के तहत कुछ कालेज ही शामिल किए जाएंगे। मुझे आशंका है कि देश भर में गैर-सहायता प्राप्त कालेजों और स्कूलों में से एक प्रतिशत को भी शामिल नहीं किया जाएगा, मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गैर-सहायता प्राप्त कालेजों की सहायता हेतु कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करेगी, क्योंकि इसके अभाव में छात्रों को परेशानी हो रही है तथा शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त कालेजों तथा स्कूलों में व्यापक अंतर है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, माननीय सदस्य को दिए गए उत्तर में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं-सिवाए स्व:वित्तपोषित, संस्थाएं-केन्द्र सरकार से संसाधनों को उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता हेतु पात्र होगी।

डा. अरुण कुमार शर्मा: मेरी आशंका है कि यू.जी.सी. गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में से एक प्रतिशत की भी सहायता नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में अन्य कालेजों तथा स्कूलों का क्या होगा? यही मुख्य मुद्दा है क्योंकि ऐसे कालेज, स्कूल तथा शिक्षा प्रणाली सहायता के अभाव में उन्नति नहीं कर सकती हैं, छात्रों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करने जा रही है?

माननीय मंत्री से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास ऐसे गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा स्कूलों तथा कालेजों की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी है? ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है? जिनको इस नए प्रस्ताव के तहत शामिल किया जा सकता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, शिक्षा राज्य का विषय है इसलिए संस्थाओं तथा स्कूलों की स्थापना केन्द्रीय या राज्य विधान द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु, राज्यों से स्थापित ऐसे स्कूल राज्यों के विधान मंडल के तत्वावधान में तथा केन्द्रीय विधान द्वारा स्थापित संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में आते हैं। इसके तहत राज्यों में स्थापित स्कूल निश्चय ही राज्यों की जिम्मेदारी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब वे उत्तर दे रही हैं तो आप टोक नहीं सकते।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण तथा सातवें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण, 2002 में स्कूलों की कुल संख्या 2,17,653 थी, परंतु इस समय भारत में लगभग 1.45 लाख माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से 9000 स्कूल सी.बी.एस.सी. से सम्बद्ध हैं। सी.बी.एस.सी. स्वयं द्वारा मानयता प्राप्त स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान देती है। इन स्कूलों लगभग 40 मिलियन छात्र हैं जो सी.बी.एस.सी. पद्धति का पालन कर रहे हैं। सरकार के पास यह रिकार्ड रहता है। राज्यों के स्कूलों की जानकारी राज्य सरकारों के पास हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और जो सवाल माननीय सदस्य ने किया था, उसे देखते हुए, पूरा मामला जहां का तहां रह जाता है। आज हमारे देश में इतने विद्यालय हैं, जो कि अनएडिड हैं। उसका यह परिणाम है कि वहां पर टीचरों को आधी-अधूरी तनख्वाह दी जाती है और उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफर करती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रिसोर्सेज का क्रंच है। अभी भारत सरकार ने एजुकेशनल सैस लगाया है। क्या मंत्री जी यह बताएंगी कि जो एजुकेशनल सैस लगाया है, उसका कितना भाग आपने हायर एजुकेशन पर एलाट किया है?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: सभी स्थापित स्कूल या तो राज्य बोर्डों अथवा केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है के.मा.शि.बो. केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम प्राधिकरण है। जहां तक राज्यों के बोर्डों से संबद्ध स्कूलों का संबद्ध है मैं इस बात पर पुन: बल देना चाहूंगी कि राज्य सरकार के स्कूलों में

अध्यापकों सहित स्कूलों की गुणवत्ता का ध्यान रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार के नियंत्रण से बाहर शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में विधि के माध्यम से समुचित विनियम भी बनाने हेतु सक्षम हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा अध्यापकों के संबंद्ध में उठाए गए प्रश्न का संबंद्ध है, मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहूंगा कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक हों यह सुनिश्चित करना राज्य-सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी (कोकराझार): अध्यक्ष महोदय, आपने हमें क्वैश्चन पूछने के लिए बोला था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज): असम में लगभग 1600 हाई स्कूल और कुछ हजार प्राथमिक और मिडिल स्कूल है। इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक वही कार्य कर रहे हैं जो कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक कर रहे हैं। इन स्कूलों में कार्यरत कुछ हजार अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। उनमें से बहुत से अध्यापक अपनी सेवाएं प्रदान करके बिना कोई वेतन प्राप्त किए सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यही मुद्दा उठाया जा रहा है।

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज): एक सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था कि ऐसे कुछ स्कूलों में अध्यापकों को आधा वेतन दिया जा रहा है। अन्य अध्यापकों को कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। गत तीन वर्षों के बजट के दौरान अपने भाषण में मैं इन अध्यापकों की दुर्दशा का उल्लेख करता आ रहा हूं। अब, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यापकों के वेतन का भुगतान करने हेतु शिक्षा के माध्यम से एकत्र किए जा रहे राजस्व से राज्य सरकार की सहायता करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार बिना वेतन के कार्य कर रहे अध्यापकों के वेतन का भुगतान करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो कि केन्द्र सरकार के स्कूल हैं, मूलतः केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक हों, उपाय कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्कूलों की देख-रेख करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

महोदय, उपकर से संबंधित प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह मूलतः सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मिल स्कूलों के लिए है। इसके अतिरिक्त एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर भी उद्गृहीत किया जा रहा है। यह उच्चशिक्षा के लिए है। परंतु दो प्रतिशत उपकर मूलतः मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान के लिए है। राज्य-सरकार के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन के भुगतान के संबंध में मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगी कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जी आपका प्रश्न इस विषय से संगत होना चाहिए अन्यथा, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, नॉन ऐडेड स्कूलों को परमीशन देना गलत बात है। इस तरह की परमीशन देने के बाद, जो गरीब और होशियार विद्यार्थी हैं, उन्हें डोनेशन देना पड़ता है। भारत सरकार को इस विषय में कानून बनाने की आवश्यकता है। नॉन ऐडेड स्कूल को परमीशन न देकर, हर स्कूल और कालेज को ऐड देने की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस बारे में कोई निर्णय लेने वाले हैं?

महोदय, हमारे महाराष्ट्र में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है–चाहे एमबीबीएस कालेज हो, इंजीनियरिंग कालेज हो, एमबीए कालेज हो या दूसरे कालेजेज हो, उनमें 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख से 30 लाख तक डोनेशन देना पड़ता है। शिक्षा का प्राइवेटाजेशन रोकने के लिए क्या भारत सरकार कोई कानून बनाने वाली है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर स्थिति और भी खराब हो सकती है–यही मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्वैश्चन इसके साथ रिलेटिड नहीं है, यह पालिसी मैटर है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: स्कूलों में 14 से 18 वर्ष की आयु-वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 97 मिलियन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इनमें से 40 मिलियन विद्यार्थी स्कूलों में हैं। लगभग 57 प्रतिशत स्कूल से बाहर हैं। ये वे बच्चे हैं जो माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा पर दबाव है और इसके लिए हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा मिशन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि माध्यमिक शिक्षा पर

दबाव को काफी हद तक कम किया जा सके। माध्यमिक स्कूल शिक्षा से दबाव को हटाने के लिए हम कुछ नए केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर रहे हैं।

शुल्क के संबंध में न्यायालय के हस्तक्षेपों द्वारा इस पर स्पष्टत: बल दिया गया है और हमारा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी स्पष्टत: बल देता है कि शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोका जाना चाहिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं यह सुन रहा हूं कि माननीय मंत्री जी केवल केन्द्रीय विद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विद्यालयों के बारे में बात कर रहे है। यहां मैं, जनजातीय भाषा के माध्यम वाले विद्यालयों के अस्तित्व के बारे में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। असम में बोडो माध्यम के कई हजार ग्रामीण प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च स्कूल हैं। इन स्कूलों को अभी तक असम सरकार द्वारा प्रान्तीयकरण की व्यवस्था के अंतर्गत अपने नियंत्रण में नहीं लिया है।

इस बीच इस श्रेणी के स्कूलों में कार्यरत कुछ शिक्षकों का बिना वेतन लिये ही निधन हो चुका है और उनमें से कुछ सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके हैं। मैं सरकार से उन नीतिगत उपायों के बारे में जानना चाहूंगा जो भारत सरकार बोडो माध्यम के उन सभी स्कूलों विशेषकर निम्न प्राथमिक स्कूलों, मिडिल स्कूलों, और अन्य स्कूलों के पुनरूद्धार हेतु उठाने जा रही है। महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: प्रारंभिक स्कूलों में हमने सुनिश्चित किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले बच्चों को जनजातीय भाषाएं पढ़ाई जाएं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं असम राज्य से संबंधित बोडो माध्यम वाले गैर प्रांतीयकरण स्कूलों के संबंध में सरकार के नीतिगत निर्णय के बारे में जानना चाहूंगा। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे पृथक नोटिस दे क्योंकि उनका अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इस पर पृथक नोटिस दे सकते हैं क्योंकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तभी मैं आपको अनुमति दूंगा।

प्रश्न संख्या 42, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली-उपस्थित नहीं, श्री संजय धोत्रे-उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 43-श्री जी करूणाकर रेड्डी-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 44-श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु-उपस्थित नहीं, श्री जसुभाई धानाभाई बारड़-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 45 श्री कीरेन रिजीजू-उपस्थित नहीं, श्री आनंदराव विठोबा अडसूल-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 46-श्री रायापति सांबासिवा राव

नक्सली गतिविधियों संबंधी अध्ययन

*46. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री उदय सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्रभावित राज्यों में नक्सलवादियों से निपटने के लिए किसी एकीकृत कमांड की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान नक्सलवाद के कारण हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (च) केन्द्र सरकार, विभिन्न राज्यों में आवधिक दौरों और विभिन्न प्रगतियों के बारे में राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श और नक्सली गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने सहित नक्सलवादियों की गतिविधियों पर निकट और सतत निगरानी रख रही है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नक्सली गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा और आकलन हेतु अन्य संस्थागत तंत्रों में, जिनमें केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह जिनमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विशेष आमंत्रितों के रूप में रखा गया है और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समन्वय केन्द्र शामिल है, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के अधीन एक कार्यबल का भी गठन किया गया है जिनमें नक्सलवादियों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक विभिन्न कदमों पर विचार विमर्श करने और जब भी आवश्यक हो विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आसूचना एजेंसियों के सदस्यों, संबंधित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस बल के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में मदद करती रही है जिनमें शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की कमान के अंतर्गत कार्य कर रहे केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती, पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के जरिए स्थानीय पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करना, सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के जरिए वित्तीय सहायता का प्रावधान, आसूचना का आदान-प्रदान और अंतर-राज्य समन्वय स्थापित करना।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे तालिका दिए गए है।

मानदंड/वर्ष	2004	2005	2006	2007 (31.7.2007 तक)*
हताहत	566	677	678	431 (491)
(1) सिविलियन	466	524	521	266 (390)
(2) सुरक्षा बल	100	153	157	165 (101)

(*कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 2006 की पिछली अवधि के हैं)

जहां तक सम्पत्ति को हुई क्षति का संबंध है, नक्सलवादी सड़क और रेल संचार से संबंधित विशेष प्रकार के सरकारी भवनों और आधारभूत ढांचे को लक्ष्य बनाते रहे हैं और हाल ही के कुछ महीनों के कुछ मामलों में विद्युत ट्रांसमिशन सुविधाओं को लक्ष्य बनाया गया है। ऐसी सम्भावनाओं को कम करने और संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने मामले को विस्तार से स्पष्ट किया है। परंतु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि नक्सली गतिविधियां जंगली आग की तरह बढ़ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दस से अधिक राज्यों में फैल चुकी है। गरीब और जरूरतमंदों लोगों के जीवन में सुधार लाने के बजाय इन राज्यों में नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए काफी धनराशि व्यय की जा रही है।

यद्यपि, नक्सल आंदोलन की शुरूआत पश्चिम बंगाल में हुई थी, परंतु आंध्र प्रदेश इसका प्रमुख केन्द्र बन गया है। नक्सलियों की इन भयंकर गतिविधियों को रोका नहीं जा रहा है। नक्सली गतिविधियां 12 राज्यों के 118 जिलों में फैली हुई हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि हमने बिना और बहुमूल्य समय गंवाए नक्सली गतिविधियों को नहीं रोका तो हमारी भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

क्या माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर सम्माननीय सभा को आश्वस्त करेंगे? पिछले दो वर्षों में सरकार ने न केवल अध्ययन और विश्लेषण बल्कि देश के विभिन्न भागों में और अधिक जिलों में नक्सली गतिविधियों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वे हममें से कुछ लोगों के मन में गलत छाप डाल रहे हैं।

यह कहा जाता है कि दस राज्य नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हैं। इसका अर्थ है कि एक-तिहाई देश इससे प्रभावित है। अब, यदि किसी राज्य के एक स्थान पर कोई घटना होती है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा राज्य नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है। फिर ये कह रहे हैं कि 188 जिले प्रभावित हैं। इसका अर्थ है एक-तिहाई देश प्रभावित है। समस्या को इस प्रकार से देखना सही नहीं है।

देश में लगभग 8000 पुलिस थाने में हैं। देश में कितने पुलिस थाने नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है? देश में इससे केवल 400 पुलिस थाने प्रभावित हैं। इसका अर्थ है कि केवल पांच प्रतिशत क्षेत्र नक्सल राज्यों से प्रभावित है।

इसलिए यदि हम समस्या को प्रभावित राज्यों या जिलों की संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो यह गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए हमें स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन करना होगा और सही निष्कर्षों पर पहुंचना होगा।

यह सही है कि नक्सल आंदोलन पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ गया है। इसमें ऐसे उपायों को भी अपनाया जा रहा है जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भारत सरकार इस समस्या के समाधान पर विचार कर रही है।

इस समस्या का समाधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि संघ सरकार द्वारा नक्सल आंदोलन से प्रभावित राज्यों को लगभग 35,000 कर्मी और अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ को इस समस्या का सामना करने के लिए लगभग 13,000 कर्मी और अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इस समस्या का समाधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। हम राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर विचार करने, योजनाएं बनाने और समस्या से निपटने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए कह रहे हैं। भारत सरकार इसमें उनकी सहायता करेगी। हम उन्हें सैन्य बल प्रदान कर रहे हैं, और उसके बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इससे पूर्व हम उनसे धनराशि लेते थे। परंतु अब हम एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। हम राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों को आधुनिकीकृत करने के लिए निधियां दे रहे हैं। हम उन्हें यू एस वी अर्थात् मानव रहित सर्वेक्षण वाहन जैसे उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं; हम उन्हें घटना स्थलों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ले जाने के लिए हैलिकॉप्टर उपलब्ध करा रहे है, हम उन्हें सशस्त्र वाहन दे रहे हैं; और हम उन्हें आसूचना प्रदान कर रहे है; और हम उन्हें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य इनका सही ढंग से उपयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में लगभग चालीस प्रतिशत कमी आई है। परंतु दुर्भाग्यवश, कुछ अन्य राज्यों में इनमें चालीस प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यदि राज्य इस समस्या से निपटने हेतु दृढ़ संकल्प ले और ध्यानपूर्वक योजनाएं और नीतियां बनाएं, तो यह किया जा सकता है। भारत सरकार इस समस्या से निपटने में उनकी मदद करेगी। हम इस ओर गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि निर्दोष लोग न मारे जाएं।

श्री रायापति सांबासिवा राव: माननीय गृह मंत्री जी ने माना है कि आंध्र प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में 40 प्रतिशत की कमी आई हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। वस्तुत: हमारे मुख्य मंत्री ने नक्सल आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया था और उनके साथ विस्तृत चर्चा की थी। वार्ता के दो दौर हो चुके हैं। उन्होंने सभी शर्तों को मान लिया था और वापस चले गए। परंतु छह माह के बाद उन्होंने लोगों को फिर मारना शुरू कर दिया।

हमारी राज्य सरकार आम लोगों; कमजोर वर्गों के लोगों; आदिवासियों और भूमिहीन लोगों को भूमि बांट रही है। सरकार उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान भी निर्मित कर रही है जो इसके पात्र हैं। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में नक्सल आंदोलन जारी है। राज्य सरकार के पास नक्सलियों से निपटने के लिए उचित उपस्कर और मशीनरी नहीं है। नक्सलियों के पास काफी अत्याधुनिक हथियार है, परंतु आंध्र प्रदेश पुलिस के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आंध्र प्रदेश पुलिस को भी और अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार को उनसे संपर्क करने के लिए कहें।

श्री रायापति सांबासिवा राव: हमारी सरकार भी संपर्क कर रही है। मुख्य मंत्री जी भी संपर्क कर रहे हैं। इसी कारण नक्सली आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ चले गए हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए पहले ही काफी धन दे चुके हैं। हमने उन्हें न केवल धन अपितु नए और विभिन्न प्रकार के उपस्कर भी दिए हैं। वस्तुत: हो यह रहा है कि नक्सली हमला करने की सैन्य तकनीकों को अपना रही हैं, जबकि पुलिस अभी तक पुलिस प्रणाली को ही अपना रही है। पुलिस के लिए नक्सली हमलों का सामना करना कठिन हो रहा है। परंतु सौभाग्यवश आंध्र प्रदेश ने एक प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की है जिसके अंतर्गत पुलिस के लिए इन हमलों का सही ढंग से सामना करने की व्यवस्था है। जो सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं, वह पहले ही किया जा चुका है। उन्हें काफी धन दिया गया है। उन्हें हजारों करोड़ रुपये दिए गए हैं।

यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रत्येक राज्य को उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए दिए गए धन से संबंधित आंकड़े दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री उदय सिंह-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार की दो तरह की रणनीति थी-एक तो राज्यों के रक्षा-बलों का आधुनिकीकरण कराना, नक्सलवादी संगठनों की जो मिलिटरी टैक्टिक्स है, उसका मुकाबला करने में

सक्षम बनाना और दूसरी रणनीति थी कि ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में शिक्षा, संचार, सड़क और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोजगार का इंतजाम करना। इसके लिए भारत सरकार ने अधिकांश ऐसे राज्यों को, जहां नक्सलवाद की समस्या हैं, आर्थिक सहायता देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नक्सलवाद से लड़ने की जो दूसरी रणनीति है—सड़क, शिक्षा, स्कूल का निर्माण और अस्पताल का इंतजाम-उसके बारे में क्या भारत सरकार ने ऐसे राज्यों के साथ इसकी कोई समीक्षा की है उन इलाकों के विकास के लिए जो पैसा उनको दिया गया है, उसमें से कितनी धनराशि उन्होंने खर्च की है और विकास की दिशा में वे कितना आगे बढ़ सके हैं? क्या गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ इसकी कोई जिलेवार समीक्षा की है? यदि की है, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद की समस्या को हल करने के लिए केवल बन्दूक और गोला का आसरा नहीं लिया जा सकता है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान देना जरूरी है और इसीलिए जो जिले बैकवर्ड माने गए हैं उनके विकास के लिए गृह मंत्रालय की ओर से हर साल 45 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और यह धनराशि तीन साल तक दी जाती है। यह धनराशि, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो धनराशि राज्य सरकारों को दी जाती है, उसके अलावा, उससे बढ़कर होती है। जहां तक इन 45 करोड़ रुपए का सवाल है, जो राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय की ओर से इस काम के लिए दिए जाते हैं, उसके मालूमात लिए जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है और बराबर निगरानी रखी जाती है, मगर पूरी तरह से सड़क बनाना, इरीगेशन फैसिलिटी देना, हॉस्पिटल्स बनाना और कृषि के क्षेत्र में उत्कर्ष करने के लिए पैसा देने का काम प्लानिंग कमीशन की ओर से किया जाता है।

हर साल जब राज्य सरकार की ओर से प्लानिंग के तहत पैसे की मांग की जाती है, उस समय उसके बारे में चर्चा प्लानिंग मिनिस्ट्री में हुआ करती है। जो पैसा गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, उसकी समीक्षा गृह मंत्रालय करता है और जो पैसा विकास कार्यों के लिए प्लानिंग कमीशन की तरफ से दिया जाता है, उसकी समीक्षा उसकी तरफ से की जाती है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने नक्सलवाद की समस्या के बारे में अभी-अभी कहा कि पिछड़े जिलों में 45 करोड़ रुपए अलग से दिए जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह धनराशि, जो तीन साल के लिए दी जाती है, क्या वह पिछड़े जिलों में लागू राष्ट्रीय समविकास योजना से जुड़ी हुई है या अलग से आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उन जिलों को दी जाती है? यह समस्या बहुत बड़ी है और केवल अस्त्र-शस्त्रों को आधुनिक बनाने और राज्यों में केवल प्रशिक्षण के जरिए नक्सलवादी हिंसा और नक्सलवादी समस्या को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में इकोनोमिक डिसपैरिटी बढ़ती जा रही है। इस खाई को पाटने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार को प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करने होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आपके पास कोई कार्य योजना है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय कम है, कृपया मंत्री जी को रिप्लाई के लिए भी समय दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, असल में इस समस्या को हल करने के लिए 45 करोड़ रुपए तीन साल के लिए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि हर साल 45 करोड़ रुपए तीन साल तक दिए जाते हैं। इस तरह तीन वर्षों में करीब-करीब 150 करोड़ रुपए उन जिलों में विकास के लिए दिए जाते हैं। यह पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि वहां का पिछड़ापन दूर हो, वहां के लोगों को राहत मिले और वे काम करें। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद हमें ज्यादातर पिछड़े हिस्सों में ही पनपता नजर आता है। इसलिए उसे दूर करने के लिए उस इलाके में रास्ते, सड़कें, पीने के पानी और स्कूल आदि सुविधाओं का इंतजाम करने की दृष्टि से योजना आयोग द्वारा विचार करके पैसा दिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ योजना आयोग में ही इस पर विचार नहीं होता, बल्कि राज्य सरकारों को बुलाकर उनके साथ भी विचार करके और सारे मालूमात करके एक एग्रीमेंट के तहत यह सब किया जाता है और किया जा रहा है। यह मामला ऐसा है, जैसा आपने कहा कि इसमें संयुक्त प्रयास होना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टरी की तरफ से इसके लिए प्रयास हो रहा है और उसके तहत पैसा दिया जा रहा है। हम उस राशि को और बढ़ाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं, जिससे वहां विकास के काम हो सकें। लेकिन सिर्फ होम मिनिस्टरी की तरफ से ही ये सारे काम नहीं हो सकते, इनमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सिंचाई विभाग आदि के संयुक्त प्रयासों से सरकार को यह काम करना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

*42. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा का अध्ययन जारी रखने तथा किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां। सरकार ने अभिनिर्धारित संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मेधावी विधार्थियों को डिग्री और उत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शैक्षिक वर्ष 2007-2008 से "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति स्कीम" नामक एक नई योजना शुरू की है।

(ख) इस छात्रवृत्ति में सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं से संबंधित पूर्ण शिक्षण शुल्कों और अन्य वापस न किए जाने वाले देय राशि को शामिल किया जाता है। तथापि शिक्षण शुल्क और वापस न किए जाने वाली अन्य देय राशि के लिए अधिकतम सीमा इस सम्बन्ध में अभिनिर्धारित प्राइवेट क्षेत्र संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी और अभिनिर्धारित प्राइवेट क्षेत्र फ्लाइंग क्लबों में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 3.72 लाख रुपए प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को जीवन-निर्वाह के लिए 2200 रुपए प्रतिमाह (वास्तविक व्यय के आधार पर), पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए 3,000 रुपए प्रतिवर्ष और कंप्यूटर और इससे सम्बन्धित उपकरणों के लिए 45,000 रुपए तक की 'एक-मुश्त' सहायता भी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

छात्रों के लिए एफ.एम. चैनल

*43. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सुदूर क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा देने के लिए अलग से एफ.एम. चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सरकार ने 40 स्थानों में शैक्षणिक प्रसारण हेतु एफ एम स्टेशनों के परिचालन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसमें से 26 स्टेशन इस समय कार्यशील हैं और 3 स्थानों नामत: जामनगर, लुधियाना और भुवनेश्वर में इग्नू ने एफ एम स्टेशन स्थापित न करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार संलग्न विवरण-II में यथा प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार 15 से अधिक स्थानों में इग्नू द्वारा शैक्षणिक प्रसारणों हेतु एफ एम स्टेशनों की स्थापना करने के लिए भी सहमत हुई है।

इग्नू द्वारा स्थापित ज्ञान वाणी, जोकि एक "रेडियो कोऑपरेटिव" है, नामक एफ एम स्टेशन अनन्य रूप से शिक्षा और सामुदायिक विकास के प्रति समर्पित है। इन अंतर-सक्रिय सहभागी शैक्षणिक स्टेशनों का उद्देश्य विशेषकर देश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित समाज के वंचित वर्गों के लोगों का सशक्तिकरण करना है। इन कार्यक्रमों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए प्रासंगिक सूचना तथा पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने, महिला सशक्तिकरण, विधिक साक्षरता, व्यवसायिक शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा से संबंधित समृद्धि कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	स्थान	परिचालन की तारीख	परिचालित/गैर परिचालित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	16.9.2006	हां
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	22.4.02	हां
3.	असम	गुवाहाटी	7.2.05	हां
4.	बिहार	पटना	4.6.06	हां
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	6.1.05	हां
6.	दिल्ली	दिल्ली	26.1.04	हां
7.	गोवा	पणजी	4.6.06	हां
8.	गुजरात	अहमदाबाद	25.6.06	हां
9.	गुजरात	राजकोट	16.1.05	हां
10.	गुजरात	जामनगर**	**	नहीं
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर*	–	नहीं
12.	कर्नाटक	बंगलौर	11.7.01	हां
13.	कर्नाटक	मैसूर	19.12.04	हां
14.	केरल	कोचीन*	–	नहीं
15.	केरल	त्रिवेन्द्रम*	–	नहीं
16.	मध्य प्रदेश	इंदौर	22.6.06	हां
17.	मध्य प्रदेश	भोपाल	13.9.02	हां
18.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	10.1.05	हां
19.	महाराष्ट्र	मुंबई	29.4.02	हां
20.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	9.11.06	हां
21.	महाराष्ट्र	नागपुर	22.10.06	हां
22.	महाराष्ट्र	पुणे*	–	नहीं
23.	मेघालय	शिलांग	1.3.05	हां
24.	उड़ीसा	कटक*	–	नहीं

1	2	3	4	5
25.	उड़ीसा	भुवनेश्वर**	**	नहीं
26.	पंजाब	चंडीगढ़*	–	नहीं
27.	पंजाब	जालंधर*	–	नहीं
28.	पंजाब	लुधियाना**	**	नहीं
29.	राजस्थान	जयपुर	4.6.06	हां
30.	तमिलनाडु	चेन्नई	20.6.03	हां
31.	तमिलनाडु	कोयम्बटुर	14.1.02	हां
32.	तमिलनाडु	मदुरई*	–	नहीं
33.	तमिलनाडु	त्रिची*	–	नहीं
34.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली*	–	नहीं
35.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	22.5.02	हां
36.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	11.7.01	हां
37.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	22.6.06	हां
38.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	19.12.04	हां
39.	उत्तर प्रदेश	आगरा*	–	नहीं
40.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	7.1.03	हां

**इग्नू ने इन स्थानों पर स्टेशन स्थापित न करने का निर्णय लिया है।

*इन स्थानों के स्टेशनों के जून, 2008 तक परिचालित हो जाने की संभावना है।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	शहर
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
4.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
5.	झारखंड	रांची
6.	मध्य प्रदेश	रीवा
7.	मणिपुर	इम्फाल
8.	मिजोरम	आइजॉल
9.	नागालैंड	कोहिमा
10.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

1	2	3
11.	पंजाब	अमृतसर
12.	राजस्थान	अजमेर
13.	राजस्थान	जोधपुर
14.	सिक्किम	गंगटोक
15.	त्रिपुरा	अगरतला

भारत-पाकिस्तान गृह सचिव स्तर की वार्ता

*44. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या बैठक में आतंकवाद और भारतीय अपराधियों का प्रत्यपर्ण करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बैठक के परिणाम के फलस्वरूप क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) दोनों देशों के बीच चालू संयुक्त वार्ता के भाग के रूप में आतंकवाद और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ता का चौथा दौर 3-4 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वार्ता में आतंकवाद, भारतीय कानूनों के भगोड़े, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और मछुवारों और कैदियों की रिहाई जैसे मुख्य विषयों के बारे में चर्चा की गई थी। वाणिज्य दूत पहुंच और वीजा के बारे में समझौतों के मसौदे पर भी चर्चा की गई।

वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने आतंकवाद और घुसपैठ से संबंधित चिन्ताओं तथा चालू आतंकवादी आधारभूत ढांचे और पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भगोड़ों पर प्रकाश डाला और आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण ओर महत्वपूर्ण कदम की आवश्यकता को रेखांकित किया। पाकिस्तानी पक्ष को आतंकवादी आधारभूत ढांचे के विरूद्ध कार्रवाई करने और भारतीय कानूनों के भगोड़ों की पहचान करने, उनको पकड़ने और सौंपने के लिए कहा गया।

पाकिस्तानी पक्ष की प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने आतंकवाद की बुराई का मुकाबला करने के लिए उपाय किए हैं और यह कि उनके क्षेत्र में आतंकवादी आधारभूत ढांचा मौजूद नहीं है। जहां तक भारतीय कानूनों के भगोड़ों का संबंध है उन्होंने उल्लेख किया कि इन भगोड़ों के संबंध में भारत द्वारा दिए गए ब्यौरों की जांच की गई है और यह पाया गया कि इनमें से कोई भी भगोड़ा पाकिस्तान में नहीं रह रहा है। तथापि, उन्होंने सहमति प्रकट की कि इस संबंध में यदि उन्हें और ब्यौरे प्रदान किए जायेंगे तो वे उनकी जांच करेंगे।

वार्ता के दौरान, आतंकवादी गतिविधियों के विरूद्ध प्रभावपूर्ण और सतत कार्रवाई करने के प्रति सहमति प्रकट की गई। इस पर समझौता हुआ कि भारत के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पाकिस्तान की फेडरेल जांच एजेंसी, इंटरपोल से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को कारगर बनाने के लिए आवधिक रूप से बैठक करेंगे। इस पर भी समझौता हुआ कि दोनों नशीली दवा नियंत्रक एजेंसियां, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पारस्परिक परिचालनात्मक सहयोग में वृद्धि करेंगी और दोनों एजेंसियों के बीच यथा शीघ्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जायेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की हिरासत वाले मछुवारों और उन कैदियों जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता दूसरे पक्ष द्वारा सत्यापित कर दी गई है, को रिहा करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने वाणिज्य दूत पहुंच समझौते पर सहमति प्रकट की और वीजा समझौते के मसौदे के बारे में भी पर्याप्त प्रगति की गई।

वार्ता के दौरान लिए गए निर्णय और सहमति के अनुसरण में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

सीमेंट की कीमतें

*45. **श्री कीरिन रिजीजू:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) [illegible] कंपनियों द्वारा सीमेंट [illegible] भारी वृद्धि करने हेतु हाल ही में एक संगठित प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) ने भी इस संबंध में कतिपय कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सीमेंट कंपनियों द्वारा अपनाए गए व्यवहार के मद्देनजर सीमेंट की कीमत निर्धारित करने का अधिकार स्वयं लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) सीमेंट विनिर्माता संघ के अनुसार सीमेंट का औसत मूल्य जो दिसंबर, 2005 में 158 रुपये प्रति बैग था बढ़कर जुलाई, 2007 में 229 रुपये प्रति बैग हो गया। माहवार कीमतों के ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाने वाले संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) सीमेंट उद्योग के प्रति एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के पास लम्बित मामलों के ब्यौरे सदन के सभा पटल पर रखे जाने वाले संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठत।

विवरण I

वर्ष	माह	प्रति बैग औसत मूल्य रुपये में	दिसंबर, 2005 से मूल्य में वृद्धि	दिसंबर, 2005 से मूल्य में वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5
2005	दिसंबर	158		
2006	जनवरी	163	5	3.2%
	फरवरी	175	17	10.8%
	मार्च	189	31	19.6%
	अप्रैल	199	41	25.9%
	मई	200	42	26.6%
	जून	201	43	27.2%
	जुलाई	201	43	27.2%
	अगस्त	201	43	27.2%
	सितम्बर	202	44	27.8%
	अक्टूबर	205	47	29.7%
	नवंबर	208	50	31.6%
	दिसंबर	209	51	32.3%

1	2	3	4	5
2007	जनवरी	209	51	32.3%
	फरवरी	212	54	34.2%
	मार्च	225	67	42.4%
	अप्रैल	226	68	43.0%
	मई	226	68	43.0%
	जून	227	69	43.7%
	जुलाई	229	71	44.9%

विवरण II

एमआरटीपी आयोग के पास लम्बित याचिकाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मामला संख्या	पार्टियां	स्थिति
1	2	3	4
1.	आरटीपीई 99/1990	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ	23 जुलाई, 2007 से अंतिम बहस
2.	एमटीपीई 2/1992	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम ऐसोसिएटेड सीमेंट कं. लि., मुंबई	07 सितंबर, 2007 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध
3.	आरटीपीई 83/2000	डीजी, एमआरटीपीसी एंड मै. गायत्री एजेन्सीज कांचीपुरम बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ, चेन्नई	29 नवम्बर, 2007 को प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध
4.	आरटीपीई 21/2001	श्री सर्वजीत एस मोखा एंड अन्य बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ एंड अन्य	03 सितम्बर, 2007 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध
5.	आरटीपीई 32/2006	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. तथा दो अन्य	21 अगस्त, 2007 को मामलों पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध
6.	यूटीपीई 86/2006	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम विभिन्न सीमेंट विनिर्माता	25 अक्टूबर, 2007 को मामलों पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध

1	2	3	4
7.	आरटीपीई 52/2006	भारतीय बिल्डर्स एसोसिएशन बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ	प्राथमिक जांच के अधीन
8.	आरटीपीई 1/2007	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम एसोसिएटेड कंपनीज लि.	डीजी (आई एंड आर) की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
9.	आरटीपीई 4/2007	जयमीन स्टील कार्पोरेशन बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.	मामला और आगे निर्देशों के लिए 31 अगस्त, 2007 को सूचीबद्ध

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी नीति

*47. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूर किया गया है, कितने प्रस्ताव अनुमोदनार्थ लम्बित पड़े हैं और कितने प्रस्तावों को रोक लिया गया है तथा इन प्रस्तावों को अब तक अनुमोदित न किए जाने के राज्य-वार क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों और नियमों में संशोधन करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति और मार्गदर्शी सिद्धांतों/नियमों की समीक्षा तथा इनमें संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) दिनांक 10 फरवरी, 2006 को विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के प्रवृत्त होने के बाद, सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना हेतु अब तक 366 औपचारिक अनुमोदन और 176 सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए हैं। इसके अलावा एसईजेडों की स्थापना हेतु 264 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। औपचारिक और सैद्धांतिक अनुमोदनों और लम्बित प्रस्तावों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	लम्बित प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	61	8	16
2.	चंडीगढ़	2	–	–
3.	छत्तीसगढ़	1	2	3

1	2	3	4	5
4.	दादरा एवं नगर हवेली	2	1	–
5.	दिल्ली	2	–	4
6.	गोवा	7	–	8
7.	गुजरात	29	9	9
8.	हरियाणा	29	28	27
9.	हिमाचल प्रदेश	–	4	–
10.	झारखंड	1	–	2
11.	कर्नाटक	36	17	42
12.	केरल	11	2	12
13.	मध्य प्रदेश	8	7	9
14.	महाराष्ट्र	75	37	45
15.	नागालैण्ड	1	–	1
16.	उड़ीसा	9	6	4
17.	पुडुचेरी	1	–	–
18.	पंजाब	6	7	3
19.	राजस्थान	5	10	3
20.	तमिलनाडु	53	12	28
21.	उत्तरांचल	3	1	–
22.	उत्तर प्रदेश	12	10	25
23.	प. बंगाल	12	15	23
	कुल	366	176	264

संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाएं प्राप्त नहीं होने और अपेक्षित भूमि की उपलब्धता की पुष्टि नहीं होने के कारण इन 264 प्रस्तावों पर प्राथमिक रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) एसईजेड नियम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसमें संशोधन किए जाते हैं और इनमें दो संशोधन क्रमशः दिनांक 10 अगस्त, 2006 और 16 मार्च, 2007 को किए जा चुके हैं। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम)

ने दिनांक 5 अप्रैल, 2007 को हुई अपनी बैठक में एसईजेडों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद बहु-उत्पाद एसईजेडों के लिए अपेक्षित क्षेत्र की अधिकतम सीमा 5000 हेक्टेयर निर्धारित की थी और बहु उत्पाद एसईजेडों तथा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेडों के लिए नयूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र एकसमान रूप से 50% निर्धारित किया था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेडों संबंधी अनुमोदन अब उक्त निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जा रहे है। तदनुसार, एसईजेड नियम 2006 में उपयुक्त संशोधन की प्रक्रिया एसईजेड को अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे एसईजेडों हेतु भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया है या करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

गुमशुदा बच्चे

*48. **श्री वसंतराव मोरे:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश में गुमशुदा बच्चों के मुद्दे की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है जैसाकि दिनांक 3 जुलाई, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) गुमशुदा बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 5 में निहित सिफारिशों/सुझावों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में उपयुक्त कार्रवाई और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अन्य उपाय किए जाएंगे।

विवरण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/सुझावों का हिस्सा

(रिपोर्ट का अध्याय-5)

क्र.सं.	समिति की सिफारिशें
1	2
1.	**प्राथमिकता मुद्दा:** निर्विवाद रूप से "गुमशुदा बच्चों" की समस्या एक गंभीर मामला है जो एक मानवाधिकार का भी मुद्दा है। यह बात मानी जाती है कि सरकार और समाज द्वारा जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए थे उतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया है। अत: सभी स्टेक होल्डरों, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों द्वारा इस मुद्दे को "प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा" बनाए जाने की जरूरत है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को सुग्राही बनाने और साथ ही उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस आदेश/परिपत्र/स्थाई आदेश आदि जारी करने के लिए राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा उचित उठाए जाने चाहिए।
2.	**पुलिस स्टेशन में गुमशुदा व्यक्ति स्क्वाड/डेस्क:** समिति सिफारिश करती है कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष स्क्वाड/गुमशुदा व्यक्ति डेस्क होना चाहिए। इस स्क्वाड/ डेस्क का एक रजिस्टरिंग अधिकारी होना चाहिए जिसे गुमशुदा बच्चों की शिकायतें दर्ज करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए उसके द्वारा और साथ ही विशेष स्क्वाड द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा रिकार्ड रखा जाना चाहिए। रजिस्टरिंग अधिकारी को भी घटना रिपोर्टें लिखनी चाहिए और उन्हें स्टेशन डायरी/केस डायरी, जैसा भी मामला हो, में रिकार्ड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रजिस्टरिंग अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में भी काम

1 2

करना चाहिए जिसमें उसे गुमशुदा बच्चे का पता लगाने/खोजने की संपूर्ण प्रक्रिया की अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। गुमशुदा बच्चों के मुद्दों को हल करने के लिए यदि जरूरी हो तो जे ए पी यू (जुवेनाइल एड पुलिस यूनिट का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब ऐसे गुमशुदा बच्चों को, जिन्हें किशोर नहीं माना जा है लेकिन वस्तुत: जिन बच्चों पर ध्यान दिए जाने और देखभाल किए जाने की जरूरत हो। इस यूनिट/स्क्वेड की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग/समीक्षा की जानी चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो वहां रजिस्टरिंग और जांच अधिकारी को समय पर अनुदेश और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3. **अदालत के निर्देश:** देश के सभी पुलिस स्टेशनों में होरीलाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्यों द्वारा दायर 1996 की रिट याचिका (आप.) सं. 610 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 14.11.2002 को दिए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को दोहराने की जरूरत है। इससे गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) में गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों से संबंधित एक सैल की स्थापना की गई थी। तब से यह सैल काम कर रहा है लेकिन प्रर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। चूंकि सी बी आई, एक केन्द्रीय जांच एजेंसी है और इसके पास अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करने की शक्तियां और क्षेत्राधिकार है इसलिए गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का समन्वय और उनकी जांच करने के लिए इस सैल की क्षमता बढ़ाने हेतु इसे सुदृढ़ बनाया जाना वांछनीय है।

4. **जिला प्रशासन की भूमिका:** कानून, देश के जिला प्रशासन को यह आदेश देता है कि वह उन स्थानों पर जाए और उनका आवधिक निरीक्षण करे जहां पर बच्चे काम करते हों। समिति को यह नोट करके अत्यंत दुख हुआ कि पूरे देश में जिला प्रशासन, इस काम में विफल हुआ है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि आज भी बहुतायत में बच्चे घरेलू नौकर और बंधुवा/बाल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह चिंता का विषय है कि बाल मजदूर और बंधुवा मजदूर के जिन चिहिन्त मामलों में नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन चलाया जाता है उनमें एक प्रतिशत से भी कम दोषसिद्धि होती है जो निश्चित ही पर्यवेक्षण में कमी का द्योतक है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति ऐसी उदासीनता को उपचारी दृष्टिकोण अपना कर दूर किया जाना चाहिए। समिति, संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध करती है कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में लापरवाही बरतने के लिए प्रशासन को जबावदेह बनाया जाए।

5. समिति का यह विचार है कि यदि पूरी ईमानदारी से नियमित रूप से निरीक्षण करने की यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो गुम हुए काफी बच्चों को उनके घर भेजा जा सकेगा।

6. **रिपोर्ट करने की अनिवार्यता:** राज्य पुलिस मुख्यालयों को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने की एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसमें पूरे देश में गुमशुदा बच्चों की सभी घटनाओं की सूचना ऐसी घटना घटित होने के 24 घंटे के अंदर नव गठित बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग को दी जाए। यह सूचना तत्काल दी जानी चाहिए और इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो हिरासत में हुई मौतों के मामलों की सूचना, एन एच आर सी को देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के समान होनी चाहिए।

7. **पंचायत राज संस्थाओं (पी आर आई) आदि को शामिल करना:** गुमशुदा बच्चों से संबंधित जांच प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जांचकर्ता पुलिस टीम के लिए यह उचित होगा कि वह विद्यमान सहायता माध्यमों

1	2

के अतिरिक्त पंचायत राज संस्थाओं/नगरपालिका समितियों/ पड़ोसी समितियों/आवासी कलयाण संघों आदि जैसे समुदायों के प्रतिनिधियों को बड़े पैमाने पर शामिल करे। इससे गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ-साथ समुदायों को शामिल किया जा सकेगा। पुलिस महानिदेशकों को न केवल बच्चों से संबंधित अपराधों की जाच करने के लिए कार्य में इन एजेंसियों का पूरा लाभ उठाने हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए बल्कि गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए भी इनका उपयोग करना चाहिए। पंचायतों और ऐसे निकायों की भूमिका निम्नलिखित के लिए होनी चाहिए:

* गुमशुदा बच्चों की तत्काल सूचना देना;
* कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आसूचना, यदि कोई हो, का तत्काल वितरण करना;
* बच्चों को खोजने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना;
* घर लौट गए बच्चों के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना प्रदान करना।

8. **एनजीओ को शामिल करना:** जिन स्थानों पर बच्चों के अधिसंख्या में सुभेद्य ग्रुप पाए जाते हैं उन स्थानों पर प्रवर्तन एजेंसियों को गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकताओं की साझीदारी में एक प्रकार का तंत्र तैयार करना चाहिए जिसमें उन्हें परामर्श देने के अतिरिक्त जागरूकता पैदा करने की गतिविधियां भी की जा सकें। इससे न केवल उनमें विश्वास आएगा बल्कि वे सुदृढ़ भी बनेंगे और उन्हें विशेष संरक्षण मिलेगा ताकि वे बाहरी एजेंसियों/कारकों के झांसे में न आ सकें। इसके लिए जिलों में गुमशुदा बच्चें की स्क्वाड/ सैल द्वारा पहल की जा सकती है। इस पहल पर डी जी पी द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

9. **राष्ट्रीय डाटाबेस और मानीटरिंग:** एन सी आर बी को नेशनल ट्रैफिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए जो गुमशुदा बच्चों का मूल स्तर पर पता लगाने के लिए दिशा-निर्देश का काम करेगा। न केवल गुमशुदा बच्चों के बारे में बल्कि लौट गए/बचाए गए/बरामद किए गए

1	2

बच्चों के बारे में भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। यौन शोषण और शोषण करने वाली मजदूरी सहित शोषण वाले स्थानों से बचाए गए बच्चों के सभी मामलों की सूचना एन सी आर बी के डाटाबेस में होनी चाहिए। इस डाटाबेस को नियमित और योजनाबद्ध ढंग से अद्यतन किया जाना चाहिए। इसमें उन लोगों से संबंधित सूचना देने के फार्मेटस में संशोधन करना भी शामिल किया जाना चाहिए जिसका अवैध व्यापार किए जाने के बाद बचाव किया गया है और जिन्हें बरामद किया गया है। निदेशक, एन सी आर बी, नई दिल्ली के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और फार्मेटस तैयार करना चाहिए क्योंकि यू एन ओ डी सी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में और मानव के अवैध व्यापार विरोधी ओर संबंधित मुद्दों पर उचित परियोजनायें आदि विकसित कर रहा है। इसे वेब-आधारित और अन्य अंतरा और अंतर-राज्य नेटवर्किंग संपर्कों से प्रभावी बनाया जा सकता है। जो सूचना एकत्र की जाती है उसे उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि एन सी आर बी, एक पृष्ठ का उपयोगी पोजीशन पेपर तैयार करे जिसमें संगत आंकड़ों सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित सूचना हो। यह उन एजेंसियों के लिए उपयोग और पहुंच वाला माध्यम हो सकता है जो किसी समस्या विशेष का हल कर रहे हों। उदाहरणार्थ, गुमशुदा बच्चों से संबंधित संगत सूचना, यदि इसे एक या दो पृष्ठों में रखा जाता है, एन सी आर बी द्वारा तैयार की गई भारी-भरकम रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संकलित सूचना की तुलना में सभी स्टेक होल्डरों के लिए कहीं अधिक पहुंच वाली और पठनीय हो सकती है।

10. **एससीआर बी/डीसीआरबी:** राज्य/जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो को फिर से स्थापित किए जाने की तत्काल जरूरत है। गुमशुदा व्यक्तियों, उनकी वापसी और इसमें शामिल प्रक्रिया का डाटाबेस उचित रूप से रखा जाना चाहिए। राज्य गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो (एम पी बी) का पुररूद्धार किए जाने, कार्यशील और सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। अधिकारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वे ज्ञानवान होने चाहिए ताकि

1	2
	वे विश्लेषणात्मक ढंग और मानवाधिकारों के संदर्भ में मुद्दों को हल कर सकें। एस सी आर बी और एम पी बी को आपस में उचित संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि पुलिस स्टेशनों में स्थापित किए जाने वाले विशेष सेल/स्क्वाड और एम पी बी के कार्यकरण में एस सी आर बी और एन सी आर बी के डाटाबेस का उपयोग किया जा सके। एम बी पी के आंकड़ों को मानव के अवैध व्यापार अपराध से बचाए गए बच्चों के डाटा से अद्यतन किया जाना चाहिए।
11.	**हेल्पलाइन:** एन जी ओ/पी आर आई/अन्य एजेंसियों के माध्यम से सभी जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन स्थापित किए जाने की जरूरत है जिन्हें सरकार से पर्याप्त सहायता दी जाए। ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग, भारत सरकार पहल कर सकता है।
12.	**प्राथमिक जांच आउटसोर्सिंग का काम एनजीओ को देना:** एन एच आर सी समिति को ऐसे कई दृष्टांतों की जानकारी मिली है जिनमें गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें लेखबद्ध करने में एन जी ओ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और वे बेहतर परिणाम दे रहे हैं। ऐसे प्रयास और पहलें, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों में सहायक होती हैं। पुलिस और एन जी ओ की सहक्रिया, इस मुद्दे को हल करने में अत्यधिक सहायक हो सकती है और यह सउन पुलिस एजेंसियों को अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकती हैं जिन्हें अन्य कई प्रकार के कार्यों में पहले से लगाया गया है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पर पुलिस स्टेशन की स्थिति बहुत कमजोर है। अत: गुमशुदा व्यक्तियों की प्राथमिक जांच का कार्य उन एन जी ओ को दिया जा सकता है जो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हों। इस संबंध में गृह मंत्रालय, राज्यों को उचित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। प्रत्येक राज्य, ऐसे कुछ एन जी ओ की पहचान कर सकता है और यदि जरूरत हो तो उन्हें अधिसूचित कर सकता है। आज कोई भी एन जी ओ की ऐसी जांच करने से नहीं रोकता है और कई एन जी ओ पहले से ही यह कार्य कर रही है। अत: आज की स्थिति में यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एन जी ओ के बीच सहक्रियाओं और इस साझेदारी को संस्थागत बनाया जाए।
13.	**साक्ष्य की संज्ञेयता:** आज, गुमशुदा बच्चों का मुद्दा, संज्ञेय अपराध नहीं है और किसी बच्चे का गुम होना, किसी अपराध का द्योतक नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जैसे कुछ राज्यों ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच-पड़ताल करने की अनुमति दी है। उचित जांच/जांच-पड़ताल सुकर बनाने के उद्देश्य से यह सलाह दी जाती है कि गुमशुदा बच्चों के मुद्दों के संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाए। तथापि, अनुभव से पता चलता है कि कई मामलों में बच्चा तो गुम नहीं होता है लेकिन माता-पिता या वार्डों की घबराहट के कारण ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है। अत: ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई गुमशुदा बच्चा घर नहीं लौटता है या उचित समय तक उसका पता नहीं चलता है तो प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी जाती है। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करें कि यदि किसी बच्चे के गुम होने के 15 दिन के अंदर उसका पता नहीं चलता है तो वे सूचना देने का तारीख से 15 दिन की समय सीमा निश्चित कर दें और इस बारे में कुछ गड़बड़ी मानी जा सकती है तथा गुमशुदा बच्चों के ऐसे सभी मुद्दों में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
14.	**स्टेट होल्टरों को सुग्राही बनाना:** गुमशुदा बच्चों के मुद्दे से संबंधित सभी पुलिस कार्मिकों और अन्य स्टेक होल्डरों को सुग्राही बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए बी पी आर डी द्वारा दो-दिवसीय माडयूल तैयार किया जा ताकि सभी संबंधितों को समान प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही उचित पठनीय सामग्री तौर किए जाने की जरूरत जिसमें दूसरे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ-साथ दूसरे देशों से गुमशुदा बच्चों के बारे में अच्छी प्रक्रियायें शामिल की जाएं।
15.	**जरूरतमंद और देखभाल करने के लिए बच्चों का बचाव:** "भाग गए बच्चों", "परित्यक्त बच्चों",

1	2
	"तिरस्कृत बच्चों" और ऐसे "सुभेद्य बच्चों" की पहचान किए जाने की जरूरत हैं जिन्हें उन स्थानों के आस-पास घूमते हुए पाया जाता है जो गंदे और शोषण वाले स्थानों के रूप में जाने जाते हैं, जेसे रेलवे स्टेशन, यातायात जंक्शन आदि। सहायक आधारभूत ढांचे-परिवार अथवा, की कमी के कारण उनकी सुभेद्यता बढ़ जाती है। उचित पहचान, देखभाल का प्रावधान और समर्थन तथा "सुरक्षित स्थान" उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वे बच्चे हैं तो जे जे अधिनियम में आते हैं और जिनकी देखभाल किए जाने और जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है तथा जिसे उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्हें सी डब्ल्यू सी के समक्ष प्रस्तुत कर और संबंधित गृहों में उचित देखभाल कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकार गृह उपलब्ध न हो तो ऐसे गृह स्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को उपयुक्त एन जी ओ की सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकारों को कहा जाना कि वे ऐसे एन जी ओ को तत्काल अधिसूचित करें ताकि वे अविलम्ब कार्य कर सकें। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एन जी ओ द्वारा आवेदन किए जाने की तारीख से एक माह की समय-सीमा के अंदर ऐसी अधिसूचनाएं कर दें।
16.	**बच्चों के लिए पहचान पत्र:** स्थानीय प्रशासन को विद्यालयों को इस आशय की सहायता प्रदान करनी चाहिए कि वे अपने बच्चों, विशेष रूप से उन बच्चों जिनका पता नहीं लगाया जा सका या जो विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं, पर नजर रख सकें। विद्यालयों और पुराने शिक्षण संस्थानों को बच्चों के लिए फोटो पहचान पत्र शुरू करने चाहिए ताकि उनका पता लगाया जा सके। पहचान विवरण के साथ ऐसे सभी फोटो पहचान पत्र तैयार किए जाने चाहिए और तत्काल डाटा बेस विकसित किया जाना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिए। विद्यालयों को जरूरत पड़ने पर बच्चों को उनके अधिकारों, कानूनी शक्तियों और सुरक्षा तंत्र के बारे में सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाने चाहिए।
17.	**गरीबी उन्मूलन उपाय:** यह बात मानी गई है कि गरीबी एक ऐसा कारक है जिसके कारण बच्चे गलत दिशा की ओर जाने के लिए बाध्य होते हैं और उनका

1	2
	शोषण किया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने ऐसी कई योजनायें शुरू की हैं जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाना है और जिनका उद्देश्य गरीब और साधनहीन लोगों को रोजगार प्रदान करना है और उनहें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। ये सभी कार्यकगम, विशेष रूप से बाल कल्याण से संबंधित कार्यक्रम, अंत्योदय दृष्टिकोण अपना कर ग्राम सभा स्तर पर उचित ढंग से तैयार किए जाने चाहिए। मध्यान्ह भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण आदि जैसी स्कीमों पर उचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि इष्टतम परिणाम प्राप्त किये जा सकें। मानवाधिकार दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन के इन कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन किये जाने की जरूरत है। यदि सरकार की सभी स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है तो उपयुक्त रूप से यह अपेक्षा की जा सकती है कि शोषण जो अक्सर होता है, का मुकाबला करने के लिए सुभेद्य वर्ग सशक्त बन जाएंगे।
18.	**राज्य आयोगों की भूमिका:** गुमशुदा बच्चों के मुद्दे के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य/केन्द्र महिला आयोग आदि को शामिल किए जाने की जरूरत है। इन निकायों का अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में ऐसे मुद्दों को उपयुक्त ढंग से हल करने के लिए सभी स्टेक होल्डरों पर अत्याधिक प्रभाव होता है।
19.	**मीडिया की भूमिका:** वर्तमान भयंकर स्थिति के मद्देनजर, मीडिया, गुमशुदा बच्चों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने और उन हजारों दुखी परिवारों की दयनीय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिनके बच्चों का नाम, पता न लगाए गए गुमशुदा बच्चों की सूची में है। इसे निम्नलिखित के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। * समाचार कक्ष स्तर पर क्राइम रिपोर्टरों और मेट्रो एडिटरों को गुमशुदा बच्चों की श्रेणी को नियमित बीट में और अपने दैनिक समाचारों के भाग के रूप में शामिल किए जाने की जरूरत है। * इन समाचारों की अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने और हत्या, मानव के अवैध व्यापार आदि जैसे अन्य

1	2
	समाचारों के समान ही इनका भी नियमित रूप से पता लगाए जाने की जरूरत है। खो गया और पाया श्रृंखला शुरू की जानी चाहिए। पता लगाए गए/घर लौट आए गुमशुदा बच्चों के मामलों को ''अच्छे'' समाचारों के रूप में माना जाना चाहिए जिससे पुलिस/स्थानीय प्राधिकारी अपनी कार्रवाई तेल करने की प्रति उत्साहित होंगे।
*	गुमशुदा बच्चों की निरंतर दुखद स्थिति को मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस आदि जैसे अवसरों पर व्यापक स्टोरी पिक्चर में दर्शाया जाना चाहिए।
*	समाचार पत्र, गुमशुदा बच्चों के संबंध में अपने वर्गीकृत भाग में एक पृथक भाग बना सकते हैं। गुमशुदा बच्चों से संबंधित नोटिसों और विज्ञापनों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किए जाने की जरूरत है और समाचारपत्रों तथा टी वी बुलेटनों में और अधिक प्रमुखता और स्थान दिए जाने की जरूरत है।
*	जिस प्रकार कुछ समाचारपत्र, आतंकवाद के पीड़ितों आदि के बारे में दैनिक/साप्ताहिक अंक निकालते हैं उसी प्रकार शहर/देश में गुमशुदा बच्चों के बारे में नया अंक शुरू किया जा सकता है।
*	स्थानीय समाचारों पर जोर देते हुए समाचार पत्र या टी वी चैनल या तो पुलिस या स्थानीय एन जी ओ के साथ, जिन्होंने गुमशुदा बच्चों से संबंधित घोषणाओं और विज्ञापनों पर कोई प्रभार लिए बगैर मुद्रण के क्षेत्र में कार्य किया हो, के साथ मिलकर यह व्यवस्था कर सकते हैं।
*	गुमशुदा बच्चों की कहानी, दैनिक अपराध शो में भी दिखाई जानी चाहिए। इसे कई टी वी चैनलों ने शुरू कर दिया है। जिस प्रकार वेश्यावृत्ति, मानव अंगों की तस्करी आदि की जांच-पड़ताल की जाती है उसी प्रकार उन मामलों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार गुमशुदा बच्चे, वैश्यालयों या फैक्ट्रियों में पहुंच आते हैं। हल किए गए मामलों को भी दर्शाया जा सकता है या उन मामलों को दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार भेजा जाता है। यदि जरूरत हो तो पहचान छिपाई जा सकती है।
*	मीडिया यूनियन, महिला प्रेस कार्प्स और इसी प्रकार के अन्य मीडिया संगठन, इस विषय पर सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करने के लिए बच्चों के अधिकारों के मुद्दों पर एन एच आर सी और अन्य एन जी ओ जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।
20.	**अवैध व्यापार के पारगमन केन्द्रों पर ध्यान देना:** रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और ऐसे अन्य स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जो घर से भागे बच्चे या घर से भागने पर मजबूर किए गए बच्चों सहित गुमशुदा बच्चों के पारगमन के रूप में कार्य करते हैं। इस संदर्भ में सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे संरक्षण बल, हवाई अड्डे और पत्तन प्राधिकारियों को गुमशुदा बच्चों के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है।
20.	**सीमा पार के गुमशुदा बच्चे:** यह संदिग्ध क्षेत्र है जिसका हल नहीं निकाला गया है। यह सूचित किया गया है कि जिन कई विदेशी बच्चों को, जिन्हें अवैध रूप से भारत में लाया गया है, अवैध आप्रवासी के रूप में दंडित किया गया है और वे यहां दुख भोगते हैं। एन एच आर सी, राज्य सरकारों से सिफारिश करती है कि वे ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करें और ऐसे सभी बच्चों को राहत प्रदान करें क्योंकि अवैध रूप से भारत आए सभी बच्चों की, चाहे उनकी राष्ट्रिकता कुछ भी हो, देखभाल किए जाने और उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। यह पता चला है कि यू एन ओ डी सी, मानव के अवैध व्यापार विरोध अपनी परियोजना में अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग, एन एन ओ डी सी की तकनीकी सहायता का उपयोग कर सकता है और इस विषय पर एम ई ए के साथ निकट समन्वय करके प्रोटोकाल विकसित कर सकता है। परियोजना समन्वयक, यू एन ओ डी सी अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। **सर्वेक्षण और अनुसंधान:** गुमशुदा बच्चों का संसार अज्ञात होता है और इस मुद्दे का उचित अध्ययन या अनुसंधान नहीं किया गया है। आज भी गुमशुदा या पता लगाए गए बच्चों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्तमान विधायन में राज्य और जिला प्राधिकरणों के लिए यह अपेक्षित है कि वे उन स्थानों का आवधिक

1	2
	निरीक्षण/सर्वेक्षण करें जहां बच्चों को रोजगार दिया गया हो ताकि गुमशुदा बच्चों और बंधुवा मजदूर/बाल मजदूरी में लगे बच्चों का पता लगाया जा सके। यह कार्य कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। राज्य प्रशासन द्वारा उन स्थानों का, विशेष रूप से वे स्थान जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे बच्चों के लिए सुभेद्य है, माइक्रो अध्ययन किए जाने की जरूरत है। सभी बच्चों को जो गुम हो गए हैं या यहां तक कि जिनका पता लगा लिया गया है, समस्या के वास्तविक आयाम को समझने के लिए तत्काल ग्राम-वार सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है। बच्चों की सुभेद्यता के पीछे के विभिन्न कारकों का शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों को सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से सिफारिश की जाती है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा

***49. श्री पी. करूणाकरन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार से प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के मद्देनजर प्राकृतिक आपदा संबंधी योजनाओं के पूर्व विनिर्दिष्ट मानदंडों में रियायत देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बागान क्षेत्र के कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कितनी धनराशि प्रदान/खर्च की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) केरल सरकार सहित कुछेक राज्य सरकारों ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु मानदंडों के संशोधन करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। इन अनुरोधों में मुख्य रूप से सहायता की मात्रा में बढ़ोतरी करना, सहायता प्रदान करने के लिए कई आपदाओं को शामिल करना और दिशानिर्देशों के तहत पात्रता न रखने वाली मदों हेतु सहायता का प्रावधान करना जैसे पूंजीगत परिसम्पत्तियां और क्षतिग्रस्त अवसंरचना का जीर्णोद्धार करना शामिल था। केरल सरकार ने मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं की पात्र सूची में समुद्र कटाव, आकाश से बिजली गिरना, नौका दुर्घटनाओं और अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं को शामिल करने तथा सहायता की दरों के संशोधन हेतु अनुरोध किया था।

(ग) बागान संबंधी फसलों सहित सभी प्रकार की बारहमासी फसलों हेतु कृषि निवेश सहायिकी के लिए मानदंडों को 4000 रु. प्रति हेक्टेयर से संशोधित करके 6000 रु. प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के आबंटन और उसे जारी करने और एन सी सी एफ से जारी निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 के दौरान सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान जारी करना

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	180.56	180.56	258.06	258.06	270.96	335.48	284.51	219.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.96	10.96	21.23	21.23	21.84	21.84	22.48	11.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	92.52	136.58	144.79	72.40	148.97	221.37	153.36	76.68
4.	बिहार	61.05	90.12	111.69	55.85	11.92	55.85	118.31	
5.	छत्तीसगढ़	25.03	36.96	83.81	41.91	86.23	150.33	88.76	22.19
6.	गोवा	1.13	1.13	1.58	0.79	1.66	2.45	1.74	
7.	गुजरात	147.14	147.14	184.50	184.50	193.73	246.87	203.41	48.57
8.	हरियाणा	74.12	74.12	93.28	83.95	97.95	107.28	102.85	51.43
9.	हिमाचल प्रदेश	39.64	39.64	75.52	75.52	77.70	77.70	79.99	40.00
10.	जम्मू-कश्मीर	31.82	31.82	64.84	64.84	66.72	66.72	68.68	34.34
11.	झारखंड	51.68	50.45	94.56	94.56	97.28	48.64	100.15	48.64
12.	कर्नाटक	67.98	67.98	86.00	86.00	90.28	113.98	94.81	71.11
13.	केरल	61.30	61.30	64.13	64.13	67.33	67.33	70.70	70.70
14.	मध्य प्रदेश	57.10	57.10	190.67	190.67	196.18	246.67	201.97	50.50
15.	महाराष्ट्र	143.31	107.48	167.18	167.18	175.54	220.00	184.31	47.70
16.	मणिपुर	2.62	0.00	4.17		4.29		4.42	10.67
17.	मेघालय	3.59	3.59	8.47	4.24	8.71	12.95	8.96	4.48
18.	मिजोरम	2.71	4.00	4.94	2.47	5.08	5.01	5.23	
19.	नागालैण्ड	1.79	2.64	2.87	1.44	2.95		3.03	4.39
20.	उड़ीसा	99.79	99.79	226.16	226.16	232.68	291.34	239.53	61.11
21.	पंजाब	111.87	111.87	109.52	54.76	115.00	112.26	120.74	57.50
22.	राजस्थान	188.71	188.71	311.73	311.73	327.32	413.66	343.68	85.50
23.	सिक्किम	6.30	6.30	13.15	13.15	13.53		13.93	13.53
24.	तमिलनाडु	93.57	93.57	156.81	78.41	164.65	243.06	172.88	
25.	त्रिपुरा	4.74	9.25	9.64		992	14.6	10.21	10.07
26.	उत्तर प्रदेश	133.36	133.36	221.95	221.95	228.36	228.36	235.10	117.55
27.	उत्तराखंड	29.50	29.50	71.02	71.02	72.44	36.22	73.93	36.22
28.	पश्चिम बंगाल	92.17	92.17	176.05	176.05	181.12	181.12	186.47	93.24
	कुल	1816.06	1868.09	2958.32	2622.94	3073.34	3521.06	3194.14	1287.31

अनुबंध II

2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान एनसीसीएफ से सहायता जारी करना

(रु. करोड़ में)

	राज्य	जारी सहायता			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	87.20	100.00	203.06	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.09	68.44	44.38	
3.	असम	211.55			
4.	बिहार	398.92			
5.	छत्तीसगढ़	52.74			
6.	गोवा				
7.	गुजरात	55.00	304.31	545.69	
8.	हरियाणा				
9.	हिमाचल प्रदेश		112.97	25.14	
10.	जम्मू-कश्मीर	50.00	309.77		13.51
11.	झारखंड				
12.	कर्नाटक	63.62	358.85	384.97	
13.	केरल	206.00	17.94		50
14.	मध्य प्रदेश	1.70		30.85	
15.	महाराष्ट्र	173.23	657.25	589.90	168.92
16.	मणिपुर				
17.	मेघालय	6.16			
18.	मिजोरम	10.68			
19.	नागालैण्ड	1.81		0.81	
20.	उड़ीसा	53.44		25.00	
21.	पंजाब				

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	216.79		100.00	
23.	सिक्किम	9.90		5.20	
24.	तमिलनाडु	783.14	1131.91		
25.	त्रिपुरा	0.05			
26.	उत्तर प्रदेश	192.10			
27.	उत्तराखंड			7.06	
28.	पश्चिम बंगाल				
	कुल	2583.12	3061.44	1962.05	250.23

भारतीय प्रबंध संस्थान

***50. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विचार देश में भारतीय प्रबंध संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता की सीमा का निर्धारण करने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) आवश्यक विधायी हस्तक्षेप के लिए प्रस्तावित संशोधन कब तक लाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) सरकार प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की तर्ज पर भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए एक विधान तैयार करने के मुद्दे की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

बुनकरों और शिल्पकारों की समस्याएं

***51. श्री रमेश दूबे: क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में बुनकरों और शिल्पकारों के समक्ष आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनकरों और शिल्पकारों के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक निगरानी प्रणाली की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) हथकरघा क्षेत्र अनेक कारणों से सस्ते विद्युतकरघा उत्पादों से सख्त स्पर्धा का सामना कर रहा है। विद्युतकरघा के समक्ष हथकरघा उत्पादों की लागत में ऊंची मजदूरी घटक है। विद्युतकरघा में उत्कृष्ठ प्रौद्योगिकी और किफायती मानों का लाभ होता है। हथकरघा बुनाई को अभी भी प्रमुख रूप से घरेलू और ग्रामीण गतिविधि के रूप में लिया जाता है जो देशभर में फैला हुआ है जबकि विद्युतकरघा बाजार के उपादान अधिप्राप्ति और संगठन के उत्पादों की लागत काफी ऊंची होती है। इसके अलावा विद्युतकरघा क्षेत्र बाजार में एक ही किस्म के उतपाद सस्ते मूल्य के होते हैं जिसके कारण हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों के विपणन के लिए समस्या उत्पन्न होती है फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर हथकरघा का स्टॉक जमा हो जाता है। स्टॉक संचय से कार्यगत पूंजी रूक जाती है/इसकी कमी हो जाती है। जिसके कारण प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का बैंकों में अधिदेय होता है फलस्वरूप उन्हें ऋण का भार उठाना पड़ता है।

जहां तक हस्तशिल्प के शिल्पियों का संबंध है बाध्यकारी लक्षण हैं-उपयुक्त कच्ची सामग्री का अभाव, आधारभूत सुविधाओं

की कमी, कार्यगत पूंजी की कमी, समुचित प्रौद्योगिकी के ज्ञान की कमी, शिल्पियों के मध्य औद्योगिक कुशलता की कमी और मशीन निर्मित उत्पादों से स्पर्द्धा का होना।

(ख) भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपना रही है ताकि इस क्षेत्र के उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हो और बुनकरों की कुशलता बढ़ाकर और आधारभूत एवं विपणन सुविधाएं और आवश्यक निवेश प्रदान करके उनकी आय और सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति में सुधार लाया जाए। हथकरघा क्षेत्र, राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 का एक हिस्सा है। विश्व बाजार में इसकी विशिष्टता को संवृद्ध एवं विकसित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. अल्प मूल्य संवर्धित वस्तुओं-जो वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाते हैं, के उत्पादन में संलग्न बुनकरों का प्रशिक्षण ताकि वस्त्र अथवा अन्य संबद्ध क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने में उनकी कुशलता बढ़ सके।

2. बुनकरों का बेहतर कार्य माहौल और सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों के निकट सहयोग से व्यापक कल्याण उपाय जारी रखे जाएंगे;

3. अनुसंधान और विकास, डिजायन निवेश, कुशलता संवर्धन तथा बाजार संपर्क में प्रभावी सहायता तंत्र प्रदान किया जाएगा;

4. हैंक धागा दायित्व वआदेश का कार्यान्वयन तथा हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हथकरघा (वस्तु उत्पादनार्थ आरक्षण) अधिनियम, 1985 की समीक्षा की जाएगी।

6. बुनकर सेवा केन्द्रों का समसामयिक प्रवृत्तियों के अनुरूप सुधार किया जाएगा जिसमें दक्षता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सका प्रयोग किया जाएगा। इनकी गतिविधियों को एन आई एफ टी और एन आई डी जैसे डिजाइन उत्कृष्टता केन्द्रों की गतिविधियों के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा;

6. हथकरघा क्षेत्र की सफलता के लिए मर्चेन्डाइजिंग और विपणन केन्द्रीय बिन्दु होगा। इसलिए मूल्य वर्धित फैब्रिक्स के उत्पादन हेतु वर्तमान योजनाओं का पैकेज कारगर होना: नवीन बाजार अभिमुख योजनाएं शुरू की जाएंगी; तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। हथकरघा के ब्राण्ड इक्विटी का यथा संभव वाणिज्यिक दोहन किया जाएगा।

7. हाल ही में समूह विकास दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि उत्पादन के स्वसहायता समूहों को संगठित किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़ा जाए।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव है:

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना
2. विपणन और निर्यात संवर्द्धन योजना
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
4. मिल गेट कीमत योजना
5. विविध हथकरघा विकास योजना

सरकार की हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने की नीति में शिल्पियों के लाभ और कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करना सम्मिलित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव है जिनमें इन चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा:

1. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
2. विपणन सहायता और सेवा योजना
3. डिजाइन और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन योजना
4. कल्याण योजना
5. मानव संसाधन विकास योजना
6. अनुसंधान और विकास योजना

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएं राज्य सरकार/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं की नियमित मानीटरी संबंधित राज्यों के हथकरघा प्रभारी निदेशालयों तथा हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा की जा रही है।

हस्तशिल्प शिल्पियों के लिए योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु एक मानीटरन तंत्र पहले ही मौजूद है। योजनाओं के कार्यान्वयन को नियमित रूप से सहायक निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक के स्तर पर फील्ड अधिकारियों द्वारा मानीटर किया जाता है। उनके निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दावों का निपटान तथा भावी कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के ध्येय से दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि मानीटरन तंत्र को और सुदृढ़ बनाया जाए।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति

*52. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के निष्पादन और केन्द्र तथा राज्यों के बीच इसकी वित्तपोषण पद्धति के संबंध में इस कार्यक्रम की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की वर्तमान वित्तपोषण पद्धति और अंतिम रूप से निर्धारित की गई संशोधित वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए पुरानी वित्तपोषण पद्धति को पुन: अपनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को अधिक सफल बनाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अधिक बच्चों को इसमें शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्र-राज्य निधियन बंटवारे की पद्धति 50:50 के अनुपात में है। लगभग सभी राज्यों में 10वीं पंचवर्षीय योजना के निधियन पैटर्न को ही जारी रखने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का आवंटन ज्ञात नहीं है और उन्हें योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(च) सर्व शिक्षा अभियान का घोषित लक्ष्य है 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।

आंगनवाड़ी केन्द्र

*53. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत कई स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा अभी तक चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए थे और इनमें से अभी तक कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को राज्य-वार चालू कर दिया गया है;

(ग) शेष स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों को चालू करने में विलंब होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों को चालू करने में विफल रहने के लिए राज्यों को फिर कड़ी चेतावनी दी है तथा उनसे बैकलॉग को समाप्त करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा चालू किया जाए?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां।

31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत एवं प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) कुछ समय पूर्व मंत्रालय द्वारा विवेचनात्मक कार्यविधि/पर्ट चार्ट के माध्यम से किए गए प्रयोग के आधार पर पता चला कि एक आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रचालन में लगभग 12 माह लगते हैं। तथापि, प्रशासनिक संस्वीकृति में देरी, अदालती मामलों आदि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में देरी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रचालन में देरी होती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आई.सी.डी.एस. स्कीम का सतत् प्रबोधन एवं समीक्षा कर रहा है तथा संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के शीघ्र

प्रचालन हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक उपाय करने के लिए कहता रहता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने 9 जुलाई, 2007 के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों से सितम्बर, 2006 तक संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को 15 जुलाई, 2007 तक प्रचालित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य को 30 जुलाई, 2007 तक केन्द्रों को प्रचालित करने को कहा गया है। जनवरी, 2007 तक संस्वीकृत केन्द्रों को 30.9.2007 तक प्रचालित करना अपेक्षित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए 10.7.2007 को निर्देश दिए गए।

विवरण

31 मार्च, 2007 तक संस्वीकृत तथा प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या					
		31.32005 तक संस्वीकृत	वर्ष 2005-06 में संस्वीकृत	वर्ष 2006-07 में संस्वीकृत	31.3.2007 तक कुल संस्वीकृत	31.3.2007 तक प्रचालित	प्रचालित किए जाने वाले केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	56539	9562	7843	73944	61761	12183
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	678	1240	4277	3037	1240
3.	असम	25416	6659	5007	37082	25447	11635
4.	बिहार	60813	19715	560	81088	57767	23321
5.	छत्तीसगढ़	20289	9148	5500	34937	26801	8136
6.	गोवा	1012	0	100	1112	1012	100
7.	गुजरात	37961	3523	2695	44179	38391	5788
8.	हरियाणा	13546	2813	833	17192	16359	833
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	10894	0	18248	7354	10894
10.	जम्मू-कश्मीर	18772	0	6711	25483	16409	9074
11.	झारखण्ड	24171	6683	1243	32097	22304	9793
12.	कर्नाटक	40301	11313	2646	54260	51111	3149
13.	केरल	25393	3258	3464	32115	27980	4135

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	49787	9537	9914	69238	56737	12501
15.	महाराष्ट्र	62126	12864	9877	84867	74528	10339
16.	मणिपुर	4501	0	3120	7621	4501	3120
17.	मेघालय	2218	961	209	3388	3162	226
18.	मिजोरम	1361	231	90	1682	1592	90
19.	नागालैण्ड	2770	265	159	3194	2770	424
20.	उड़ीसा	34201	3279	4217	41697	36527	5170
21.	पंजाब	14730	2691	2748	20169	14730	5439
22.	राजस्थान	35821	11041	1510	48372	41985	6387
23.	सिक्किम	500	488	0	988	886	102
24.	तमिलनाडु	42677	3049	1539	47265	45726	1539
25.	त्रिपुरा	3874	2220	1257	7351	6114	1237
26.	उत्तर प्रदेश	106059	31498	13170	150727	128859	21868
27.	उत्तरांचल	6658	1134	1872	9664	7747	1917
28.	पश्चिम बंगाल	57540	17100	17512	92152	56774	35378
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	527	94	51	672	621	51
30.	चण्डीगढ़	300	29	41	370	329	41
31.	दिल्ली	3902	526	1678	6106	4425	1681
32.	दादरा व नगर हवेली	138	77	4	219	138	81
33.	दमन व दीव	87	10	10	107	97	10
34.	लक्षद्वीप	74	0	13	87	74	13
35.	पांडिचेरी	677	11	0	688	688	0
	अखिल भारत	764454	181351	106833	1052638	844743	207895

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

*54. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में वृद्धि हो रही है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सी आर बी) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और अपराधवार कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के मामलों/घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2003 से 2005 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 1,40,601, 1,54,333 और 1,55,553 मामले और बच्चों के प्रति अपराध के 11,663, 14,423 और 14,975 मामले सूचित किए गए हैं।

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के राज्यवार और अपराध-वार मामलों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2003 से 2005 के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लिए गिरफ्तार, आरोपित, अभियोजित, दोषसिद्ध और रिहा व्यक्तियों की संख्या संबंधी ब्यौरे क्रमश: विवरण-III और IV और दर्शाए गए हैं।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' ओर 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और ऐसे में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम के मामले को उच्चतम महत्व प्रदान करती है और अत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित अपराध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए अपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए सलाह जारी करती है।

अपराध की रोकथाम और लोक व्यवस्था बनाए रखने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत हथियारों, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य आधारभूत ढांचे के संदर्भ में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में भी मदद करती है।

विवरण I

2003-2005 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	बलात्कार			महिलाओं और लड़कियों का अपहरण एवं व्यपहरण			दहेज मृत्यु			छेड़खानी		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध प्रदेश	946	1016	935	931	1030	995	466	512	443	4128	3817	3595
2.	अरूणाचल प्रदेश	31	42	35	51	41	39	0	0	0	43	61	67
3.	असम	1095	1171	1238	1351	1552	1456	60	74	99	878	883	899
4.	बिहार	985	1390	1147	674	997	929	909	1029	1014	688	704	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	898	969	990	149	174	184	79	71	100	1481	1661	1450
6.	गोवा	31	37	20	13	10	12	2	2	2	19	23	30
7.	गुजरात	236	339	324	859	905	916	54	58	48	722	757	802
8.	हरियाणा	353	386	461	271	292	344	222	251	212	344	403	380
9.	हिमाचल प्रदेश	126	153	141	96	99	102	6	8	2	250	284	286
10.	जम्मू-कश्मीर	211	218	201	615	632	658	10	9	5	875	990	830
11.	झारखंड	712	797	753	262	178	283	262	275	257	424	411	293
12.	कर्नाटक	321	291	343	244	286	312	194	259	261	1585	1435	1585
13.	केरल	394	480	478	102	142	129	33	31	21	1947	2260	2339
14.	मध्य प्रदेश	2738	2875	2921	608	584	604	648	751	739	6848	6690	6426
15.	महाराष्ट्र	1268	1388	1545	626	787	851	368	314	341	2661	2831	3228
16.	मणिपुर	18	31	25	71	71	69	0	0	0	44	30	25
17.	मेघालय	40	54	63	10	18	19	0	2	1	13	34	44
18.	मिजोरम	54	20	37	2	0	0	0	0	4	88	66	49
19.	नागालैण्ड	14	18	17	3	4	9	0	0	0	4	3	7
20.	उड़ीसा	725	770	799	373	423	547	279	319	334	1669	1811	2238
21.	पंजाब	380	390	398	295	311	329	110	113	99	346	261	308
22.	राजस्थान	1050	1038	993	1750	1881	1549	389	379	361	2715	2825	2503
23.	सिक्किम	10	3	18	0	4	2	0	0	0	25	40	38
24.	तमिलनाडु	557	618	571	632	692	783	220	225	215	2022	1861	1764
25.	त्रिपुरा	114	160	162	29	54	43	20	20	34	127	134	161
26.	उत्तर प्रदेश	911	1397	1217	1499	2324	2256	1322	1708	1564	1098	1900	1835
27.	उत्तरांचल	107	115	133	134	127	125	93	82	63	136	143	100
28.	पश्चिम बंगाल	1002	1475	1686	801	1018	1039	329	396	446	1186	1566	1572
	कुल राज्य	15327	17641	17651	12451	14636	14584	6075	6888	6665	32366	33884	33305
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	10	4	2	3	1	0	0	0	9	6	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	चंडीगढ़	18	19	33	28	43	45	1	6	3	11	20	31
31.	दादरा और नगर हवेली	1	7	5	4	7	9	0	0	0	4	5	5
32.	दमन और द्वीव	5	1	2	1	0	2	1	0	1	3	1	1
33.	दिल्ली	490	551	658	797	881	1106	130	126	114	489	601	762
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35.	पांडिचेरी	2	4	6	13	8	3	1	6	4	56	50	60
	कुल संघ शासित	520	592	708	845	942	1166	133	138	122	573	683	870
	कुल अखिल भारत	15847	18233	18359	13296	15578	15750	6208	7026	6787	32939	34567	34175

(स्रोत: भारत में अपराध)

2003-2005 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्ष वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	यौन उत्पीड़न			पति और रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार			लड़कियों का आयात			अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2286	2310	2508	8167	8388	8696	5	2	3	349	405	681
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	14	4	9	0	0	0	0	0	0
3.	असम	6	11	19	1808	1945	2206	0	0	3	22	28	25
4.	बिहार	11	13	13	1880	2679	1574	37	35	74	9	24	28
5.	छत्तीसगढ़	105	131	132	601	741	732	0	0	0	7	9	6
6.	गोवा	7	15	8	24	17	11	0	0	0	25	28	38
7.	गुजरात	92	164	104	3684	3955	4090	0	0	0	74	33	59
8.	हरियाणा	1302	850	597	1618	2026	2075	0	0	0	57	62	85
9.	हिमाचल प्रदेश	18	16	29	221	252	228	0	0	0	5	4	4
10.	जम्मू-कश्मीर	376	264	371	71	82	76	0	0	0	2	11	3
11.	झारखंड	2	3	36	559	588	590	0	36	4	6	3	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	84	57	71	1704	1588	1883	0	0	0	1361	1170	1241
13.	केरल	68	133	175	2930	3222	3283	0	0	0	159	168	225
14.	मध्य प्रदेश	705	804	792	2938	3436	2989	0	0	3	33	23	19
15.	महाराष्ट्र	682	862	919	5452	5646	6233	0	0	0	179	309	222
16.	मणिपुर	0	0	0	4	2	20	0	0	0	0	0	1
17.	मेघालय	1	0	0	4	5	3	0	0	0	1	0	1
18.	मिजोरम	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	5	1
19.	नागालैण्ड	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	4
20.	उड़ीसा	188	170	184	1289	1192	1671	0	0	0	11	22	29
21.	पंजाब	199	38	43	987	801	729	0	0	0	54	32	58
22.	राजस्थान	33	41	28	5733	6781	5997	1	1	0	51	79	115
23.	सिक्किम	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1	0
24.	तमिलनाडु	881	1081	665	1555	1437	1650	1	0	0	2839	3022	2777
25.	त्रिपुरा	0	0	1	247	302	439	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4970	2682	2881	2626	4950	4505	0	3	0	47	44	31
27.	उत्तरांचल	98	110	89	317	405	272	0	0	0	0	4	2
28.	पश्चिम बंगाल	71	64	54	4948	6334	6936	1	12	61	152	121	74
	कुल राज्य	12187	9820	9723	49385	56779	56901	46	89	148	5445	5611	5742
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	3	1	7	5	5	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	18	9	93	73	75	0	0	0	4	9	9
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	0	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	1
33.	दिल्ली	105	130	225	1211	1254	1324	0	0	1	46	123	151
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	27	30	26	4	2	6	0	0	0	13	4	5
	कुल संघ शासित	138	181	261	1318	1342	1418	0	0	1	65	137	166
	कुल अखिल भारत	12325	10001	9984	50703	58121	58379	46	89	149	5510	5748	5908

(स्रोत: भारत में अपराध)

2003-2005 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	दहेज विरोध अधिनियम			सती निवारण अधिनियम			महिलाओं के प्रति किए गए कुल अपराध		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध प्रदेश	195	339	306	0	0	0	18382	18921	20819
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	139	148	150
3.	असम	92	36	82	0	0	0	5312	5700	6027
4.	बिहार	706	1220	789	0	0	0	5900	8091	6019
5.	छत्तीसगढ़	16	7	5	0	0	0	3336	3763	3599
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	121	132	121
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	5735	6211	6343
8.	हरियाणा	3	6	7	0	0	0	4170	4276	4161
9.	हिमाचल प्रदेश	7	5	1	0	0	0	729	823	793
10.	जम्मू-कश्मीर	4	2	0	0	0	0	2164	2208	2144
11.	झारखंड	261	199	313	0	0	0	2488	2490	2544
12.	कर्नाटक	341	337	361	0	0	0	5834	5423	6057
13.	केरल	4	2	4	0	0	0	5653	6483	6762
14.	मध्य प्रदेश	29	40	36	0	0	0	14547	15203	14529
15.	महाराष्ट्र	29	21	23	0	0	0	11273	12169	13370
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	137	134	140
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	69	113	131
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	147	91	95
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	25	30	37
20.	उड़ीसा	412	532	446	0	0	0	4946	5239	6249
21.	पंजाब	3	7	5	0	0	0	2375	1955	1969
22.	राजस्थान	3	13	1	0	0	1	11812	13127	11657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	37	49	62
24.	तमिलनाडु	175	294	193	0	0	0	8888	9332	8648
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	537	670	840
26.	उत्तर प्रदेश	367	477	586	0	0	0	12840	15485	14875
27.	उत्तरांचल	1	2	2	0	0	0	886	988	786
28.	पश्चिम बंगाल	17	36	18	0	0	0	8508	11047	11887
	कुल राज्य	2665	3575	3178	0	0	1	136990	150301	150814
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0		0	0	0	22	27	22
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	159	188	205
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	13	22	24
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	10	7	10
33.	दिल्ली	14	11	9	0	0	0	3282	3677	4351
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	4	1	0
35.	पांडिचेरी	5	6	17	0	0	0	121	110	127
	कुल संघ शासित	19	17	26	0	0	0	3611	4032	4739
	कुल अखिल भारत	2684	3592	3204	0	0	1	140601	154333	155553

(स्रोत: भारत में अपराध)

विवरण II

2003-2005 के दौरान बच्चों के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	हत्या			बलात्कार			बच्चों का अपरण एवं व्यपहरण			भ्रूण हत्या		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध प्रदेश	119	71	57	383	363	315	373	396	332	0	0	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	9	11	10	9	8	12	0	0	0
3.	असम	2	1	13	5	7	90	0	3	18	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	8	9	26	3	3	8	33	29	72	0	1	0
5.	छत्तीसगढ़	29	44	37	186	308	382	45	70	110	6	6	21
6.	गोवा	0	2	4	22	20	15	9	9	11	0	0	0
7.	गुजरात	49	74	76	75	96	90	267	300	285	4	0	4
8.	हरियाणा	24	23	38	77	24	131	92	42	101	2	15	8
9.	हिमाचल प्रदेश	5	5	6	36	32	58	23	26	37	0	2	1
10.	जम्मू-कश्मीर	0	1	4	2	4	4	38	27	48	0	0	0
11.	झारखंड	7	6	33	16	43	22	3	18	11	1	1	0
12.	कर्नाटक	23	54	47	25	42	48	29	41	35	0	4	7
13.	केरल	31	51	45	69	159	140	23	74	45	0	0	1
14.	मध्य प्रदेश	165	144	150	699	710	870	210	179	240	11	9	12
15.	महाराष्ट्र	206	187	192	605	634	634	337	380	420	5	15	4
16.	मणिपुर	1	0	3	7	4	4	26	27	13	0	0	0
17.	मेघालय	14	1	9	24	22	51	8	9	11	0	0	0
18.	मिजोरम	5	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	15	9	10	55	31	28	25	11	16	0	0	0
21.	पंजाब	25	42	26	54	54	51	67	53	59	11	8	12
22.	राजस्थान	26	21	57	49	137	246	46	128	132	12	17	10
23.	सिक्किम	1	2	1	8	1	14	0	2	2	0	1	1
24.	तमिलनाडु	60	71	54	47	166	115	37	93	69	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	5	1	0	28	20	0	14	6	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	458	528	390	301	394	394	561	735	749	3	2	0
27.	उत्तरांचल	3	4	6	11	17	18	2	2	41	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	2	16	19	6	32	99	102	0	0	0
	कुल राज्य	1278	1357	1287	2793	3330	3764	2298	2775	2977	55	81	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	2	8	2	1	3	2	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3	3	3	9	13	21	14	36	23	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	3	1	0	0	0	1	7	4	0	1	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	1	4	1	1	1	0	2	0	0	0
33.	दिल्ली	32	41	34	140	186	235	255	371	507	2	4	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	1	0	1	4	3	1	4	3	0	0	0
	कुल संघ शासित	37	49	40	156	212	262	273	421	541	2	5	3
	कुल अखिल भारत	1315	1406	1327	2949	3542	4026	2571	3196	3518	57	86	86

(स्रोत: भारत में अपराध)

2003-2005 के दौरान बच्चों के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्ष वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	आत्महत्या के लिए उकसाना			परित्याग एवं परित्यक्तता			अवयस्क लड़कियों की दलाली			वेश्यवृत्ति के लिए लड़कियों की खरीदारी		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध प्रदेश	3	2	4	36	26	99	46	60	48	0	0	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	5	0	0	0	12	8	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	1	1	0	1	7	5	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	4	6	8	3	14	6	0	1	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	5	1	2	5	1	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	1	1	82	95	1431	2	5	12	0	0	0
8.	हरियाणा	0	1	0	24	15	32	3	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	11	13	12	4	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	5	5	4	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1	1	11	17	18	1	4	7	0	0	0
13.	केरल	0	0	1	1	0	3	7	20	21	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	9	5	7	90	115	95	13	2	4	0	0	1
15.	महाराष्ट्र	5	8	11	293	249	321	20	14	5	5	11	6
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	1	0	9	12	13	0	0	2	0	0	1
22.	राजस्थान	0	0	0	97	90	123	1	1	1	1	1	0
23.	सिक्किम	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	3	1	7	20	6	0	6	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	4	2	0	0	0	28	23	3	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	1	0	7	32	9	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	1	1	0	0	0	12	13	20	18	9	2
	कुल राज्य	25	33	43	672	670	876	171	205	145	24	21	19
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	11	11	7	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	39	33	47	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	50	45	57	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	25	33	43	722	715	933	171	205	145	24	21	28

(स्रोत: भारत में अपराध)

2003-2005 के दौरान बच्चों के प्रति अपराधों के पंजीकृत मामलों की अपराध शीर्ष वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना			बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम			बच्चों के विरुद्ध किए गए अन्य अपराध			बच्चों कि विरुद्ध किए गए कुल अपराध		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	आंध प्रदेश	1	0	2	4	4	9	498	406	74	1463	1328	950
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	22	22
3.	असम	0	1	2	0	1	0	0	0	70	19	21	199
4.	बिहार	0	1	0	0	3	4	10	5	0	56	59	115
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	6	14	3	335	477	430	614	940	997
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	16	20	21	57	53	53
7.	गुजरात	0	0	0	11	30	25	175	198	202	665	799	836
8.	हरियाणा	0	0	0	3	2	7	62	42	57	287	164	374
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	2	3	28	12	14	109	92	131
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	7	2	1	49	35	57
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	3	39	27	35	112	97
12.	कर्नाटक	0	0	0	2	1	3	25	25	25	116	189	191
13.	केरल	0	0	0	0	1	3	48	56	127	179	361	386
14.	मध्य प्रदेश	25	0	0	3	2	18	1437	2487	2324	2662	3653	3721
15.	महाराष्ट्र	3	3	1	16	14	22	506	766	689	2001	2281	2305
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	36	31	20
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	11	6	46	43	81
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	1	0	40	74	32	140	129	86
21.	पंजाब	0	1	0	2	2	11	16	20	36	184	193	211
22.	राजस्थान	0	1	1	6	2	3	2	5	7	240	403	580

1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	5	2	1	15	8	25
24.	तमिलनाडु	0	0	0	3	5	4	23	29	39	177	393	288
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	59	28
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	4	1	4	345	234	259	1702	1921	1801
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	56	76
28.	पश्चिम बंगाल	6	12	44	1	8	2	61	43	57	148	206	236
	कुल राज्य	36	19	50	62	93	122	3644	4968	4500	11058	13552	13866
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	14	8
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	3	3	3	40	66	57
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	5
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	5
33.	दिल्ली	0	0	0	1	0	0	47	131	191	516	766	1026
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	30	0	1	0	0	1	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	12	8
	कुल संघ शासित	0	0	0	1	0	0	56	139	197	575	871	1109
	कुल अखिल भारत	36	19	50	63	93	122	3700	5107	4697	11633	14423	14975

(स्रोत: भारत में अपराध)

विवरण III

2003-2005 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए पंजीकृत मामले (सी आर) गिरफ्तार व्यक्ति (पी ए), आरोपित व्यक्ति (सी एस), अभियोजित व्यक्ति (टी सी), दोषसिद्ध (सी.वी.) और रिहा व्यक्ति (एक्यू)

क्र.सं.	राज्य	2003						2004						2005					
		सीआर	पीए	सीएस	टीसी	सीवी	एक्यू	सीआर	पीए	सीएस	टीसी	सीवी	एक्यू	सीआर	पीए	सीएस	टीएस	सीवी	एक्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध प्रदेश	18382	29101	28602	19937	4819	15118	18921	28976	27139	18983	5761	13222	20819	31136	30369	22139	7543	14596
2.	अरूणाचल प्रदेश	139	160	87	4	2	2	148	162	118	23	17	6	150	129	105	75	45	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	असम	5312	7551	4995	3583	521	3062	5700	8117	5578	4634	692	3942	6027	8760	5934	4425	762	3663
4.	बिहार	5900	11323	9444	7384	1447	5937	8091	12334	8997	6981	930	6051	6019	11220	9280	7213	1035	6178
5.	छत्तीसगढ़	3336	4869	4866	2799	1048	1751	3763	6051	6130	4833	1612	3221	3599	5491	5435	4472	1683	2789
6.	गोवा	121	191	143	147	85	62	132	227	189	126	56	70	121	229	196	153	105	48
7.	गुजरात	5735	14060	13948	6175	404	5771	6211	15549	15543	6333	297	6036	6343	16510	16314	6830	555	6275
8.	हरियाणा	4170	6524	6553	6245	2008	4237	4276	6610	6404	6999	1965	5034	4161	6275	6264	4959	1159	3800
9.	हिमाचल प्रदेश	729	1083	1113	864	101	763	823	1203	1103	801	87	714	793	1267	1242	1189	102	1087
10.	जम्मू-कश्मीर	2164	3580	3606	1596	282	1314	2208	3345	3313	2293	188	2105	2144	3163	3039	2117	136	1981
11.	झारखंड	2488	3931	3515	2830	725	2105	2490	3931	3514	2788	725	2063	2544	3432	2367	5195	721	4474
12.	कर्नाटक	5834	10376	9632	8116	2308	5808	5423	9154	9272	7696	2440	5256	6057	10590	10335	9340	2375	6965
13.	केरल	5653	8726	8170	4709	578	4131	6483	9849	9572	6387	737	5650	6762	10669	10155	6826	929	5897
14.	मध्य प्रदेश	14547	24089	24024	16714	5562	11152	15203	27027	27087	16190	5412	10778	14529	24254	24298	18609	5836	12773
15.	महाराष्ट्र	11273	29336	28619	21967	1238	20729	12169	30432	30240	19786	1177	18609	13370	34156	33326	20586	944	19642
16.	मणिपुर	137	150	7	6	3	3	134	132	6	8	0	8	140	127	11	4	0	4
17.	मेघालय	69	82	23	13	3	10	113	96	50	15	4	11	131	106	53	37	4	33
18.	मिजोरम	147	173	144	218	200	18	91	79	58	11	8	3	95	85	70	173	169	4
19.	नागालैण्ड	25	30	22	17	16	1	30	36	75	110	97	13	37	37	40	57	49	8
20.	उड़ीसा	4946	7805	7846	5901	907	4994	5239	7884	7691	5720	859	4861	6249	9524	9368	5458	693	4765
21.	पंजाब	2375	4192	3637	2816	1126	1690	1955	3642	4031	2849	1031	1818	1969	3303	3027	1996	498	1498
22.	राजस्थान	11812	12692	12669	10103	3526	6577	13127	14640	14639	11168	4613	6555	11657	12838	12856	9534	4042	5492
23.	सिक्किम	37	36	24	6	3	3	49	69	40	8	2	6	62	42	25	15	5	10
24.	तमिलनाडु	8888	11721	11062	9707	5378	4329	9332	12750	12465	11073	6032	5041	8648	12275	12471	11879	6152	5727
25.	त्रिपुरा	537	878	568	342	70	272	670	983	890	464	136	328	840	1308	1090	1007	192	815
26.	उत्तर प्रदेश	12840	23433	23406	23844	13286	10558	15485	32979	29866	24439	13938	10501	14875	32720	31006	25510	14537	10973
27.	उत्तरांचल	886	1827	1594	863	577	286	988	2660	2116	1018	689	329	786	1648	1465	741	382	359
28.	पश्चिम बंगाल	8508	15992	14006	8611	882	7729	11047	16613	14345	7150	729	6421	11887	19227	17324	8995	1261	7734
	कुल राज्य	136990	233911	222325	165517	47105	118412	150301	255530	240471	168886	50234	118652	150814	260521	247465	179534	51914	127620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	22	36	24	16	3	13	27	44	38	26	12	14	22	32	23	14	2	12
30.	चंडीगढ़	159	206	154	118	24	94	188	331	261	164	79	85	205	306	247	97	17	80
31.	दादरा और नगर हवेली	13	24	18	19	5	14	22	32	29	28	0	28	24	35	33	37	0	37
32.	दमन और द्वीव	10	10	8	7	5	2	7	15	17	12	0	12	10	17	18	7	0	7
33.	दिल्ली	3282	4789	4408	2484	657	1827	3677	5196	4688	2190	799	1391	4351	5853	5238	3429	798	2631
34.	लक्षद्वीप	4	3	2	1	1	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	121	221	219	135	90	45	110	173	164	125	43	82	127	191	177	99	54	45
	कुल संघ शासित	3611	5289	4833	2780	785	1995	4032	5792	5199	2547	935	1612	4739	6434	5736	3683	871	2812
	कुल अखिल भारत	140601	239200	227758	168297	47890	120407	154333	261322	245670	171433	51169	120264	155553	266955	253201	183217	52785	130432

(स्रोत: भारत में अपराध)

विवरण IV

2003-2005 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के लिए पंजीकृत मामले (सीआर), गिरफ्तार व्यक्ति (पीए), आरोपित व्यक्ति (सीएस), अभियोजित व्यक्ति (टीसी), दोषसिद्ध (सीवी), और रिहा व्यक्ति (एक्यू)

		2003						2004						2005					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	पीए	सीएस	टीसी	सीवी	एक्यू	सीआर	पीए	सीएस	टीसी	सीवी	एक्यू	सीआर	पीए	सीएस	टीएस	सीवी	एक्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1463	1194	1009	376	95	281	1328	1325	1159	707	139	568	950	1097	1037	1051	134	917
2.	अरूणाचल प्रदेश	18	0	0	0	0	0	22	13	4	0	0	0	22	24	20	2	2	0
3.	असम	19	21	9	4	1	3	21	18	19	8	1	7	199	202	109	32	13	19
4.	बिहार	56	108	80	25	22	3	59	76	46	20	1	19	115	131	80	12	0	12
5.	छत्तीसगढ़	614	555	554	129	69	60	940	960	969	704	214	490	997	1057	1055	475	271	204
6.	गोवा	57	56	42	32	9	23	53	64	59	32	10	22	53	76	53	32	10	22
7.	गुजरात	665	682	671	375	105	270	799	805	796	280	88	192	836	968	950	270	66	204
8.	हरियाणा	287	321	325	317	68	249	164	301	301	328	54	274	374	362	355	228	45	183
9.	हिमाचल प्रदेश	109	122	108	84	13	71	92	97	109	85	7	78	131	162	148	92	10	82
10.	जम्मू-कश्मीर	49	53	53	3	0	3	35	36	36	10	1	9	57	24	24	5	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	झारखंड	35	60	56	53	0	53	112	136	140	144	0	144	97	116	110	145	6	139
12.	कर्नाटक	116	105	98	46	0	46	189	135	132	65	1	64	191	160	160	77	4	73
13.	केरल	179	196	195	53	8	45	361	249	116	107	18	89	386	428	467	656	90	566
14.	मध्य प्रदेश	2662	3668	3648	1665	540	1125	3653	4530	4570	2469	803	1666	3721	4949	5010	3466	1483	1983
15.	महाराष्ट्र	2001	2256	2182	570	79	491	2281	2440	2301	912	126	786	2305	2551	2386	856	108	748
16.	मणिपुर	36	91	1	0	0	0	31	23	0	0	0	0	20	16	1	0	0	0
17.	मेघालय	46	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	81	31	7	0	0	0
18.	मिजोरम	17	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	140	132	133	42	11	31	129	172	166	56	31	25	86	100	90	90	14	76
21.	पंजाब	184	176	161	122	52	70	193	308	284	218	83	135	211	251	194	133	31	102
22.	राजस्थान	240	145	145	92	52	40	403	306	303	133	43	90	580	414	417	158	64	94
23.	सिक्किम	15	15	18	8	6	2	8	35	13	0	0	0	25	12	7	1	0	1
24.	तमिलनाडु	177	157	138	45	24	21	393	416	321	103	26	77	288	263	278	250	76	174
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	59	56	36	9	7	2	28	24	35	20	4	16
26.	उत्तर प्रदेश	1702	2710	2795	3419	1961	1458	1921	3250	3027	3267	1961	1306	1801	2852	2753	3148	1817	1331
27.	उत्तरांचल	23	45	45	13	8	5	56	67	61	26	17	9	76	107	85	55	29	26
28.	पश्चिम बंगाल	148	160	84	72	3	69	206	231	113	46	3	43	236	283	174	59	2	57
	कुल राज्य	11058	13028	12550	7545	3126	4419	13552	16050	15082	9729	3634	6095	13866	16660	16005	11313	4279	7034
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6	4	1	0	0	0	14	20	10	3	0	3	8	17	12	0	0	0
30.	चंडीगढ़	40	39	38	23	8	15	66	21	17	28	3	25	57	61	53	30	6	24
31.	दादरा और नगर हवेली	1	5	5	0	0	0	11	1	1	0	0	0	5	8	18	2	1	1
32.	दमन और दीव	6	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	6	5	0	0	0
33.	दिल्ली	516	437	478	123	35	88	766	558	572	272	181	91	1026	590	564	272	187	85
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	5	5	10	2	2	0	12	13	8	2	0	2	8	11	12	4	2	2
	कुल संघ शासित	575	496	534	148	45	103	871	613	608	305	184	121	1109	693	664	308	196	112
	कुल अखिल भारत	11633	13524	13084	7693	3171	4522	14423	16663	15690	10034	3818	6216	14975	17353	16669	11621	4475	7146

(स्रोत: भारत में अपराध)

खेल उपकरणों का आयात

*55. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय खेल उपकरणों की किन प्रमुख मदों का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे आयात पर मद-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ग) क्या खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी खेल उपकरण का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान में आयात किए जाने वाले खेल उपकरणों को देश में निर्मित करने को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों में देश में आयातित खेल उपकरणों की प्रमुख मदों में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ स्नो स्की उपकरण, जल क्रीड़ा उपकरण, गोल्फ क्लब्स एवं अन्य उपकरण, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन के उपकरण, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस की गेंदें, गोल्फ की गेंद, आईस स्केट्स, एवं अन्य रोलर स्केट्स जिम्नास्टिक/एथलेटिक के लिए जरूरी वस्तुएं, बैडमिंटन की शटल कॉक एवं निशानेबाजी से संबंधित उपकरण शामिल हैं। आयातों के वर्षवार, मदवार मूल्य का ब्यौरा विवरण-I और II में संलग्न है।

(ग) और (घ) सुविख्यात खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय खेल परिसंघ को विशिष्ट खेल उपकरणों और खेलों के लिए जरूरी वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में यह निर्धारित किया गया है कि "उच्च गुणवत्ता के खेल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। यद्यपि उपकरणों के आयात की नीति में नि:संदेह स्वदेशी खेल सामान के विनिर्माताओं के दीर्घावधिक हितों का ध्यान रखा जाएगा, तथापि कच्चे माल और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के तैयार खेल सामान का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमत्य होना चाहिए। इसी प्रकार खेल परिसंघों/एसोसिएशनों तथा खेलों के संवर्धन में शामिल अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ-साथ सुविख्यात खिलाड़ियों को भी सीमाशुल्क से छूट दी जाए। खेल सामान पर बिक्री कर से छूट देने और द श में कच्चे माल व तैयार खेल सामान की मुक्त आवाजाही से संबंधित मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया जाएगा।" इसके अलावा अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सामान्य सुविधा सेवाएं, परामर्श तथा परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर इस क्षेत्र को सहायता करने हेतु खेल तथा मनोरंजन की वस्तुओं के लिए मेरठ में एक प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना की है।

विवरण I

खेल उपस्करों का आयात

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तु	इकाई	मात्रा हजार में			मूल्य लाख रुपए में		
				2004-2005	2005-2006	अप्रैल-2006-फरवरी-2007	2004-2005	2005-2006	अप्रैल-2006-फरवरी-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	95061100	स्की	नग	7.04	2.04	1.86	20.29	20.03	10.91
2.	95061200	स्की-कसनी (स्की-बंधन)	किग्रा.	1.56	0.01	0.11	14.69	0.05	0.67
3.	95061900	अन्य स्नो-स्की उपस्कर	किग्रा.	23.14	17.81	22.95	122.24	110.26	122.98
4.	95062100	सैल बोर्ड	नग	0.01	0.04	0.00	3.97	4.76	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	95062900	अन्य वाटर स्पोर्ट उपस्कर (सर्फ बोर्ड वाटर-स्की आदि)	नग	33.19	39.39	5.29	213.86	324.92	98.94
6.	95063100	गोल्फ क्लब, संपूर्ण	नग	12.47	24.18	13.00	429.88	406.37	434.76
7.	95063200	गोल्फ गेंद	नग	69.98	105.95	104.17	70.18	82.71	59.74
8.	95063900	अन्य गोल्फ उपस्कर	किग्रा.	60.86	38.90	130.01	273.91	185.77	370.61
9.	95064000	टेबल टेनिस के लिए सामग्री और उपस्कर	नग	312.05	686.05	339.55	201.57	802.04	718.22
10.	95065100	लॉन टेनिस के बल्ले, कसे हुए अथवा सादे	नग	111.21	132.56	133.84	322.28	378.44	402.19
11.	9506510	बैडमिंटन के बल्ले कसे हुए अथवा सादे	नग	1239.13	688.07	888.71	638.84	530.42	1058.28
12.	95065990	अन्य	नग	123.45	261.25	327.11	146.06	399.47	444.57
13.	95066100	लॉन टेनिस गेंद	नग	1120.42	1202.19	1223.25	260.75	334.67	332.08
14.	95066210	फुटबाल	नग	58.28	565.52	1389.73	28.40	239.70	462.11
15.	95066220	वॉलीबाल	नग	39.00	41.61	43.15	27.17	56.93	55.41
16.	95066230	बॉस्केटबाल	नग	390.02	230.78	267.43	201.49	198.26	178.79
17.	95066290	अन्य	नग	267.88	515.76	254.17	73.56	171.93	123.89
18.	95066910	हाकी की गेंद	नग	106.85	22.34	0.09	16.35	8.64	0.16
19.	95066920	क्रिकेट की गेंद	नग	18.40	2.41	1.22	9.19	23.65	33.24
20.	95066930	गोल्फ की गेंद	नग	11.93	70.15	59.56	38.08	98.50	92.54
21.	95066940	रग्बीबाल	नग	20.29	23.55	1.88	5.17	10.86	0.30
22.	95066990	अन्य	नग	795.97	306.85	258.31	110.63	196.94	119.91
23.	95067000	आईस स्केट तथा रोलर स्केट, स्केट से जुड़े स्केटिंग बूट सहित	नग	41.01	53.29	105.33	52.05	110.61	209.43
24.	95069110	बॉक्सिंग उपस्कर	क्रिग्रा.	130.36	121.75	27.99	693.76	599.62	177.71
25.	95069190	अन्य जिम्नास्टिक/एथलेटिक आवश्यकताएं	किग्रा.	1935.48	3420.58	3225.35	5185.82	8112.19	14973.32
26.	95069910	बैडमिंटन शटल कार्क	नग	1096.57	1918.61	1801.83	485.93	592.48	718.32
27.	95069920	क्रिकेट के लिए लैग पैड तथा बल्ले	नग	1.01	1.59	1.93	8.94	9.47	5.32
28.	95069930	फुटबाल के लिए शोल्डर पैड	नग	0.01	9.02	0.02	0.06	21.81	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	95069940	हॉकी स्टिक तथा ब्लैड	नग	4.32	2.38	3.16	10.60	8.69	19.98
30.	95069950	पोलो स्टिक, ब्लैड शॉफ्ट और हैड्स सहित	नग	0.16	0.20	0.00	5.26	0.53	0.00
31.	95069960	खेलने के नैट	नग	1.40	11.73	6.38	5.14	11.88	10.95
32.	95069970	टेनिस तथा बैडमिंटन के बल्लों के प्रैशर	नग	36.96	29.95	39.33	37.24	119.25	36.72
33.	95069980	अन्य गार्ड	नग	0.42	9.92	56.14	11.34	18.41	45.91
34.	95069990	अन्य खेल उपस्कर	नग	238.71	597.62	1563.35	3087.08	6424.19	6241.99
		कुल					12811.79	20614.45	27560.06

विवरण II

खेल उपस्करों का आयात

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तु	इकाई	मात्रा हजार में			मूल लाख रुपए में		
				2004-2005	2005-2006	अप्रैल-2006 फरवरी-2007	2004-2005	2005-2006	अप्रैल-2006-फरवरी-2007
1.	930200	रिवाल्वर तथा पिस्टल, शीर्ष संख्या 9303 या 9304 में उल्लिखित से इतर	नग		0.13	0.07		22.43	14.32
2.	930310	नालमुख में भरने वाले अग्निशस्त्र	नग	0.53		0.00	5.29		0.00
3.	930320	अन्य स्पोर्टिंग, हंटिंग अथवा टार्गेट शूटिंग शॉटगन, शॉटगन राइफल के काम्बिनेशन सहित	नग	0.02	0.01	0.01	29.98	11.32	27.13
4.	930330	अन्य स्पोर्टिंग, हंटिंग/टार्गेट शूटिंग शॉटगन राइफल,	नग	5.04	0.02	0.03	65.87	12.31	21.33
5.	930390	अन्य अग्निशस्त्र और इसी प्रकार की युक्तियां	नग	0.02	0.11	0.02	12.36	80.31	10.98
6.	930400	अन्य शस्त्र (उदाहरण स्प्रिंग, एयर/गैस गन तथा पिस्टल, लाठी) शीर्ष संख्या 9307 में उल्लिखित को छोड़कर	नग	0.41	0.01	0.15	8.87	7.51	33.24
7.	930510	रिवाल्वर/पिस्टल के हिस्से पुर्जे और सहायक सामग्री	किग्रा.		0.07	0.42		1.67	14.75
8.	930521	शीर्ष संख्या 9303 के शॉटगन बैरल	किग्रा.		0.01	0.11		0.66	2.29
9.	930529	अन्य हिस्से पुर्जे (शीर्ष संख्या 9303 के राइफल आदि के)	किग्रा.	0.48	4.11	0.02	19.65	19.08	0.47
10.	930599	शीर्ष 9302 और 9304 के हिस्से पुर्जे	किग्रा.	1.72	0.77	1.79	111.29	6.21	154.91
		कुल					253.31	161.50	279.43

निजी विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना

*56. **श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने केन्द्र सरकार को निजी विश्वविद्यालयों की शुल्क तथा पाठ्यक्रम संरचना पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया है जैसा कि दिनांक 7 जुलाई, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) चूंकि निजी विश्वविद्यालयों को सामान्यत: सार्वजनिक परिव्यय से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती, अत: उनके द्वारा लिए जाने वाला शुल्क, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से अधिक होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले तथा शुल्क ढांचे हेतु केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियामक तैयार करने का अधिकार प्राप्त है। अगस्त, 2007 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित विनियामक प्रारूपित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है-

(1) सम-विश्वविद्यालयों सहित स्व-वित्तपोषित निजी व्यवसायोन्मुख संस्थाओं में दाखिले तथा शुल्क के संबंध में विनियामक।

(2) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु दाखिले तथा शुल्क के संबंध में विनियामक।

(3) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले तथा शुल्क के संबंध में विनियामक।

अल्पवधि आवास गृह एवं परिवार परामर्श केन्द्र

*57. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए अल्पावधि आवास गृह (शॉर्ट स्टे होम्स) एवं परिवार परामर्श केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की संभावना है; और

(घ) देश के सभी जिलों को इसमें शामिल करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अल्पावास गृह तथा परिवार परामर्श केन्द्र नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। 11वीं योजना हेतु महिला सशक्तिकरण पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार अल्पावास गृह तथ स्वाधार गृह स्कीमों का विलय करने तथा 11वीं योजना में प्रत्येक जिले में एक स्वाधार गृह खोलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का 11वीं योजना के अंत तक सभी जिलों में महिलाओं के लिए कम से कम दो-दो परिवार परामर्श केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 2007-2008 के दौरान, 60 नये परिवार परामर्श केन्द्र खोले जायेंगे।

[हिन्दी]

हर्बल उत्पादों हेतु विशेष निर्यात संवर्धन जोन (एसईजेड)

*58. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हर्बल सामग्रियों और दवाओं के निर्यात को 3000 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2012 तक 12000 करोड़ रुपए करने के लिए चुनिन्दा राज्यों में विशेष निर्यात संवर्धन जोन स्थापित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) हमारे देश में हर्बल उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाओं के मद्देनजर विश्व बाजार में देश के शेयर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) हर्बल सामग्री एवं औषधियों के निर्यात हेतु विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत ऐसे प्रस्ताव जब कभी प्राप्त होंगे, उन पर विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के उपबंधों के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

(ग) निर्यात उत्पादों के मानकीकरण हेतु प्रमाणीकरण स्कीम तैयार करने के उद्देश्य से आयुष विभाग द्वारा दो उप समूहों का गठन किया गया है, जिससे हर्बल उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा औषधीय पौधों एवं इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को 5% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) स्कीम में कवर किया गया है। निर्यातकों को निर्यात बिक्री संवर्धन दौरे करने, बाजार अध्ययन करने तथा विदेश व्यापार मेलों में भागीदारी को सुगम बनाने हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) स्कीम तथा एएसआईडीई (निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता) स्कीम के अंतर्गत विशेष निधि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

अलकायदा द्वारा धमकी

*59. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अलकायदा के सदस्यों की गतिविधियों और देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को उड़ाने की उनकी योजनाओं के बारे में दिनांक, 20 जुलाई, 2007 को 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी धमकियों का मुकाबला करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। प्रश्नगत प्रकाशित समाचार में दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक कॉल प्राप्त हुई थी। जांच-पड़ताल के दौरान, एक व्यक्ति नामत: मिन्टू कुमार मेहतो पुत्र रामायण मेहतो निवासी मकान सं. बी-32, गली सं.-3, पंचशील एंक्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर, दिल्ली को पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 506/507 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 58/2007 मामला दर्ज किया गया और अभियुक्त मिन्टू कुमार मेहतो को गिरफ्तार किया गया। जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि इस व्यक्ति का अल कायदा के साथ कोई संबंध नहीं था और यह झूठी कॉल भय पैदा करने की मंशा से की गई थी।

सरकार आतंकवाद द्वारा दी गई चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु उपाय, आतंकवादी हिंसा बहुल क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सुभेद्य क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के चारों ओर सतत सतर्कता और सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ करना और पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने में उनकी क्षमताओं को उन्नयन करना, इंडिया रिजर्व बटालियन का गठन करना इत्यादि शामिल हैं। आपसी विधिक सहायता और प्रत्यर्पण संधियों, सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान इत्यादि के माध्यम से आतंकवाद से निपटने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं।

बाल-विवाह

*60. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल-विवाह का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कुछ राज्यों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रथा किन-किन राज्यों में अधिक प्रचलित है; और

(ङ) देश में उक्त अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) के अनंतिम परिणामों के अनुसार, अखिल भारत स्तर पर 20-24 वर्ष के आयु-वर्ग की 44.5% महिलाओं का 18 वर्ष तक की आयु में विवाह हो जाता है और इनमें से 71.6% महिलाएं अशिक्षित होती हैं।

(ग) से (ङ) बाल विवाहों को रोकने तथा दोषी लोगों के लिए अधिक कारगर और कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" नामक एक नया कानून बनाया गया है, जिसे 11 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ जागरूकता पैदा करने और समर्थन जुटाने के उपाय भी लागतार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का आयात

291. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:**
श्री सुव्रत बोस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नारियल तेल, काली मिर्च, खाद्य तेलों, चाय, कॉफी जैसे कृषि उत्पादों का आयात काफी बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि आयातों में कमी लाने हेतु घरेलू प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च, चाय, कॉफी आदि जैसे कृषि उत्पादों के आयात में कमीबेशी होती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च, खाद्य तेल (नारियल तेल सहित), चाय तथा कॉफी के आयात की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.		मात्रा टन में			मूल्य लाख रुपए में		
		2004-2005	2005-06	2006-07 (अप्रैल-फरवरी)	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-फरवरी)
1.	खाद्य तेल (नारियल तेल सहित)	4753172.55	4293749.28	3913677.29	1110209.20	900276.05	876751.04
2.	काली मिर्च	6923.47	14402.47	12818.20	4700.25	8752.62	10248.82
3.	चाय	31681.62	18715.58	22041.79	14533.53	10711.84	11657.32
4.	कॉफी	22201.25	38193.16	17665.71	6385.34	16683.68	9540.61

(ग) से (च) सरकार संवेदनशील कृषि उत्पादों के आयातों को मॉनिटर करती है और असाधारण जोखिम के मामले में टैरिफों में वृद्धि पत्तन संबंधी प्रतिबंधों आदि के जरिए उनमें कमी करने के उपाय करती हैं। इसके अतिरिक्त, वह दीर्घावधि में आयातों को कम करने के लिए अपने उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। सरकार ने विशेष प्रयोजन चाय निधि के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि के दौरान काली मिर्च, चाय, कॉफी जैसी बागान फसलों के पुनर्रोपण तथा पुनर्नवीकरण का प्रस्ताव किया है। डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में सरकार कृषि आयातों को सीमित करने के लिए विशेष उत्पाद तथा विशेष रक्षोपाय तंत्र हेतु वार्ता कर रही है।

[अनुवाद]

दक्षता विकास कार्यक्रम

292. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय प्रशिक्षित मानवश्रम का विकास करने तथा असम तथा इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल में दक्षता विकास कार्यक्रम चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विभिन्न राज्य सर्टीफिकेट इन क्राफ्ट एण्ड डिजाइन (पोटरी), सर्टीफिकेट इन मोटर साइकिल सर्विस एण्ड रिपेयर, सर्टीफिकेट इन शू अपर कटिंग और सर्टीफिकेट इन शू अपर स्टीचिंग जैसे कतिपय कार्यक्रम प्रदान कर रहे है जिनमें 1487 छात्र नामांकित है।

सर्व शिक्षा अभियान पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

293. श्रीमती मिनाती सेन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) परियोजना की उचित जवाबदेही तथा इसकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अगस्त, 2006 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर 14वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति द्वारा इसकी 43वीं रिपोर्ट में विचार किया जा चुका है और रिपोर्ट को 27 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सख्त हिदायतें जारी की हैं कि अस्वीकार्य व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों को करें। भारत सरकार वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लेखा परीक्षाओं, स्वतंत्र समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं और 41 समाज विज्ञान संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्र मानीटरन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान निधियों के उपयोग का मानीटरन कर रही है।

[हिन्दी]

लापता बच्चों का डाटा बेस

294. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में लापता बच्चों का डाटा बेस तैयार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दावनगेरे टी.वी. टावर पर रिपीटर इन्स्ट्रूमेंट

295. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को कर्नाटक के एफ.एम. सिग्नलों को बढ़ाने के लिए दावनगेरे टी.वी. टावर पर रिपीटर इंन्स्ट्रूमेंट की व्यवस्था करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती

296. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के जम्मू-कश्मीर, रिकन्स्ट्रक्शन प्लान के अंतर्गत अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर को 5000 रिक्तियां जारी की जानी थीं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने व्यक्तियों की भर्ती हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 3200 रिक्त पदों में से 2795 पदों पर उम्मीदवार भर्ती किए हैं। सशस्त्र सीमा बल ने 1600 रिक्त पदों में से 1307 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की है।

सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना

297. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का अन्यत्र उपयोग किए जाने के बारे में 5 दिसम्बर, 2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करोड़ों रुपयों की राशि के अन्यत्र उपयोग का मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सर्व शिक्षा अभियान की लेखा निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर 53 करोड़ रु. की राशि का विपथन भारत सरकार की जानकारी में आया है। भारत सरकार द्वारा की गई स्वतंत्र समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं के माध्यम से भी कुछ मामले सामने आए हैं निधियों के विपथन के मामलों में भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के अस्वीकार्य व्यय की प्रतिपूर्ति करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न होने दें। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा भी प्रारंभ की है तथा इसके साथ-साथ क्षेत्र स्तरीय वित्तीय समीक्षाएं तथा मानीटरन भी किए जाते है।

नाइट्रो ग्लिसरिन विस्फोटक

298. श्री रनेन बर्मन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्फोटक तैयार करने के लिए पीपुल्स वार ग्रुप, नक्सलवादियों द्वारा जिलेटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नाइट्रो-ग्लिसरिन आधारित विस्फोटकों का उत्पादन चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नाइट्रो-ग्लिसरीन पर आधारित विस्फोटकों का दुरूपयोग बंद कर देने के क्रम में भारत सरकार ने दिनांक 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) द्वारा नाइट्रो-ग्लिसरीन अथवा ऐसे किसी पदार्थ को रखना, बेचना और

इस्तेमला करना, 1 अप्रैल, 2004 से निषिद्ध कर दिया है। नाइट्रो-ग्लिसरीन और नाइट्रो-ग्लिसरीन पर आधारित रसायनों के मौजूदा भंडार के निबटारे की समय-सीमा, दिनांक 20 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ) द्वारा 1 दिसंबर, 2004 तक बढ़ा दी गई थी।

[हिन्दी]

योजनाओं का कार्यान्वयन

299. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी योजनाएं झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा उन संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों ने वित्तीय सहायता का दुरूपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। जिनके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, जिनमें झारखंड भी शामिल है, को निधियां जारी की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, जन शिक्षण संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता, +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायोन्मुखीकरण, 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए आवास और छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण', विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, शिक्षा तक सबकी विकास, क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम आदि शामिल है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को जारी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वित्तीय सहायता के दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05 से 2006-07 के दौरान झारखंड राज्य में गैर सरकारी संगठनों को जारी अनुदानों के ब्यौरे

(राशि रु. में)

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जन शिक्षण संस्थान, रॉची	20,00,000	20,81,000	16,20,000
2.	जन शिक्षण संस्थान, धनबाद	शून्य	10,64,180	24,75,522
3.	जन शिक्षण संस्थान, बोकारो	27,00,000	14,52,856	15,53,091
4.	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	13,54,381	17,71,978	23,54,527
5.	जन शिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	15,88,552	27,21,340	26,43,307
6.	राज्य संस्थान केन्द्र, झारखंड	48,27,304	69,02,374	44,49,344

1	2	3	4	5
7.	ज्ञान निकेतन, साहिबगंज, झारखंड	शून्य	9,90,000	शून्य
8.	विधास्थली, दुमका	9,00,000	शून्य	शून्य
9.	बदलाव फाउंडेशन, जामतारा	शून्य	15,96,240	शून्य
10.	आर के. मिशन विद्यापीठ, देवघर	शून्य	1,50,000	शून्य
11.	मार्कसमेन वेलफेयर सोसायटी, हजारीबाग	6,20,000	7,92,000	शून्य
12.	ह्यूमिनिटी, रांची	1,50,000	शून्य	शून्य
13.	जन सरोकार, रांची	1,00,000	शून्य	शून्य
14.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर	शून्य	4,22,888	4,22,888

आतंकवादी हमलों की धमकियां

300. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी हमलों की कोई धमकियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समस्या से निबटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) आतंकवादी तत्वों से संभावित खतरों के बारे में जानकारी, समय-समय पर मिलती रहती है। सरकार ऐसे खतरों और कार्य-कलापों से निपटने के लिहाज से एक बहुआयामी नजरिया अपनाती है। इस सिलसिले में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में, घुसपैठ रोकने के लिहाज से सीमा-प्रबंधन को सशक्त करना, आसूचना-तंत्र को कारगर और दोष-रहित बनाना, केन्द्र-सरकार और राज्य-सरकारों के स्तर पर सुरक्षा-बलों को उननत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपस्करों से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करना और सुसमन्वित आसूचना पर आधारित आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित कार्रवाई करना शामिल है। इनके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने के सिलसिले में अवश्यकरणीय कार्रवाई करने की दृष्टि से द्विपक्षीय और बहु, पक्षीय सहयोग हासिल करने के कदम भी उठाये गए हैं।

एफ.एम. चैनलों के लिए विनियामक बोर्ड

301. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एफ.एम. चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इनके लिए पृथक् विनियामक बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त बोर्ड गठित कर दिया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी रेडियो के एफ एम चैनलों और निजी एफ एम चैनलों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रसारण विधेयक मसौदा, 2007 जिस पर इस समय पणधारियों के साथ परामर्श किया जा रहा है, में अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई)

का गठन करने का प्रावधान है। इस प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में रेडियो-प्रसारण सेवाएं भी शामिल हैं। बीआरएआई के अलावा, विशिष्ट रूप से एफ एम रेडियो के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए आकाशवाणी के एफ एम ट्रांसमीटर

वर्ष	क्र.सं.	राज्य	शहर	एफ एम स्टेशनों की संख्या
2004	1.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	1
	2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1
	3.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	1
	4.	छत्तीसगढ़	सरायपल्ली	1
	5.	हरियाणा	रोहतक	1
	6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
	7.	कर्नाटक	गुलबर्गा	1
	8.	मध्य प्रदेश	मंडला	1
	9.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1
	10.	मणिपुर	इम्फाल	1
2005	11.	मेघालय	शिलांग	1
	12.	उड़ीसा	देवगढ़	1
	13.	राजस्थान	उदयपुर	1
	14.	तमिलनाडु	मदुरई	1
	15.	तमिलनाडु	यरकौड़	1
	16.	त्रिपुरा	अगरतला	1
	17.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1
	18.	पश्चिम बंगाल	कर्सियांग	1
	19.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	1
	20.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1
2006	21.	केरल	मंजेरी	1
	22.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	1

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए निजी एफ एम ट्रांसमीटर

वर्ष	क्र.सं.	राज्य	शहर	कुल
2004			शून्य	
2005			शून्य	
2006	1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	4
	2.	दिल्ली	दिल्ली	4
	3.	जम्मू एवं	जम्मू	1
		कश्मीर	श्रीनगर	1
	4.	कर्नाटक	बंगलौर	5
	5.	महाराष्ट्र	मुम्बई	1
	6.	राजस्थान	जयपुर	5
	7.	तमिलनाडु	चेन्नई	3
	8.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1
	9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1

[अनुवाद]

खुफिया तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन

302. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर खुफिया तंत्र में बड़ा परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से तकनीकी निगरानी के लिए खुफिया एजेंसियों को और ज्यादा विशेषज्ञ कार्मिक तथा अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) आतंकवाद और गुप्तचरी का मुकाबला करने के क्षेत्र में केन्द्र के स्तर पर और राज्यों में कार्यरत विविध अभिकरणों के बीच आसूचना का प्रवाह और समन्वयन इष्टतम बनाने के सिलसिले में, लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक बहु अभिकरण-केन्द्रों से सम्पुष्ट एक बहु अभिकरण-केन्द्र और आसूचना विषयक संयुक्त कार्य-बल दिल्ली में अवस्थित आसूचना-ब्यूरो में कायम किया जा चुका है। आसूचना-ब्यूरो में गुप्तचरी का मुकाबला करने के तंत्र को सशक्त बनाने की दृष्टि से उसे अतिरिक्त कार्मिक-शक्ति मुहैया कारवाई जा चुकी है। राज्य-सरकारों को विशेष शाखाओं की प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमताएं सशक्त बनाने के क्रम में राज्य-पुलिस-बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक आवंटन की धनराशि की 5% तक धनराशि उद्दृष्टि करने की सलाह दे दी गई है।

क्रोम अयस्क का निर्यात

303. श्री नरहरि महतो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के लिए क्रोम अयस्क निर्यात कोटा का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तथा वर्तमान में सरकार की क्या नीति रही;

(ग) क्या इस्पात निर्माता कोटे में संशोधन न होने के कारण कठिनाइयां उठा रहे है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात निर्माताओं द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एडवांस लाइसेंस स्कीम

304. श्री सुव्रत बोस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एडवांस लाइसेंस स्कीम कार्यान्वित करके रबड़ के आयात को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एसटीसी या अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से उत्पादों को रबड़ की आपूर्ति करने के लिए इसके आयात हेतु एडवांस लाइसेंस स्कीम के बदले में अन्य कोई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत रबड़ के आयात को बंद करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत देश से निर्यातित रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्राकृतिक रबड़ की मात्रा तक प्राकृतिक रबड़ (अन्य निविष्टियों के साथ) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। इस स्कीम के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ की केवल उतनी मात्रा के आयात की अनुमति है जो विनिर्मित रबड़ उत्पादों के रूप में देश से बाहर जाती है। यह सुविधा केवल रबड़ उत्पाद विशिष्ट नहीं है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)-के संगत भी भी है। संकट की ऐसी स्थिति जिसमें अग्रिम लाइसेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक रबड़ के आयात को बंद करना अपेक्षित हो, अभी प्राकृतिक रबड़ के बाजार में विद्यमान नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अग्नि शमन व्यवस्था

305. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री मॉलों में अग्नि शमन व्यवस्था के बारे में 5 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान शामिल हैं, अत: पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सदन के पटल पर पूर्ण सूचना शीघ्र ही रख दी जाएगी।

असम समझौता

306. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इनके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम समझौता को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जनवरी-2005 से 31 जुलाई, 2007 के बीच कुल चार त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं। 5 मई, 2005 को हुई बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा और-2 जनवरी 2006 को हुई बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई। इसके अलावा 29 जुलाई, 2006 और 11 जुलाई, 2007 को ए ए एस यू के साथ दो अधिकारी स्तरीय त्रिपक्षीय वार्तायें आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों के दौरान, असम समझौते की अनुच्छेदवार कार्यान्वयन स्थिति पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ) असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। समझौते के कतिपय अनुच्छेद सतत् रूप से बने रहने वाली प्रकृति के हैं, जैसे कि असम के लोगों के लिए सुरक्षा उपाय, असम के आर्थिक विकास के लिए उपाय, और घुसपैठ की रोकथाम आदि और इसलिए इसका निरंतर प्रबोधन किए जाने की आवश्यकता है। असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण संलग्न है।

(ङ) उक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

असम-समझौता-अनुच्छेदवार कार्यान्वयन की स्थिति

अनुच्छेद-5.1 से 5.9—विदेशियों से संबंधित मुद्दे

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।
2. विशेष पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विदेशी घुसपैठ रोकथाम स्कीम के अंतर्गत 1280 के अतिरिक्त पदों का सृजन के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई थी।
3. अवैध प्रवासियों/विदेशियों का पता लगाने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत असम राज्य में 32 विदेशी विषयक अधिकरण गठित किए गए हैं।

अनुच्छेद 6 और 7 सुरक्षोपाय तथा आर्थिक विकास

4. श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर नामक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है।
5. गुवाहाटी स्थित श्री ज्योति चित्राबन (फिल्म) स्टूडियो का आधुनिकीकरण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में संस्थान के और अधिक विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
6. लगभग 2,500 करोड़ रु. की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थापित की गई थी।
7. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किए गए हैं।
8. गुवाहाटी में एक आई आई टी स्थापित की गई है।
9. कथालगुड़ी पावर परियोजना (60 एम डब्ल्यू) शुरू की गई है।
10. असम गैस क्रेकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य शुरू हो चुका है।

अनुच्छेद 8 से 14—अन्य मुद्दे

11. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।
12. असम-बांग्लादेश सीमा पर मंजूर की गई 223.81 कि.मी. से 190 कि.मी. की सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। 236.62 कि.मी. सीमा सड़कें पूरी की जा चुकी है।
13. विद्रोह के दौरान मारे गए व्यक्तियों के नाते रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।
14. विद्रोह के संदर्भ में कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई है।
15. भर्ती मामले में, 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में साधरणत: रहने वाले आवेदकों के मामले में छ: वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे।
16. विद्रोह के संदर्भ में गिरफ्तार एन एस ए नजरबंदों को रिहा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

अध्यापक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

307. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कांउसिल ऑफ टीचर्स एजूकेशन अध्यापक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने अध्यापक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई;

(ग) किसी अध्यापक शैक्षणिक संस्थान को मान्यता प्रदान करने के लिए मूल आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मान्यता प्राप्त संस्थानों की निगरानी की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अनियमितता की स्थिति में मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान है; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनियमितताओं का पता लगा है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। उन संस्थाओं की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान मान्यता प्रदान की गई है। संस्थाओं की मान्यता के मानदंड एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 और एन.सी.टी.ई. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों और विनियमों में निर्धारित किए गए हैं। नए विनियम, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता संबंधी मानदंड एवं प्रविधि) विनियम कहा जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिसम्बर, 2005 में अधिसूचित किए गए और दिनांक 13.1.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अन्य भौतिक अवसंरचना तथा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कार्मिकों आदि सहित योग्य कर्मचारियों से संबंधित शर्तें शामिल हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर स्थित क्षेत्रीय समितियां इस बात से संतुष्ट होने के बाद मान्यता प्रदान करती हैं कि आवेदक संस्था अपेक्षित मानदंडों को पूरा करती है।

(घ) से (ङ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 13 के अनुसार परिषद यह पता लगाने के लिए किसी संस्था का निरीक्षण करवा सकती है कि वह मान्यता प्राप्त संस्था एन.सी.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 13 के तहत जिन संस्थाओं का निरीक्षण किया गया उनकी राज्यवार संख्या का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(च) से (छ) एन.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि जहां कहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां स्वयं अपनी तरफ से अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन के आधार पर यह पता लगाती है कि किसी मानयता प्राप्त संस्था ने अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके तहत बनाए गए अथवा जारी किए गए नियमों, विनियमों आदेशों अथवा उस शर्त जिसके अधीन मान्यता प्रदान की गई है अथवा पाठ्यक्रम विशेष के लिए अतिरिक्त प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, का उल्लंघन किया है तो वे ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकती हैं।

उन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमितताएं पाई गई है और तदुपरांत मान्यता वापस ली गई।

विवरण I

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		31.3.2004	31.3.2005	31.3.2006
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	02	02	02
2.	आंध्र प्रदेश	393	414	437

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	03	07
4.	असम	28	39	68
5.	बिहार	28	30	38
6.	चंडीगढ़	06	07	07
7.	छत्तीसगढ़	41	50	59
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
9.	दमन और दीव	02	02	02
10.	दिल्ली	53	67	76
11.	गोवा	03	06	07
12.	गुजरात	338	442	585
13.	हरियाणा	71	87	92
14.	हिमाचल प्रदेश	45	47	50
15.	झारखंड	20	27	57
16.	कर्नाटक	280	771	1102
17.	केरल	171	319	361
18.	लक्षद्वीप	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	166	220	407
20.	महाराष्ट्र	592	645	881
21.	मणिपुर	06	06	14
22.	मेघालय	10	10	11
23.	मिजोरम	04	04	04
24.	नागालैण्ड	07	07	07
25.	उड़ीसा	85	87	88
26.	पांडिचेरी	07	13	39
27.	पंजाब	49	68	138
28.	राजस्थान	123	129	211
29.	सिक्किम	04	04	04

1	2	3	4	5
30.	तमिलनाडु	156	325	719
31.	त्रिपुरा	05	07	09
32.	उत्तराखंड (उत्तरांचल)	11	14	49
33.	उत्तर प्रदेश	446	651	782
34.	पश्चिम बंगाल	43	47	56
	कुल	3197	4550	6369

विवरण II

उन संस्थाओं का नाम जिनका एन.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 13 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण किया गया

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	69
2.	कर्नाटक	22
3.	गुजरात	29
4.	महाराष्ट्र	53
5.	मध्य प्रदेश	16
6.	उत्तर प्रदेश	270
	कुल	459

विवरण III

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	पाठ्यक्रमों की संख्या जिनकी मान्यता वापस ली गई		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	1	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	असम	8	3	–
5.	बिहार	–	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–

1	2	3	4	5
9.	दमन और दीव	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	2
11.	गोवा	–	–	–
12.	गुजरात	–	–	–
13.	हरियाणा	–	3	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
15.	झारखंड	–	–	–
16.	कर्नाटक	–	18	–
17.	केरल	–	13	–
18.	लक्षद्वीप	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	–	–
21.	मणिपुर	–	–	–
22.	मेघालय	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–
24.	नागालैण्ड	–	–	–
25.	उड़ीसा	–	1	–
26.	पांडिचेरी	–	–	–
27.	पंजाब	–	–	–
28.	राजस्थान	–	10	1
29.	सिक्किम	–	–	–
30.	तमिलनाडु	–	4	–
31.	त्रिपुरा	–	–	–
32.	उत्तराखंड (उत्तरांचल)	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	–	1	5
34.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	कुल	9	53	8

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना

308. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति में हाल में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले अल्पसंख्यकों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार ग्यारहवीं योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोने की खानों को बंद करना

309. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार बंद की गई सोने की खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन खानों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो खानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) की बंद पड़ी खानों का ब्यौरा निम्नवत हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	खान का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	(1) पुरानी विशनाथम खान
		(2) चिगरगुंटा खाने (i) तथा (ii)
		(3) वेप्पमान खान
2.	कर्नाटक	(4) नुन्दीदुर्ग खान
		(5) मैसूर चैम्पियन समायोजित खान

(ख) से (घ) 1.3.2001 को कंपनी अर्थात बीजीएमएल के बंद होने के समय इसमें 3580 कर्मचारी थे। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 26.9.2003 के आदेश के अनुपालन में सरकार ने बीजीएमएल की परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित करने तथा प्राप्त सबसे ऊंची बोली अथवा कंपनी की परिसम्पत्तियों के मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर बीजीएमएल के पूर्व कर्मचारियों की सहकारी समिति द्वारा बनाई गई सोसायटी/कंपनी को कॉउन्टर ऑफर करने का निर्णय लिया है। यह माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय (कंपनी न्यायालय) के अनुमोदन तथा परियोजना की व्यवहार्यता के अधीन होगा। इस बारे में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंपनी ने आवेदन दायर किया है।

कॉटन की गुणवत्ता

310. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग पर अच्छी गुणवत्ता वाली कॉटन की अनुपलब्धता के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अच्छी गुणवत्ता वाली कॉटन उचित मूल्य पर लघु तथा मध्यम श्रेणी के बुनकरों/वस्त्र उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार लघु बुनकरों/वस्त्र उद्यमियों को राजसहायता या वित्तीय पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उठता । 1980 के दशक तक प्रमुख रूप से पैदा की जाने वाली छोटी और मध्यम स्टैपल कपास की तुलना में अभी हाल के वर्षों में भारत में कपास की खेती की उपजातीय रचना (स्टैपल लंबाई के अनुसार) की मध्यम और लम्बी स्टैपल किस्मों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने मिशन तरीके से स्वदेशी कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने और खेती की लागत में कमी करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। टीएमसी योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31.3.2009 तक जारी रखा गया है। छोटे बुनकरों/वस्त्र उद्यमियों सहित बुनकर क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है। बुनाई और अन्य क्षेत्रों सहित इस क्षेत्र को विश्व स्तर की अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु वस्त्र इकाइयों की स्थापना करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंडों को पूरा करने के वास्ते वर्ष 2005 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित एक योजना अर्थात एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) शुरू की गई थी। यह योजना पूरे देश में लागू है।

[अनुवाद]

सोडा ऐश उद्योग

311. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोडा ऐश के आयात में बढ़ोतरी के कारण सोडा ऐश उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो नयून आयात शुल्क दर पर सोडा ऐश के आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी प्रतिस्पर्धा से सोडा ऐश उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

312. **श्री के.एस. राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार स्थानीय उपद्रवों से निपटने तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सी पी एम एफ) की तैनाती राज्य सरकारों से समय-समय पर इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता हेतु की जाती है। इस संबंध में और ब्यौरों का उल्लेख करना जनहित में नहीं है।

अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

313. **श्री के.सी. पल्लानी सामी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय तथा इसके सहायक कार्यालयों में अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. की श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने रिक्त पदों के बैक लॉग को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आभूषणों का निर्यात

314. श्री हितेन बर्मन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य के आभूषण का निर्यात किया गया;

(ख) आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन सी निर्यात संवर्धन योजनाएं लागू की जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान निर्यातित आभूषणों का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात मूल्य (मिलियन अम.डा. में)
2005-06	3882.17
2006-07	5209.32

स्रोत: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(ख) आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) विदेश व्यापार नीति (2004-09) में रत्न एवं आभूषण के निर्यात को थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(2) पुन: पूर्ति स्कीम के तहत 8 कैरेट या उससे अधिक के स्वर्ण के आयात की अनुमति दी गई है बशर्ते आयात के साथ शुद्धता, भार एवं मिश्रधातु घटक को विनिर्दिष्ट करने वाला कसौटी प्रमाण-पत्र हो।

(3) पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1% के बराबर स्वर्ण एवं प्लैटिनम हेतु खपत की वस्तुओं, औजारों, मशीनों तथा उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(4) किसी वित्त वर्ष में 300,000 रुपए या पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषण वस्तुओं के निर्यात कारोबार के 0.25% जो भी कम हो, तक के रत्न एवं आभूषण नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(5) पिछले वर्ष के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% तक अस्वीकृत आभूषणों की शुल्क मुक्त पुन: आयात हकदारी।

(6) आभूषणों को गलाने, उनके परिष्करण एवं पुनर्निर्यात के लिए कीमती धातु छीलन/पुराने आभूषणों के आयात की अनुमति। तथापि, हैंड बैगेज के जरिए ऐसे आयातों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार खेप आधार पर आभूषणों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(8) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार संसाधन एवं पुन: आयात के लिए तराशे एवं पॉलिश किए हुए कीमती एवं बेशकीमती नगीनों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(9) तराशे एवं पॉलिश किए हुए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(10) अनगढ़ मूंगों पर आयात शुल्क 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(11) अपरिष्कृत कृत्रिम नगीनों पर आयात शुल्क 12.5% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

(ग) सरकार वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में विज्ञापन, प्रचार एवं भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन आदि के जरिए भारतीय रत्न एवं आभूषण उत्पादों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

के.वी.एस. में आई.एफ.एम. पाठ्यक्रम का आरंभ

315. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) में उच्च माध्यमिक स्तर पर किसी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा 'आई एफ.एम.' को आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने विद्यालयों में आई.एफ.एम. पाठ्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) क्या इस क्षेत्र के लिए कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कुछ चुनिंदा विद्यालयों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2007-08 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई के सहयोग से फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट नामक एक नया व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें संयुक्त प्रमाणीकरण की सुविधा मौजूदा है। यह पाठ्यक्रम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 74 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है जिनमें 20 केन्द्रीय विद्यालय शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रबंधन संस्थानों में पीजीपी हेतु अभ्यर्थियों का चयन

316. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एम.) में पीजीपी हेतु अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से ऐसे चयन हेतु आई.आई.एम. द्वारा भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) भारतीय प्रबंध संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए मानदण्डों का निर्णय संस्थानों द्वारा किया जाता है। सरकार इन संस्थानों की अकादमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करती है।

भूमिगत खनन

317. **श्री मोहन रावले:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमिगत खनन अपनी क्षमताओं से कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में भूमिगत खनन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, खनन एक स्थल विशिष्ट कार्यकलाप है जो खनिज के मौजूदगी पर निर्भर करता है। सुरक्षा और ऐसे खनिजों के खनन की आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए, हमारे देश में भूमिगत खनन की अपेक्षा खनन की ओपनकास्ट पद्धति को ही प्राथमिकता दी जाती है। 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के साथ खनिज क्षेत्र का उदारीकरण किया गया है और खनन की पद्धति का चयन करने में आर्थिक पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रत्याशा है कि भविष्य में, चूंकि ओपनकास्ट खानों की गहराई अपनी आर्थिक रूप से व्यवहार्य सीमा तक पहुंच जाएंगी इसलिए भूमिगत खनन के बढ़ने की संभावना है।

आकस्मिक भत्ता मद में धनराशि का आवंटन

318. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख संस्थानों यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.) द्वारा आकस्मिक भत्ता मद में आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संस्थानों द्वारा आवंटित राशि को उचित ढंग से व्यय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र क्षेत्र को सहायता

319. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में वस्त्र उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र उद्योग को कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, वस्त्र उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समस्याओं में शामिल है:

(1) बुनाई और प्रसंस्करण में संरचनात्मक कमजोरी;

(2) अत्यधिक बिखरा हुआ और प्रौद्योगिकी रूप से पिछड़ा हुआ वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र;

(3) अत्यधिक बिखरा हुआ परिधान उद्योग;

(4) कताई को छोड़कर अन्य सभी खण्ड मुख्यत: विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हैं।

(5) कठोर श्रम कानून;

(6) घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र की अपर्याप्त क्षमता;

(7) वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर;

(8) विद्युत, उपयोगिता, सड़क परिवहन इत्यादि के रूप में अवसंरचनात्मक कठिनाइयां।

(ग) और (घ) वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए गत हाल ही में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकारण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई थी।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(6) कोटा पश्चात व्यवस्था में भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अत्याधुनिक मशीनरी के आयात को सुकर बनाने के लिए बजट 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क घटा कर 10% कर दिया गया था। तथापि, इसमें सूची 49 में दर्शायी गई 23 मदें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का यह रिआयती शुल्क अधकतर मशीनरी मदों पर जारी है।

(7) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई है इसकी परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार के आधुनिकीकरण एककों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने हेतु की गई थी।

(8) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी:

* सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।

* सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटकार 10% करना।

* डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।

* एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपए का प्रावधान।

(9) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की थी।

(10) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान करती है।

(11) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(12) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(13) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(14) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:

* अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।

* देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।

* देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

सी.बी.एस.सी. से संबद्ध निजी विद्यालय

320. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषत: महाराष्ट्र में सी.बी.एस.सी. से संबद्ध निजी विद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार इनमें से कितने विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) शैक्षिक वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। दिनांक 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्राइवेट विद्यालयों की संख्या 5998 थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्राइवेट विद्यालयों की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	05	08	02
2.	असम	04	08	10
3.	झारखंड सहित बिहार	32	51	15
4.	गुजरात	08	14	16
5.	हरियाणा	64	56	22
6.	हिमाचल प्रदेश	17	04	11
7.	जम्मू-कश्मीर	04	05	03
8.	कर्नाटक	25	23	21
9.	केरल	90	83	108
10.	मध्य प्रदेश	43	38	44
11.	महाराष्ट्र	19	16	27
12.	मणिपुर	01	03	07
13.	मेघालय	01	00	00
14.	नागालैण्ड	03	01	00
15.	उड़ीसा	11	08	00
16.	पंजाब	72	52	42
17.	राजस्थान	38	33	31
18.	सिक्किम	01	00	00

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	10	07	07
20.	त्रिपुरा	01	01	02
21.	उत्तर प्रदेश	81	99	78
22.	अरुणाचल प्रदेश	02	02	05
23.	पश्चिम बंगाल	05	07	04
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	01	01
25.	चंडीगढ़	01	01	04
26.	दिल्ली	58	45	33
27.	छत्तीसगढ़	10	09	07
28.	उत्तरांचल	25	16	10
	कुल	631	591	510

बी.एस.एफ. कर्मियों की संख्या

321. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा पर अपने दायित्वों के साथ-साथ उग्रवाद विरोधी दायित्वों के प्रभावी निवर्हन के लिए सीमा सुरक्षा बल की वर्तमान कार्मिक संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बल के बटालियनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) तक सीमा की रक्षा करने और विद्रोह का मुकाबला करने से जुड़े कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता नियमित रूप से आंकी जाती है और अतिरिक्त कंपनियां कायम किए जाने के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। सीमा-सुरक्षा बल द्वारा वर्ष, 2001 से अब तक, $22^{1}/_{2}$ बटालियनों के बराबर, 157 कंपनियां कायम की जा चुकी हैं।

सी.एफ.ए. द्वारा भारत में काम करना बंद करना

322. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आई.सी.टी.ई.) में चार्टर्ड फाइनेनशियल एनालिस्ट (सी.एफ.ए.) को भारत में अपने काम को बंद करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में सी.एफ.ए. कब से काम कर रहा है और कितने छात्रों ने सी.एफ.ए. से डिग्री प्राप्त की है; और

(घ) सी.एफ.ए. से डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर ए.आई.सी.टी.ई. के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। चार्टर्ड फाइनेनशियल एनालिस्ट ने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन नहीं लिया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय (त्रिपुरा पीठ) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को परिषद द्वारा अधिसूचित विनियामकों अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तद्नुसार 22.3.2007 को

संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन बिना कार्यक्रम संचालित करने के कारण स्पष्ट करने को कहा गया था। संस्था से प्राप्त प्रत्युत्तर पर विचार किया गया तथा इसे संतोषजनक नही पाया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संस्थान को भारत में संचालन पर रोक लगाने का परामर्श दिया है। सीएफए संस्थान तथा अन्य ने 24 मई, 2007 को दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका (सिविल) संख्या 4037 दायर की तथा जून, 2007 में परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति ले ली। परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संस्थान को बंद करने के आदेश जारी किए है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार सीएफए संस्थान आरंभ होने की निश्चित तिथि तथा कितने छात्रों ने डिग्री प्राप्त की इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) चूंकि सीएफए संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवार्य अनुमोदन की शर्त पूरी नहीं करती, अत: सीएफए से प्राप्त डिग्री मान्य नही है।

[हिन्दी]

विद्युत करघा केन्द्र

323. श्री महावीर भगोरा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1000 विद्युत करघा केन्द्र से कम केन्द्र वाले राज्यों में विद्युत करघा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युतकरघों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक उक्त राशि जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए सहायता सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन और अवसंरचना विकास पर केन्द्रित इस मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं नामत: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) तथा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) हैं।

(घ) उपर्युक्त दो योजनाएं सतत योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

बढ़ता नक्सलवाद

324. श्री के.एस. राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य अपने संबंधित राज्यों में हिंसा, आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें अपने राज्यों में हिंसा, आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों को रोकने और उसके नियंत्रण हेतु उचित उपाय करती हैं। केन्द्र सरकार सुरक्षा और विकासात्मक दोनों मोर्चों पर संबंधित राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में मदद करती है और समन्वय करती है। सुरक्षा मंच पर किए जाने वाले उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देना, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना और सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत सहायता, उपकरण, प्रशिक्षण और बचाव संबंधी अभियानों में रक्षा बलों से सहायता, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों के माध्यम से राज्य पुलिस बलों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना और आसूचना एकत्र करने, उसका आदान-प्रदान करने और उसके इस्तेमाल करने में सहायता करना शामिल हैं। विकासात्मक मंचों पर, उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े जिला पहल (बी डी आई) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) का घटक, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) योजना प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) और

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और आपराधिक मामलों में आपसी सहायता के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए भी उपाय किए हैं।

विवरण

राज्य का नाम	2006		2007 (31.7.2007 की स्थिति के अनुसार)	
	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु
1	2	3	4	5
1. नक्सली हिंसा की राज्य-वार मात्रा				
आंध्र प्रदेश	183	47	82	26
बिहार	107	45	87	39
छत्तीसगढ़	715	388	399	259
झारखंड	310	124	259	71
मध्य प्रदेश	6	1	8	2
महाराष्ट्र	98	42	63	13
उड़ीसा	44	9	47	12
उत्तर प्रदेश	11	5	4	2
पश्चिम बंगाल	23	17	12	2
केरल	2	–	4	–
कर्नाटक	10	–	6	5
कुल	1509	678	971	431
2. पूर्वोत्तर में आतंकवादी हिंसा की राज्य-वार मात्रा				
असम	413	196	302	193
मेघालय	38	6	11	5
त्रिपुरा	87	28	64	13
अरुणाचल प्रदेश	16	–	18	9
नागालैण्ड	309	31	171	28
मिजोरम	5	–	1	–
मणिपुर	498	124	340	108
कुल	1366	385	907	356

1	2	3	4	5
3. जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की मात्रा				
जम्मू और कश्मीर	1667	540	672	171

नोट: मृत्यु में मारे गए सिविलियन और सुरक्षा बल कर्मी भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में नामांकन

325. **श्री सूरज सिंह:**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री पी. मोहन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यार्थियों के नामांकन को सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(च) उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितने अतिरिक्त डिग्री कालेज स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) उच्चतर शिक्षा में इस समय सकल नामांकन अनुपात तकरीबन 10 प्रतिशत है जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पात्र कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को विकास सहायता की विभिन्न स्कीमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इन स्कीमों का लक्ष्य पाठ्यक्रमों में सुधार करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करना, प्रबोधन तथा अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना और शोध को प्रोत्साहित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान प्रदान करता है। निम्न सकल नामांकन अनुपात वाले प्रत्येक जिले में कम से कम एक कालेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

(च) जबकि केन्द्र सरकार कालेज स्थापित नहीं करती है, तथापि वित्तीय सहायता हेतु पात्रता के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के तहत मान्यता प्राप्त कालेजों सहित कालेजों की संख्या 2004-05 के 17625 की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 18064 हो गई है।

[अनुवाद]

सीमा पर हिंसा

326. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत के नियंत्रण रेखा के साथ लगी सीमा पर हिंसा की कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा क्षेत्रों की कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं को दुरूस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार से गोली-बारी की आड़ में जहां-कहीं आतंकवादियों की घुसपैठ और हिंसा का पता चलता है वहां उसका मुकाबला किया जाता है। 2007 के दौरान (10 अगस्त तक) घुसपैठ की 33 कोशिशें नाकाम की गईं जिनमें 37 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

(ग) सरकार ने आतंकवाद के खतरे सहित सभी मुद्दों का हल निकालने के लिए सीमा पार की सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है। नियंत्रण रेखा/सीमा पर संघर्ष-विराम चल रहा है और इससे इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों का जीवन सुरक्षित और आरामदायक हो गया है।

पॉलिटेक्निक शिक्षा

327. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आने वाले वर्षों में आवश्यक तकनीकी श्रम बल का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पॉलीटेक्निक शिक्षा को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) देश में और अधिक पॉलिटेक्नीकों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पॉलिटेक्नीक तकनीकी संस्थाओं एवं डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों की प्रगति एकरूप नहीं रही है। वर्तमान में डिप्लोमा संस्थाओं में छात्र प्रवेश संख्या लगभग 2.65 लाख है जबकि डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र प्रवेश संख्या लगभग 5.82 लाख है। इसलिए डिग्री एवं डिप्लोमा में प्रवेश संख्या के असंतुलन को कम करने की दिशा में सरकार और अधिक संख्या में पॉलिटेक्नीकों की शुरूआत करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पॉलीटेक्नीक शिक्षा को विशेष बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ में देश के कतिपय विशेष रूप से अभिचिन्हित जिलों में नए पालिटेक्नीकों की स्थापना हेतु पहले ही कदम उठाए गए हैं। पालीटेक्नीक शिक्षा में निजी सहभागिता को विशेष रूप से बढ़ावा देने की दिशा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नए पालिटेक्नीकों की स्थापना के लिए अवसंरचना एवं अन्य आवश्यकताओं में भी छूट प्रदान की है।

[हिन्दी]

के.वी.एस. में स्थानांतरण नीति

328. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के लिए कोई स्थानांतरण नीति है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है तथा यह कब से प्रभावी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए दिनांक 14.3.2006 से प्रभावी मौजूदा स्थानांतरण नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की दिनांक 14.3.2006 से प्रभावी नई स्थानांतरण नीति (समय-समय पर यथा-संशोधित)

इस स्थानांतरण नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. संगठन की स्थानांतरण नीति को कारण और स्पष्ट बनाकर इसके उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि उपलब्ध कर्मचारियों को दुर्गम और अत्यधिक दुर्गम स्थानों के विद्यार्थियों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों को अधिक से अधिक संतुष्ट करते हुए इष्टतम रूप से तैनात किया जाएगा।

2. दिनांक 5.12.2006 को प्रत्येक महत्वपूर्ण/उपयोगी सूचना को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट (www.kvsangathan.nic.in) पर उपलब्ध कराया गया है। समय-समय पर किए गए संशोधन भी अधिसूचित किए जा रहे हैं।

3. परामर्श प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षकों को अपनी समस्याओं/कठिनाइयों/विकल्प को सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाने के अवसर प्रदान किया जा सके।

4. इच्छुक शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने और परामर्श के बाद ही केन्द्रीय विद्यालयों को पदों का आबंटन और आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को पुन: आबंटन किया जाता है।

5. उपलब्ध रिक्तियां केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

6. देश के किसी भाग में ऐसी रिक्त, जिस पर कोई तैनाती नहीं चाहता, का प्रस्ताव दिनांक 31 अगस्त तक इच्छुक अभ्यर्थियों को किया जाएगा।

7. संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख के अनुसार 35 वर्ष की आयु के भीतर सिक्किम/अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह/दुर्गम और अत्यधिक दुर्गम स्थानों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधीक्षक और इससे ऊपर के स्तर की महिला शिक्षिका/अधिकारी और शिक्षणेतर कर्मचारी की एक आवधिक तैनाती अनिवार्य की जाएगी।

8. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए और पदोन्नत किए गए कर्मचारी के दुर्गम स्थान/अत्यधिक दुर्गम स्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित)/अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात करने संबंधी अनुरोध पर उसके तैनाती स्थान पर उसके द्वारा पूरी की गई अवधि पर ध्यान दिए बिना विचार किया जाएगा।

9. उन महिला शिक्षिकाओं, जिन्हें उनके गृह नगर से 500 कि.मी. की दूरी से अधिक दूरी पर तैनात किया गया है, की कठिनाईयों/समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से पात्रता बिन्दु प्रदान किए गए हैं ताकि उन्हें प्राथमिकता सूची में बेहतर स्थान प्रदान किया जा सके।

10. स्थानांतरण आवेदन को प्रस्तुत करने और प्राप्त होने की तारीख, स्थानांतरण आदेश के मुद्दे इत्यादि में किसी भ्रम को दूर करने के लिए कार्यकलापों का कलैण्डर विनिर्दिष्ट किया गया है।

11. क्षेत्र की क्षेत्रीय स्थानांतरण समिति विकेन्द्रीकरण के उपाय के रूप में अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण पर विचार करती है और उन्हें अंतिम रूप देती है।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

329. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खुदरा क्षेत्र/उद्योग में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त निवेश के प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार विभिन्न विद्यमान कानूनों जैसे भूमि अधिग्रहण आदि में कुछ परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा देश के छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में इंडियन काउंसिल फार रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के जरिये असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। (आईसीआरआईईआर) द्वारा अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) फरवरी, 2006 में, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी गई थी। आज की तारीख तक सरकार द्वारा 17 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें 3.3 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश अंतर्गत है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडों के अनुसार, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में कोई अंतर्वाह प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई नीति फरवरी, 2006 में लागू की गई थी और इसे क्षेत्र में मई, 2007 तक कोई विदेशी निवेश प्राप्त होने की सूचना नही है। किसी भी अन्य निवेश की भांति एफडीआई न केवल पूंजी लाता है, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं सर्वोत्तम प्रथाएं भी लेकर आता है।

(च) और (छ) भारतीय कानून आवधिक रूप से समीक्षा किए जाने की शर्त के अध्यधीन हैं, ताकि उन्हें देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके व अद्यतन किया जा सके।

(ज) सरकार समाज के सभी वर्गों के जायज हितों की सुरक्षा हेतु, जहां आवश्यक होगा, उचित उपाय शुरू करने के लिए कटिबद्ध है।

[हिन्दी]

नीम, बासमती चावल और हल्दी का पेटेंट

330. **श्री संतोष गंगवार:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में मारगोसा (नीम), बासमती चावल और हल्दी का पेटेंट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त पेटेंट प्राप्त करने वाली कंपनियां का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमेरिका और जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मारगोसा (नीम) के कीटनाशक, जैव-रासायनिक और औषधीय गुणों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अपना दावा पेश किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) पेटेंटों सहित बौद्धिक सम्पदा अधिकार विभिन्न देशों के सर्वोच्च विशेषाधिकारों के तहत उनके अपने-अपने कानूनों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और उनका प्रभाव केवल क्षेत्रीय होता है, अर्थात् वे केवल उस देश में ही प्रभावी होते हैं जहां उन्हें प्रदान किया जाता है। पेटेंट सरकार सहित केवल व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, न कि देशों को।

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(ञ) के अनुसार सूक्ष्म जीवों को छोड़कर समूचे पौधे या उनके कोई भी भाग और साथ ही उनके बीज, किस्में और जातियां तथा अनिवार्य रूप से पौधों को पैदा करने तथा उनके प्रवर्धन संबंधी जैविकीय प्रक्रियाएं पेटेंट प्रदान किए जाने योग्य नहीं हैं। अधिनियम की धारा 3(ग) के अनुसार प्रकृति में किसी भी सजीव या निर्जीव तत्व की खोज मात्र होने से ही उसे पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता। फिर भी, औषधीय या कीटनाशक अथवा कृमिनाशक गुणों से युक्त पौधों के भागों से बनने वाले उत्पादों को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं हेतु पेटेंट प्रदान किए जाते हैं।

पेटेंट कार्यालय द्वारा बासमती चावल पर कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है। नमी से संबंधित चार पेटेंट विदेशी कंपनियों के पास है, जिनमें से स्पाइस साइंस फाण्डेशन, नीम फार्मेको और रोहम एण्ड हास संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की कंपनियां हैं और ट्राइफोलियो एम गम्भ जर्मनी की कंपनी है। हल्दी के कीटनाशक गुणों संबंधी कार्यकलाप पर दो पेटेंट यूएसए की जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड नामक कंपनी के पास है।

(च) जैव-संसाधनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से पेटेंट अधिनियम, 1970 की 10(4) में ऐसे प्रावधान किए गये हैं जिनके अनुसार भारत में पेटेंट हेतु आवेदन करते समय अविष्कार में प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उद्गम का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि पेटेंट प्रदान किया जा चुका हो तो यह जानकारी प्रदान न करना या गलत जानकारी देना पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 64 के तहत उस पेटेंट का विरोध करने ओर उसे निरस्त करने का आधार है।

पारम्परिक ज्ञान को पेटेंटीकृत होने से बचाने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25 और 64 के तहत मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा आविष्कार की प्रत्याशा को विरोध और साथ ही निरस्तीकरण के एक आधार के रूप में शामिल करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3(प) के अनुसार एक ऐसा आविष्कार, जो प्रभावत: पारम्परिक ज्ञान है अथवा जो पारम्परिक रूप से ज्ञात संघटक या संघटकों के ज्ञात गुणों का समुच्चय या आवृत्ति है, पेटेंट प्रदान किए जाने योग्य नहीं है।

परिधानों का आयात

331. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में, परिधानों का कुल उत्पादन, उसकी मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ख) क्या परिधानों की मांग और आपूर्ति में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मांग को पूरा करने के लिए देश में परिधानों का आयात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए परिधानों की कीमत और मात्रा कितनी रही है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान देश में परिधानों की मांग प्रतिशतता क्या रही जिसकी पूर्ति परिधानों के आयात से की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान अपैरल क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात के लिए 37208 करोड़ रुपए और घरेलू बाजार के लिए 56120 करोड़ रुपए सहित 93328 करोड़ रुपए का हुआ था। देश में परिधानों की मांग के सरकारी अनुमानों की अनुपस्थिति में परिधानों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के निश्चित आंकड़े नहीं दर्शाए जा सकते। तथापि, देश में परिधानों की आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है।

(घ) से (च) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान (अप्रैल से दिसंबर) सिले-सिलाए परिधानों का आयात क्रमश: 149.54 करोड़ रुपए (7705000 पीस), 251.59 करोड़ रुपए (8133000 पीस) और 236.96 करोड़ रुपए (8816000 पीस) का है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए परिधानों का कुल आयात अकेले वर्ष 2005-06 के दौरान अपैरल के कुल घरेलू उत्पादन के 1 प्रतिशत से भी कम है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान का कार्य-निष्पादन

332. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2010 तक सभा के लिए सार्वभौमिक आरंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान ने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने तथा स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या कम करने में अच्छी प्रगति की है। प्रारंभिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2001 में 81.60% था जो वर्ष 2004 में बढ़कर 93.54% हो गया तथा स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या वर्ष 2001 में 4.4 करोड़ थी जो वर्ष 2006 में कम होकर 75 लाख रह गई।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के मानीटरन की कठोर प्रणाली तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें तथा समीक्षा बैठकें, प्रारंभिक स्कूल संबंधी वार्षिक आंकड़े, 40 स्वतंत्र मानीटरन संस्थाओं द्वारा क्षेत्र-मानीटरन, छमाही स्वतंत्र समीक्षा मिशन तथा समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार अधिनियम

333. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 8 के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी कंपनियां और फर्में दोषी पाए गए हैं; और

(घ) दोषी पायी गई कंपनियों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विकास में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	की गई कार्रवाई
1.	मै. डॉल्फिन एसोसिएट्स, ठाणे	आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) निरस्त किया
2.	मै. सई इंटरप्राइजेज, मुम्बई	आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) निरस्त किया
3.	मै. टिट बिट फूड्स (इंडिया) लि.	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
4.	मैं. ब्रिलिएंट इंटरनेशनल	आयातक निर्यातक कोड एक महीने के लिए स्थगित किया गया
5.	मै. अनु नट्स एड फूड्स (इंडिया) प्रा. लि.	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
6.	मै. एलएमजे इंटरनेशनल	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
7.	मै. रोमा इम्पेक्स	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
8.	मै. यूएनओ ओवरसीज	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
9.	मै. प्रिया इंटरप्राइजेज	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
10.	मै. नवकर एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
11.	मै श्रीनिवास केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	आयातक निर्यातक कोड स्थगित किया गया और 10 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया
12.	मै. रेकॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स, बडौदा	आयातक निर्यातक कोड एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया और 10 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया
13.	मै. सीएनसी टेक्नीक्स प्रा. लि., हैदराबाद	5 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया
14.	मै. रेकॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़ौदा	10 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया
15.	मै. केआरबीएल लि.,	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
16.	मै. जेटकिंग इंटरनेशनल	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
17.	मै. कोहिनूर फूड्स	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
18.	मै. जेनेसिस ऑर्गेनिक्स प्रा. लि., बड़ौदा	आईईसी कोड छह महीनों के लिए स्थगित किया गया और 10 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया

[अनुवाद]

तटीय सुरक्षा

334. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री एल. राजगोपाल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों से अतिरिक्त तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित करने/उनका उन्नयन करने और तटीय सुरक्षा हेतु अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत करने का कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) तटीय सुरक्षा बढ़ाने के बारे में बारह तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों की हाल ही में हुई बैठक के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पत्तन, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संपूर्ण सुविधा सम्पन्न पुलिस स्टेशन स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जिन तटीय पत्तनों पर समुद्री पुलिस स्टेशन नहीं है वहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) गुजरात सरकार से तटीय सुरक्षा योजना के तहत मौजूदा प्रावधान 10 की तुलना में 40 तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, तटीय सुरक्षा योजना की सहायता के घटकों के संबंध में कोई भी परिवर्तन करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिस पर पुनरीक्षा की अवस्था में विचार किया जा सकता है।

(ग) तटीय सुरक्षा योजना के संबंध में 11.6.2007 को आयोजित एक पुनरीक्षा बैठक में कार्मिकों की संख्या को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने, तटीय पुलिस स्टेशनों हेतु परिचालन संबंधी प्रक्रिया का मानकीकरण करने, तटीय पुलिस एंचे हेतु एक मानक प्रतिरूप तैयार करने, गश्ती नौकाओं के शीघ्र प्रापण और स्टाफ के प्रशिक्षण और भर्ती हेतु उपाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

(घ) से (च) तटीय सुरक्षा योजना में सुभेद्यता, मौजूदा प्रबंधों और जेटी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए देश की तट-रेखा के साथ-साथ 73 तटीय पुलिस स्टेशनों का गठन करने का प्रावधान है। सभी प्रमुख पत्तनों ने या तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के माध्यम से या स्वयं सुरक्षा प्रबंध किए है। छोटे पत्तनों संबंधी कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जो उनकी सुरक्षा आकलन के अनुरूप उचित उपाय करेंगे।

भारतीय पेटेंट नियंत्रक कार्यालय का डाटाबेस

335. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
डा. आर. सेन्थिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय पेटेंट नियंत्रक कार्यालय का डाटाबेस इसके वेबसाइट पर न होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डाटाबेस को और सरल, सुगम तथा प्रयोक्तानुकूल बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पेटेंट कार्यालय को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है रिट्रीवल सिस्टम में किसी अस्थायी खराबी के कारण डाटा बेस सुलभ न हो पाये। पूर्व में तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ऐसी खराबियां तुरंत दूर कर ली गईं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेटेंट ऑफिस जर्नल, जिसमें पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए जाते हैं, पहले ही पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डिजिटलीकृत पेटेंट डाटा बेस को सरल, पहुंच गम्य और प्रयोक्ता अनुकूल फार्मेट में विकसित करने का कार्य, बौद्धिक संपदा कार्यालयों में किए जा रहे आधुनिकीकरण का एक भाग है। पेटेंट आवेदनों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां, जो जनता के अधिकार-क्षेत्र में होती हैं, जनता के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध हैं।

सोने और तांबे का भंडार

336. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने राजस्थान के दौसा जिले में सोने और तांबे के भंडारों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने राजस्थान के दौसा (डानसा) जिले के धानी बसरी क्षेत्र में स्वर्ण तथा ताम्र डिपाजिटों के संसाधनों का आंकलन किया है। धानी बसारी क्षेत्र में 1.50 पी पी एम एयू (स्वर्ण) तथा 1.09 प्रतिशत सीयू (ताम्र) वाले संभव श्रेणी का 3.2 मिलियन टन स्वर्ण-ताम्र अयस्क संसाधन का पता लगाया है जिसमें से 1.04 प्रतिशत सीयू तथा 1.54 पी पी एम एयू वाला 0.89 मिलियन टन संभाव्य श्रेणी का है।

[हिन्दी]

पुलिस सुधार

337. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:
श्री मोहन रावले:
श्री गणेश सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई दशकों के दौरान पुलिस कानून और व्यवस्था की हालत को बनाए रखने में विफल हो गई है जिसके फलस्वरूप लूटपाट और लोगों की हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पुलिस सुधारों पर गठित विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में 30.12.2006 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के साथ एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा देश में कानून और व्यवस्था की हालत को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं

(ङ) क्या सरकार का पुलिस सुधारों के संबंध में कोई नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस विधेयक के कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए अपने-अपने राज्यों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों की जान-माल को सुरक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को आधुनिक हथियार, आवाजाही, संचार उपकरण और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से कारगर रूप से निपटने के लिए आसूचना संबंधी जानकारियों के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती रही है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। बैठक में पुलिस सुधारों के संबंध में आगे और कार्रवाई करने के पक्ष में व्यापक सहमति थी, जिस पर पहले ही राज्यों द्वारा पुलिस के संबंध में एक नये कानून को लाने की आवश्यकता पर विचार और उसे लागू करने पर चर्चा चल रही थी।

(ङ) और (च) सितम्बर, 2005 में एक नए पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। चूंकि "पुलिस" एक राज्य का विषय है इसलिए समिति द्वारा प्रस्तुत एक मॉडल पुलिस अधिनियम के प्रारूप को विचार और उचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया। जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है, मंत्रालय अतिशीघ्र मौजूदा अधिनियमों के स्थान पर एक नया कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है, तथापि, इस संबंध में एक निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

हीरा उद्योग

338. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हीरा उद्योग को कुल कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा हीरा उद्योग को बढ़ावा देने और हीरे के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) भारत में तराशे गए अधिकांश हीरों का निर्यात कर दिया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक कोई घाटा तो नहीं हुआ है, तथापि बॉण्डेड भाण्डागारों द्वारा हीरों के व्यापारिक कार्यकलापों में कमी के कारण वर्ष 2006-07 में निर्यातों में गिरावट आई है। तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात के संबंध में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
11181.56	11829.74	10903.22

स्रोत: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद।

(ख) हीरा उद्योग के संवर्धन एवं हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) रत्न एवं आभूषणों जिनमें तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरे भी शामिल है, के निर्यात को विदेश व्यापार नीति (2004-05) में एक ध्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(2) अपरिष्कृत हीरों की लाइसेंसिंग पद्धति अब समाप्त कर दी गई है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क घटाकर 0% कर दिया गया है।

(3) अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु बैंक गारंटी के बगैर अग्रिम रकम अनुमेय है।

(4) स्वर्ण और प्लेटिनम हेतु उपभोज्य वस्तुओं, औजारों, मशीनरी तथा उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1% के बराबर है।

(5) एक वित्तीय वर्ष में 300,000 रुपए के रत्न एवं आभूषणों के नमूनों अथवा रत्न एवं आभूषण वस्तुओं के पिछले तीन वर्षों के निर्यात कारोबार की 0.25%, जो भी कम हो, की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(6) आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ तराशने व पॉलिश करने को विनिर्माण माना जाएगा।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को परिष्करण एवं पुन: आयात हेतु तराशे एवं पॉलिश किए गए बेशकीमती एवं कीमत नगीनों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(8) तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(9) हीरा यूनिटों हेतु टर्नओवर के आधार पर आयकर, जहां घोषित लाभ टर्न ओवर का 8% अथवा इससे अधिक है।

इसके अलावा सरकार विदेशी बाजारों में शुरू किए गए विभिन्न विक्रय संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना

339. श्री अनवर हुसैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशी नागरिकों से असम और पूर्वोत्तर में विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सकरार पूर्वोत्तर में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी नागरिकों को किस सीमा तक प्रोत्साहित कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और संचालन को विनियमित करने हेतु एक विधायी प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की समीक्षा

340. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) की सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को "कैस" शुरू करने की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) पूरे देश में 'कैस' का कब तक प्रसार किया जाएगा;

(छ) क्या 'कैस' के प्रयोक्ताओं को खराब प्रसारण क्वालिटी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और केबल ऑपरेटर प्रयोक्ता पे-चैनल श्रेणी के अंतर्गत मांगे गए चैनल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा 'कैस' प्रयोक्ताओं को हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (झ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के परामर्श से सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) की समीक्षा की गई है। दिनांक 31 जुलाई, 2007 तक की स्थिति के अनुसार बहु प्रणाली संचालकों (एम एस ओ)/केबल ऑपरेटरों द्वारा 5.12 लाख सेट टॉप बॉक्सों के लगाए जाने की सूचना मिली है। मंत्रालय में संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ दिनांक 5 जून, 2007 को एक बैठक आयोजित की गई है। राज्य सरकारों से कैस के विस्तार पर अपने औपचारिक विचार पेश करने और मुद्दों तथा दर्शकों के सामने आने वाली समस्याओं, यदि कोई हों, को समझने के लिए किसी व्यावसायिक एजेंसी द्वारा एक सर्वेक्षण कराने के लिए अनुरोध किया गया है। ट्राई ने दिनांक 23 अगस्त, 2006 को कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता संबंधी एक विनियमन जारी किया है। सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए ट्राई ने कैस अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन की जांच करने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ब्रॉडकास्ट कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) को कार्यरत किया है।

(ग) सरकार द्वारा कैस के कार्यान्वयन हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) कैस के विस्तार के लिए प्रथम चरण का मूल्यांकन और स्टेकहोल्डरों, उपभोक्ता संगठनों तथा राज्यों के साथ बड़े पैमाने पर परामर्श अपेक्षित है। इसलिए, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(छ) और (ज) ट्राई ने सूचित किया है कि घटिया गुणवत्ता और उपभोक्ताओं द्वारा चयनित चैनलों की अनुपलब्धता के बारे में ट्राई को 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 40 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है और शेष शिकायतों के लिए इस मामले को सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया जा रहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

341. श्री दुष्यंत सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार कितने व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर किये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानी पेंशन से संबंधित काफी आवेदन अभी भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) आज की तारीख के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को पृथक-पृथक कितनी राशि दी जा रही है;

(च) क्या सरकार का स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो उक्त पेशन में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार को फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किये गये पेंशन लेने के दावे के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के शुरू होने से लेकर सरकार ने 31 जुलाई, 2007 तक लगभग 1.70 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है, का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) से (घ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने हेतु आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। उन आवेदनों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से आवेदकों से या राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के बिना प्राप्त होते हैं। तथापि, 310 आवेदन जो उनकी सत्यापन रिपोर्टों के साथ राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, पर 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जा रही थी। इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त गोवा मुक्ति आंदोलन (चरण-II) के संबंध में महाराष्ट्र के 438 मामलों और गोवा के 98 मामलों पर भी 31 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार कार्रवाई चल रही थी।

(ङ) पेशन की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

(च) और (छ) वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ज) और (झ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु जाली/कपटपूर्ण तरीके से पेंशन प्राप्त करने के दावों के आरोप संबंधी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पेंशन योजना के अनुप्रयोज्य उपबंधों के संदर्भ में की जाती है। वे मामले जहां आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तब उन दावों को रद्द किया जाता है और यदि उस मामले में पेंशन मंजूर कर दी गई है तब उसे स्थगित/रद्द किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात उस पेंशन की वसूली के आदेश दिए जाते हैं।

विवरण I

(31.7.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वतंत्रता सेनानी/उनके आश्रितों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,572
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,438
4 और 5.	बिहार और झारखंड	24,870
6.	गोवा	1,427
7.	गुजरात	3,574
8.	हरियाणा	1,684
9.	हिमाचल प्रदेश	617
10.	जम्मू-कश्मीर	1, 806
11.	कर्नाटक	10,083
12.	केरल	3,206
13 और 14.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	3,466
15.	महाराष्ट्र	17,581
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैण्ड	03
20.	उड़ीसा	4,189
21.	पंजाब	7,008
22.	राजस्थान	809
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,097
25.	त्रिपुरा	887
26 और 27.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	17,990
28.	पश्चिम बंगाल	22,479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
30.	चंडीगढ़	89
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमन और दीव	33

1	2	3
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,043
35.	पांडिचेरी	317
	आजाद हिंद फौज (आई एन ए)	22,467
	कुल	1,69,993

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	उन आवेदनों की संख्या जिन पर कार्रवाई की जा रही है
1.	आंध्र प्रदेश	197
2.	असम	19
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	1
5.	केरल	80
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	तमिलनाडु	4
8.	पुडचेरी	3
	कुल	310

विवरण III

क्र.सं.	पेंशन की श्रेणी	मूल पेंशन (रु.)	महंगाई राहत (वर्तमान में मूल पेंशन का 58%) (रु.)
1	2	3	4
(1)	पूर्व-अंडमान राजनैतिक कैदी	7,330	4,251
(2)	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के बाहर यातना भोगी (आजाद हिंद फौज (आई एन ए) को छोड़कर)	6,830	3,961
(3)	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आजाद हिन्द फौज सहित)	6,330	3,671
(4)	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों का विधवा/विधुर	वही पात्रता जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी	वही पात्रता जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी
(5)	अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्रियां (अधिकतम ऐसी तीन पुत्रियों तक)	प्रत्येक को 1,500	प्रत्येक को 870
(6)	माता और पिता	प्रत्येक को 1,000	प्रत्येक को 580

[हिन्दी]

शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

342. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और जिलों विशेषकर ग्रामीण लोगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और जिलों के विकास हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा अभिचिह्नित विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले जिलों की राज्यवार सूची का विवरण संलग्न है। सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को लक्ष्य बनाते हैं। 11वीं योजना के दौरान यदि संसाधन उपलब्ध हों तो उच्च शिक्षा में निम्न सकल नामांकन अनुपात अर्थात राष्ट्रीय औसत से कम अनुपात वाले प्रत्येक जिले में एक कॉलेज स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	जिले
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आदिलाबाद
2.	खम्माम
3.	महबूबनगर
4.	वारंगल
असम	
1.	बारपेटा
2.	दर्रांग
3.	धेमाजी
4.	धुब्री
5.	गोलपाड़ा
6.	कर्बी आंगलांग
7.	कोकराझार
8.	लखीमपुर
9.	मोरीगांव
10.	नालबाड़ी
11.	नार्थ कछार हिल्स
12.	शिवसागर
13.	सोनितपुर
14.	तिनसुकिया
बिहार	
1.	अररिया
2.	दरभंगा
3.	कटिहार
4.	माधेपुरा
5.	मधुबनी
6.	मुजफ्फरपुर
7.	पश्चिम चंपारन
8.	पूर्वी चंपारन
9.	पुर्णिया
10.	शिहोर
11.	सीतामढ़ी
12.	सुपोल
छत्तीसगढ़	
1.	बस्तर
2.	बिलासपुर
3.	दांतेवाड़ा
4.	जसपुर
5.	कांकेर
6.	कोडिया
7.	राजनंदगांव
8.	सरगुजा
गुजरात	
1.	डांग
2.	पंचमहल
हिमाचल प्रदेश	
1.	चंबा
2.	किन्नौर
3.	लाहौल और स्पीति
झारखंड	
1.	देवघर
2.	गढ़वा

1	2
	3. गिरिडीह
	4. गोड्डा
	5. गुमला
	6. जामतारा
	7. लातेहार
	8. लोहरदगा
	9. पलामू
	10. साहेबगंज
	11. सरायकेला
	12. सिमडेगा
	13. पश्चिम सिंहभूम
कर्नाटक	
	1. बीदर
केरल	
	1. वायनाड
मध्य प्रदेश	
	1. बालघाट
	2. बरवानी
	3. देवास
	4. डिंडोरी
	5. मांडला
	6. शहडोल
	7. श्योपुर
	8. सिधी
	9. उमरिया
	10. पश्चिमी निमेर (खरगौन)

1	2
महाराष्ट्र	
	1. अहमदनगर
	2. चंद्रपुर
	3. धुले
	4. गढ़चिरोली
	5. नांदेड
मणिपुर	
	1. तामेनलांग
मेघालय	
	1. पूर्वी गारो हिल्स
उड़ीसा	
	1. बालासोर
	2. बौध
	3. गाजापट्टी
	4. गंजम
	5. कालाहांडी
	6. कांधमल
	7. क्योंझर
	8. कोरापुट
	9. मयूरभंज
	10. नवरंगपुर
	11. संबलपुर
	12. सुन्दरगढ़
राजस्थान	
	1. बांसवाड़ा
	2. डूंगरपुर
	3. जैसलमेर
	4. सीकर

1	2
सिक्किम	
1.	उत्तरी सिक्किम
2.	दक्षिणी सिक्किम
3.	पश्चिमी सिक्किम
तमिलनाडु	
1.	कुड्डालुर
2.	तिरूवनामलाई
त्रिपुरा	
1.	धलाई
2.	उत्तरी त्रिपुरा
3.	दक्षिणी त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	
1.	बाराबंकी
2.	सीतापुर
पश्चिम बंगाल	
1.	बांकुरा
2.	उत्तरी 24 परगना
3.	पुरूलिया
4.	पश्चिमी मिदनापुर

तकनीकी वस्त्र

343. श्री रशीद मसूद: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "तकनीकी वस्त्र" बनाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी वस्त्र हेतु कोई धनराशि आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आगामी वर्षों के लिए वस्त्र उद्योग हेतु 16 प्रतिशत की वृद्धि दर निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने तथा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु वस्त्रों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि और विकास योजना (एस जी डी टी टी) तैयार की है। इस योजना में संघटक सम्मिलित हैं: (1) तकनीकी वस्त्र उद्योग के डाटाबेस निर्माण के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण; (2) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना; और (3) उद्यमियों के बीच जागरूकता का सृजन। 11वीं योजना अवधि के दौरान एसजीडीटीटी के लिए 96.00 करोड़ रु. की निधियों की कुल आवश्यकता होगी, जिसमें से वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में 1.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ङ) और (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने वस्त्र उद्योग के लिए मूल्य के रूप में 16 प्रतिशत की दर से वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियों में कच्ची सामग्री आधार का समेकन और समूह विकास मार्ग को अपनाना; तकनीकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के जरिए वस्त्र उद्योग के विभिन्न खंडों के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन को जारी रखना; एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना; इस क्षेत्र में वस्त्र मशीनरी की उपलब्धता बढ़ाना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना; डिजायन गुणवत्ता के लिए ब्रांड संवर्धन सहायता और; तकनीकी वस्त्र विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा; हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशमपालन क्षेत्रों को सहायता शामिल है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

344. डा. राजेश मिश्र:
श्री सज्जन कुमार:
श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक दर्ज विभिन्न अपराधों तथा उनके कारणों का अपराध-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में हैं। वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (30 जून तक) के दौरान सूचित मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण संलग्न है।

विवरण

अपराध शीर्ष	सूचित मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई	2004	2005	2006	2007 (30 जून तक)
1	2	3	4	5	6
डकैती	सूचित मामले	30	27	14	16
	निपटाए गए मामले	29	26	13	12
	गिरफ्तार व्यक्ति	150	139	65	51
	चालान	148	138	54	25
हत्या	सूचित मामले	481	455	476	215
	निपटाए गए मामले	363	337	377	167
	गिरफ्तार व्यक्ति	781	800	789	361
	चालान	773	784	612	194
हत्या के प्रयास	सूचित मामले	519	467	510	251
	निपटाए गए मामले	494	439	479	227
	गिरफ्तार व्यक्ति	1179	1003	1045	499
	चालान	1091	851	624	202
लूटपाट	सूचित मामले	461	510	541	264
	निपटाए गए मामले	403	458	479	219
	गिरफ्तार व्यक्ति	1104	1162	1128	485
	चालान	996	893	728	235

1	2	3	4	5	6
फिरोती के लिए अपहरण	सूचित मामले	28	31	32	14
	निपटाए गए मामले	24	24	24	12
	गिरफ्तार व्यक्ति	60	129	63	34
	चालान	59	96	56	5
मोटर वाहन की चोरी	सूचित मामले	8873	8863	9366	4053
	निपटाए गए मामले	2338	2395	2057	738
	गिरफ्तार व्यक्ति	4029	3629	2847	1094
	चालान	2273	1820	1193	300
छीना-झपटी	सूचित मामले	775	1136	1283	583
	निपटाए गए मामले	659	967	1066	398
	गिरफ्तार व्यक्ति	1100	1838	1593	602
	चालान	665	1272	634	181
बलात्कार	सूचित मामले	551	658	623	297
	निपटाए गए मामले	520	630	583	267
	गिरफ्तार व्यक्ति	800	888	786	353
	चालान	771	821	553	163
कुल आई पी सी	सूचित मामले	53623	56065	57963	27353
	निपटाए गए मामले	33909	37223	37751	15651
	गिरफ्तार व्यक्ति	55132	57531	54377	23257
	चालान	46469	44254	30132	8580
स्थानीय और विशेष नियम	सूचित मामले	25136	26573	30372	15599
	निपटाए गए मामले	24775	26444	30095	15323
	गिरफ्तार व्यक्ति	30084	31751	35015	17750
	चालांन	29766	30869	29254	12091

[अनुवाद]

भ्रामक विज्ञापन

345. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रामक या गलत विज्ञापनों के लिए टी.वी. चैनलों और रेडियो स्टेशनों को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए;

(ख) क्या प्रसारकों हेतु प्रस्तावित संहिता का विरोध किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दर्शकों के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समिति ने केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एंव विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने तथा एक नई विषय-वस्तु संहिता तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोट्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस समिति का कार्य इन संहिताओं और तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस समिति का कार्य इन संहिताओं और दिशा-निर्देशों को विस्तार में प्रतिपादित करना और अद्यतन बनाना है ताकि उन्हें अधिक विशिष्ट एवं व्यापक बनाया जा सके और साथ ही समकालीन सामुदायिक मानकों के अनुसार यथावश्यक नए प्रावधानों की शुरूआत करना तथा चैनलों के बीच स्व-विनियमन को सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित संहिता का प्रारूप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट में भी डाल दिया गया है लेकिन यह अंतिम नहीं है और इस संबंध में अभ्यावेदन अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। समिति का गठन दर्शकों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था। केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का भी गठन किया गया है। समिति स्व-प्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करती है। संहिताओं के उल्लंघन में आपत्तिजनक कार्यक्रम/विज्ञापन प्रसारित करने वाले टी वी चैनलों को पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है।

[हिन्दी]

जन शिक्षण संस्थान

346. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जन शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए व किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन पर राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि खर्च हुई व खर्च होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए जन शिक्षण संस्थानों की संख्या विचाराधीन है। अनुदानों का जारी किया जाना 11वीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की संख्या पर निर्भर करेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदित दो नए जन शिक्षण संस्थानों की स्थापनार्थ अब तक 30.00 लाख रु. के अनुदान जारी किए गए हैं।

कॉमन स्कूल सिस्टम

347. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित कुछ राज्य सरकारों ने 1960 के दौरान कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत 'कॉमन स्कूल सिस्टम' क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) किसी राज्य सरकार से अभी तक ऐसी स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आम का आयात

348. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान, कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया, अमरीका ने हमारे आमों का आयात करने में गहरी अभिरूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां भारतीय आमों हेतु संभावित बाजार का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष अकेले जापान को 300 टन आमों का निर्यात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष विभिन्न देशों को किए गए संबंधित निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां। जापान, चीन और अमेरीका ने भारत से आम के आयात में रुचि प्रदर्शित की है।

(ख) और (ग) अमेरीका, जापान और चीन में भारतीय आम के लिए बाजार पिछले तीन वर्षों के दौरान ही खोले गए हैं। स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता प्रतिबंधों के कारण आस्ट्रेलिया में भारतीय आम के आयात की अनुमति नहीं है।

(घ) वर्तमान मौसम के दौरान जापान को लगभग 150 टन आम का निर्यात किया गया है।

(ङ) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 (अप्रैल से दिसम्बर) हेतु भारत से आम के निर्यात के देशवार आंकड़े विवरण में संलग्न है।

विवरण

वस्तु: ताजे आम 08045020 इकाई किग्रा.

क्र.सं.	देश	मूल्य मिलियन अम. डालर में		मात्रा हजार में	
		2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)	2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4	5	6
1.	अल्जीरिया	0.04		34	
2.	आस्ट्रेलिया	0	0.02	5.97	2.1
3.	आस्ट्रिया		0		0.95
4.	बहरीन द्वीप	0.55	0.36	620.81	469.77
5.	बांग्लादेश जन.गण.	6.25	8.68	32,770.90	42,558,68
6.	बेल्जियम	0.02	0.06	20	57.03
7.	भूटान		0.01		40
8.	बोसनिया-हर्जेगोबिना	0	0	0.5	2.5
9.	ब्राजील	0		1.5	
10.	ब्रुनेई	0	0.02	6.3	14.6

1	2	3	4	5	6
11.	कनाडा	0.31	0.1	323.77	73.75
12.	कमारी द्वीप	0.01		53	
13.	केमेन द्वीप		0		1.8
14.	ताईवान	0.02		23.41	
15.	चीन जन.गण.	0	0	0.55	0.1
16.	कांगो जन.गण.		0.01		58.8
17.	डेनमार्क		0		0.05
18.	मिस्र जन.गण.		0		0.07
19.	फिनलैण्ड	0.02		20	
20.	फ्रांस	0.17	0.06	158.84	63.44
21.	फ्रांस पोलिनिशिया	0.02		17	
22.	जर्मनी	0.01	0.06	4.25	49.09
23.	यूनान	0		2	
24.	हांगकांग	0.04	0.07	29.88	49.67
25.	इंडोनेशिया		0		0.01
26.	इरान	0.24		241.6	
27.	इजरायल	0.01		12.8	
28.	इटली	0	0	2	1.46
29.	जापान	0.11	0.1	70.16	69.34
30.	कोरिया जन.गण.	0.03	0.02	27.39	21.69
31.	कुवैत	0.24	0.43	104.59	308.27
32.	मलेशिया	0.14	0.17	243.66	272.22
33.	मालदीव	0.01	0	20.82	6.27
34.	माल्टा	0.05	0.02	54	18
35.	नेपाल	0.73	1.46	4,116.01	7,738.98
36.	नीदरलैण्ड	0.03	0.19	260.86	242.79
37.	न्यूजीलैण्ड	0.01	0	18.5	3

1	2	3	4	5	6
38.	नार्वे	0	0.01	0.9	10.43
39.	ओमान	0.17	0.24	226.69	148.05
40.	पाकिस्तान	0.01	0	34.18	3
41.	पोलैंड		0		0.31
42.	पुर्तगाल		0		0.01
43.	कतर	0.05	0.08	40.45	80.32
44.	रूस		0.02		4.94
45.	सऊदी अरब	1	0.81	1,564.15	1,078.03
46.	स्लोवाक गणराज्य	0		4	
47.	सिंगापुर	0.21	0.28	242.24	227.96
48.	सोमालिया		0		0.01
49.	दक्षिण अफ्रीका	0.01	0	21	0
50.	स्पेन		0		0.09
51.	श्रीलंका		0		0.1
52.	स्वाजीलैण्ड	0	0	0.4	0.3
53.	स्वीडन	0	0	0.56	0.2
54.	स्विट्जरलैण्ड	0.03	0.21	9.01	156.99
55.	थाइलैण्ड		0		0.98
56.	तुर्की		0		0.03
57.	संयुक्त अरब अमीरात	16.5	12.65	26,533.76	19,691.46
58.	यूके	1.22	2.35	839.97	1,803.20
59.	यूक्रेन		0.03		25.84
60.	यूएसए	0.1	0	83.21	0.03
61.	वियतनाम	0.04		61	
62.	यमन गणराज्य	0.26	0.05	680	63.8
63.	अविनिर्दिष्ट		0		2.21
	कुल	28.94	28.59	69606.59	75420.51

विनिमय दर:

2005-2006: 1 अम. डा. = 44.2735 रु.

2006-2007 (अप्रैल-दिसम्बर): 1 अम. डा. = 45.6086 रु.

भारतीय आयातों पर कराधान

349. श्री जोवाकिम बखला: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों जैसे भारतीय आयातों पर बढ़े हुए कराधान से भारतीय निर्यात प्रतिकूलत: प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) अमरीका के सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम में उस स्थिति में निर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान है जब उनका आयात निर्दिष्ट लाभानुभोगी विकासकर्ता देशों से किया जाता है। भारत एक निर्दिष्ट लाभानुभोगी देश है। 29 जून, 2007 को अमरीकी सरकार ने जीएसपी के अंतर्गत शुल्क मुक्त व्यवहार को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा # 8157 प्रकाशित की। इस उद्घोषणा द्वारा 5 भारतीय उत्पादों को जुलाई, 2007 से जीएसपी व्यवहार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार अमरीका में इन उत्पादों का आयात शुल्क मुक्त नहीं होगा। पांचों उत्पादों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उत्पाद	2006 में निर्यात का मूल्य (मि.डा.)	जुलाई, 2007 से लागू शुल्क दर %
1.	कीमती धातुएं (चांदी से भिन्न), आभूषणों की वस्तुएं	2211.25	5.5
2.	विंड पावर्ड इलैक्ट्रिक जेनरेटिंग सेट्स	216.57	2.5
3.	कलर टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण	26.28	5.7
4.	पीतल के विद्युत से इतर लैम्प एवं प्रकाश जुड़नार	17.30	3.9
5.	निर्मित/परिरक्षित खीरा सहित ककड़ी	14.73	9.6

जीएसपी को जारी रखने के बारे में टिप्पणियां अमरीकी पक्ष को प्रस्तुत की गई थीं और इस मुद्दे को द्विपक्षीय बैठकों में वाणिज्य विभाग द्वारा मजबूती से उठाया गया था।

'पायरेसी' के संबंध में "सिमकॉन" की सिफारिशें

350. श्री जुएल ओराम:
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में हो रही 'पायरेसी' की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई छापामारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो पकड़ी गई 'पायरेसी' के तौर-तरीके क्या हैं;

(ङ) क्या 'पायरेसी' की वजह से मनोरंजन उद्योग को भारी घाटा हो रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या 'पायरेसी' का मुख्य कारण मनोरंजन क्षेत्र में ऊंची दरें हैं;

(छ) क्या समिति (सिमकॉन) ने उक्त ऊंची दरों को घटाने का सुझाव दिया था;

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(झ) सरकार द्वारा 'पायरेसी' को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय फिल्म एवं

टेलीविजन निर्माता गिल्ड के अनुसार पाइरेसी के कारण फिल्म उद्योग के घरेलू बाजार में प्रतिदिन एक करोड़ रुपए से अधिक और विदेशी बाजारों में 40-50% तक की हानि हुई है।

ऐसे मामलों में राज्य प्राधिकरणों द्वारा छापे मारे जाते हैं। आम बोलचाल में, "पाइरेसी" एक वह तकनीकी शब्द है जो कि प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन या अतिलंधन करने वाले कार्यकलापों को दर्शाता/अभिव्यक्त करता है। उल्लेखनीय है कि किसी समय-विशेष में प्रतिलिप्याधिकार का मालिक मूल लेखक या सृजक नहीं हो सकता है। पाइरेसी की कार्य-प्रणाली निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:

(1) यहां तक कि गैर-वाणिज्यिक प्रयोग के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अंगीकरण हेतु प्रतियां तैयार करने सहित प्रतिलिप्याधिकार संरक्षित कार्य का गैर-कानूनी अनुलिपिकरण।

(2) प्रतिलिप्याधिकार मालिक को प्रतिपूर्ति किए बिना वीडियो का गैर-कानूनी प्रदर्शन।

(3) इंटरनेट से प्रतिलिप्याधिकार संरक्षित किसी कार्य/गेम की गैर-कानूनी अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग।

चूंकि 'पाइरेसी' से प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन होता है इसलिए ऐसे कार्यकलाप से प्रतिलिप्याधिकार मालिक को हमेशा हानि होगी।

(च) से (झ) मनोरंजन टैक्स की उच्च दरें, जिनके कारण सिनेमा टिकटों की कीमत बढ़ जाती हैं, फिल्मों की पाइरेसी का एक मुख्य कारण है। सिमकॉन ने मनोरंजन करों में कमी करने की सिफारिश की है जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा।

पाइरेसी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार है:

(1) पाइरेसी और इसके दुष्प्रभावों के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों/अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अंग्रेजी में एक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है और उसे मुद्रित कराकर सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(2) पाइरेसी पर जागरूकता पैदा करने के लिए लोक सेवा प्रसारण न्यास ने एक फिल्म बनाकर दूरदर्शन पर दिखाई है।

(3) सिमकॉन की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों ने पिछले कुछेक वर्षों के दौरान 70% की उच्चतम मनोरंजन कर दर को क्रमिक रूप में घटाकर 50% कर दिया है।

(4) केबल ऑपरेटर द्वारा किसी ऐसे कार्यक्रम या चैनल के प्रसारण या पुनः प्रसारण पर रोक लगाने के लिए केबल टेजीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में वर्ष 2000 में संशोधन कर दिया गया है जिसके लिए प्रतिलिप्याधिकार धारक ने उसको ऐसा करने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया है।

(5) इस मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपनी मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट में पाइरेसी रोधी उपायों को भी शामिल करने की सलाह दें।

(6) मनोरंजन क्षेत्र में पाइरेसी को रोकने के लिए यह मंत्रालय फिक्की के परामर्श से ऑप्टिकल डिस्क कानून का प्रारूप तैयार कर रहा है।

(7) इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय पाइरेसी को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल सिनेमा को हर संभव सहायता मुहैय्या करा रहा है।

(8) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए फिल्म उद्योग के सुझावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास हेतु योजनाएं

351. श्री टेक लाल महतो:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक महिलाओं और बच्चों के सम्पूर्ण विकास हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का योजना-वार/कार्यक्रम-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित और वास्तविक रूप से खर्च की गई निधियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यो विशेषकर उड़ीसा के उन गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन पर क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए स्कीम वर्ष 2004-05 में चलाई गई तथा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम जनवरी, 2006 में पुन: शुरू की गई है।

(ख) से (घ) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के लिए स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, राज्यों, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित/ निर्मुक्त राशि का ब्यौरा मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और लाभार्थियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) इन संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों तथा संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा दौरों के माध्यम से की जा रही है।

विवरण

कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि				लाभार्थियों की संख्या
		के.स.क. बोर्ड	भा.बा.क.प.	भा.आ.जा.से.सं.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	31927000	3237286	7353646	42517932	31150
2.	अरुणाचल प्रदेश	2498000	0	2093550	4591550	3875
3.	असम	4750000	6214512	6847286	17811798	11050
4.	बिहार	21772000	2255028	1099540	25126568	20400
5.	छत्तीसगढ़	25281000	5911776	5818898	37011674	18650
6.	दिल्ली	8721000	3826304	1660370	14207674	5675
7.	गोवा	1716000	0	0	1716000	725
8.	गुजरात	28108000	2479464	4877146	35464610	6000
9.	हरियाणा	4232000	12333744	714194	17279938	4600
10.	हिमाचल प्रदेश	18176000	5800648	1596038	25572686	6325
11.	जम्मू-कश्मीर	7088000	0	2810140	9898140	11000

1	2	3	4	5	6	7
12.	झारखंड	6861000	2725160	7874660	17460820	12800
13.	कर्नाटक	28867000	6058264	3247560	38172824	20100
14.	केरल	21945000	4626480	2822214	29393694	9300
15.	मध्य प्रदेश	50113000	5852369	7308208	63273577	30125
16.	महाराष्ट्र	42221000	2807940	9823878	54852818	17800
17.	मणिपुर	9118000	1356288	2143780	12618068	3875
18.	मेघालय	6742000	0	1574932	8316932	625
19.	मिजोरम	2525000	526820	0	3051820	2650
20.	नागालैण्ड	353000	732780	1055310	2141090	2075
21.	उड़ीसा	8898000	3136416	5957608	17992024	9475
22.	पंजाब	8116000	3306284	0	11422284	6550
23.	राजस्थान	17343000	1583176	9268670	28194846	14950
24.	सिक्किम	4387000	0	883042	5270042	1650
25.	तमिलनाडु	38835000	5485748	1795024	46115772	14725
26.	त्रिपुरा	7765000	2911076	1216130	11892206	4075
27.	उत्तर प्रदेश	26806000	2881120	8258162	37945282	19875
28.	उत्तरांचल	7678000	4408600	7621388	19707988	11850
29.	पश्चिम बंगाल	33087000	2479464	3762952	39329416	17200
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1665000	127152	0	1792152	275
31.	चंडीगढ़	1412000	909468	0	2321468	950
32.	दादरा व नगर हवेली	0	0	444250	444240	
33.	दमन व दीव	0	0	0	0	-
34.	लक्षद्वीप	470000	423840	0	893840	1250
35.	पांडिचेरी	9789000	83576	1680462	11553038	3250
36.	पूर्वोत्तर राज्यों, विस्थापित एच.आई.वी. ग्रस्त यौन कर्मियों आदि के लिए *ए.पी. शिशुगृह समिति	0	12678360	0	2678360	7500
	कुल	489265000	97159143	111609028	698033171	332375

[अनुवाद]

महिला संबंधी मुद्दों के बारे में गृह सचिवों का सम्मेलन

352. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के मुद्दों के बारे में पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) पुलिस के पास लंबित महिलाओं संबंधी मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पुलिस विभाग में वर्तमान में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का राज्य-वार अनुपात क्या है;

(ङ) पुलिस विभाग में और अधिक महिलाओं की भर्ती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) महिला पुलिस हेतु क्या कल्याण उपाय उपलब्ध कराए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां। श्रीमान। "महिलाओं के प्रति अपराध" पर दिनांक 25.8.2004 को राज्य गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कई सिफारिशें की गई थीं और अन्य बातों के साथ-साथ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता, मामलों की तुरंत जांच-पड़ताल करने, महिला पुलिस प्रकोष्ठ और विशेष महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने तथा लिंग भेद संबंधी मुद्दों और महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में पुलिस पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने पर जोर दिया गया है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था", राज्य के विषय हैं और इस प्रकार यह राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं के प्रति अपराध निवारण संबंधी विभिन्न कानूनों के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तथापि संघ सरकार ने समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय की सलाह जारी की हैं कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करे जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध निवारण और नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) चूंकि "पुलिस", राज्य का विषय है इसलिए पुलिस में और अधिक महिलाओं की भर्ती करना तथा उनके कल्याण की रक्षा करना, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। संघ सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय की सलाह जारी करती रही है कि वे पुलिस में महिलाओं की और भर्ती करने और कल्याण उपाय करने के प्रयास करें।

विवरण

पुरुषों की तुलना में पुलिस में महिलाओं के अनुपात की प्रतिशतता
(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.12.2005 की स्थिति के अनुसार पुलिस की वास्तविक संख्या (पुरुष + महिला)	31.12.2005 की स्थिति के अनुसार महिलाओं की वास्तविक संख्या	पुरुषों की तुलना में पुलिस में महिलाओं के अनुसार की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65564	1393	2.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	3189	138	4.33

1	2	3	4	5
3.	असम	28341	223	0.79
4.	बिहार	42213	890	2.11
5.	छत्तीसगढ़	13487	567	4.20
6.	गोवा	3002	223	7.43
7.	गुजरात	46752	1632	3.49
8.	हरियाणा	30419	829	2.73
9.	हिमाचल प्रदेश	8053	475	5.90
10.	जम्मू-कश्मीर	46553	888	1.91
11.	झारखंड	22151	245	1.11
12.	कर्नाटक	50634	3112	6.15
13.	केरल	35216	2018	5.73
14.	मध्य प्रदेश	54125	1955	3.61
15.	महाराष्ट्र	122536	7283	5.94
16.	मणिपुर	4768	234	4.91
17.	मेघालय	5634	125	2.22
18.	मिजोरम	3616	0	0
19.	नागालैण्ड	5500	19	0.35
20.	उड़ीसा	26484	323	1.22
21.	पंजाब	52142	1515	2.91
22.	राजस्थान	51880	1250	2.41
23.	सिक्किम	1922	178	9.26
24.	तमिलनाडु	70900	7980	11.26
25.	त्रिपुरा	9381	224	2.38
26.	उत्तर प्रदेश	120139	2128	1.77
27.	उत्तरांचल	9143	435	4.76
28.	पश्चिम बंगाल	60972	1318	2.16
	कुल (राज्य)	994716	37600	3.78

1	2	3	4	5
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2232	129	5.78
30.	चंडीगढ़	3644	261	7.16
31.	दादरा और नगर हवेली	223	8	3.59
32.	दमन और द्वीव	244	0	0
33.	दिल्ली	43723	2027	4.64
34.	लक्षद्वीप	273	16	5.86
35.	पांडिचेरी	1520	60	3.95
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	51859	2501	4.82
	कुल (अखिल भारत)	1046575	40101	3.83

[अनुवाद]

हिरासत में मौत

353. **श्री ए. साई प्रताप:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायिक अथवा पुलिस हिरासत में हुई मौतों की सूचना 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आज तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य-वार कुल कितनी संख्या में हिरासत में हुई मौतों की सूचना दी गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र, प्रत्येक मृत्यु, चाहे वह न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में हुई हो और चाहे मृतक की मृत्यु का कोई भी कारण हो, इसके घटित होने के 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना एन एच आर सी को देने के लिए बाध्य हैं। एन एच आर सी यह पता लगाने के लिए रिपोर्टें मंगाता है कि सरकार कर्मचारी की तरफ से ऐसी कोई भूल-चूक न हो गई हो जिससे मृतक के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो।

(ग) एन एच आर सी को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2007-08 (8.8.2007 तक) के दौरान हिरासत में हुई मौतों को दर्शाने वाला विवरण है।

(घ) एन एच आर सी ने 1.4.2005 से 8.8.2007 की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में हिरासती हिंसा के 31 सिद्ध मामलों में और न्यायिक हिरासत के 34 मामलों में अंतरिम राहत/अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की है। 1.4.2005 से 8.8.2007 की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों में 30,25,000 रुपए और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के मामलों में 35,00,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की राशि प्रदान की गई है।

(ङ) एन एच आर सी के अध्यक्ष और सदस्य ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान राज्यों के अधिकारियों को इस बात की आवश्यकता पर जोर देने के लिए कहा है कि वे हिरासती मौतों को रोकें। इसके अतिरिक्त हिरासती मौतों का निपटान करते समय, आयोग, समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों को उचित सलाह भी देता है कि वे भविष्य में ऐसी हिरासती मौतों को घटित होने से रोकें।

विवरण

वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 (8.8.2007 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एनएचआरसी को सूचित की गई हिरासती मौतें

राज्य	2004-2005			2005-2006			2006-2007			2007-2008 (8.8.2007 तक)		
	पी सी*	जे सी*	जोड़	पी सी*	जे सी*	जोड़	पी सी*	जे सी*	जोड़	पी सी*	जे सी*	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	13	116	129	11	134	145	5	118	123	1	51	52
अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0
असम	4	11	15	7	27	34	8	17	25	6	5	11
बिहार	3	150	153	1	246	247	2	193	195	3	76	79
गोवा	0	4	4	1	4	5	0	1	1	0	0	0
गुजरात	15	54	69	20	52	72	7	54	61	6	12	18
हरियाणा	12	49	51	4	58	62	2	51	53	4	26	30
हिमाचल प्रदेश	0	5	5	0	5	5	0	3	3	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
कर्नाटक	9	51	60	5	67	72	8	56	64	2	20	22
केरल	6	51	57	5	44	49	3	37	40	2	22	24
मध्य प्रदेश	2	49	51	4	44	48	10	59	69	4	39	43
महाराष्ट्र	23	138	161	20	115	135	21	130	151	12	51	63
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	2	6	8	0	4	4	1	1	2	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	3	39	42	2	42	44	2	53	55	4	7	11
पंजाब	6	65	71	6	100	106	1	87	88	1	29	30
राजस्थान	0	50	50	7	50	57	3	54	57	0	19	19
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	9	98	107	7	101	108	16	103	119	2	24	26
त्रिपुरा	1	4	5	1	4	5	1	5	6	0	2	2
उत्तर प्रदेश	7	219	226	18	259	277	12	241	253	14	113	127
पश्चिम बंगाल	11	64	75	8	76	84	7	69	76	4	28	32
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	1	3	4	0	3	3	0	2	2	1	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	5	27	32	3	29	32	3	25	28	1	16	17
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2
छत्तीसगढ़	5	26	31	2	52	54	3	50	53	1	18	19
झारखंड	5	66	71	4	62	66	2	59	61	0	25	25
उत्तरांचल	3	9	12	1	10	11	1	7	8	1	7	8
कुल मामले	136	1357	1493	139	1591	1730	119	1477	1596	72	594	666

*पी सी: पुलिस हिरासत

*जे सी: न्यायिक हिरासत

आतंकवाद में संलिप्त युवा वर्ग

354. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद और उग्रवाद ने युवाओं के बीच अपनी जड़ें जमा ली हैं तथा उनमें एक पंथ के रूप में विकसित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी व उग्रवादी गुटों की प्रकृति व संख्या क्या है;

(ग) क्या इनकी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु सीमावर्ती व अन्य देशों विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, देश के कुछ भागों में मुख्यत: बाहरी तत्वों द्वारा प्रभावित और दिग्भ्रमित असंतुष्ट स्थानीय युवाओं के आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त होने के मामले जानकारी में आए हैं।

(ख) इस समय 2004 में यथा संशोधित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 32 आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

(ग) और (घ) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के 23 देशों के साथ संयुक्त कार्य ग्रुप हैं। साथ ही, भारत ने आपराधिक मामलों में 23 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर और 30 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उन सभी उपायों का समर्थन दिया है जिनका उद्देश्य विश्वव्यापी आतंकवाद को नियंत्रित करना है।

जहां तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे सीमावर्ती देशों का संबंध है, उनके साथ कोई विशिष्ट संधि नहीं है लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं और इनसे जुड़े मुद्दों पर गृह सचिव स्तर की वार्षिक वार्ताओं के तंत्र के माध्यम से चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त जहां भारत ने हाल में पाकिस्तान के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी तंत्र की स्थापना की है वहीं बांग्लादेश के साथ सीमा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर संयुक्त सचिव स्तरीय एक तंत्र विद्यमान है। सीमा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर गृह सचिव और संयुक्त सचिव स्तरों के इसी प्रकार के तंत्र नेपाल और म्यांमार के साथ भी विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

धार्मिक स्थलों पर अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

355. श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र स्थित साईं मंदिर सहित देश के उन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के नाम क्या है जहां आज की तिथि के अनुसार सुरक्षा प्रयोजन हेतु केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात किया गया हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल (सी पी एम एफ) देश के कुछ धार्मिक स्थानों पर तैनात किए गए हैं।

(ख) उन धार्मिक स्थानों की सूची, जहां सी पी एम एफ तैनात है, संबंधी विवरण संलग्न है तथापि महाराष्ट्र स्थित साईं मंदिर में सी पी एम एफ की कोई तैनाती नहीं है।

विवरण

उन धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों के ब्यौरे जहां सीपीएमएफ तैनात है

क्र.सं.	धार्मिक/ऐतिहासिक स्थान
1	2
1.	राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद काम्पलेक्स, अयोध्या
2.	काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी मस्जिद काम्पलेक्स, वाराणसी
3.	कृष्ण जन्म भूमि/साहीदगा मस्जिद काम्पलैक्स, मथुरा
4.	रघुनाथ मंदिर, जम्मू
5.	नाग मंदिर, पटनीटोप, ऊधमपुर
6.	सुधमहादेव, ऊधमपुर
7.	बागे-बहू मंदिर, जम्मू
8.	महामाया मंदिर, जम्मू
9.	बसुकल नाग मंदिर, भदेरवाह, डोडा
10.	दुर्गा मंदिर, भदेरवाह डोडा
11.	चंडी मंदिर, भदेरवाह, डोडा
12.	शहादरा शरीफ, रजौरी
13.	पवित्र श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, ऊधमपुर
14.	शिव मंदिर, कीश्तवार, डोडा
15.	सरथल मंदिर, कीश्तवार, डोडा
16.	लक्ष्मी नारायण मंदिर, कीश्तवार डोडा
17.	बरबार साह मंदिर, श्रीनगर
18.	हरी प्रभात, श्रीनगर
19.	शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर
20.	गुप्त गंगा मंदिर, नीशात, श्रीनगर
21.	इशबार मंदिर, श्री नगर
22.	अखाड़ा इमारत, श्रीनगर
23.	रणबीर भवन, श्रीनगर
24.	दुर्गाग मंदिर, श्रीनगर
25.	गुरूद्वारा, छत्तीससिंहपुरा
26.	जवनपुरा गुरूद्वारा, छत्तीससिंहपुरा
27.	शोकीपुरा गुरूद्वारा, छत्तीससिंहपुरा
28.	रघुनाथ मंदिर, अनंतनाग
29.	गौतमनाथ मंदिर, अनंतनाग
30.	शैलपुत्री मंदिर, बारामुल्ला

1	2
31.	रघुनाथ मंदिर, बारामुल्ला
32.	माता, खीर भवानी मंदिर, तुल्लामुतला, बारामुल्ला
33.	देवी मंदिर, मात्तन
34.	बाबा ऋषि मंदिर, तंगमार्ग, बारामुल्ला
35.	राधा स्वामी सतसंग ब्यास, अमृतसर, पंजाब
	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
36.	रूमटेक मोनोस्ट्री सिक्किम

[अनुवाद]

बाल्को

356. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) की रणनीतिक बिक्री के पश्चात् कंपनी की सकल नियत आस्तियों में पर्याप्तत: सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कंपनी की सकल नियत आस्तियों में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को) ने सूचित किया है कि कंपनी की सकल परिसम्पत्ति 31.3.2001 को (स्ट्रेटेजिक विक्रय का वर्ष) 962.99 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.3.2007 को 4845.04 करोड़ रुपए हो गई हैं, अर्थात इसमें 403% की वृद्धि हुई है। कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक बालको की सकल परिसम्पत्तियां नीचे दी गई है:

वर्ष के अंत तक	सकल परिसम्पत्तियां (करोड़ रु. में)
31.3.2001	962.99
31.3.2002	990.23
31.3.2003	1172.56
31.3.2004	1314.20
31.3.2005	1796.45
31.3.2006	4199.66
31.3.2007	4845.04

इंजीनियरिंग कॉलेजों हेतु एक समान नीति

357. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के सभी इंजीनियरिंग कालेजों हेतु कोई एक समान नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास नए तकनीकी संस्थाओं की स्थापना और तकनीकी संस्थाओं के विस्तार/उनकी दाखिला क्षमता में वृद्धि एवं अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक सुपरिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया है जिसका एक समान रूप से अनुसरण किया जाता है।

व्यावसायिक पार्क की स्थापना

358. श्री पी.सी. थामस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एक व्यावसायिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अश्लील सामग्री पर नियंत्रण हेतु विनियामक प्राधिकरण

359. श्री मोहन सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लील, अभद्र और निन्दात्मक सामग्री को विनियमित व नियंत्रित करने हेतु एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण में कौन-कौन शामिल हैं;

(ग) क्या उक्त प्राधिकरण के अश्लील और अभद्र सामग्रियों पर रोक लगाने में सक्षम होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाने से पहले समाज के सभी वर्गों के विचार प्राप्त किए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे शब्दों का एक शब्दकोश तैयार करने का है जो अश्लील, अभद्र और असामाजिक शब्दों को परिभाषित करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (च) जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, इस समय एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रिंट मीडिया में उच्च स्तर के दायित्व को बरकरार रखने के उद्देश्य से हमारे पास भारतीय प्रेस परिषद पहले से ही है जो कि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों सहित प्रसारण के विभिन्न मुद्दों को विनियमित करने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के मसौदे पर दिनांक 20.7.2007 को स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा की गई और उसे स्टेक होल्डरों के विचार प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) में डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

बाढ़ राहत

360. श्री एल. राजगोपाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बाढ़ रोधी बांधों को स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सूचना जल संसाधन मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

सीमेंट का उत्पादन और आयात

361. श्री पी. मोहन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में घरेलू खपत हेतु सीमेंट की वार्षिक आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) हमारे देश में सभी सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है;

(ग) बिल्डरों/स्टॉकिस्टों को सीमेंट की कम आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने निजी फर्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा खुले बाजार में सीमेंट की कीमत में हो रही सतत् वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमश: 127.57 मिलियन टन, 141.81 मिलियन टन, और 155.66 मिलियन टन था। सीमेंट की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि सीमेंट के मूल्यों मं उछाल, मांग और आपूर्ति में भारी अंतर का सूचक है।

(घ) और (ङ) सीमेंट के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते यह अनिवार्य बीआईएस गुणवत्ता मानकों को पूरा करे और उक्त चिह्न लिए हुए हो।

(च) सीमेंट पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सीमेंट पर प्रतितुलन शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क भी हटा लिए गए हैं, जिससे आयातों में सुविधा मिलेगी ताकि सीमेंट के बाजार भाव स्थिर हो सकें।

लौह खनन को पट्टे पर देना

362. श्री वसुदेव आचार्य: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रचुर लौह अयस्क वाले राज्यों द्वारा खनन पट्टा उन कंपनियों को दिए जाने के मामले में कोई आपत्ति की गई है जिनका कार्य अन्य राज्यों में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मुद्दे से निपटने हेतु एक नीति लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) खनिज सम्पन्न राज्यों ने अपने राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के हित में, खनिज रियायत प्रदान करने में ऐसे आवेदकों को वरीयता देने की मांग की है जो खनिजों पर आधारित मूल्यवर्धन उद्योग को उनके राज्य में ही स्थापित करने हेतु तैयार हैं। यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एसोचेम का वक्तव्य

363. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि घरेलू कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देशी खुदरा क्षेत्र के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) व्यापार सम्बन्धी नीति सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। फरवरी, 2006 में सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार पर सरकार के पूर्व-अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है:

1. बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्राण्ड' वाले होने चाहिए।
2. उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी ब्राण्ड के तहत बेचा जाना चाहिए।
3. 'एकल ब्राण्ड' वाले उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल वही उत्पाद समाहित होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्राण्ड प्रदान किया गया हो।

(ग) सरकार समाज के सभी वर्गों के वैध हितों की सुरक्षा करने के लिए जहां जरूरी हो वहां उपयुक्त उपाय शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

वृत्तचित्रों/फिल्मों का निर्माण

364. श्री मित्रसेन यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र/फिल्मों का निर्माण करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कुल कितने वृत्त-चित्र/फिल्म बनाए गए;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि आवंटित/खर्च की गयी;

(घ) क्या राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी विषय पर कोई वृत्तचित्र/फिल्म तैयार की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसका निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा निर्मित वृत्त-चित्रों/फिल्मों और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (छ) वैज्ञानिक, तकनीकी, चैकित्सिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्वरूप आदि जैसे विस्तृत विषयों पर वृत्त-चित्र/फिल्में बनायी जाती हैं। किसी विशिष्ट राज्य से संबंधित विषयों के संबंध में कोई पृथक और व्यापक सूची नहीं बनायी जाती है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भारतयन नामक एक वृत्त-चित्र का निर्माण किया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसे जनवरी, 2007 से महीने के प्रत्येक गुरूवार को प्रसारित किया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसका प्रसारण जारी रहेगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित वृत्त-चित्र/फिल्में और किया गया व्यय

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	निर्मित वृत्त चित्रों/फिल्मों की संख्या			किया गया व्यय रुपयों में		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	2	4	3	13,300	2,70,342	2,24,109
2.	चेन्नई (तमिलनाडु)	35	15	9	70,000	30,000	18,000
3.	जयपुर (राजस्थान)	3	4	8	4,700	28,700	78,700
4.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	19	27	12	55,000	78,000	36,000
5.	मुंबई (महाराष्ट्र)	8	12	5	40,000	60,000	25,000
6.	नागपुर (महाराष्ट्र)	1	1	1	5,000	3,000	—
7.	अहमदाबाद (गुजरात)	3	1	20	16,000	4,800	43,450
8.	श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	—	5	40	—	1,50,000	13,00,000
9.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	12	17	11	40,000	65,000	37,000
10.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	—	12	11	—	1,50,000	2,75,000
11.	केन्द्रीय कमिशनिंग एकक	53	158	269	2,25,00,000	2,47,75,000	8,03,75,000
12.	पटना (बिहार)	—	1	1	—	2,500	8,250
13.	गुवाहाटी (असम)	281	—	—	4,21,50,000	—	—
14.	पी पी सी गुवाहाटी	567	15	10	8,35,98,000	2,70,000	1,80,000
15.	इंफाल (मणिपुर)	—	50	49	—	50,00,000	80,00,000
16.	आइजॉल (मिजोरम)	-	33	53	—	49,50,000	79,50,000
17.	जालंधर (पंजाब)	4	7	7	14,000	28,000	10,000
18.	नागपुर (महाराष्ट्र)	1	1	1	5,000	3,000	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	बंगलौर (कर्नाटक)	—	—	—	—	—	—
20.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	—	3	10	—	15,000	4,500
21.	अगरतला (त्रिपुरा)	—	53	14	—	79,50,000	21,00,000
22.	रांची (झारखंड)	—	2	7	—	18,000	80,100
23.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	9	11	11	62.900	56,100	1,19,100
24.	दिल्ली	16	14	6	—	—	—
	कुल	1014	446	558	14,85,73,900	4,39,07,442	10,08,64,209

[अनुवाद]

निजी खुफिया एजेंसियों की भागीदारी

365. श्री मनोरंजन भक्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में निजी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से आसूचना को कारगर ढंग से एकत्रित करने के लिए एक नई योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इससे किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क खानों का आबंटन

366. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने यह सिफारिश की है कि 1 जुलाई, 2006 तक स्थापित किए गए इस्पात संयंत्रों को रक्षित लौह अयस्क खानों का आबंटन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा के लिए श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) ने अपनी सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी की है कि राज्यों द्वारा मूल्य वर्धकों को राज्य में कैप्टिव खाने पाने में प्राथमिकता देने के अलावा ऐसी इस्पात निर्माण क्षमताओं को, जो 1 जुलाई, 2006 को पहले ही विद्यमान है और जिनके पास कैप्टिव खाने नहीं है, उन्हें सामान अवसर प्रदान करने के लिए एकल समय उपाय के तौर पर लौह-अयस्क भंडारों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाए। एच.एल.सी. की सिफारिशें योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा कर रही है।

[हिन्दी]

सी.बी.एस.ई. मान्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

367. डॉ. मनुव्वर हसन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से मान्यता/सम्बद्धता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तियों के राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) राज्य-वार किन मामलों में सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) सभी आवेदनों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिडिल कक्षा पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करने, माध्यमिक स्तर तक अस्थायी संबंधन प्रदान करने और वर्ष 2008-09 हेतु वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नयन के प्रयोजनार्थ 1551 आवेदन पात्र ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दर्शानेवाला एक राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश से 236 विद्यालय और महाराष्ट्र से 85 विद्यालय जिन्होंने अपने पते सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजे हैं, की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) बोर्ड द्वारा अभी तक संबंधन प्रदान किए गए 37 विद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) ऐसे सभी आवेदनों पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 31.12.2007 है।

विवरण I

शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या

राज्य का नाम	कुल आवेदन
1	2
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6
आंध्र प्रदेश	38
अरुणाचल प्रदेश	7
असम	18
बिहार	59
चंडीगढ़	6
छत्तीसगढ़	28
दादरा और नगर हवेली	1
दिल्ली	32
विदेश स्थित स्कूल	19
गोवा	2
गुजरात	44
हरियाणा	144
हिमाचल प्रदेश	35
जम्मू-कश्मीर	15
झारखण्ड	26
कर्नाटक	147
केरल	97
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	85
मणिपुर	8
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	28
पंजाब	129
राजस्थान	102
सिक्किम	2
तमिलनाडु	38
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	236
उत्तरांचल	49
पश्चिम बंगाल	18
कुल	1551

विवरण II

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के उन विद्यालयों की पते सहित सूची जिनके आवेदन पत्र सत्र 2008-09 के लिए आन लाईन पंजीकृत किए गए थे

क्र.सं.	स्तर	स्कूल का नाम	पता
1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश	
	मिडिल		
1.		सिटिजन गर्ल्स कॉलेज	बालम नगर, नैनी, 211001, इलाहाबाद, करछना।
2.		सरस्वती बालिका विद्यालय	सूर्यकुंड, गोरखनाथ, गोरखपुर, 273015, गोरखपुर, सदर
3.		नवयुग रैडियन्स स्कूल	सैन्टर-जी, जानकीपुरम, 226061, लखनऊ, लखनऊ
4.		दुर्गा ऐकेडेमी	ए-53, बुद्ध विहार, तारामंडल रोड, गोरखपुर, 292791, गोरखपुर सदर
5.		हैबल पब्लिक स्कूल	विलेज एंड पोस्ट बनथारा, 226001, लखनऊ, लखनऊ सदर
6.		इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल	ई-78ए, सैक्टर-20, 201301, नोएडा, दादरी।
7.		डी एल डब्ल्यू इण्टर कॉलेज, वाराणसी	डी एल डब्ल्यू, वाराणसी, 221004, वाराणसी, कैण्ट वाराणसी
8.		जिंग बैल्स पब्लिक स्कूल	चोटी विहार, नियर महानगर, पीलीभीत बाईपास मेन रोड, 243001, बरेली, बरेली
	माध्यमिक		
9.		नेशनल पब्लिक स्कूल	संजीव कुमार शर्मा मार्फत नेशनल पब्लिक स्कूल, डी एम रेजिडेंस वी एस आर के सामने, 203300, बुलंदशहर, बुलंदशहर
10.		दा रैनाईसेंस एकेडेमी	कोतवाली के पास, 242307, तिलहर, तिलहर, एच एस-19, पॉकिट-2, बिल्डिर्स एरिया, अेमेगा-1, ग्रेटर नोएडा-1
11.		दिल्ली स्कोटिश स्कूल	गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.), 201308, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा।

1	2	3	4
12.		रैड रौज पब्लिक स्कूल	जी.टी. रोड, रोहना, 251002, रोहाना, मुजफ्फरनगर
13.		बिजनौर पब्लिक स्कूल	नजीबाबाद रोड, बिजनौर, 246701, बिजनौर, बिजनौर
14.		भारतीय बाल विद्या मंदिर स्कूल	खसरा नं.-864, अंसल टाऊन से पहले, बगडाय रोड, बरौली अहीर, शमशाबाद रोड, 282001, आगरा, सदर
15.		ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल	शंकर विहार, कोरसी, रामघाट रोड, 202001, अलीगढ़ कोईल
16.		गुरू गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल	गुरू गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, ग्राम-रोहत, जिला मेरठ, 250502, मेरठ, मेरठ।
17.		डॉन बोस्को स्कूल	एम एम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, महादेवपुरम, 273010, गोरखपुर, गोरखपुर
18.		ए पी जे इंटरनेशनल स्कूल	1 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सूरजपुर-कांसारोड, ग्रेटर नोएडा, 201306, ग्रेटर नौएडा, ग्रेटर नोएडा
19.		स्टडी वेल पब्लिक स्कूल	लखमीर रोड, सीतापुर, 261001, सीतापुर, सीतापुर
20.		सी वी कान्वेंट पब्लिक स्कूल	पावर हाउस के पीछे, 227305, लखनऊ, मोहनलालगंज।
21.		डी एस एम लोएंस पब्लिक स्कूल	रोजागांव, जिला-बाराबंकी, 225402, 225402, रोजागांव, रूडौली
22.		सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल	यू पी एस आई डी सी रोड, घोघई, सिकंदरा-282007, 282007, आगरा, आगरा
23.		सेंट थोमस स्कूल	वार्ड नं.-5, गौतमनगर, चंदौली, 234104, चंदौली, चंदौली
24.		देवऋषि विद्यापीठ	गांव शाहदब्बेर, पो.-शाहपुर, 251318, मुजफ्फरनगर, बुढाना
25.		ग्रीनफील्ड एकेडमी, लखीमपुर	ग्रीन फील्ड एकेडेमी, लखीमपुर-खेड़ी, पिन-262701, 262701, लखीमपुर, लखीमपुर

1	2	3	4
26.		डी एस पब्लिक स्कूल	1367, चरनसिंह कालोनी, साऊथ सिविल लाईन सरकुलर रोड, 251001, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर,
27.		पुलिस मॉडर्न स्कूल, 15 बी एन पैक, आगरा	15 बी एन पैक, ताशगंज, आगरा, 282001, आगरा, आगरा
28.		दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशी	गांव सिंहमलपुर, पो.-काजी, सराई, 221105, वाराणसी, पिंडरा
29.		ग्रीनफिल्ड पब्लिक स्कूल	जेल रोड, आशियाना क्रॉसिंग, बंगला बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226018, लखनऊ, लखनऊ
30.		सेंट जोंस स्कूल	अतरौली, जिला-अलीगढ़, अतरौली, अतरौली
31.		तेज पब्लिक स्कूल	किरवा रोड, जलालपुर, 250341, मेरठ, मेरठ।
32.		एम जे एक्टीविटी हाई स्कूल	लालगंज, उतरौला, बलरामपुर, 271604, बलरामपुर, बलरामपुर।
33.		किंगजोर्ज इंटर कॉलेज	राजमहल, पटेलनगर, उतरौला, 271604, बलरामपुर, उतरौला।
34.		ललित एकेडेमी	सैक्टर-एल, ए-1/68 आशियाना, 206010, लखनऊ, लखनऊ।
35.		अंतुल पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद	वाजिद नगर प्राइस रोड, मुरादाबाद, उ.प्र., 244001, मुरादाबाद
36.		आर के माडर्न स्कूल	सी-5 ए, सैक्टर-55, नोएडा, 201301, नोएडा, दादरी
37.		पद्मश्री एन एन मोहन स्कूल	मोहन नगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति, सैक्टर-5, वसुंधरा, गाजियाबाद, 201010, गाजियाबाद, गाजियाबाद
38.		नोसगे स्कूल	नोसगे स्कूल, रेलवे हरथला कालोनी, मुरादाबाद, 24401, मुरादाबाद, मुरादाबाद।
39.		शिवालिक पब्लिक सकूल	मगताल-भीचपुरी रोड, 282005, आगरा, आगरा।
40.		के के पब्लिक स्कूल	फलावड़ा रोड, 251201, खतोली, जनसथ।
41.		राधा बल्लभ पब्लिक स्कूल	अमर विहार, दयालबाग, 282005, आगरा, सदर आगरा।

1	2	3	4
42.		साऊथ सिटी पब्लिक स्कूल	1208, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर, 208021, कानपुर, कानपुर नगर
43.		कोणार्क विद्यापीठ	बारागांव रोड, खेकड़ा (बागपत), 201101, खेकड़ा, खेकड़ा।
44.		महिला ब्राईट इंग्लिश मीडियम स्कूल	महिला ब्राईट इंग्लिश मीडियम स्कूल, गंगा प्रसाद रोड, अमीनाबाद, लखनऊ, 226001, लखनऊ, लखनऊ
45.		रेयान इंटरनेशनल स्कूल	ए-1, उद्योग कुंज, दिल्ली हापुड़ बाईपास, दसना, 201302, गाजियाबाद, गाजियाबाद
46.		पार्वती राधाकिशन फोरमा स्कूल	गांव खामनी, गोवर्धन रोड, मथुरा, 281501, खमनी, मथुरा।
47.		मणिपाल पब्लिक स्कूल	रायबरेली रोड लखनऊ, 226025 लखनऊ, लखनऊ
48.		सियादबाद जैन एकेडेमी	बागपत त्रिलोक तीर्थ पारोसर, अतिसाह एरिया, बारागांव, बागपत (उ. प्र.), 201101, बारागांव, बागपत।
49.		साऊथ सिटी पब्लिक स्कूल	1208, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर, 208021, कानपुर, कानपुर नगर।
50.		ग्रैमर एकेडेमी	कौशलपुरी कालोनी, 224001, फैजाबाद, सदर।
51.		ड्रॉन पब्लिक स्कूल, बरनावा रोड, सरधना, मेरठ (उ.प्र.)	बरनावा रोड, सरधना, मेरठ, 250342, मेरठ, सरधना।
52.		इलाहाबाद पब्लिक स्कूल	1, नूरूल्ला रोड, खुलदाबाद, 211002, इलाहाबाद, इलाहाबाद
53.		नेशनल पब्लिक स्कूल	काशीपुर रोड, भोजपुर, 244001, मुरादाबाद, मुरादाबाद
54.		आर.एस.एस. इंटरनेशनल स्कूल	सदरपुर-छालेरा, सेक्टर-45, 201303, नोएडा, दादरी
55.		आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल	3.5 किमी., जनता रोड, 247001, सहारनपुर, सहारनपुर
56.		जीबीए पब्लिक स्कूल, बागपत	सुभाष गेट बागपत, 250609, बागपत, बागपत
57.		बीएसएस शिक्षा केन्द्र	ए-11, इंदिरा नगर, 229001, रायबरेली, रायबरेली

1	2	3	4
58.		श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स	गायत्री नगर, उत्तरोला रोड, मनकापुर, गौंडा, 271302, मनकापुर, मनकापुर
59.		माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल	शिव गार्डन, डेंटल कॉलेज के पास, पीलीभीत बाई पास रोड, 243006, रायबरेली, रायबरेली
60.		एस.एन. पब्लिक हाई स्कूल	मुसाफर गंज, मिर्जापुर, 231001, मिर्जापुर, सदर
61.		शांति निकेतन पब्लिक स्कूल	एन.एच.-3, आगरा-ग्वालियर रोड, ग्राम-थेरा, 282001, आगरा, खेरागढ़
62.		मून लाईट पब्लिक स्कूल सिसोली	ग्राम डाकघर सिसोली, तहसील-बुधाना, जिला-मुज्फ्फर नगर (उ.प्र.), 251319, सिसोली-बुधाना
63.		राधे श्याम मुरारका सरस्वती विद्या मंदिर	माधव कुंज शताब्दी नगर, मेरठ, 250103, मेरठ, मेरठ
64.		चिल्ड्रेन एकेडमी	पंचकरोशी रोड, सलारपुर, वाराणसी, वाराणसी
65.		ब्राईट्वे पब्लिक स्कूल	डी-6 एंड 7, सेक्टर-4, इंडस्ट्रियल एरिया, 227817, जगदीशपुर, मुसाफिरखाना
66.		पी.आर. वासन पब्लिक स्कूल	13/34, गोविन्द नगर, 208006, कानपुर, कानपुर
67.		राणा पब्लिक स्कूल	रेलवे कौसिंग, बाई पास रोड, मुज्फ्फरनगर, 251003, मुज्फ्फरनगर, मुज्फ्फरनगर
68.		कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल	कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल, 9 किमी. स्टोन, दिल्ली रोड, सहारनपुर, 247001, सहारनपुर, सहारनपुर
69.		सेंट फ्रांसिस कॉनवेंट स्कूल	वजीरपुरा रोड, आगरा, 282003, आगरा, आगरा
70.		के.वी. नं. 4, वाराणसी	के.वी. नं. 4, वाराणसी, डीएलडब्ल्यू, कैम्पस, बैंक आफ बडौदा के पास, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी, 2211004, वाराणसी, वाराणसी
71.		दून पब्लिक स्कूल	दून पब्लिक स्कूल, हिलावरपुर, पोस्ट-मोहम्मदी, 262704, मोहम्मदी, मोहम्मदी
72.		बी.आर. इंटरनेशनल स्कूल	कलाई के पास, जिला-मेरठ, 250002, कलाई, मेरठ

1	2	3	4
73.		डा. वीरेन्द्र स्वरूप शिक्षा केन्द्र	घटिया घाट रोड, चन्द्रपुर, 209625, फरूखाबाद
74.		यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति	ग्राम एवं पोस्ट आफिस-बबुरी, जिला-चदोली (उ.प्र.), 232102, बबुरी, चंदौली
75.		आक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल	ग्राम सिरसा, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर 201308, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर
76.		स्प्रिंगर बलस्थली	स्प्रिंगर बलस्थली, एफ-19, इंडस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर, 273001, गोरखपुर, गोरखपुर
77.		वी.एस.एस. एजुकेशन एकेडमी	वाटर कॉर्पोरेशन आफिस के पास, फैजाबाद रोड, 224122, अकबरपुर, अकबरपुर
78.		गोरखपुर सिटी सैकेंडरी स्कूल	महाराजगंज, पोस्ट आफिस परमेश्वरपुर, 270024, गोरखपुर, सदर
79.		अवध पब्लिक स्कूल	रजनी खंड-1, शारदा नगर, रायबरेली रोड, 226002, लखनऊ, लखनऊ
80.		बीएसएम स्कूल	बी एस पार्क, करनाल रोड, 247767, शामली, शामली
81.		रानी प्रीतम कुंवर स्कूल	नील बाग, सहसपुर बिलारी, 202411, मुरादाबाद, बिलारी
82.		एप्पल ग्रूव स्कूल	दिल्ली रोड, 247001, सहारनपुर, जिला सहारनपुर
83.		सेंट मेरी स्कूल	नई कोतवाली के सामने, मेनपुरी, 205001, मेनपुरी, मेनपुरी
84.		बी एस डी पब्लिक सकूल	207123, 207123, एटा, एटा
85.		श्याम बिहारी पब्लिक स्कूल	श्याम बिहारी कालोनी, आगरा रोड, एटा, 207001, एटा, एटा
86.		मारवाह मार्डन स्कूल	खुतर रोड, 242401, पोवयान, पोवयान
87.		लायल्स फातिमा अकादमी	वी कलाखेरा, हसनपुर, 244241, हसनपुर, हसनपुर
88.		ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल	खुशहाल नगर, सैक्टर-ए, बड़ा लालपुर पोस्ट-लमही, जिला वाराणसी, तहसील-वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी
89.		तपोस्थली स्कूल	सी-ब्लॉक, सैक्टर-12, प्रताप विहार, 201013, गाजियाबाद, गाजियाबाद

1	2	3	4
90.		पी डी माडर्न पब्लिक स्कूल, भरतपुर रोड, नरहोली	पी डी मार्डन पब्लिक स्कूल डोम्पियर, नगर, मथुरा 281001, 281001, मथुरा, मथुरा
91.		गोपाल पब्लिक स्कूल	ओम नगर, सुल्तानपुर, 228001, सुल्तानपुर, सदर
92.		केतन कानवेंट स्कूल	आईटीआई गेट के सामने, आईटीआई रोड, 202001, अलीगढ़, कोइल
93.		दिल्ली पब्लिक स्कूल	दिल्ली रोड, प्रीत विहार (सेंचरी फैक्टरी) के सामने), 245101, हापुड़, हापुड़
94.		आर पी एस सकूल	खुर्जा जेवर रोड, ग्राम सिरयाल, 203141, ग्राम सिरयाल, खुर्जा
95.		एन एस चिल्ड्रेन अकादमी	न्यू कालोनी, मादोपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर, 273015, गोरखपुर, सहादर
96.		एन एस चिल्ड्रेन अकादमी	न्यू कालोनी, माधोपुर, पीओ गोरखनाथ, गोरखपुर, 273015, गोरखपुर सहादर
97.		सरस्वती बालिका विद्यालय	सूर्याकुण्ड, 273015, गोरखपुर सहादर
98.		पुलिस माडर्न स्कूल 39 बी एन, पी ए सी मिर्जापुर	पुलिस मार्डन स्कूल, 39 बी एन, पीएसी, मिर्जापुर, 231001 मिर्जापुर, सदर
99.		एम जी कान्वेंट स्कूल	सेक्टर जी, एल डी ए कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, 226005, लखनऊ, लखनऊ
100.		महन्त हरिसिंह निर्मिल पब्लिक स्कूल	सेठ गत रोड, लखीमपुर खेड़ी, 262701, 262701, लखीमपुर खेड़ी, लखीमपुर खेड़ी
101.		बी आर बी माडल स्कूल	खेड़ा बुजुर्ग, हरप्रसाद मंदिर के पास, बरेली रोड, बदायूं, बदायूं
102.		मार्डन पब्लिक स्कूल झांसी	कानपुर रोड, 284001, झांसी, झांसी
103.		ग्रीन न्यू पब्लिक सकूल	जालापुर, संत रविदास नगर, भदोही-221401, 221401, भदोही, भदोही
104.		सिटी कान्वेंट स्कूल	खुर्जा रोड, सिकन्दराबाद, बुलंदशहर, 203205 सिकन्दराबाद, सिकन्दराबाद
105.		इन्द्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल	ग्राम कथा, बागपत, उ.प्र., 250609, बागपत, खेकड़ा
106.		आक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल	इंडस्ट्रियल एरिया, यूपी एस आई डी सी, एम जी रोड, गाजियाबाद 207001, गाजियाबाद, हापुड़

1	2	3	4
107.		सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल	संभल रोड, बहजोई, मुरादाबाद, 202410, बहजोई, चंदौसी
108.		सेंट जेवियर हाई स्कूल	डाक बंगले के पास, कानपुर रोड, 212601, फतेहपुर, फतेहपुर
109.		मां भगवती पब्लिक स्कूल	वायु विहार कालोनी, पथोली आगरा, 282010, आगरा आगरा
110.		रवि चिल्ड्रेन अकादमी	दुखहरण नाथ मंदिर के पास, गोंडा, गोंडा
111.		जी.आर. पब्लिक स्कूल	गोविंद टाकीज के पास, सिम्भोली 245207, सिम्भोली, गढ़ मुक्तेश्वर
112.		स्प्रिगडेल स्कूल	गांव तथा पोस्ट आफिस धूम माणिकराव, दादरी 201001, धूम माणिकपुर, दादरी
113.		के.एच.एम. स्कूल	चेदोसी रोड 202410 भजोई, चंदौसी
114.		डिसेंट एजूकेशनल अकादमी	खुशहाल गढ़ रोड, अनूपशहर
115.		अमोलचंद पब्लिक स्कूल	बुलन्दशहर, 203302, अनुपशहर, अनूपशहर
116.		एस.के. अकादमी	बिजोली, हापुर रोड, मेरठ, 205001, बिजोली, मेरठ
117.		रायल माउंट अकादमी	विभाव खान 2, गोमती नगर, लखनऊ 226016, लखनऊ, लखनऊ
118.		सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल	ग्रुवा गार्डन, कल्याणपुर, कानपुर 208017, कानपुर, कानुपर
119.		ब्रिलेंयट पब्लिक स्कूल	शंकर विहार कालोनी, रामघाट रोह, कुआरसी, 202001, अलीगढ़ कोयेल
120.		सेंट जेवियर हाई स्कूल	महुवरिया रोड, लक्ष्मणपुर, 228001, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर
121.		हिल्टन कान्वेंट स्कूल	आवास विकास कालोनी 244221 ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा
122.		वुडलैंड अकादमी	रामसरिया राजाही, गोरखपुर, 273005, गोरखपुर, गोरखपुर

1	2	3	4
123.		इंडिया टुडे कान्वेंट अकादमी	रामपुर, मणिहरण, दिल्ली रोड, सहारनपुर, 247451, रामपुर, रामपुर
124.		द एवेन्यू पब्लिक स्कूनल	जी-पाकेट गंगानगर, 250001, मेरठ, मेरठ
125.		हिमालयन पब्लिक स्कूल	रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर, 251001, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर
126.		लक्ष्य पब्लिक स्कूल	लक्ष्य पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड बागपत (उ.प्र.), 250609, बागपत, बागपत
127.		डिवाईन सैनके स्कूल	लहरतारा, डी.एल.डब्ल्यू, रोड, शिवदासपुर, वाराणसी, सदर
128.		कृष्णा इंटरनेशनल सकूल	कृष्णानगर, रिलायंत पेट्रोल पम्प के सामने, 5 कि.मी. दिल्ली जी.टी.रोड, 202001, अलीगढ़, अलीगढ़
129.		जे.बी.एम. ग्लोबल स्कूल	ए-11 सेक्टर-132, नोएडा 201301 नोएडा, नोएडा
130.		जिंगल बेल्ज पब्लिक स्कूल	छोटी बिहार, महानगर के पास पीलीभीत, बाईपास, मेनरोड, 243001, बरेली, बरेली
131.		केन्द्रीय विद्यालय	राजकी आई.टी.आई. कैम्पस देवरिया, 274001, देवरिया, देवरिया सदर
132.		गुरूकुल विद्यापीठ	ग्राम बहादुरपुर, बढ़गांव रोड, सहारनपुर, 247554, सहारनपुर, देवबंद
133.		सेंट जेवियर हाई स्कूल	ऐलवाल आजमगढ़ 276001, आजमगढ़, आजमगढ़
134.		आर्चिज हायर सेकेण्डरी स्कूल	ई ब्लाक, श्यामनगर, कानपुर, 208013, कानपुर, कानपुर
135.		पाईनवुड स्कूल	पाईनवुड स्कूल, बिजनौर रोड, अमरोहा, जे.पी. नगर यू.पी. 244221, अमरोहा, अमरोहा
136.		डी.जी.आर. पब्लिक स्कूल, पटला	डी.जी.आर. पब्लिक स्कूल, पटला, मोदीनगर, गाजियाबाद, यू.पी. 201204, मोदीनगर, मोदीनगर

1	2	3	4
137.		तूलिका पब्लिक स्कूल	जमुना देव मऊ रोड गाजीपुर, 233001, गाजीपुर, गाजीपुर
		स्तरोन्नयन	
138.		पदमावती अकादमी	11वीं के.एम., पीलीभीत रोड, पो.आ. मुदिया अहमदनगर, बरेली 243122, बरेली, बरेली
139.		वृन्दावन पब्लिक स्कूल	गांव धोरेड़ा पो.आ. प्रेमनगर, वृन्दावन, 281003 वृन्दावन मथुरा
140.		जे पी इंटरनेशनल स्कूल	ए सेक्टर ओमेगा 1, 201308, ग्रेटर नोएडा, दादरी
141.		रेनांनसेंस स्कूल	चार-चार के पास, डी एम कालोनी रोड 203001, बुलंदशहर
142.		महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर	योजना न. 1 आवास विकास केशवपुरम, कल्याणपुर 208017 कानपुर
143.		बकाही मेमोरियल पब्लिक स्कूल	लाल गंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229206, लालगंज, लालगंज
144.		सरस्वती मॉडर्न स्कूल	प्रताप सिंह वाला, हमब्रेन रोड, लुधियाना, 141008, लुधियाना, पश्चिम लुधियाना
145.		श्री रामकृष्ण हरिकृष्ण अकादमी	अकादमी श्री स्वामी नारायण मिशन नीयर, बालक पतिया सूरज कामराज रोड, 395008, सूरत कामरज
146.		एंसेंट इंटरनेशनल स्कूल	डेल्डा II एच एस 11बी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201308 ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर
147.		अवध इंटरनेशनल स्कूल	अवध इंटरनेशनल स्कूल, आशापुर, दर्शननगर, फैजाबाद (उ. प्र.) 224135, 224135 फैजाबाद, सदर
148.		सेंट ऐंजल पब्लिक स्कूल	चामरावल रोड़ (चांदीनगर रोड) बागपत 250609, बागपत, बागपत
149.		गोल्डन पब्लि स्कूल	पचेंदा रोड, गांधी कालोनी मुजफ्फरनगर, 251001, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर

1	2	3	4
150.		एम एस स्कूल	सेकेण्ड बंसाई रोड, फिरोजाबाद रोड, टुंडला जिला फिरोजाबाद, 283204 टुंडला, टुंडला
151.		शीयरवुड कालेज	दिलदार नगर, खाती बाबा, 284003, झांसी, झांसी
152.		श्री गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल	ग्राम डाक महांगापुर जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश 262902, पालिया, पालिया कलां
153.		शारदा पब्लिक स्कूल	बौध परीपाठ, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर-271201 (उत्तर प्रदेश) 271201, बलरामपुर, बलरामपुर
154.		लखनऊ पब्लिक स्कूल	सेक्टर 1 एल डी ए कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ 227012 लखनऊ, लखनऊ
155.		महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर	योजना नं. 1 केशवपुरम कल्याणपुर 208017 कानपुर, कानपुर
156.		डी ए वी पब्लिक स्कूल	डी ए वी पब्लिक स्कूल, मेरठ रोड बागपत, उ.प्र. 250609 बागपत, बागपत
157.		बेथेरदा क्रिश्चियन अकादमी	बेथेरदा नगर, गोएना, मोदीनगर रोड, हापुड 245101 हापुड़, हापुड़
158.		भाई गुरदास अकादमी	गुरू की नगरी पंदोरी, रणसिंह तरन, तरन रोड, अमृतसर 143401, तरनतारन, तरनतारन
159.		एम वी कान्वेंट इंटर कालेज	राजा राम आर्य मार्ग, सुलेम सराय, इलाहाबाद, 211001 इलाहाबाद, सदर
160.		दयावंती पुंजी मॉडल सकूल	ग्राम सीतामढ़ी, जिला संत रविदास नगर (भदोही) उत्तर प्रदेश 221309, सीतामढ़ी, ज्ञानपुर
161.		दि जैन इंटरनेशनल स्कूल कानपुर	मैनावती मार्ग, आजाद नगर, बी थौर रोड, 208002, कानपुर, कानपुर
162.		होली पाइंट अकादमी	सीहपुरा (विवेक विहार) इटावा रोड, भरतना, 206242, भरतना, भरतना
163.		अवध कोलीजिएट	दरोगा खैरा, कानपुर रोड, लखनऊ 227101, लखनऊ, लखनऊ

1	2	3	4
164.		वनस्थली पब्लिक स्कूल	सेक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद 201012, गाजियाबाद, गाजियाबाद
165.		इंडस वैली पब्लिक स्कूल	प्लाट नं. 1 सेक्टर, 62, नोएडा (उ. प्र.) 201301, नोएडा, गौतम बुद्धनगर
166.		पी सी स्कूल	डी-4, गोविंदा पुरम गाजियाबाद 201001, गाजियाबाद, गाजियाबाद
167.		नालंदा शिक्षण संस्थान	वी एण्ड पी उधरनपुर, 241124 हरदोई, शाहबाद
168.		तक्षशिला पब्लिक सकूल	फेज फर्स्ट, सेक्टर-2 श्रद्धापुरी, कंकरखेड़ा, 250001, मेरठ, मेरठ
169.		शीशपाल सिह कान्वेनट स्कूल	हसनपुर-तहारपुर, राजवाहा रोड, सहारनपुर-247001, सहारनपुर
170.		महर्षि विद्या मंदिर	महर्षि विद्या मंदिर, दूरवानी नगर, नैनी-211008, इलाहाबाद, करछना
171.		आर पी एम पब्लिक स्कूल	कोटा रोड, हाथरस-204101, हाथरस, हाथरस
172.		डा. जगदीश मेमोरियल पब्लिक स्कूल	रेलवे रोड-202313, डिबाई, डिबाई
173.		श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल	नारायण आश्रम शिवकुटी, पोस्ट तेलियारगंज-211004, इलाहाबाद, चैल
174.		दिल्ली पब्लिक स्कूल इलाहाबाद	देवरख, नैनी इलाहाबाद, 211003 इलाहाबाद, करछना
175.		विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल	झलवा पीपल गांव, इलाहाबाद, यू.पी. 211012, इलाहाबाद, इलाहाबाद
176.		श्रीमती श्रीदेवी आवासीय विद्यापीठ	वापनपुरा, किरावाली, आगरा 282001, किरावली, आगरा
177.		सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल	सादाबाद, हाथरस, यू.पी. 281306, सादाबाद, सादाबाद
178.		रवि चिल्ड्रेन्स एकेडमी	दुखहरण नाथ मंदिर के नजदीक, पटेल नगर, गौंडा, 271001, गौंडा, गौंडा
179.		मां भगवती पब्लिक स्कूल	वायु विहार कालोनी, पथौली फतेहपुर सीकरी रोड, आगरा-282010, आगरा

1	2	3	4
180.		सेंट विवेकानंद पब्लिक स्कूल	सादाबाद, हाथरस, यूपी 281306 सादाबाद, सादाबाद
181.		संस्कार स्कूल	श्यामापुर मार्ग, गढ़ रोड, हापुड 245101, हापुड, हापुड
182.		सेंट जेवीयर्स हाई स्कूल	नगहेता रोड कुरिया, हरदोई, सदर हरदोई
183.		आगरा वनस्थली विद्यालय	झरना नाला चलेसर, फिरोजाबाद रोड, आगरा-282006, आगरा, इतमदपुर
184.		एंसेंट जेवियर हाई स्कूल	विष्णुपुरा, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, 271001, बलरामपुर, बलरामपुर
185.		द पिल्लर्स पब्लिक स्कूल	सिविल लाइन्स, गोरखपुर, यूपी 273001, गोरखपुर
186.		एसेंट इंटरनेशनल स्कूल	डेल्टा II, एच एस 11 बी. ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201308, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर
187.		हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल	हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, तालांगरी, रामघाट रोड, अलीगढ़, 202001, अलीगढ़, अलीगढ़
188.		महर्षि विद्या मंदिर	गांव-बछोला, पोस्ट सैनी मवाना रोड-250001, मेरठ, मेरठ
189.		एम एस हेटिवेज स्कूल	विद्या ग्राम, मेरठ हापुड़ हाइवे, पांची, विपरीत-लालपुर, जिला मेरठ, (यू.पी.) पिन-24528, पांची, मेरठ
190.		डी.ए.पी. पब्लिक स्कूल	एयरपोर्ट रोड, सिसवा, बाबतपुर, वाराणसी, 221006 वाराणसी, पिंडारा
191.		स्टेलामेरिस कान्वेन्ट स्कूल	सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर, 2280001 सुल्तानपुर, मीरनपुर
192.		डी.पी. माडर्न पब्लिक स्कूल	राम पार्क एक्सटेंशन, लोनी, गाजियाबाद, यूपी-201102, राम, पार्क लोनी, गाजियाबाद
193.		दर्शन एकेडमी	216, वेस्ट रोड, मेरठ कैंट, यूपी 250001, मेरठ, मेरठ

1	2	3	4
194.		फ्लोरेंस नाइटेंगिल्स पब्लिक स्कूल	05832, 243601, बदायूं, बंदायूं
195.		मां अंजनी पब्लिक स्कूल	गांव + पोस्ट + दखिनारा, एटा रोड, शिकोहाबाद, 205135, शिकोहाबाद, शिकोहाबाद
196.		मार्निंग स्टार चिल्ड्रेन एकेडमी	कारमेर रोड औरई 285001, औरई, औरई
197.		करमदेवी मेमोरियल एकेडमी	एस-1, बाडा-8, कानपुर, 208022, कानपुर, कानपुर नगर
198.		बेथानी कान्वेन्ट स्कूल	बेथानी कान्वेन्ट स्कूल, नैनी पोस्ट-इलाहाबाद (उ. प्र.) 211008-इलाहाबाद (उ. प्र.)
199.		ब्लू डायमंड पब्लिक स्कूल	सादोपुर की झाल, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र.-203208-दादरी, दादरी
200.		महर्षि विद्या मंदिर	झांसी रोड, 285001-औरई, औरई
201.		डिवाइन पब्लिक स्कूल	बिछिया, पीएसी कैम्प के पास 273014-गोरखपुर लागू नहीं
202.		बेथानी कान्वेन्ट स्कूल	बेथानी कान्वेन्ट स्कूल, नैनी पोस्ट-इलाहाबाद (उ.प्र.) 211008-इलाहाबाद (उ.प्र.)
203.		एस जी आर आर पी एस	एस जी आर आर पी एस, गाजियाबाद-201001 गाजियाबाद, गाजियाबाद
204.		स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल	स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल गांव और पोस्ट-सतवाई द्वारा रोहता-मेरठ-250502, 250502, मेरठ, मेरठ
205.		ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल	ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल, बाई पास रोड, मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251315-मिरानपुर-जानसठ।
206.		सेन्ट मेरी अकादमी	सरसावां पोस्ट-अम्बाला रोड, 247232-सरसावा-सहारनपुर
207.		लाला राधेश्याम अकादमी	बेगमपुर माली, कोतवाली रोड, नगीना (बिजनौर)-246762 नगीना-नगीना।

1	2	3	4
208.		सनबीम स्कूल वरूणा	सेन्ट्रल जेल रोड, सिकराउल, 221002-वाराणसी-वाराणसी।
209.		सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल	सैक्टर-14 सी, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012-गाजियाबाद, गाजियाबाद
210.		विद्यासागर स्कूल	मोहन नगर, बिनौली रोड, 250611-बडौत, बडौत
211.		तक्षशिला पब्लिक स्कूल	अन्त चौराहा, बिजलीपुरा-242001-शाहजहांपुर-सदर।
212.		श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेन्टर	118/266, कौशलपुरी, कानपुर-2006, 208012-कानपुर सिटी, कानपुर सिटी।
213.		महर्षि विद्या मंदिर	कुच्छेछा, बेतवा नगर-210301 हमीरपुर, हमीरपुर।
214.		सेंट आरसी कान्वेंट स्कूल	सेंट आर सी कान्वेंट स्कूल, 247773-शिंझाना-कैराना
215.		सुमित्रा माडर्न स्कूल	464, विजय लक्ष्मी नगर, तेखा, छिल्लौला-लखीमपुर रोड-जिला-सीतापुर, 261001 सीतापुर, सीतापुर
216.		खैतान पब्लिक स्कूल	सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर साहिबाबाद-गाजियाबाद 201005, गाजियाबाद, गाजियाबाद।
217.		संत श्री आसारामजी पब्लिक स्कूल	मथुरा रोड, सिकन्दरा, आगरा 282007, आगरा, आगरा
218.		एमिटी इंटरनेशनल स्कूल	एबएस-1, सेक्टर-6, वसुंधरा योजना-201012 वसुंधरा
219.		आर्कांडियन पब्लिक स्कूल	नौझील, बाजना रोड, बाजना मथुरा (उत्तर प्रदेश)-281201 मथुरा, मंत
220.		दयानन्द दीनानाथ एजूकेशन सेन्टर	एनएच-86, अफजलपुर रमईपुर, मेन हमीरपुर रोड पर, 209214-कानपुर, कानपुर नगर
221.		मेयूर स्कूल	1, सैक्टर-126, एक्सप्रैस वे, नोएडा-201304, नोएडा-नौएडा

1	2	3	4
222.		डी.एम. पब्लिक स्कूल	मेरठ (उ.प्र.) 250004-मेरठ, मवाना
223.		लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल	प्लॉट नं. 2, सैक्टर-126, एक्सप्रेस वे, 201304 नोएडा, नोएडा
224.		वनिता पब्लिक स्कूल	सी/ओ काशी अनाथालय एसोसिएशन, लहुराबीर, वाराणसी कैंट-221002, 221002, लहुराबीर, वाराणसी सदर
225.		जय अकादमी	शिवपुरी रोड, झांसी-284419, झांसी, झांसी
226.		गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल	673, बिथूर रोड, कल्याणपुर, कानपुर-208017, कानपुर, कानपुर
227.		सैंट डोमनिक सेकेंडरी स्कूल,	बसंतर मार्ग, मथुरा कैंट यू.पी.-281002, मथुरा
228.		सेन्ट्रल अकादमी	सेक्टर-1, योजना 3, झूसी, इलाहाबाद, 211019 इलाहाबाद, फुलपुर
229.		श्री रामस्वरूप मेमोरियल पब्लिक	गांव अनौरा, इंदिरा नहर के पास, फैजाबाद रोड, 227105, लखनऊ
230.		आदर्श पब्लिक स्कूल	बी-193, सेक्टर 52, 201307, नोएडा, दादरी
231.		अमरदीप स्कूल	वैभव नगर, फिरोजाबाद, 283203, फिरोजाबाद
232.		संस्कार इंटरनेशनल स्कूल	जयंतीपुर, सुलेम सराय, 211011, इलाहाबाद सदर
233.		रयान इंटरनेशनल स्कूल	एच एस-6, ब्लाक ई, बीटा 1, 201308, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर
234.		जे.पी. इंटरनेशनल स्कूल	सेक्टर 3 ए, ओमेगा 1, 201308, ग्रेटर नोएडा, दादरी
235.		दीवान पब्लिक स्कूल	दिल्ली रोड, रिठानी, मेरठ, 250001, मेरठ
236.		इंटरनेशनल बिशप कोनार्ड स्कूल	मार्डन गांव दोहना, पी.ओ. भोजीपुर, 243302, बरेली
			महाराष्ट्र
	मिडिल		
1.		सहकार विद्या मंदिर एंड जूनियर (सेकेन्डरी) कॉलेज	विद्या नगरी चिकाली रोड, बुलधाना 443001, बुलधाना

1	2	3	4
2.		सोना इंग्लिश मीडियम स्कूल	कम सं. 176/5+6 भीकाराय नगर फुरसुंगी, हाडापसेर, पुणे 412308, हवाली
3.		आर्शीवाद शिक्षण प्रसार मंडल	रामवाड़ी, बेल बाजार, कल्याण (ई) 421301, कल्याण
4.		किशोर सूर्यवंशी इंटरनेशनल स्कूल	पोस्ट बॉक्स 608, पंचवटी पोस्ट आफिस, नासिक-422003, नासिक, डिन्डोरी
5.		छत्रपति शिवाजी पब्लिक स्कूल	गांव-हरनामल, हिल्स, पी.ओ. मोरान, लालिंग, तालुका और जिला धुले, 424001, धुले
6.		कुकाड़ी वैली पब्लिक स्कूल	पोस्ट-येद गांव, तालुका जुन्नार, जिला-पुणे-410504, येद गांव, जुन्नार
7.		आर्मी स्कूल कैंपटी	आर्मी स्कूल, कैंपटी, दि माल रोड कैंपटी छावनी कैंपटी 441001, नागपुर
8.		पद्मश्री शंकरराव बापू अपिगांवकर इंग्लिश स्कूल	पी एस बी ए इंग्लिश स्कूल, आदित्य नगर, गरखेड़ा परिसर, औरंगाबाद 431005
9.		संस्कार विद्यासागर	के डी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस, नंदनवन, नागरपुर, 440009
10.		स्वर्गीय श्रीमती हौसाबाई जयपाल पब्लिक स्कूल, निमशीरगांव	पोस्ट निमशीरगांव, तालुका-शिरोल, जिला-कोल्हापुर, (एम.एस.) 416101, निमशीरगांव, शिरोल
11.		विठ्ठल पब्लिक स्कूल	विठ्ठलधाम, पोस्ट माजरी/चंपा, तहसील उमरेर, जिला-नागपुर, 441203, उमरेर
12.		सनशाइन अकादमी, वर्धा	सनशाइन अकादमी, सेवाग्राम रोड, वर्धा 442001, वर्धा
13.		आर्य गुरूकुल	विद्या नगरी, नंदीवली गांव, हाजी मलंग रोड, 421306, कल्याण
14.		स्प्रिंगडेल स्कूल	सहकार नगर, भंडारा, 441904, भंडारा
15.		प्रकाश शेटे इंग्लिश पब्लिक स्कूल नालेगांव	श्री राधास्वामी बहुउद्देश्यीय विकास मंडल नालेगांव, 413524, नालेगांव, चाकुर
16.		आर्य-दी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल	स्थान/पोस्ट-अंटूर, 416206, कोल्हापुर, गगनबावड़ा

1	2	3	4
17.		न्यू गार्डन इंग्लिश स्कूल	कॉलेज रोड पोस्ट ऑफिस, 422210, साईखेड़ा, निफाड
18.		मकारून स्टूडेंट्स अकेडमी	वानी, ग्राम मौजा-वड गांव, तालुका वानी, जिला-यवतमाल, 445304, वानी, वडगांव
19.		न्यू हॉरिजॅन पब्लिक स्कूल	सेक्टर-13, खांडा कॉलोनी, न्यू पनवेल वैस्ट, 410206, पनवेल, ओल्ड पनवेल
20.		पूर्ण कावेरी एजुकेशन सोसायटीज लिटिल संडर्स इंग्लिश स्कूल	सराफा बाजार, सिल्लेड, 431112, सिल्लोह, सिल्लोह
21.		एस. एन. डी. इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल	स्थान/पोस्ट-नगर मनमाड रोड, दराडे कॉम्प्लेक्स, येवला, तालुका-येवला, जिला-नासिक, 423401, येवला, येवला
22.		प्रवर पब्लिक स्कूल	प्रवरनगर, 413712, प्रवरनगर, राहत
23.		मानिकगढ़ सीमेंट इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज	पोस्ट-गढ़ चंदूर, तालुका-कोपरना, जिला-चंद्रपुर, 422908 महाराष्ट्र, चंद्रपुर, कोपरना
24.		सेठ प्रफुल पटेल पब्लिक इंग्लिश स्कूल	अधरीवाड़ी जेल रोड उम्बारडे गांव, कोली वाली, कल्याण, 421301, कल्याण उम्बारेड गांव कोलीवाली, कल्याण
25.		पंचगनी इंटरनेशनल स्कूल	खिनधर रोड, गोडवली, 412805, पंचगनी, महाबलेश्वर
26.		भारती विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल, धानकवाडी, पुणे	धनकवाडी पुणे 43, 411043, पुणे, पुणे
27.		के.सी.ई. सोसायटीज ओरियन इंग्लिश मीडियम स्कूल	के.सी.ई. सोसायटीज ओरियन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जलगांव, बहिनाई विद्यांगन जलगांव 425002, 425002, जलगांव, जलगांव
28.		कारमेल हाई स्कूल	धनोरा रोड-442605 (एम.एस.), 442605, गढचिरौली, गढ़चिरौली

1	2	3	4
29.		लर्निंग पैनोरमा फाउंडेशन	प्लॉट नं. 25 सी, ओल्ड एम.एच.बी. कॉलोनी, वैद्य कुमार गार्डन के सामने, गोराई लिंक रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई 400049, 400092, मुम्बई, बोरीवली
30.		शेठ विद्या मंदिर	बसंत नगरी, वसई (ईस्ट), 401205, वसई रोड, वसई
31.		स्वर्णलीला इंटरनेशनल स्कूल	नंदेपेरा रोड, महाराष्ट्र सोया प्लांट के पास, स्थान-वंजरीतालुका-वानी, जिला यवतमाल, 445304, वानी, वानी
32.		परम पूज्य श्री रामकृष्ण सरस्वती गुरूकुल	स्थान उमले, पोस्ट धनवाड़ 425003, उमले, जलगांव
33.		पी.आर.एम.एस., अनुराधा इंग्लिश मीडियम स्कूल, चिखली, जिला-बुल्दाना, महाराष्ट्र	अनुराधा इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनुराधा नगर, साकेगांव रोड, चिखली, जिला-बुल्दाना, 443201, चिखली, चिखली
34.		भारतीय विद्या भवनुस भगवानदास पुरोहित विद्या मंदिर, अस्ति, नागपुर	स्थान-अस्थि (खुर्द), पोस्ट-वालनी, तहसील+जिला-नगापुर, 441501, नागपुर, नागपुर
35.		प्रतिभा इंटरनेशनल स्कूल	ब्लॉक डी-III, प्लॉट नं. 3, मेहता हॉस्पीटल के पीछे, मुम्बई-पुणे रोड के पास, 411018, पिम्परी छिंदवाड, पुणे
36.		छत्रपति साहू, विद्यालय	न्यू पैलेस एरिया, 416003, कोल्हापुर, करवीर
37.		नासिक एजुकेशन सोसायटीज हाईफ्लायर्स एकेडेमी	काठे गल्ली, द्वारका, 422011, नासिक, नासिक
38.		सूर्यकांता देवी पोटे पब्लिक स्कूल	कटोरा रोड (गजानन टाउनशिप), 444603, अमरावती, अमरावती
	माध्यमिक		
39.		द जैन इंटरनेशनल स्कूल	येरला ग्राम, आसाराम बापू आश्रम, 440001, फीतेरी, नागपुर
40.		भारती विद्यापीठ गौडस वैली इंटरनेशनल स्कूल	भारती विद्यापीठ गॉडस वैली इंटरनेशनल स्कूल, 412805, पंचगनी, महाबलेश्वर

1	2	3	4
41.		मुल्जीभाई मेहता इंटरनेशनल स्कूल	गोकुल टाउनशिप, विरार पश्चिम, थाने जिला, 401303 विरार
42.		पदक टेक हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम	100, नेहरू रोड, पटुक कॉम्प्लेक्स, वकोला ब्रिज, सांताक्रुज (ईस्ट), 400055, मुम्बई, अंधेरी
43.		श्रीमती एस.एस. चोखावाला लिटिल एंजलस एकेडमिक	सार्वजनिक गुजरात हाई स्कूल के पीछे, एटी पोस्ट टीए, नवापुर जिला, ननदरबाद, 425418 नवापुर, नवापुर
44.		दिलसाग्राम कान्वेन्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल	दिलसाग्राम स्कूल, बलारपुर पोस्ट चंद्रापुर जिला, महाराष्ट्र 442701, 442701, बलारपुर, बलारपुर
45.		श्री पी. जी पब्लिक स्कूल	चौपाले, 425412, चौपाले, ननदरबार
46.		रेयान इंटरनेशनल स्कूल	आशा नगर, कलिका संस्कृति के सामने, 90 फुट रोड कांडिवली ईस्ट, 400101, मुम्बई, कांडिवली ईस्ट
47.		ललिता पब्लिक स्कूल	वर्धमान नगर, रिंग रोड, नागपुर, 440008, नागपुर, नागपुर
48.		परम पूज्य श्री रामकृष्ण सरस्वती गुरुकुल	ए टी-उमाले, पोस्ट धनवाड, 425003, उमाले, जलगांव
49.		चन्दा पब्लिक सकूल	दताला रोड, रामनगर, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र, 442401, चंद्रपुर, चंद्रपुर
50.		शिवम पब्लिक स्कूल	29, शिवम तिलकनगर, नेहरू इंग्लिश स्कूल के नजदीक, नानदोड, 431605, नानदोड, नानदोड
51.		सेंट एनीज पब्लिक स्कूल	द्वारकानगरी, वाररस, अंडवान पोस्ट, जिला चंद्रपुर, 442914, चंद्रपुर, चंद्रपुर
52.		सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल	नगीनाबाग मिशन कम्पाउंड, चन्द्रपुर, 442401, चंद्रपुर, चंद्रपुर
53.		ध्रुव एकादमी	मालपानी कैम्पस, धनधारपाल, अकोले रोड, 422603, संगमनेर, संगमनेर
54.		सेंट विनसेंट पलौटी स्कूल	पी ओ सं. 18 पलौटी नगर, अनत नगर, नागपुर 440013, महाराष्ट्र 440013, नागपुर, महाराष्ट्र

1	2	3	4
55.		डोंडिचा एजुकेशन सोसायटी रोटरी इंग्लिश स्कूल	रोटरी भवन, रोटरी मार्ग 425408 डोंडिचा, शिंडखेड़ा
56.		सिटी इंटरनेशनल स्कूल वानोरी	गंगा सवेरा कॉम्प्लेक्स के नजदीक, वानोरी पुणे 411040, 411040, पुणे
57.		क्रिएटिव मल्टीपरपस इंग्लिश सकूल	विद्यासागर कॉलेज के नजदीक, खैरी-बिजेवाडा, शीतलवाड़ी, रामटे, जिला नागपुर (महाराष्ट्र राज्य), पिन-441106, 441106, शीतलवाड़ी, रामटेक
58.		सरहद स्कूल	कम सं. 79-81-80-76/4 (नया) राजाराम गैस एजेंसी के सामने, भारती विद्यापीठ के पीछे, कटराज, पुणे 411046, 411046, पुणे, हवेली
59.		ब्लासम पब्लिक स्कूल	कम सं. 80/2, मुम्बई-पुणे बाईपास हाइवे, टाटवाड़े, पुणे-411033, 411033, पुणे, पुणे
60.		विद्या प्रबोधिनी प्रशाला इंग्लिश मिडियम	डा. मूंजे मार्ग, राम भूमि, नासिक-5, 422005, नासिक, नासिक
61.		तिलक पब्लिक स्कूल	प्लॉट 31, सेक्टर 25, नेरूल (ईस्ट), सीवुड स्टेशन के नजदीक, नवी मुम्बई, 400706 नवी मुम्बई, थाणे
62.		रोयॉन इंटरनेशनल स्कूल	एस.आर.पी.एफ. मंथा रिंग रोड के पीछे, साई नगर, 431203, जलना, जलना
63.		टेंडर केयर होम	गुट सं. 115, नामधारी फार्मस, बीड बाईपास, 431001, औरंगाबाद, औरंगाबाद
65.		संदीपनी	नजदीक फैंडस कालोनी अमरावती-कातोल बाईपास हजारी हिल्स नागपुर, 440021, नागपुर नागपुर
65.		रॉयल पब्लिक स्कूल	विद्या नगर-भंडारा-441904, 441904, भंडारा, भंडारा

1	2	3	4
66.		नारायणा विद्यालयम	कुटाला, घुग्गुस रोड पडोली में, 442406, चंद्रपुर, चंद्रपुर
67.		जवाहर नवोदय विद्यालय बलसा, जिला-परभनी	बलसा (एम ए यू कैंपस) 431402, परभनी
68.		स्कूल ऑफ स्कालर्स, गदचिरोली	चमोरशी रोड, पोपट भवन, गदचिरोली, 442605, गदचिरोली
69.		स्कूल ऑफ स्कालर्स, अमरावती	कैंप, हाई कोर्ट रोड, अमरावती, 444602
70.		स्कूल ऑफ स्कलार्स, वर्धा,	सवांगी (मेघे), तहसील और जिला-वर्धा, 442004, वर्धा
71.		सेंट पीटर स्कूल	सेंट पीटर स्कूल, बेला भंडारा, 441906, भंडारा
72.		ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल	सर्वे संस्था 174-177, स्वरगंगा, वल्लभनगर, पिंपरी 411017, पुणे
73.		संस्कार भारती पब्लिक स्कूल	मर्दा रोड, तहसील वरोरा, जिला-चंद्रपुर (एम.एस.) 442907, वरोरा
74.		स्कूल ऑफ स्कालर्स, अकोला	केशव नगर, गोराकशन रोड, अकोला 444005, अकोला
75.		रायगढ़ मिलिटरी स्कूल	बेहराम बाग, न्यू लिंग रोड एवरशाइन टावर्स के नजदीक, ओशीवारा, जोगेश्वरी (वेस्ट), मुम्बई-400102
	स्तरोन्नयन		
76.		श्री गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूल	बेजोनबाग, कदबी चौक, 440004, नागपुर
77.		फोर्ट इंटरनेशनल अकादमी	पोस्ट-राकशी, तालुका-पनहाला, 416201, कोल्हापुर
78.		तुली पब्लिक स्कूल	तुली विद्यानगरी, कोराडी ओक्टराय पोस्ट के पास, बेरवारा रोड-441111, नागपुर
79.		सिंहगढ़ पब्लिक स्कूल	एस टी ई एस, एस.पी.एस., जीएटी नं. 309/310, कुशगांव (बी.के.), पुणे-मुम्बई एक्सप्रेस वे लोनवाला, पुणे, 410401, मवल

1	2	3	4
80.		माननीय शरद पवार पब्लिक स्कूल	पोस्ट मानुर, तालुका-कलवान, 423501, मानुर, कलवान
81.		एटोमिक एनर्जी सेन्ट्रल स्कूल-3, तारापुर	अणु विकास टाऊनशिप, तारापुर, बोयसर, थाणे जिला, महाराष्ट्र-401504
82.		सेंट जोसेफ कान्वेन्ट स्कूल	सुयोग कालोनी, जलगांव-425002
83.		जवाहर नवोदय विद्यालय, रत्नागिरी	पदावे रजापुर तालुका, 416702
84.		भारती कृष्णा विद्याविहार	भारती कृष्णा विद्याविहार, रावल भवन, तेलंग खेडी गार्डन के निकट, नागपुर-440001,
85.		तुली पब्लिक स्कूल	तुली विद्यानगरी, कोराड़ी नाका के पास, बोखारा रोड, 441111, नागपुर

विवरण III

वर्ष 2008-09 के सत्र के लिए सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्रदान किए गए स्कूलों की संख्या

(10.8.2008 की स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम	कुल आवेदन
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
आंध्र प्रदेश	2
अरुणाचल प्रदेश	3
चंडीगढ़	2
दिल्ली	1
गुजरात	2
हरियाणा	2
कर्नाटक	3
केरल	3
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	1
मणिपुर	2
पंजाब	5
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	4
उत्तरांचल	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल	37

[अनुवाद]

मीडिया के लिए आचार संहिता

368. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर राजस्थान में हाल ही में हुए गुज्जर आंदोलन के दौरान मीडिया से हुई किसी चूक को नोटिस किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक आचार संहिता तैयार करने की आवश्यकता महसूस की है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने इस संबंध में केन्द्र सरकार/विधि मंत्रालय से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) गुज्जर आंदोलन के दौरान मीडिया की भूमिका की ओर सरकार का ध्यान गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल ही के गुज्जर आंदोलन के दौरान हुई क्षति का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया है ओर संपत्ति को नष्ट करने/क्षति पहुंचाने तथा व्यक्तियों की जान जाने अथवा उनके हताहत होने से संबंधित मामलों में मीडिया की भूमिका की जांच करने के लिए श्री एफ.एस. नरीमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति भी इस समिति के सदस्यों में से एक है। इस समिति की पहली बैठक दिनांक 30.7.2007 को हुई।

(ग) से (ङ) इस संबंध में किसी भी राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

असम में सीमा क्षेत्रों का विकास

369. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने असम के सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं तथा योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) सीमा-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत असम की राज्य-सरकार ने अपनी वर्ष, 2007-08 की वार्षिक कार्य-योजना प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उसने चुने गए सीमा-खंडों में आदर्श गांवों, सम्पर्क-सड़कों, पुलों/पुलियाओं, समुदाय-केन्द्रों, पेयजल सुविधाओं, गांवों में विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित विशेष निर्माण-कार्य निष्पादित करवाया जाना प्रस्तावित किया है।

(ग) उपर्युक्त वार्षिक कार्य-योजना अनुमोदित की जा चुकी है और 2017.00 लाख रुपए के कुल आबंटन में से 1344.67 लाख रु. की पहली किस्त उपर्युक्त राज्य सरकार को मुहैया कारवाई जा चुकी है।

प्रमाण पत्र का सत्यापन

370. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे केन्द्र कहां-कहां है जिनमें अरब देशों में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ दूरवर्ती स्थानों से नई दिल्ली आने वाले व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को लंबी यात्रा की कठिनाई से बचाने के लिए देश में और सत्यापन केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर तथा नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सत्यापन केन्द्र स्थापित किए हैं (ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है)।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए सत्यापन को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और इस प्रयोजनार्थ आवेदक को दिल्ली आना ही पड़ता है। दिल्ली में आधारित अधिकतर विदेशी मिशन केवल विदेश मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन को स्वीकार करते है।

(ग) और (घ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सत्यापन केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। उनमें से अधिकांश पहले ही ऐसा कर चुके हैं। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक से अधिक केन्द्र खोल चुके हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खोले गए सत्यापन केन्द्रों का स्थान निर्धारण

1.	केरल (3 आर ए सी)	1. श्री के.एस. गोपीनाथन नायर, क्षेत्रीय प्रमाणपत्र अधिकारी, लोटस विला, सांस्थामंगलम, त्रिवनन्तपुरम फोन 0471-5575212(0) 2. श्री पौलोस सी जॉन, क्षेत्रीय प्रमाणपत्र अधिकारी, 40/9210-ए, दौराई स्वामी अय्यर रोड, अर्नाकुलम, फोन 0484-5583832, 5583834 (0) 3. श्री के. सलीम, क्षेत्रीय प्रमाणपत्र अधिकारी, द्वितीय तल, सी डी ए भवन, जमोरिन स्कवेयर, रेलवे स्टेशन लिंक रोड, कोजिकोड़, फोन 0495-2304882, 2304885 (0)
2.	कर्नाटक	श्री एच सी नागेन्द्र, उप सचिव/श्री सी बसवाराजू, अवर सचिव, गृह विभाग, पॉसपोर्ट एवं विदेशी, कमरा संख्या 220, द्वितीय तल, विधान सभा, बंगलौर फोन 080-22092540, 22092371 (0)
3.	महाराष्ट्र	श्रीमती माधुरी कोकणे, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और खेल विभाग, चौथा तल, मंत्रालय एनेक्सी, मुम्बई-400032, फोन 02222024237 (0), 24367773 (आर) (नव नियुक्त अधिकारी-श्रीमती सीमा ढंढेरे, संयुक्त सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा)
4.	आंध्र प्रदेश	श्री पद्मनाभा स्वामी, अपर सचिव (जी पी एम व ए आर)/श्री डब्ल्यू गणेशन, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पुराना रिसेप्शन हाल, पुरानी मुख्य गेट के नजदीक, ए पी सचिवालय भवन, हैदराबाद फोन 040-23454823 (0) (नव नियुक्त अधिकारीः श्री डी रामाकृष्णा, संयुक्त सचिव (जीपीएम व ए आर) सामान्य प्रशासन, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद
5.	तमिलनाडु	लोक (विदेशी) विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय के निकट, पुराना भवन, तृतीय तल, चेन्नई-9
6.	पंजाब	(1) श्रीमती जोगिन्दर कौर/श्री बख्शी राम, अवर सचिव, अप्रवासी भारतीय विभाग, पंजाब सरकार, भू तल, मिनी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ (2) डा. आत्मजीत सिंह, उप निदेशक (कॉलेज), लोक निर्देश निदेशक (सी) पंजाब, चंडीगढ़
7.	पश्चिम बंगाल	श्री राय चौधरी, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, गृह (विदेशी और अप्रवासी भारतीय) विभाग, लेखक भवन, कोलकाता-700001
8.	गोवा	12, डॉ. बी ए गोमस, उत्तचर शिक्षा निदेशक, गोवा सरकार, जनता घर, द्वितीय लिफ्ट, पांचवां तल, पणजी, गोवा (फोन 2425582/85, फैक्स 2425582, मोबाइल 9822802572) (2) डा. सेल्सा पिन्टो, शिक्षक निदेशक, गोवा सरकार, पणजी गोवा (3) श्री एजिक्सो एफ डा कोस्टा, शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशक, श्रम शक्ति भवन, तृतीय तल, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा-403001 (4) डा. चन्द्रशेखर, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, आल्टो प्वोरिम-गोवा फोन 0832-2413571, फैक्स 2413571 (नवनियुक्ति श्री भास्कर जी नायक, उच्चतर शिक्षा निदेशक)

9.	राजस्थान	(1) डा. ओ पी गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी (ओ एस डी), उच्चतर शिक्षा विभाग, कमरा नं. 203, द्वितीय तल, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, राजस्थान, जयपुर, फोन 0141-2227017 (0), 9829132131 (मोबाइल), 0141-2227017 (आवासीय पता-डा. ओ पी गुप्ता, एफ-40, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) (2) श्री मधु सूदन शर्मा, फोन 0141-2227724 (0), 9928015521 (मोबाइल), 0141-2227395 (फैक्स) (3) श्री लोकनाथ सोनी, दूरभाष: 0141-2227399 (कार्यालय), 0141-23557571, 9829015522 (मोबाइल), 0141-22273951
10.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	(1) श्रीमती कमला बैन्स, जिला शिक्षा अधिकारी, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ (2) श्री गुलजार सिंह, उप-निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़
11.	मेघालय	श्रीमती आर.वी. सचिएंग, आई.ए.एस., आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग
12.	बिहार	श्री गोपाल जी, उप-निदेशक, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना (1) श्री सुनील कुमार, उप-निदेशक (उच्चतर शिक्षा), बिहार सरकार, पटना
13.	मध्य प्रदेश	डा. राधा बल्लभ शर्मा, अपर निदेशक एवं प्रभारी, शैक्षिक एवं समन्वय सेल, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, सतपुरा भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004
14.	मिजोरम	श्री आर. मलस्वामा, अवर सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मिजोरम सरकार, मिजोरम
15.	जम्मू-कश्मीर	(1) श्री आर.के. शर्मा, विशेष सचिव, सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सिविल सचिवालय, जम्मू/श्रीनगर, दूरभाष-(जम्मू) 0191-2546284, (कश्मीर) 0194-2485765, 9419140855 (मोबाइल) प्रो. (डा.) अली मोहम्मद मीर, प्रिंसिपल, एस.पी. कॉलेज, एम.ए. रोड, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), फैक्स सं. 0194-247628, मोबाइल-9419010839, आवासीय, पता- चंदपोरा, हरवन5श्रीनगर, कश्मीर-191123, दूरभाष-0194-2462156
16.	दादरा और नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र	(1) श्री वी.सी. पांडेय, निदेशक-शिक्षा, और (2) श्री डी. बालाइह, सहायक शिक्षा निदेशक, (प्रशासन) दादरा व नगर हवेली प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र, सिलवासा
17.	सिक्किम	श्री जी.बी. निरोउला, संयुक्त निदेशक (परीक्षा) और सुश्री डेकी टोपेडेन,, उप-निदेशक (परीक्षा), मानव संसाधन विकास, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम
18.	दिल्ली	श्री डी.एम. खानेता, प्रमाणीकरण अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, प्रमाणीकरण सेल, दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, लखनऊ रोड, दिल्ली-54, दूरभाष सं. 23814541
19.	झारखंड	श्री पी.के. लाकड़ा, निदेशक (प्रशासन), श्री सीरिल खाखा, उप-सचिव, मानव संसाधन विकास और श्री शिखान कुमार वर्मा, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची

20.	उत्तर प्रदेश	श्री बी.एन. बथम, विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा), उच्चतर शिक्षा विभाग, लखनऊ सचिवालय (उत्तर प्रदेश), दूरभाष सं. 0522-2237918 (कार्यालय) और 2205454 (आवास) फैक्स सं. 2235594
21.	पांडिचेरी	निदेशक, (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा), मुख्य सचिव शिक्षा, पांडिचेरी सरकार
22.	उड़ीसा	श्री विजय संकर देव, संयुक्त सचिव और श्री चतुर्भुज मल्लिक, संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भुवनेश्वर, उड़ीसा
23.	हरियाणा	श्री एस.के. कालिआ, उप-निदेशक (कॉलेज-I), उच्चतर शिक्षा कार्यालय, आयुक्त और श्री वी.एस. मल्हन, सहायक निदेशक (कॉलेज-I/II), हरियाणा (चंडीगढ़)
24.	उत्तराखंड	श्री के.एस. बिष्ट, अवर सचिव (जी ई डी) एवं श्री एन.एस. दुंगनयल, दूरभाष 0135-2712802, सचिव-जीएडी, श्री एम.एस. खान, रमेश, रावल, फैक्स 2712096 (एआरओ)
25.	हिमाचल प्रदेश	श्री पी. मिश्रा, सचिव (शिक्षा), शिमला (हि.प्र.), दूरभाष 0177-2621894

युवा संसद

371. श्री नवीन जिन्दल: क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के सभी स्कूलों एवं कालेजों में प्रत्येक वर्ष युवा संसद प्रतिपर्धाओं का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने इन प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) नहीं महोदय। तथापि, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों को केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा अपनाए गए नमूने के आधार पर युवा संसद योजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने चाहिए। केन्द्रीय योजना में केवल चुने हुए विद्यालयों में प्रतियोगिता के आयोजन की अपेक्षा की जाती है, न कि सभी विद्यालयों में। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह विद्यालयों और कालेजों में युवा ससंद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता की राशि
1.	2004-2005	(1) चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	32,163
		(2) हरियाणा	87,856
		(3) कर्नाटक	1,00,000
2.	2005-2006	(1) कर्नाटक	1,00,000
		(2) हरियाणा	1,00,000
3.	2006-2007	(1) हरियाणा	99,985

बिजनेस स्कूलों को मान्यता

372. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कतिपय बिजनेस स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन संस्थाओं के छात्रों का भविष्य क्या है; और

(घ) छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नही करने के कारण परिषद ने एमिटी बिजनेस स्कूल, नोएडा को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया है। तथापि, स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को अपने पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

पी.एम.एफ. कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ना

373. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में अर्द्ध सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) के कार्मिक अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नौकरी छोड़ने वाले उक्त कार्मिकों की कुल संख्या पुरुष/महिला-वार तथा बल-वार कितनी है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अपनी नौकरी छोड़ रहे कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

बल	पुरुष/स्त्री	वर्ष		
		2005	2006	2007
* सीमा-सुरक्षा-बल	पुरुष	17464	16210	7199
	स्त्री	03	04	03
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस	पुरुष	247	196	44
	स्त्री	03	06	02
सशस्त्र-सीमा-बल	पुरुष	10	64	61
	स्त्री	शून्य	शून्य	शून्य
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-बल	पुरुष	1163	853	364
	स्त्री	11	18	04
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस-बल	पुरुष	2268	2954	1172
	स्त्री	-	-	-
असम राइफल्स	पुरुष	1167	1956	1430
	स्त्री	02	01	शून्य

मुख्य कारण हैं:

(1) पारिवारिक/वैयक्तिक/घरेलू समस्याएं।

(2) बहुत समय तक परिवार से अलग (दूर) रहने।

(3) दूर-दराज के अथवा कठिन क्षेत्रों में कठिन कार्य में रत

(4) बीमारी/मानसिक दबाव/मनोविकृति/मनोभावों से ग्रस्त होने के मामले।

(5) गलत काम किये जाने की सजा का डर।

(6) आकर्षक वैकल्पिक नौकरी मिलने।

* दिनांक 14.8.2007 के वाद-विवाद में उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर के भाग (क) और (ख) की सूची में सभा में दिनांक 26.2.2008 को दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से सुधार किया गया और तदनुसार सी.सु.ब.-'पुरुष' के कॉलम को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया।

बल	पुरुष/महिला	वर्ष		
		2005	2006	2007
सी.सु.ब.	पुरुष	2597	2540	1654
	महिला	03	04	03

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) पारदर्शी छुट्टी-नीति का निर्धारण।

(2) कामण्डरों/अधिकारियों और टुकड़ियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह की नियमित पारस्परिक बातचीत।

(3) शिकायत-निवारण-तंत्र को पुनर्गठित करके दुरूस्त किया जाना।

(4) परिवार के सम्पर्क में बने रहना सुकर बनाने और तनाव घटाने के लिहाज के टुकड़ियों को टेलीफोन की सुविधा मुहैया करवाया जाना।

(5) बेहतर दबाव-प्रबंधन के लिए योग कक्षाओं का चलाया जाना।

(6) मनोरंजन और खेल-कूद की सुविधाओं का मुहैया करवाया जाना।

(7) टुकड़ियों और उनके परिवारों के लिए बुनियादी सुख के साधनों/सुविधाओं का मुहैया करवाया जाना।

(8) बेहतर चिकित्सा-सुविधाओं का मुहैया करवाया जाना।

बुनकरों तथा शिल्पकारों को स्व-रोजगार

374. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष झारखंड सहित देश में शिल्पकारों तथा बुनकरों को स्व-रोजगार के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने शिल्पकार तथा बुनकर लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) झारखंड राज्य सहित देश में कारीगरों एवं बुनकरों को स्व-रोजगार हेतु सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा दोनों क्षेत्रों में सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

तथापि, इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है जो कारीगरों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों को भी सहायता मुहैया कराती है। हस्तशिल्प क्षेत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित स्कीमों में अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना; विपणन सहायता एवं सेवा स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम; कल्याण स्कीम; मानव संसाधन विकास स्कीम और अनुसंधान एवं विकास स्कीम शामिल हैं। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता तथा बुनकरों की कार्यकुशलता और कौशल उन्नयन, आधारभूत ढांचा तथा उनको सहायता प्रदान करने वाले आदानों को मुहैया कराते हुए उनकी आय में बढ़ोत्तरी करने एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां

375. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. एजेंट तथा तस्कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उपयोग गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 11 जून, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सुरक्षा बलों को सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है। गुजरात सेक्टर में कच्छ का रण क्षेत्र काफी दुर्गम है और मानसून अवधि के दौरान आवागमन कठिन हो जाता है। अत: मानसून के दौरान रण के सीमावर्ती क्षेत्र पर निगरानी रखने में काफ़ी कठिनाइयां आती हैं। तथापि, सीमा सुरक्षा बल अपनी 120 सीमा चौकियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपना निरंतर वर्चस्व बनाए रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति पकड़े गए जिनमें कुछ के बारे में ऐसी सूचना थी कि वे संचलानकर्ताओं की ओर से कार्य कर रहे थे:

2005	-	104 व्यक्ति
2006	-	68 व्यक्ति
2007 (जुलाई तक)	-	35 व्यक्ति

(ग) सरकार ने गुजरात सीमा पर सीमावर्ती सड़क के साथ-साथ 310 कि.मी. तक बाड़ लगाने और 310 कि.मी. तक तेज

रोशनी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें से 217 कि.मी. तक बाड़ लगाने तथा 202 कि.मी. तक तेज रोशनी करने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। सीमा सुरक्षा बल ने भी क्रीक क्षेत्र में सीमा चौकियां स्थापित की हैं। बाड़ लगाने और तेज रोशनी के अलावा आधुनिक एवं उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। सीमा सुरक्षा बल विशेष अभियान भी आयोजित करता है तथा अन्य सुरक्षा/आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखता है।

[अनुवाद]

साहित्य अकादमी फिल्में

376. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहित्य अकादमी समय-समय पर प्रख्यात साहित्यकारों पर फिल्में बनाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के कितने साहित्यकारों पर ऐसी फिल्में बनाई गई हैं तथा इन साहित्यकारों के नाम क्या हैं;

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन लेखकों के नाम क्या हैं जिन पर इस वर्ष फिल्में बनाई गई हैं अथवा बनाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत-चीन सीमा के साथ सड़क

377. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत-चीन सीमा क्षेत्र से सम्पर्क जोड़ने वाली सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के बारे में जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए निधियां मंजूर की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत कम आबादी भारत-चीन सीमा की विशेषता है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क अपर्याप्त है। इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए, सरकार ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 912.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 608 कि.मी. क्षेत्र में 27 सड़क सम्पर्कों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया है। इन सड़कों का निर्माण कार्य 2007-08 से शुरू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में एफ.एम. स्टेशन

378. श्री एस.के. खारवेलवन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्थित एफ.एम. स्टेशनों की शहर-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक एफ.एम. स्टेशन के कवरेज क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कवरेज विस्तार अथवा और एफ.एम. स्टेशन खोलने की सरकार की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) आकाशवाणी के 8 एफ एम स्टेशन इस समय तमिलनाडु में कार्यशील हैं। इन 8 स्टेशनों की शहर-वार अवस्थिति और कवरेज संलग्न विवरण में दी गई

है। तमिलनाडु में शहर-वार स्थित निजी एफ एम स्टेशनों को भी विवरण में दर्शाया गया है। प्रत्येक निजी एफ एम स्टेशन का कवरेज क्षेत्र ट्रांसमीटरों/एंटीना के तकनीकी पैरामीटरों तथा विभिन्न वास्तविक चरों पर निर्भर करता है।

(ग) से (च) जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, धर्मपुरी स्थित 10 किवा का एफ एम ट्रांसमीटर और 100 वाट के ऊटी तथा तंजावुर स्थित एफ एम रिले केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार हैं। सतत परियोजनाओं के भाग के रूप में तिरूनेलवेली और मदुरई स्थित दो एफ एम ट्रांसमीटर (प्रत्येक 10 किवा का) कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं का समापन निधियों के अनुमोदन व उपलब्धता तथा प्रचालन एवं रखरखाव स्टाफ के संबंध में निर्णय पर निर्भर करेगा।

जहां तक निजी एफ एम रेडियो का संबंध है, निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो प्रसारण सेवा की नीति जुलाई, 2005 में अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 337 चैनलों की नीलामी की गई। इसमें तमिलनाडु के 7 शहरों में 27 चैनल शामिल हैं। 27 चैनलों में से 23 चैनल निजी संचालकों को आबंटित किये गये थे। 4 रिक्त चैनलों के लिए निजी संचालकों से अर्हता-पूर्व बोलियों को आमंत्रित करने संबंधी निविदा सूचना दिनांक 8.6.2007 को जारी कर दी गई है।

विवरण

तमिलनाडु में आकाशवाणी के एफ एम ट्रांसमीटर की कवरेज

लगभग

क्रमांक	स्थान	क्षमता	कवरेज क्षेत्र (हजार वर्ग किमी में)
1.	चेन्नई	20 किवा	3.0
2.	चेन्नई	20 किवा	3.0
3.	नगरकोयल	10 किवा	4.2
4.	कोडईकनाल	10 किवा	37.8
5.	कोयम्बटूर	10 किवा	3.6
6.	तिरूचिरापल्ली	10 किवा	3.04
7.	मदुरई	1 किवा	1.02
8.	येरकॉड	100 वाट	8.5

तमिलनाडु में निजी एफ एम स्टेशन

क्रमांक	शहर का नाम	कार्यशील एफ एम स्टेशनों की संख्या
1.	चेन्नई	7
2.	कोयम्बटूर	1
3.	तिरूनेलवेली	1

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

379. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं तथा चावल जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जहां तक गेहूं का संबंध है, इसका निर्यात इस समय प्रतिबंधित है। लागू विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति है। तथापि, बासमती चावल का निर्यात एपीडा के साथ संविदाओं के पंजीकरण के अधीन होता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मूल्य (मि. अम. डा. में)

	2004-05	2005-06	2006-07
बासमती चावल	628.49	687.34	614.00
गैर-बासमती चावल	878.01	717.85	940.98
गेहूं	324.90	125.93	7.99

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता

380. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तमिलनाडु से लगने वाले तटवर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तटीय क्षेत्र में मछुआरों तथा उनके परिवारों की जान की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र तथा पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के क्षेत्रों की भी राज्य तटीय पुलिस की सहायता से भारतीय नौ सेना और तटरक्षकों द्वारा गहन चौकसी की जा रही है। विभिन्न आसूचना एजेंसियों से जानकारियां प्राप्त होने पर भारत सरकार तटरक्षकों और राज्य सरकार को क्षेत्र में निगरानी रखने हेतु निर्देश जारी करती रहती है।

(ग) तटीय राज्यों की राज्य सरकारें मछुआरों को किसी भी आशंका से बचने के लिए उन्हें समुद्र में ज्यादा दूरी तक न जाने के लिए नियमित रूप से अनुदेश जारी करती रहती हैं। तटरक्षक और राज्य सरकारों को भी किसी आपात घटना में मछुआरों को सभी संभव सहायता देने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

मछली निर्यात

381. श्री हितेन बर्मन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रेणी-वार तथा देश-वार मछलियों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इससे श्रेणी-वार तथा देश-वार अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल तथा केरल के झींगा मछली निर्यात उद्योग को पश्चिमी देशों की आयात नीति के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) भारत द्वारा सामान्यत: देश से और विशेषत: पश्चिम बंगाल तथा केरल से निर्यातित झींगों की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लिया जा रहा है ताकि पश्चिमी आयातक देशों की अपेक्षाओं द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ प्रक्रियाओं में सभी स्तरों पर उत्पत्तिशालाओं, फार्मों, आहार मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों में सुधार किया रहा है।

विवरण

देश-वार निर्यात का ब्यौरा

विदेशी मुद्रा अर्जन अम. डा. में - डा.
मात्रा टनों में - मा.

देश समूह		2006-07	2005-06	2004-05
1		2	3	4
जापान	मा.	67437	59785	57832
	डा.	299.20	262.79	266.96
अमरीका	मा.	43758	55817	50045
	डा.	297.08	372.62	345.52

1		2	3	4
यूरोपीय संघ	मा.	149760	136842	117742
	डा.	610.86	484.02	405.4
चीन	मा.	203513	137076	124826
	डा.	259.06	191.99	154.1
दक्षिण पूर्व एशिया	मा.	67650	60140	63842
	डा.	136.43	132.70	139.77
मध्य पूर्व	मा.	23599	22270	16624
	डा.	82.56	69.64	54.7
अन्य	मा.	56924	40234	30418
	डा.	167.75	130.44	112.03
कुल	मा.	612641	512164	461329
	डा.	1852.93	1644.21	1478.48

भारत से समुद्री उत्पादों का श्रेणी-वार निर्यात

विदेशी मुद्रा अर्जन अम. डा. में - डा.
मात्रा टनों में - मा.

मद समूह		2006-07	2005-06	2004-05
1		2	3	4
प्रशीतित श्रिम्प	मा.	137397	145180	138085
	डा.	997.64	970.43	938.41
प्रशीतित मछली	मा.	270751	182344	159689
	डा.	321.95	225.94	168.69
प्रशीतित कट्ल फिश	मा.	55701	49651	44239
	डा.	175.75	124.48	104.89
प्रशीतित स्क्विड	मा.	47252	52352	48124
	डा.	126.25	130.49	106.63
सूखी मदें	मा.	24293	14167	9692
	डा.	20.75	30.03	27.09

1		2	3	4
जीवित मर्दे	मा.	2478	2568	2262
	डा.	14.22	13.99	11.31
शीतित मर्दे	मा.	7200	5060	3988
	डा.	26.63	18.4	15.16
अन्य	मा.	67571	60841	55250
	डा.	149.72	130.46	106.29
कुल	मा.	612641	512164	461329
	डा.	1852.93	1644.21	1478.48

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

382. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन केन्द्रों में राज्यवार कुल कितने शिक्षक तथा छात्र हैं;

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने भवनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने की बजाय अप्रशिक्षित नैमित्तिक शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत शिक्षकों और स्कूल भवनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके मानदंडों, नियमों और विनियमों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाती है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत शिक्षकों और स्कूल भवनों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत शिक्षक (2007-08 तक)	संस्वीकृत स्कूल भवन (2007-08 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	37933	9189
2.	अरुणाचल प्रदेश	3054	951
3.	असम	5410	7132
4.	बिहार	220046	18010
5.	छत्तीसगढ़	53391	16403
6.	गोवा	201	0
7.	गुजरात	1848	835
8.	हरियाणा	8090	2053

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	3414	0
10.	जम्मू-कश्मीर	25426	6931
11.	झारखंड	83709	16531
12.	कर्नाटक	22404	2974
13.	केरल	496	523
14.	मध्य प्रदेश	92715	40613
15.	महाराष्ट्र	1236	14016
16.	मणिपुर*	123	968
17.	मेघालय	7077	1107
18.	मिजोरम	961	1049
19.	नागालैण्ड	168	166
20.	उड़ीसा	68724	11267
21.	पंजाब	3304	514
22.	राजस्थान	111132	8340
23.	सिक्किम	468	50
24.	तमिलनाडु	20542	6510
25.	त्रिपुरा	3326	1182
26.	उत्तर प्रदेश	251745	40674
27.	उत्तराखंड	5651	3909
28.	पश्चिम बंगाल	92681	4124
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	130	4
30.	चंडीगढ़	785	24
31.	दादरा और नगर हवेली	797	126
32.	दमन और दीव	129	12
33.	दिल्ली	28	6
34.	लक्षद्वीप	21	6
35.	पांडिचेरी	42	38
	कुल	1127207	216237

[अनुवाद]

प्रारंभिक स्कूलों के कार्यकरण का सर्वेक्षण

383. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बगैर ब्लैकबोर्ड के चल रहे प्रारंभिक स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) द्वारा इस तरह का सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संगठन द्वारा उद्घाटित सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस 2005-06) के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 89,407 स्कूलों में ब्लैकबोर्ड न होने की जानकारी दी गयी है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय जिला सूचना प्रणाली के माध्यम से वर्ष दर वर्ष आंकड़े एकत्र करता है जिसमें प्रारंभिक स्तर तक के स्कूल शामिल किए जाते हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले वर्ष की तुलना में पेयजल सार्वजनिक शौचालयों, बालिकाओं हेतु अलग से शौचालयों इत्यादि जैसी स्कूल सुविधाओं में सुधार प्रदर्शित हुआ है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि छात्र-शिक्षक अनुपात, नामांकन, पारगमन दर और लैंगिक समतुल्यता सूचकांक में सुधार हुआ है।

रबड़ के लिए संघ

384. श्री भरतरि महतो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़, चाय एवं अन्य नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले भारत एवं अन्य एशियाई देशों का विचार तेल उत्पादक देशों की तर्ज पर संघ/संगठन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ततंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत विभिन्न अंतरसरकारी संगठनों अर्थात चाय संबंधी अंतरसरकारी समूह, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों की एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय आदि का पहले से ही एक सदस्य है जिन्हें इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार विनिमय के प्रयोजनार्थ इन वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक और खपतकर्ता देशों को एक साथ लाने के लिए स्थापित किया गया है।

आई.आई.यू.एस. के अंतर्गत प्रस्ताव

385. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए दो प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो इन लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) दोनों परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के तहत गुजरात राज्य से 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 4 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, 4 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया तथा 5 प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि 675 करोड़ रुपये का संपूर्ण दसवीं योजना आबंटन, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध था।

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

386. श्री जसुभाई धाणाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं हेतु चौबीस घंटे कार्य करने वाला एक हेल्पलाइन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेल्पलाइन के माध्यम से किस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह सेवा प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध की गई संस्थाओं/अभिकरणों का राज्य/संघ राज्य खेत्रवार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ग) यह मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए "स्वाधार" नामक एक स्कीम चला रहा है, जिसके अंतर्गत "हेल्पलाइन" सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह नि:शुल्क टेलीफोन सुविधा है, जिसका इस्तेमाल कोई भी दु:खी महिला कर सकती है।

(ख) और (घ) संस्थाओं/अभिकरणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मंत्रालय के वेबसाइट www.nic.wcd.in पर उपलब्ध है।

वस्त्र इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

387. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने ई टी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि. को 101.62 हेक्टेयर क्षेत्र में उतुकुली गांव, जिला इरोड, तमिलनाडु में क्षेत्र विशिष्ट वस्त्र विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है। इस विशेष आर्थिक जोन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 107.24 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए

आर एन बी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि.; और जिला कृष्णागिरी, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में वस्त्र एवं अपैरल पार्क की स्थापना के लिए वेस्ट एंड क्रॉम्पटन को "सिद्धांततः" अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कोंकण क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड

388. श्री मिलिन्द देवराः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार विदर्भ तथा मराठवाड़ा की तर्ज पर कोंकण क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) सरकार को महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा 20 फरवरी, 2005 को पारित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य के कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की संस्तुति की गई है।

(ख) योजना आयोग, जिनसे मामले में परामर्श लिया गया था, का विचार है कि संवैधानिक संशोधन के लिए पिछड़ापन कोई एक कारण नहीं है क्योंकि विकासात्मक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के पास अन्य साधन भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को रद्द करना

389. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को रद्द करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सशस्त्र सेनाओं द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (च) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "लोक व्यवस्था" पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के बारे में सिफारिशें की हैं। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की पुनरीक्षा पर न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों सहित आयोग की इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(छ) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सेना मुख्यालयों ने विद्रोह विरोधी अभियानों में तैनात सशस्त्र बलों के लिए 'करने योग्य' एवं 'न करने योग्य' बातों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उन पर सेना अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन अभियानों के संचालन के दौरान उनका मार्गदर्शन करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ ने विद्रोह विरोधी अभियोजनों में तैनात सैनिकों के लिए 'दस आदेश' जारी किए हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकारों के किसी उल्लंघन की सेना के विभिन्न स्तरों पर स्थापित मानवाधिकार सैल द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सैनिकों को, नियमित अंतराल पर, मानवाधिकारों को कायम रखने के महत्व की जानकारी दी जाती है।

[अनुवाद]

कुपोषित बच्चे और महिलाएं

390. श्री रघुनाथ झाः क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में आधी से भी अधिक महिलाएं तथा बच्चे अत्यधिक कुपोषण तथा गंभीर अल्पपोषण से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुपोषण आदि से पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण तथा अल्पपोषण की समस्या दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार, 19.1% बच्चे अत्यधिक कुपोषित हैं तथा 33% महिलाएं चिरकालिक ऊर्जा की कमी से पीड़ित हैं।

(ख) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) और गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को मुफ्त खाद्य अनुपूरक दिए जाते हैं। अत्यधिक कुपोषित बच्चों को वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक खाद्यान्न की दोगुनी मात्रा दी जाती है।

देश के 51 जिलों में कार्यान्वित किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 35 कि.ग्रा. से कम वजन वाली किशोरियों को 6 कि.ग्रा. गेहूं/चावल प्रतिमाह दिया जाता है। लगभग 12 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) सरकार देश में कुपोषण की समस्या से अवगत है और बच्चों एवं महिलाओं की पोषण स्थिति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुधार करने वाली अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों में से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:

(1) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय):

(2) प्राथमिक शिक्षा को पोषाहारीय समर्थन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग);

(3) अल्प-पोषित किशोरियों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाया जा रहा किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(4) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(5) आयरन एवं फॉलिक एसिड तथा विटामिन 'ए' अनुपूरक कार्यक्रमों एवं नवजात शिशुओं एवं बच्चों की बीमारियों का समेकित उपचार सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(6) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(7) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग); तथा

(7) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम/स्वजलधारा तथा पूर्ण स्वच्छता अभियान/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

जम्मू तथा कश्मीर में सैन्य परिस्थिति की जांच हेतु विशेषज्ञ समितियां

391. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए तथा सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम की समीक्षा करने के लिए दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विशेषज्ञ समितियों ने जम्मू तथा कश्मीर से सेना हटाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सुरक्षा के माहौल में हुए समग्र सुधार के मद्देनजर, जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा-बल की तदाद घटाए जाने के बारे में समय-समय पर मांगें और रिपोर्टें की जाती आ रही हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा-बलों की तैनाती वास्तविक समस्याओं और आवश्यकताओं के पैमाने से सम्बद्ध हो। इस संदर्भ में ऊपर बताए गए सरकार के दृष्टिकोण के मद्देनजर, समग्र स्थिति और सुरक्षा बलों की तैनाती की जांच-पड़ताल करने और यह तय करने हेतु रक्षा-सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करना तय किया गया है कि सुरक्षा-बलों की मौजूदा तैनाती को पुनर्निर्धारित करने और उसे समनुरूपी बनाने की आवश्यकता है या नहीं।

उपर्युक्त समिति, ऊपर बताई गई कवायद करने के साथ जम्मू और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के लागू किए जाने की समीक्षा से जुड़ी समांतर कवायद भी करेगी। उपर्युक्त समीक्षा, उपर्युक्त अधिनियम के लागू किए जाने की आवधिक समीक्षा की विधिक आवश्यकता के अनुरूप की जाएगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट, अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना

392. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मांगे जाने पर असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल किए जाने हेतु वर्ष 2005 में एक रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) क्या पहले भी असम सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के महापंजीयक, संबंधित प्रवर समिति तथा ससंद की स्थायी समिति ने "कोच राजमबोंग्शी" तथा अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का समुदाय-वार ब्यौरा क्या है तथा अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त समुदाय को कब तक अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां। असम राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में असम में निवास करने वाले कोच राजबोंग्शी, ताई-अहोम, चुटिया, मोरन, मटक एवं चाय तथा भूतपूर्व चायबागान समुदायों की सामाजिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट की एक प्रति भेजी है तथा इन समुदायों को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की संस्तुति की है।

(ख) से (घ) वर्ष 1993 में, असम राज्य सरकार ने कोच राजबोंग्शी को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने की संस्तुति की थी, परंतु राज्य सरकार की संस्तुति के साथ संलग्न रिपोर्ट विरोधाभासयुक्त थी एवं भारत के महापंर्जायक ने दावे को अस्वीकार कर दिया। बाद में, राज्य सरकार ने एक संशोधित रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर 1995 में भारत के महापंजीयक ने इसे पिछली रिपोर्ट के साथ बिना जोड़े इस सूची में इसे शामिल करने का समर्थन किया।

दिनांक 27.1.1996 को असम की अनुसूचित जनजाति सूची (असम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर) में कोच राजबोंग्शी को शामिल करने को प्रभाव में लाने हेतु एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इसे सूची में शामिल करने को सतत रूप से प्रभावी बनाने के लिए इस अध्यादेश को दिनांक 27.3.1996, 27.6.1996 तथा 9.1.1997 को पुन: प्रख्यापित किया गया। यह अध्यादेश 2.4.1997 को व्यपगत हो गया। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 1996 दिनांक 12.7.1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त विधेयक को दिनांक 2.8.1996 को लोक सभा की "प्रवर समिति" को भेजा गया। प्रवर समिति ने 14.8.1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रवर समिति की रिपोर्ट को असम राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को परिचालित की गई थी। असम सरकार और भारत के महापंजीयक ने असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में कोच राजबोंग्शी को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी (तथापि, मार्च, 1997 में, असम सरकार ने यह उल्लेख किया था कि विकास की प्रक्रिया द्वारा समाज के अन्य वर्गों की भांति कोच राजबोंग्शी लाभान्वित हुई है और यह कहना सही नहीं होगा कि वे इस अवधि के दौरान पिछड़े वर्ग में आ गए हैं ताकि वे अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का दावा कर सकें)। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जनजाति के रूप में इसके विनिर्देशन का पक्ष नहीं लिया था। तथापि, 2002 में, राष्ट्रीय आयोग ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और इसे शामिल करने के संबंध में सिफारिश की। उन्होंने मामले को इसे सम्मिलित करने के बारे में औचित्य के लिए भारत के महापंजीयक को भी भेजा। लेकिन भारत के महापंजीयक ने कोच राजबोंग्शी समुदाय के दावे को अस्वीकार कर दिया।

भारत के महापंजीयक ने 2005 के उपर्युक्त संदर्भित संदर्भ (20.3.06 को) सहित कोच राजाबोंग्शी को सम्मिलित करने से संबंधित प्रस्ताव पर आठ बार (1981, 1992 1995, 1997, 2000, 2003, 2005 और 20.3.2006) टिप्पणियां की है। इसी प्रकार, अन्य उपर्युक्त समुदायों के मामलों में, भारत के महापंजीयक ने

असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में उनको सम्मिलित करने के दावों को कई बार अस्वीकार किया है।

(ङ) चूंकि प्रक्रिया के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन हेतु संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति आवश्यक होती है और चूंकि इसमें समय भी लगता है, अतएव इस समय किसी विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का बंद होना

393. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों से महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिले बंद पड़ी हैं;

(ख) अब तक कितने कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है तथा इस पर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) अब तक कितनी वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है तथा शेष वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी मिलों की जमीन बेच दी गई है; और

(ङ) उक्त जमीन की बिक्री से मिलवार, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के अनुसार, 67 मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया है। बंद मिलों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) दिनांक 1.8.2007 की स्थिति के अनुसार, 55455 कर्मचारियों (48019 कामगारों सहित) को 1942.88 करोड़ रु. का मुआवजा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, एन टी सी लि. को भूमि और परिसंपत्तियों की बिक्री से निधियां जुटाकर स्वत: 22 मिलों का आधुनिकीकरण करना है। एन टी सी ने अपने तेरह मिलों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है जिसके लिए मशीनरी की खरीद के लिए आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और मशीनरी संस्थापन और चालू किए जाने की प्रक्रिया में है। मध्य प्रदेश राज्य में दो मिलों का अब पुनरुद्धार किया जाएगा क्योंकि भूमि की बिक्री के लिए निवेदित राहत और छूट राज्य सरकार द्वारा दे दी गयी है। माहे में एक मिल के आधुनिकीकरण का कार्य श्रमिक समस्या के कारण शुरू नहीं किया जा सका जिसका अब समाधान कर लिया गया है। शेष छ: मिलों के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि 4 मिलों को उसी राज्य में मेट्रो शहरों से हटाकर अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लगाया जाए और टर्नकी आधार पर 2 मिलों का पुनरूद्धार किया जाए। इन मिलों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) 29 बंद मिले हैं जिनकी भूमि एन टी सी द्वारा बेची गई है। प्राप्त राशि का ब्यौरा देते हुए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण I

आई डी अधिनियम के अंतर्गत 67 बंद मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों का नाम	बंद होने की तिथि
1	2	3
राजस्थान		
1.	एडवर्ड मिल्स	06.05.2002
पंजाब		
2.	दयालबाग मिल्स	01.09.2003
3.	पानीपत वूलन मिल्स	15.05.2004

1	2	3
मध्य प्रदेश		
4.	कल्याणमल मिल्स	31.05.2002
5.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	31.05.2002
6.	हीरा मिल्स	31.10.2002
7.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	31.03.2003
छत्तीसगढ़		
8.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	31.10.2002
III. एनटीसी (महाराष्ट्र नॉर्थ) लि.		
9.	कोहिनूर मिल्स नं. 2	01.06.2002
10.	कोहिनूर मिल्स नं. 3	01.06.2002
11.	इंडिया यूनाइटेड कोहिनूर मिल्स नं. 4	31.10.2002
12.	इंडिया यूनाइटेड कोहिनूर मिल्स नं. 2	31.3.2004
13.	इंडिया यूनाइटेड कोहिनूर मिल्स नं. 3	31.3.2004
14.	जाम मैन्यु. मिल्स	31.3.2004
15.	श्री सीताराम मिल्स	31.3.2004
16.	मॉडल मिल्स	5.6.2004
17.	आर एस आर जी मिल्स	5.6.2004
18.	विदर्भ मिल्स	5.6.2004
19.	कोहिनूर मिल्स नं. 1	27.12.2006
20.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 6	24.1.2007
21.	भारत टैक्सटाइल मिल्स	1.4.2004
22.	दिग्विजय टेक्स. मिल्स	1.4.2004
23.	एलिफिंस्टन स्पि. एंड विविंग, मिल्स	1.4.2004
24.	जूपिटर टेक्स, मिल्स	1.4.2004
25.	मुंबई टेक्स, मिल्स	1.4.2004
26.	न्यू हिन्द टेक्स, मिल्स	1.4.2004
27.	पोद्दार प्रोसेसर्स	1.4.2004
28.	श्री मधुसूदन मिल्स	1.4.2004

1	2	3
गुजरात		
29.	पेटलाड टेक्स. मिल्स	6.5.2002
30.	राजकोट टेक्स, मिल्स	6.5.2002
31.	विरंघम टेक्स. मिल्स	31.7.2002
32.	नयू मानिकचौक टेक्स मिल्स	31.7.2002
33.	महालक्ष्मी टेक्स, मिल्स	30.9.2002
34.	राजनगर टेक्स. मिल्स नं. 2	31.10.2002
35.	अहमदाबाद जूपीटर मिल्स	31.3.2003
36.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स	30.9.2003
37.	जहांगीर टेक्स मिल्स	30.6.2004
आंध्र प्रदेश		
38.	अदोनी कॉटन मिल्स	6.5.2002
39.	नटराज स्पि. मिल्स	6.5.2002
40.	नेथा स्पि. एंड विवि. मिल्स	6.5.2002
41.	आजम जाही मिल्स	31.10.2002
कर्नाटक		
42.	मैसूर मिल्स (मिनर्वा मिल्स में सम्मिलित)	—
43.	एम.एस.के. मिल्स	6.5.2002
पश्चिम बंगाल		
44.	बंगाल कॉटन मिल्स	6.5.2002
45.	बंगाल फाइल एस एंड डब्ल्यू मिल्स-2	6.5.2002
46.	मनिन्द्रा बी.टी. मिल्स	6.5.2002
47.	ज्योति विवि. फैक्ट्री	6.5.2002
48.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	6.5.2002
49.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	6.5.2002
50.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	25.10.2003
51.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	25.10.2003
52.	बंगाल फाइन एस एंड डब्ल्यू मिल्स-1	25.10.2003

1	2	3
बिहार		
53.	गया कॉटन एंड जूट मिल्स	6.5.2002
तमिलनाडु		
54.	किशनावेनी टेक्स. मिल्स	31.5.2002
55.	ओम पराशक्ति मिल्स	31.5.2002
56.	कालिसवरार मिल्स "ए' यूनिट	21.7.2002
57.	सौमासुन्दरम मिल्स	31.10.2002
58.	बलरामवर्मा मिल्स	6.1.2003
उत्तर प्रदेश		
59.	एर्थटन मिल्स	11.3.2004
60.	बिजली कॉटन मिल्स	11.3.2004
61.	लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स	11.3.2004
62.	लॉर्ड कृष्णा टेक्स. मिल्स	11.3.2004
63.	मयूर मिल्स	11.3.2004
64.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	11.3.2004
65.	रायबरेली टेक्स. मिल्स	11.3.2004
66.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	11.3.2004
67.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	11.3.2004

विवरण II

दिनांक 1.8.2007 की स्थिति के अनुसार एमवीआरएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या व मिलवार तथा राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मिल का नाम	एमवीआरएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सं.	दी गई राशि करोड़ रुपए में
1	2	3	4
एन टी सी (एपीकेकेएम)			
आंध्र प्रदेश			
1.	आजमजाही मिल्स	455	15.87
2.	नेथा मिल्स	126	2.73

1	2	3	4
3.	अनंतपुर मिल्स	284	7.81
4.	अदोनी मिल्स	104	3.49
5.	नटराज मिल्स	59	2.23
6.	तिरूपति मिल्स	4	0.24
कर्नाटक			
7.	एम एस के मिल्स	750	21.6
8.	मिनर्वा मिल्स	1687	63.55
9.	मैसूर स्पि. एंड विवि. मिल्स	मिनर्वा मिल में पहले ही विलय	
10.	श्री यल्लमा मिल्स	311	9.43
केरल			
11.	कन्नानूर मिल्स	0	0
12.	केरला लक्ष्मी	1	0.04
13.	विजय मोहिनी	0	0
14.	अलगप्पा मिल्स	108	2.41
15.	पार्वती मिल्स	224	5.53
पांडिचेरी			
16.	कन्नानूर मिल्स	6	0.15
	आरएमडी	180	7.63
	नियमित कार्यालय	88	6.14
	कुल	4387	148.85
एनटीसी (डीपीआर)			
पंजाब			
17.	सूरज टेक्स मिल्स	529	12.68
18.	दयाल बाग मिल्स	505	11.12
19.	खरर टैक्स. मिल्स	577	14.4
20.	पानीपत वूलन	631	14.86
राजस्थान			
21.	उदयपुर मिल्स	365	9.82
22.	श्री बिजय कॉटन	408	9.97

1	2	3	4
23.	महालक्ष्मी मिल्स	288	7.24
24.	एडवर्ड मिल्स	280	6.89
	आरएमडी	109	4.6
	कारपोरेट कार्यालय	31	2.21
	कुल	3723	93.79
एन टी सी (गुजरात)			
25.	अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स	1156	41.78
26.	जहांगीर टैक्स. मिल्स	1115	41.07
27 और 28.	राजनगर नं. 1 व 2	1400	48.89
29.	न्यू मानेकचॉक मिल्स	778	27.43
30.	हिमाद्री टैक्स. मिल्स	515	19.43
31.	अहमदाबाद जूपीटर	794	27.97
32.	वीरमगाम टैक्स. मिल्स	732	22.43
33.	पेटलेड टैक्स मिल्स	376	11.25
34.	महालक्ष्मी टैक्स मिल्स	725	23.48
35.	राजकोट टैक्स. मिल्स	307	9.49
	आरएमडी	21	0.73
	कारपोरेट कार्यालय	48	3.1
	कुल	7967	277.05
एनटीसी (एम पी)			
मध्य प्रदेश			
36.	इंदौर मालवा मिल्स	1841	43.66
37.	स्वदेशी मिल्स	617	16.97
38.	कल्याणमल मिल्स	1446	37.12
39.	न्यू भोपाल मिल्स	301	9.68
40.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	707	16.54
41.	हीरा मिल्स	878	22.92

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
42.	बंगाल नागपुर मिल्स	1223	31.61
	आरएमडी	25	0.87
	कारपोरेट कार्यालय	29	1.6
	कुल	7067	180.97
एनटीसी (एच एम)			
महाराष्ट्र			
43.	इंदू नं. 1	498	25.68
44.	इंदू नं. 2	813	39.66
45.	इंदू नं. 3	490	23.84
46.	इंदू नं. 4	592	30.4
47.	इंदू नं 5	342	18.44
48.	इंदू नं. 6	321	15.11
49.	मॉडल मिल्स	1306	46.52
50.	आर एस आर जी मिल्स	621	17.39
51.	सावतरम मिल्स	196	5.7
52.	आर बी बी ए मिल्स	359	10.99
53.	विदर्भ मिल्स	528	15.63
54.	कोहिनूर मिल्स 1	510	22.79
55.	कोहिनूर मिल्स 2	83	3.95
56.	कोहिनूर मिल्स 3	16	0.67
57.	टाटा मिल्स 1	266	12.48
58.	जाम मिल्स	702	36.56
59.	पोद्दार मिल्स	333	18.86
60.	श्री सीवतारम मिल्स	292	13.09
	आरएमडी	21	0.92
	कारपोरेट कार्यालय	19	1.33
	कुल	8308	360.01

1	2	3	4
एनटीसी (एस एम)			
61.	अपोलो मिल्स	251	12.89
62.	दिग्विजय मिल्स	869	41.92
63.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	809	33.29
64.	जूपीटर मिल्स	739	36.63
65.	मुंबई मिल्स	805	37.36
66.	न्यू हिन्दी टेक्स. मिल्स	889	40.73
67.	औरंगाबाद मिल्स	16	0.55
68.	चालीसगांव मिल्स	588	17.86
69.	नंदेड़ मिल्स	150	5.77
70.	बरसी मिल्स	6	0.2
71.	धुले	338	11.43
72.	पोद्दार प्रोसेसिंग	431	19.08
73.	फिनले मिल्स	1071	49.28
74.	गोल्ड मोहन मिल्स	481	23.08
75.	एल्फिस्टन मिल्स	702	33.49
76.	न्यू सिटी मिल्स	472	24.79
77.	श्री मधुसूदन मिल्स	512	21.63
	आरएमडी	4	0.23
	कारपोरेट कार्यालय	30	2.04
	कुल	9163	412.25
एनटीसी (टीएंडपी)			
तमिलनाडु			
78.	सोमासुन्दरम मिल्स	642	15.97
79.	कोयम्बटूर मुर्गन	7	0.23
80.	ओम पराक्षी मिल्स	284	7.39
81.	कंबोडिया मिल्स	241	8.45
82.	कृष्णावेनी मिल्स	223	5.99
83.	श्री रंगविलास मिल्स	7	0.26

1	2	3	4
84.	पंकजा मिल्स	4	0.14
85.	पायोनीयर मिल्स	3	0.1
86.	बलरामवर्मा मिल्स	292	6.4
87.	कालेश्वरर क	216	5.75
88.	कालेश्वरर ख	1	0.03
89.	श्री शारदा मिल्स	11	0.41
90.	सी.एस.डब्ल्यू. मिल्स	221	7.19
	सेंट्रल टेस्ट. मिल्स	4	0.22
पांडिचेरी			
91.	श्री भारती मिल्स		
92.	स्वदेशी मिल्स	206	5.86
	आरएमडी	96	2.76
	कारपोरेट ऑफस	57	3.77
	कुल	2515	70.92
एनटीसी (उ.प्र.)			
उत्तर प्रदेश			
93.	मयूर मिल्स	1248	36.05
94.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	1276	36.08
95.	स्वदेशी, कानपुर	1118	34.45
96.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	473	12.57
97.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स	513	13.78
98.	स्वदेशी नैनी मिल्स	878	25.69
99.	स्वदेशी आर.ई.	164	4.41
100.	स्वदेशी मऊ	416	10.72
101.	बिजली कॉटन मिल्स	116	3.45
102.	लक्ष्मीरतन मिल्स	1143	31.86
103.	एर्थटन मिल्स	982	27.09

1	2	3	4
	आरएमडी	215	8.46
	निगमित कार्यालय	11	0.77
	कार्यालय	8553	245.38
एनटीसी (डब्ल्यू बी ए बी ओ)			
पश्चिम बंगाल			
104.	रामपुरिया मिल्स	207	7.22
105.	बंगाल लक्ष्मी मिल्स	192	6.53
106.	ज्योति मिल्स	101	3.97
107.	आरती मिल्स	273	10.68
108.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	288	10.7
109.	बंगाल फाइन नं. 1	175	6.02
110.	बंगाश्री मिल्स	75	2.79
111.	लक्ष्मी नारायण मिल्स	388	15.74
112.	सोदेपुर मिल्स	308	11.67
113.	श्री महालक्ष्मी मिल्स	152	6.2
114.	बंगला फाइन नं. 2	52	1.91
116.	महिन्द्रा मिल्स	103	4.11
असम			
116.	एसोसिएटेड मिल्स	98	3.72
बिहार			
117.	बिहार कार्पोरेशन	321	11.13
118.	गया कॉटन मिल्स	153	4.8
उड़ीसा			
119.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	133	3.62
	आरएमडी	379	15.14
	कारपोरेट कार्यालय	266	18.91
	कुल	3664	144.86
	एन टी सी (एच.सी)	108	8.8
	कुल योग	55455	1942.88

विवरण III

पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित 22 मिलों की सूची

क्र.सं.	मिल का नाम	अवस्थिति
1	2	3
कर्नाटक		
1.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर
केरल		
2.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
3.	कन्नानुर स्पि. एंड विविंग मिल्स	कन्नानूर
4.	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
5.	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
माहे		
6.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	माहे
महाराष्ट्र		
7.	पोद्दार मिल्स	मुंबई
8.	टाटा मिल्स	मुंबई
9.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
10.	बरसी टेक्सटाइल मिल्स	बरसी
11.	फिनले मिल्स	मुंबई
तमिलनाडु		
12.	कंबोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
13.	कंबोडिया मुर्गन मिल्स	कोयम्बटूर
14.	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
15.	पायोनीर स्पिनर्स मिल्स	कोयम्बटूर
16.	श्री रंगविलास स्पि. एंड विवि. मिल्स	कोयम्बटूर
17.	कालेश्वर मिल्स "बी" यूनिट	कलायरकोइल
राजस्थान		
18.	उदयपुर कॉटन मिल्स	उदयपुर

1	2	3
गुजरात		
19.	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं. 1	अहमदाबाद
पश्चिम बंगाल		
20.	आरती कॉटन मिल्स	दासनगर
मध्य प्रदेश		
21.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
22.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल

विवरण IV

31.7.2007 की स्थिति के अनुसार एनटीसी की बंद मिलों की भूमि की बिक्री का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम/मिल	बेची गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	कीमत जिस पर भूमि बेची गई (करोड़ रु. में)	भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	नटराज मिल्स, निर्मल	70.00	3.11	3.31
2.	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	9.83	24.02	24.02
3.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	200.25	49.72	51.19
	कुल	280.08	76.85	78.52
कर्नाटक				
4.	मैसूर मिल्स, बंगलौर	18.69	79.16	80.05
	मैसूर मिल्स (बंगला नं. 106)	1.88	37.01	37.01
5.	एमएसके मिल्स, गुलबर्ग	155.20	17.08	16.15
	कुल	175.77	133.25	133.21
	कुल योग	455.85	210.10	211.73
दिल्ली				
6.	अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	4.54	67.01	67.01
	कुल	4.54	67.01	67.01

1	2	3	4	5
पंजाब				
7.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरार	7.69	12.50	12.50
	कुल	7.69	12.50	12.50
	कुल योग	12.23	79.51	79.51
गुजरात				
8.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.72	18.20	18.20
9.	जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	10.52	25.00	5.00
	कुल	19.24	43.20	23.20
महाराष्ट्र उत्तर				
10.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लाट नं. 1-2)	4.99	0.50	0.50
	प्लाट नं. 6)	0.89	0.36	0.36
	विदर्भ मिल्स, मिल गेट का दक्षिण भाग	1.81	0.75	0.75
11.	मॉडल मिल्स, नागपुर			
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 2)	0.21	0.36	0.36
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 3 पुराना श्रमिक चाल का प्लॉट	1.10	1.24	1.24
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 1 एस.टी. स्टैंड के पास)	6.98	9.50	9.50
	मॉडल मिल्स (5 हंगला के साथ लाट)	1.49	6.32	6.32
12.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला (प्लाट नं. 3)	1.96	0.45	0.45
	प्लाट नं. 1	1.10	0.25	0.25
	प्लाट नं. 2	1.06	0.30	0.30
	आरएसआरजी (स्टाफ क्वार्टर के साथ प्लाट)	1.27	0.41	0.41
13.	कोहिनूर मिल्स नं. 3, मुम्बई	4.84	421.00	421.00
	कुल	27.70	441.44	441.44
मध्य प्रदेश				
14.	इंदौर मालवा, इंदौर	3.95	88.93	81.81
	कुल	3.95	88.93	81.81

1	2	3	4	5
दक्षिण महाराष्ट्र				
15.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	16.62	702.22	702.22
16.	ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	10.91	276.60	276.60
17.	एलिफिस्टन मिल्स, मुंबई	7.97	441.75	441.75
	कुल	35.50	1420.57	1420.57
तमिलनाडु				
18.	ओमपराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	4.50	4.50
19.	कालिश्वर 'ए' मिल्स (साइट नं. 2)	0.19	0.54	0.54
20.	कृष्णावेणी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	5.20	5.20
21.	बलरामवर्मा मिल्स, सेनकट्टा	20.22	1.72	1.72
	कुल	39.18	11.96	11.96
उत्तर प्रदेश				
22.	बिजली काटन मिल्स, हाथरस	5.82	4.69	2.64
23.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	3.23	7.50	7.50
	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	1.53	4.23	0.32
	कुल	10.58	16.42	10.46
पश्चिम बंगाल				
24.	बंगाल लक्ष्मी टेक्स. मिल्स, सेरमपोर	27.72	17.00	6.25
25.	बंगाश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	26.71	61.00	61.12
26.	सेंट्रल काटन टेक्सटाइल मिल्स, बेलूर	11.67	13.35	13.40
27.	श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पल्टा	11.24	15.41	15.41
28.	ज्योति विविंग फैक्ट्री, कोलकाता	4.98	13.31	13.31
	कुल	82.32	120.07	109.49
बिहार				
29.	गया काटन टेक्सटाइल मिल्स, गया	29.30	9.02	9.21
	कुल	29.30	9.02	9.21
	कुल योग	111.62	129.09	118.70
	सकल कुल योग	715.85	2441.22	2399.38

[अनुवाद]

बाढ़ प्रभावित राज्य

394. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जुएल ओराम:
श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री पन्नियन रविन्द्रन:
श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री पंकज चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों विशेषकर वर्ष 2007 के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए कोई केन्द्रीय दल नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दलों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या प्रतिवेदन दिए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जान-माल, फसल तथा पशुधन को हुए नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अब तक प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता तथा खाद्यान्नों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (छ) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ आदि के कारण हुई विभिन्न स्तरों को सूचित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और जान-माल की हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2007 की भारी वर्षा और बाढ़ के संबंध में वित्तीय और खाद्यान्न की मांग का ज्ञापन अभी तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों ने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर उक्त सभी राज्यों के लिए अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय दलों का गठन और प्रति नियुक्ति की गई है। दल उत्तर प्रदेश का दौरा शीघ्र ही करेगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उन पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आपदा राहत निधि में केन्द्र के अंश और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से जारी निधि का आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III में दिया गया है।

वर्ष 2007 की बाढ़ के लिए खाद्यान्न सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पर विचार केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार किए जाने के बाद तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।

भारत सरकार ने बाढ़ सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति का विशिष्ट रूप से समाधान करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया है।

विवरण I

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन के राज्य-वार ब्यौरे

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	वर्ष											
		2005-06				2006-07				2007-08 (13.8.07 तक)			
		जनहानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनहानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या)	क्षतिग्रस्त मकान (संख्या)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनहानि (संख्या)	पशुधन हानि (संख्या)	क्षतिग्रस्त मकान (संख्या)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	114	4956	120404	3.34	247	366308	322074	8.14	57	47172	202420	0.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	636	6572	0.12	—	—	—	—	—	—	16	—
3.	असम	27	—	735	0.33	7	20	2367	0.11	37	—	10091	3.55
4.	बिहार	51	—	4266	0.56	25	19	17447	0.75	257	102	130927	11.31
5.	छत्तीसगढ़	37	470	22155	0.41	37	9653	15820	0.15	10	38	12288	0.022
6.	गुजरात	213	7563	161622	3.66	293	8421	161625	7.47	321	9707	28157	4.68
7.	गोवा	0	0	0	0.00	—	—	5	0.00	2	—	439	नग.
8.	हरियाणा	11	66	3647	0.12	6	—	—	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	15	3081	2872	0.58	48	846	4379	0.94	1	41	369	0.004
10.	जम्मू-कश्मीर	3	86	357	0.01	25	2677	11835	0.61	—	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	5	101	3011	0.03	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	160	13000	110498	2.43	123	236	20440	1.55	172	3451	57147	0.39
13.	केरल	131	1509	20527	0.60	180	2269	114435	0.24	235	2772	50399	0.96
14.	मध्य प्रदेश	86	45638	223022	0.05	168	6107	129998	—	69	290	17809	0.04
15.	महाराष्ट्र	1108	31251	591224	10.00	423	13417	594516	12.59	113	1477	47045	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	1	115	67	—	—	—	—	नग.	—	—	—	—
18.	मिजोरम	2	8	27	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैण्ड	15	—	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	22	—	5410	3.45	90	1656	120356	3.09	32	863	27810	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	पंजाब	25	116	268	1.04	8	16	224	0.02	7	1	200	0.078
22.	राजस्थान	82	435	12981	0.34	146	42253	254844	17.36	51	503	8232	नग..
23.	सिक्किम	10	63	390	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	252	1468	757852	4.47	23	67	444	17.37	28	109	656	—
25.	त्रिपुरा	—	—	4	—	—	—	—	—	8	—	3	—
26.	उत्तर प्रदेश	203	259	72729	3.67	508	588	—	—	170	141	203700	29.55
27.	उत्तराखंड	113	277	1712	—	—	—	—	—	14	20	50	—
28.	पश्चिम बंगाल	7	—	461	—	36	697	160575	0.45	182	3728	357857	2.21
	पुडचेरी	—	—	—	—	—	268	285	नग..	2	—	62	नग..

नग. = नगण्य

विवरण II

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान का आबंटन और जारी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई	आबंटन	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	258.06	258.06	270.96	335.48	284.51	219.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.23	21.23	21.84	21.84	22.48	11.24
3.	असम	144.79	72.40	148.97	221.37	153.36	76.68
4.	बिहार	111.69	55.85	114.92	55.85	118.31	174.07
5.	छत्तीसगढ़	83.81	41.91	86.23	150.33	88.76	22.19
6.	गोवा	1.58	0.79	1.66	2.45	1.74	0.87
7.	गुजरात	184.50	184.50	193.73	246.87	203.41	48.57
8.	हरियाणा	93.28	83.95	97.95	107.28	102.85	51.43
9.	हिमाचल प्रदेश	75.52	75.52	77.70	77.70	79.99	40.00
10.	जम्मू-कश्मीर	64.84	64.84	66.72	66.72	68.68	34.34

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	94.56	94.56	97.28	48.64	100.15	48.64
12.	कर्नाटक	86.00	86.00	90.28	113.98	94.81	71.11
13.	केरल	64.13	64.13	67.33	67.33	70.70	70.70
14.	मध्य प्रदेश	190.67	190.67	196.18	246.67	201.97	50.50
15.	महाराष्ट्र	167.18	167.18	175.54	220.00	184.31	47.70
16.	मणिपुर	4.17	—	4.29	—	4.42	10.67
17.	मेघालय	8.47	4.24	8.71	12.95	8.96	4.48
18.	मिजोरम	4.94	2.47	5.08	5.01	5.23	—
19.	नागालैण्ड	2.87	1.44	2.95	—	3.03	4.39
20.	उड़ीसा	226.16	226.16	232.68	291.34	239.53	61.11
21.	पंजाब	109.52	54.76	115.00	112.26	120.74	57.50
22.	राजस्थान	311.73	311.73	327.32	413.66	343.68	85.50
23.	सिक्किम	13.15	13.15	13.53	—	13.93	13.53
24.	तमिलनाडु	156.81	78.41	164.65	243.06	172.88	—
25.	त्रिपुरा	9.64	—	9.92	14.6	10.21	10.07
26.	उत्तर प्रदेश	221.95	221.95	228.36	228.36	235.10	117.55
27.	उत्तराखंड	71.02	71.02	72.44	36.22	73.93	36.22
28.	पश्चिम बंगाल	176.05	176.05	181.12	181.12	186.47	93.24
	कुल	2958.32	2622.94	3073.34	3521.06	3194.14	1287.31

विवरण III

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान एन सी सी एफ से की गई जारी सहायता

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई सहायता		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	203.06	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.44	44.38	—

1	2	3	4	5
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—
7.	गुजरात	304.31	545.69	—
8.	हरियाणा	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	112.97	25.14	—
10.	जम्मू-कश्मीर	309.77	—	13.51
11.	झारखंड	—	—	—
12.	कर्नाटक	358.85	384.97	—
13.	केरल	17.94	—	50
14.	मध्य प्रदेश	—	30.85	—
15.	महाराष्ट्र	657.25	589.90	168.92
16.	मणिपुर	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—
19.	नागालैण्ड	—	0.81	—
20.	उड़ीसा	—	25.00	—
21.	पंजाब	—	—	—
22.	राजस्थान	—	100.00	—
23.	सिक्किम	—	5.20	—
24.	तमिलनाडु	1131.91	—	—
25.	त्रिपुरा	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
27.	उत्तराखंड	—	7.06	—
28.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	कुल	3061.44	1962.05	250.23

आवासीय विद्यालय

395. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे आवासीय विद्यालयों की राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इन आवासीय विद्यालयों से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) तीन प्रकार की स्कूल प्रणालियां हैं जो इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं और इनका प्रबंधन स्वायत्त संगठनों अर्थात् केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय आवासीय स्कूल नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालयों और आवासीय केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के स्कूलों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान आवासीय विद्यालयों से जवाहर नवोदय विद्यालयों के 1,91,111 विद्यार्थी और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के स्कूलों के 3239 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित आवासीय विद्यालयों की राज्य/संघशासित प्रदेश वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन स्कूलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	—
3.	असम	25	—
4.	बिहार	37	—
5.	छत्तीसगढ़	16	—
6.	दिल्ली	2	—
7.	गोवा	2	—
8.	गुजरात	18	—
9.	हरियाणा	19	—
10.	हिमाचल प्रदेश	11	02
11.	जम्मू-कश्मीर	14	—
12.	झारखंड	21	—
13.	कर्नाटक	27	01
14.	केरल	14	—
15.	मध्य प्रदेश	48	—
16.	महाराष्ट्र	31	—
17.	मणिपुर	9	—
18.	मेघालय	7	—
19.	मिजोरम	3	—
20.	नागालैण्ड	10	—
21.	उड़ीसा	29	—
22.	पंजाब	17	—
23.	राजस्थान	32	—
24.	सिक्किम	4	—
25.	तमिलनाडु*	0	—
26.	त्रिपुरा	3	—
27.	उत्तर प्रदेश	66	—
28.	उत्तराखंड	12	01
29.	पश्चिम बंगाल	14	02
	योग	529	06
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	—
2.	चंडीगढ़	1	—

1	2	3	4
3.	दादरा और नगर हवेली	1	—
4.	दमन और दीव	2	—
5.	लक्षद्वीप	1	—
6.	पांडिचेरी	4	—
	योग	11	शून्य
	कुल योग	540	06

*तमिलनाडु राज्य ने नवोदय विद्यालय योजना को नहीं अपनाया है।

विद्यालय पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार विषय

396. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों में विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सूचना के अधिकार को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन कदमों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्राकशित कक्षा-10 की राजनीति विज्ञान, कक्षा-12 की समाजशास्त्र तथा कक्षा-12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लेख है।

जम्मू तथा कश्मीर में महिलाओं एवं बच्चों का पुनर्वास

397. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में उग्रवाद से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आतंकवाद से कितनी महिलाएं एवं बच्चे प्रभावित हुए हैं;

(घ) अब तक कितनी महिलाओं एवं बच्चों का पुनर्वास किया गया है; और

(ङ) शेष महिलाओं तथा बच्चों का पुनर्वास कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) 24-25 मई, 2006 को श्रीनगर में आयोजित जम्मू और कश्मीर पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अनुसरण में जम्मू और कश्मीर पर पांच कार्यकारी दल गठित किए गए थे। कार्यकारी दल सं. 1 राज्य में समाज के सभी वर्गों में विश्वास बहाली संबंधी उपायों के लिए था। इस दल को अन्य कार्यों के साथ-साथ आतंकवाद से प्रभावित सभी अनाथों और विधवाओं के पुनर्वास की स्कीमें तैयार करने का उद्देश्य ध्यान में रखने का कार्य सौंपा गया। दल ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम तैयार करने की संस्तुति की है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में 1996 से ही पुनर्वास परिषद् सक्रिय है जो विधवाओं, अनाथों, अपाहिजों और बूढ़े पुरुषों और स्त्रियों, आतंकवाद के चलते मारे गए अथवा अपाहिज बनाए गए, रोजीरोटी कमाने वालों के पुनर्वास का कार्य करती है। वर्ष 2007-08 के दौरान पुनर्वास परिषद् की स्कीमों के तहत शामिल लाभ भोगियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विधवा	5273
अनाथ	8500
अन्य	3604
कुल	17,377

2006-07 के दौरान पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदान की गई सहायता

विधवा	4451
अनाथ	5215
अन्य	1566
कुल	11,232

पहचाने गए सभी लाभभोगी स्कीम के तहत कवर किए गए हैं और जब कभी भी नए आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी संख्या को उद्यतन किया जाता है।

नाल्को में कोयले की कमी

398. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री चन्द्र शेखर दूबे:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में नाल्को में कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण संकट की स्थिति आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप हाल में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रभावित हुआ है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) नालको ने सूचित किया है कि कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण-सर्वाधिक गर्मी के महीनों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम सी एल) की भरतपुर खानों से अपेक्षाकृत कम प्राप्ति, भरतपुर खानों में उपस्कर संबंधी समस्याएं जिनके फलस्वरूप नालको के लदान स्थल तक कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई, ढुलाई के लिए रेलवे रेक की अनुपलब्धता तथा कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। नालको ने स्थानीय कोयले में मिलाने के लिए आयातित कोयला खरीदा है और एक विशेष एकबारगी उपाय के रूप में इसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कोयले के 75 रेक का आबंटन मिला है जिसमें से 7 अगस्त, 2007 से कोयले की प्राप्ति शुरू हो गई है।

(ग) कोयले की कम आपूर्ति की वजह से, वर्तमान में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की पांच इकाइयां प्रचालनाधीन हैं जबकि सामान्यतया इसकी सात इकाइयां प्रचालित की जाती हैं, इसके फलस्वरूप प्रगालक में एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव इकाइयों से विद्युत की उपलब्धता में कमी आ गई है। तथापि, नालको ने राज्य ग्रिड से लगभग 100 एम डब्ल्यू विद्युत खरीदकर एल्युमीनियम के उत्पादन को बरकरार रखा है।

साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक, 2005

399. **श्री सुरवरम सुधार रेड्डी:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई संगठनों/समूहों ने प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण तथा पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 का इसके वर्तमान स्वरूप में विरोध किया है तथा इसे वापस लिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक की सीमा के भीतर लक्षित व्यापक अपराधों, सूचीबद्ध अपराधों से बाहर के सभी लिंगभेद रहित आधारित अपराध, राज्य सरकार के प्राधिकारियों की जिम्मेवारी में बढ़ोत्तरी करना; सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की राष्ट्रीय एकसमान पात्रता इत्यादि को सुझाने वाले कुछ संगठन/ग्रुपों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं केवल विभिन्न ग्रुपों के बीच हिंसा, विधेयक के कार्यक्षेत्र से जाति या जातीय ग्रुपों को हटाने और सांप्रदायिक हिंसा से निपटने हेतु विधेयक पर रोक लगाने; केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध के प्राप्त होने की आवश्यकता; लोक सेवकों के अभियोजन हेतु सरकार की मंजूरी की आवश्यकता के संबंध में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। ग्रुपों को अपने अवलोकन को ध्यान में रखते हुए विधेयक का प्रारूप पुन: तैयार करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त विधेयक को राज्य सभा में 5.12.2005 को प्रस्तुत किया गया और इसे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। विधेयक को वेबसाइट पर भी रखा गया और विभिन्न स्थानों से सरकार द्वारा परामर्श किया गया। स्थायी समिति को राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों से मत प्राप्त हुए और उन्होंने कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के भी विचार जाने और विधेयक के एक-एक खंड की जांच-पड़ताल करने के पश्चात विभिन्न टिप्पणियों/सिफारिशें करते हुए दिनांक 13.12.2006 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। स्थायी समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के पश्चात, विधेयक में सरकारी संशोधन किए गए हैं और सरकारी संशोधनों के साथ विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए 09.03.2007 को राज्य सभा में एक नोटिस दिया गया है। श्री प्रशांत चटर्जी और श्री मोइनुल हसन, संसद सदस्यों ने उपर्युक्त कुछेक सुझावों को शामिल करते हुए 27.04.2007 को राज्य सभा में इन संशोधनों के नोटिस भी दिए हैं।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना की कमी

400. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यशील हैं तथा ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां पर आधरभूत अवसंरचना बिल्कुल नहीं है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत कितने बच्चे लाभान्वित हुए;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया; और

(च) राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से वर्ष 2004-05 में 'आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना का त्वरित सुविधा सर्वेक्षण' शीर्षक से कराए गए अध्ययन के अनुसार 46% आंगनवाड़ी केन्द्र पक्के भवनों, 21% आंगनवाड़ी केन्द्र आधे पक्के भवनों में, 15% केन्द्र कच्चे भवनों में, 9% केन्द्र खुले स्थानों पर तथा 6% केन्द्र अन्य स्थानों पर, लगभग 9% केन्द्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के घरों में और 6.91% केन्द्र आंगनवाड़ी सहायिकाओं के घरों में चलाये जा रहे थे। यह भी पाया गया कि 46% आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधाएं नहीं थीं और 27% केन्द्रों में पेयजल सुविधाओं का अभाव था। इस सर्वेक्षण में देश भर के कुल 2,87,684 आंगनवाड़ी केन्द्र शामिल किए गए थे।

आई.सी.डी.एस. स्कीम में यह परिकल्पित है कि आंगनवाड़ी केन्द्र सरकार अथवा स्थानीय निकायों के भवनों/आवासों में स्थापित किये जाने चाहिएं। विकल्प के रूप में स्थानीय समुदाय इन केन्द्रों के लिए आवास उपलब्ध कराएंगे। इस स्कीम में भवन किराए पर लेने की परिकल्पना भी की गई है, जिसके लिए भारत सरकार निर्धारित दर पर अनुदान जारी करती है।

(ग) 31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में संस्वीकृत 1052638 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 844743 आंगनवाड़ी केन्द्र चालाए जा रहे हैं। 19 राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 209004 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा नहीं है और 91298 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के अनुकूल शौचालय सुविधाएं नहीं हैं। इसी प्रकार 163254 आंगनवाड़ी केन्द्र पक्के भवनों में चलाए जा रहे हैं, 9689 आंगनवाड़ी केन्द्र कच्चे भवनों में चलाए जा रहे हैं, 51974 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में, 66875 आंगनवाड़ी केन्द्र इन्हें आवंटित सामुदायिक भवनों में तथा 5681 आंगनवाड़ी केन्द्र खुले स्थानों पर चलाए जा रहे हैं।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूरक पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु तक) तथा स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों (3 से 6 वर्ष की आयु तक) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ङ) आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अनुरक्षण तथा पूरक पोषण के संबंध में राज्यों को पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दर्शाया गया है।

(च) यद्यपि, इस स्कीम में निर्माण कार्यकलापों का प्रावधान नहीं है, तथापि, सरकार ने वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक मंत्रालय के बजट के पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक में से पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से 47872 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण संस्वीकृत किया।

सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित पुनार्निरूपित आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास पर भी विचार कर रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में संवर्धन करने हेतु सरकार संबंधित मंत्रालयों की निम्नलिखित स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से सहयोग हासिल कर रही है:

* सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - पेय जल आपूर्ति विभाग

* पिछला क्षेत्र अनुदान कोष - पंचायती राज मंत्रालय
* अनुसूचित जाति उप योजना - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
* जनजातीय क्षेत्र उप योजना - जनजातीय कार्य मंत्रालय
* संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता आई.सी.डी.एस.-1, 2, 3 तथा आई.सी.डी.एस.-ए.पी.ई.आर. नामक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31368 हैण्डपम्प लगाने के साथ-साथ 57447 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को संस्वीकृति प्रदान की गई है। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की संस्वीकृति उक्त परियोजनाओं की 15-वर्षीय अवधि (1991-92 से 2006-07) के दौरान प्रदान की गई थी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराए की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है और पिछली बार यह संशोधन 1.2.2007 को किया गया था। ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराया 100 रुपए प्रति माह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र तथा शहरी परियोजनाओं में यह किराया 500 रुपए प्रति माह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह आंगनवाड़ी केन्द्र किया गया है।

इसके अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जाति उप योजना/जनजातीय उप योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माणार्थ क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस प्रयोजनार्थ नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष-XII के अंतर्गत सहायता प्राप्त करें।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत पूरक पोषण एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों (6 माह-6वर्ष) की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण प्राप्त कर रहे बच्चों (6 माह- 6वर्ष) की संख्या			स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों (3-6वर्ष) की संख्या		
		2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति)	2005-06 (31.3.2006 तक की स्थिति)	2006-07 (31.3.2007 तक की स्थिति)	2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति)	2005-06 (31.3.2006 तक की स्थिति)	2006-07 (31.3.2007 तक की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2423099	2484768	3255815	1564251	1528018	1830381
2.	अरुणाचल प्रदेश	63183	88494	149241	29005	37961	60208
3.	असम	1103139	1260013	914369	781953	894811	850590
4.	बिहार	2102148	4019291	3463564	1555177	2222702	1937398
5.	छत्तीसगढ़	1416134	1430228	1652830	607795	588000	731761
6.	गोवा	39731	39571	43726	19149	18608	19451
7.	गुजरात	1643594	1565728	1741045	1429062	1404500	911982
8.	हरियाणा	933660	954988	1119039	441684	455452	525398
9.	हिमाचल प्रदेश	319945	349545	347244	110402	121738	111025
10.	जम्मू-कश्मीर	182978	273790	424768	107385	121325	203247

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखण्ड	425240	1423868	1606592	427412	768959	837624
12.	कर्नाटक	2511867	2440327	3075047	1293121	1265145	1504243
13.	केरल	922125	902955	959868	540937	524205	523328
14.	मध्य प्रदेश	2841159	2650862	3869502	1516173	1544066	1809546
15.	महाराष्ट्र	3304434	4837317	5108750	1796953	2705644	2847086
16.	मणिपुर	0	178905	259997	111851	113922	114807
17.	मेघालय	188194	191321	287773	90331	96436	131635
18.	मिजोरम	113925	114114	125681	50021	50468	57617
19.	नागालैण्ड	243630	263075	301539	94459	105865	109768
20.	उड़ीसा	3685151	3717589	3770595	942076	943705	965333
21.	पंजाब	438318	552324	864528	419668	441890	435608
22.	राजस्थान	2711322	2549408	2594188	1334907	1264447	1212438
23.	सिक्किम	33058	30933	38620	13765	10183	11400
24.	तमिलनाडु	1842967	1726249	1862205	1130007	1063995	1193698
25.	त्रिपुरा	148205	148205	233427	101052	101052	123695
26.	उत्तर प्रदेश	6117582	7766943	16041539	3439464	4081381	8155442
27.	उत्तरांचल	372310	378258	538644	178444	182138	192550
28.	पश्चिम बंगाल	3696175	3880402	2998314	1502012	1641755	2469468
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	21283	23378	21106	10066	9709	9912
30.	चण्डीगढ़	31723	34563	32958	13509	14557	13936
31.	दिल्ली	405687	387807	428922	168199	151554	163955
32.	दादरा व नगर हवेली	12520	11935	11935	5019	4960	4960
33.	दमन व दीव	6977	7094	6694	4213	3587	3089
34.	लक्षद्वीप	3877	4013	5758	4024	4018	2540
35.	पांडिचेरी	31764	29446	29516	7744	5694	6307
	अखिल भारत	40337104	46717707	58185339	21841290	24492450	30081426

विवरण II

आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2007-08 (8.8.2007 तक) तक जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2004-05 जारी की गई निधियां	2005-06 जारी की गई निधियां	2006-07 जारी की गई निधियां	2007-08 जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	7277.34	14750.69	21877.67	15407.02
2.	बिहार	9408.47	5036.11	20976.12	5082.36
3.	छत्तीसगढ़	3275.49	4412.01	4561.5	4643.47
4.	गोवा	286.33	373.53	397.96	105.55
5.	गुजरात	12405.58	9917.54	12732.62	6010.22
6.	हरियाणा	4674.34	5312.47	6015.49	3780.47
7.	हिमाचल प्रदेश	2617.26	3480.88	2882.29	2206.66
8.	जम्मू-कश्मीर	3457.78	4989.19	5410.99	1636.65
9.	झारखण्ड	3824.62	4288.33	7845.37	4115.16
10.	कर्नाटक	11023.50	14176.11	19122.28	3161.61
11.	केरल	5546.74	5725.65	8115.91	2207.69
12.	मध्य प्रदेश	6263.10	9498.48	13002.16	8198.59
13.	महाराष्ट्र	11930.96	16808.92	20433.15	11337.65
14.	उड़ीसा	9968.40	10600.69	12137.96	6373.98
15.	पंजाब	3904.27	5591.61	5861.62	2722.13
16.	राजस्थान	7849.67	7459.77	13809.14	6471.80
17.	तमिलनाडु	12303.16	15212.94	12786.6	8233.69
18.	उत्तरांचल	1723.77	2861.67	1676.39	862.47
19.	उत्तर प्रदेश	15100.87	31989.58	24768.42	19929.74
20.	पश्चिम बंगाल	12633.07	19391.00	17182.73	11871.46
21.	दिल्ली	1118.36	1290.03	1379.78	657.55
22.	पाण्डिचेरी	218.89	233.68	195.22	115.63

1	2	3	4	5	6
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	185.39	212.82	174.11	109.55
24.	चण्डीगढ़	155.26	156.87	163.41	136.00
25.	दादरा व नगर हवेली	48.27	70.10	62.33	28.14
26.	दमन व दीव	38.98	47.74	56.78	29.86
27.	लक्षद्वीप	25.15	42.67	38.34	21.20
28.	जीवन बीमा निगम	500.00	800.00	1200.00	200.00
29.	अरुणाचल प्रदेश	1697.61	1780.28	3145.86	938.38
30.	असम	15799.37	22462.56	16077.475	4580.29
31.	मणिपुर	2054.55	1664.87	3631.405	770.78
32.	मेघालय	1450.81	2158.35	2114.925	753.83
33.	मिजोरम	781.68	1476.66	1573.255	340.90
34.	नागालैण्ड	1358.50	2531.64	2471.215	726.72
35.	सिक्किम	332.88	354.75	782.6	192.87
36.	त्रिपुरा	1414.45	2779.91	4475.41	1073.54
	कुल	172654.87	229940.10	269138.48	135033.61

विवरण III

पूरक पोषण के संबंध में वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06 में जारी की गई निधियां	2006-07 में जारी की गई निधियां	2007-08 में (8.8.2007 तक) जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4745.42	9052.04	2310.20
2.	बिहार	8260.92	11828.92	4213.59
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	2953.64	1343.20
4.	गोवा	115.13	175.41	35.12
5.	गुजरात	3339.82	4297.21	1345.00

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	1810.62	2829.56	970.85
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	629.63	300.13
8.	जम्मू-कश्मीर	343.56	653.20	317.69
9.	झारखण्ड	761.49	11154.47	1355.89
10.	कर्नाटक	7379.97	9407.65	2472.11
11.	केरल	1738.28	3666.11	687.07
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	5770.97	3037.82
13.	महाराष्ट्र	9869.23	8443.33	3306.59
14.	उड़ीसा	6697.98	6646.40	2186.35
15.	पंजाब	1246.53	3138.07	819.66
16.	राजस्थान	5534.27	8571.57	2227.26
17.	तमिलनाडु	3703.59	3451.94	832.62
18.	उत्तर प्रदेश	18125.13	41902.48	11914.89
19.	उत्तराखंड	705.72	1347.89	344.87
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	5916.07	3206.09
		89977.09	141836.56	43227.00
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	80.39	93.67	19.98
22.	चण्डीगढ़	76.33	154.76	31.20
23.	दादरा व नगर हवेली	22.59	22.59	17.62
24.	दमन व दीव	13.74	13.74	
25.	लक्षद्वीप	7.52	39.91	5.57
		200.57	324.67	74.37
26.	दिल्ली	737.49	694.29	401.73
27.	पाण्डिचेरी	85.72	55.03	27.75
		823.21	749.32	429.48
28.	अरुणाचल प्रदेश	113.41	879.60	202.65
29.	असम	3066.67	3711.54	2922.36

1	2	3	4	5
30.	मणिपुर	664.58	914.32	348.34
31.	मेघालय	687.17	1023.42	305.50
32.	मिजोरम	471.24	488.97	190.67
33.	नागालैण्ड	929.07	1188.71	445.40
34.	सिक्किम	118.48	95.77	34.93
35.	त्रिपुरा	407.06	707.69	410.15
		6457.68	9010.02	4860.00
	कुल	97458.55	151920.57	48590.85

उच्च शिक्षा के लिए विनियामक प्राधिकरण

401. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की उच्च शिक्षा नीति में एकरूपता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण (आई.आर.ए.एच.ई.) तथा उच्च शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है, जैसाकि 1 जून, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उच्च शिक्षा आयोग को क्या भूमिका प्रदान की जाएगी; और

(च) इस संबंध मे अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विभिन्न व्यावसायिक विषयों हेतु पृथक सांविधिक व्यावसायिक परिषदों की स्थापना की गई है ताकि संबंधित विषय में शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण किया जा सके।

(ग) से (च) स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग' का गठन करने के संबंध में अन्तर-विभागीय परामर्श हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। तथापि, इस मामले में शामिल विभिन्न स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के मद्देनजर इस प्रस्ताव को फिर से तैयार किया जा रहा है।

नई परीक्षा प्रणाली लागू करना

402. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षों में सी बी एस ई की दसवीं कक्षा की परीक्षा हेतु प्रश्नों की नई पद्धति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकलन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध मे विशेषज्ञों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, संरचना, 2005 को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 बोर्ड परीक्षा, 2008 के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:-

(1) विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित में लघु-उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए।

(2) रेखाचित्र/उद्धरण आधारित प्रश्नों, आंकड़े आधारित प्रश्नों, कौशल आधारित प्रश्नों, संदर्भ-आधारित प्रश्नों, अनुप्रयोग-उन्मुख प्रश्नों को शामिल करने के लिए नए फार्मेट में प्रश्नों को शामिल किया जाए।

(3) शिक्षुओं के उच्चतर स्तरीय चिन्तन कौशलों का मूल्यांकन करने से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा परीक्षा सुधारों के संबंध में गठित राष्ट्रीय फोकस समूह ने मौजूदा परीक्षा पैटर्न में व्यापक परिवर्तनों का सुझाव दिया था जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों, शिक्षुओं की उच्चतर बौद्धिक योग्यता जैसे तर्क शक्ति, प्रश्नों को हल करने, सृजनात्मक सोच और तर्क-आधारित सोच पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया था।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रमों का प्रसारण

403. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों विशेषकर चीन द्वारा सीमा पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाने से देश के सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीक स्थित शहरों, कस्बों तथा गांवों में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण प्रभावित हुआ है जैसाकि 23 जून, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के उक्त भागों में प्रसारण पर इस प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त सीमा क्षेत्रों के विदेशी ट्रांसमीटरों के प्रभाव से कब तक मुक्त हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि, अनुकूल मौसम के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चीनी टी वी के सिगनल प्राप्त होते हैं, तथापि, दूरदर्शन के प्रसारण पर विदेशी टी वी सिगनलों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न आवृत्तियों पर चीनी रेडियो चैनलों को सुना जा सकता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों की कवरेज पर चीनी ट्रांसमीटरों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) सरकार ने मई, 2006 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी की कवरेज के विस्तार हेतु एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। "डी डी डायरेक्ट प्लस" (दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी टी एच सेवा) की शुरूआत होने पर आकाशवाणी और टी वी दोनों के सिगनलों को लघु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश भर में प्राप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

404. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बचाव और राहत के लिए नियत धनराशि के शीघ्र आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की राज्य-सरकारों ने अपने यहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत-कार्य करने के लिए वर्ष, 2007-08 हेतु आपदा-राहत-निधि में केन्द्रीय सरकार के अंश की अपनी दूसरी किस्त अग्रिम रूप से मुहैया करवाए जाने का ही अनुरोध किया है।

तदनुसार, भारत सरकार ने आपदा राहत निधि के केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में आन्ध्र प्रदेश को 142.255 करोड़ रु., कर्नाटक को 47.405 करोड़ रु. और केरल को 35.35 करोड़ रु. की धनराशि अग्रिम रूप से मुहैया करवा दी है।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम

405. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम (सी सी आई) संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कपास निगम, लि. (सीसीआई) 1970 में स्थापित किया गया था। विगत में भरतीय कपास अर्थव्यवस्था में घटी घटनाओं के अनुसार कुछ वर्षों में इसके कार्यकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वाणिज्यिक कार्यकलापों के अलावा, जब कभी कपास के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं तो सीसीआई किसी मात्रात्मक सीमा के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाता है। चार लघु मिशन वाले कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) में सीसीआई को टीएमसी के लघु मिशन-3 और 4 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है जो मौजूदा जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों के विपणन अवसंरचना सुधार और आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन से संबंधित हैं। जून 2007 की स्थिति के अनुसार लघु मिशन-3 के तहत 229 बाजार यार्डों (नए और मौजूदा बाजार यार्डों के सुधार सहित) का विकास स्वीकृत किया गया है, सिमें से 112 बाजार यार्डों का कार्य पूरा हो चुका है और लघु मिशन-4 के तहत 905 जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 563 फैक्ट्रियों का कार्य पूरा हो चुका है। सीसीआई ने वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 2.5 करोड़ रु., 5 करोड़ रु., 5.41 करोड़ रु., और 5 करोड़ रु. के लाभांश का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के निष्पादन की समीक्षा नियमित आधार पर सचिव (वस्त्र) द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक के साथ समीक्षा बैठकों में और संसदीय समिति द्वारा भी की जाती है। भारत सरकार ने कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अध्ययन सामग्री की आपूर्ति

406. श्री महावीर भगोरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की जानकारी में अयोग्य छात्रों को पुस्तकें देने अथवा पुस्तकें प्रदान करने के लिए धन लेने के मामले आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जो राज्य सरकार अपने स्वयं के बजट से नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान नहीं करती वहाँ सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 150/-रु. प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने का प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006-07 में किए गए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) यह रिपोर्ट मिली है कि असम, त्रिपुरा और हरियाणा में कुछ अपात्र बच्चों को पाठ्यपुस्तकें बाँटी गई। भारत सरकार ने असम, हरियाणा और त्रिपुरा राज्यों को निदेश दिया है कि वे अपात्र बच्चों को वितरित की गई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों में

लगी राशि राज्य सरकार की निधियों से सर्व शिक्षा अभियान के खाते में जमा कराएँ।

(छ) सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006-07 में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 के लिए लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7450	7458	100%
2.	आंध्र प्रदेश	416174	416174	100%
3.	अरुणाचल प्रदेश	134286	134286	100%
4.	असम	2849165	2849165	100%
5.	बिहार	7575118	4872415	64%
6.	चंडीगढ़	32000	31510	98%
7.	छत्तीसगढ़	2984739	2954739	99%
8.	दमन और दीव	7842	7842	100%
9.	दिल्ली	220336	220336	100%
10.	गोवा	60270	60270	100%
11.	गुजरात	485445	416980	86%
12.	हरियाणा	1375661	1375661	100%
13.	हिमाचल प्रदेश	215056	207989	97%
14.	जम्मू-कश्मीर	786202	786202	100%
15.	झारखंड	3421904	3421904	100%
16.	केरल	1749514	1748162	100%
17.	लक्षद्वीप	11985	0	0%
18.	मध्य प्रदेश	8043341	8043341	100%
19.	महाराष्ट्र	8954044	8954044	100%
20.	मणिपुर	321951	276120	86%
21.	मेघालय	560570	560570	100%

1	2	3	4	5
22.	मिजोरम	197376	197376	100%
23.	नागालैंड	33678	36874	109%
24.	उड़ीसा	3402376	3402376	100%
25.	पंजाब	2043712	2043712	100%
26.	राजस्थान	424034	424034	100%
27.	सिक्किम	20398	6422	31%
28.	त्रिपुरा	618344	618344	100%
29.	उत्तर प्रदेश	15917311	15917311	100%
30.	उत्तराखंड	886645	878779	99%
31.	पश्चिम बंगाल	3120658	3120658	100%
	कुल	66877585	63991054	96%

शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले

407. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 350 जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने जिले हैं तथा किन-किन आधारों पर इन जिलों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है;

(ग) इन जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने द्वारा अधिकृत अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े 376 ऐसे जिलों का अभिनिर्धारण किया है जिनका सफल दाखिला अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछड़े क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों हेतु विशेष विकास अनुदान प्रदान करता है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि 11वीं योजना के दौरान निम्न सकल दाखिला अनुपात वाले प्रत्येक जिलों में एक कालेज स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाए, बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

408. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक प्राप्त सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या असम सरकार तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों ने विभिन्न तकनीकी तथा चिकित्सा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की मांग की गई है तथा उनकी मूल क्षमता कितनी है और कितनी प्रतिशत सीटें बढ़ाई जानी हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अमरनाथ यात्रियों पर हमला

409. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रशीद मसूद:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बचीसिंह रावत "बच्चा":

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरनाथ यात्रियों पर उग्रवादी हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक घटना में कितने तीर्थयात्री मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या यह सच है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले की बड़ी साजिश का हाल ही में सेना ने भंडाफोड़ किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) वर्ष 1996 में 300 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद गठित सेनगुप्ता आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी नहीं। जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक आधार शिविर बलताल और पहलगाम में क्रमश: 17 और 21 जुलाई, 2007 को अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर लक्ष्य बनाकर दो अलग-अलग हमले किए गए, जिसमें दो व्यक्ति मारे गए और 10 तीर्थयात्री सहित 26 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए।

(ङ) और (च) जी नहीं।

(छ) भारत सरकार ने सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी और इसकी एक प्रति आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को भेज दी गई। चूंकि श्री अमरनाथ यात्रा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए समिति द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना को सुधारने, आश्रय प्रदान करने, यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने इत्यादि पर उचित उपचारी उपाय किए गए।

(ज) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते आतंकवादी खतरे के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) तैनात किए गए सुरक्षा बलों को निरंतर रूप से सतर्क कर दिया गया है और पहले से तैनात की गई रोड ओपनिंग पार्टियों को और सुदृढ़ किया गया है;

(2) वाहनों की अचानक जांच के साथ पवित्र गुफा की ओर जाने वाले मार्गों पर गश्त तेज की जा रही है;

(3) रास्ते में विशेष नाकेबंदी की गई है और पूरी जांच/जामा तलाशी की जा रही है;

(4) पवित्र गुफा, शेषनाग, चंदनवाड़ी, अश्मुकम और आधार शिविर पर डोरफ्रेम मैटल डिटेक्टर्स और एक्स-रे मशीनें/गैजट स्थापित किए गए हैं;

(5) आंतकवादियों के नापाक इरादों को विफल करने और यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न सुरक्षा/आसूचना एजेंसियों पर जोर दिया गया है।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त, अमरनाथ यात्रा 2007 की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल और श्वान दस्तों की व्यवस्था की गई है।

तंबाकू उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

410. **श्री के.एस. राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारियों और विनिर्माताओं के हितों को प्रभावित किए बिना तंबाकू का उत्पादन करने वाले किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए एक नीति बनाने तथा प्रतिबंधित उत्पादों का व्यापार रोकने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तंबाकू उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से किसानों, निर्यातकों तथा विनिर्माताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) तंबाकू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस एवं शर्तों के अधीन तंबाकू उत्पादों जैसे कि सिगारों एवं सिगरेटों के विनिर्माण हेतु तंबाकू क्षेत्र में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। इस क्षेत्र में एफडीआई नीति की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) एफडीआई नीति बनाते समय सभी पणधारियों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

दिल्ली में बाइक के स्टंट

411. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री पी.एस. गड़वी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की सड़कों पर बाइक के स्टंटों/बाइकर्स के गिरोहों के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसाकि दिनांक 25 जुलाई, 2007 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बाइकर्स के विरुद्ध कनॉट प्लेस तथा अन्य क्षेत्रों में दंगा करने, हंगामा करने तथा स्टंट करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) प्रश्नगत समाचार की रिपोर्ट के अनुरूप 22-23 जुलाई 2007 की मध्यरात्रि को गुरू पूर्व उत्सव के दौरान कुछ बाइक सवारों द्वारा स्टंट किए जाने की सूचना है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने थाना कनाट प्लेस, नई दिल्ली में भा.दं.सं की धारा 147/148/149/186/353/332/446/427 और सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत 23 जुलाई को प्राथमिकी में 473 द्वारा और थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में भा.द.सं. की धारा 147/148/149/186/323/427/353/332/394 के अन्तर्गत 23 जुलाई 2007 के प्राथमिकी संख्या 244 द्वारा कुल दो मामले दर्ज किए और 11 किशोरों सहित 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(ङ) और (च) ऐसी घटनाओं को निबंन्नित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं: सभी प्रभागीय बीट/यातायात स्टाफ द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों/स्थानों पर कड़ी नजर रखा जाना; उनके क्षेत्र में अनाधिकार घूमने वालों पर निगाह रखना; यदि ऐसी कोई घटना ध्यान में आती है जो अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करना; चौबीसों घंटे मोटर साईकिल से/ पैदल गश्त करना; सड़कों पर अवरोधक लगाकर प्रतिदिन वाहनों की जांच करना; महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाना और महत्वपूर्ण स्थानों पर पी सी आर तैनात करना।

[हिन्दी]

बांग्लादेशी शरणार्थी

412. **श्री काशीराम राणा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में रह रहे बांग्लादेशियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बांग्लादेशियों की पहचान करने के बाद अब तक उन्हें वापस नहीं भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बंगलादेश के राष्ट्रिक, भारत में गैर-कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए छिद्रिल भारत-बंगलादेश-सीमा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गैर-कानूनी बंगलादेशी आप्रवासियों की संख्या का सही अनुमान लगा पाना कठिन है, क्योंकि वे भारत में लुक-छिपकर प्रवेश करते हैं और मानवजातीय तथा भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय लोगों में असानी से घुल-मिल जाते हैं।

(ग) से (ङ) राज्य-सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1964 की धारा 3(2)(ग) के अनुसार भारत में गैर-कानूनी रूप से रह रहे लोगों को ढूँढ निकालने और उन्हें निर्वासित कर देने का अधिकार है। राज्य-सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों से गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को ढूँढ निकालने और उन्हें निर्वासित कर देने का अनुरोध करते हुए, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मेनहोलों तथा सीवरों में गिरने से हुई मौतें

413. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में खुले मेनहोलों, बोरवेलों तथा सीवरों में गिरने से अलग-अलग कुल कितने बच्चे/व्यक्ति घायल हुए/मारे गए/बचे;

(ख) क्या सरकार ने सिविल एजेंसी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में खुले मेलहोलों, बोर-वैलों और सीवरों में गिरने के कारण घायल हुए और मारे गए बच्चों/व्यक्तियों की सूचित संख्या निम्नवत है:

वर्ष	बच्चे		व्यक्ति	
	घायल	मृतक	घायल	मृतक
2004	-	2	-	2
2005	-	2	1	1
2006	-	2	-	-
2007 (31.07.2007)	1	3	-	3

(ख) और (ग) इन घटनाओं की जांच की गई है और नगर निगम के तीन कर्मचारियों को निगम की सेवाओं से हटा दिया गया है।

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक ध्यान रखा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ढके हुए ड्रेनों के मेनहोल ठीक स्थिति में हों और खुले ड्रेनों/नालों के दोनों ओर रेलिंग लगाने तथा सभी ढके ड्रेनों/नालों के दोनों ओर रेलिंग लगाने तथा सभी ढके ड्रेनों के मेनहोलों के ढक्कन लगाने/उन्हें बदलने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं।

शिक्षा हेतु इंटरनेट कनैक्टिविटी

414. **श्री अनवर हुसैन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी स्कूलों तथा कॉलेजों को इंटरनेट संचार के माध्यम से कनैक्टिविटी प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में इंटरनेट के माध्यम से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने स्कूलों तथा कॉलेजों को जोड़ा जाना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान है बशर्ते विद्यालयों के आसपास दूरसंचार संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था 149 विश्वविद्यालयों में की जा चुकी है जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय शामिल हैं। सभी प्रात्र कॉलेजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने का प्रश्न तो तभी उठेगा यदि 11वीं योजनावधि के दौरान संसाधन इसका अवसर प्रदान करे।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन

415. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन को अनिवार्य बनाने तथा उनकी शिक्षा तथा शैक्षणिक कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें रेटिंग देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा राहत

416. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री अनन्त नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सूखे, बाढ़ तथा चक्रवात संबंधी समस्याओं को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल में आई बाढ़, सूखे तथा चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) आपदा राहत निधि (सी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्राकृतिक आपदाएं होने पर राहत सहायता प्रदान की जाती है। पहचान की गई आपदाओं की सूची में सूखा, बाढ़ और चक्रवात आपदाएं भी शामिल की गई हैं और जिनके होने पर सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान की जाती है।

बाढ़, सूखा और चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार संभारिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। सेना की टुकड़ियों, आई ए एफ हेलीकॉप्टरों, नौसेना नौकाओं और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन डी आर एफ) बटालियनों से कार्मिकों की तैनाती के रूप में और साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों मे पेयजल और चारे को लाने-ले जाने की व्यवस्था करके भारत सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को संभारिकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार संबंधित राज्यों की आपदा राहत निधि में केन्द्रीय अंशदान को जारी करके प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् एन सी सी एफ से गंभीर स्वरूप की आपदाएं आने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2007-08 के लिए सी आर एफ का आबंटन 4258.85 करोड़ रुपए है जिसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का 3194.14 करोड़ रुपए है। भारत सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से में से जो 1597.07 करोड़ रुपए है, जिसे जून 2007 में जारी किया जाना था, को राहत/बचाव कार्य के लिए राज्यों को पहले ही जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अनुरोध पर सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान की दूसरी किश्त को अग्रिम में आंध्र प्रदेश (142.25 करोड़ रुपए), कर्नाटक (47.40 करोड़ रुपए) और केरल (35.35 करोड़ रु.) को जारी कर दिया गया है।

टेलीविजन सेटों पर लाइसेंस फीस

417. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के अनुरक्षण की लागत कई गुना बढ़ चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा अलग-अलग किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के प्रत्येक टेलीविजन सेट पर वार्षिक "लाइसेंस फीस" लगाने का है जैसाकि दिनांक 10 जुलाई, 2007 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी	कुल
2004-05	969.42	722.56	1691.98
2005-06	1237.04	759.36	1996.40
2006-07	1150.77	770.62	1921.39

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

418. **श्री रावसाहेब दानवे पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने इस वर्ष प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इससे कितने छात्र लाभान्वित हुए; और

(घ) देश में राज्यवार ऐसे कौन-कौन से कॉलेज हैं जो इग्नू के इन पाठ्यक्रमों के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इस वर्ष के दौरान 'शू अपर स्टिचिंग में प्रमाणपत्र' नामक दो नए व्यावसायोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे 90 छात्र लाभन्वित हुए हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में 'जेटा लैदर एक्सपोर्ट्स, गुड़गांव (हरियाणा)' और 'फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा (उ.प्र.)' नामक दो संस्थाएं छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

अमरनाथ में शिवलिंग

419. **श्री रशीद मसूद:**
श्री राकेश सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरनाथ की पवित्र गुफा में कुछ लोगों के अवैध प्रवेश की घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अमरनाथ जी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व मार्ग की और पवित्र गुफा स्थल की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए विभिन्न यूनिटों के बलों की तैनाती की जाती है और ऐसे ग्रुप शुभाशीष के लिए शिलिंग के दर्शन भी करते हैं। चालू वर्ष 2007 के दौरान, पवित्र गुफा की यात्रा की अधिकारिक शुरूआत से पहले अमरनाथ जी यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती किए जाने के तुरंत बाद कुछ सेना/सुरक्षा बलों के जवानों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की जिसके दौरान उन्होंने अगरबत्ती/धूप आदि जलाई और मुख्यत: शुभाशीष लेने के लिए उन्होंने नंगे हाथों से गुफा में शिवलिंग को छुआ भी था। इसके अलावा, कुछ सिविलियनों ने भी पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए।

एक धर्मगुरु विख्यात श्री मुरारी बापू ने औपचारिक रूप से यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व एक सप्ताह तक राम कथा का आयोजन किया। ज्ञात हुआ है कि कुछ अनिवासी भारतीयों ने राम कथा में भाग लेने के लिए बलताल से पवित्र गुफा तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। सूचना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे शिवलिंग अपवित्र हो जाए। इसी प्रकार वहां प्रवेश को भी गैर-कानूनी नहीं ठहराया जा सकता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र

420. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दूरदर्शन/आकशवाणी केन्द्रों के उन्नयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उन्नत बनाए गए दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों का वर्ष-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गयारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर उड़ीसा में कोई नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी (ए आई आर) और दूरदर्शन (डी डी) के संबंध में ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण I

दसवीं योजनावधि (2002-07) के दौरान उन्नयित आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान
1	2	3	4
1.	2002-03	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
2.		छत्तीसगढ़	रायपुर
3.		दिल्ली	दिल्ली
4.		जम्मू-कश्मीर	जम्मू
5.		जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
6.		कर्नाटक	धारवाड़
7.		कर्नाटक	मंगलौर
8.		कर्नाटक	मैसूर
9.		केरल	कालीकट
10.		महाराष्ट्र	नागपुर
11.		मणिपुर	इम्फाल
12.		मध्य प्रदेश	इंदौर

1	2	3	4
13.		नागालैंड	कोहिमा
14.		उड़ीसा	कटक
15.		राजस्थान	जोधपुर
16.	2003-04	असम	गुवाहाटी
17.		अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
18.		हिमाचल प्रदेश	शिमला
19.		जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
20.		राजस्थान	जयपुर
21.		उत्तर प्रदेश	लखनऊ
22.	2004-05	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
23.		बिहार	पटना
24.		गुजरात	अहमदाबाद
25.		गुजरात	भुज
26.		कर्नाटक	बंगलौर
27.		केरल	त्रिवेन्द्रम
28.		मध्य प्रदेश	भोपाल
29.	2005-06	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
30.		आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
31.		हरियाणा	रोहतक
32.		हिमाचल प्रदेश	शिमला
33.		कर्नाटक	गुलबर्गा
34.		महाराष्ट्र	औरंगाबाद
35.		मणिपुर	इम्फाल
36.		मेघालय	शिलांग
37.		राजस्थान	उदयपुर
38.		तमिलनाडु	मदुरई
39.		त्रिपुरा	अगरतला

1	2	3	4
40.		उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
41.		पश्चिम बंगाल	कुर्सियांग
42.	2006-07	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
43.		दिल्ली	दिल्ली
44.		जम्मू-कश्मीर	करगिल
45.		राजस्थान	कोटा
44.		उत्तर प्रदेश	कानपुर

विवरण II

दसवीं योजनावधि (2002-07) के दौरान उन्नयित दूरदर्शन केन्द्रों की सूची

वर्ष	क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थिति
1	2	3	4
2004-05	1.	अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
	2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
	3.	छत्तीसगढ़	रायपुर
	4.	दिल्ली	दिल्ली
	5.	दिल्ली	सी.पी.सी.
	6.	गोवा	पणजी
	7.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
	8.	झारखंड	डाल्टनगंज
	9.	कर्नाटक	बंगलौर
	10.	कर्नाटक	गुलबर्गा
	11.	महाराष्ट्र	मुम्बई
	12.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
	13.	सिक्किम	गंगटोक
	14.	तमिलनाडु	चेन्नई
	15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

1	2	3	4
2005-06	16.	असम	गुवाहाटी
	17.	बिहार	पटना
	18.	बिहार	मुजफ्फरपुर
	19.	गुजरात	अहमदाबाद
	20.	राजस्थान	जयपुर
	21.	उत्तर प्रदेश	बरेली
2006-07	22.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
	23.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
	24.	असम	डिब्रूगढ़
	25.	असम	पी.पी.सी. गुवाहाटी
	26.	असम	सिल्चर
	27.	छत्तीसगढ़	रायपुर
	28.	दिल्ली	दिल्ली
	29.	गुजरात	राजकोट
	30.	झारखंड	रांची
	31.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
	32.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
	33.	केरल	त्रिवेन्द्रम
	34.	मध्य प्रदेश	इंदौर
	35.	मध्य प्रदेश	भोपाल
	36.	महाराष्ट्र	पुणे
	37.	मणिपुर	इम्फाल
	38.	मेघालय	तूरा
	39.	मेघालय	शिलांग
	40.	मिजोरम	आइजोल
	41.	नागालैंड	कोहिमा
	42.	उड़ीसा	भुवनेश्वर

1	2	3	4
	43.	उड़ीसा	सम्बलपुर
	44.	पंजाब	जालंधर
	45.	त्रिपुरा	अगरतला
	46.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
	47.	उत्तर प्रदेश	मऊ
	48.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
	49.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी

वस्त्र निर्यात

421. **श्रीमती मिनाती सेन:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में 2005-06 की तुलना में वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिशत में ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष में वस्त्र उद्योग में छह लाख से अधिक नौकरियां कम होने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निर्यात में कमी के कारण वस्त्र उद्योग को भारी हानि होने की आशंका है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.जी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) भारत से वस्त्र निर्यात में कमी नहीं हुई है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत से वस्त्र और कपड़े का निर्यात वर्ष 2005-06 के दौरान 17520.07 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की तुलना में 2006-07 के दौरान 18729.93 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था, जिसमें 6.91% की वृद्धि दर्ज हुई।

(ग) और (घ) चूंकि निर्यात में कमी नहीं हुई है, अत: हानि होने का पूर्वानुमान नहीं है। इसके अलावा, सरकार वस्त्र एवं परिधान उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए तथा इसे आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत तथा निगमित संस्कृति अपनाने में सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं-

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य

उत्पाद शुल्क को जोड़कर समग्र मूल्यवर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(8) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(9) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(10) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधनों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

उपलब्धि सर्वेक्षण

422. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कराए गए सातवें अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आंध्र प्रदेश में मुख्य पाठ्यक्रम में कराए गए उपलब्धि सर्वेक्षणों का ब्योरा क्या है;

(ग) उपरोक्त सर्वेक्षणों में क्या कमी पाई गई; और

(घ) स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ खानम्मी): (क) से (ग) 7वाँ अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण 30 सितम्बर, 2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए करवाया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की संख्या एवं उनकी शैक्षिक योग्यताएं, विद्यार्थियों के कक्षा-वार नामांकन से संबंधित आंकड़े/सूचना उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश में 26646 गांवों में से 92.97%, 51.03%, 24.20% तथा 3.77% गांवों में क्रमशः प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरीय स्कूली शिक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। संपूर्ण भारत के संदर्भ में सदृश प्रतिशतताएं क्रमशः 78.94%, 31.41%, 11.44% तथा 3.55% हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 3, 5 तथा 7/8 के अंत में आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण भी करवाया है। कक्षा 5 तथा 7 से संबंधित राष्ट्रीय औसत की तुलना में आंध्र प्रदेश की औसत उपलब्धि इस प्रकार है:

कक्षा	भाषा		गणित		ई.वी.एस.		स.वि.		विज्ञान	
	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय	राज्य	राष्ट्रीय
3	आंध्र प्रदेश राज्य ने कक्षा-3 सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया है।									
4	54.8	58.3	43.5	46.5	44.56	50.00				
7	62.56	52.69	24.95	29.78	-	-	38.97	35.98	37.33	32.96

(घ) इन सर्वेक्षण रिपोर्टों में भारत सरकार के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं है। हालांकि, इन सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग विद्यालयों में शैक्षिक मानदंडों में सुधार हेतु किया जाता है। आंध्र प्रदेश ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्ययन उपलब्धि स्तरों को बढ़ाने हेतु 'चिल्ड्रेन्स लर्निंग एक्सिलिरेशन प्रोग्राम फॉर सस्टेनिबिलिटी' नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

निर्यात कंपनियों का निरीक्षण

423. **श्री जोयाकिम बखला:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी निर्यात कंपनियों का निरीक्षण किया गया;

(ख) कुल कितनी निर्यात कंपनियों के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन्हें काली सूची में डाला गया;

(ग) क्या सरकार का विचार काली सूची में डाली गई कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जब कभी अपेक्षित होता है, निरीक्षण किए जाते हैं। इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 7 के अंतर्गत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काली सूची में डाली गई फर्मों की संख्या निम्नानुसार है:

2005	-	950
2006	-	990
2207	-	898

चूककर्ता फर्मों के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत अर्द्धन्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

424. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्रीमती के. रानी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आठवीं कक्षा तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन सुविधा आरंभ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना हेतु प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) बढ़े हुए आबंटन के मद्देनजर योजना में शामिल किए जाने वाले पौष्टिक आहार का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 65 प्रतिशत विद्यालय देश में क्रियान्वित की जा रही मध्याह्न भोजन सुविधा के अंतर्गत बच्चों को भोजन प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) मध्याह्न भोजन योजना में सामने आई विभिन्न अनियमितताओं/शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने इस मामले में कोई उपचारात्मक कार्रवाई की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में मध्याह्न भोजन योजना का शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार करने की घोषणा की गयी है। चालू वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना के लिए निम्न तथा उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 7324 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन विवरण के रूप में संलग्न है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उच्च प्राथमिक स्तर के लिए निधियों की वास्तविक मात्रा को अंतिम रूप उच्च प्राथमिक स्तर तक कार्यक्रम के विस्तार के लिए औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिया जाएगा।

(घ) मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देश, 2006 में कक्षा 1 से 4 में पढ़ने वाले छात्रों को 450 कैलोरी पोषक तत्व और 12 ग्राम प्रोटीन से युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु राष्ट्रीय संचालन-सह-मानीटरन समिति ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 20 ग्राम प्रोटीन के साथ 700 कैलोरी के पोषक मानदंड की सिफारिश की है।

(ङ) और (च) मध्याह्न भोजन योजना में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों और शिक्षा गारंटी

योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के तहत सभी पात्र स्कूल/संस्थाएं शामिल हैं।

(छ) से (झ) जब भी सरकार के ध्यान में घटिया गुणवत्ता वाले/अस्वास्थ्यकर भोजन अथवा मध्याह्न भोजन की अनियमित आपूर्ति अथवा खाद्यान्नों की कालाबाजारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समुचित जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु तंत्र स्थापित करने तथा भोजन की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति के मुद्दों पर पूरा ध्यान देने और संसाधनों का दुरूपयोग रोकने की लगातार सलाह दी जाती है तथा प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों से छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने का पर्यवेक्षण करने के लिए अभिभावकों, समुदाय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का भी आग्रह किया गया।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	
		भोजन पकाने की लागत (रु. लाख में)	मानीटरन, प्रबंधन और मूल्यांकन (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17266.55	427.87
2.	बिहार	41706.81	1033.49
3.	छत्तीसगढ़	10267.21	254.42
4.	गोवा	249.12	6.17
5.	गुजरात	10122.78	250.84
6.	हरियाणा	5193.20	128.69
7.	हिमाचल प्रदेश	1923.96	47.68
8.	जम्मू-कश्मीर	2742.94	67.97
9.	झारखंड	17160.93	425.25
10.	कर्नाटक	13637.88	337.95
11.	केरल	5785.05	143.35
12.	मध्य प्रदेश	27971.79	693.14
13.	महाराष्ट्र	27018.31	669.51
14.	उड़ीसा	16507.49	409.05
15.	पंजाब	4631.20	114.76
16.	राजस्थान	24325.41	602.78
17.	तमिलनाडु	12035.38	298.24
18.	उत्तराखंड	2304.22	57.10
19.	उत्तर प्रदेश	49419.82	1224.62
20.	पश्चिम बंगाल	30620.62	758.78
	कुल	320890.67	7951.66
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)			
21.	दिल्ली	3494.65	86.60
22.	पांडिचेरी	163.94	4.06
	कुल	3658.59	90.66
जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मंडल नहीं है:			
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100.38	2.49
24.	चंडीगढ़	217.80	5.40
25.	दादरा और नगर हवेली	117.07	2.90
26.	दमन और दीव	44.16	1.09
27.	लक्षद्वीप	23.69	0.59
	कुल	503.10	12.47
पूर्वोत्तर राज्य			
28.	अरुणाचल प्रदेश	928.14	21.95
29.	असम	13770.52	325.67

1	2	3	4
30.	मणिपुर	1071.71	25.35
31.	मेघालय	2372.31	56.11
32.	मिजोरम	369.04	98.73
33.	नागालैण्ड	761.85	18.02
34.	सिक्किम	364.84	8.63
35.	त्रिपुरा	1723.98	40.77
	कुल	21362.39	505.23
	सकल योग	346414.75	8560.02

नॉल्को द्वारा भूमि से बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास

425. श्री जुएल ओरम: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नॉल्को द्वारा कुल कितने लोगों को भूमि से बेदखल किया गया है;

(ख) क्या नॉल्को ने बेदखल किए गए सभी लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक भूमि से बेदखल किए गए कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या भूमि से बेदखल किए गए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के खान एवं शोधनशाला कॉप्लेक्स, दामनजोड़ी के लिए भूमि विस्थापितों की कुल संख्या 600 तथा इसके प्रगालक एवं विद्युत कॉम्प्लेक्स, अंगुल के लिए भूमि विस्थापितों की कुल संख्या 35 है।

(ख) पुनर्वास नीति के एक भाग के रूप में, नालको ने अपने प्रारंभिक चरण में, प्रत्येक भूमि विस्थापित के एक स्वस्थ सदस्य की उम्मीदवार की उपयुक्तता और रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन रोजगार प्रदान करने की नीति बनाई थी।

(ग) दामनजोड़ी में 600 भूमि विस्थापितों में से 591 भूमि विस्थापितों के एक-एक सदस्य और अंगुल में 35 भूमि विस्थापितों में से 34 भूमि विस्थापितों को कंपनी में रोजगार प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ) नालको ने सूचित किया है कि कंपनी भूमि से बेदखल किए गए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, कंपनी वास्तविक नामिती का निर्धारण न हो पाने, परिवारों से प्रत्युत्तर न मिलने, आदि जैसे कारणों की वजह से, शेष भूमि विस्थापितों के संबंध में अब तक रोजगार प्रदान नहीं कर पाई है।

[हिन्दी]

डाउन लिंकिंग नीति

426. श्री टेकलाल महतो: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 11 नवम्बर, 2005 को डाउन लिंकिंग नीति के अंतर्गत कतिपय महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन महानगरीय शहरों का ब्यौरा क्या है जहां पर उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया गया है और उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने में आ रही कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डाउनलिंकिंग नीति से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा है कि विदेश से अपलिंक किए गए चैनल को डाउनलिंक करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करने वाली संस्था को (अर्थात् आवेदक कंपनी) इक्विटी संरचना, विदेशी स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण के निरपेक्ष भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत एक कंपनी होना चाहिए; आवेदक कंपनी की भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति हो जिसका मुख्य व्यावसायिक स्थल भारत में हो; आवेदक कंपनी का या तो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डाउनलिंक किए जाने वाले चैनल पर स्वामित्व हो अथवा

उसको भारत के सीमा क्षेत्र में चैनल के लिए विज्ञापन एवं शुल्क-राजस्व के अधिकारों सहित उसके अनन्य विपणन/वितरण अधिकार प्राप्त हों। समस्त दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) ये दिशा-निर्देश संपूर्ण भारत में अनुप्रयोज्य हैं। केबल ऑपरेटर/डी टी एच ऑपरेटर केवल उन्हीं निजी टी वी चैनलों का प्रसारण/पुनः प्रसारण कर सकते हैं जिनको डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है। ऐसे चैनलों की सूची भी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज का निर्यात

427. श्री सुव्रत बोसः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया है और चालू वर्ष के दौरान इसके निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या प्याज उत्पादकों विशेषकर रोज प्याज उत्पादकों द्वारा प्याज के निर्यात कोटे में वृद्धि करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें;

(च) क्या सरकार प्याज हेतु स्थायी निर्यात नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित प्याज की मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	मात्रा
2004-05	870216
2005-06	960507
2006-07	1103318
	(अप्रैल से दिसंबर, 2008 तक)

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

प्याज के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। प्याज की किसी किस्म के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। किसान लाभदायक कीमतें प्राप्त कर रहे हैं। निर्यात कीमत 2004-05 में 8676.66 रु. मी. टन से बढ़कर 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) में 9776.38 रु./मी. टन हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) प्याज का निर्यात निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्राप्त करने के पश्चात अनुमत्य है जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड) द्वारा तय की गई न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) के अध्यधीन है। इस नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन

428. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन शिकायतों के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की 14,98,03,378 रुपए की राशि का आंध्र प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान के सहायक लेखा अधिकारी द्वारा अनधिकृत बैंक खातों में विपथन किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा दिनांक 2.4.2007 को सिटी सेंट्रल क्राइम स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने इस मामले को आगे जांच-पड़ताल के लिए सी.आई.डी. को हस्तांतरित कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गबन का कारण बनने वाली परिस्थितियों अथवा गलतियों सहित इस गबन के सभी पहलुओं की चांच करने तथा कथित रूप से लिप्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराने हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत दिनांक 25.5.2007 को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज को एक जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन लेखा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और अन्य तीन को सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के राज्य परियाजना कार्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आग्रह किया है कि वे लेखाओं की सत्यपरकता का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के माध्यम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2000-01 से अब तक की अवधि के लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा करवाएं।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

429. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ एक अभिकल्पना नोट तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बस्ती से उचित दूरी के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालय सुलभ कराना है।

(ग) इस योजना की रूपरेखा के संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं जिनमें इस योजना के संघटक, क्रियान्वयन संरचना, आयोजना एवं क्रियान्वयन विधि, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन, केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अन्य प्रासंगिक मुद्दों से संबंधित सुझाव शामिल हैं।

(घ) इस योजना के लिए वर्ष 2007-08 हेतु बजट में 1305 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

भारत में खानें

430. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में खानें हैं और उनमें से कौन-कौन से खनिज निकाले जा रहे हैं;

(ख) इस समय कितनी खानें चालू अवस्था में हैं और कितनी खानें बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसी खानों को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बंद खानों को पुन: चालू करने और उन्हें खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) खनिजों पर राज्य-वार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'इंडियन मिनरल्स ईयर बुक' में दी गयी है जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को दी गई है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2006-07 के दौरान देश में कुल 2380 खानें (परमाणु, गौण खनिज तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रचालन

में थीं। खान बंदी योजना के अनुसार 2003 से देश में चार खानें बंद कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) बंद खानों को पुन: चलाना खनिज की मांग तथा खनन प्रचालन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है जो आमतौर से प्रकृति से आवर्ती (साइक्लिकल) होती है।

विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में रिक्त पद

431. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने व्यक्तिगत संसदीय अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों द्वारा अभिशासित होता है। प्रसांगिक संविधियों के संदर्भ में किसी विश्वविद्यालय में शिक्षण और शिक्षणेतर पदों पर नियुक्तियां उस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा की जाती है। कार्यकारी परिषद इन संविधियों के प्रावधानों के अनुसार गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर ये नियुक्तियां करती है। प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर तथा कतिपय अन्य विशिष्ट पदों हेतु गठित चयन समिति में अन्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से राष्ट्रपति जी का एक पदनामित व्यक्ति शामिल होता है। उपर्युक्त के मद्देनजर जबकि इस मंत्रालय की भूमिका प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर तथा कतिपय अन्य विशिष्ट पदों हेतु गठित चयन समिति में राष्ट्रपति जी का एक पदनामित व्यक्ति उपलब्ध कराने तक सीमित है, सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को याद दिलाती रहती है कि वे अपने रिक्त पदों को भरें। इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 2159 शिक्षण पद तथा 4965 शिक्षणेतर पद रिक्त थे जिनका ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में 1 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार और नवोदय विद्यालयों में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या क्रमश: विवरण-III और IV में दी गई है। इन रिक्तियों के प्रमुख कारण सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, सेवा से बर्खास्तगी, नए विद्यालय खुलना, वर्तमान विद्यालयों का स्तरोन्नयन, पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता आदि है। विशेष भर्ती अभियान के तहत नवोदय विद्यालयों में जुलाई/अगस्त, 2007 में शिक्षकों के लगभग 450 रिक्त पद भरे गए हैं। इन रिक्तियों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण I

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार रिक्त शिक्षण पद

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	53	98	129	-	280
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	123	35	369	-	527
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	81	115	147	-	343
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	15	19	13	-	47
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	20	34	73	5	132
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	47	39	33	-	119

1	2	3	4	5	6	7
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	22	16	10	-	48
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	8	11	17	-	36
9.	विश्व भारती	13	20	49	19	101
10.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10	9	24	-	43
11.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	17	16	45	5	83
12.	मिजोरम विश्वविद्यालय	6	7	11	-	24
13.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	9	13	26	•	48
14.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	4	4	4	-	12
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	-	2	11	-	13
16.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	51	74	104	-	229
17.	मणिपुर विश्वविद्यालय	21	28	25	-	74
	कुल	500	540	1090	29	2159

विवरण II

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार समूह-वार रिक्त शिक्षणेतर पद

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	38	47	156	162	-	403
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	68	50	1136	994	-	2248
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	30	56	538	249	15	888
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	7	2	53	83	-	145
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	8	9	80	16	-	113
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	47	27	72	66	-	212
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	9	26	20	33	-	88
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	7	12	45	8	-	72
9.	विश्व भारती	27	10	105	292	-	434
10.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10	5	34	8	-	57

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	14	7	9	7	-	37
12.	मिजोरम विश्वविद्यालय	4	9	19	14	-	46
13.	बाबा साहेब भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय	4	-	12	2	-	18
14.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	-	-	6	-	-	6
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	6	3	10	-	-	19
16.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2	2	50	35	-	89
17.	मणिपुर विश्वविद्यालय	7	5	39	39	-	90
	कुल	288	270	2384	2008	15	4965

विवरण III

1 जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पद

क्र.सं.	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य ग्रेड-1	120
2.	प्रधानाचार्य ग्रेड-2/उप-प्रधानाचार्य	47
3.	हेडमास्टर	123
4.	स्नातकोत्तर शिक्षक	1699
5.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	1630
6.	विविध शिक्षक (चित्रकला, संगीत, पुस्तकालयाध्यक्ष, योग, आदि)	829*

*इनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ पद शामिल हैं।

विवरण IV

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार नवोदय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पद

क्र.सं.	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	26
2.	उप-प्रधानाचार्य	80
3.	स्नातकोत्तर-शिक्षक	570
4.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	641
5.	विविध शिक्षक (चित्रकला, संगीत, एस.यू.पी.डब्ल्यू. पुस्तकालयाध्यक्ष, योग, आदि)	231
6.	शिक्षणेत्तर स्टाफ	1725

[अनुवाद]

बाल्को द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण

432. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या खान मंत्री 8 अगस्त, 2006 और 6 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1688 और 952 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) दिनांक 8 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1688 के उत्तर में दिये गए आश्वासन के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट खान मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त, 2007 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।

दिनांक 7 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 952 के प्रत्युत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के लिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी थी। उनसे कुछ स्पष्टीकरण अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए आश्वासन की पूर्ति करने में विलम्ब हुआ है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

433. श्री मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों पर सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है और गत तीन वर्षों के दौरान इनकी साक्षरता दर में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन वर्गों के बच्चों के लिए आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई को अनिवार्य करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बच्चों को नि:शुल्क प्रदान की गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे शामिल किए जाते हैं। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर हेतु सकल नामांकन दर संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग में सभी बच्चों को सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग में ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करता है जिनमें प्रारंभिक शिक्षा नि:शुल्क है।

विवरण

अनुसूचित जाति के छात्रों की सकल नामांकन दर

प्राथमिक (%)				प्रारंभिक (%)			
2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
93.0	95.6	88.3	115.3	85.6	81.1	83.4	98.8

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सकल नामांकन दर

प्राथमिक (%)				प्रारंभिक (%)			
2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
96.3	98.7	91.37	121.9	88.9	80.5	86.06	102.4

[अनुवाद]

यूएस-जीएसपी कार्यक्रम

434. श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने अपने "जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेन्स प्रोग्राम" (जीएसपी) के अंतर्गत व्यापार लाभ प्रदान करने के लिए भारत से टिप्पणियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यूएस-जीएसपी कार्यक्रम के अंतर्गत डॉलर के संदर्भ में भारत को प्राप्त हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीकी अधिकारियों के साथ समय-समय पर होने वाली द्विपक्षीय बैठकों में जीएसपी को जारी रखने का मुद्दा उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) यूएस-जीएसपी स्कीम में इस बात की वार्षिक समीक्षा करने का प्रावधान है कि क्या उत्पादों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए जीएसपी लाभ जारी रखे जाने चाहिए। यह समीक्षा प्रत्येक वर्ष निर्धारित कतिपय मानदण्डों के आधार पर की जाती है। जीएसपी कार्यक्रम के वर्ष 2006 में की गई समीक्षा में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा भारत से निम्नलिखित श्रेणियों की वस्तुओं के जीएसपी दर्जे की समीक्षा हेतु टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए नौटिस जारी किए गए थे:

(1) आभूषणों के रूप में बहुमूल्य धातुओं से निर्मित वस्तुएं;

(2) गैर-विद्युतीय लैम्प तथा लाइट फिटिंग्स;

(3) सिरके अथवा एसीटिक एसिड में तैयार अथवा परिरक्षित खीरे सहित ककड़ी;

(4) हाथ से बुने, गुच्छेदार कालीन तथा अन्य वस्त्र निर्मित फर्शाच्छादन, चाहे वह ऊन अथवा पशुओं के महीन बालों से निर्मित हो अथवा न हो;

(5) कलर टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण, 32.29 सेमी के विकर्ण से अधिक के वीडियो डिस्प्ले, जिसके साथ एक वीसीआर अथवा एक प्लेयर संयोजित हो;

(6) अन्य एरोमेटिक नाइट्राइल फंक्शन कीटनाशी, डाई एजो, एजो अथवा एक्सॉक्सी यौगिकों के गहरा रंग देने वाले क्षार तथा गहरा रंग देने वाले लवण;

(7) वायु चालित विद्युत जेनरेटिंग सैट।

(ख) और (ग) जी, हां। जीएसपी समीक्षा के अंतर्गत उत्पाद श्रेणियों के संबंध में भारत ने अनुरोध किया था कि अधिकांश उत्पादन लघु, कुटीर अथवा कृषि क्षेत्रों में किया गया है। भारत ने जीएसपी को वापस ले लेने से इन क्षेत्रों में भारी संख्या में नियोजित कामगारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का भी उल्लेख किया था।

(घ) भारत यूएस-जीएसपी कार्यक्रम की 1976 में की गई शुरूआत से ही इसका लाभानुभोगी रहा है। वर्ष 2006 के दौरान भारत से अमेरिका को दिए गए 5.67 बिलियन अम. डॉलर मूल्य के निर्यातों को जीएसपी के लाभ प्राप्त हुए थे।

(ङ) और (च) जी, हां। जीएसपी लाभ वापस लिए जाने के विरोध में भारत ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। आभूषण तथा गैर-विद्युतीय लैम्पों के संबंध में यूएसटीआर के कार्यालय में 5 सितम्बर, 2006 को एक याचिका दायर की गई थी। यूएसटीआर की जीएसपी उप समिति के अध्यक्ष के समक्ष सार्वजनिक सुनवाई में ककड़ी, हाथ से बुनी कालीनों एवं कलर टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 2007 को एक मौखिक वक्तव्य भी प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की अप्रैल, 2007 में आयोजित बैठक में सरकार ने यह मुद्दा उठाया था। अमेरिकी सरकार ने भारत से हाथ से बुनी कालीनों और अन्य वस्त्र निर्मित फर्शाच्छादनों के निर्यातों पर भारत को जीएसपी लाभ जारी रखने का निर्णय लिया है।

यात्री कारों का निर्यात

435. श्री स्नेह वर्मन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से यात्री कारों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी मॉडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान यात्री कारों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित यात्री कारों की संख्या निम्नानुसार है:

2004-05	2005-06	2006-07
1,60,670	1,69,990	1,92,745

(ग) और (घ) यात्री कारों के मात्रा-वार निर्यातों में वृद्धि हो रही है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2007 के दौरान यात्री कारों के निर्यात में अप्रैल-जुलाई, 2006 की तुलना में लगभग 17% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री कारों के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है:

(मि. अम. डा. में)

2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006)
265.87	193.35	147.55

मूल्य प्राप्ति में गिरावट अपेक्षाकृत अधिक संख्या में छोटी कारों के निर्यात के कारण आई है।

उच्च शिक्षा हेतु धनराशि

436. **श्री पी. मोहन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए उच्च शिक्षा हेतु आवंटित की गई धनराशि पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या ज्ञान आयोग की इस आबंटन में और वृद्धि किए जाने संबंधी टिप्पणी पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) उच्चतर शिक्षा हेतु निधियों का आवंटन संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। चालू वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, चूंकि यह व्यापक परामर्श का विषय है।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

438. **श्री मोहन रावले:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: -

(क) क्या सरकार का विचार नौंवी कक्षा के बाद से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई आयोग/विशेषज्ञों की समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) 9वीं कक्षा से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार, कक्षा 10 तक सामान्य विषयों में सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यावसायोन्मुखी विषय उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 और 12) से शुरू किए जाते हैं।

न्यू डिजीटल ऑप्शन

439. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीविजन देखने वालों के लिए एक "नया डिजीटल विकल्प" आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) को दिनांक 31.12.2006 से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों के कुछ भागों में केबल टेलीविजन के दर्शकों के लिए शुरू किया गया है। कैस चेन्नई में पहले से ही कार्यान्वयनाधीन है। यद्यपि, डिजिटल प्रसारण एवं वितरण को कैस की शुरूआत के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है लेकिन यह देखा गया है कि कैस अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यशील लगभग सभी बहुप्रणाली संचालकों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी में अंतरण कर लिया है। इस समय केन्द्र सरकार कार्यान्वयन के पहले चरण की सफलता का मूल्यांकन कर रही है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को तीनों महानगरों के शेष भागों में कैस के विस्तार के संबंध में अपने विचारों से अवगत करायेंगी।

कैस के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों का ब्यौरा देने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाएं संलग्न विवरण में दिया गया है।

समस्त भारत में टेलीविजन दर्शकों के लिए उपलब्ध अन्य डिजिटल विकल्प डायरेक्ट-टू-होम (डी टी एच) सेवा है। दूरदर्शन की डी डी डायरेक्ट प्लस और फ्री-टू-एयर सेवा के अतिरिक्त टाटा स्काई और डिश टी वी नामक अन्य दो निजी डी टी एच सेवा प्रदाता हैं। सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

डिजिटल विषय-वस्तु वितरण के लिए अन्य नया विकल्प टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई पी टी वी) सेवा है एम टी एन एल ने हाल ही में दिल्ली में आई पी टी वी की पेशकश करते हुए प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

एक प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत दूरदर्शन ने दिल्ली में डिजिटल वीडियो प्रसारण-हस्तधारित (डी वी बी-एच) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मोबाइल सेवाओं पर अपने टी वी की शुरूआत की है।

विवरण

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 610] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2003/आषाढ़ 19, 1925

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2003

का.आ. 792(अ)-केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, दिनांक 14 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 39(अ) का अतिक्रमण करते हुए मार्च, 2001 के प्रथम दिवस को उस तिथि के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है जिससे छह माह के भीतर प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सम्बोधन प्रणाली के जरिए प्रत्येक से चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण/पुनः प्रसारण करना अनिवार्य होगा, नामतः

(i) ग्रेटर मुम्बई के नगरपालिका क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सी.एस.टी) स्टेशन और सियोन रेलवे स्टेशन के बीच मध्य रेलवे की मुख्य लाइन से पश्चिमी क्षेत्र जिसमें नवी नगर (दक्षिणी क्षेत्र में) से लेकर छात्रपति शिवाजी टर्मिनल (सी.एस.टी.) रेवले स्टेशन (उत्तर क्षेत्र में) तक का क्षेत्र शामिल है, जिसमें सियोन बान्द्रा संपर्क मार्ग और उत्तर की तरफ महिम कॉजवे के बीच स्थित बलार्ड एस्टेट शामिल है और इसमें ये क्षेत्र भी शामिल हैं: कोलाबा, आर सी चर्च, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मेकर टॉवर्स, नरिमन प्वाइंट, कुफे परेड, फोर्ट, फॉउंटेन, बाम्बे स्टाक, मार्केट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, सिडको, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, हार्निमन सर्कल, भारतीय रिजर्व बैंक, चर्च गेट, बलार्ड एस्टेट, डॉठन हाल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मैडम कामा मार्ग, वीर नरिमन मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, डा. दादाभाई नरोजी मार्ग, मरीन लाईस, चार्नी मार्ग, काल्बादेवी, काठुरद्वार, गिरगाम, वाल्केश्वर मार्ग, नेपेन्सी मार्ग, कुम्बाला हिल, मालाबार

हिल, ग्रांट रोड, खेतवाड़ी, ब्रीच कैण्डी, पेद्दार मार्ग, हाजीअली, महालक्ष्मी, वरली, तारदेव, अल्टोमाउट मार्ग, डा. दादासाहब भडकमकर मार्ग, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, सात रास्ता, लाला लाजपत राय मार्ग, महालक्ष्मी रेस कोर्स, डा. ऐनी बेसेंट मार्ग, एन.एम. जोशी मार्ग, गोखले मार्ग, डा. मोजेज मार्ग, प्रभादेवी, दादर (पश्चिम), शिवाजी पार्क, कैडेल मार्ग, लेडी जमशेदजी मार्ग, शीतलादेवी मार्ग, महिम, जनरल अरूण कुमार विद्या मार्ग।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चाणक्यपुरी मोतीबाग, वसंत विहार, सफदरजंग, वसंत कुंज, छतरपुर मदनगीर, कालकाजी, सरिता विहार, महारानी बाग का क्षेत्र; पूर्व में यमुना नदी द्वारा सीमाबद्ध (बदरपुर के नजदीक दिल्ली-हरियाणा सीमा से लेकर भैरों मार्ग तक); पश्चिम में विलिंगटन क्रीसेंट, सरदार पटेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (धौलाकुआं से गुडगांव की सीमा तक) द्वारा सीमाबद्ध दक्षिण में दिल्ली-हरियाणा सीमा (गुड़गांव से बदरपुर और यमुना नदी तक) द्वारा सीमाबद्ध; उत्तर में भैरों मार्ग, राजपथ (नेशनल स्टेडियम से विजय चौक तक), संसद भवन तालकटोरा मार्ग (राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक) द्वारा सीमाबद्ध।

(iii) कोलकाता महानगरीय क्षेत्र में, वे क्षेत्र जिनकी उत्तरी सीमा हुगली नदी के पूर्वी किनारे से लेकर दक्षिनी ओर टाली के नाला के साथ हुगली नदी के संगम स्थल तक है; पूर्वी सीमा रेखा टाली नाला के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ है जो कि उत्तर में हुगली नदी के साथ इसके संगम से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर टॉली का नाला/कौरापुकुर खाल से होती हुई मौगरखाली मौजा तक जाती है; दक्षिणी सीमा रेखा बिहाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मौजा मौगरखाली, रामजीबागपुर, सजानाबेरिया, गोपाल नगर, कलुआ, हंसपुफुरिया क्षेत्र से आगे बढ़ती हुई महेशटोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मौजा कालागछिया, संखरीपोटा, नौबाद, खनबेरिया, चान्दीगार, शिभुगली और रामेश्वरपुर की दक्षिणी सीमा रेखा की ओर जाती है।

इसके पश्चात् वही सीमा रेखा बजबज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मौजा बेतुआबी राजारामपुर, संतोषपुर, उत्तर रायपुर, बेन्जान हरिया चेरिऑल, निश्चिंतपुर के पूर्वी और दक्षिणी मौजास तथा उत्तर रामचन्द्रपुर, रघुनाथपुर, राजारामपुर अच्छिपुर मौजास की दक्षिणी सीमा रेखा की ओर जाती है।

और तब पश्चिम दिशा में एक सीधी रेखा में और आगे बढ़ते हुए हुगली नदी में 22 परगना जिले की पश्चिम सीमा रेखा को मिलती है; तथा पश्चिम सीमा रेखा वह रेखा है जो हुगली नदी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ चलती है और जो टॉली के नाला के संगम से प्रारंभ होकर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हुए हुगली नदी में 24-परगना जिले की रेखा से मिलती है।

(iv) चेन्नई महानगरीय क्षेत्र

[फा.सं. 9/2/2003-बी.पी. एण्ड एल.]
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण—अधिसूचना का.आ. 39(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2003 को दिनांक 14 जनवरी, 2003 के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

भारत का राजपत्र

असाधारण
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
सं. 834] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2006/
श्रावण 9, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2006

का.आ. 1231(अ)—केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क में "संबोध्य प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों का पारेषण" [जिसे इसमें इसके पश्चात् सशर्त अभिगमन प्रणाली (सीएएस) कहा गया है] परिकल्पित है;

और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं. का.आ. 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 द्वारा संपूर्ण चेन्नई और कोलकाता महानगर क्षेत्रों तथा बृहत्तर मुंबई नगरपालिका परिषद् और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में केबल आपरेटरों के लिए यह आबद्धकारी बना दिया गया है कि वे 15 जनवरी, 2003 से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रम संबोध्य प्रणाली के माध्यम से पारेषित या पुनः पारेषित करें;

और, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा चेन्नई और कोलकाता महानगर क्षेत्रों तथा वृहत्तर मुंबई की नगरपालिका परिषद् और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिसूचना सं. का.आ. 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 के अधिक्रमण में 1 मार्च, 2003 में छह मास की अवधि के भीतर संबोध्य प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रम प्रसारित या पुन:प्रसारित करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र को पुनरीक्षित कर दिया;

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अधिसूचना सं. का.आ. 271(अ) तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ. 39(अ) तारीख 14 जनवरी, 2003 के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया;

और, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसर्स हैथवे केबल्स एंड डाटाकोम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा फाइल की गई 2004 की सिविल रिट याचिका सं. 14464-66 में तारीख 10 मार्च, 2006 का एक आदेश पारित किया जिसमें केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख, 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में सशर्त अभिगमन प्रणाली (सीएएस) को कार्यान्वित करे;

और, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील सं. 985/2006 और सिविल मामला सं. 6660/2006 और 6658/2006 में 20 जुलाई, 2006 को केन्द्रीय सरकार को यह निदेश देते हुए एक आदेश पारित किया कि वह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 10 मार्च, 2006 को पारित आदेश के निबंधनों के अनुसार, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2006 तक सशर्त अभिगमन प्रणाली को कार्यान्वित करे जिसके लिए आवश्यक अधिसूचना 31 जुलाई, 2006 तक जारी की जाएगी;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 20 जुलाई, 2006 के पूर्वोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, 31 दिसंबर, 2006 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रमों को संबोध्य प्रणाली के माध्यम से पारेषित या पुन:पारेषित करना आज्ञापक होगा।

[फा.सं. 9/16/2004-बीपीएंडएल (जिल्द-4)]

एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

निजी संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विधान

440. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और उनके शुल्क ढांचे पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

कृषि उत्पादों हेतु राजसहायता प्राप्त भाड़ा दरें

441. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 विमानपत्तनों पर शीतागारों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों हेतु भाड़ा दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र से शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद के निर्यात का संवर्धन करने के लिए एपीडा द्वारा 2.43 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 4 वॉक इन टाइप शीत कक्षों और एक शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु

केन्द्र (सीपीसी) की स्थापना की जा रही है। ये सुविधाएं अगरतला, आइजॉल, दीमापुर, इम्फाल और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ाने के लिए उक्त क्षेत्र के उत्पादों हेतु सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान अंतर्देशीय परिवहन सहायता स्कीम लागू की है।

क्लस्टर विकास योजना

442. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए "कलस्टर विकास योजना" नामक एक नई योजना हाल ही में शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु सहकारिता दृष्टिकोण को इस कलस्टर दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों, विशेषकर कर्नाटक को सहायता उपलब्ध कराने और हथकरघा सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत सरकार ने प्रति समूह 2.00 करोड़ रुपये से अनधिक की कुल लागत पर चार वर्ष की समय-सीमा में 20 हथकरघा समूह के समग्र एवं समन्वित विकास के लिए वर्ष 2005-06 में "एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना नामक नई योजना शुरू की है। ये समूह कर्नाटक राज्य सहित 12 राज्यों में फैले हुए हैं। प्रत्येक समूह में 5,000 हथकरघा शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना के स्थान पर नई योजना "एकीकृत हथकरघा विकास योजना" का प्रस्ताव है। इसे 10वीं योजना में क्रियान्वित दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना और कार्यशाला-सह-आवास योजना में परिशोधन के साथ अथवा उसके बिना, घटकों का विलय करके बनाया गया है। कर्नाटक राज्य में 20 हथकरघा समूहों में से एक समूह गडग है जहां समूह विकास कार्यक्रम चल रहा है। अतिरिक्त पांच हथकरघा समूहों, अर्थात (1) महालिंगपुर-बगलकोट जिला, (2) चल्लोकेरे शहर, चित्रदुर्ग जिला, (3) कोलेगल-चमराजनगर जिला, (4) तिमासंदरा-कोलार जिला, और (5) मुलकलमुरू-चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक राज्य में चुने गए हैं और इनके नैदानिक अध्ययन संचालित किए गए हैं। प्रस्तावित नई योजना में सहकारिता के अंदर और उससे बाहर के बुनकरों को शामिल किया जाएगा।

समाचार चैनल की अनुमति के लिए मानदंड

443. श्री नवीन जिन्दल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक समाचार चैनल शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड और दिशानिर्देश अपनाए जाते हैं;

(ख) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को ऐसे कितने अनुरोध प्राप्त हुए और कितने अनुरोधों पर अनुमति प्रदान की गई;

(ग) क्या वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास ऐसे कुछ अनुरोध लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक मामले में ऐसे अनुरोधों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(च) क्या ऐसे मामलों में आवश्यक शर्तों में छूट दिए जाने के लिए कोई विवेकाधीन शक्तियां हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) किसी समाचार चैनल को प्रारंभ करने की अनुमति दिनांक 2.12.2005 को जारी 'भारत से अपलिंक करने संबंधी दिशा-निर्देशों' में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। ये दिशा-निर्देश और आवेदन-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) में उपलब्ध हैं। इसके लिए पात्रता संबंधी मापदंड समाचार एवं समसामयिक विषयक टी वी चैनलों के लिए पैरा 3.1 में यथानिर्धारित प्रावधान के अनुसार हैं।

(ख) अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अपूर्ण आवेदनों का मंत्रालय में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जता है क्योंकि उन्हें या तो बंद कर दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है। वर्ष 2005 के दौरान भारत से कुल पच्चीस निजी उपग्रह टी वी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दी गई, वर्ष 2006 के दौरान सैंतीस चैनलों को अनुमति दी गई तथा वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 31.7.2007 तक इकतीस चैनलों को अनुमति दी गई। अनुमत चैनलों की पूरी सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) जी, हां। दिनांक 31.7.2007 तक की स्थिति के अनुसार भारत से 99 टी वी चैनलों को अपलिंक करने के लिए 59 कंपनियों के आवेदन जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इसके संबंध में भी अंतर-मंत्रालयीय टिप्पणियों की आवश्यकता है और इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(च) जी, नहीं। सभी आवेदनों पर कार्रवाई दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा

444. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग हेतु राज्यवार अलग-अलग कितने आवेदन प्राप्त हुए/स्वीकृत किए गए/लंबित हैं; और

(घ) औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए लंबित सभी आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में केवल पांच उद्योगों को सुरक्षा तथा रणनीतिक चिन्ताओं, सामाजिक कारणों, सुरक्षा तथा अति महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी मामले और खतरनाक प्रकृति के उत्पादों का विनिर्माण से संबंधित कारणों के लिए अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदनों की प्राप्ति तथा उन पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस विभाग में लाइसेंसिंग समिति द्वारा समयबद्ध तरीके से आवेदनों का निपटान किया जाता है। लाइसेंसिंग समिति की नियमित अंतराल पर बैठक होती है और सभी आवेदनों पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) तथा प्रदान किए गए आशय-पत्र (एलओआई)/ औद्योगिक लाइसेंस की संख्या (राज्यवार) दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए आईएल आवेदनों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	2004	2005	2006	कुल
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	11	33	24	68
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	2	1	0	3
बिहार	0	0	0	0

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	0	0	1	1
छत्तीसगढ़	1	1	1	3
दादरा एंड नगर हवेली	6	1	0	7
दमन एवं दीव	3	0	0	3
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	1	1	0	2
गुजरात	9	10	7	26
हरियाणा	8	1	1	10
हिमाचल प्रदेश	0	2	0	2
जम्मू-कश्मीर	0	1	2	3
झारखंड	1	3	0	4
कर्नाटक	7	10	14	31
केरल	3	4	2	9
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	1	2	4
महाराष्ट्र	21	16	9	46
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0
उड़ीसा	2	4	1	7
पांडिचेरी	0	0	0	0
पंजाब	18	28	31	77
राजस्थान	1	1	3	5
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	31	44	37	112
त्रिपुरा	0	0	0	0

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	6	2	5	13
उत्तरांचल	0	2	0	2
पश्चिम बंगाल	9	9	2	20
एक राज्य से अधिक	2	1	0	3
वापिस लिए गए/बंद किए गए	0	4	3	7
योग	143	181	145	469

विवरण II

जनवरी, 2004 से दिसंबर, 2006 तक प्रदान किए गए एलओआई + डीआईएल के राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	2004	2005	2006	कुल
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	12	26	18	56
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	1	0	1
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	3	2	0	5
दादरा एंड नगर हवेली	4	1	0	5
दमन एवं दीव	4	0	1	5
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	1	0	1
गुजरात	8	7	7	22
हरियाणा	5	3	0	8
हिमाचल प्रदेश	0	0	2	2
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	1	0	0	1

1	2	3	4	5
कर्नाटक	7	14	8	29
केरल	2	2	3	7
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	1	3
महाराष्ट्र	10	10	8	28
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0
पंजाब	15	26	24	65
राजस्थान	0	0	1	1
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	19	32	33	84
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	3	3	1	7
उत्तरांचल	0	0	2	2
पश्चिम बंगाल	6	4	1	11
एक राज्य से अधिक में स्थापना स्थल	1	0	0	1
योग	100	135	110	345

[हिन्दी]

कपास उद्योग

445. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश, विशेषकर पंजाब में कपास उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) देश में विशेषकर पंजाब राज्य में कपास उद्योग में कठिनाईयों/समस्याओं के संबंध में कोई सूचना नहीं है। पिछले पांच वर्षों के लिए समग्र रूप में देश में कपास का वर्ष-वार उत्पादन इस प्रकार है—

उत्पादन लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
136	179	243	244	270

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

पिछले तीन वर्षों के लिए पंजाब राज्य में क्षेत्र, उत्पादन और उपज इस प्रकार है:

उत्पादन लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.

वर्ष	2004-05			2005-06			2006-07		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
पंजाब	5.09	16.50	551	5.57	20.00	610	5.88	26.00	752

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डी.ए.वी.पी. को धनराशि

446. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डी.ए.वी.पी. को कुल कितना आबंटन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) का पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय तथा गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, आइजवाल, ईटानगर और शिलांग में क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय हैं। ये कार्यालय विशेषकर इस क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार के लिए प्रदर्शनियों एवं अन्य कार्य-कलापों का पहले से ही आयोजन कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डी ए वी पी के लिए योजनागत शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट आबंटन 260.00 लाख रु. है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय

447. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक/मिडल स्कूलों की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में मिडल स्कूल/उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों की संख्या का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्राथमिक विद्यालय हैं (कक्षा पांच तक);

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है जहां उक्त विद्यालय नहीं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) वर्ष 2006 के आकलन के अनुसार 98% जनसंख्या के लिए उनकी बस्ती से 1 कि.मी. की दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं और शेष क्षेत्रों में 9600 शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 2005 में देश में

प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों का अनुपात 2.57:1 था।

[अनुवाद]

रेडियो स्टेशन

448. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष के अंत तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने रेडियो स्टेशनों के चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को "ग" और "घ" श्रेणी के शहरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) आकाशवाणी रेडियो स्टेशन और निजी एफ एम रेडियो स्टेशन, जिन्हें इस वर्ष के अंत तक परिचालित कर दिए जाने की आशा है, का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) निजी ऑपरेटरों के माध्यम से एक एम प्रसारण का विस्तार करने संबंधी एक नई नीति जुलाई, 2005 में अधिसूचित की गई थी। तदुपरांत, 61 शहरों में 'ग' और 'घ' श्रेणी के शहरों के 217 चैनलों सहित 337 चैनलों के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। इन 217 चैनलों में से 57 शहरों में 139 चैनलों के लिए सफल बोलीदाताओं के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए जैसा कि विवरण-III में संलग्न विवरण में दिया गया है। 'ग' और 'घ' श्रेणी के शहरों में शेष 78 रिक्त चैनलों के लिए दिनांक 8.6.2007 की निविदा अधिसूचना के जरिए निजी कंपनियों से पूर्व-अर्हता बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

विवरण I

उन आकाशवाणी स्टेशनों का ब्यौरा जिनके वर्ष 2007 के अंत तक परिचालित किए जाने की आशा है

क्र.सं.	राज्य	शहरों का नाम	जिनके वर्ष 2007 के अंत तक परिचालित किए जाने की आशा है
1.	आंध्र प्रदेश	मछेरला	1
2.	जम्मू-कश्मीर	दिस्किट	1
		न्यामो	1
		पडूम	1
3.	महाराष्ट्र	ओरस	1
4.	मणिपुर	चूड़ाचांदपुर	1
5.	उड़ीसा	रायरंगपुर	1
		सोरो	1
6.	राजस्थान	डुंगरपुर	1
7.	तमिलनाडु	धर्मापुरी	1
8.	त्रिपुरा	धर्मानगर	1
	कुल		11

विवरण II

उन आकाशवाणी स्टेशनों का ब्यौरा जिनके वर्ष 2007 के अंत तक परिचालित किए जाने की आशा है

क्र.सं.	राज्य	शहरों का नाम	वर्ष 2007 के अंत तक परिचालित किए जाने वाले चैनल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	2
		विजयवाड़ा	2
		विशाखापट्टनम	3
		वारंगल	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	1
3.	असम	गुवाहाटी	2
4.	बिहार	मुजफ्फरपुर	1
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	2
		रायपुर	4
6.	दमन और दीव	दमन	1
7.	गुजरात	अहमदाबाद	2
		राजकोट	3
		सूरत	4
		वडोदरा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3
9.	झारखंड	जमशेदपुर	3
		रांची	4
10.	कर्नाटक	गुलबर्गा	2
		मंगलौर	4
		मैसूर	2
11.	केरल	कोचीन	3
		कन्नूर	4
		कोजीकोड़	2
		तिरुवनंतपुरम	4
		त्रिशूर	4

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1
		ग्वालियर	1
		इंदौर	3
		जबलपुर	4
13.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	3
		अकोला	2
		औरंगाबाद	1
		धुले	1
		जलगांव	3
		कोल्हापुर	2
		मुम्बई	1
		नागपुर	4
		नांदेड	2
		नासिक	1
		पुणे	3
		सांग्ली	2
		शोलापुर	2
14.	मेघालय	शिलांग	2
15.	मिजोरम	आइजॉल	1
16.	उड़ीसा	राउरकेला	2
17.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	3
18.	पंजाब	अमृतसर	3
		पटियाला	4
19.	राजस्थान	अजमेर	3
		जोधपुर	4
		कोटा	3
		उदयपुर	2

1	2	3	4
20.	सिक्किम	गंगटोक	3
21.	तमिलनाडु	चेन्नई	1
		कोयम्बटूर	3
		मदुरई	3
		तिरूची	2
		तिरूनेलवेली	2
		तूतीकोरीन	3
22.	त्रिपुरा	अगरतला	1
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा	2
		इलाहाबाद	3
		कानपुर	1
		लखनऊ	2
		वाराणसी	2
24.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	1
		कोलकाता	3
		सिलीगुड़ी	4
		कुल	164

विवरण III

उन चैनलों का विवरण जिनके लिए बोली प्राप्त की गई थी (चरण-II)

क्र.सं.	राज्य	शहरों का नाम	श्रेणी	कुल चैनल	प्राप्त की गई बोलियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	राजामुंदरी	ग	4	2
2.	आंध्र प्रदेश	तिरूनेलवेली	ग	3	2
3.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	ग	2	2
4.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	ग	4	2
5.	असम	गुवाहाटी	ग	4	4

1	2	3	4	5	6
6.	बिहार	मुजफ्फरपुर	ग	4	1
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	ग	2	2
8.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	ग	4	2
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	ग	4	4
10.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	ग	4	1
11.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	ग	3	1
12.	झारखंड	रांची	ग	4	4
13.	कर्नाटक	गुलबर्गा	ग	4	2
14.	कर्नाटक	मंगलौर	ग	4	4
15.	कर्नाटक	मैसूर	ग	4	2
16.	केरल	कन्नूर	ग	4	4
17.	केरल	कोजीकोड़	ग	2	2
18.	केरल	तिरूवनंतपुरम	ग	4	4
19.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग	4	4
20.	मध्य प्रदेश	सागर	ग	4	0
21.	महाराष्ट्र	अकोला	ग	4	2
22.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	ग	3	2
23.	महाराष्ट्र	धुले	ग	2	1
24.	महाराष्ट्र	जलगांव	ग	4	3
25.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	ग	2	2
26.	महाराष्ट्र	नांदेड	ग	4	2
27.	महाराष्ट्र	नासिक	ग	2	2
28.	महाराष्ट्र	सांग्ली	ग	2	2
29.	महाराष्ट्र	शोलापुर	ग	3	2
30.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	ग	4	3
31.	उड़ीसा	राउरकेला	ग	4	2
32.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	ग	3	3

1	2	3	4	5	6
33.	पंजाब	जालंधर	ग	4	4
34.	पंजाब	पटियाला	ग	4	4
35.	राजस्थान	अजमेर	ग	4	3
36.	राजस्थान	बीकानेर	ग	4	1
37.	राजस्थान	जोधपुर	ग	4	4
38.	राजस्थान	कोटा	ग	4	3
39.	राजस्थान	उदयपुर	ग	4	3
40.	तमिलनाडु	त्रिशूर	ग	4	4
41.	तमिलनाडु	तिरूचि	ग	4	2
42.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	ग	4	3
43.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	ग	2	1
44.	उत्तर प्रदेश	बरेली	ग	4	2
45.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	ग	4	1
46.	उत्तर प्रदेश	झांसी	ग	4	1
47.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	ग	4	4
48.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	ग	3	3
49.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	घ	4	0
50.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	घ	4	1
51.	दमन और दीव	दमन	घ	2	1
52.	गोवा	पणजी	घ	3	3
53.	हरियाणा	हिसार	घ	4	4
54.	हरियाणा	करनाल	घ	2	2
55.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	घ	4	3
56.	मणिपुर	इम्फाल	घ	4	0
57.	मेघालय	शिलांग	घ	4	2
58.	मिजोरम	आइजॉल	घ	4	1
59.	नागालैण्ड	कोहिमा	घ	4	0
60.	सिक्किम	गंगटोक	घ	4	3
61.	त्रिपुरा	अगरतला	घ	4	1
		कुल		217	139

एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण

449. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम, मिलों के आधुनिकीकरण के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिल की भूमि पर लघु वस्त्र केन्द्रों को विकसित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) एनटीसी के कुछ मिलों को संयुक्त उद्यम के माध्यम से आधुनिकीकृत करने और चलाने के लिए निजी भागीदारी करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा एनटीसी की पुनरुद्धार योजना के अंग के रूप में, अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 2008 तक कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) और (घ) जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद की खाली जमीन पर भारतीय टैक्सटाइल प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें टैक्सटाइल संग्रहालय, प्रशिक्षण केन्द्र और प्रदर्शनी केन्द्र आदि स्थापित करना शामिल है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 180 करोड़ रु. की लागत से भारतीय टैक्सटाइल प्लाजा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है।

[हिन्दी]

रॉक साल्ट में आयोडीन की रिपोर्ट

450. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के द्रांग क्षेत्र में पाए जाने वाले रॉक साल्ट में पर्याप्त आयोडीन मात्रा की बताई गई उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक परियोजना की स्थापना के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) जो खान मंत्रालय के अंतर्गत शीर्षस्थ गवेषण एजेंसी है, ने हिमाचल प्रदेश में मण्डी जिले के द्रांग क्षेत्र में रॉक-साल्ट डिपाजिटों में आयोडीन तत्व की उपलब्धता के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। जी.एस.आई. ने इस बारे में कोई परियोजना भी स्थापित नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

451. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना के लिए दिल्ली-जयपुर राजमार्ग सं. 8 पर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेज मानदंडों के अनुसार मौजूदा उद्योगों की भूमि का अन्य उद्योगों के लिए सेज हेतु अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भूमि/भूमि का उपयोग राज्य का विषय है और भूमि का अधिग्रहण प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। दिनांक 15 जून, 2007 को सभी राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का अनुमोदन नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के बाद भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया है या करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में यह निर्धारित किया गया है कि एसईजेड की स्थापना हेतु अभिज्ञात

किया गया क्षेत्र खाली और संलग्न होना चाहिए। इसके अलावा विकासकर्ता के पास एसईजेड के रूप में उक्त क्षेत्र का विकास करने के लिए उस पर कानूनी कब्जा, बीस वर्ष या इससे अधिक की अवधि के पट्टा अधिकार और/या अप्रतिसंहार्य अधिकार होने चाहिए जिसे ऋण भारों से भी मुक्त होना चाहिए।

उजबेकिस्तान के शिष्टमंडल का दौरा

452. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उजबेकिस्तान के एक व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और उसने देश, विशेषकर तमिलनाडु में वस्त्र इकाइयों की स्थापना करने में दिलचस्पी दिखाई;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और देश में वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई; और

(ग) इन इकाइयों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.जी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, हां। जुलाई, 2007 के दौरान उजबेकिस्तान के एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। तथापि, शिष्टमंडल के दौरे का उद्देश्य उजबेकिस्तान में वस्त्र क्षेत्र में भारतीय निवेश आकर्षित करना था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता

453. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वेट) की संशोधित योजना को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

454. श्री रामदास आठवले:
श्री अभिमन्यु राय खन्ना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास दर में गत वर्षों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान गिरावट नजर आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त विकास दर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) ने विकास दर में उक्त गिरावट के लिए भारतीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों के अनुसार वर्ष 2006-07 में औद्योगिक विकास दर 10.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-01 से औद्योगिक विकास दर नीचे दी गई है:

(विकास प्रतिशत में)

2000-01	6.4
2001-02	2.7
2002-03	7.1
2003-04	7.4
2004-05	9.8
2005-06 (त्वरित अनुमान)	9.6
2006-07 (संशोधित अनुमान)	10.9

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली मुद्रा

455. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की राजधानी और अन्य हिस्सों में चालू वर्ष में आज तक जब्त की गई जाली मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में आई एस आई और अन्य एजेंसियों की संलिप्तता के संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) दिल्ली पुलिस के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान (31 जुलाई तक) दिल्ली में 6595780 रुपए के बराबर जाली मुद्रा पकड़ी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2006 के दौरान लगभग 62907369 रुपए के बराबर की जाली भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी।

(ख) और (ग) आसूचना जानकारी में पूरा संदेह व्यक्त किया गया है कि इस संबंध में आई एस आई और अन्य एजेंसियां संलिप्त हैं। भारत के संविधान के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं इसलिए जाली मुद्रा सहित सभी अपराधों के पंजीकरण, जांच-पड़ताल और उनकी रोकथाम करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का ही है। तथापि, सरकार ने देश में जाली मुद्रा के चलन को नियंत्रित करने लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

राज्य सरकार के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करना; देश में जाली मुद्रा की तस्करी की रोकथाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बरता जाना; जनहित में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा विषय पर सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना।

नक्सली गतिविधियां

456. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री रूपचंद मुर्मू:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री प्रबोध पांडा
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
योगी आदित्यनाथ:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री किरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री कैलाश बैठा:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नक्सलवाद के पीड़ितों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर वर्ष 2007 में नक्सली गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नक्सलियों के नेपाल के माओवादियों और आतंकवादियों के साथ गठजोड़ के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) क्या नक्सली स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा कोई आतंरिक आकलन रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मुहैया, करवाने के बारे में राज्यों की अपनी-अपनी नीतियां है। गृह-मंत्रालय की सुरक्षा से संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्य-सरकारों को प्रत्येक असैनिक व्यक्ति के मारे जाने पर 1 लाख रु. और प्रत्येक सुरक्षा-कार्मिक के मारे जाने पर 3 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष, 2007 में जुलाई तक हुई नक्सली हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दर्शाया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्यों के आवधिक दौरे करने और राज्य-सरकारों के प्राधिकारियों से विभिन्न घटनाक्रमों तथा नक्सलवादी कार्यकलापों को रोकने एवं नियंत्रित करने के उपायों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श करने के साथ-साथ, नक्सलवादियों के कार्य-कलापों पर लगातार कड़ी नजर रखती आ रही है। नक्सलवादियों के कार्यकलापों को रोकने और नियंत्रित करने की उपयुक्त कार्रवाई करने की दृष्टि से नक्सलवादियों के कार्यकलापों की स्थिति पर नजर रखना, उसकी समीक्षा करना और उसे आंकना, एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

वर्ष 2004 से वर्ष 2007 (जुलाई, 2007) तक की अवधि के दौरान हुई राज्य-वार नक्सली हिंसा

राज्यों के नाम	2004		2005		2006		2007 (31.7.2007) (31.7.2006)* को रही स्थिति	
	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु	घटनाएं	मृत्यु
आंध्र प्रदेश	310	74	535	208	183	47	82(122)	26(24)
बिहार	323	171	186	96	107	45	87(75)	39(36)
छत्तीसगढ़	352	83	385	168	715	388	399(453)	259(306)
झारखंड	379	169	312	119	310	124	259(191)	71(75)
मध्य प्रदेश	13	4	20	3	6	1	8(5)	2(-)
महाराष्ट्र	84	15	94	53	98	42	63(63)	13(28)
उड़ीसा	35	8	42	14	44	9	47(29)	12(6)
उत्तर प्रदेश	15	26	10	1	11	5	4(8)	2(4)
पश्चिम बंगाल	11	15	14	7	23	17	12(15)	2(15)
केरल	5	-	-	-	2	-	4(1)	-
कर्नाटक	6	1	8	8	10	-	6(5)	5(-)
हरियाणा	-	-	2	-	-	-	-	-
जोड़	1533	566	1608	677	1509	678	971(967)	431(491)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, वर्ष 2006 की तदनुरूपी अवधि का ब्यौरा दर्शाते हैं।

जनजातियों के लिए कार्यक्रम

457. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आबंटन और खर्च का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। इस संबंध में जानकारी के लिए जनगणना आंकड़ों का संदर्भ लिया जाता है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

458. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट निर्माताओं ने आपूर्ति 40-50 प्रतिशत तक कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माताओं द्वारा ऐसे कदम देश में सीमेंट के ऊंचे मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं?

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार पाये गए निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं। सीमेंट के उत्पादन तथा प्रेषण में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 में बड़े संयंत्रों द्वारा सीमेंट का उत्पादन 155.66 मिलियन टन था जिसने पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 9.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सीमेंट उद्योग में वर्ष 2006-07 के दौरान क्षमता उपयोग 94 प्रतिशत था और इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 98 प्रतिशत था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योग पर अमरीकी पेटेन्ट

459. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री संतोष गंगवार:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस पेटेन्ट एण्ड ट्रेड मार्क ऑफिस (यूएसपीटीओ) ने अब तक योग संबंधी उपसाधनों पर योग से संबंधित कॉपी राइट्स ट्रेड मार्क तथा योग ट्रेड मार्क संस्वीकृत किए हैं और स्टीम रूप में किए जाने वाले योग के पेटेंट हेतु एक आवेदन इसके विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीकी सरकार से बात की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न द्वारा अमरीका के एकस्व तथा व्यापार चिह्न कार्यालय डाटाबेस (यूएसपीटीओ) के अनुसंधान से यह पता चलता है कि यूएसपीटीओ ने मुख्यत: योग संबंधी यंत्रों एवं उपकरणों जैसे कि योग संबंधी गद्दों, ग्रिप ब्लॉक, योग संबंधी मौजे, स्टेचिंग यंत्र, आदि में 168 एकस्वों को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार योग संबंधी उपकरणों पर लगभग 3700 व्यापार चिह्न हैं जिन्हें यूएसपीटीओ द्वारा पंजीकृत एवं लंबित व्यापार चिह्न डाटाबेस में सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, स्टीम रूप में किये जाने वाले योग के पेटेन्ट हेतु किसी आवेदन के लंबित होने के संबंध में यूएसपीटीओ डाटाबेस के अनुसंधान से कोई परिणाम नहीं निकला।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आर्थिक जोन

460. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण सहायता समूहों ने सरकार की "विशेष आर्थिक जोन" (एसईजेड) नीति की विशेष रूप से पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान न करने के कारण आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसईजेड पर्यावरणीय चिन्ताओं तथा इसके सामाजिक प्रभाव का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोनों को पर्यावरण संबंधी कानूनों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक जोनों के लिए पर्यावरणिक स्वीकृतियों हेतु विधिक परीक्षाओं तथा प्रक्रिया के बारे में जारी की गई विस्तृत अधिसूचनाओं और अनुदेशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, इसईजेड नियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के विकासकर्ताओं को जारी किए गए अनुमोदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ये शर्तें शामिल होती हैं कि विकासकर्ता को पर्यावरणिक अपेक्षाओं का पालन करना होगा और यह कि उसे भारत सरकार तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की संगत संविधियों और विनियमों के अधीन विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार 136 नव अधिसूचित एसईजेडों में 46705 करोड़ रु. का निवेश किया गया है और 40153 प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ है।

जेल में कैदियों की मौत

461. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तिहाड़ सहित विभिन्न जेलों में मारे जाने वाले पुरुष/महिला कैदियों की अलग-अलग वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी मौतों के कारणों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है/कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) कैदियों की मृत्यु के संबंध में सूचना जेलवार नहीं रखी जाती। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2003 से 2005 के दौरान देश में तिहाड़ जेल सहित विभिन्न जेलों में मारे गए पुरुष/महिला कैदियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	पुरुष कैदी	महिला कैदी	कुल
2003	1044	16	1060
2004	1144	25	1169
2005	1341	46	1387

(ख) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अंतर्गत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तथापि, सभी राज्य सरकारों को परिचालित मॉडल कारागार नियमावली में विभिन्न उपायों का प्रावधान है जैसे कि कैदियों को सुरक्षित और मानवीय परिस्थितियों में रखना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, आदि। किसी कैदी की मृत्यु की स्थिति में, पोस्ट मार्टम तत्काल करवाया जाना आवश्यक होता है। कैदी की मृत्यु की परिस्थितियों पर एक पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्य सरकारों को यह निदेश देते हुए सलाह भी जारी की है कि ऐसी घटनाओं के घटित होने के चौबीसों घंटों के अंदर अथवा ऐसी घटनाओं के बारे में इन अधिकारियों की जानकारी के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग के महासचिव को रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाए। तत्काल रिपोर्ट करने में असफल रहने पर इस अवधारणा को बल मिलेगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया गया है।

भारतीय समाचार-पत्रों का प्रसार

462. **श्री अबु अशीश मंडल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समाचार-पत्रों का प्रसार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों का प्रसार बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय रूप से मदद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार डी.ए.वी.पी. के साथ समाचार-पत्रों को तदनुसार तीन से एक साल तक पैनल पर रखने के मानदण्डों की समीक्षा करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए प्रसार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) डी ए वी पी के पैनल में समाचारपत्रों को शामिल करने संबंधी मानदंडों की हाल ही में समीक्षा की गई और दिनांक 15.5.2007 से विज्ञापन नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(1) उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, डोगरी, खासी, संथाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारपत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पैनल में समाचार-पत्रों को शामिल करने पर प्रकाशन से 3 वर्ष के स्थान पर 12 माह के पश्चात विचार किया जा सकता है।

(2) एक लाख और उससे अधिक प्रसार वाले जन प्रसारित समाचारपत्रों के पाठकों की संख्या का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसे समाचारपत्रों को प्रकाशन से 1 वर्ष की अवधि के पश्चात पैनलबद्ध करने के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार संबंधी दावे को तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसे आर एन आई या ए बी सी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान समाचारपत्रों का प्रसार

वर्ष	प्रसार
2003-04	133087588
2004-05	156719209
2005-06	180738611

[हिन्दी]

अपैरल पार्क स्कीम

463. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री काशीराम राणा:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
योगी आदित्यनाथ:
श्री गणेश सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान तथा चालू वर्ष में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (ए पी ई एस) टेक्सटाइल सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (टी सी आई डी) तथा स्कीम फॉर इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क (एस आई टी पी) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा कितनी परियोजनाएं पूर्ण की गई;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत सभी परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं में उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने रोजगार का सृजन हुआ तथा इसमें निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक प्रदान की गई तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस), वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस आई टी पी) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की वर्ष-वार एवं राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है-

राज्य	एपीईएस					टीसीआईडीएस				एसआईटीपी	
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07
आंध्र प्रदेश		1				1		1			4
गुजरात	1					1	1	1		2	5
हरियाणा						1					
जम्मू-कश्मीर								1			
कर्नाटक		1									1
केरल		1					1				
मध्य प्रदेश			1				1				
महाराष्ट्र				1			2	1		3	3
पंजाब				1							1
राजस्थान			1			1		1		1	3
तमिलनाडु		2					2	1		3	3
उत्तर प्रदेश	1	1						1			
पश्चिम बंगाल											1

(ख) से (घ) टीसीआईडीएस का लक्ष्य उन मौजूदा वस्त्र समूहों में अवसंरचना का विकास करना था जहां वस्त्र इकाइयां पहले से कार्यरत हैं। इपीईएस के तहत स्वीकृत 12 परियोजनाओं में से, केवल एक परियोजना के पूरे किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। एसआईटीपी के तहत स्वीकृत परियोजनाएं निष्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं और आशा है कि सभी परियोजनाएं 2008-09 तक पूरी कर ली जाएंगी।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसआईटीपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में 5.70 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) की परिकल्पना है। चूंकि, टीसीआईडीएस और एपीईचएस का प्राथमिक लक्ष्य अवसंरचना का विकास करना था, इसीलिए रोजगार सृजन के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(च) एपीईएस, टीसीआईडीएस और एसआईटीपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

राज्य	एपीईएस	टीसीआईडीएस	एसआईटीपी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3.04	4.10	22.22
गुजरात	9.61	12.04	36.00
हरियाणा	@	10.26	@

1	2	3	4
जम्मू-कश्मीर	@	0.29	@
कर्नाटक	13.19	@	2.12
केरल	12.61	3.13	@
मध्य प्रदेश	1.69	4.58	@
महाराष्ट्र	4.18	27.11	31.17
पंजाब	0.94	@	0.00
राजस्थान	0.98	22.79	23.39
तमिलनाडु	23.76	20.72	23.16
उत्तर प्रदेश	26.29	0.00	@
पश्चिम बंगाल	@	@	4.00

@इस योजना के तहत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

निजी रेडियो प्रचालकों संबंधी नीतियां एवं मानदण्ड

464. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिक लोगों तक प्रसारण पहुंचाने के लिए निजी रेडियो प्रचालकों की भागीदारी के लिए नीतियों एवं मानदण्डों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) आकाशवाणी तथा निजी प्रचालकों द्वारा राज्य-वार प्रचालित किए जा रहे एफएम रेडियो स्टेशनों की अलग-अलग रूप से संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। सरकार ने निजी अधिकरणों के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण हेतु सिफारिशें करने के लिए डा. अमित मित्रा, महासचिव, फिक्की की अध्यक्षता में, दिनांक 24.7.2003 को एक समिति का गठन किया।

(ख) समिति ने नवंबर, 2003 में मंत्रालय के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें, मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) समिति की सिफारिशों और अन्य संबंधित कारकों की जांच करने के बाद सरकार ने निजी अधिकरणों के माध्यम से एफ एम रेडियो का विस्तार (चरण-2) करने संबंधी एक नई नीति का अनुमोदन किया जिसे दिनांक 13.7.2005 को अधिसूचित किया गया था। नई नीति के तहत, सरकार ने पूरे देश के 91 शहरों में 337 चैनलों के लिए बोलियां आमंत्रित की। सफलतापूर्वक बोली लगाने के बाद 337 चैनलों में से 245 चैनलों के परिचालन हेतु निजी ऑपरेटरों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय, चरण-1 स्कीम के अंतर्गत परिचालित किए गए 21 एफ एम चैनलों सहित 102 एफ एम चैनल परिचालन में हैं।

(घ) आकाशवाणी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत परिचालित किए जा रहे एफ एम रेडियो स्टेशनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	आकाशवाणी एफ एम	निजी एफ एम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	5	17
2.	असम	5	2	7
3.	बिहार	3	1	4
4.	छत्तीसगढ़	4	0	4
5.	चंडीगढ़	0	2	2
6.	दिल्ली	2	8	10
7.	गोवा	1	3	4
8.	गुजरात	5	8	13
9.	हरियाणा	3	6	9
10.	हिमाचल प्रदेश	5	0	5
11.	जम्मू-कश्मीर	7	2	9
12.	झारखंड	5	0	5
13.	कर्नाटक	14	7	21
14.	केरल	7	0	7
15.	मध्य प्रदेश	13	7	20
16.	महाराष्ट्र	16	9	25
17.	मणिपुर	1	0	1
18.	मेघालय	2	0	2
19.	मिजोरम	1	0	1
20.	नागालैण्ड	1	0	1
21.	उड़ीसा	6	3	9
22.	पंजाब	3	5	8
23.	राजस्थान	12	7	19
24.	सिक्किम	0	0	0
25.	तमिलनाडु	8	9	17

1	2	3	4	5
26.	त्रिपुरा	3	0	3
27.	उत्तरांचल	1	0	1
28.	उत्तर प्रदेश	9	11	20
29.	पश्चिम बंगाल	8	7	15
30.	संघ राज्य क्षेत्र	4	0	4
	कुल योग	161	102	263

दिल्ली में यातायात प्रबंधन

465. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात प्रबंधन बिल्कुल संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए समेकित यातायात प्रबंधन समूह नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समूह के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) दिल्ली के यातायात प्रबंधन की तुलना विकसित देशों के यातायात प्रबंधन से नहीं की जा सकती। यातायात प्रबंधन में ड्राईवरों, वाहनों, सड़कों और वातावरण का प्रबंधन शामिल होता है देश में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा, सड़क ज्यामिति, पार्किंग स्थलों की दिक्कतें, ड्राईवरों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और जन-अनुशासन के अभाव ने यातायात के विनियमन और नियंत्रण को पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है। इसके अलावा, समान सड़क पर दौड़ता भारी-भरकम यातायात और उनकी भिन्न-भिन्न गति यातायात के संचालन को भी धीमा कर देती है। एकीकृत यातायात प्रबंधन ग्रुप नियुक्त किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है।

जेल में कैदियों को सुविधाएं

466. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिहाड़ जेल, दिल्ली में कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कैदियों को शिक्षा, पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण देने तथा चिकित्सा सुविधाओं सहित दी जा रही आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तत्कालीन जेल चीफ द्वारा शुरू किए गये सुधारों और नवाचार को तिहाड़ जेल में अभी भी जारी रखा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) 9.8.2007 की स्थिति के अनुसार तिहाड़ जेल में कैदियों की कुल संख्या 11,467 थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली जेलों में कैदियों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं में शामिल हैं:

1. खाना, कपड़ा और बिस्तर
2. चिकित्सा सुविधायें

3. नि:शुल्क कानूनी सहायता

4. शिक्षा और पुस्तकालय सुविधा

5. ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां

6. व्यावसायिक प्रशिक्षण

7. खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां

8. रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साक्षात्कार/मुलाकात

9. शिकायत निवारण प्रणाली।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। तिहाड़ जेल में किए जा रहे सुधार और बदलाव के कार्य निम्न हैं:

1. ध्यान, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां कैदियों की रोज की दिनचर्या है।

2. टेली बुकिंग और केन्द्रीय जन सम्पर्क कार्यालयों की शुरूआत से कैदी और आगन्तुक के बीच साक्षात्कार प्रक्रिया में सुधार हुआ है।

3. कैदी और उसके आगन्तुक के बीच श्रेष्ठ संचार को कारगर बनाने के लिए केन्द्रीय जेल संख्या-3 में एक माडल साक्षात्कार कक्ष का निर्माण किया गया है।

4. केन्द्रीय जेल संख्या-3 में 120 बिस्तरों के प्रावधान के साथ एक नशीली दवा मुक्ति केन्द्र का उद्घाटन किया गया है।

5. जेलों में कानूनी सहायता गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए कारागार परिसर में हाल ही में एक कानूनी सहायता परामर्श केन्द्र का उद्घाटन किया गया है.।

6. जेल में कैदियों की संख्या को कम करने और विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्ली बारगेनिंग न्यायालयों का आयोजन किया गया।

7. जेल रसोईयों में गैस सिलैन्डरों की बजाय नई गैस पाइप लाइन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

8. लगभग 3500 कैदियों को रखने के लिए मंडोली में 6 जेलों वाले एक नए जेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

9. मामूली अपराध के मामलों को निपटाने के लिए तिहाड़ परिसर में एक न्यायालय परिसर स्थापित किया गया है।

(छ) उक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चाय के अर्क से हेल्थ ड्रिंक और गोली बनाना

467. श्री अनवर हुसैन: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोरहाट, असम में टोकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन ने चाय के अर्क से एक आकर्षक हेल्थ ड्रिंक तथा गोली का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे किस प्रकार बढ़ावा दे रही है;

(ग) क्या भारतीय टी बोर्ड की इस नए वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए टोकलई को और धनराशि प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) टीकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन ने चाय के अर्क से "चाय की गोलियां" और चाय मृदु पेय" (जिनका प्रति-ऑक्सीकारी महत्व काफी अधिक है) तैयार किए हैं। चाय बोर्ड द्वारा अनुसंधान के ऐसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए 10वीं योजना में "चाय में उत्पाद विविधीकरण" संबंधी एक अनुसंधान स्कीम चाय अनुसंधान एसोसिएशन को प्रायोजित की गई थी।

(ख) और (ग) चाय बोर्ड भविष्य में वाणिज्यीकरण की व्यवहार्यता को देखने के बाद इन उत्पादों का संवर्धन करने के लिए उत्सुक है। अनेक कार्यशालाओं/सम्मेलनों में प्रायोगिक नमूने प्रदर्शित/प्रस्तुत किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा चाय के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) कार्यकलाप करने के लिए चाय बोर्ड के जरिए चाय अनुसंधान एसोसिएशन के टोकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को निधियां निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

टेलीविजन पर अश्लील कार्यक्रम

468. श्री रघुनाथ झा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टी.वी. चैनल तथा दूरदर्शन बेरोक टोक अश्लील धारावाहिक/कार्यक्रम आदि का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टी.वी. धारावाहिकों/कार्यक्रमों आदि के लिए प्रसारण से पूर्व सेंसर बोर्ड से मंजूरी लेने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि निजी टी.वी. चैनलों, दूरदर्शन आदि टेलीविजन पर अश्लील कार्यक्रम/धारावाहिक आदि का प्रसारण न करें?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केबल टी वी नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित टी वी चैनलों में प्रदर्शित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करना होता है। इन संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई किसी भी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडलीय मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का भी गठन किया है। समिति स्व-प्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करती है। संहिताओं के उल्लंघन में आपत्तिजनक कार्यक्रम/विज्ञापन प्रसारित करने वाले टी वी चैनलों को पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है।

वित्तीय सहायता हटाना

469. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के एक कार्य समूह ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि ऐसे विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के विरुद्ध प्रत्यायन रद्द करने तथा वित्तीय सहायता हटा लेने सहित सख्त कार्यवाही की जाए जो आरक्षण नीति का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य समूह के सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों/बालिकाओं तथा अन्य लाभवंचित वर्गों के शैक्षिक विकास से संबंधित योजना आयोग के कार्य दल ने 11वीं योजना के लिए इस प्रकार की सिफारिश की है। तथापि, 11वीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

470. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खारा पानी जलचर के विकास हेतु किन-किन राज्यों की पहचान की गई है; और

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, हां। भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित से संबंधित हैं (1) बाजार संवर्धन उपाय जैसे विदेशों में आयाजित होने वाले प्रमुख समुद्री खाद्य मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, (2) भारतीय समुद्री उत्पादों का ब्राण्ड संवर्धन; (3) भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी का द्विवार्षिक आयोजन; (4) आयातक देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुद्री उत्पादों के गुणवत्ता उन्नयन के सुगमीकरण हेतु किसानों तथा मत्स्यन की उन्नत पद्धतियों के बारे में मछुआरों में जागरूकता उत्पन्न करना; (5) श्रिम्प तथा स्कैम्पी हेतु जलकृषि के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार; तथा (6) प्रसंस्करण एककों, नौकाओं, मत्स्यन उपकरणों

आदि के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का सुगमीकरण। खारे पानी में जलकृषि का विकास समुद्रवर्ती राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

471. श्री रशीद मसूद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से लौह अयस्क के निर्यात को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन की इस्पात कंपनियों ने भारत से लौह अयस्क के आयात को रोकने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) चीन की इस्पात कंपनियों द्वारा भारत से लौह अयस्क के आयात को रोकने के किसी निर्णय के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ङ) सरकार द्वारा सरणीकरण के बिना 64 प्रतिशत तक लौह तत्व वाले लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी जाती है। यद्यपि 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले अयस्क का निर्यात एम एम टी सी लिमिटेड के जरिए सरणीकृत होता है, तथापि सरकार 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क फाइन्स के लोहे का निर्यात लाइसेंस पर निजी खान मालिकों/पट्टाधारकों द्वारा किए जाने की अनुमति देती है।

[अनुवाद]

कॉफी उत्पादकों के लिए पैकेज

472. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉफी उत्पादकों के लिए एक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैकेज के लाभ कॉफी उत्पादकों तक पहुंच गए हैं; और

(घ) कॉफी की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 को कॉफी उत्पादकों के लिए मंजूर किए गए कॉफी राहत पैकेज में निम्नानुसार परिकल्पना की गई है:

(1) 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के लिए विशेष कॉफी सावधि ऋण (एस सी टी एल) 287.10 करोड़ रुपये के अनुमानित ब्याज के कुल भार को बैंकों, सरकार और कर्जदार उत्पादकों के बीच समान रूप से एक-तिहाई एक बांटना।

(2) बैंकों से एस सी टी एल ऋणों के वापसी भुगतान की शेष अवधि के दौरान एस सी टी एल पर प्रभारित ब्याज दरों को मौजूदा 11 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत या कृषि क्षेत्र पर लागू दर, जो भी कम हो, करने का अनुरोध करना।

(3) भारत सरकार को कॉफी बोर्ड की ओर से देय ब्याज के साथ कॉफी विकास संबंधी ऋणों की लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालना और बोर्ड द्वारा लघु कॉफी उत्पादकों (10 हैक्टेयर से कम जोत वाले) को प्रदत्त लगभग 64.59 करोड़ रुपये के विकास संबंधी पुराने ऋणों को कॉफी बोर्ड द्वारा माफ किया जाना।

(4) 10वीं योजना की शेष अवधि के लिए लघु उपजकर्ताओं हेतु 5 प्रतिशत कर दर से और बड़े उपजकर्ताओं के लिए 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी स्कीम को जारी रखना, जिसे उन उत्पादकों के मामले में घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिन्हें ऋण स्थगन अवधि के दौरान एस सी टी एल पर कम किए गए ब्याज भार का लाभ मिला है।

(ग) जी हां।

(घ) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे परम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी के क्षेत्र का विस्तार करने की संभावना अधिक नहीं है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे गैर-परम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी क्षेत्र में विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मांस का निर्यात

473. **श्री हितेन बर्मन:** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार निर्यात की गई मांस की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लगाए जाने की संभावना है तथा इस प्रतिबंध से क्या लाभ मिलने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) निर्यातित मांस की मात्रा का देश-वार ब्यौरा डी जी सी आई एंड एस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) इस समय मांस के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एकलव्य आदर्श विद्यालयों की स्थापना

474. **श्री जुएल ओराम:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे अनुसूचित जिले कौन-से हैं जहां एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में और एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 में ऐसे कितने एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इनकी स्थापना के बाद इन विद्यालयों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसे आदर्श विद्यालयों ने कुछ राज्यों में कार्य करना शुरू नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो इन विद्यालयों को पूर्णत: कार्यात्मक बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या निदेश दिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) देश में जिन आंशिक/पूर्ण रूप से अनूसूचित जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (एनएसी) के आदेश पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) द्वारा 2005 के दौरान एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में से एक-एक राज्य को लेकर चार राज्यों को कवर किया गया था। अध्ययन में ईएमआरएस की स्थापना की पहल की सराहना की गई थी। इसमें कुछ कमियों को भी उजागर किया गया था और इन कमियों को सभी संबंधित राज्यों की जानकारी में लाया गया था। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी समिति ने 18.10.2006 को आयोजित अपनी बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना और कार्यकरण की भी समीक्षा की थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई थी:

(1) इन विद्यालयों का भावी प्रबंधन अर्थात् केन्द्रीय सरकार के अधीन पंजीकृत सोसायटी के रूप में एकलव्य विद्यालय समिति (ईवीएस) का गठन।

(2) आवर्ती/अनावर्ती लागत मानदंडों का संशोधन।

(3) प्रत्येक आईटीडीपी/आईटीडीए में कम से कम ऐसे एक विद्यालय की आवश्यकता।

(4) प्रत्येक विद्यालय में कक्षाओं/विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि।

(च) जी, हां।

(छ) जिन राज्यों में स्वीकृत किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों ने अभी तक कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है, उन सभी राज्यों को 2007-08 में विद्यालयों को प्रचालित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
		ईस्ट गोदावरी
		वारंगल
		महबूबनगर
2.	छत्तीसगढ़	बस्तर
		कांकेर
		सरगुजा
		रायगढ़
		दांतेवाड़ा
		जसपुर
3.	गुजरात	साबरकांठा
		नर्मदा
		वलसाद
		सूरत
		नवसारी
		डांग
		दाहोद
		पंचमहल
4.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर
5.	झारखंड	रांची
		पश्चिमी सिंहभूम
		दुमका
		साहेबगंज
6.	मध्य प्रदेश	झबुआ
		रतलाम
		बडवानी
		धार
		बेतुल
		सियोनी
		मांडला
		अनूपपुर
		डिंडोरी
		छिंदवाड़ा
		उमरिया
		सिंधी
7.	महाराष्ट्र	नासिक
		थाने
		अमरावती
		नागपुर
8.	उड़ीसा	मयूरभंज
		सुंदरगढ़
		कोरापुट
		रायगढ़
		क्योंझर
		गजपति
		कंधामल
		नवरंगपुर
9.	राजस्थान	उदयपुर
		बांसवाड़ा
		डुंगरपुर
		सिरोही

विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

475. **श्री सुव्रत बोस:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के अगले दौर की वार्ता के लिए कोई रणनीति है;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी सेवाओं के निर्यात पर वर्तमान अवरोधों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश का अनुपालन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कोई समझौता हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ में भारत की कार्यनीति के प्रमुख तत्व निम्नानुसार रहते आए हैं:

(1) भारत के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों हेतु विशेष रूप से विकसित देशों के बाजारों में अधिकाधिक बाजार पहुंच;

(2) सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाओं जैसे भारत तथा अन्य विकासशील देशों के निर्यात हित के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए सेवा क्षेत्र में भारत की अपार क्षमता का पूर्ण विकास तथा विकसित देशों के बाजारों में व्यावसायिकों एवं दक्ष व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच;

(3) निर्धनतम लोगों की समस्या पर जोर देते हुए डब्ल्यू टी ओ का उपयोग वैश्विक विकास के एक साधन के रूप में करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोगात्मक कार्यवाही; और

(4) भारत में खास तौर से कृषि में संवेदनशील एवं कमजोर क्षेत्रों का संरक्षण।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत ने डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं में सेवा व्यापार में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अवरोधों को हटाने की जरूरत पर बल दिया है। इनमें घरेलू विनियमनों पर अंकुश लगाना शामिल है, जो कारगर बाजार पहुंच में बाधक हैं। सेवा संबंधी वार्ताओं में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने सीमापार आपूर्ति (पद्धति-1) तथा प्रकृत व्यक्तियों की आवाजाही (पद्धति-4) में अनुरोध किए हैं और वह इन क्षेत्रों में बहुपक्षीय समूहों का समन्वयक है। भारत कम्प्यूटर एवं सम्बद्ध सेवाओं (सी आर एस) तथा वास्तुकला, इंजीनियरी तथा एकीकृत इंजीनियरी सेवाओं से संबंधित बहुपक्षीय समूहों का सह-प्रायोजक भी है।

भारत ने लेखा सेवाओं, वास्तुकला सेवाओं, कम्प्यूटर संबंधी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण एवं संबद्ध सेवाओं, इंजीनियरी तथा एकीकृत इंजीनियरी सेवाओं एवं वित्तीय सेवाओं में अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से विशिष्ट अनुरोध भी किए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लौह-अयस्क का निर्यात

476. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री मो. ताहिर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश से वर्ष-वार कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार राष्ट्र हित में लौह अयस्क के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लौह-अयस्क के संबंध में निर्यात नीति पर पुनर्विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत के पास लौह-अयस्क का पर्याप्त भंडार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों में लौह-अयस्क के आयात और निर्यात के बीच अंतर संबंधी आकलन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान लौह-अयस्क का निर्यात नीचे दिया गया है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन में)
2004-05	78.14
2005-06	89.27
2006-07	93.11

(ख) से (घ) भारत में खनिजों का निर्यात सदैव सरकार द्वारा अधिसूचित आयात-निर्यात नीति के तहत मार्गदर्शित होता रहा है। यह नीति घरेलू प्रयोजन और फालतू मात्रा का निर्यात करने के लिए लौह अयस्क के विवेकपूर्ण उपयोग को विनियमित और संवर्धित करती है। श्री अनवरूल होदा, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने लौह अयस्क निर्यात को एक मुद्दे के रूप में लिया है जो इसके विचारार्थ विषयों में विशेष रूप से शामिल नहीं था और खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन करने के लिए इसका समाधान करना निर्णायक माना जाएगा । केंद्र सरकार ने खनन उद्योग की रोजगार और निवेश संबंधी चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू मांग के मद्देनजर लौह-अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर भी विचार किया था।

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में अनुमानित 25.25 बिलियन टन लौह-अयस्क के पर्याप्त स्रोत हैं जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भण्डार, जो विस्तृत गवेषण का विषय है, का 7.21 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के आयात-निर्यात का अंतर निम्नानुसार है:

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	निर्यात	आयात	अंतर
2004-05	78.14	0.49	77.65
2005-06	89.27	0.61	88.66
2006-07 (अनंतिम)	93.11	0.26 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006)	92.85

[अनुवाद]

निर्यातकों को दी गई राजसहायता

477. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे समय में जब भारतीय निर्यातक रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण दबाव का सामना कर रहे हैं तब विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) ने भारत से सरकार द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन इन्सेंटिव पर पुनर्विचार करने को कहा है;

(ख) यदि हां; तो डब्ल्यूटीओ की संक्षिप्त मांग क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा निर्यातकों को दी गई राजसहायता की अनुमानित वार्षिक धनराशि कितनी है; और

(ग) डब्ल्यू टी ओ की इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने भारत से उसकी शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों की समीक्षा करने का कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्वालिटी स्कूल

478. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में एक क्वालिटी स्कूल खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) नवोदय विद्यालय स्कीम के अंतर्गत, देश के प्रत्येक जिले में एक ही तरह के गुणवत्ता

स्कूल अर्थात् जवाहर रोजगार विद्यालय खोले जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय हैं जो अच्छी गुणवत्तापरक आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा-6 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और उन्हें कक्षा-12 तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इस समय देश भर में 540 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का खनन

479. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रेनाइट की खनन में वृद्धि करने के लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ग्रेनाइट का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना भंडार है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या हाल के वर्षों के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) ग्रेनाइट, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित एक गौण खनिज है और एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के लिए नियम बनाने और खनिज रियायतें प्रदान करने की सभी शक्तियां, संबंधित राज्य सरकार को दी गई हैं। केंद्र सरकार ने ग्रेनाइट संसाधनों का संरक्षण करने तथा देश भर में ग्रेनाइट के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में एक समान ढांचा निर्धारित करने के लिए 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 अधिसूचित की है।

केंद्र सरकार ने ग्रेनाइट उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों को शामिल करके ग्रेनाइट विकास परिषद् (जीडीसी) का गठन किया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रेनाइट के संसाधन (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क वर्गीकरण के अनुसार) निम्नानुसार हैं:

राज्य	('000 घन मीटर में)
आंध्र प्रदेश	2405890
असम	583950
बिहार	877612
छत्तीसगढ़	50057
गुजरात	421296
हरियाणा	34000
झारखंड	8847364
कर्नाटक	9307678
केरल	2808
मध्य प्रदेश	1994084
महाराष्ट्र	1158847
मेघालय	286467
उड़ीसा	1843060
राजस्थान	8525208
तमिलनाडु	559435
उत्तर प्रदेश	494819
पश्चिम बंगाल	33426
समस्त भारत का कुल	37426001

(घ) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान निर्यात किए गए ग्रेनाइट की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
मात्रा (टन में)	2098169	2608556	2841066

पिछले कुछ वर्षों में ग्रेनाइट के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

480. **श्री नरहरि महतो:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इस मंत्रालय में सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक नवोदय विद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

481. **श्री रमेश चेन्निथला:** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में प्राकृतिक रबड़ के आयात हेतु कंपनियों को स्वीकृति देने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत से किसी बाहरी देश को प्राकृतिक रबड़ का कोई निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत में प्राकृतिक रबड़ का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत से विभिन्न देशों को प्राकृतिक रबड़ के निर्यातों की मात्रा क्रमश: 73,830 टन और 56,545 टन रही थी।

उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

482. **श्री विजय कृष्ण:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में गठित मंत्री समूह ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50 प्रतिशत प्रत्येक विदेशी निवेश की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि भारत और विदेश की केवल मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को पुर:स्थापित करने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में आटोमेटिक रूट से शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। सरकार देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन से संबंधित एक विधायी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को संशोधित किया जाना आवश्यक नहीं है।

जनसंख्या वृद्धि संबंधी कार्यक्रम

483. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2007 को विश्व जनसंख्या दिवस पर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए गए विशिष्ट कार्यक्रम क्या हैं; और

(ख) विश्व जनसंख्या दिवस पर देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य-वार कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जनसंख्या स्थिरता कोष (पापुलेशन स्टैब्लाइजेशन

फंड) जोकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक समिति है, ने विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात् 11 जुलाई को नई दिल्ली में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की भागीदारी से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में आठ राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कम सुविधा वाले गांवों के किशोरों और युवाओं ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य नवयुवकों के इस समूह को उत्तरदायी माता-पिता के गुणों को आत्मसात् कराना था ताकि बाद में वे इन विचारों का प्रचार-प्रसार करने में युवा नेताओं की भूमिका अदा कर सकें।

इस कार्यक्रम को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केन्द्रीय युवा मामले और खेल तथा पंचायतीराज मंत्री एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने सम्बोधित किया।

कई राज्यों और जिलों द्वारा भी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सूचना है।

(ख) 1 जुलाई, 2007 के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या 1134,023 हजार है। जनसंख्या प्रक्षेपणों से संबंधित तकनीकी समूह द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर वर्ष 2002-2007 के बीच की राज्यवार अनुमानित वृद्धि दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2002-2007 (दसवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान अनुमानित राज्यवार वृद्धि दरें*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007 के दौरान वृद्धि दर
1	2
भारत	7.90
जम्मू-कश्मीर	7.64
हिमाचल प्रदेश	5.97
पंजाब	6.80
चण्डीगढ़	26.05
उत्तराखंड	8.44
हरियाणा	9.96
दिल्ली	15.03
राजस्थान	9.89
उत्तर प्रदेश	10.11
बिहार	8.86
सिक्किम	6.38
अरुणाचल प्रदेश	6.28
नागालैण्ड	6.02
मणिपुर	6.46
मिजोरम	6.32
त्रिपुरा	6.48
मेघालय	6.29
असम	7.31
पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित)	7.01
पश्चिम बंगाल	5.95
झारखण्ड	8.34
उड़ीसा	5.43
छत्तीसगढ़	8.22
मध्य प्रदेश	9.70
गुजरात	8.18
दमन और दीव	33.33
दादरा और नागर हवेली	26.46
महाराष्ट्र	8.03
आंध्र प्रदेश	5.73
कर्नाटक	6.23
गोवा	13.79
लक्षद्वीप	15.63
केरल	4.38

1	2
तमिलनाडु	4.18
पांडिचेरी	17.85
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.58

*स्रोत: सारणी 11, जनसंख्या प्रक्षेपण, भारत और राज्य 2001-2026, जनसंख्या प्रक्षेपण से संबंधित तकनीकी समूह की रिपोर्ट, मई, 2006, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

484. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-बांग्लादेश सीमा के कुल कितने क्षेत्र पर राज्य-वार बाड़ लगाई गई है;

(ख) बाड़ लगाने के कार्यक्रम पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा को घुसपैठ से पूर्णत: सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख)

राज्य का नाम	बाड़ पूरी कर ली गई (कि.मी. में)	हुआ व्यय (करोड़ रुपए में) (31.7.2007 की स्थिति के अनुसार)
पश्चिम बंगाल	1180.00	931.06
असम	197.38	241.36
मेघालय	380.12	370.35
त्रिपुरा	658.06	1056.32
मिजोरम	91.01	278.44
कुल	2506.57	2877.53*

*इसमें 3220 कि.मी. सड़क निर्माण, 277 कि.मी. तेज रोशनी करने और 22810 मीटर पुल बनाने पर हुआ व्यय भी शामिल है।

(ग) सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. गश्त/नाका ड्यूटी के लिए नफरी में वृद्धि करना;
2. राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों के साथ गहन समन्वय;
3. विशेष अभियानों का संचालन;
4. सीमा पर बाड़ लगाना और सीमा पर सड़कें बनाना;
5. गश्ती दल द्वारा सीमा पर चौबीसों घण्टे निगरानी;
6. आसूचना नेटवर्क का उन्नयन;
7. पायलट परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में भारत-बंग्लादेश सीमा पर 277 कि.मी. तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

सीमेंट का आयात

485. श्री के.एस. पल्लानी शामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सीमेंट के निर्यात की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से कितना सीमेंट आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को सीमेंट की कमी के मद्देनजर भारत से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत में सीमेंट की कमी से पाकिस्तान सहित सभी उत्पादकों से आयातों को बढ़ावा मिला है। अब तक पाकिस्तान से बी आई एस प्रमाणन चिह्न लाइसेंस हेतु 15 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं क्योंकि भारत में आयात की जाने वाली किसी भी सीमेंट के लिए यह एक अनिवार्य अपेक्षा है। चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) में ये आवेदन-पत्र कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं इसलिए पाकिस्तान से आयात की जाने वाली सीमेंट की मात्रा का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता और यह बाजार की शक्तियों के लिए खुली होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऑनलाइन आई.आई.टी. और आई.आई.एम. पाठ्यक्रम

486. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कौन-कौन से संस्थान आई.आई.टी. और आई.आई.एम. पाठ्यक्रम करा रहे हैं और इनके छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरवर्ती शिक्षा परिषद (डी.ई.सी.) ने देश में प्रमुख संस्थानों को आनलाइन आई.आई.टी. और आई.आई.एम. पाठ्यक्रम कराने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन संस्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) पाठ्यक्रमों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों को सहायता

487. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विश्वविद्यालयों ने प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन कराने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास प्राकृतिक आपदाओं और विनाश के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान स्नातकोत्तर स्तर पर आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए "नवाचारी कार्यक्रमों" के तहत 5 विश्वविद्यालयों को वित्तीय संहायता प्रदान की है।

स्टिंग आपरेशन

488. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धाणाभाई बारड़:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की स्टिंग आपरेशन हेतु टी.वी. उद्योग के लिए नई आचार संहिता लाने की कोई योजना है जैसाकि 20 जुलाई, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टी.वी. उद्योग के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा भी की है;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार एक नई विषय-वस्तु संहिता लाने की योजना बना रही है लेकिन यह स्टिंग आपरेशन पर केन्द्रित नहीं है। ब्यौरा www.mib.nic.in में देखा जा सकता है।

(ग) से (ङ) केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं और उनके तहत बनाए गए नियमों और फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने तथा एक नई विषय-वस्तु संहिता तैयार करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया हैं। इस समिति में अनेक नागरिक समिति समूहों के अलावा टी वी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं और उनके साथ इस संहिता पर चर्चा की गई है। इस संहिता के पक्ष और विपक्ष दोनों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, समिति की अंतिम सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

खनन में वृद्धि

489. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र में जनवरी 2007 से आज तक पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खनन क्षेत्र में तिगुनी वृद्धि और विनिर्माण तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में पर्याप्त वृद्धि से समग्र कार्य-निष्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या खान मंत्रालय ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, खनिज उत्पादन के सूचकांक में जनवरी से जून, 2007 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह वृद्धि 5.5% रही है।

(ख) से (ङ) धातुओं की मांग में तीव्र वृद्धि से खनिज उद्योग के निष्पादन को आगे बढ़ाने की संभावना है। 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के साथ खनिज क्षेत्र को उदारीकृत कर दिया गया है और इस क्षेत्र में वृद्धि बाजार मांग द्वारा निर्धारित की जाती है।

निठारी कांड

490. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में निठारी गांव में बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त वारदात में कितने बच्चों और महिलाओं की हत्या की गई;

(ग) अब तक कितने बच्चों और महिलाओं की पहचान की गई है;

(घ) कितने पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो एनएचआरसी की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निठारी घटना से संबंधित कुल 19 मामले पंजीकृत किए गए हैं। अभी तक एज जे एम (सी बी आई मामले) गाजियाबाद में 11 मामलों के संबंध में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। शेष 8 मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 18 बाल/महिलाओं की हत्या से संबंधित 19 मामले दर्ज किए हैं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 8 बालों/महिलाओं की पहचान डी एन ए परीक्षण से की गई है जबकि 3 पीड़ितों की पहचान उनके वस्त्रों और अन्य सामानों से उनके माता-पिता और मृतकों के रिश्तेदारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज की गई अभियुक्त की स्वीकारोक्ति और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से की गई है। शेष पीड़ितों की पहचान सी एफ एस एल चंडीगढ़ में स्कल सुपरिमपोजीशन टेस्ट के माध्यम से की जा रही है।

(घ) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। निठारी गांव में गुमशुदा बच्चों के मामलों में पहले ही चल रही जांच-पड़ताल को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 2 जुलाई, 2007 की अपनी कार्यवाही में इस संबंध में उनके पास लंबित सभी मामलों को समाप्त कर दिया। तथापि, बच्चों की गुमशुदगी के इन मामलों की लाक्षणिक मानते हुए मामले को उच्च श्रेणी का बनाया गया और देश में बच्चों की गुमशुदगी की समस्या का निराकरण करने की सिफारिशें जारी की गईं।

एन एच आर सी की सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं। सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई राज्य सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई और संबंधित मंत्रालय के साथ परामर्श करके अन्य उपायों के माध्यम से की जाएगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

491. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अधीर चौधरी:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री अनन्त नायक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा सुलभ कराने की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और प्रत्येक जिले में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का है जैसाकि दिनांक 23 जून, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) 11वीं योजना और 12वीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान, योजना को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और उच्च शिक्षा में निम्न सकल नामांकन दर वाले प्रत्येक जिले में एक कालेज स्थापित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पहले चरण में 16 राज्यों जिनमें अब तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, नामत: बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड में से प्रत्येक में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

मानव दुर्व्यापार के पीड़तों का पुनर्वास

492. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल कोष से अनुदान सहायता हेतु किसी गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)/संगठनों से मानव दुर्व्यापार एवं उत्पीड़न के शिकार बच्चों के लिए पुनर्वास परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में मानव दुर्व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना को तैयार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ज) दुर्व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और एन.जी.ओ./संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश में वर्ष 2003 से वर्ष 2005 तक की अवधि में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत कुल क्रमश: 5510, 5748 एवं 5908 मामले और भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं [अवयस्क बालिकाओं की अधिप्राप्ति (धारा 366-क भा. दं. सं.), वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री (धारा 372 भां. दं. सं.) तथा वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद (धारा 373 भा. दं. सं.)] के अंतर्गत क्रमश: 231, 245 एवं 223 मामले दर्ज किए गए।

(घ) विवरण संलग्न विवरण-II में निर्दिष्ट है।

(ङ) से (छ) "अवैध व्यापार निवारण तथा अवैध व्यापार व व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार व्यक्तियों के बचाव, पुनर्वास तथा उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु एक व्यापक स्कीम" वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल की गई है। इस स्कीम में अवैध व्यापार रोकने तथा पीड़ित व्यक्तियों के बचाव, पुनर्वास एवं प्रत्यावर्तन के लिए विशेष घटक हैं।

(ज) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृहों का संचालन कर रहा है, जहां पर अवैध व्यापार के शिकार लोगों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यौन शोषण हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी चलाई जा रही है।

विवरण I

अवैध व्यापार के शिकार लोगों के पुनर्वास के संबंध में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	बिहार	6
3.	छत्तीसगढ़	3
4.	दिल्ली	6
5.	गुजरात	7
6.	हरियाणा	7
7.	झारखंड	4
8.	कर्नाटक	21
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	22
11.	महाराष्ट्र	73
12.	उड़ीसा	23
13.	राजस्थान	2
14.	तमिलनाडु	4
15.	उत्तर प्रदेश	103
16.	उत्तरांचल	2
17.	पश्चिम बंगाल	19
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	15

विवरण II

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा भा. दं. सं. की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वर्ष 2003-05 तक दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आ.व्या. (नि.) अ., 1956			अवयस्क लड़कियों की अभिप्राप्ति (भा. दं. सं. धारा 366क)			वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री (भा.दं.सं. धारा 372)			वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद (भा.दं.सं. धारा 373)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	349	405	681	46	60	48	1	0	2	0	0	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	22	28	25	12	8	0	0	1	2	0	0	0
4.	बिहार	9	24	28	1	7	5	0	1	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	7	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	25	28	38	5	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	74	33	59	2	5	12	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	57	62	85	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	6	3	13	5	5	4	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1361	1170	1241	1	4	7	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	159	168	225	7	20	21	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	33	23	19	13	2	4	25	0	0	0	0	1
15.	महाराष्ट्र	179	309	222	20	14	5	3	3	1	5	11	6
16.	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नगालैण्ड	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	11	22	29	4	3	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	54	32	58	0	0	2	0	1	0	0	0	1
22.	राजस्थान	51	79	115	1	1	1	0	1	1	1	1	0
23.	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2839	3022	2777	0	6	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	47	44	31	28	23	3	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	4	2	7	32	9	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	152	121	74	12	13	20	6	12	44	18	9	2
	कुल (राज्य)	5445	5611	5742	171	205	145	36	19	58	24	21	19
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	दादरा व नगर हवेली	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	46	123	151	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	13	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	64	137	166	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	कुल (अखिल भारत)	5510	5748	5908	171	205	145	36	19	50	24	21	28

स्रोत: भारत में अपराध

अल्पसंख्यकों संबंधी संस्थाएं

493. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान के साथ प्रत्यायित करने के लिए अल्पसंख्यकों संबंधी संस्थाओं से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में अब तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी अल्पसंख्यक संबंधी संस्थाओं को प्रत्यायित कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को जून, 2006 से प्रत्यायन हेतु अल्पसंख्यक संस्थाओं से 116 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 63 आवेदन-पत्र योग्य पाए गए हैं जिनमें से 20 संस्थाओं को पहले ही प्रत्यायित किया जा चुका है।

(ग) प्रत्यायित अल्पसंख्यक संस्थाओं, प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं और प्रत्यायित एजेंसियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य/संघशासित प्रदेश	प्रत्यायित संस्थाएं	प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाएं	प्रत्यायित एजेंसियां
मध्य प्रदेश	01	–	–
उत्तर प्रदेश	03	01	01
हरियाणा	01	–	–
बिहार	01	–	01
कर्नाटक	–	–	02
महाराष्ट्र	02	–	01
पश्चिम बंगाल	03	–	–
दिल्ली	–	–	01
चंडीगढ़	–	–	02
कुल	11	01	08

प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या = 11 + 01 + 08 = 20

चाय बागान

494. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में कितने चाय बागान बंद हुए हैं और इनके बंद होने के क्या कारण हैं तथा इस कारण कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पुराने/बंद हुए चाय बागानों के लिए पुनरुद्धार रणनीति तैयार करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ कोई वार्ता आरंभ की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) देश में चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दिनांक 1.4.2007 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 33 चाय बागान बंद पड़े हैं, जिनमें से 17 केरल में, 14 पश्चिम बंगाल में और 2 असम में हैं। वर्ष 1999 के मध्य से कीमतों में मंदी की स्थिति के साथ-साथ अत्यधिक उत्पादन लागत और चाय की कम कीमतों जैसे अन्य कारकों ने चाय बागानों की व्यवहार्यता को प्रभावित किया है, जिसके कारण देश के चाय बागानों में से कुछेक बंद/परित्यक्त हैं। चाय बागानों के बंद होने से प्रभावित कामगारों की कुल संख्या 31,000 है।

(ख) और (ग) चाय बागानों के बंद होने के कारणों की गहन जांच-पड़ताल और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों एवं अन्य संबंधितों के साथ विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने बंद पड़े चाय बागानों के लिए हाल ही में एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में बकाया बैंक ऋणों की पुन: रचना, इन ऋणों पर दण्डस्वरूप संचयी ब्याज माफ करना, चाय बोर्ड के ऋण माफ करना, बैंकों के साथ पुराने खातों के नियमितीकरण के बाद कार्यशील पूंजी हेतु नये ऋणों का प्रावधान, चाय की पुरानी झाड़ियों के पुन:रोपण/प्रतिस्थापना/नवीकरण हेतु चाय बोर्ड की विशेष प्रयोजन चाय निधि स्कीम के माध्यम से दीर्घावधिक वित्त का प्रावधान तथा चाय बोर्ड की गुणवत्ता उन्नयन स्कीम के माध्यम से कारखाने में विनिर्माण सुविधाओं में सुधार भी परिकल्पित है।

(घ) चाय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चाय की पुरानी झाड़ियों के आयुवर्धन के उद्देश्य से पुन:रोपण/नवीकरण कार्यकलापों के वित्त पोषण हेतु विशेष प्रयोजन चाय निधि स्कीम सहित चाय बोर्ड के जरिए अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

495. **श्री महावीर भगोरा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार इस योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि और लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए केन्द्र और राज्यों के हिस्से संबंधी क्या प्रावधान है;

(घ) क्या उक्त योजना की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं के राज्यवार, संघ राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत राज्यवार और संघ राज्यवार जारी निधियों और लाभप्राप्त व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-II में दिया गया है।

(ग) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य का निधियन अंश बराबर का है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्य शामिल नहीं हैं क्योंकि इनका निधियन का अनुपात 90:10 का है। जिन क्रियान्वयी अभिकरणों में शत-प्रतिशत लाभार्थी सदस्य

अ.जा./अ.ज.जा./महिला/अल्पसंख्यक के हैं वहां केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात से निधियन हैं।

(घ) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर तथा योजना आयोग के परामर्श से इस योजना की समीक्षा की गई है। योजना आयोग के सुझावों और एन आई एस आई ई टी, हैराबाद के मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के घटकों को 11वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित एकीकृत हथकरघा विकास योजना में समाविष्ट करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	181
2.	बिहार	11
3.	छत्तीसगढ़	47
4.	गुजरात	0
5.	हिमाचल प्रदेश	92
6.	जम्मू-कश्मीर	0
7.	झारखंड	8
8.	कर्नाटक	54
9.	केरल	295
10.	मध्य प्रदेश	18
11.	उड़ीसा	1
12.	राजस्थान	2
13.	तमिलनाडु	1227
14.	उत्तर प्रदेश	630
15.	उत्तरांचल	25
16.	पश्चिम बंगाल	88
	कुल (क)	2675
पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	29
2.	असम	356
3.	मणिपुर	250
4.	मेघालय	0
5.	नागालैण्ड	447
6.	त्रिपुरा	0
	कुल (ख)	1082
	कुल योग (क + ख)	3757

विवरण II

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जारी निधियों और सम्मिलित लाभार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		कुल (जारी)	लाभार्थी	कुल (जारी)	लाभार्थी	कुल (जारी)	लाभार्थी (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	363.49628	48253	656.11800	63676	991.13343	120000
2.	बिहार	0.00000		0.00000		0.00000	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	छत्तीसगढ़	11.20316	147	4.60819		7.45423	2000
4.	दिल्ली	0.00000		0.00000		0.00000	
5.	गुजरात	0.00000		0.00000	13225	488.14417	30000
6.	हरियाणा	0.00000		0.0000		0.00000	
7.	हिमाचल प्रदेश	96.81991		27.49570	445	112.08979	3500
8.	जम्मू-कश्मीर	20.42000		25.37736		0.0000	
9.	झारखंड	0.00000		3.22000	100	22.57500	700
10.	कर्नाटक	104.76438	21935	1050.00425	19434	70.25350	10000
11.	केरल	523.73295	12700	285.41308		320.78963	25000
12.	मध्य प्रदेश	40.19176	1400	30.32594	870	6.33119	900
13.	महाराष्ट्र	0.00000		0.00000		259.85246	5000
14.	उड़ीसा	123.35634	31337	190.81042	20096	1525.19189	116300
15.	पंजाब	0.00000		0.0000		15.00000	300
16.	राजस्थान	43.36821	19644	0.00000	1170	40.46361	1000
17.	तमिलनाडु	3375.20322	108000	4226.94507	161036	1694.69730	125000
18.	उत्तर प्रदेश	931.51580	9551	1048.53625	4403	798.37733	20000
19.	उत्तरांचल	53.49308	831	0.00000		31.76009	300
20.	पश्चिम बंगाल	881.37431	23795	382.14574	21488	363.88638	30000
	कुल (क)	6568.93940	277593	7931.00000	305943	6748.00000	490000
उत्तर पूर्वी राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00000		0.00000		0.00000	
2.	असम	0.00000	237453	11.12326	277600	202.07338	700
3.	मणिपुर	426.35435		248.05772	6986	23.23000	
4.	मेघालय	0.00000		0.00000		0.00000	
5.	मिजोरम	7.75896		0.00000		11.87362	3000
6.	नागालैण्ड	266.25000		870.81275	7212	462.82300	
7.	त्रिपुरा	29.50000		0.00000		0.00000	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	सिक्किम	0.00000		0.00000		0.00000	
	कुल (ख)	731.86333	237453	1129.99373	291798	700.00000	10000
	अन्य						
3.	दिल्ली	100.00000		0.00000		0.00000	
	कुल	100.00000		0.00000		0.00000	
	कुल भाग (क+ख)	7400.80273	515046	9060.99373	597741	7448.00000	500000

[अनुवाद]

बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना

496. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
योगी आदित्य नाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम एन आई सी) योजना आरंम्भ की है जैसा कि दिनांक 26 मई, 2007 के 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह योजना आरंभ कर दी गई है;

(ग) उक्त योजना को सभी राज्यों में कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को इसके दायरे में लाने के लिए सरकार ने क्या मानदंड अपनाए हैं; और

(ङ) सरकार ने इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की है और इसमें से अब तक कुल कितनी उपयोग की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) जी हां। बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र से संबंधित प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत पहचान-पत्रों के वितरण का कार्य 26 मई, 2007 से आरंभ हो चुका है। प्रायोगिक परियोजना बारह (12) राज्यों और एक (1) संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनिन्दा क्षेत्रों में नवम्बर, 2003 से चल रही है जिसके अंतर्गत 30.95 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या को कवर किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को पहचान पत्र दिए जाएंगे जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जो सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता का साक्ष्य दे पाए हैं।

सरकार का प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के प्राप्त होने के बाद सम्पूर्ण देश में योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रायोगिक परियोजना के लिए 44.36 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से अभी तक 15.66 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

लिब्राहन आयोग

497. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लिब्राहन आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) लिब्राहन आयोग के कार्यकाल को अब तक कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(घ) उक्त आयोग अपनी जांच को कब तक पूरा कर लेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां श्रीमान। लिब्राहन आयोध्या जांच आयोग के निष्कर्षों को अंतिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य प्रगति पर है और सरकार ने इसके कार्यकाल को 31 अगस्त, 2007 तक बढ़ाया हुआ है।

(ग) सरकार ने 40 बार आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया है।

(घ) आयोग के निष्कर्षों की रिपोर्ट आयोग के बढ़ाए कार्यकाल के भीतर सरकार को प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

498. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री पी. एस. गढ़वी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) ब्लूलाइन बसों सहित आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार यू.के., सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों की तरह ही दिल्ली में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए योजनाएं तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मारे गए लोगों की संख्या
2004	9092	7896	1977
2005	9375	8274	2049
2006	9299	8280	2169
2007 (31 जुलाई तक)	5013	4548	1227

दुर्घटनाओं में संलिप्त चालकों/बसों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करना/रद्द करना, यातायात उल्लंघन के लिए ड्राईविंग लाइसेंस को पंच करना, बसों के परमिट को निलंबित करना/रद्द करना इत्यादि और कानून के संगत प्रावधानों के तहत चालकों की गिरफ्तारी करना/उन पर अभियोजन चलाना शामिल है।

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. सड़क प्रयोक्ताओं में बेहतर सड़क अनुशासन की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उनकी विभिन्न श्रेणियों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य को वितरित करके आम जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. रक्षात्मक रूप से गाड़ी चलाने, लेन में गाड़ी चलाने, गोल चक्करों पर गाड़ी चलाने और दिल्ली की सड़कों पर पालन किए जाने वाले यातायात के सामान्य नियमों के संबंध में विशेष जोर देना।
3. आम जनता के मार्गदर्शन के लिए मुख्य चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाना।
4. चुनिन्दा स्थानों पर यातायात स्टाफ और पीसीआर स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से यातायात का विनियमन करना और यातायात जेड ओ द्वारा मोबाइल गश्त करना।
5. स्थानीय पुलिस की मदद से चुनिंदा बस स्टैंडों पर बस स्टैंड प्रबंधन।
6. प्रमुख कॉरिडॉरों पर बस स्टैंडों से यातायात को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं को हटाना।
7. बसों और वाणिज्यिक वाहनों के पेशेवर चालकों को प्रशिक्षित करना।
8. सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न स्थानों पर मोबाइल प्रदर्शनी वैन ले जाना।
9. दिल्ली में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना।
10. डीटीसी, निजी बसों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियोजन चलाना।

11. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शराब पी कर गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, लालबत्ती को लांघने, तेज गति से वाहन चलाने इत्यादि के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करना।

12. तेज गति से गाड़ी चलाने में पाए जाने वाले चालकों को गिरफ्तार करना।

13. वाणिज्यिक वाहनों के परमिट रद्द करना।

14. विभिन्न महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर पर आधारित सड़क दुर्घटना विश्लेषण प्रणाली और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना।

15. दिल्ली के महत्वपूर्ण भागों में जोखिम रहित यातायात परिचालन योजनाएं सुनिश्चित करना।

16. तेज गति के यातायात को धीमी गति के यातायात से अलग करना।

17. दुर्घटना संभावित सड़कों पर बीच के अंतराल को बंद करना।

18. शहरी सड़कों पर बस बेज, येलो बॉक्स, बस बॉक्स इत्यादि की व्यवस्था करना।

19. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात सिग्नलों/ब्लिंकरों की शुरूआत करना।

20. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पुलिस कार्मिकों की संख्या में और बढ़ोतरी करना।

21. विभिन्न इंजीनियरिंग सुधारों अर्थात ज्यामिति डिजाइनों, स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान, स्पीड ब्रेकरों का निर्माण, सड़क, के बीच लोहे की रेलिंग की व्यवस्था करना, सड़क चिह्नों को लगाना, पेंटिंग या रोड मार्किंग करना, सड़कों की कार्पेटिंग, जंक्शन में सुधार इत्यादि के लिए सिविक एजेंसियों के साथ संपर्क रखना।

22. महत्वपूर्ण ट्रैवल कॉरिडॉर में यातायात सिग्नलों को समकालिक बनाना।

23. क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली का विस्तार करना।

24. इंटरसेप्टरों के माध्यम से यातायात का उल्लंघन करने वाले पर अभियोजन चलाना।

25. रेड स्पीड चैक कैमरा के माध्यम से यातायात उल्लंघनकर्ता पर अभियोजन चलाना।

26. सिमप्यूटर्स के माध्यम से यातायात उल्लंघनकर्ता पर अभियोजन चलाना।

27. यातायात वीडियो प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से यातायात का प्रबोधन करना।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या

499. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को विद्यालयों के अभाव में अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की तर्ज पर लड़कों के लिए भी आवासीय विद्यालयों को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े, 2004-05 (30.9.2004 को संदर्भ तिथि मानते हुए) के अनुसार कक्षा-1 से 10 में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर 61.92 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रारंभिक स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान में उन बस्तियों जहां स्कूली सुविधाएं नहीं हैं, में नए स्कूल खोलने और अतिरिक्त क्लास रूप आदि के जरिए वर्तमान स्कूल संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

फोन पर समाचार

500. श्री अनवर हुसैन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया रेडियो (एआईआर), गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई से फोन पर समाचार सेवा आरंभ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए आई आर, गुवाहाटी की समाचार इकाई के पूर्ण उन्नयन एवं डिजीटलाइजेशन की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई के उन्नयन एवं डिजिटलीकरण की स्कीम का प्रस्ताव 11वीं योजना के मसौदे में रखा गया है जिसे अभी अनुमोदित किया जाना है।

(घ) फोन-पर-समाचार सेवा को वर्ष 2007-08 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। तथापि, गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई के उन्नयन एवं डिजिटलीकरण की स्कीम को 11वीं योजना के अनुमोदन के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार विधेयक

501. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा के अधिकार विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार विधेयक को लागू करने के लिए राज्यों को छूट दी है;

(ग) यदि हां, तो शिक्षा का अधिकार विधेयक को लागू करने के लिए राज्यों को छूट देने के क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन राज्यों ने शिक्षा का अधिकार विधेयक को लागू करने में आपत्ति जतायी है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई प्रमुख आपत्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) यह प्रावधान करते हुए कि "राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे", 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुपालन में शिक्षा का अधिकार संबंधी मॉडल विधेयक, 2006 का एक प्रारूप तैयार कर एक संरचना के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। राज्य सरकारों को शिक्षा का अधिकार संबंधी मॉडल विधेयक, 2006 अपनाने को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि जहां मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर उपयुक्त राज्य अधिनियम नहीं है वहां उन्हें लागू करने अथवा वर्तमान अधिनियमों को उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियन के पैमाने को प्रासंगिक बना दिया जाए। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य आपत्तियां इन मुद्दों पर उठाई गई हैं:

1. केन्द्रीय विधान का राज्य विधान के लिए मॉडल विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापन।
2. शिक्षा का अधिकार संबंधी मॉडल विधेयक के अधिनियम अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा अधिनियमों में संशोधन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ सर्व शिक्षा अभियान निधियन का संबंध।
3. प्रत्येक राज्य सरकार के राजस्व पर कानून व व्यवस्था के बाद प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का प्रभार सबसे अधिक होना।
4. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए वित्तीय देयता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाना।

[अनुवाद]

नई राष्ट्रीय खनिज नीति पर पुनर्विचार

502. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से नई राष्ट्रीय खनिज नीति के मसौदे पर पुनर्विचार करने और केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस पर विचार करने से पहले सभी राज्यों की इस पर एक राय बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) 31.12.2006 को कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन दिया था। उनके विचार बिन्दुओं पर उनकी राज्य सरकारों के अधिकारियों की बैठकों में विधिवत विचार-विमर्श किया गया था और उनके दिए गए सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। हाल ही में, इन बिन्दुओं को कुछ मुख्यमंत्रियों ने फिर से उठाया था और 6.8.2007 को केन्द्र सरकार के साथ हुई बैठक में इन बिन्दुओं पर पुन: विचार किया गया। राष्ट्रीय खनिज नीति केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

503. **श्री रशीद मसूद:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के 800 प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे और कितने अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2007-08 के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट में अन्य बातों के साथ-साथ 813 नए प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना, 5512 उच्च प्राथमिक स्कूलों और 31,535 अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण शामिल है।

[अनुवाद]

सेब और फलों का आयात

504. **श्री हितेन बर्मन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुली सामान्य लाइसेंस योजना के अंतर्गत सेबों और अन्य फलों के आयात को अनुमति देने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के फल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है; और

(घ) घरेलू सेबों और अन्य फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने यह सुझाव दिया है कि खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत सेबों और अन्य फलों के आयात से देश में इन फलों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है जिस कारण देश में उत्पादित फलों की प्रतिस्पर्धी/अच्छी कीमत नहीं मिल रही है।

(ग) वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) सेबों और फलों के निर्यात के संवर्धन हेतु, एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) अनेक उपाय करता है जिनमें मेलों, संवर्धनात्मक अभियानों में भागीदारी, प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन, शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों पैक हाउसों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना, अवशिष्ट निगरानी योजनाओं तथा बाजार पहुंच पहलों का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा सेबों और अन्य फलों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की गई है। एपीडा अपनी स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना भी विद्यमान है जिसमें निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 3.5-5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

राजभाषा को बढ़ावा

505. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजभाषा हिन्दी के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था एवं कार्यक्रम आयोजित और अनुसंधान कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक इस संबंध में शीर्ष-वार जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली विशेषकर भौतिक एवं रसायन शास्त्र से संबंधित शब्दावली को समृद्ध करने और अद्यतन करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग राजभाषा हिन्दी के संवर्धन और विकास के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं करता है तथा कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान शीर्षवार निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया:

क्र.सं.	योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	जारी राशि (लाख रुपए)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	राजभाषा प्रशिक्षण	224.24	193.19	181.63
2.	सॉफ्टवेयर विकास	111.76	278.20	413.10
3.	क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां	6.64	7.96	7.90
4.	राजभाषा पुरस्कार	5.45	7.91	6.10
5.	पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रचार सामग्री आदि का प्रकाशन	13.57	23.92	25.11

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग हिन्दी वैज्ञानिक शब्दकोष को समृद्ध और अद्यतन करने के लिए निरंतर रूप से उपाय करता है। जहां तक भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का संबंध है, अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

भौतिक शास्त्र

प्रकाशन

भौतिक शास्त्र और संबद्ध विषयों पर निम्नलिखित शब्दावलियां/पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए गए हैं:

1. भौतिक शास्त्र शब्दावली
2. भौतिक शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली
3. फ्लूड मैकेनिक्स की पारिभाषिक शब्दकोष

चालू कार्य:

1. विद्यालय स्तर से संबंधित भौतिक शास्त्र की शब्दावली प्रकाशन के अंतिम चरण में है।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और भौतिक शास्त्र की संबद्ध शाखाओं, जो इंजीनियरी से भी संबंधित है, की अद्यतन शब्दावली तैयार की गई है और मुद्रण के लिए भेजी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पारिभाषिक शब्दकोष पर भी कार्य चल रहा है।
3. प्लाज्मा भौतिक शास्त्र के पारिभाषिक शब्दकोष पर कार्य चल रहा है।

रसायन शास्त्र

प्रकाशन

रसायन शास्त्र और संबद्ध विषयों पर निम्नलिखित शब्दावलियां/पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए गए हैं:

1. रसायन शास्त्र की शब्दावली
2. इस्पात और अलौह धातुकर्म विज्ञान की शब्दावली
3. उच्चतर रसायन शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष

4. रसायन शास्त्र (कार्बनिक) का पारिभाषिक शब्दकोष

5. धातुकर्म विज्ञान का पारिभाषिक शब्दकोष

6. पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी का पारिभाषिक शब्दकोष

* 46000 शब्दों वाली एक अद्यतन रसायन शास्त्र शब्दावली हाल ही में प्रकाशित की गई है।

* विद्यालय स्तर की रसायन शास्त्र शब्दावली के प्रकाशन पर कार्य चल रहा है।

सिक्कों का दुरूपयोग

506. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिक्कों को दुरूपयोग के लिए गलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गलाये गए सिक्कों के कितने मामले दर्ज किये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिक्कों के दुरूपयोग में लिप्त किसी गिरोह का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

507. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अभियान के लिए क्या रणनीति और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंतर्गत इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सर्व शिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्य मदों के लक्ष्य और उपलब्धि इस प्रकार हैं:

मद	लक्ष्य	उपलब्धियां
स्कूल खोला जाना*	240072	193220
स्कूल भवनों का निर्माण	131843	162597
अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण	586766	591916
शिक्षकों की नियुक्ति	671125	394522

* लक्ष्य और उपलब्धियां योजना की शुरूआत से लेकर अब तक के संचयी आंकड़े हैं।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्ता और समानता पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति है। 11वीं योजना के आवंटनों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) माध्यमिक स्तर पर पहुंच और गुणवत्ता को सर्वसुलभ बनाने के संबंध में एक संकल्पना नोट तैयार किया गया है जिसे योजना आयोग ने कतिपय अनुबंधों के साथ 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना

508. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने शिशु सदनों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अनेक विभागों, सरकारी उद्यमों और स्वायत्त संगठनों में कोई शिशु सदन नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन विभागों/संगठनों को महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु सदनों की स्थापना करने के निदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त निदेशों को इन विभागों/संगठनों में किस प्रकार परिचालित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) कामकाजी मताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम 1 जनवरी, 2006 से शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 13,295 नए शिशुगृह संस्वीकृत किए गए हैं। इन शिशुगृहों के स्थान का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा था कि वे अपनी महिला कर्मचारियों के लाभार्थ अपने कार्यालय परिसरों में शिशुगृह खोलने की जरूरत पर ध्यान दें।

इनमें से कुछ मंत्रालयों/विभागों ने बताया है कि उनकी किसी भी महिला कर्मचारी को कार्यस्थल पर शिशुगृह सुविधा की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में गृह कल्याण केन्द्र भी दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कल्याणार्थ शिशुगृह चला रहा है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठन

509. श्री नरहरि महतो: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चल रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए विकास का तुलनात्मक अध्ययन क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. खिन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकासार्थ निम्नांकित विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है:

(1) **स्वयंसेवी संगठनों को सहायता-अनुदान :** यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सरकार की कल्याण योजनाओं तक पहुंच का विस्तार करना तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसे क्षेत्रों में सेवा अभाव वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को दूर करना है तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक वातावरण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं यथा आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस बिस्तरों वाले चिकित्सालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सचल पुस्तकायल-सह-श्रव्य और दृश्य इकाई इत्यादि सम्मिलि हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान देश में गैर-सरकारी संगठनों की ऐसी लगभग 510 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया था, जिसमें से पश्चिम बंगाल की 34 परियोजनाएं थीं।

2. **जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर :** यह भी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय प्रत्येक अनुसूचित जनजातीय लड़की के लिए निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, भोजन व आवास व्यय, गणवेश, पुस्तक, आहार, इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 9000 रुपए की वित्तीय सहायता देता है। साथ ही, शैक्षिक परिसर को चलाने वाले संगठन, शिल्प/व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने तथा कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन एवं संबंधित विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना अपेक्षित होता है। वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों/राज्य के स्वामित्व के अधीन स्वायत्त समितियों के लगभग 84 शैक्षिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया, जिमसें से एक शैक्षिक परिसर को पश्चिम बंगाल में वित्तपोषित किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) तथा आदिम जनजातीय समूहों का विकास नामक दो अन्य योजनाएं हैं, जो राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. *जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी):* इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय युवकों को रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए योग्य बनाने हेतु उनका कौशल उन्नयन करना है। इसका

लक्ष्य उनकी आय में वृद्धि कर उनकी सामाजार्थिक दशा में सुधार करना है। वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की लगभग 9 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की किसी परियोजना की कोई सिफारिश नहीं की गई।

2. *आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास :* आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के विकास की यह एक विशिष्ट योजना है। यह अत्यंत लचीली योजना है। आदिम जनजातीय समूहों के विकास एवं सुरक्षा तथा उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोई भी गतिविधि/कार्य इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। इस गतिविधि/कार्य में गृह निर्माण, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, आय सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक सुरक्षा जैसा कोई भी कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की लगभग 38 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल से गैर-सरकारी संगठन की किसी परियोजना की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में हुए विकास पर कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता

510. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो अंतिम रूप दिए गए/विलम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपनी अनुमोदित तकनीकी संख्याओं को विभिन्न संकाय विकास तथा अनुसंधान और संस्थागत विकास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पिछले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार एवं उत्तर प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं को जारी किए गए अनुदान विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बिहार				उत्तर प्रदेश			
		2005-06		2006-07		2005-06		2006-07	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एम ओ डी आर ओ वी एस	0	0	1	11	8	68.82	10	84.15
2.	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	0	0	0	0	5	70.48	1	4.27
3.	स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	2	79.65	1	27.96	11	175.95	15	338.04
4.	यात्रा अनुदान	0	0	0	0	11	5.71	11	4.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	अनुसंधान प्रोत्साहन	0	0	0	0	9	69.02	10	117.3
6.	राष्ट्रीय समन्वित प्रोजेक्ट	0	0	0	0	0	0	1	20.9
7.	उद्यमशीलता विकास केन्द्र	0	0	0	0	1	5.6	1	8
8.	उद्योग संस्थान भागीदारी इकाई	0	0	0	0	1	7	0	0
9.	व्यवसायिक सोसाइटिज/निकाय	0	0	0	0	0	0	1	2.25
10.	नेशनल डाक्टोरल फोलोशिप	0	0	0	0	3	5.07	19	34.59
11.	युवा शिक्षकों के लिए कैरियर एवार्ड	0	0	0	0	1	2.79	2	5.25
12.	इमिरिटस फोलोशिप	1	1.05	0	0	13	17.74	9	13.44
13.	वीजिटिंग प्रोफेसरशिप	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	कर्मचारी विकास कार्यक्रम	0	0	0	0	3	2.06	8	7.43
15.	सेमिनार अनुदान	0	0	1	0.75	4	3.49	33	18.5
	कुल	3	80.7	3	39.71	70	433.73	121	658.88

भूकम्परोधी भवन

511. श्री के.एस. राव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन डी एम सी) द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बहुमंजिली इमारतों तथा राष्ट्रीय महत्व के भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूकम्प प्रवण जोन में विद्यमान आवासीय बहुमंजिले भवनों की रेट्रोफीटिंग को अनिवार्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो एन डी एम सी की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) भूकम्प जोखिम को कम करने और भूकम्पों के प्रभाव, जनहानि और सम्पत्ति को हुई क्षति को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने अप्रैल, 2007 में "भूकम्पों के प्रबंधन" के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए उपाय निर्धारित किए गए हैं जिसमें भूकम्प जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट अवयव शामिल हैं। उपाय निम्न हैं:

1. नई संरचनाओं का भूकम्प रोधी निर्माण;
2. मौजूदा प्राथमिक संरचनाओं और जीवन रेखा संरचनाओं को चयनित भूकम्पीय रूप से सुदृढ़ करना और पुन: व्यवस्थित करना;
3. विनियमन और प्रवर्तन;
4. जागरूकता और तैयारी;
5. क्षमता विकास (शिक्षा, प्रशिक्षण आर एंड डी, क्षमता निर्माण और प्रलेखन);
6. आपातकालीन प्रतिक्रिया।

(ख) से (ङ) मौजूदा संरचनाओं को भूकम्प रोधी बनाने के लिए उनका पता लगाने और उनको प्राथमिकता प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय और विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों की है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में एन डी एम ए द्वारा

निर्धारित दिशनिर्देशों के संबंध में प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी का प्रावधान है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ आपदाओं की रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय तथा क्षमता निर्माण और किए जाने वाले तैयारी उपाय शामिल हैं। एन डी एम ए द्वारा निर्धारित भूकम्पों के प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देशों में यह उल्लेख है कि सभी मौजूदा भवनों को पुन: व्यवस्थित करना व्यवहारिक अथवा वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। केन्द्र सरकार प्रतिष्ठित संस्थानों में संरचना संबंधी इंजीनियरों और वास्तुविदों के प्रशिक्षण द्वारा भूकम्प सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भूकम्प जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों और वास्तुविदों के क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार ने राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर भूकम्परोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक भवन उप कानूनों को अपनाने के लिए भूकम्प न्यूनीकरण और तैयारी संबंधी उपायों सहित विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और तैयारी उपाय करने के लिए सलाह भी भेजी है।

राहत संहिता

512. श्री दुष्यंत सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राहत संहिता में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राहत संहिता में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) राहत संहिता/नियमावली संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के ब्यौरे सम्मिलित है और इसमें केवल आपदा के बाद अनुक्रिया और राहत ध्यान केन्द्रित किया गया है। राज्य सरकारों को तैयारी निवारण और शमन संबंधी उपायों पर जोर देते हुए अपनी राहत संहित/नियमावली को अद्यतन करने की सलाह दी गई है।

घुसपैठ

513. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री जुएल ओराम:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पहचान की है जहां से घुसपैठ बढ़ रही है तथा भारी मात्रा में घुसपैठ की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) बंगलादेश की तरफ खराब आर्थिक स्थिति, सुभेद्य एवं नदीय सीमा; बंगलादेश में नृजातीय समानताओं के कारण भारत-बंगलादेश सीमा से आसानी से घुसपैठ हो सकती है तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कारण विगत चार वर्षों के दौरान घुसपैठ में कमी आई है।

(ग) सरकार ने सीमा-पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गश्त करके तथा निरीक्षण चौकियां स्थापित करके दिन-रात सीमा की निगरानी करना; सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना; आधुनिक एवं उच्च-तकनीकी निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन करना तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

मानव दुर्व्यापार

514. श्री अजीत जोगी:
श्री महावीर भगोरा:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मानव दुर्व्यापार विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार का केन्द्र बन चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मानव दुर्व्यापार की पीड़ित महिलाओं और बच्चों को देह-व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानव दुर्व्यापार और देह व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) ऐसी कोई अधिप्रमाणित या प्रमाणित रिपोर्टें नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि भारत, मानव के अवैध व्यापार का केन्द्र बन गया है। तथापि, नेपाल और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की कुछ घटनायें भारत सरकार की जानकारी में आई हैं जिनमें से कुछ का अवैध व्यापार, वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ किया जा रहा था।

(ङ) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्यों के विषय हैं और मानव के अवैध व्यापार के अपराध का निवारण और नियंत्रण करने के लिए मुख्यत: राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। तथापि, संघ सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर अवैध व्यापार के अपराध का निवारण करने और उसे नियंत्रित करने के कई उपाय करने के साथ-साथ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपाय कर रही है। संघ सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे अवैध व्यापार के अपराध का समग्र रूप से निपटान करें और कारगर तथा विस्तृत रणनीति तैयार करें जिसमें कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के अतिरिक्त पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास के उपाय शामिल किए जाएं। गृह मंत्रालय ने मानव के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल सैल स्थापित किया है और इस विषय की समीक्षा करने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए समन्वय बैठकें आयोजित कर रहा है।

गृह मंत्रालय ने सीमा-पार से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस समस्या से निपटने के लिए उचित सिफारिशें करने हेतु कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस महानिदेशकों के एक कार्यबल का भी गठन किया है। इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ताकि वे अवैध व्यापार की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार कर सकें। सीमा चौकसी बलों को भी निदेश दिया गया है कि वे सीमा पार के अवैध व्यापार पर सतर्कता बरतें। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण और नियंत्रण पर सार्क महाधिवेशन के कार्यान्वयन पर सार्क देशों के प्रतिनिधियों की हाल में हुई बैठक के दौरान भी सीमा-पार के अवैध व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

[अनुवाद]

बागान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी

515. श्री वसुदेव आचार्य: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागान क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करने का है जैसा कि दिनांक 26 जुलाई, 2007 के "बिजनेस लाईन" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के सहयोग से चाय प्रौद्योगिकी के लिए एक उन्नत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करना चाहता है जिसमें निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे:

(1) मौजूदा प्रसंस्करण मशीनरी के कार्यनिष्पादन का परीक्षण करना और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए उन्हें ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए तरीकों और पद्धतियों का सुझाव देना।

(2) विभिन्न किस्म की चाय के लिए नई प्रसंस्करण तकनीकें तैयार करना और उत्तम गुणवत्ता की चाय बनाने के लिए नई मशीनरी डिजाइन करना।

(3) कार्य की नीरसता को कम करने और कामगारों की कड़ी मेहन को कम करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए सरल यांत्रिक उपकरण तैयार करना।

रबड़ और कॉफी बोर्ड भी रबड़ और कॉफी की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर-थाईलैण्ड वर्ष की मुख्य विशेषताएं

516. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाईलैण्ड के वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमण्डल के हाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे के दौरान वर्ष 2008 को पूर्वोत्तर थाईलैण्ड वर्ष के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मनाए जाने वाले पूर्वोत्तर-थाईलैण्ड वर्ष की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी जानी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जून, 2007 में थाईलैण्ड प्रतिनिधि मंडल के पूर्वोत्तर के दौरे के समय विचार-विमर्श के दौरान एक सुझाव यह था कि वर्ष 2008 को थाईलैण्ड में पूर्वोत्तर वर्ष के रूप में मनाया जाये। जून, 2007 में थाई प्रतिनिधि मंडल के दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अक्टूबर, 2007 के पहले सप्ताह में बैंकाक में पूर्वोत्तर भारत निवेश अवसर सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों तथा पूर्वोत्तर में रुचि रखने वाले कुछ व्यवसायियों सहित एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल इस अवधि के दौरान बैंकाक का दौरा करेगा।

बांग्लादेशियों का निर्वासन

517. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2007 के दूसरे सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश में पुलिस और जनता द्वारा हजारों संदिग्ध बांग्लादेशियों का पता लगाया गया तथा उन्हें अरुणाचल सीमा से बाहर कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उनहोंने असम में शरण ले ली है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में उन बांग्लादेशियों को निर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम की राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा नियमित जांच के दौरान जिन राज्य से बाहर के लोगों के पास वैध इनर लाईन परमिट नहीं थे उन्हें वापिस भेज दिया गया है। असम सरकार से विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

वस्त्र निर्यात प्रसंस्करण जोन

518. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वस्त्र निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त जोनों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.जी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) वस्त्र/अपैरल/बूलन क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करने के लिए विभिन्न एजेंसियों/गैर-सरकारी प्रवर्तकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.7.2007 तक पांच प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं। अनुमोदन बोर्ड का औपचारिक अनुमोदन 15 प्रस्तावों को दिया गया है और 17 प्रस्तावों को 'सिद्धांतत:' अनुमोदन दिया गया हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	राज्य	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
क. अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन					
1.	जीआईडीसी (अपैरल)	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात	अपैरल	38.04.13
2.	निथोजन प्रोपर्टीज प्रा.लि.	पुमकुंटा एवं गोलापुरम विलेज, हिंदूपुर मंडल अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	अपैरल पार्क	141.65

1	2	3	4	5	6
3.	ब्रेंडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्रा. लि.	अचूतापुरम मंडल, जिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश राज्य में	आंध्र प्रदेश	वस्त्र	404.69
4.	कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी)	पेरूमेनाहल्ली गांव, कोकानागाटा सुमुद्रावेली हामुमंथापुरा ताल्लुक हसन कर्नाटक	कर्नाटक	वस्त्र	233.307
5.	मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा	वस्त्र	114.8313
ख. अनुमोदन दल द्वारा दी गई औपचारिक अनुमोदन					
1.	गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	अहमदाबाद	गुजरात	अपैरल	38
2.	नियोजन प्रोपर्टीज प्रा. लि.	थुमकुंटा एवं गोल्लापुरम विलेज, हिंदुपुर मंडल अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	अपैरल पार्क	141.64
3.	ब्रेंडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्रा. लि. (बीआईएसी)	विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	वस्त्र	404.7
4.	मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इंफ्रस्ट्रक्चर लि.	गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा	वस्त्र	113.35
5.	मैसर्स महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन	कागल, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र	104
6.	एमआईडीसी	बूतीबोरी, जिला नागपुर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र	383
7.	वेल्सपुन अंजर एसईजेड लि.	तालुका अंजर विलेज वर्धामेड़ी, गुजरात	गुजरात	वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र	284
8.	एमआईडीसी	जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र उद्योग	195
9.	एमआईडीसी	जिला चंद्रापुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र उद्योग	208
10.	एमआईडीसी	जिला पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र उद्योग	101

1	2	3	4	5	6
11.	केआईएडीबी	इसन, कर्नाटक	कर्नाटक	वस्त्र	202
12.	मृदुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	राजपुरा, पटियाला, पंजाब	पंजाब	वस्त्र	100
13.	ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.	ऊथुकुली विलेज, इरोड जिला, तमिलनाडु	तमिलनाडु	वस्त्र	101.62
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन (यूपीएसआईडीसी)	कानपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	वस्त्र	103.72
15.	एमएएफ फैशिक पार्क (इंडिया) प्रा. लि. (एमएफपी)	चिंतावरम विलेज, चिल्लाकरमंडल, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	वस्त्र एवं अपैरल	235

ग. अनुमोदन बोर्ड द्वारा सिद्धांत रूप में दी गई अनुमोदन

1.	श्री ओजी रियल स्टेट प्रा. लि.	तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा	अपैरल	101
2.	मैसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट अपैरल एंड टेक्सटाइल पार्क प्रा. लि.	बंगलौर	कर्नाटक	अपैरल और वस्त्र	141
3.	मैसर्स मिलेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	बंगलौर, कर्नाटक	कर्नाटक	अपैरल और फैशन उपस्कर	100
4.	रोकमान प्रोजेक्ट्स लि.	लुधियाना, पंजाब	पंजाब	वस्त्र	100
5.	आरएनवी अवसंरचना प्रा. लि.	कोयम्बटूर जिला	तमिलनाडु	वस्त्र	107.24
6.	हिंदुजा इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	दुड्डमन्नगुड्डे विलेज, रामानगरम तालुक बंगलौर ग्रामीण जिला	कर्नाटक	वस्त्र और अपैरल	100
7.	वेस्ट एंड क्रॉम्पसन	जिला कृष्णगिरि, तमिलनाडु	तमिलनाडु	वस्त्र एवं अपैरल पार्क	120
8.	निर्मल रियल्टी प्रा. लि.	विलेज भोजारी भोइसे एंड कोसिम्बी तालुका जिला थाने, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र और परिधान क्षेत्र	162

1	2	3	4	5	6
9.	वेल्सपन अंजर एसीजेड लि.	जिला चौद्वार जिला कटक, उड़ीसा	उड़ीसा	वस्त्र एवं परिधान	202
10.	मैसर्स अरिहंत टेक्नो-इकोनोमिक पार्क प्रा. लि.	भिवांडी, मुंबई, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र	107
11.	मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लि.	अमृतसर, पंजाब	पंजाब	वस्त्र	160
12.	आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	दादरा व नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में सिलवासा के नजदीक गांव सुरंगी	दादरा व नागर हवेली	वस्त्र	80
13.	लोढ़ा डिवलर्स प्रा. लि.	खिलेच पुसारी, अंबोसी, खिराड कुम्भारली, सकरोली, वादी, करावली, जिला थाने, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र	360
14.	मैसर्स ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) प्रा. लि.	छाता जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	वस्त्र/परिधान	100
15.	आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर	पूंगल रोड, बीकानेर, राजस्थान	राजस्थान	बूलन क्षेत्र	101.17
16.	ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि.	नरडाना, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	वस्त्र	100
17.	डीएलएफ लि. (डीएलएफएल)	धनकुनी टाउनशिप में स्थित, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	वस्त्र	100

तटीय सुरक्षा

519. श्री एस.के. खारवेलमणन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में वर्तमान में तटीय सुरक्षा बल कार्यरत हैं;

(ख) क्या संघ सरकार ने राजय सरकारों को विशेषकर तमिलनाडु को तटीय सुरक्षा बलों की स्थापना और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राधिका वी. सेल्वी): (क) तटीय सुरक्षा-योजना के अंतर्गत सभी नौ तटीय राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) तथा चार संघ-राज्य-क्षेत्रों (पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) के तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाने और उनकी निगरानी करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं सशक्त किए जाने का प्रावधान है।

(ख) से (घ) जून, 2007 तक, तटीय सुरक्षा-योजना के अंतर्गत 2468.58 लाख रुपये की धनराशि मुहैया करवाई जा चुकी है, जिसमें से 309.20 लाख रुपए की धनराशि, तमिलनाडु की राज्य-सरकार को मुहैया करवाई गई है।

[हिन्दी]

चाय उत्पादन

520. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक कितनी चाय का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या चाय उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित चाय की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलि. किग्रा)
2004	892.96
2005*	927.98
2006*	955.95
2007 (जनवरी-जून)	334.71

*अनुमानित

स्रोत: चाय बोर्ड

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चाय के उत्पादन और उत्पादकता का संवर्धन करने की दृष्टि से चाय बोर्ड इस क्षेत्र के विकास हेतु पहले से ही अनेक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनके अंतर्गत चाय उद्योग को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा चाय की पुनानी झाड़ियों के उपज काल में सुधार करने के उद्देश्य से पुनर्रोपण/नवीकरण संबंधी कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए एक विशेष प्रयोजन चाय निधि की भी स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केबल टेलीविजन नेटवर्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2006 जो 11 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केबल टेलीविजन (संशोधन) नियम, 2007 जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 12 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं. एल.टी. 6679/07]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (लिपिक वर्गीय) और सूबेदार मेजर (लिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 381 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं. एल.टी. 6680/07]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल संयुक्त सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वरिष्ठ निजी सचिव भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हिन्दी अधिकारी भर्ती नियम, 2007 जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं. एल.टी. 6681/07]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.जी.के.एस. इलंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, कानपुर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं. एल.टी. 6682/07]

अपराह्न 12.01 बजे

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव: मैं 'विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां (2005-06) एक समीक्षा' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए सं. एल.टी. 6683/07]

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): मैं महिलाओं के लिए जीवन बीमा निगम की बीमा योजनाएं, विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2006-07) का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

दो सौ तीनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): मैं "द टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक, 2007" (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 203वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहाकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियमों के अनुसार मैं अगली मद ध्यानाकर्षण पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्य एक मामला उठाना चाहते हैं। मैंने जिनका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में है। उनकी सहमति के अध्यधीन इसकी अनुमति दे दी है। यह असम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा कुछ लोगों की हत्या किए जाने से संबंधित है। यदि आप सहमत हों, तो मैं इसे ले लेता हूं। केवल एक मुद्दा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी टिप्पणी की प्रतीक्षा करें। केवल एक और मुद्दा है जिसके संबंध में आज सुबह कुछ उपद्रव भी हुआ था। परंतु मैंने उन्हें उचित और नियमबद्ध तरीके से चर्चा करने के लिए कहा था। मैं एक अन्य सूचना पर विचार करूंगा। कृपया उसे मुझे दे दीजिए। मैं इसकी अनुमति कल दूंगा। ध्यानाकर्षण द्वारा इस पर पूरी चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप केवल सूचना दे दीजिए। आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए इसे उठाने की अनुमति दे रहा हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

असम में उल्फा आतंकवादियों द्वारा हिन्दी भाषी लोगों की लगातार की जा रही हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, यह बहुत चिंता का विषय है कि जनवरी से लेकर अब तक 80 जो हिन्दी-भाषी असम में काम करते थे उन्हें उल्फा के लोगों ने मार डाला। पहले भी सदन में चिंता व्यक्त की गयी थी और हम अपेक्षा करते थे कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और राज्य सरकार से बेहतर तालमेल करके यह जो कत्लेआम हो रहा है इसमें कमी आयेगी। निर्दोष बच्चे, महिलाएं सबका कत्लेआम हुआ और काफी लोग घायल भी हुए और यह मामला अभी भी जारी है। यह न केवल असम में बल्कि घाटी से भी मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी मई महीने में रेलवे बोर्ड की पूर्ण में परीक्षा थी और वहां भी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग परीक्षा देने गये थे उनके पर्चे फाड़ डाले गये और उनके साथ भी मारपीट की गयी। यह जो अलगाववादी प्रवृत्ति है यह देश के लिए खतरनाक है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सेना का खुफिया तंत्र यह बात कह रहा है और उसकी रिपोर्ट है कि*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे मेरे पास लाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): 17 *...(व्यवधान)* ले गये *...(व्यवधान)* यह मेरा कहना नहीं है समाचार पत्रों में यह छपा है। यह एक गंभीर मामला है और माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित है वह इस पर अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर घटना है। असम के कारबी अंगलॉग जिले में एक एल एन एल एफ द्वारा बिहार के लगभग 30 लोगों की हत्या कर दी गई जिनमें अधिकतर किसान और कृषि मजदूर थे। यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, वहां के लोग भयभीत हैं। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और असम सहित देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे बिहार के हिन्दी भाषी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। मेरी यह मांग है कि बिहार के उन लोगों की रखा के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष जी, यह सिलसिला असम में खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों के साथ योजनाबद्ध तरीके से, टार्गेट बनाकर उल्फा उग्रवादियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस तरह की हत्या का सिलसिला जनवरी से और तेज हो गया है। यहां तक कि पिछले चार दिनों में, शनिवार की रात्रि से कारबी ओंगलोंग जिले के भोखाजान थाना के अंतर्गत रोगबोंगहाट गांव में चार हिन्दी भाषियों को जिनमें दो राजस्थानी और दो बिहारी लोगों की हत्या कर दी गयी। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। पिछले चार दिनों में लगभग 29 हिन्दी भाषी-भाषी लोगों को कत्ल किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय यह इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को महफूज रखने से जुडा यह सवाल है। आतंकवाद की इससे बड़ी मिसाल और नहीं हो सकती है। राज्य सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों को देखते हुए भी मूकदर्शक बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर मूक बनी नहीं रह सकती है क्योंकि लॉ एंड आर्डर का सवाल उनसे भी जुड़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार यहां आपको उत्तर देने के लिए नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठें हैं वे एक वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करें कि विशेष केन्द्रीय बल को भेजकर क्या-क्या अभियान ऐसे उग्रवादियों को ठिकाने लगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को महफूज रखने के लिए और हिन्दी भाषियों की जान-माल की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं। अपना बयान देकर वे अपनी वर्किंग को स्पष्ट करें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय अध्यक्ष महोदय, असम में जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में हिन्दी भाषी लोगों की चुन-चुन कर 20 से 30 हत्याएं की गई हैं, उनके हाथ-पैर काट दिए गए हैं, यह बहुत ही गंभीर मामला है। वहां उल्फा उग्रवादियों ने चुन-चुन कर बिहारियों को मारने का काम किया है तथा वहां से भागने को मजबूर किया है। सौ सालों से बसे लोगों को मारा है तथा उनकी सम्पत्ति को लूटा है, यह अत्यंत निंदनीय कार्य है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, लेकिन आप थोड़ा धीरे बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, राज्य सरकार बिलकुल चुप बैठी हुई है। हमें तो लगता है कि.....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी और सरकार उल्लेख मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि वे अविलम्ब हस्तक्षेप करें। बिहार के जो लोग लगातार मारे जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे रहना चाहिए। असम में इन लोगों की रक्षा, सुरक्षा की जानी चाहिए। सदन को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। आप इस बारे में निर्णय लें। सरकार को कुछ निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चुप करेंगे, तभी तो दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप शांत हो कर बैठिए। हम तो हिन्दी में ही बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है

अध्यक्ष महोदय: गंभीर मामला है, तभी तो इस विषय पर पहले बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आप इस अवसर का दुरूपयोग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज हुसैन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इन सभी बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय: महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए आप लोगों को चर्चा करने का मौका दिया है। आप लोग कृपया कोपरेट कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, असम में पिछले एक साल से यह घटना चल रही है और जब भी संसद का सत्र चलता है, हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सरकार एक लाइन का बयान दे देती है कि हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हिन्दी भाषी लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पिछले चार दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई है। वहां कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है। हम चाहते हैं कि वहां बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग और जितने भी हिन्दी भाषी लोग हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सभी लोगों की रक्षा होनी चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए।

महोदय, माननीय राम कृपाल जी ने जो विषय उठाया कि जो उल्फा है और सरैंडर किए हुए उग्रवादी हैं, इन लोगों को प्रोटैक्शन मिला हुआ है। इस बारे में जांच होनी चाहिए कि उनके किससे संबंध हैं और वे किसके इशारे पर काम करते हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर बीजेपी के तीन एमपीज का एक डेलिगेशन गया था। मैं स्वयं, श्री वृज भूषण सिंह और सुखदेव पासवान गए थे। हम वहां गवर्नर से मिले और मुख्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद से मिले। उन्होंने भी माना कि सात हजार लोग गए हैं। लेकिन हमारी सूचना है कि करीब 40 हजार से ज्यादा मजदूर, जिसमें सोने का काम करने वाले बिहार के मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर है, इनके बारे में अहमद शाह जिलनी ने बयान दिया कि इन्हें यहां से चले जाना चाहिए, इस कारण बड़ी तादाद में मजदूर आज घाटी छोड़ रहे हैं। यह पाकिस्तान की साजिश है कि किसी तरह से घाटी से मजदूरों को हटा दिया जाए। हमारा आपसे अनुरोध है कि कश्मीर और असम के विषय पर सरकार एक पंक्ति का बयान खाना पूर्ति करने के लिए न दे। सरकार ठोस कार्यक्रम के साथ आए कि वहां इन लोगों की रक्षा कैसे करना चाहती है, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह कहीं भी अपना काम कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालने की जरूरत नहीं है। इस बारे में लीपापोती करने की बजाए सरकार ठोस कार्यक्रम के साथ सामने आए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, असम में पिछले 7-8 महीने से जो घटित हो रहा है, वह हम सब के लिए और पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। महोदय, पूरा देश जानता है कि असम में उल्फा को किस का संरक्षण प्राप्त है। साथ-साथ उल्फा का आईएसआई और नक्सलवाद ग्रुप के साथ भी आपस में गठजोड़ है। आखिर केन्द्र सरकार इतने दिनों से असम में हिन्दी भाषियों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उसे चुपचाप क्यों देख रही है, क्यों इसके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रही है। हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार वहां के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की असम की सरकार, उल्फा की जो राष्ट्रद्रोही गतिविधियां हैं और खास तौर से हिन्दी भाषी क्षेत्रों के जो मजदूर वहां गए हैं, जिन्होंने असम के निर्माण में और उसे विकसित करने में अपना योगदान दिया है, उन पर नरसंहार एक साजिश के तहत करवा कर आईएसआई के साथ मिल कर वहां के जनसंख्यायिक संतुलन को बिगाड़ने का जो षड़यंत्र असम में किया जा रहा है और उसमें....*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योगी आदित्यनाथः उस सरकार को बर्खास्त करके, उल्फा की राष्ट्र विरोध और हिन्दी भाषी विरोधी गतिविधियों पर पूर्ण लगाम लगाया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात हो गई है। आपने केवल एसोसिएट करना था।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप सभी उससे सम्बद्ध हो जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः ....*

अध्यक्ष महोदयः आप उसे ले आएं, मैं उसे डिलिट कर दूंगा।

योगी आदित्यनाथः वहां जो नरसंहार निरंतर हिन्दी भाषियों पर हो रहा है, वह एक खतरनाक संकेत है। इस पर सरकार अपना बयान दे और सरकार क्या कदम उठा रही है, स्थिति स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदयः कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल मत कीजिए।

*...(व्यवधान)***

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपको बोलने का मौका दिया गया। क्या किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाए? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया और व्यवधान मत डालिए? मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चौधरी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह जी के भाषण के अलावा कुछ और कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः किसी की बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे हैं। बात काफी हो गया। मैं नहीं चाहता कि कई लोग एक साथ बोलने लगें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः क्या हो रहा है? आप लोग बाहर जाकर अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

मुझे समझ नहीं आ रहा।

[हिन्दी]

आप क्या कह रहे हैं?

[अनुवाद]

क्या मेरी अनुमति के बिना कोई भी उठ कर बोल सकता है।

...(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम कृपाल यादव: हमें संरक्षण चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, उस प्रदेश की चर्चा चल रही है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप देख रहे हैं कि यहां काफी गरमा-गरमी चल रही है। कृपया किसी को भी मत उकसाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की चर्चा चल रही है जिसका प्रतिनिधित्व प्रधान मंत्री स्वयं करते हैं। उस प्रदेश में हिन्दी भाषियों के साथ और खास तौर पर बिहारियों के साथ लगातार घटना पर घटना घटित हो रही है। करीब जनवरी से एक सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें ऐसे मजदूर लोग हैं जो पान या चाय की दुकान चलाते हैं। उनके पूरे परिवार का अपहरण करके पांच, सात या पन्द्रह आदमी की एक साथ हत्या होती है इस तरह से यह सौ से ज्यादा हो चुकी है। सदन में इससे पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी ने इस का उत्तर दिया था और आश्वासन भी दिया था कि वहां बिहारियों और हिन्दी भाषियों को सुरक्षा दी जाएगी। यह मामला सिर्फ विधि-व्यवस्था का नहीं है, उल्फा उग्रवाद या आतंकवाद को सिर्फ विधि-व्यवस्था से नहीं छोड़ा जा सकता है। इस मामले में केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां हिन्दी भाषी, खास तौर से जो बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं, उनको सुरक्षा कैसे दी जाए।...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ये क्या बात है? ये सब नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसलिए कि मंत्री जी अश्वासन देते हैं और अश्वासन के बाद भी हिन्दी भाषी बिहारी मारे जाते हैं। आप किसी...*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: नहीं तो रात दिन कत्लेआम होता रहेगा। सदन में इस्तीफा दिलवाकर और सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा से यह काम चलने वाला नही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपके माध्यम से सरकार और सोनिया गांधी जी से निवेदन करते हैं कि इस गंभीर विषय पर चिंतन करें और शीघ्र उचित कदम उठाने की कृपा करें ताकि बिहारियों की जान-माल की रक्षा हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह सभा की एक माननीय सदस्य हैं। वह मंत्री नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरनायडु (श्रीकाकुलम): कृपया मुझे इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भी इस मुद्दे से सम्बद्ध किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यंत दु:ख और रोष के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि असम के कारदयांग जिले में राजस्थान के लोग भी उसमें सम्मिलित हैं जो सैकड़ों वर्षों से रोजी-रोटी की तलाश में वहां गए थे और वहां छोटा-मोटा व्यापार कर रहे हैं। उन लोगों को मारकर वहां से भगाया जा रहा है और उनके परिवारों को आतंकित किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है।.....* पिछले छ: महीने से सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। यहां पर भी

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आश्वासन दिया गया कि असम में जो उग्रवाद पनप रहा है उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और सेना तैनात की जा रही है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक के बाद दूसरे जिले और दूसरे जिल के बाद तीसरे जिले में लगातार मौत की घटनाएं होती जा रही हैं। वहां जान और माल दोनों खतरे में हैं उनको कम्पेनसेट किया जाना चाहिए। मृतकों के परिवारों को लाखों रुपए मुआवजे का मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है और उनकी देखभाल भी नही की जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश की अखंडता, एकता की रक्षा, सांप्रदायिक सौहार्दयता और देश के सभी वर्गों में प्रेम की भावना स्थापित करने के लिए स्वाधीनता दिवस के पूर्व इस दिवस पर आज सरकार घोषणा करे। गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल बयान देकर कहते हैं कि हम निंदा करते हैं। वहां आतंकवाद पनप रहा है, निर्दोषों के खून से होली खेली जा रही है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। उन लोगों के जानमाल की रक्षा करने के लिए कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और ....*

अध्यक्ष महोदय: यह एसोसिएट करने की बात है। आपने बहुत अच्छा बोला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा क्या आप भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे अनुरोध करना है कि इस विषय पर जीरो ऑवर के बजाय पूरी बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो स्लिप भेज दीजिए। हम इसके लिए राजी हैं। आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मेरा सुझाव केवल यह है कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दें क्योंकि यह देश में हिन्दी भाषी लोगों से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति में गंभीर कमी से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, उनका नहीं मल्होत्रा जी का सुझाव रिकॉर्ड होगा।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं केवल इसमें कुछ और जोड़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, असम के अंदर जो भीषण नरसंहार हुआ है, अत्याचार हो रहे हैं, लोगों के हाथ-पैर काटे जा रहे हैं और वहां से हिन्दीभाषियों को निकाला जा रहा है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हर आदमी जानता है कि उल्फा और आई.एस.आई. की वहां पर सांठगांठ है, मिलीभगत है। वे एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। यह बात भी हर आदमी जानता है और मैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी से इस बात पर एग्री नहीं करता कि इसकी जांच कराई जाए। यह जगजाहिर है कि...*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िये,

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले की जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे हटा रहा हूं।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे दीजिए। मैं इसे हटा दूंगा।

[हिन्दी]

गर्वनमेंट का नाम नहीं आएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: .....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री दासगुप्त एक रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं केवल दु:ख ही व्यक्त कर सकता हूं कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे का राजनैतिक छींटाकशी का विषय बनाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, आप अपना सुझाव दीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: बिल्कुल ठीक है, महोदय...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए ना, उससे क्या होगा। आपने बहुत अच्छा बोला है, आपका पूरा भाषण रिकार्ड पर चला गया है।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय.....

अध्यक्ष महोदय: कृपया, केवल सुझाव दीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं केवल यह मांग कर रहा हूं कि गृह मंत्री को ऐसी घटनाओं के संबंध में वक्तव्य देना चाहिए जो न केवल असम में हो रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप इस मुद्दे से संबद्ध करने के लिए अपने नाम भेज सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, ये घटनाएं न केवल असम में हो रही है, अपितु दूसरे लोग भी बाहर निकाले जा रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र से बंगालियों को भी निकाला जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बस और कुछ नहीं। मैं आज यहां विषय पर वाद-विवाद नहीं होने दे सकता।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह वाद-विवाद नहीं है। लेकिन हम वक्तव्य चाहते हैं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, लेकिन आप इसे कितनी बार दोहराएंगे?

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह चिंता की बात है कि कृषि मजदूरों और आम मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य बिना सूचना दिए भी सुझाव देना चाहता है। नहीं, यह नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, ध्यानाकर्षण; डा. पाण्डेय।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि यह इस स्थिति की पीड़ा है। यह पीड़ा है कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी सरकार देश भर के कृषि मजदूरों और आम मजदूरों को संरक्षण नहीं दे सकती। यही मेरी पीड़ा है। मैं इसे अत्यंत खेद के साथ व्यक्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे दीजिए। मैं देखता हूं कि किस सीमा तक अनुमेय है।

डा. पाण्डेय, आप मुझे दो मिनट और दीजिए। श्री कृष्णदास बहुत नाराज हैं। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री कृष्णदास, आप संक्षेप में और सुस्पष्ट कहें। मैं इस मुद्दे पर केवल एक ही सदस्य को अनुमति दे रहा हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): जी हां, महोदय, मैं बहुत संक्षेप में और सुस्पष्ट बात कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे माननीय सदस्य, जो इसके संबद्ध होना चाहते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं। उनके नाम संबद्ध कर दिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन.एन. कृष्णदास: अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैंने आपको पहले ही वचन दे दिया है। यदि आप सूचना दे देते हैं, तो मैं आपको समायोजित कर लूंगा।

माननीय सदस्य श्री अनवर हुसैन श्रीमती रंजीत रंजन, श्री विजय कृष्ण, श्री सीता राम सिंह, श्री फुरकन अंसारी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री हरिन पाठक, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री दुष्यंत सिंह, प्रो. महादेव राव शिवनकर, श्री रघुनाथ झा, श्री रमेश दुबे, श्री प्रेम कुमार धूमल, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री किरेन रिजीजू और श्री भंवर सिंह डांगावास को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां मौजूद है, यह इतना गंभीर मामला है...*(व्यवधान)* यह बिहार के लोगों का मामला है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: गृह मंत्री जी, यहां मौजूद है और वह बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय गृह मंत्री बोलना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन यह आदत गलत है। तथापि, माननीय मंत्री इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हम अब उन्हें सुनेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, इस सदन के सम्माननीय सदस्यों ने जो दुख व्यक्त किया है, वह हम समझ सकते हैं। मैं अपनी ओर से और सदन के सारे सदस्यों की ओर से जो नरसंहार हुआ है, उसकी निंदा करता हूं और जिनके घरवालों की जानें गई हैं, उन्हें हम अपनी तरफ से पूरी संवेदना भी देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा मानना है, सभा इस पर आपसे संबद्ध होगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां, महोदय, मैं सभा में सदस्यों द्वारा व्यक्त पीड़ा को समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

आज हमारे राज्य मंत्री असम गये हैं और वहां इसका जायजा लेकर वह आज शाम को या कल वापस आ जायेंगे। कल ही हमने एक समिति स्पेशल सिक्युरिटी के साथ कुछ अधिकारियों को लेकर वहां भेजी है। वहां जाकर वे पूरे मालूमात लेकर यहां आ रहे हैं। हमारा संबंध वहां के मुख्य मंत्री, चीफ सैक्रेटरी और डी.जी. से रहा है और उनसे हमने वहां के पूरे मालूमात हासिल किये हैं। मैं बड़ी नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि असम बहुत बड़ा प्रांत होने की वजह से और झाड़ी और पहाड़ी बहुत होने की वजह से वहां की सरकार और वहां के मुख्य मंत्री ने जो भी प्रयास किये हैं, उनके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती हैं, हो रही हैं। इसके लिए हम उनके साथ सहानुभूमि भी रखते हैं, उनके साथ चर्चा भी करते हैं और जो कुछ हम सबको मिलकर करना है, किया है और उन्होंने जो किया है और जो मुझे बताया गया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह सब देखने के बाद उनको पता चला है कि दो जिलों के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने इन दो जिलों में पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया है कि उनकी जो पुलिस है, उसकी भी संख्या इन दो जिलों के अंदर और जहां पर भी ये लोग रह रहे हैं, वहां बढ़ाने का निर्णय किया है। तीसरा निर्णय यह किया है कि इतनी पुलिस होने के बावजूद भी चूंकि सारी तरफ और हर गांव में पुलिस स्टेशन नहीं हो सकता, इसलिए वहां पेट्रोलिंग ज्यादा पैमाने पर करने का निर्णय उन्होंने लिया है। चौथा निर्णय उनका यह है कि चूंकि रात में ये घटनाएं हो रही हैं, इसलिए रात में ज्यादा पेट्रोलिंग करने का निर्णय लिया गया है। ये लोग कभी-कभी पुलिस और आर्मी की वर्दी में आते हैं, इसलिए वहां के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर और जो वहां के दूसरे बड़े अधिकारी हैं, जो डीएसपी हैं, जिले और गांव के दूसरे अधिकारियों को कहा गया है कि इस पर वे ध्यान रखें। पांचवीं बात उन्होंने कही है कि अगर कहीं ऐसा पता चल जाए तो वहां के सारे लोग उनकी मदद करें। ये सारे कदम उन्होंने उठाये हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पिछले एक साल से कदम उठाये जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्वत: उत्तर देने की इच्छा व्यक्त की है। वह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जबकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया कुछ भी रिकार्ड मत कीजिए। केवल माननीय मंत्री का भाषण सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री की टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हरिन जी, आप बैठ जाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील: ये सारे कदम उन्होंने उठाये हैं और इसके बाद भी उन्होंने हमें बताया है कि इससे ज्यादा भी जो कुछ करने के लिए है, वह हमारे साथ चर्चा करके करेंगे तथा और कोई सुझाव हो तो वह भी करेंगे। अब तीसरा सवाल यहां जो पैदा हो जाता है कि हम लोगों ने उनके लिए यहां से क्या किया है, मैं बताना चाहता हूं कि वहां हम लोगों ने करीब-करीब सीआरपीएफ की 110 कंपनी पहले से ही इस काम के लिए देकर रखी हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या हो रहा है? क्या आप मंत्री महोदय को नहीं बोलने देंगे? वह स्वत: उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री का उत्तर कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप लोग ही तो एनकरेज करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद हमने कहा है कि वहां पर एक नोडल ऑफिसर सिर्फ इस काम के लिए उनकी तरफ से अगर अपाइंट हो गया और उन्होंने किया है, वह हमारे यहां के पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लोगों के साथ बात करेंगे। तीसरे, वहां पर आर्मी बहुत संख्या में और बॉर्डर की रक्षा करती है, हमारी सीआरपीएफ भी वहां है, वह बॉर्डर की रक्षा करती है, इस तरह से कुल मिलाकर काफी फोर्स वहां है लेकिन एरिया ऐसा है कि हर जगह पर लोग तैनात नहीं किये जा सकते। इसलिए हमने कहा है कि यूनिफाइड कमांड में चीफ मिनिस्टर्स स्वयं बैठें और आर्मी की तरफ से, सीआरपीएफ और उनकी पुलिस की तरफ से जो भी करना चाहिए, उसके अधिकार हमने दिये हैं। उनको हमने कहा है कि अगर इससे ज्यादा भी आपको किसी मदद की जरूरत है, जैसे कभी-कभी हेलीकॉप्टर देना पड़ता है, क्योंकि कभी घटनाएं हो जाती हैं तो वहां से लोगों को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो लागतार इंटेलीजेंस से खबरें आ रही हैं, वह हम उनको दे रहे हैं लेकिन यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि असम एक ऐसा प्रांत है जिसके बॉर्डर की बाजू में दूसरे जो प्रांत हैं, उनको और देश के दूसरे हिस्से को भी ध्यान में रखना है।

अध्ययक्ष जी, आखिरी बात मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह संघर्ष, जो हमें असम तथा दूसरे प्रांतों में देखने को मिल रहा है या हमारे हिन्दी बोलने वाले भाइयों के वहां जाने पर हो रहा है या उत्तर या दक्षिण भारत के भाई दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, वहां भी उनके बारे में ऐसा विचार प्रकट किया जाता है, इन सबका कारण क्या हैं? इसका कारण हमारे सकीर्ण विचार छोटे विचार हैं। जैसा आपने कहा कि ये जो घटनायें हो रही हैं, इन्हें पौलिटिकली न लिया जाये। अगर इस मुद्दे पर खास चर्चा करनी हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे हम सब लोगों का फायदा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? वह उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अगर माननीय सदस्यों के मन में कोई विचार हो तो हमारा प्रयास है कि हम उसे जरूर अपनायेंगे और हमने जो किया है, वह हम आपको बता देते हैं।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही, वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार ठीक नहीं है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वह बाध्य नहीं थे। उन्होंने स्वत: इसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। इससे अधिक कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बताइये कि आप क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप क्या चाहते हैं, पहले आप बैठ जाइये। मेरी बात सुनिये। मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

एक प्रक्रिया के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाता है। मैं इस मामले के महत्व के कारण उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिनके नाम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शामिल हैं। मैंने कम-से-कम दस सदस्यों को बुलाया है जिन्होंने सूचना दी थी। मैंने उन सभी को अवसर दिया है माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उचित उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए। यह सही तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात करते हैं? क्या स्पीकर को भी नहीं बोलने देंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं यहां हूं, तब तक मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम बराबर बोलेंगे, हमारा नाम ही स्पीकर है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक उचित वाद-विवाद और चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

आप लोग नोटिस दे दीजिये, उन्होंने भी सजेशन दिया है, इन्होंने भी सजेशन दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इससे दो बातें सामने आती हैं। होम मिनिस्टर ने अपने वक्तव्य में उल्फा का जिक्र नहीं किया है और दूसरा जब वहां सेना है, सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसी है, तब वहां ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उल्फा के नाम से मिनिस्टर बना दीजिये।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, यह एक अत्यंत निराशाजनक वक्तव्य है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, ऐसे मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत जगह एक्शन लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: इससे सब जगह उल्फा आ जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जितने मैम्बर्स सैटिसफाईड नहीं है, वे लोग नोटिस दे दें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अब केवल श्री कृष्णदास को बोलने की अनुमति दी जा रही है। और कोई हाथ नहीं उठाएगा।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): धन्यवाद, महोदय, चाहे जो भी हो, मैं सुबह हुई घटना के लिए बिना शर्त और संजीदगी से खेद प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं यह अवसर हमें देने के लिए आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: केवल आपको दे रहा हूं, 'हमें' नहीं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: यह बहुत ही गंभीर और उचित और यथार्थवादी मामला है, जो केरल के सभी लोगों से संबंधित है। तमिलनाडु में सेलम में एक केन्द्रीकृत नए मण्डल की स्थापना करने का प्रस्ताव था। तमिलनाडु हमारा पड़ोसी राज्य है और उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। वे हमारे भाई और बहनें हैं। हम सेलम में नए मण्डल की स्थापना का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह तमिलनाडु और केरल के बीच का मुद्दा नहीं है। हमारी बात केवल भारतीय रेल के साथ ही है।

अत: प्रस्ताव एक नए मण्डल की स्थापना के लिए था। यह निर्माण होना चाहिए न कि मण्डल का द्विशाखाकरण। भारतीय रेलवे सेलम में केन्द्रीकृत नया मण्डल बनाने के बजाए अब मौजूदा पलक्कड़ मण्डल का प्रमुख भाग लेकर और इसे सेलम मण्डल का नाम देकर दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया है। कुछ परम्पराएं, प्रथाएं और नियम हैं, जिनका अनुपालन भारतीय रेल कर रहा है। यह भारतीय रेल की परम्पराओं के पूर्णत: विरुद्ध है। हमारा कहना है कि जब यह प्रस्ताव आया तो हमने मौजूदा पलक्कड़ मण्डल और इसके भविष्य के बारे में चिंता जताई थी। इस समय, माननीय रेल मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है और इस मुद्दे को केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के परामर्श से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाएगा यही स्थिति थी।

अब, रेल राज्य मंत्री ने क्षेत्रों मुख्यमंत्रियों से परामर्श किए बिना सेलम मण्डल का उद्घाटन 14.9.2007 को करने की एकतरफा घोषणा कर दी है जबकि इस सभा में परामर्श का आश्वासन दिया था।

यह सभा में माननीय रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के पूर्णत: विरुद्ध है। अत: आपके माध्यम से सरकार से यह हमारा अनुरोध है। हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव और यूपीए अध्यक्ष को अपने रोष और चिन्ता से अवगत कराने के लिए कई बार मुलाकात की है और उन्हें केरल के लोगों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से अवगत कराया है। अब, केरल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखे बिना रेल राज्य मंत्री ने सेलम मंडल अर्थात् नवगठित सेलम मंडल का उद्घाटन करने की एकतरफा घोषणा कर दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने मामले को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: अत: हमारा अनुरोध है कि दोनों मुख्य मंत्रियों से परामर्श किए बिना, जैसाकि सभा में आश्वासन दिया गया था, वे इस मंडल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावित नए सेलम मंडल का उद्घाटन नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सूचना दीजिए। मैं आपको कल यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, प्रस्तावित नए सेलम मंडल की स्थापना करने के लिए हमारी ओर केरल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी पीड़ा समझता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: हमारी मांग यह है कि नए मंडल की स्थापना करने के लिए पश्चिमी तट के लिए भी नया रेलवे जोन होना चाहिए जिसमें प्रस्तावित नवा सेलम मंडल वर्तमान त्रिवेन्द्रम मंडल, वर्तमान पलक्कड़ मंडल और कोंकण रेलवे का क्षेत्र शामिल होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या कल भी कुछ कहने के लिए बचा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नाम के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। केवल नामों को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। कृपया आप अपने नाम भेज दीजिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास, आपने अपने मामल को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। मैंने आपको एक सुझाव दिया है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो, मुझे विश्वास है कि इसका परिणाम अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। डा. के.एस. मनोज को इस मामले से सम्बद्ध किए जाने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 10

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.49 बजे

सभा से सदस्य का निकाला जाना

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। आप शुरू से ही सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

मद सं. 10–डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय। इनके भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस: एक ही नहीं अपितु दोनों ओर से माफी मांगी गई है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री पी.सी. थामस: लेकिन हम यह कहना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह कल लिया जाएगा। अब और कुछ नहीं। मैं एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे खेद है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: केवल डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस आज आप अनुचित आचरण कर रहे हैं। आप गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं मंत्री जी को इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आप इसे बंद नहीं करते, तो आपका मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा। यह आचरण अनुचित है।

मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज आप हीरो बनना चाहते है।

श्री पी.सी. थामस: मेरा केवल इतना अनुरोध है कि मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे नहीं लिया जाएगा।

श्री पी.सी. थामस: यह कल ही दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे नहीं लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री इस सभा में सदस्यों की आशंका को दूर करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केरल के मामले को बिगाड़ रहे हैं। मैं उसे नहीं लूंगा। मैं इस विषय को नहीं लूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, बहुत हो गया। मेरा धैर्य जवाब दे गया है। मुझे नियम पुस्तिका दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं मैं और बर्दाश्त नही कर सकता। क्या आप निलंबन प्रस्ताव पेश करेंगे?

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जाइए। अन्यथा, मुझे बाध्य होकर प्रस्ताव पेश करना होगा...*(व्यवधान)* कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह कोई मामूली मामला नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: मैं अपनी विशेषाधिकार की सूचना के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अत्यंत विचित्र व्यक्ति हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मैं नियम 374(1) के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन माननीय मंत्री कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मैं नियम 374(1) के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां क्या हो रहा है? मैं नियम 374(1) के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूं। मैं आपको सभा से बाहर जाने का आदेश देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मंत्री को यह बताने का निदेश दे कि उद्घाटन किया जाना निर्धारित किया गया है अथवा नहीं। मेरा केवल आपसे यही अनुरोध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मैं नियम 373 के अंतर्गत आपको सभा से बाहर जाने का आदेश देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह कृपया हमें यह बताएं कि क्या उद्घाटन की तिथि निर्धारित की जा चुकी है या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि वे चुप नहीं होंगे तो मुझे उनके निलम्बन का प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा मैंने अपने 37 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं देखा। जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: मैं आपसे पहले ही अनुरोध कर चुका हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया निलंबन प्रस्ताव लाइए। इन्हें निलम्बित किया जाएगा। आप उनके निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

..(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस: मैं अपना खेद प्रकट करता हूं ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, खेद प्रकट करने का सवाल नहीं है। आप अप्रिय और घृणित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

..*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके खेद प्रकट करने का कोई लाभ नहीं है। मैंने आपको सभा से जाने का आदेश दिया है और आपको इसका पालन करना होगा। अन्यथा, आपको निलम्बित कर दिया जाएगा। मैने आपसे सभा से जाने के लिए कहा है। आपको सभा से बाहर जाना होगा और आप मेरी अनुमति के बिना वापिस नहीं आ सकते। आप बाहर जाइए।

..*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और सभा के बाहर चला जाऊंगा ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको क्षमा मांगनी चाहिए।

..*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैं सभा से बाहर जा रहा हूं परंतु मैं माननीय रेल मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उदघाटन की तिथि निर्धारित हो चुकी है या नहीं ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको नियम 373 के तहत सभा से बाहर जाना होगा।

..*(व्यवधान)*

(तत्पश्चात, श्री पी.सी. थामस सभा से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए, अन्यथा आपको भी सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा।

..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में यह क्या हो रहा है। मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दे रहा हूं परंतु आप जानबूझकर सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मामला है और वह अत्यन्त धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि और भी अन्य महत्वपूर्ण मामले थे। अत: मैंने अन्य लोगों को इसका उल्लेख करने की अनुमति दी। अब उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने का समय है और उन्हें इसे 12 बजे उठाने की अनुमति दी गई थी। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहें हैं परन्तु अन्य लोग सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्या दुर्व्यवहार एक आम बात हो गई है।

डा. पाण्डेय, मुझे खेद है।

..*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, मैं भी आप से क्षमा मांगता हूं ..*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.50 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नकली औषधियां, जिसके फलस्वरूप जनता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, की बिक्री और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में नकली दवाओं की बिक्री जिसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, नकली दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण एक गुप्त कार्य है जिसमें सामान्यत: समाज विरोधी तत्व शामिल होते हैं और बिना लाइसेंस वाले विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें बाजार में उपलब्ध दवाईयों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिम्मेदार होती हैं क्योंकि वे थोक और खुदरा बिक्री में लगी कंपनियों को लाइसेंस जारी करती हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, कृपया इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे सभापटल पर रखने के लिए तैयार हैं?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप शेष वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: यह एक विस्तृत उत्तर है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा है, वह प्रश्न पूछेंगे और आप उनके उत्तर दे सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*उनके कार्यकरण के एक भाग के रूप में राज्यों द्वारा नियुक्त इंस्पेक्टर बिक्री स्थापनाओं, अस्पतालों तथा विनिर्माताओं से नमूने लेकर तथा उनकी संबंधित सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच करवाकर बाजार सर्वेक्षण करते हैं।

नकली औषधियों का कारोबार पूरी दुनिया में हो रहा है। देश में नकली औषधियों के कारोबार के विस्तार का पता लगाना मुश्किल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों द्वारा अपनी प्रयोगशालाओं में औसतन 40,000 नमूनों की जांच की जाती है और वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान नकली दवाइयों के मामलों की संख्या 0, .182 तथा 0.29 प्रतिशत रही। इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों तथा उनमें दिए गए आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं और वे वास्तविकता से परे हैं।

सरकार तथा निजी पेशेवर निकाय द्वारा दो प्रायोगिक अध्ययन किए गए और दोनों ही अध्ययनों में नकली औषधियों के मामलों के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया।

वर्ष 2003 में संसद, सार्वजनिक सभाओं तथा मीडिया में व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर भारत सरकार ने डा. आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे-पहला, राज्यों तथा केन्द्र की विनियामक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप उन्नयन तथा दूसरा, नकली औषधियों का पता लगाना और नकली औषधियों के व्यापार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करना।

सरकार ने इस सामाजिक समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सीएसआईआर के महानिदेशक तथा सचिव डा. आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने सख्त दण्ड का प्रावधान किए जाने, औषध संबंधी अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान किए जाने, औषध संबंधी मामलों में अनियोजन दायर करने का अधिकार पुलिस को देते हुए अपराधों को शमनीय बनाए जाने तथा सभी औषध संबंधी अपराधों को संज्ञेय तथा गैर जमानती बनाए जाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। प्रारूप विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति की सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया गया है तथा संशोधित विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में नकली औषधियों हेतु प्रस्तावित दण्ड को आजीवन कारावास तथा/अथवा 10 लाख रु. के जुर्माने के साथ अधिक सख्त बनाया गया है।

भारत सरकार 354.25 करोड़ रु. की कुल परियोजन लागत से खाद्य सुरक्षा तथा औषध गुणवत्ता नियंत्रण (फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स) के लिए विश्व बैंक की सहायता से पंचवर्षीय क्षमता निर्माण परियोजना को भी कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत नई प्रयोगशालाओं, नवीनीकरण, विस्तार तथा नवीनतम अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर 23 राज्यों और 7 केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इससे अधिकाधिक नमूनों की शीघ्र जांच की जा सकेगी। इससे प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ेगी ताकि परियोजना के अंतर्गत नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फौर लेबोरेट्रीज (एन ए बी एल) द्वारा प्रयोगशालाओं को अधिकृत किए जाने, जनशक्ति हेतु वित्तपोषण तथा औषध विनियामक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए भी राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है तथा औषधि खरीदने तथा उसके उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए सशक्त मीडिया अभियान भी शुरू किया गया है।

चूंकि नकली औषधियों की समस्या को समाप्त करना राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर निर्भर है, मैंने विस्तार से इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। नकली औषधियों के संभावित मामलों पर निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आसूचना तथा, अभियोजन आदि कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के विनियामक अधिकारियों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची-ड. को अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के सदृश बनाने के लिए संशोधित किया है और औषधि विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक

.... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया. देखिए सं. एल टी-6679/07।

बनाया गया है कि वे विनिर्मित उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनुसूची में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करें।

औषधियों की लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण हेतु विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण (सेन्ट्रल ड्रग ओथारिटी) का गठन करने के लिए संसद के इस सत्र में एक विधेयक पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

सरकार इस समाजिक बुराई की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है और मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस संबंध में लाए जाने वाले प्रस्तावित विधान को यथाशीघ्र तथा बिना किसी बाधा के पारित करवाने में सहयोग करें।*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वक्तव्य को एक बार नहीं तीन-चार बार ध्यान से पढ़ा है और मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री जी द्वारा इस विषय को जिस गम्भीरता से लेना चाहिए था, उस गम्भीरता से नहीं लिया है। शायद उन्हें देश के आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो चिन्ता होनी चाहिए, वह नहीं है। नकली दवाएं बनाने का धन्धा अवैध रूप से चल रहा है और इसमें हजारों करोड़ रुपये का व्यापार हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने जो अपनी बात कही है, उसमें राज्य सरकारों पर बहुत कुछ डाला गया है। मैं नहीं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय विषय पर, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से संबंधित है, उसको केवल राज्य सरकारों के भरोसे डालना, उनके उत्तरदायित्व के लिए कहां तक न्यायसंगत हो सकता है, कहां तक ठीक हो सकता है? मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस विषय को जिस गम्भीरता से देखा जाना चाहिए, उसी गम्भीरता से देखें। यह एक सामूहिक नरसंहार जैसा मामला है इस विषय को गम्भीर समस्या मानकर उन्होंने जिन उपायों की चर्चा की है, उन उपायों की किस तरह से पूर्ति हो सकती है और कब हो सकती है? इसकी चिन्ता लेंगे, तभी मैं समझता हूं कि यह काम ठीक तरह से और समय पर हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने डॉक्टर माशेलकर की अध्यक्षता में बनी एक समिति की भी चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। मैं उन सिफारिशों के बारे में जानता हूं और संसदीय समिति ने उन सिफारिशों पर जो अपनी सिफारिशें दी हैं, उन पर मंत्री जी एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा? क्या उस विधेयक का मसौदा पुनः तैयार हो गया है? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी एक ऐसा विधेयक लाया गया था। क्या उन सभी बातों का उस विधेयक में समावेश होगा, जिनके बारे में चिन्ता की गई है कि ऐसी कम्पनियां जिनके बारे में यह मालूम हुआ है कि वे नकली दवाओं के बनाने और परिचालन में लगी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह यह विधेयक इसी सत्र में लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करें कि यह विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी एक केन्द्रीय औषध प्राधिकरण बनाना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी प्रकार के प्राधिकरण की व्यवस्था पहले से की हुई है। इसके अलावा एक केन्द्रीय औषध नीति भी है, उस नीति को आप कितना क्रियान्वित कर पा रहे हैं? उस नीति के क्या परिणाम सामने आए हैं? क्या केन्द्रीय औषध नीति को फिर से पुनरीक्षित करते हुए, कोई ऐसी नीति, जो समेकित हो, जो काम्प्रेहेंसिव हो को लाने का प्रयास करेंगे ताकि एक समेकित औषध नीति पूरे देश के लिए बन सके। विधेयक अपनी जगह है और औषध नीति अपनी जगह है। चूंकि विधेयक के अन्तर्गत आप पुलिस और राज्य सरकारों को अधिकार देने वाले हैं उसे स्पष्ट करे लेकिन केन्द्रीय औषध नीति में दवाओं की गुणवत्ता, उनके फार्मुले वगैरह पर किस तरह से काम किया जाए, इस पर विचार किया जाता है। उनकी क्रियान्विती ही कहो।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से देश में नकली दवाओं का व्यापार चल रहा है। किसी भी दवा का फार्मूला एक ही होता है और उसके अन्तर्गत ब्रांड नाम का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाता है। एक दवाई जिसका नाम एनॉलजिन है, वह रजिस्टर्ड है, नोवालजिन रजिस्टर्ड है, एटोनॉल रजिस्टर्ड है, लेकिन उस रजिस्टर्ड दवा के साथ एक दवा और मिलाकर किसी अन्य नाम से बना दी जाती है। वह बाजार में धड़ल्ले से बिकती है। सामान्य व्यक्ति इससे अपरिचित होता है क्योंकि रेयर तक एक सा होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का एक अन्य बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दवा बेचने के लिए फार्मिसिस्ट का लाइसेंस तो एक ही को मिलता है, लेकिन दवा का विक्रय 5-6 लोग करते हैं। फार्मासिस्ट तो एक ही होता है और बाकी लोग दवाओं के संबंध में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए जिस दुकान से औषध का विक्रय होता है, वहां भी गलती हो सकती है और नकली दवाएं वहां से सहज रूप में बेची जा सकती हैं और प्राप्त की जा सकती हैं। फार्मासिस्ट को नियुक्त

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

करना और उन्हें लाइसेंस देना राज्य सरकार का विषय है, लेकिन केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि उन दवा विक्रेताओं के यहां वही फार्मासिस्ट काम करेंगे जो प्रशिक्षित होंगे। जो प्रशिक्षित हैं या उस प्रकार से उन्होंने इस बारे में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं एक और निवेदन इस सम्बन्ध में करना चाहता हूं और स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि आप जो एक विशेष न्यायलय की व्यवस्था करने वाले हैं और जो पुलिस बल को विशेष अधिकार देने वाले हैं, वह किस प्रकार से होगा। न्यायालय की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह किसके अधिकार क्षेत्र में होगा और यह पुलिस की व्यवस्था किसके अधिकार में होगी? क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन होगा या फिर न्यायालय की रचना का प्रकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। मैं इस विषय में आपका ध्यान ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कई बार हमें चिकित्सक एक प्रैस्क्रिप्शन देता है और उसके आधार पर हम जाकर दवाएं लेते है, लेकिन आजकल जो प्रचलन है, देखने में आया है कि किसी भी दवा विक्रेता के यहां जाकर खड़े हो जायें और उससे मांग ले कि मुझे ब्लड प्रैशर की कोई दवा चाहिए तो एटनैलोल वगैरह जो दवा चाहिए, वह झट से उठाकर उसी वक्त दे देता है। इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना चिकित्सक के प्रमाणीकरण या प्रैस्क्रिप्शन के कोई दवा न मिले, तब तो ठीक है, अन्यथा जब दवा दी जाती है तो कौन सी दवा दी जा रही है, किस प्रकार की दवा दी जा रही है, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है और आज जो इन नकली दवाओं के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, मैंने कई परिणामों को देखा है, मैं स्वयं भी इसका अनुभवी हूं कि किस प्रकार से दुष्परिणाम होते है और किस प्रकार नकली दवाएं, जो एण्टी एलर्जिक दवाएं हैं, वही एलर्जी पैदा कर देती हैं, इसलिए कि वे नकली हैं और इस कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। मैंने उन बीमारों को, रोगियों को भी देखा है, जो एण्टी एलर्जिक दवा लेने के बाद एलर्जी से इतने पीड़ित हुए कि कम से कम 15-15, 20-20 दिन उनको परेशान होना पड़ा। इसके बारे में आप कौन सी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इनकी गुणवत्ता के बारे में देखा जा सके? माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो प्रारम्भ में कहा है कि नकली औषधियों का निर्माण, बिक्री, वितरण एक गुप्त कार्यकलाप है, मुझे समझ में नहीं आता कि गुप्त कार्यकलाप किस प्रकार से है, जबकि धड़ाके से दवाइयां बिक रही हैं। पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हाल ही में उड़ीसा का रैकेट सामने आया है अगर गुप्त कार्यकलाप है तो क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है? लोग गुप्त रूप से किस प्रकार से औषधि निर्माण करते हैं, इस कार्य में समाज विरोधी तत्व लगे रहते हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके बारे में, मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह विषय भी है और ये सामान्यतया गैर लाइसेंसशुदा लोग निर्मित करते हैं। राज्य सरकारें बाजार में आने वाली औषधियों की गुणवत्ता को मोनीटर करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारें ही नहीं, केन्द्र सरकार भी उत्तरदायी इसलिए है कि वह इन औषधियों के नियंत्रण पर और उनकी सारी गुणवत्ता पर, उनके फार्मूलेशन पर उसका भी एक केन्द्रीय अधिनियम है, उसके अन्तर्गत वह कार्रवाई करती है और इन बातों को देखती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि नकली औषधि व्यापार में जो सामान्यतया कहा जाता है कि तीन हजार करोड़ का है, कोई कहता है कि चार हजार करोड़ का है, कोई कहता है कि दस हजार करोड़ का है, कोई इसे पूरे औषध व्यापार का पचास प्रतिशत कहता है। आखिर इसमें कितना व्यवसाय होता है और उसको रोकने के लिए अन्य कौन से उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में आप कृपया स्पष्ट करें?

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो पूरा स्टेटमेंट है, उसके फर्स्ट पैराग्राफ को भी अगर आप पढ़ें तो उससे मालूम होता है कि कितने गैर-जिम्मेदारी जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पर टाल दी है इतना ही नहीं मंत्री जी का स्टेटमेंट ही शुरू होता हे कि यह एण्टी सोशल एलीमेंट्स कर रहे हैं,

[अनुवाद]

"सामान्यत: अवैध विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है।"

[हिन्दी]

लाइसेंस देने की आपकी प्रक्रिया भी क्या है और बाद में ऐसे अनोथोराइज्ड लोग, जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उनकों रोकने के लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, यह भी मैं जानना चाहूंगी? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसी पर मैं बात कर रही हूं। बाद में ये कहते हैं जो फीगर्स मीडिया में दी है,

[अनुवाद]

"जो बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं और वास्तविकता से परे है।"

[हिन्दी]

पहली बात तो है, केवल मीडिया ही यह रिपोर्ट नहीं दे रहा है, आपके आई.एम.ए. के अध्यक्ष भी यही बात बोल रहे हैं जो एक जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं। मगर आप जैसा कर रहे हैं कि

सब्सटेंशिएटिड नहीं है तो सब्सटेंशियट होने के लिए जो ड्रग इंस्पैक्टर्स हैं, जो नमूने अगर लेते हैं तो लैब से बाद में उसको कन्फर्म कराना होता है, टैस्टिंग कराना हो तो है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या पर्याप्त मात्रा में आपकी लैब काम कर रही हैं, क्या जो लैब काम कर रही है, क्योंकि केवल सात काम कर रही हैं, सैण्ट्रल लैब की भी मैं बात कर रही हूं और जो सैण्ट्रल लैब हैं, क्या वे वैल इक्विप्ड हैं? मैंने मुंबई और दिल्ली दोनों लैब्स देखी हैं। एक समय मैं एक उप-समिति की अध्यक्षा थी और उस समय मैंने ये दोनों लैब्स देखी।

[अनुवाद]

वहां पर्याप्त उपकरण नहीं हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

तीसरी बात, क्या ये लैब मानद के अनुसार हैं? क्या वहां पर टेस्टिंग को दिए हुए नमूनों की समय के अंदर जांच करके रिजल्टस आते हैं, इसके बारे में भी मंत्री जी उत्तर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, अब बिल आ रहा है, मैं इसका स्वागत करती हूं और यह बिल जल्दी आए। लेकिन एक और बात मंत्री जी के स्टेटमेंट में लिखी है, उसे पढ़कर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि स्यूरिअस ड्रग्स के कारण गरीब लोगों की ही ज्यादा मौत हो, ऐसी बात नहीं है। किसी के भी पेट में यह जाए, तो उसकी मौत होनी है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि।

[अनुवाद]

सरकार विश्व बैंक की सहायता से पंचवर्षीय क्षमता निर्माण परियोजना (कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट) भी कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

उसमें बहुत सारी चीजें दी गयी हैं और यह कई करोड़ का है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या जब वर्ल्ड बैंक मदद दे, तभी गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे हिन्दुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, तभी हमारे यहां की लैब्स अपग्रेड होंगी, तभी यहां पर आज जो वह ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, जनजागरण की बात कह रहे हैं, तभी यह होगा? अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, तो मंत्रालय किस बात के लिए है?

महोदय, मै एक और बात जानना चाहूंगी। अब प्राधिकरण बनाने की बात कह रहे हैं, इस प्राधिकरण की सिफारिश सन् 1975 की है। वह कह रहे हैं कि अब बिल आएगा और हम इसे बनाएंगे। क्या इसके लिए आपने कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है?

मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जो स्यूरिअस ड्रग्स आते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि यह वास्तव में आम-आदमी की पहुंच के बाहर हो गयी हैं, क्या यह भी एक कारण है कि सस्ती और नकली दवाएं बाजार में आ रही हैं ओर ऐसी नकली दवाएं बनाने वाले जो लोग हैं, क्या वे कहीं न कहीं प्रभावशाली तरीके से हमारी रीति-नीति को अफेक्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसी बात तो नहीं है, इन सब बातों का जवाब मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपको केवल प्रश्न पूछने की अनुमति है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): राज्य मंत्री महोदय का वक्तव्य गंभीरता को नहीं दर्शाता हमारे देश के उड़ीसा राज्य में नकली औषधियों के वितरण संबंधी समस्या अत्यधिक गंभीर बन गई है। राज्य में विपक्षी दलों ने उड़ीसा राज्य में नकली औषधियों के सेवन से हुई मृत्यु के कतिपय मामलों की सी बी आई से जांच करवाने की मांग करते हुए एक दिन के 'बंद' का निर्णय लिया है ...*(व्यवधान)* । ये अनेक राज्यों से आ रही हैं। यह केवल एक राज्य से ही संबद्ध नही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप आपस में ही बैठक कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह केवल एक राज्य से ही सम्बद्ध नहीं है। प्रत्येक राज्य में कमोवेश यही स्थिति है। औषधियां जनता की स्वास्थ्य देखभाल के लिये एक महत्वपूर्ण घटक हैं। औषधियों की गुणवत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उपयोग अधिकतर, रोगियों द्वारा किया जाता है। नकली औषधियों का वितरण सभी नामत: औषध उद्योग, विनियामक, चिकित्सा व्यवसाय से सम्बद्ध लोगों तथा आम जनता के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

भारतीय चिकित्सा संघ विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा देश के फेडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड सेल्स रीप्रजेन्टेटिव्स नकली औषधियों के परिचालन के विरुद्ध अनेक वर्षों से अभियान चला रहे हैं लेकिन नकली औषधियों के परिचालन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

माननीय मंत्री ने नकली औषधियों के परिचालन को एक सामाजिक बुराई बताया है। हम इसे सामाजिक बुराई नहीं अपितु आपराधिक कार्य मानते हैं। जब हमारे देश में विगत अनेक वर्षों से कोई आपराधिक कार्य किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? आज हमारे देश में कोई सख्त कानून विद्यमान नहीं है। भारत सरकार द्वारा हाथी समिति से लेकर डा. माशेलकर समिति तक अनेक समितियों का गठन किया गया, लेकिन इन समितियों की सिफारिशें को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

आज, औषधि उद्योग का कुल कारोबार 30 करोड़ रु. से भी अधिक है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नकली औषधियों का प्रतिशत 30 है तथा एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रतिशत 40 है। यदि 40 प्रतिशत औषधियां नकली हैं और उनका उपयोग रोगियों द्वारा किया जाता हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन रोगियों का क्या होगा। इन औषधियों का नुस्खा न केवल ग्रामीण नीम हकीमों द्वारा अपितु सरकारी अस्पतालों द्वारा भी लिखा जा रहा है और ये रोगियों की दी जा रही हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ष अनेक लोगों की मौतें हो रही हैं।

माननीय मंत्री ने बताया है कि अनेक उपाय किए जाएंगे मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नकली औषधियों के कुल प्रतिशत के बारे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़ें बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है कि इन आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य: यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने भी कहा है कि देश में बाहर से आयात होकर आने वाली कुल औषधियों में से 30 प्रतिशत औषधियां नकली होती हैं। यदि एक गोली की उत्पादन लागत एक रु. है, तो यह लोगों को दस रु. में बेची जाती है।

संप्रग सरकार अपने कार्यक्रम में औषधियों की कीमतों को कम करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि गरीब रोगी इन्हें आसानी से खरीद सकें। अत: मैं जानना चाहता हूं कि औषधियों की कीमतों में कमी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। मूल्य निर्धारण का मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है, लेकिन सरकार इस सभा के प्रति जवाबदेह है।

दूसरा, चूंकि स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है इसलिए कानून बनाने के अतिरिक्त सरकार द्वारा नकली औषधियों के परिचालन को रोकने तथा उनका उत्पादन करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया है। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि औषधि विनिर्माताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जबकि हमारे देश में जांच सुविधाओं की स्थिति में वर्ष 1995 से कोई बदलाव नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल प्रश्न पूछने की अनुमति है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. मल्होत्रा कृपया सहयोग कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: विनिर्माताओं की बढ़ती संख्या के अनुरूप जांच सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप नियमों से भली-भांति अवगत हैं। आपको स्पष्टीकरण मांगना होगा।

प्रो. मल्होत्रा सहयोग करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह न राजनीतिक विषय है और न यह मामला ऐसा है जो किसी एक राज्य सरकार, दूसरी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या अभी का विषय है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मंत्री महोदय, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने इस विषय को रखते हुए जो बयान दिया है, उन्होंने समस्या को लापरवाही से देखा है। उन्होंने कहा है-

[अनुवाद]

"वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान नकली औषधियों के मामलों का प्रतिशत 0.182 और 0.29 के बीच रहा है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब एक परसेंट का भी पांचवां हिस्सा है। अगर यह हालत है कि 100 में से 99 प्रतिशत दवाइयां बिल्कुल ठीक हैं, तो आप एक्शन क्या लेंगे?

[अनुवाद]

'मीडिया रिपोर्ट और मीडिया में दिए गए आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं'

[हिन्दी]

आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। आपने ड्रग इंसपेक्टर्स के बयान को ले लिया है। अब स्पूरियस ड्रग्स वालों से ड्रग इंसपेक्टर्स मिले हुए हैं। इस तरह अरबों-खरबों रुपये के धंधे में उनकी मिलीभगत है। बजाय इसके कि आप उन पर एक्शन लें, आप यह कह रहे हैं कि कोई समस्या ही नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि 19 हजार करोड़ रुपये का अगर बिजनेस है, तो चार हजार करोड़ रुपये स्पूरियस ड्रग्स का बिजनेस है। अभी यू.पी., के बारे में वहां की चैम्बर में यह बयान दिया।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में बिक्री की गई 20 प्रतिशत औषधियां नकली है। यह अध्ययन किया गया है।

[हिन्दी]

कोई 40 परसेंट कह रहा है, कोई 20 परसेंट तो कोई 30 परसेंट कह रहा है।

[अनुवाद]

वे बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ये सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। देश में आज भयंकर स्थिति है। आप इस मामले को, बजाय इसके कि यह होता कि कोई स्पूरियस ड्रग्स बनाने वाले को फांसी दी जायेगी, खंभे से बांध कर लटका दिया जाये, आप कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है, हालात ही कुछ नहीं है। प्वाइंट टू परसेंट मामले ही केवल पता लगे हैं और कोई समस्या नहीं है और यह भी कह दिया कि हम कानून की व्यवस्था पांच साल से दस साल करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह स्टेट्स का मामला है, इसमें काई शक नहीं है। परन्तु आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ-साथ दूसरी दवाइयों में भी यही हो रहा है। आयुष की दवाइयों में यही हो रहा है और ऐलोपैथिक दवाइयों में भी यही हो रहा है। ये जो मॉस मर्डर, अभी पीछे एक चैनल पर सारी जगह पर कैसी दवाइयां खुले आम बनाई जा रही हैं, उसका पूरा स्टिंग आपरेशन करके दिखाया है। हम यह कह दें कि वे केवल एग्जेरेटिड हैं, जगह-जगह पर खुले आम फैक्टरियां चल रही हैं। इस बारे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए मंत्री महोदय सिवाय समस्या को छोटा करने की बजाय राजनीतिक मामले से ऊपर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या यह उदारीकरण के लिए उचित है?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बाहर से भी दवाइयां आ रही हैं। बाकी चीजें भी हो रही हैं। हमारा मंत्री महोदय से कहना है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से, सख्त कार्रवाई करें और देश को इनसे बचाया जाये।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मंत्री द्वारा सरकार की ओर से दिया गया वक्तव्य अस्पष्ट और विरोधाभाषी है। इसका अभिप्राय केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालना है। वक्तव्य में कहा गया है कि बाजार में बेची जा रही औषधियों की गुणवत्ता की निगरानी करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वक्तव्य में दूसरी जगह कहा गया है कि नकली औषधियों का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक ओर सरकार का कहना है कि स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है और दूसरी ओर यह कहा गया है कि इस तरह के मामले पूरी दुनिया में हो रहे हैं, अत: सरकार दुनियां भर में फैले नकली औषधियों के व्यापार को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इससे पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मेरे विचार से देश में नकली औषधियों का व्यापार सख्त कानून न होने के कारण फैल रहा है।

महोदय, माननीय मंत्री इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य होते हैं जिसका मानना है कि भारत में बेची जाने वाली 35 प्रतिशत औषधियां नकली हैं। यह वक्तव्य मेरा नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ऐसा कहा गया है। माननीय मंत्री इस संघ के सदस्य होते हैं। विगत दशक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष 40,000 नमूनों की जांच की जाती है जिनमें से 8 ओर 10 प्रतिशत' , नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होते। ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है। मंत्रालय ने संसद की याचिका समिति के समक्ष भी यही बताया था। मंत्री संसद में कैसे बोल सकते हैं कि

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

यह 0.182 और 0.29 प्रतिशत के बीच है जबकि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संसद की याचिका समिति के समक्ष कहा है कि बाजार में उपलब्ध 8 से 10 प्रतिशत औषधियां नकली हैं अथवा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में नकली औषधियों का बाजार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा था कि जांच किए गए नमूनों में से नकली औषधियों का प्रतिशत 0.182 और 0.92 प्रतिशत के बीच है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जो औषधियां गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं, वे नकली औषधियां हैं और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। यह हानिकारक भी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे सहमत हूं कि यह जनसंहार है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में नकली औषधियों का व्यापार 4000 करोड़ रु. का है और चार में से एक औषधि नकली होती है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के आंकड़ें हैं।

महोदय, यूरोपियन संघ, कराधान और सीमा शुल्क यूनियन ने यह आरोप लगाया है कि यूरोपियन संघ को नकली दवाइयों की सबसे अधिक आपूर्ति भारत से होती है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम इस बात से शर्मिन्दा है। भारतीय दवाइयों के निर्यात के लगभग एक चौथाई भाग से एक बिलियन डालर से अधिक की आय भारत को यूरोपियन संघ बाजार से होती है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने प्रश्न पर आइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन संघ का वक्तव्य है। अत: हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

भारत में अब जीवन रक्षक नकली दवाइयों की बाढ़ आ गई है। इस आपराधिक और घातक व्यापार को परिभाषित करने के लिए 'जनसंहार' जैसे, शब्द का इस्तेमाल करने में हमे शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। वस्तुत: हम इसे 'हत्या' की संज्ञा दे सकते हैं। मंत्री महोदय, इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे है। उनका स्वयं का यह बयान है कि यह इतनी गंभीर बात नहीं है। राज्य सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने मौत के इन सौदागरों के लिए ठीक ही मृत्यु दंड देने का प्रस्ताव किया था। नकली दवाइयां बनाने वालों को मृत्यु दंड देने की मांग को चुपचाप दबा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने प्रश्न पर आइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, इस विधेयक को 2003 में लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश, 2004 में लोक सभा भंग हो गई। डा. माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुछ अच्छी बातों की भी सिफारिश की है। परन्तु मंत्री महोदय इस विधेयक को दबाए बैठे हैं। मेरा यह आरोप है कि मंत्री जी....* पिछले साढ़े तीन साल से इस विधेयक को दबाए बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से हटा दिया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वह कड़े उपायों से बचने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जिनकी देश में नकली दवाइयों के बाजार पर रोक लगाने के लिए आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में संशोधन करने के संबंध में सरकार कब विधेयक प्रस्तुत करेगी? वह यह कह सकते हैं कि स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है परन्तु इन सभी बातों पर बहुत पहले ही विचार किया जा चुका है। वह विधेयक को दबाए बैठे हैं। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि वह विधेयक कब प्रस्तुत करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक उचित चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: देश को औषधियों से संबंधित अपराधों, अर्थदंड देकर अपराध क्षमा करने, पुलिस को भी मुकदमा दायर करने हेतु प्राधिकृत करने, औषधियों संबंधी सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने हेतु विशेष न्यायालयों, के प्रावधान सहित डा. माशलेकर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कठोर दंड हेतु एक विधान की आवश्यकता है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह सिफारिशों के इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी जी अब मैं आपको ओर समय नहीं दे सकता। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नियमों को देखिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगा। आप सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी आप पांच मिनट से अधिक समय बोल चुके हैं। आप केवल एक प्रश्न पूछने के हकदार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आराम बाग): महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि मैने निर्देश दिया है आप स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करते हुए अपने नाम दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बसु जी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री जी से उत्तर न देने और यहां से चले जाने के लिए कहूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने सूचना देने तक का भी कष्ट नहीं किया।

श्री अनिल बसु: महोदय, मैने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास आपका नाम नहीं आया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्यगण हमेशा सभा की कार्यवाही में बाधा डालेंगे तो इसके लिए मुझे बहुत खेद होगा। यहां किसी को भी अपनी इच्छानुसार कभी भी सभा की कार्यवाही में बाधा डालने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु जी मैने कहा है कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आपने एक सूचना देने तक का भी कष्ट नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु: महोदय, मैने प्रात: 9.40 पर सूचना दी थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास आपका नाम नहीं पहुंचा है। इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पांच सदस्यों को बोलने की अनुमति होती है और मैं पांच माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों का इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री देव आप अलग से नोटिस दीजिए, मैं आपको उसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: नकली दवाइयों का यह मुद्दा इस देश में बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा के अन्य माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है तथा सरकार इस मुद्दे को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है। सरकार नकली दवाइयों के मुद्दे का समाधान करने हेतु सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में मानदंडों की व्याख्या करना चाहूंगा। दवाइयां विभिन्न प्रकार की होती है। एक होती हैं मानक दवाइयां, जो कि सामान्य दवाइयां होती हैं। दूसरी होती है घटिया दवाइयां, अपमिश्रित दवाइयां, गलत ब्रांड वाली दवाइयां, और नकली दवाइयां। ये ही वे विभिन्न प्रकार की दवाइयां है जो कि बाजार में मौजूद हैं। सभी मानक दवाइयां सामान्य दवाइयां होती हैं। कभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. अंबुमणि रामदास]

कभी कोई दवाई इस कारण से घटिया दवाई बन जाती है क्योंकि फार्मासिस्ट के पास उचित प्रशीतन का अभाव होता हैं, ऐसे मामले में दवाई का निर्माण सही तरीके से होता है परन्तु जब वह दवाई फार्मासिस्ट के पास पहुंचती तो वहां पर उचित प्रशीतन सुविधा न होने के कारण तापमान में परिवर्तन तथा इस प्रकार के अन्य कारणों से वह दवाई एक घटिया दवाई बन जाती है। इस प्रकार के बहुत सी बातें हैं। परन्तु कारण चाहे जो भी हो उसे एक मानक औषधि नहीं माना जाता है।

महोदय, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। पहली बात यह है, कि जिस विधेयक को मैं संसद के इस सत्र में पुरःस्थापित करने जा रहा हूं उसमें दंडात्मक और कानूनी प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। दूसरे, प्रवर्तन प्राधिकरण को सुदृढ करना। हम एक केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण का गठन करने जा रहे हैं। मैंने इस विधेयक को संसद के पिछले सत्र के दौरान ही प्रस्तुत कर दिया होता परन्तु समय से पहले सत्रावसान हो जाने के कारण मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं यह कार्य पिछले सत्र में ही करना चाहता था ...*(व्यवधान)* मुझे अपना उत्तर समाप्त करने दें उसके पश्चात आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु जी मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु: आप विधि के ज्ञाता है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपसे निपटने के लिए मुझे एक कानून विरोधी बनना पड़ेगा।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं माननीय सदस्य की बात सुनने को तैयार हूं और जैसा कि मैंने वादा किया है मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखिए। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिये। उनके वक्तव्य को कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, दूसरा मुद्दा प्रवर्तन प्राधिकरण का उन्नयन करने के बारे में था। लेकिन यह समवर्ती सूची का विषय है जहां केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा हूं लेकिन हमें साथ-साथ कार्य करना होगा। लाइसेंसिंग, निगरानी, प्रवर्तन, ड्रग इंस्पेक्टर्स सभी राज्य सरकार के तहत है। तथापि, हम राज्य और साथ ही साथ केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रवर्तन प्राधिकरण में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, इस मुद्दे पर माननीय सदस्य श्रीमती महाजन ने पूछा कि विश्व बैंक द्वारा दिये गये धन का इस प्रवर्तन कार्य के लिए उपयोग क्यों किया जा रहा था। विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त धनराशि का पिछली राजग (एन डी ए) सरकार के कार्यकाल के दौरान इस प्रयोजन हेतु उपयोग प्रारंभ किया गया था। यह राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। क्षमता निर्माण के लिए 350 करोड़ रु. की राशि दी गई थी। वास्तव में, मेरी पूर्ववर्ती श्रीमती सुषमा स्वराज इस संबंध में अच्छा कार्य कर रही थी और उनके कार्यकाल के दौरान संसद में चर्चा हेतु इस बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया था। मैं उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को ही आगे बढ़ा रहा हू। यह एक सतत प्रक्रिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि दिया गया उत्तर सटीक नहीं है। लेकिन उत्तर को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर अत्यंत विस्तारपूर्वक दिया गया है जहां सरकार ने कहा है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हम वैश्विक विनियामक पद्धति के अनुरूप राज्य और केन्द्र सरकार के कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने पूरे देश में औषधि के विपरीत प्रभाव तथा औषधि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए नई फार्म को विजिलेंस कमिटी का गठन किया है। हमने अनुसूची-ड को संशोधित किया है ताकि देश में सभी इकाइयों द्वारा इसकी निगरानी करना अनिवार्य हो और सभी इकाइयां वैश्विक मानदंडों के अनुरूप उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धति अपनायें।

ये कुछ चीजें हैं जो हमने शुरू की है और जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। लेकिन, संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में औषध उद्योग का दूसरा पक्ष भी है और वह है इसका सकारात्मक पक्ष।

महोदय, भारतीय औषध उद्योग विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाले उद्योगों में से है। ...*(व्यवधान)* कृपया अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मुझे कुछ मिनटों का समय दीजिए। महोदय, वे वरिष्ठ सदस्य हैं। वे मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए कुछ मिनट का समय क्यों नहीं देते..? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद के साथ न चाहते हुए भी माननीय सदस्य जो मेरे भाई के समान हैं, के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं उनसे भली भांति परिचित हूं। लेकिन सभा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैं कोई-धमकी नहीं दे रहा हूं लेकिन मुझे दोबारा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऐसा कहने के लिए बाध्य न होना पड़े। चाहे यह सही हो या गलत, लेकिन जब तक आप मुझे यहां से नहीं हटाते, मैं नियमों को लागू करता रहूंगा। अतः कृपया इसमें सहयोग कीजिए। चाहे मैं आपको अवसर दूं चाहे न दूं लेकिन आप पायेंगे कि मैंने नियमों का पालन किया है। मैंने आपके सहयोग से दो महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की भी अनुमति दी है। अब यदि कोई सदस्य अपनी मनमर्जी करना चाहता है, तो इसके लिए न तो अध्यक्षपीठ की आवश्यकता है। और न ही कार्य सूची और नियमों की।

[हिन्दी]

कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम तो डा. पांडे को यहां बैठाकर चला जाएगा।

[अनुवाद]

मुझे उचित रीति से नोटिस दीजिए और मैं आपको अवसर देने का प्रयास करूंगा..

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, वास्तव में समूचे विश्व में औषध उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है और अमरीकी से बाहर यू एस एफ डी ए मान्यता प्राप्त औषधियों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यूएसएफडीए समूचे विश्व में सबसे बड़ा और सर्वाधिक विश्वसनीय निकाय है। यह खाद्य और औषध प्रशासनिक प्राधिकरण है। यह प्रवर्तन प्राधिकरण है और हमारी लगभग 105 औषधियां यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित हैं और ईयू ने लगभग 265 बल्क मदों तथा 60 नुस्खों को अनुमोदित किया है। प्रारंभ में, भारत के केवल दो जेनेरिक नुस्खे अमरीकी द्वारा अनुमोदित थे। आज, लगभग 350 नुस्खे यू एस एफ डी ए द्वारा अनुमोदित है। पिछले वर्ष हमारा घरेलू औषध उत्पादन 10 से 15 प्रतिशत और निर्यात लगभग 15 से 20 प्रतिशत था।

जहां तक जी.डी.पी. का संबंध है। जी.डी.पी. का लगभग 2.5 प्रतिशत भारतीय औषधि में वृद्धि के कारण है। वित्तीय संदर्भ में, मैं कह सकता हूं कि घरेलू विकास लगभग 36,000 करोड़ रु. तथा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रु. है। यह उद्योग का सकारात्मक पक्ष है और हम इस उद्योग में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

महोदय, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं कि समस्या है। लेकिन समस्या उतनी भयावह नहीं है जितनी मीडिया में बताई गई है कि 30, 40 अथवा 50 प्रतिशत औषधियां नकली हैं। समस्या उतनी विकट नहीं है। और सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे रही है। हम वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं, और हमें संस्थाओं विनिर्माताओं और साथ ही अनुसंधान अध्ययनों से काफी मदद मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला गंभीर है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस स्थिति से निपट लेगी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं भी एक डॉक्टर हूं और मैं इस मामले की गंभीरता को जानता हूं कि नकली औषधि किसी रोगी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल, चाहे वह 0.1 प्रतिशत ही क्यों न हो।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इस मामले की गंभीरता के प्रति माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्यों की बात से सहमत हैं, तो इसका समाधान कीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बी.के. देव, स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। मुझे खेद है कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, दो विधेयकों की पुरःस्थापित किया जाना है ...*(व्यवधान)* मैं उड़ीसा की बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

डा. अंबुमणि रामदास: पुरःस्थापित किए जाने वाले दो विधेयक दांडिक और कानूनी दंड से संबंधित हैं। हमने नकली औषधियां बेचने वाले व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास के दंड का प्रस्ताव किया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मृत्युदण्ड का प्रस्ताव क्यों नहीं, किया?

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में संशोधन विधेयक ला सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: यह सरकार की नीति है। सरकार का कहना है कि दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले, जुर्माना 10,000 रु. था और अब हम इसे 10 लाख रू. कर रहे हैं। हम इसे गैर-जमानती अपराध बना रहे हैं और दांडिक तथा कानूनी विवक्षा की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण प्रवर्तन एजेन्सी होगी और हम कोशिश करेंगे कि संसद में पारित होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र इसका गठन कर दिया जाए और मुझे विश्वास है कि पुर:स्थापित किए जाने के पश्चात इसे संबंधित समिति के पास भेजा जाएगा। यह एक स्वायत्त व्यावसायिक निकाय होगा और हम इसे यूएसएफडीए और ईयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के समान बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार, हम राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण ड्रग का गठन करने जा रहे हैं।

वास्तव में माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि सरकार 1975 से क्या कर रही थी। हमारे पास विभिन्न समितियों जैसे हाथी समिति, मनी समिति और माशेलकर समिति की रिपोर्ट हैं अन्तत: संप्रग सरकार वह करने जा रही है जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं किया गया है। हम वह करने जा रहे जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं किया गया है। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर आता हूं, डा. पाण्डेय कह रहे थे कि हम अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। हम निश्चित रूप से इस समस्या को लेकर चिन्तित है। मैंने स्वयं प्राधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है। वस्तुत: राज्य स्तर पर अनेक ड्रग इंस्पेक्टरों और ड्रग कंट्रोलर्स को उनकी निष्क्रियता के कारण निलंबित किया गया है। हम कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्रवर्तन प्राधिकरण पर निर्भर हैं। प्रो. मल्होत्रा ने नमूनों का उल्लेख किया था। ये नमूने राज्य सरकार द्वारा लिए गए थे। मैं सदन को यही जानकारी देना चाहता हूं।

इस सत्र में दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किया जाएगा...*(व्यवधान)* डा. पाण्डेय स्पष्ट तौर पर यह कह रहे थे कि देख में कुछ औषध व्यवसायी और औषध विक्रेता बिना लाइसेंस के यह कार्य कर रहे हैं। परंतु कानून और अधिनियम के अनुसार उन सभी के पास लाइसेन्स होना आवश्यक हैं। न केवल उस इकाई के पास लाइसेंस होना चाहिए अपितु उसमें काम करने वाले और उसको चलाने वाले लोगों के पास भी लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के वे कार्य नहीं कर सकते।

यह कहा जाता हैं कि बिना नुस्खे के दवाइयां दी जाती है। औषधियां काउंटर पर ही उपलब्ध करा दी जाती है। चूंकि इसमें देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक इकाईयां स्थापित हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है अत: हम प्रत्येक इकाई की निगरानी नहीं कर सकते। परंतु अब हम इन्हें संबंधित परिषदों के माध्यम से नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यदि कोई भी उनके संबंध में जानकारी दे तो वे उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अवैध विनिर्माण का उल्लेख किया। यह एक गुप्त कार्य है। डा. पाण्डेय ने सही कहा था कि इनमें से अधिकतर इकाइयां सामान्य तरीके से एक औषधि के विनिर्माण का लाइसेंस ले लेती हैं। परंतु वे रात में या ऐसे ही किसी समय में इन औषधियों का गुप्त रूप से विनिर्माण करती है। यह कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा हैं और हम इसका संज्ञान होने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस संबंध में कोई जानकारी देता है तो हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। मैं इसमें मीडिया की कोई गलती नहीं मानता और न ही यह कह रहा हूं कि इसे बढ़ाचढ़ा कर दिखाया गया है। मैं इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी कोई स्टिंग आपरेशन आदि होता है तो हम तुरंत अपने अधिकारियों को भेजते हैं। हमें उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए देश के सभी भागों से पूर्ण आवश्यक जानकारी लेनी है।

हमारें पास कुछ आकड़े थे भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा तैयार किये गए। हमने यह जानने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ से संपर्क किया था कि क्या उन्होंने विवरण दिया था। परंतु उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। हमने भारतीय चिकित्सा संघ से यह पूछा कि क्या उसने ये आकड़े दिए थे। उसने कहा कि "इस विवरण से हमारा कोई लेना-देना नहीं हैं।" मामले से संबंधित स्थिति यह है।

माननीय सदस्य ने प्रयोगशालाओं से संबंधित मुद्दा उठाया था और यह पूछा था कि क्या वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे सही तरीके से कार्य करें। यह एक सतत प्रक्रिया हैं। यह विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना है। हम इस पर लगभग 3500 करोड़ रु. खर्च कर रहे हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में सभी औषधि जांच प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनमें से कुछ का पहले ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है। यह आधुनिकीकरण केवल अवसंरचनात्मक ढ़ंग से संबंधित नहीं है अपितु श्रमशक्ति के संबंध में भी उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हम वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को वैश्विक मानदण्डों

के अनुसार प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों कार्य साथ-साथ हों ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: श्री बसुदेव आचार्य ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का उल्लेख किया। उन्होंने यह पूछा है कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया हैं कि भारत में 30 प्रतिशत औषधियां नकली हैं। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस संबंध में पूछा था। उन्होंने हमे एक लिखित उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है ...*(व्यवधान)* इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है।

यह एक गंभीर मुद्दा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं हैं। हम इस समस्या को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके पास नकली दवाएं पायी जाएंगी उसके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्यवाही में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही पुर:स्थापित किए जाने वाले संशोधित विधेयक के तहत इन व्यक्तियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हम माशेलकर और हाथी समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। पहले माशेलकर समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने भी दो बातों की सिफारिशें भी की थी। पहला प्रवर्तन भाग है और दूसरा दांडिक कानूनी भाग है जिसे हमने शामिल किया हैं।

जांच सुविधा में वृद्धि के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया था। माननीय सदस्यों द्वारा यह एक अच्छा प्रश्न उठाया गया है। सरकार ने अपेक्षित अवसंरचनात्मक ढांचा, प्रयोगशाला जांच सुविधाएं और श्रमशक्ति के प्रशिक्षण आदि सुविधाओं की स्थापना की हैं और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 40,000 नमूनों में जांच की जा रही है जो पर्याप्त नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। हमें इस वर्ष में कम से कम 100,000 नमूनों की जांच करने की आवश्यकता हैं। यही कारण है कि हम कार्मिकों के अपेक्षित प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकारों को भारी मात्रा में तिपियां दे रहे हैं क्योंकि हम सुविधाओं की जांच में उनके पास सबसे अधिक श्रमशक्ति है।

महोदय, प्रो. विजय मल्होत्रा ने यह आरोप लगाया है कि मैने अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना उत्तर दिया है। परंतु यह एक अत्यधिक विस्तृत उत्तर है और मैं उनकी बात का खंडन करना चाहूंगा। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे अच्छे मित्रों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी अनेक समितियां हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपको उत्तेजित कर रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: वह उत्तर प्रदेश मे भी यह पूछ रहे थे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी। वस्तुत: उत्तर प्रदेश में मेरठ में हमनें औषध नियंत्रक और औषध निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया है। उस क्षेत्र में अनेक छापे मारे जा रहे हैं। वह सरकार की नीति और मृत्युदंड के बारे में पुछ रहे थे। वस्तुत: मैं अपने पूर्ववक्ता द्वारा सरकार से की गई सिफारिश की ही बात कर रहा हूं और सरकार का निर्णय यह है कि मृत्युदंड के बजाय उम्र कैद दी जाएगी और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जाएगा। हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जुर्माना नहीं लगा सकते, यह काम न्यायालय का हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम इसकी सिफारिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यहां तक कि यदि मृत्यु का प्रावधान हो तो भी आप जुर्माना नहीं लगा सकते।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम विधेयक में इसकी सिफारिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे कमरे में आइएगा, हम वहां इस संबंध में व्यापक चर्चा करेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं श्री अनिल बसु को अपने कमरे में बुलाना चाहूंगा वहां हम दक्षिण भारत की कॉफी के साथ इस पर चर्चा करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब आप चुप हो जाइए। ऐसा मत दर्शाइए कि सदन में व्यवधान डालकर आप को मंत्री महोदय से आमंत्रण मिल जाएगा।

डा. अंबुमणि रामदास: वस्तुत: मैने श्री त्रिपाठी जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैंने, भारतीय चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया है।

महोदय, हमने यूरोपियन यूनियन से उनकी टिप्पणियां और रिपोर्ट मांगी है। हमने यूरोपियन यूनियन को तीन अनुस्मारक भेजे हैं। उन्होंने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं विधेयक को

[डा. अंबुमणि रामदास]

नहीं रोक रहा हूं। हम विधेयक को निश्चित तौर पर सभी के समक्ष ला रहे हैं। हमने पिछले सत्र में विधेयक का एक भाग पुर:स्थापित किया था और इस सत्र के दौरान हम इन दोनों को पुर:स्थापित कर देंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जितनी जल्दी हो सके इन दोनों विधेयकों को पारित करें ताकि हम कानूनी दण्ड प्रावधानों में निश्चित तौर पर वृद्धि कर सके और इसकी निगरानी हेतु अपना केन्द्रीय औषध निगरानी प्राधिकरण स्थापित कर सके ...*(व्यवधान)* हम उचित ढंग से इसका प्रवर्तन करना चाहते है ...*(व्यवधान)*

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: माननीय सदस्यों और निसंदेह पूरे देश को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार ने इस मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से किया है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। वास्तव में इस संबंध में अनेक अध्ययन किए गए हैं। मैंने निजी एजेंसियों से कई अध्ययन करने के लिए कहा है क्योंकि, ऐसे कई गुप्त कार्य चल रहे हैं। सरकार भी आगामी चार या पांच महीनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने वाली है। मैं अगले सत्र मैं उन तथ्यों और आकड़ों के बारे में बताऊंगा जिनके आधार पर हम यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे पूरे देश में व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

अत: महोदय, मैं पुन: इस सदन को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि हम इसे अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं और यदि सदस्यों के पास कोई और मुद्दे हैं तो वे उनकी जानकारी मझे दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.40 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे गये मान लिया जाता है।

(एक) तमिलनाडु के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री पसुम्पोन मुथुरामलिंगा तेवर की जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): पसुम्पोन मुथुरामलिंगा तेवर जो कि तेवर के नाम से जाने जाते थे एक महान देश भक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 30 अक्तूबर, 1908 को हुआ तथा 30 अक्तूबर 1963 को उनकी मृत्यु हुई। 55 वर्ष के अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने भारत के लिए जरूरत पड़ने पर बहुत सेवा की।

श्री श्रीनिवास अयंगर ने सन 1927 में चेन्नई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के दौरान सुभाष चन्द्र बोस से उनका परिचय कराया, उस समय उनकी आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद वह एक अनुभवी कांग्रेसी बने तथा तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए आंदोलन के दौरान मदुराई में मीनाक्षी मंदिर में अनुसूचित जाति को लोगों को प्रवेश दिलाने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई।

वह एक जोशीले वक्ता थे जिसके कारण उन्होंने ग्रामीण जनता में कांग्रेस पार्टी को लोकप्रिय बनाया तथा विदेशी शासकों से लड़ने हेतु उन्हें तैयार किया।

यद्यपि: तेवर एक कट्टर हिंदू थे फिर भी उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को भूमि प्रदान करने जैसे व्यावहारिक सुझाव सरकार को दिए। इसके अतिरिक्त, वे दंड विधान जनजाति अधिनियम 1911 को निरस्त कराने के भी हिमायती थे, जिसके फलस्वरूप अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 90 से अधिक जातियों इससे लाभान्वित हुई।

वे एक श्रमिक संघ के भी नेता थे और मदुराई में एक मिल के श्रमिकों के समर्थन में उन्होंने आवाज उठाई जिसके लिए उन्हें 1938 में कारावास दिया गया। वे अंग्रेजी और तमिल दोनो के अच्छे वक्ता था। वे तिरूकुशल को बहुत स्नेह करते थे।

स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने दो बार बर्मा का दौरा किया वे संसद और राज्य विधान सभा के लिए दो बार चुने गए (1952, 1957)। 1962 में वे फिर से संसद के लिए चुने गए परन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे सभा में उपस्थित नहीं हो सके। वे सच्चे ब्रह्मचारी थे और अपनी सेवा और बलिदान के लिए जाने जाते थे।

एक देशभक्त तथा दलितों और उपेक्षितों के मसीहा के रूप में उन्हें सम्मान देने हेतु मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि पसुम्पन मुथुरामलिंगा तेवर के जन्मशती वर्ष जो कि 30 अक्तूबर, 2007 से आरंभ होगा के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग में तीस्ता लोअर डैम परियोजना चरण-III और चरण-IV में हुई हानि का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): एन एच पी सी (राष्ट्रीय जल विद्युत निगम) विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। दार्जलिंग जिले में भी तीस्ता नदी पर इस तरह की दो परियोजनाएं आरंभ की गई हैं अर्थात (1) रांबी में 27 मील पर तीस्ता लोअर डैम परियोजना (टी एल डी वी) चरण III और (2) कालीजोटा में टी एल डी वी चरण-IV भारत सरकार इन परियोजनाओं हेतु भारी धनराशि का निवेश कर रही है।

दार्जलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में हुई भारी वर्षा के दौरान दोनों बांधों (निर्माणधीन) के बहुत से भाग और दोनों परियोजनाओं की सामग्री और उपकरण या तो नष्ट हो गए अथवा तीस्ता नदी में बह गए जिससे करोड़ो रूपये का नुकसान हुआ। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, टी एल डी पी चरण III और टी एल डी पी चरण-IV दोनों में अलग-अलग हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक जांच दल वहां भेजे। दल इस बात की भी जांच करे कि क्या इसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। दूसरे यह आकलन भी किया जाना चाहिए कि क्या इन दोनों परियोजनाओं को फिर से आरंभ किया जा सकता है यदि हों तो कार्य कब तक आरंभ होगा।

सरकार इस बात की भी जांच करे कि वे कौन से व्यक्ति, विशेषज्ञ और तकनीशियन थे जिनके निर्देशों और मार्गदर्शन में इन परियोजनाओं का कार्य चल रहा था और जिसके लिए सरकार को इतनी भारी क्षति उठानी पड़ी और इसमें जो भी लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(तीन) गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 पर शेड का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के बनासकांठा के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर आदर्श स्टेशन के अंतर्गत निर्माण किया गया है और सुविधाएं भी दी गयी हैं परंतु प्लेटफार्म एक, दो एवं तीन पर जो शेड है, वह बहुत ही छोटे हैं और आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम हैं, जिसके कारण यात्रियों को सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और उनका सामान भीग जाता है। इन प्लेटफार्म के शेडों को लंबा और बड़ा किये जाने हेतु कई वर्षों से मांग की जा रही है परंतु अभी तक इन शेडों का निर्माण नहीं किया गया है। यहां के लोगों का कहना है कि पालनपुर रेलवे स्टेशन को सुविधाएं भी आदर्श स्टेशन के तहत नहीं दी गयी है। इसकी जांच करना भी आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक, दो एवं तीन पर शेडों को मांग के अनुरूप बनाया जाये।

(चार) देश में बेसहारा बच्चों के कल्याण और उनके विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे देश के बड़े बड़े शहरों के चौराहों तथा बस स्टैंडों पर अनाथ बच्चों एवं भीख मांगने वाले बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संविधान में 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान एवं सरकार की सर्वशिक्षा नीति के अभियान से इस तरह के बच्चे वंचित रह जाते हैं।

महोदय, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा देश के कई अन्य बड़े शहरों के मुख्य सड़कों के चौराहों एवं बस स्टैंडों पर छोटे-छोटे बच्चे अनेक प्रकार के खेल तथा तरह तरह के हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए तथा भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं। जिसमें देश और विदेश के लोगों को हमारे देश की गरीबी तथा लाचारी की झलक देखने को मिल जाती हैं और डाक्युमैंटरी फिल्म बनाकर केवल अपना मतलब सीधा करते हैं। बच्चों के विकास के लिए नहीं सोचा जाता। आज देश में कई गैर सरकारी संगठन इनके नाम पर सरकार से पैसा भी ले रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बच्चों की यह अवस्था अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार के लिए होती है, यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के बच्चों के लिए कारगर योजना बनाकर, इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये और इसके साथ उनकी क्षमता के अनुसार उनको खेल एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिससे इन बच्चों में से अच्छा खिलाड़ी, जिमनास्टिक तथा सभ्य नागरिक बनाया जा सके, जिससे इन बच्चों का भविष्य भी सुनिश्चित हो सकेगा।

(पांच) असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): असम में जुलाई-अगस्त, 2007 में आई विनाशकारी बाढ ने 27 में से 26 जिलों को प्रभावित किया। इसमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। सरकार के आकलन के अनुसार कुल मिलाकर 3967 राजस्व गांव, 1992 व्यक्ति, 535, 586 हैक्टेयर भूमि, 155608 हैक्टेयर कृषि भूमि और 949 मकान इससे बुरी तरह प्रभावित हुए और 221 पी डब्ल्यू डी सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

बांधों में 53 स्थानों पर दरारें आने की घटनाएं हुई जिससे स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। गैंडों सहित बहुत से पशुओं की जानें गई।

बाढ़ के पानी के कम होने के साथ-साथ जल जनित रोगों के फैलने की आशंका है। बाढ़ का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है भू कटाव। ब्रम्हपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हजारों हैक्टेयर भूमि पर कटाव होने की संभावना है। बाढ़ की आखिरी लहर आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

मैं सरकार से पुनर्वास, पौधों, रबी फसल हेतु बीजों, खाद, निशुल्क ट्रैक्टर सुविधओं भोजन: औषधियों, सड़कों की मरम्मत, बांध निर्माण आदि हेतु असम के लिए एक विशेष बाढ़ पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) गुजरात के कर्मसाड में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक के रख-रखाव और विकास के लिए 500 करोड़ रूपए की समग्र निधि की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर (वड़ोदरा): भारत सरकार और गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक कर्मसाड, गुजरात के निर्माण में योगदान दिया है। अब स्मारक के रख-रखाव विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की एक निधि की आवश्यकता है।

मैं सरकार से उपरोक्त प्रयोजनार्थ यथा शीघ्र 500 करोड़ रुपये की निधियां जारी करने का अनुरोध करती हूं।

(सात) राजस्थान के अजमेर में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, अजमेर, राजस्थान की हृदयस्थली में स्थित है। अजमेर नगर का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातत्व, पर्यटन तथा शिक्षा की दृष्टि से देश में विशिष्ट स्थान है। 1956 तक अपनी विशिष्ट भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के कारण अजमेर 'ग' श्रेणी का केन्द्रशासित प्रदेश था। इसके बाद इसका राजस्थान में विलय कर दिया गया। अजमेर के पास पुष्कर नामक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। अजमेर के दरगाह शरीफ की जियारत करने तथा पुष्कर में स्नान करने एवं मंदिरों के दर्शन करने प्रतिवर्ष देश/विदेश से लाखों जायरीन एवं तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। देश से आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान और विशेषत: अजमेर, पुष्कर आने की आकांक्षा रखता है। अजमेर तथा पुष्कर में विदेशी भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन एवं धर्मलाभ की दृष्टि से आते हैं।

परन्तु ऐसा महत्वपूर्ण शिक्षा, धर्म, संस्कृति और इतिहास का केन्द्र अजमेर आजादी के 60 वर्ष पश्चात भी हवाई सेवाओं से नहीं जुड़ पाया है। यद्यपि अजमेर राष्ट्रीय राजमार्गों तथा महत्वपूर्ण रेल मार्गो द्वारा सब ओर से जुड़ा है परन्तु देश विदेश से हवाई यात्रा से आने वाले पर्यटकों एवं दर्शनार्थयों को हवाई यात्रा के लिए जयपुर अथवा दिल्ली उतरकर पुन: सड़क या रेल मार्ग से अजमेर की यात्रा करनी पड़ती है. जिसके कारण इनका बहुत अधिक समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय होता है।

अत: भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि अजमेर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन के महत्व वाले नगर को अविलंब हवाई सेवाओं से जोड़ने हेतु तुरंत हवाई अड्डे की स्थापना की जाये।

(आठ) राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण से अर्जित लाभों में राज्य को 50% हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान पेट्रोलियम की अच्छी संभावनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान एक मरूस्थलीय भूभाग हैं, जहां आधारभूत सुविधाओं की कमी है, किंतु यह क्षेत्र खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न हैं, विशेष रूप से पेट्रोलियम की अच्छी संभावनायें है। यह बाडमेर-सांचौर बेसिन में तैल की खोज एवं जैसलमेर जिले में गैस की खोज से सिद्ध होता है। पेट्रोलियम एवं गैस के खनन से स्थानीय निवासी प्रभावित होते हैं और भारत सरकार को राज्य के इन पेट्रोलियम संसाधनों से लाभ राशि प्राप्त होती है और क्योंकि पेट्रोलियम भंडार राज्यों में स्थित हैं और स्थानीय निवासियों के विकास एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को भी लाभ राशि में से हिस्सा मिलना चाहिए। राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इसके हिस्से से 50 प्रतिशत राशि की मांग की है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान से मिलने वाले पेट्रोलियम से प्राप्त लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को देने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये।

(नौ) मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों में रहने वाले जनजातीय लोगों को अधिवास का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, देश में कई राज्यों में जहां सघन वन है, अभ्यारण्य स्थापित हैं, इन अभ्यारण्यों की श्रृंखला में राजस्थान व मध्य प्रदेश जहां बडे बडे वन हैं, अच्छे व लंबे, चौड़े आकार (विस्तृत भूभाग में) अभ्यारण्य है, किंतु देखने में आया है कि इन अभ्यारण्यों की पर्याप्त देखभाल व सामयिक समस्याओं के चलते बड़ी मात्रा में या बड़े भूभाग में वनों कटाई होकर प्राय: कई भाग वृक्षहीन हो गये हैं, इन अभ्यारण्यों से वन क्षेत्र में वर्षानुवर्ष से मुख्यत: आदिवासी व दूसरे ग्रामीण रहते आये हैं व वहां कृषि व पशुपालन से अपना जीवनयापन करते हैं, इनके द्वारा वनों को कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई है, किंतु विगत कुछ समय से इन्हें वहां से बेदखल किये जाने के प्रयास हो रहे हैं और इसके पीछे अधिकारयों का तर्क है कि वनभूमि में इनका अतिक्रमण है जो सर्वथा तथ्यहीन है, क्योंकि ऐसे सभी आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी से व अन्य भी वहां रहकर अपना जीवनयापन करते हैं। हाल ही में राजस्व वनभूमि को रेखांकित कर विभाजित करने का क्रम मध्य प्रदेश के कई अभ्यारण्य व अन्य वन क्षेत्रों में चला है। इससे उन हजारों आदिवासियों के परिवारों के समक्ष जीवनयापन का तथा निवास आदि का संकट उपस्थित हो गया है।

अत: मेरा पर्यावरण व वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से मानवीय दृष्टिकोण से अपनायें ताकि वनों की सुरक्षा भी हो तथा आदिवासी संकट में न पड़े क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां पर ऐसी बसावटें हैं वहां इन आदिवासियों द्वारा यह मानकर की वन हमारे देवता हैं, उनकी रक्षा की है। अत: उन्हें वन एवं राजस्व भूमि के रेखांकन को लेकर बेदखल न किया जाये।

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन प्राथमिकता के आधार पर चित्तौड़गढ़-नीमच सड़क को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चितौड़गढ़): महोदय, चित्तौड़गढ़ से नीमच सड़क पर रोजाना अत्यधिक यातायात घनत्व रहता है, लेकिन सड़क की चौड़ाई केवल 7 मीटर होने के कारण वाहनों की आवागमन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है और क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी होती है।

अप्रैल 2006 में की गई यातायात गणना के अनुसार चित्तौड़गढ़-नीमच सड़क चार लेन चौड़ी किये जाने योग्य है।

अत: महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि चित्तौड़गढ़ से नीमच सड़क को एन. एच. डी. पी. में प्राथमिकता देकर इसका चार लेन में चौड़ाईकरण करने की कृपा करें।

(ग्यारह) घरेलू बाजार से उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने और विदेशी बाजार से गेहूं के आयात के सौदे को रद्द किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सरकार ने इस वर्ष मई में 263 डालर अथवा 10,500 रुपये प्रति टन के औसत मूल्य पर गेहूं का आयात करने की एक निविदा को रद्द किए जाने के पश्चात 317 से 330 डालर अथवा 12,700-13,500/- रुपये प्रति टन मूल्य पर आधा मिलियन टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। यदि मई के मूल्यों पर आधा मिलियन टन गेहूं खरीदा गया होता तो इससे 125 करोड़ रुपये की न्यूनतम हानि होती। यदि गेहूं घरेलू बाजार से खरीदा गया होता तो यह फर्क अधिक होता। भारत में बाजार मूल्य 10,000 से 11000 प्रति टन के बीच है। भारत सरकार ने गेहूं का मूल्य बढ़ाने से इंकार करते हुए घरेलू किसानों से 8500 रुपये प्रति टन की दर से नई फसल के दौरान अब तक लगभग 11 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है जबकि खुले बाजार में मौजूदा मूल्य निर्धारित खरीद मूल्य से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। सरकार का खरीद मूल्य देश में बाजार के रूझान तय करता है और सरकार के अनाज के भंडारों में कमी आने से मूल्यों में वृद्धि हो सकती है और निजी व्यापारी इससे लाभ कमाने का प्रयास करते है जैसा कि उन्होंने गत वर्ष किया था जबकि अनाज के मूल्यों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई थी।

अत: मैं सरकार से काफी अधिक मूल्य पर गेहूं आयात करने के सौदे को रद्द करने तथा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके अपने किसानों से गेहूं खरीदने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) पश्चिमी घाट के लिए एक नया रेल जोन, जिसका मुख्यालय केरल में हो, स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल सरकार काफी समय से क्रमश: कर्नाटक और तमिलनाडु में कोंकण रेलवे और

कन्याकुमारी रेलवे मंडल को सम्मिलित करते हुए पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय केरल में स्थित हो, बनाने की मांग कर रही है। रेल प्रशासन ने केरल में रेलवे के विकास के मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया है। केरल के लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी तट के लिए केरल स्थित मुख्यालय वाले एक नए जोन की स्वीकृति देकर इस क्षेत्र की उपेक्षा करने की गलती को सुधारा जा सकता है।

(तेरह) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई नीति के आवश्यक घटकों पर एक श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकॉनोमिक अफेयर में प्रस्ताव भेजा गया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाई जाये क्योंकि यदि कीमतें नहीं बढ़ाई गयी तो तेल कंपनियों को 2007-2008 वर्ष के जून तक समाप्त होने वाले तीन माहों की अवधि में देश की तेल कंपनियों के लाभांश होने के समाचार आए हैं जिसके अनुसार अप्रैल से जून के दौरान तीन माहों में इंडियन ऑयल का लाभांश 11 फीसदी, ओएनजीसी का 12 फीसदी, रिलायंस का 28 फीसदी बढ़ा है।

उपरोक्त के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2007 में अप्रैल से जून के दौरान रिफानरियों में लाभांश बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 2006 की तुलना में 6.70 डालर प्रति बैरल से 10.70 डालर प्रति बैरल बढ़ा है। रिलाइन्स इंडस्ट्री का 12 डालर से 15.40 डालर, बीपीसीएल 5.4 डालर से 6.5 डालर, एचपीसीएल की मुंबई योजना का 8.08 डालर से 9.08 डालर बढ़ा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तेल कंपनियां कमा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पेट्रोलियम उद्योग का निरंतर विकास इस बात का साफ संकेत है कि यह उद्योग घाटे में नहीं है।

अत: मेरा आग्रह है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाए जाने से पूर्व सरकार पेट्रोलियम उद्योग के संबंध में श्वेत पत्र जारी करे जिससे मूल्य निर्धारण नीति क्रूड व गैस उत्पादन मात्रा, कंपनियों में पूंजी निवेश, सरकारी करों की दरें और लाभांश की राशियों सहित कंपनियों में कुल अतिरिक्त बचत राशि की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख हो।

(चौदह) बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार को विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों बिहार में अतिवृष्टि एवं नदियों के तटबंधों के टूटने से आई भीषण बाढ़ के कारण प्रदेश के करीब 16-17 जिले, सहरसा, मधुबनी, पुर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, बेगुसराय आदि जिले पूरी तरह बाढ़ की विभीषिका की चपेट में आ गये। इससे जान माल एवं फसलों की भारी क्षति हुई है। इस प्राकृतिक आपदा की मार सबसे ज्यादा किसानों को झेलनी पड़ रही है क्योंकि इनकी सभी फसलें, मवेशी एवं घर वार पूर्णत: बरबाद हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभावित किसानों को दिये गए कृषि ऋण को माफ किया जाये, जिन किसानों एवं जिनके परिजनों की जान गयी है उन्हें उचित मुआवजा एवं जिनके घर-बार नष्ट हो गये हैं उन लोगों के पुनर्वास की शीघ्र व्यवस्था की जाये।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले के मुक्कुडल में बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल में चिकित्सकों और चिकित्सा सहायकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): बीड़ी कामगार कल्याण बोर्ड के संरक्षण में तिरूनेलवेल्ली जिले के मुक्कुडल में एक अस्पताल का निर्माण किया गया है। 30 बिस्तर वाले इस अस्पताल को लगभग 5 लाख बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य देखरेख संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। इस समय यहां पर केवल दो डाक्टर और नर्स है जबकि डाक्टरों के 5 पद, नर्सों के 8 पद और कनिष्ठ सहायक के 5 पद रिक्त हैं। बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन लगभग 400 रोगी आते हैं। इसके परिवामस्वरण अतरंग रोगियों के लिए 30 बिस्तर होने के बावजूद भी चिकित्सकों और चिकित्सीय परिचारकों की कमी के कारण अन्तरंग रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता। चिकित्सकों और नर्सों के पद तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त होने के कारण इस अस्पताल को बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अत: मेरा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। दवाईयों की खरीद हेतु, इस अस्पताल द्वारा की गई 40 लाख रु. की मांग को भी मंजूरी नहीं दी गई है। मैं केन्द्रीय श्रम कल्याण मंत्री से अनुरोध करूगा कि वे इस संबंध में सकारात्मक हस्तक्षेप करें। केन्द्र और राज्य सरकारों

की वित्तीय सहायता से बीड़ी कामगारों हेतु, आवास योजना को भी अभी मूर्त रूप दिया जाना है। बीड़ी कामगारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है। संघ सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में सकरात्मक हस्तक्षेप करें।

(सोलह) बिहार में जिला सीवान के महाराजगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत अंतर्गत सिवान जिला का महाराजगंज अनुमण्डल मुख्यालय है। महाराजगंज में अनुमण्डलीय पुलिस मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, अनेकों उच्चकोटि के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, थाना, प्रखंड मुख्यालय आदि पूर्व से हैं। महराजगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी निवास करते हैं। महाराजगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परन्तु महाराजगंज में एक भी अच्छा विद्यालय नहीं है। मजबूर होकर कर्मचारियों को शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, जिसके कारण कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। महाराजगंज में वर्षों से एक अच्छे विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

महराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अपने पत्रांक-एक 1-3 (19) 2004 के.वि.एस.-1600 दिनांक 30.5.05 के माध्यम से महराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का आश्वासन के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मापदंडों का प्रारूप भेजा गया था। केन्द्र सरकार के निदेशनुसार राज्य सरकार द्वारा महाराजगंज केन्द्रीय विद्यालय का प्रारूप एवं समाहर्ता सिवान द्वारा भवन एवं भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है, परन्तु अभी तक महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रांत अंतर्गत सिवान जिले के महाराजगंज में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई शीघ्र शुरू कराई जाये।

(सत्रह) बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के घेरे में आ गया है। नेपाल से भारत में बहने वाली अधवारा, कोसी, महानंदा, गंडक आदि नदियों से 2.83 लाख क्यूबिक मीटर पानी बिहार और उत्तर प्रदेश में आया है। जिसने तबाही पैदा कर दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बिहार राज्य के 38 जिलों के पांच हजार गांव के लगभग 8 मिलियन लोग बाढ़ के प्रभाव में है। 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 9,18,000 हजार हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बरबाद होने का अनुमान है। 70 हजार से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं। आज प्रदेश अशांत है। यद्यपि बिहार वालों को प्रकृति का प्रकोप तो हर साल ही झेलना पड़ता है किंतु इस वर्ष इस प्रकोप का प्रभाव अधिक ही हो चका है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब राहत सहायता के लिए बिहार को 5000 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी की जाये। राहत कार्य का लाभ त्वरित पीड़ितों को पहुंचे। अत: आवश्यक है कि राहत सीधे गांवों के स्तर या उनके पंचायतों के माध्यम से पहुंचाया जाये, संयोग से आज प्रदेश में पंचायतों का जाल है और इन्हीं का उपयोग कर राहत प्रभावी और न्यायोचित बनायी जा सकती है।

(अठारह) विशाखापट्टनम जिले में खनन गतिविधियों को रोकने और जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए विजयनगरम जिले में तेलशोधक कारखाने की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरनमायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के माध्यम से विशाखापट्टनम जिले के एजेन्सी (जनजातीय) क्षेत्र में बाक्साइट खनन कार्य प्रारंभ करेगी और जिन्दल ग्रुप को विजयनगरम जिलें में एल्युमिना रिफाइनरी की स्थापना की अनुमति देगी इस क्षेत्र में लोग इस कार्य को रोकने के लिए जिन्दल फैक्टरी के खिलाफ बड़ा आन्दोलन छेड़ रहे हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट आएगा और जनजातीय क्षेत्रों में जल संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में किसी भी खनन कार्य से वनों को नुकसान होगा और सभी जानते हैं कि जनजातीय लोग बिना शिक्षा के केवल अड़ाकू काटा गया और अन्य गौण वन उत्पाद एकत्रित करके जीवन निर्वाह करते हैं। जिन्दल ग्रुप द्वारा इस बड़ी परियोजना को प्रारंभ करने से विशाखापट्टनम और विजयनगरम् जिलों के मूल निवासी भारी मात्रा में विस्थापित हो जाएंगे। यदि इस क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित की जाती है तो यहां रहने वाले लोगों को यह स्थान छोड़ कर जाना होगा और उन्हें जीविकोपार्जन की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

अतः, मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस परियोजना को तुरंत रोकने संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए जाएं।

अपराह्न 1.41 बजे

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 12 को चर्चा हेतु लेगें। श्री टी. आर. बालू।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत करने से पहले इसके संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

अपराह्न 1.41$^{1}/_{2}$ बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए)

अमरिका में 11 सितम्बर, 2001 की त्रासदपूर्ण घटनाओं के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन नवम्बर, 2001 में समुद्रीय जीवन की सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (एस ओ एल ए एस 74) पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों के सम्मेलन (नामतः समुद्री सुरक्षा संबंधी राजनयिक सम्मेलन) द्वारा पोतों की सुरक्षा और पत्तनों की सुविधाओं से संबंधित कुछ नए उपाय करने तथा उन्हें अपनाने के लिए सर्वसम्मति से सहमत हुआ।

भारत ने 16 जून, 1976 को एस. ओ. एल. ए. एस, 74 संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुसमर्थन किया जो कि 25 मई, 1980 को लागू हुआ। इस समझौते की विषय-सामग्री में पोतों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए समय-समय पर संशोधन किया गया है। दिसम्बर 2002 में समुद्री सुरक्षा संबंधी राजनयिक सम्मेलन में एस ओ एल ए एस 1974 में संशोधन स्वीकार किए गए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता (आई. एस. पी. एस.) शामिल है।

इस आई. एस. पी. एस. संहिता के मुख्य उद्देश्य सुरक्षा संबंधी खतरों का पता लगाने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों, सरकारी एजेंसियों तथा पौत और पत्तन उद्योगों के बीच सहयोग को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना हैं तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त होने वाले पोतों अथवा पत्तन सुविधाओं को प्रभावित करने वाली सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए निवारक उपाय करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, सरकारी एजेन्सियों, स्थानिय प्रशासन और पोत तथा पत्तन उद्योग की संबंधित और जिम्मेदारी निर्धारित करना सुरक्षा संबंधी जानकारी दीघ्र और कुशल संग्रहण तथा उसे पारस्परिक रूप से बांटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बदल रहे सुरक्षा स्तरों के लिये व्यवस्था करने हेतु समुचित योजनाएं और प्रक्रियाएं बनाने के लिए सुरक्षा आकलनों हेतु, प्रभारी प्रदान करना, तथा इस विश्वास को सुरक्षित करना कि पर्याप्त समुद्री सुरक्षा उपाय विद्यमान हैं।

इस आई. एस.पी. संहिता से पोत और देश में पतनों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने में एकरूपता बरती जा सकेगी। इस संहिता में स्तर 1 से सबसे ऊंचे स्तर अर्थात स्तर 3 तक के तीन सुरक्षा स्तरों की परिकल्पना की गयी है। पत्तनों और पोतों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु प्रत्येक स्तर में अतिरिक्त उपाय करने में आवश्यकता होगी। प्रत्येक पोत और पत्तन एक अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना और पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के द्वारा संचालित होगा।

एस ओ एल ए एस, 1974 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक अनुबंधकर्ता सरकार से अपेक्षित कानून, डिग्री, आदेश और विनियमों को प्रख्यापित करने की अपेक्षा की जाती है ताकि समझौते में पूर्णतः और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हैं कि पोत और पत्तन अपेक्षित सेवाओं के लिए उपयुक्त हो।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 को 23 दिसम्बर, 2004 में सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागों से संबद्ध राष्ट्रीय स्थायी समिति को जांच और प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा गया था। संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 27 जुलाई, 2005 को सभा में प्रस्तुत कर दिया गया था।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि विधेयक में सरकारी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए इस प्रतिवेदन के पैरा 14, 17, 23, 25, 29, 37, 45 और 47 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के साथ-साथ धारा 344 (क), 344 (ठ), 344 (थ) और 344 (स) संबंधित सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात इसे पारित कर दिया जाए। सरकार ने उपर्युक्त उल्लिखित संशोधनों और सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें समुचित रूप से सम्मिलित किया।

अतः मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए, इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकार किये

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

जाने के पश्चात संशोधनों को प्रस्तुत करने के अपने मन्तव्य की सूचना देता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं क्योंकि यह वाणिज्य पोतों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है और इस संशोधन के माध्यम से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इससे पहले कि मैं इस बिल के बारे में कुछ विचार प्रकट करू यह अवश्य जानना चाहता हूं जैसे कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 23 दिसंबर, 2004 को सदन में यह बिल इन्ट्रोडयूज हुआ था और उसके बाद जुलाई 2005 में डिपार्टमेंटल रिलेटिड स्टैंडिंग कमेटी से आ गया था, अब 2007 चल रहा है, इतने विलंब से सदन में इसे लाने का क्या कारण रहा है? जब जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा से संबंधित इतना महत्वपूर्ण बिल है तो यूपीए सरकार को इस महत्वपूर्ण बिल को लाने में इतना समय क्यों लगा? मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से इसे उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या ट्रीटी वगैरह होती है और हिंदुस्तान उसकी पुष्टि कर देता है तो हम उन नियमों के द्वारा बंध जाते हैं। हमारे यहां की सीमा के अंदर आने वाले या चलने वाले जो समुद्री जहाज हैं, उन सभी पर और उनके नाविकों से हम बंधे रहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में स्थाई समिति के द्वारा पास करके इसे मंत्रालय के पास भेज दिया गया था, फिर माननीय मंत्री जी के सम्मुख आने में इसे इतना समय क्यों लगा, इसका क्या कारण था, कृपया इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह बिल वाणिज्य पोतों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है और इसमें चूंकि इंटरनेशनल कन्वैंशन ऑफ लाइफ एट सी, समुद्र के अंदर जीवन की रक्षा करने के लिए, चाहे वे जहाजों पर हों या बंदरगाहों पर हों। 16 जून, 1976 को भारत द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और 25 मई, 1980 को यह सारी दुनिया में लागू हुआ था। यह आई.एस.पी.एस. कोड के शार्ट नाम से जाना जाता है। जो वाणिज्य पोतों की सुरक्षा से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के बारे में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उन सबमें अधिक महत्वपूर्ण यह कोड है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसका मूल उद्देश्य है पोत की सुरक्षा के साथ-साथ उसके निर्माण, उपकरण, संचालन हेतु न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करना जहाजों की सुरक्षा से संबंधित और उनके संचालन, उन्हें संसाधनों से युक्त करना और उनके निर्माण में जो मिनिमम स्टैन्डर्ड विश्व स्तरीय सम्मेलन में तय किये गये हैं, उसमें जितने संविदाकारी देश थे, उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। जितने उनके सदस्य हैं, उन सबके ऊपर यह लागू होता है। चूंकि भारत ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत किये हैं, इसलिए हम भी इससे बंधे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे जहाजों की सुरक्षा करने के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सारे नियमों को जल्दी ही हमारे यहां भी इस बिल के पारित होने के बाद अवश्य लागू किया जायेगा।

कभी-कभी ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं कि समुद्री जहाज डूब गया, तेलवाहक जहाज में आग लग गई या गैस लाने वाला जहाज गोवा के पास डूब गया। इसके अलावा समुद्री डाकू भी छोटे जहाजों को लूट लेते हैं अथवा कभी-कभी जहाजों के अंदर पानी घुसने लगता है। इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहां ही नहीं बल्कि अन्य देशों के समुद्री जहाजों के बारे में भी सुनने को मिलती हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद इसमें जो प्रावधान किये गये हैं, उनके बारे में सरकार नियम बनायेगी और उन नियमों को सख्ती से लागू करेगी, ताकि समुद्री व्यापार में लगे हुए हमारे जितने जहाजों, उन पर काम करने वाले नाविकों, कर्मचारियों या बंदरगाहों पर काम करने वाले जितने लोग हैं, उन सबकी सेफ्टी, सिक्युरिटी सुरक्षित हो सकेगी और माल्यवहन या यात्री परिवहन के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मान्यवर, हमारा देश समुद्री व्यापार की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है। प्राचीन काल से ही वेदों में आया है- "वेदा यो वीनां पदमन्तरिछेण, पततां, वेद: नाव: समुद्रिय" इसका मतलब है कि यहां के लोगों को जानकारी थी, यहां के ऋषियों और मुनियों को आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग और समुद्र के अंदर जाने वाली नौकाओं के मार्गों की जानकारी होती थी। उससे पता लगता है कि अत्यंत प्राचीनकाल से ही समुद्र के माध्यम से हमारा व्यापार

[प्रो. रासा सिंह रावत]

होता था। हमारा देश तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे यहां कांडला से लेकर पीपावाव हो, मुम्बई हो, कोच्चि हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो या विशाखापटनम हो, ये बड़े-बड़े बंदरगाह तो हैं ही लेकिन छोटे-छोटे बंदरगाह भी हैं और सारे बंदरगाहों की सुरक्षा की दृष्टि से मैं समझता हूं कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। उस समय सारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे समुद्री व्यापार के क्षेत्र में हो या हवाई यातायात के बारे में हो या जमीनी यातायात को बढ़ाने के बारे में हो या राष्ट्रीय राजमार्ग गोल्डन एक्सप्रैस हाइवे का मामला हो अथवा समुद्री मार्गों को मजबूत करने संबंधित मामला हो, उस समय यह बिल लाया गया था। सरकार को आभार व्यक्त करना चाहिए कि पिछली सरकार के समय में यह बिल तैयार हो गया था और आपकी यूपीए की सरकार आई, उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। वहां से भी 2005 में यह बिल आ गया और अब 2007 जा रहा है। इसमें इतना विलम्ब हो गया है। इससे पता चलता है कि सरकार की काम करने की गति बहुत धीमी है। मैं समझता हूं कि अब जब यह बिल यहां आपने प्रस्तुत किया है तो हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि यह बिल समुद्री व्यापार के हितों से जुड़ा हुआ है, हमारे जो हजारों समुद्री कार्मिक हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में जल्दी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे और इसे क्रियान्वित करके हमारे देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे।

पिछले दिनों एक घटना हुई थी। अब तक तो आतंकवादी इधर तोड़फोड़ ही करते थे लेकिन समुद्री मार्ग से भी अब इनके आने का खतरा बढ़ गया है। समाचार पत्रों में यह आ चुका है और अभी लिट्टे ने भी हमारे देश की नौकाओं नेवी के जहाजों पर हमला कर दिया था और इसी तरह से दूसरे भी अलकायदा के आतंकवादी हैं या लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हैं, वे बैंगलोर में जा चुके हैं, चेन्नई में भी श्री लंका के कई आतंकवादी पकड़े गये हैं, अब समुद्री मार्ग भी सुरक्षित नहीं है और आतंकवादियों का नैटवर्क तथा उनके मोबाइल से वार्ताए पकड़ी गई थी। उन वार्ताओं से यह स्पष्ट हुआ है कि समुद्री जहाजों पर भी वे लोग आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि समुद्री मार्ग को सुरक्षित नहीं मानें और जो प्रावधान इस बिल के अंदर हैं, वे भी और उसके साथ-साथ जो हमारे नेवी की रक्षा की जाएगी लेकिन नेवी के पास जो सूचना है, उन सूचनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके आज भी जो सिविल के वाणिज्यिक पोत चलते हैं, आतंकवाद और उग्रवाद की घटनाओं से या लिट्टे आदि या समुद्री मार्ग से तस्करी करने वालों से उनकी सुरक्षा करने में मंत्रालय समर्थ हो सकेगा। बाकी बिल के अंदर जो बातें हैं, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिन-जिन धाराओं के अंदर अमैंडमेंट हुआ है, एक तो प्रारम्भ के अंदर जैसे बताया गया है, शुरु में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था जिसे वर्ष 1958 से शुरु किया गया था, रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ प्रमाणन सर्टिफिकेशन सुरक्षा और संरक्षा शब्द लिखे जाएंगे तो यह तो टाइटिल के अंदर शाब्दिक अर्थ हुआ। सुरक्षा से समुद्रीय सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जलयानों के स्वामियों या प्रचालकों या या पत्तन सुविधाओं, अपतट प्रतिष्ठापनों और अन्य समुद्रीय संगठनों या स्थापनों के प्रबंध तंत्र के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए पत्तनों या पोतों या समुद्री नौचालन से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु की-आतंकवाद, अंतर्ध्वस, छिपकर जहाज में यात्रा करने, अवैध उत्प्रवासियों, शरण चाहने वाले अपराधियों, जलदस्युता, सशस्त्र डकैती, अभिग्रहण या मूषण से, किसी अन्य शत्रु के कार्य या प्रभाव से संरक्षा करने का कोई उपाय भी है। इससे यह पता लगता है कि इस बिल का क्षेत्र व्यापक है और इसलिए यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें जिन ग्यारह कोड का उल्लेख किया गया है, उनमें अंतिम कोड अंतर्राष्ट्रीय सिविल सुरक्षा कोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही की जानी चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय पोत परिवहन सुरक्षा कोड सभी कोडों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इसकी अनुपालना में सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिये। सरकार को मान्यताप्राप्त समुद्री संगठनों का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि यदि उन्हें ठेका दे दिया या परमीशन दे दी तो सुरक्षा की दृष्टि से होने वाली सुरक्षा में लापरवाही न हो, इस बात का ध्यान रखे।

सभापति जी, सुरक्षा के स्तर पर जो मानदंड तक किये गये हैं, या सुविधाओं की दृष्टि से जो मानदंड तय किये गये हैं, उनके बारे में कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिये, किसी प्रकार की शिथिलता राष्ट्र के हित में नहीं है। व्यापार की दृष्टि से अलग वजन के जहाज होते हैं, कोई 300 टन का है या उससे बड़ा होता है, उनका संख्याक तय किया जाता है जिससे पता चलता है कि किस देश का जहाज हे और कौन सा जहाज आ रहा है। उन्हें दिशायें बताई जाती है, उनका भली प्रकार से पता लगना चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन उसकी संख्या प्रदान करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। मैंने प्रारम्भ में कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ा हुआ वाणिज्य पोत परिवहन व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण

अंग है। देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा, बंदरगाह को सुदृढ़ करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की बंदरगाहों को लाना, हमारे जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना-इन सारी बातों के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संधि से बंधे हुये हैं, उनकी अनुपालना करना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह इन सारी बातों पर ध्यान देंगे।

सभापति जी, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सेतु समुद्रम आज से करोड़ों साल पहले बनाया गया था जिससे हमारे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह श्रीलंका और भारत के बीच में बना हुआ है। माननीय मंत्री जी धर्मपरायण व्यक्ति हैं और दक्षिण भारत में लोगों की मान्यता भी है। इस बारे में नासा और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी है, बड़े बड़े नेताओं ने इस बारे में अपनी राय दी है। यहां तक कि वहां के हजारों नाविक इसका विरोध कर रहे हैं। वहां डायनामाइट लगाकर इसे तोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन ज्यादा टूटा नहीं है। सरकार कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढ ले क्योंकि सेतु समुद्रम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय हैरिटेज की सम्पत्ति है। पुरातत्व की दृष्टि से उसका अधिकाधिक महत्व है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सेतु की रक्षा का उपाय करे और इसे तोड़ने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, उसे रोकें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक लाने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं, हालांकि इसमें दो वर्षों का विलंब हुआ है लेकिन शायद यह उनके हाथ में नहीं है।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका मुख्य कारण, वैश्वीकरण के पश्चात कार्गों के एक देश से दूसरे देश में प्रचालन में वृद्धि हुई है। अत: जहाजों के माध्यम से, जल मार्गों के जरिए ढुलाई में पर्याप्त वृद्धि होने और इंटरनेशनल मैरिटाइम कांग्रेस का हिस्सा बनने पर सहमति होने के कारण हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम तदनुसार कानून बनाएं। यदि हम इसके लिए कानून नहीं बनातें, तो देश इससे बुरी तरह प्रभावित होगा और हमें करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। हमारे जहाज अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों पर नहीं जा सकेंगे, और अन्य देशों के जहाज हमारे पत्तनों पर नहीं आ सकेंगे। हां अंतर्राष्ट्रीय कार्गों की सम्मलाई की जाती है।

वह स्थिति कैसी होगी? उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब इस देश में वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी। संसद में दिन प्रतिदिन कीमतों में वृद्धि की चर्चा हो रही है और इनमें मामूली वृद्धि होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है तथा हम इस मुद्दे पर लोगों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यदि इस संबंध में स्पष्ट कानून बनाए जाएं, तो यह स्वागत योग्य कदम होगा।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि न केवल इस विधान को लाना ही बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि, जैसा मेरे माननीय सहयोगी ने कहा कि इस संबंध में नियम तथा विनियम, डिगरी तथा आदेश भी तत्काल बनाए जाने चाहिए।

अपराह्न 2.00 बजे

हमारे पोतों और पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक बजट की आवश्यकता होगी। हालांकि इस व्यय का वहन पत्तन तथा पोत मालिकों को करना होगा, तथापि यदि आवश्यक हो तो सरकार को इनकी सहायता के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। अन्यथा हम सभी प्रभावित होंगे, देश प्रभावित होगा लोग प्रभावित होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हम गेहूं, तेल, खाद्य तेलों का आयात करेंगे, तो इनमें से कुछ चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। यह आवश्यक है कि ये सभी आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में, मैं इस सभा के ध्यान में केवल यह बात लाना चाहता हूं कि इस बारे में केवल तभी विचार किया गया जब अमरीका में 11 सितम्बर की घटना हुई, यदि वह घटना न हुई होती, तो इस बारे में विचार ही नहीं किया जाता। दुर्भाग्यवश इससे समूचे विश्व में बढ़ते आतंकवाद के कारण आम आदमी के जीविकोपार्जन की लागत भी प्रभावित हो रही है। मैं नही जानता कि कैसे कुछ लोग दुनियां के विभिन्न भागों में आतंकवाद को फैला रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या हो सकता है और वे इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वे लोग आम आदमी के जीवन को कष्टकर बना रहे हैं। आतंकवाद के कारण न केवल कानून बनाने बल्कि अपने आपको तैयार करने, अधिकाधिक लोगो को शामिल करने की भी आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। अत: कुछ खाद्य पदार्थों का सुरक्षित आयात अथवा निर्यात करने के लिए किए जाने वाले उपायों की लागत भी बढ़ जाएगी। इससे फोन प्रभावित होगा? आतंकवादी अपने नागरिकों सहित प्रत्येक नागरिक को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कुछ मुद्दों पर वे उत्तेजित हों, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान करने अथवा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह सही रास्ता नहीं है।

[श्री के.एस. राव]

यह देखते हुए कि आतंकवाद दुनिया के अनेक भागों में अपनी पैठ बना रहा है, विशेषकर समुद्र के असुरक्षित क्षेत्रों, जहां समुद्री डाकू हैं-आजकल पोतों के माध्यम से हथियार एक जगह से दूसरी जहां भेजे जा रहे हैं, जो मानव जाति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे है- यह आवश्यक है कि हम अपने आपको और पत्तन को तथा साथ ही साथ पोतों को वैश्विक बाजार उपलब्ध वर्तमान मानदंडों के अनुरूप सुसज्जित करना होगा।

महोदय, हमें सूचनाओं के शीघ्र एवम् प्रभावी रूप से एकत्र किए जाने को सुनिश्चित करना होगा। पर्याप्त सूचना के बिना सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। अत: सूचना सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वप्रथम हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। एक बार सूचना प्राप्त होने पर अन्य उपकरण यह देखने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा दी जानी है और किस स्थान पर यह दी जानी है। इन सभी चीजों को किया जा सकता है। अत: सूचना महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक पोत परिवहन का संबंध है यदि हम पिछले कुछ वर्षों पर दृष्टिपात करें, तो हमें पता चलेगा कि समुद्री मार्ग से यात्रा करना काफी महंगा हो गया है। हो सकता है इनमें से कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार हों। पूर्व में यहां से खाड़ी देश में भेजी जाने वाली वस्तु की लागत 20 डालर आती थी अब इसकी लागत 40 डालर आती है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए, तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि यह 100 डालर अथवा 200 डालर हो जाए। स्वाभाविक रूप से, इसे हमारी अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए किफायती होगा; यह हमारे देश के अपने लोगों के लिए भी किफायती होगा।

इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज यह विधेयक हमारे लोगों के लाभ के लिए लाया गया है और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए किसी पार्टी अथवा किसी सदस्य की ओर से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भाजपा का कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता; चाहे यह मुद्दा परमाणु ऊर्जा का हो; चाहे खाद्य सुरक्षा का हो; चाहे वह आम आदमी का हो। वे उसे साम्प्रदायिकता से जोड़ ही देते हैं। माननीय सदस्य ने अभी अभी सेतुसमुद्रम की बात की। यहां विधेयक और सेतुसमुद्रम के बीच कोई सम्बंध नहीं है। यह कार्गो की सम्भलाई की जाती है न कि घरेलू कार्गो की उन पत्तनों से वस्तुओं और कार्गो की धुलाई से ही संबंधित है जहां से अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कार्गो, घरेलू यात्रियों का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। अत: माननीय सदस्य से मेरा विनम्र अनुरोध है ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: यह सभी मौजूदा समुद्री जहाजों का मार्ग है ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: हमारे भूतपूर्व नेता, एन टी आर उन दिनों प्रत्येक मुद्दे पर, 2 रुपये प्रति कि. ग्रा. की चर्चा करते थे। 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. बढ़िया बात है। इसे किया जाना चाहिए। लेकिन वे प्रत्येक अवसर पर इसकी चर्चा करते थे, चाहे मुद्दा कोई भी हो।

माननीय सदस्य भी इसी तरह से चर्चा कर रहे थे। मैं यह नहीं कह रहा कि उनको अधिकार नहीं है लेकिन उनको इनके साथ मत मिलाइए, जो आवश्यक हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब वे अपनी बात कह चुके है।

श्री के.एस. राव: महोदय, इस विधेयक पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तथा मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं पुन: एक बार माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे नियम विनियम तथा अन्य चीजें लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए ताकि देश पीछे न रह जाए और देश को इसके कारण हानि न उठानी पड़े।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 में कुछ संशोधनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव में पोतों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के उपायों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। आए दिन खबरों में पढ़ने को मिलता था कि पोतों में छिपकर अपराधी, आतंकवादी और अन्य लोग यात्रा करते थे तथा अवैध काम करते थे। इसके लिए अब कानून बनाए गए हैं और जो पहले कानून थे, उनमें कुछ संशोधन किए गए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधेयक की कंडिका 2, 3 और अन्य धाराओं में भी संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य पोतों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। जो भी सुरक्षा कोड है, उसे लागू करने के लिए चाहे देशी अथवा विदेशी व्यक्ति

या संगठन हैं, उन्हें प्राधिकृत करने तथा उनके माध्यम से सुरक्षा उपाय किए जाने के प्राधिकरण दिए जाने के संशोधन किए जा रहे हैं। इन सारी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। इन संशोधनों के बाद निश्चित रूप से हमारी पोत परिवहन प्रणाली की सुरक्षा होगी। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर और विचार करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक एन.डी.ए. के समय में तैयार किया गया था। वह सपना आज पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं अत्यन्त खुशी व्यक्त करता हूं और इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं।

महोदय, आप जानते ही हैं कि गुजरात के पड़ौसी राष्ट्रों द्वारा भारत में अनेक प्रकार की गतिविधियां की जाती रही हैं और अभी भी हो रही हैं और वह राज्य उनके कारण परेशानियों का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात में मछुआरों की संख्या भी बहुत अधिक है और उन्हें पड़ौसी राष्ट्र द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है तथा वर्षों तक जेलों में रखा जाता है। कल-परसों आपको पता ही होगा कि कुछ मछुआरों को आमने-सामने छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहां कोस्टल गार्ड पर सुरक्षा का बहुत दबाव है इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का बहुत जरूरत है।

महोदय, कांडला, गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां लाखों टन माल देश और विदेश से उतरता है। इसके साथ-साथ गुजरात में प्राइवेट एवं सरकारी क्षेत्र में छोटे-मोटे पोर्ट्स बनाने के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक धौलेरा पोर्ट था, जहां पूरे देश से माल आता था, लेकिन समुद्र के बहुत पीछे चले जाने के कारण धौलेरा पोर्ट बन्द हो गया, लेकिन वहां एक दूसरा पोर्ट बनने जा रहा है। उस पोर्ट को बनाने की काफी समय से मांग चली आ रही थी, परन्तु पर्यावरण के कारण बहुत सारी रुकावटें आ रही थीं। कई वर्षों तक लड़ाई लड़ने के बाद, अब पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ क्लीयरेंस दी है।

सभापति महोदय, जब हम पोर्ट के बारे में चिन्ता कर रहे हैं और पोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर पोर्ट्स को क्यों नहीं जल्दी से क्लीयरेंस दिया जा रहा है? गुजरात में बहुत से छोटे-छोटे नैचुरल पोर्ट हैं, जिनके विकास और मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास हमारे बहुत से प्रपोजल पड़े हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पोर्ट को जो भी क्लीयरेंस की आवश्यकता हो, वह तुरन्त दिया जाए।

महोदय, हमारे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं, जिनके नाम रासा सिंह जी ने बताए हैं, उनके विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्षों से इस देश का व्यापार समुद्र के माध्यम से होता रहा है। समुद्र के रास्ते ही फल एवं कपड़े इत्यादि बाहर से आते थे और हमारे व्यापारी समुद्र के रास्ते ही दूर के देशों में व्यापार करने जाते थे। समुद्र से व्यापार हमारे लिए नई बात नहीं है, यह पुरानी परम्परा है। प्रथम बार इस देश को वास्को-डी-गामा ने समुद्र के रास्ते ही ढूंढा था। लेकिन क्या आज सुरक्षा की दृष्टि से समुद्री रास्ता सलामत है? क्या आज हमारे जहाज सलामती से बाहर के देशों तक जा सकते हैं। आतंकवाद की बात हो रही है। पहले केवल पहाड़ों और घाटियों तक ही आतंकवाद था। डाकू चम्बल में रहते थे। लेकिन आज डाकू कहां नहीं रहते हैं, यह कहना मुश्किल हो गया है। हर जगह लूट की वारदात हो रही है। किस जहाज पर कहां डाका पड़ जाएगा, कब किस जहाज को विस्फोटक के द्वारा उड़ा दिया जाएगा। यह शंका लोगों के मन में रहती है। आज समुद्री व्यापार भी सलामत नहीं रहा है।

महोदय, गुजरात में एक बंदरगाह है, जिसका नाम धोलेरा पोर्ट रखा गया है। इस पर प्राइवेट पार्टी के द्वारा लाखों रुपया खर्च किया गया है। यह मेरे क्षेत्र में आता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बंदरगाह का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। माननीय बालू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस गति से कार्य होना चाहिए, उस गति से नहीं हो रहा है। इस संबंध में गुजरात के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारी माननीय शंकर सिंह वाघेला जी यहां बैठे हैं, यह भी मंत्री हैं और इन्होंने गुजरात के विकास में जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम इनकी सराहना करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि गुजरात के हर प्रश्न को पूरे दिल से उठाएं और उसके लिए मंत्री जी का सहयोग प्राप्त करें। आने वाले दिनों में काण्डला एवं अन्य नैचुरल बन्दरगाहों पर हिन्दुस्तान का गुड्स उतरेगा। मैं धोलेरा बन्दरगाह की सिफारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काण्डला अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दूर है। राजस्थान और यूपी को पूरा सामान इसी पोर्ट से जाता है। यदि धोलेरा बन्दरगाह के रूप में विकसित हो जाता है तो 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और व्यापारी कम समय में अपना सामान पूरे देश में पहुंचा सकते हैं।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर पश्चिम बंगाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं।

कभी नहीं से देर भली। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य जो आतंकवाद के कारण दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, को देखते हुए यह विधेयक सामयिक है।

महोदय, एक समुद्र गमन राष्ट्र होने के नाते भारत का किसी भी समुद्री व्यापार का लम्बा अनुभव रहा है। लेकिन पूर्व में, हमने समुद्री डाकुओं की मौजूदगी को अनुभव किया है। लेकिन अब इसने नया आयाम अपना लिया है क्योंकि आतंकवादी अब उन्नत प्रौद्योगिकी तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हैं। इन घटनाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेमवर्क आवश्यक उपकरण है अत: समुद्र में सुरक्षा की परिकल्पना की गई और भारत कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी में हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र था।

हमारे पास मर्चेन्ट पोर्ट प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन 9/11 की घटना के पश्चात् हमने विध्वंसकारी अध्याय का अनुभव किया जहां एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग मिसाइल के रूप में उपयोग किया गया जिसने अमरीका में ट्विन टावर को नष्ट किया था। न्यूयार्क में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग मिसाइल के रूप में रूपांतरित हो गया था, लेकिन इसी प्रकार समुद्र में जहाज तैरती मिसाइल के रूप में बदल सकता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के तीन-चौथाई भाग पर पानी है।

वर्तमान परिदृश्य में यदि हम यहां अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडल शेयर को देखें, तो पाएंगे कि वाणिज्य पोत-परिवहन में तेजी से वृद्धि हो रही है और वाणिज्य पोत परिवहन में अपार संभावनाएं हैं। हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क से प्रसन्न नहीं हो सकते जिसमें हम भागीदारी न कर सके ताकि हमारा समुद्री व्यापार भी सुरक्षित हो सके। इसीलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। इंटरनेशनल कोड फार द सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एण्ड पोर्ट फेसिलिटी दिनांक 12.12.2002 को कान्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टिंग गवर्नमेंट्स द्वारा किए गए एस.ओ.एल.ए.एस. का संशोधन था।

महोदय, कई कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं जो आई एस पी एस संहिता में शामिल हो गई है। यदि हम वर्ष 1993 में मुंबई में हुई गंभीर दुर्घटना को याद करें तो, विस्फोटक सामग्री समुद्री मार्ग से लाई गई थी और हमारे देश के पश्चिमी तट पर उतारी गई थी, जिससे मुंबई में भारी तबाही हुई और साप्रसयिक दंगे भड़के। महोदय, यहां तक कि फारस की खाड़ी में भी, यू एस एस कोल पर भी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था।

जबकि थल मार्ग और वायु आदि बंद किए जा रहे हैं, तब आतंकवादी संगठन, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, तथा जो किसी देश के नहीं है। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व विस्तृत खुले समुद्री तटों का लाभ उठा रहे हैं। अत: न केवल हमारे व्यापारियों को बचाने हेतु बल्कि बढ़ती आतंकवादी कार्यवाहियों के खतरे को देखते हुए, हम भी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में शामिल होने को उत्सुक हैं ताकि हमारे व्यापारियों को बचाया जा सके और किसी भी आतंकवादी गतिविधि को रोका जा सके जो समुद्री मार्ग माध्यम से हो सकती है।

महोदय, भारत की विशाल तट रेखा है। हमारे पड़ौसी देश श्रीलंका में भी हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक आतंकवादी हमले समुद्री तटों पर किए जा रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं क्या उनकी निगरानी में विद्यमान ढांचा और मौजूदा आधारभूत ढांचा आई एन पी एस संहिता लागू करने के लिए पर्याप्त है, विशेषकर हो चुके तकनीकी विकास को देखते हुए। इसके अतिरिक्त, आतंकवादी संगठन अपने घृणित इरादों को अंजाम देने के लिए उन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी नौसेना आतंकवाद के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है जो कि आई एस पी एस संहिता की पृष्ठभूमि है। यह सही है कि जहां तक हमारी सुरक्षा का सम्बन्ध है हम एकीकृत कमान पर विचार कर रहे हैं। जहां तक हमारे नाभिकीय सिद्धांत का सम्बन्ध है, हम तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे है। लेकिन, जहां तक समुद्री परिवहन का सम्बन्ध है, जिसमें सुरक्षा एक महत्वपूर्ण भाग है, उस दिशा में, विधेयक में कुछ संशोधन किए हैं। यहां मैं मानना चाहता हूं कि नौसेना या अन्य सुरक्षा बल जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, के परामर्श से हमारे पत्तनों व्यापारी जहाजों आदि के विरुद्ध होने वाले आतंकी हमले से निपटने के लिए कैसा तंत्र तैयार कर रहे हैं।

आज कल हमारे व्यापारी जहाज संपूर्ण अफ्रीकी क्षेत्र में विशेषकर सोमालिया के आस-पास बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहे हैं। वहां, हमारी नौसेना हमारे व्यापारी जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रही

है। यहां तक कि कल की स्ट्रेट में जो कि हमारे तेल आयात की जीवन-रेखा है, वहां भी न केवल भारत ज्ञान बल्कि विश्व के नेताओं द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। हमारा पोत परिवहन मंत्रालय, मैं समझता हूं आज तक बढ़ते समुद्र मार्ग से किये जाने वाले व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति में रहे हैं। लेकिन यह आईएसपीएस एक नई बात है, एक नया पहलू है जिसे मंत्रालय में शामिल किया जा रहा है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय अपने आधारात्मक ढांचे के साथ इसके लिये सक्षम है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, हमारे पास समय सीमित है। क्या आप भारतीय पत्तनों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: हां, महोदय, इस संशोधन का उदेश्य, जैसा कि अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है और जो इस विधेयक में निहित है, सूचनाओं का आदान-प्रदान और विभिन्न देशों के बीच जो इस आई एस पी एस संहिता में शामिल हैं खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करना है। महोदय, यह सहज ही समझा जा सकता हे कि यदि हमारे जहाज आई एस पी एस संहिता के अनुरूप नहीं है तब उन्हें किसी भी विदेशी पत्तन पर प्रदेश की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार किसी भी ऐसे विदेशी जहाज को हमारे पत्तनों मे प्रवेश की अनुमति नही होगी जो आई एस पी एस के अनुरूप न हो। अत: सुगम समुद्री परिवहन के लिए आई एस पी एस संहिता, हमारे व्यापार का अनिवार्य और आवश्यक भाग है। अत:, इस विधेयक का समर्थन करने में कोई हिचक नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक प्रश्न और पूछूंगा। आई एस पी एस संहिता के क्रियान्वयक का खर्च कौन वहन करेगा? मैं समझता हूं कि अब हम आई एस पी एस संहिता क्रियान्वित करेंगे तो व्यय करना होगा। अत: इस व्यय को कौन वहन करेगा? यहां किसी अन्य वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है जो किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया है। आई एस पी एस की कार्यात्मक आवश्यकताओं में सुरक्षा संबंधी खतरों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना जहाजों और पत्तन सुविधाओं के लिए संप्रेषण प्रोटोकॉल के रख-रखाव की आवश्यकता जहाजों तक अनधिकृत पहुंच के रोकने अनधिकृत हथियारों तथा आग्नेय उपकरणों आदि परिवहन की रोकथाम आदि शामिल है।

महोदय, इसके अतिरिक्त, आप भली-भांति परिचित हैं कि आतंकवादी समुद्री मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं। क्या हमारा गुनियादी ढांचा इन खतरों पर नियंत्रण लगाने में सक्षम होगा? यह भी एक प्रश्न हैं क्योंकि केवल आई एस पी एस संहिता पर हस्ताक्षर करना ही हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सभी को सुरक्षा के सभी पहलुओं अर्थात हथियारों से नशीली दवाओं की तस्करी से अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों पर गौर करना है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश के कितने पत्तन अब तक आई एस पी एस संहिता के तहत कवर किए गए हैं?

मछुआरों को अक्सर अनेक उत्पीड़नाओं और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कभी व समुद्र में मत्स्यन के लिए जाते हैं, विशेषकर: श्रीलंका-भारत के समुद्री क्षेत्र में, विशेषकर कच्चा तीबू और कच्चा तीबू के आस-पास के अन्य क्षेत्रों में उन मछुआरों के लिए और मछुआरों के कल्याण के लिए भी हमें हमारे पड़ोसी और तटवर्ती देशों के साथ परामर्श से मार्ग ढूंढना चाहिए ताकि उनके मत्स्यन अधिकारों की रक्षा की जा सके। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री हमारे मछुआरों के लिए काफी संवेदनशील है क्योंकि वे उस क्षेत्र से आते हैं जहां मछुआरों को अनेक समस्याओं और उत्पीड़न का समाना करना पड़ता है। मैं विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री से सभी आई एस पी एस संहिताओं को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने का निवेदन करता हूं ताकि हमारे समुद्री व्यापार क्षेत्र में वृद्धि जारी रखी जा सके।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब तक जो बातें कही गयी हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सिर्फ कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसपीएस कोड जिसमें हमने साइन किया हुआ है, वह हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे पोर्ट्स, शिप्स या जो शिप्स यहां आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। जब यह बिल इससे पहले इस सदन में रखा गया था तब इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास रैफर किया गया था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे खासकर स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स के व्यूज को इस सदन ने लेना जरूरी समझा गया था। यह बिल बहुत जरूरी है लेकिन इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी के पास किसलिए भेजा गया था? मेरे पास स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। मुझे बहुत दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी की जितनी रिकमेन्डेशन्स थी, उन पर मिनिस्ट्री ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन रिकमेन्डेशन्स को लागू करने में कोई पहल नहीं की। पार्लियामेन्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने आठ रिकमेन्डेशन्स

[श्री समिक लाहिरी]

दी थीं। अगर आप इजाजत दें, तो मैं उसे कोट करना चाहता हूं। स्टेंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेन्डेशन में यह कहा था कि-

[अनुवाद]

समिति मानती है कि हमारा संविधान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की शक्ति प्रदान करता है और बाद में संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तथापि यदि समझौतों में कोई विधायी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है तब ससंद का नियंत्रण अंतिम है। अत: सरकार को उस लचीले प्रावधान को ध्यान में रखना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेन्डेशन्स देखें क्योंकि उसमें सब पार्टी का रिप्रैजेंटेशन था और ये रिकमेन्डेशन्स यूनेनीमस था। कुल मिलाकर जो आठ रिकमेन्डेशन्स थीं, उसके ऊपर कुछ पहल नहीं की गयी। आज हम जो अमेंडमैंट ओरिजिनल बिल के साथ देख रहे हैं, वह कुछ ग्रेमीटिकल अमेंडमैंट है। उसमें खासकर कन्टेंट के ऊपर जो अमेंडमैंट लाना चाहिए था, वह सरकार नहीं लाई। कमेटी ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, रिमेन्डेशन्स की थीं, यह सही बात है खासकर जब 9/11 की बात पूरी दुनिया के सामने आयी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पायलट किया कि सब जगह सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, तो उसके चलते हमारे देश में सिक्योरिटी का मामला सामने आया। इस कारण हमने यह विधेयक तय किया है। स्टेंडिंग कमेटी का यह कहना था इसलिए मैं बार-बार स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूं क्योंकि सब पार्टीज ने उधर सहमत हो कर यह निर्णय लिया था। अब तक जो बातें मेरे दूसरे कुलीग्स ने कही हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इसमें क्लीयर कट सीमेंट आइडेंटिटी डाकूमैंट के ऊपर जो अमेंडमैंट लाने का सुझाव दिया गया था, वह सुझाव क्या था? मैं उसे कोट करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

"समिति सिफारिश करती है कि पोत परिवहन विभाग को पहचान दस्तावेज जारी करने की पद्धति को पूरी तरह पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि भविष्य में इसके आत्मनिष्ठ प्रयोग की जगह न रहे।"

[हिन्दी]

यह एक्ट में नहीं आयेगा, यह मुझे मालूम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी सदन के सामने यह एश्योरेंश जरूर देंगे कि यह डाक्युमैंट जो सी फेयरर को दिया जायेगा, उस डाक्युमैंट के ऊपर पूरा सीफेयरर के अपने हिसाब से जो सिक्योरिटी का मामला है, यह डाक्युमैंट के ऊपर पूरा डिपैंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर अपनी बात सदन के सामने जरूर रखेंगे।

दूसरा, मैं सैक्शन 344 (ढ) सैक्शन 344(ध) इन दोनों के ऊपर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर कमेटी की जो रिकमेन्डेशन्स थी, उसे मैं कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

समिति की सिफारिश में कहा गया है। ऐसे अन्य प्राधिकारी: अन्य प्राधिकारी कौन हैं?

[हिन्दी]

इसको अगर आप क्लेरीफाई नहीं करेंगे, तो आज यह अथॉरिटी है, तो कल दूसरी कोई अथॉरिटी बन सकती है। यह एक्ट में स्पेसीफिक होना चाहिए।

मंत्री जी को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि इस "सच अथारिटी" शब्द का क्या मतलब है। सच अथारिटी कौन है? क्या यह आईएमओ, क्या सच अथारिटी हमारी मिनिस्ट्री है, क्या सच अथारिटी हमारी पार्लियामेंट है, क्या यह सच अथारिटी डीजी (शिपिंग) है? इसमें क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं मंत्री जी का ध्यान सेक्शन 44(ए) (2) की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा है:

[अनुवाद]

किसी विरोधी अधिनियम या प्रभाव के विरुद्ध जिसका उल्लेख खंड 3(44क) (2) के अध्याय दो में किया गया है।

[हिन्दी]

जिसमें कमेटी ने यह पहल की थी कि इसको स्पेसिफिक करना चाहिए। यह बहुत व्यापक है इसमें यह जो प्रावधान है कि "किसी अन्य विरोधी अधिनियम या प्रभाव के विरुद्ध" उसमें कौन होस्टाइल है, इसे हम कैसे डिटरमिन करेंगे? इसकी वहज से इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और इसीलिए कमेटी ने यह भी बोला है कि इस कानून के तहत सीमैन को परेशान भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी अन्य विरोधी अधिनियम या प्रभाव के विरूद्ध" को डिफाइन नहीं किया गया है। कल अगर ये लोग पोर्ट या शिपिंग में ट्रेड यूनियन्स को पसन्द न करें तो उनका एक्ट ऑफ होस्टाइलिटी हो गया, तो उनके खिलाफ भी यह

कानून लागू हो सकता है। मंत्रालय कामगार वर्ग के बुनियादी अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा?

[अनुवाद]

इसलिए कमेटी ने रिकमेंड किया था:

"पोत परिहवन विभाग को अन्य विरोधी अधिनियम या प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या कर के विधेयक में जोड़ना चाहिए जिससे यह अधिक व्यापक बनाया जा सके और इसकी निगरानी की जा सके।"

[हिन्दी]

इसके बाद अगर 344(जे) पर ध्यान दें तो उसके बारे में कमेटी ने क्लियरली कहा था कि यह एक कंट्राडिक्टरी प्रॉविजन है, इस पर भी मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए। इसके बारे में कमेटी ने कहा था:

[अनुवाद]

"समिति सिफारिश करती है कि पोत परिवहन विभाग को नाविक के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से खंड 344 ज के प्रावधान पर पुन: विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चत करना चाहिए कि छोटे जहाजों में काम करने वाले नाविकों का कोई शोषण न हों।"

[हिन्दी]

अक्सर ऐसा हो रहा है उनके लिए कोई भी प्रोटक्शन नहीं है और खासकर जैसा कि मेरे सीनियर कलीग श्री हन्नान मोल्लाह जी कह रहे थे कि अण्डमान में भी यही ह्रासमेंट हो रहा है। इसके बारे में सरकार को क्लैरिटी लाकर अपनी राय से इस सदन को सूचित करना चाहिए। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मंत्री जी, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन 344(एम) के बारे में बार-बार यह आया था कि माननीय पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो लोग बंदर में काम कर रहे हैं, जो लोग जहाज पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में ह्युमन एलीमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है। कैसे उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में कुछ भी प्रावधान नहीं है। उनके लिए इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.39 बजे

कमेटी ने इसके बारे में रिमेंड किया था:

[अनुवाद]

"समिति सिफारिश करती है कि तट यात्रा अवकाश को कानून के ढांचे में समाविष्ट किया जाए और धारा 344 ङ के परंतुक में खंड जोड़ा जाए।"

[हिन्दी]

लेकिन यह दुख की बात है कि इतनी सारी रिकमेंडेशन्स में से एक भी रिकॅमेंडेशन पर अमल नहीं हुआ है, एक भी रिकॅमेंडेशन पर मिनिस्ट्री ने ध्यान नहीं दिया है। जो इन्टरनेशनल लॉ है, उसके बारे में यह बात सही है कि उससे जुड़े हुए विषय सदन के सामने लाने की सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन संसद को सूचित करना उसकी राय को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, जहाजों की सुरक्षा और बंदरगाहों की सुरक्षा, इन सारे मामलों की जांच करनी चाहिए थी। एक्ट में संशोधन करने के लिए यह बिल सदन के सामने रखा गया है, जिसे संसद को पास करना है। इससे पहले जब यह बिल पेश किया गया था, तब सदन ने सहमति से इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया था। उस कमेटी में सभी दलों के सदस्यों के होने के बावजूद भी सर्वसम्मति बनी थी, उस पर मंत्री जी ने क्यों नहीं ध्यान दिया, इस बारे में उन्हें सदन में सूचित करना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में सभी सदस्यों ने इतनी मेहनत से जो रिपोर्ट तैयार की है, उस पर मंत्री जी जरूर अमल करें। इसके साथ ही मंत्री जी अपने जवाब में सदन को आश्वासन दें कि आपसी सहमति से जो रिकमंडेशंस रिपोर्ट में हैं, उन पर विचार करने की पहल करेंगे और उसके लिए इस बिल में और संशोधन लाएंगे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति महोदय, हम वाणिज्य पोत-परिवतन (संशोधन) विधेयक 2004 पर चर्चा कर रहे हैं जिसका आशय वाणिज्य पोत पारिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में और संशोधन करना है। भारत ने 16 जून, 1976 को इंटरनेशनल कंवेशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (सोलास 1974) का अनुमोदन किया था और 25 मई, 1980 को यह लागू हुआ हमने पिछली सभी अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों को रद्द करके सही कार्य किया है; और अब हम विलंब से सोलास, 1974 के अंतर्गत अनिवार्य बनाए गए सभी ग्यारह कोडो अथवा समान उपायों को शामिल कर रहे हैं।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

जलमार्गों में जहाजों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा यात्रियों और कार्गों के लिए बहुत आवश्यक है। सुरक्षा जोखिमों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने तथा सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अनुबंध करने वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना भी आवश्यक है। वर्तमान में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में अपेक्षित सभी प्रावधान नहीं है। अतः, इस संशोधन से हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आने में सहायता मिलेगी।

भारत समुद्री परिवहन के मामले में प्रमुख देश है। प्रस्तावित विधान से हमें पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने के कारण अपनी समुद्री परिवहन संबंधी रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने में सहायता मिलेगी। इस विधान में पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे समुद्री परिवहन करने वालों को किसी अन्य स्थान पर भी रोजगार की संभावना तलाशने में सहायता मिलेगी। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में प्रस्तावित संशोधन से पत्तनों के विकास और उन पर सुरक्षा संबंधी प्रावधान करने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप हमारे पत्तनों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को सहायता मिलेगी।

जलमार्गों से वस्तुओं की आवाजाही करना व्यवसायिक दृष्टिकोण से सबसे किफायती तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार में सभी उद्योग पत्तनों के निकट उद्योग स्थापित करने में अधिक रूचि दिखा रहे हैं। पत्तन आधारित उद्योग वैश्विक व्यापार में आजकल अत्यधिक आकर्षक उद्योग बन गए है। अतः, इन पत्तनों को विकसित करते समय, देश में हमारे पत्तनों पर पर्याप्त अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे पास लंबा चौड़ा तट होने के कारण और अधिक पत्तनों का विकास करने तथा मौजूदा पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने की काफी क्षमता है।

इससे देश के पत्तनों के आसपास के क्षेत्रों में और अधिक उद्योगों के लगने और पत्तन आधारित उद्योगों को अधिक आकर्षक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विगत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे देश भी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक थी। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी भागीदारी दो प्रतिशत से भी कम अथवा लगभग एक प्रतिशत है। हमारे समुद्री पारंपरिक व्यापारी बहुत सक्षम थे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक थी। अतः, सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए तथा पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

जैसा कि मैंने पहले कहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर कोई पत्तन आधारित उद्योग में रुचि दिखा रहा है। अब आवश्यकता इस बात कि है कि हम अपने पत्तनों पर आवश्यक अवसंरचना विकसित करे क्योंकि हमारे पत्तनों पर उनका अभाव है। सुरक्षा उपायों की भी बहुत आवश्यकता है। हमें बेहतर अवसंरचना तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में पत्तन आधारित पर्यटन का भी बहुत आर्कषण होता है। हमें पत्तनों को विकसित करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन पर सुरक्षा प्रदान करनी है ताकि हम अपने देश में अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सके। पत्तनों का विकास तथा उन पर सुरक्षा के उपाय करने से हमें पत्तन आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नियम बनाते समय वह श्रमिकों, नाविकों के अधिकार सुनिश्चित करें क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस विधान के अंतर्गत श्रमिकों नाविकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उन्हें सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि ये नियम बनाते समय वह श्रमिकों और नाविकों के अधिकार सुरक्षित रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बिजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 के समर्थन से खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सदियों से समुद्री गमन करने वाला एक देश रहा है। उन दिनों हमारे समुद्री यात्री चीन और ऐसे अन्य देशों की यात्रा करते थे जो समुद तट पर स्थित थे। हमारे पास बहुत लंबा समुद्र तटीय क्षेत्र है। मेरा मानना है कि इतने विशाल समुद्र तट पर हम गर्व कर सकते हैं जिसकी सुरक्षा करने का हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि समुद्र तट रेखा के कुछ अन्य जोखिम भी होते हैं। यह कहने के पश्चात मेरा यह कहना है कि यह विधेयक काफी समय से लंबित है। इसे बहुत पहले पेश किया जाना चाहिए था। परंतु मेरा यह कहना है कि आज भी इस विधेयक को सार्थकता है: यह एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक है और हमें इसे पारित करना चाहिए। यह कहने के बाद एक सदस्य ने स्थायी-समिति में उठाए गए मुद्दे पर समुचित चिंता व्यक्त की। परंतु मेरा यह मानना है कि 'सोलास' और इस कंवेशन पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 'सोलास' और इस कंवेशन जिनका प्रयोजन जहाजों और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है-सारी चिन्ताओं का समाधान हो जाता है।

वे सभी बातों जो कि स्थायी समिति ने उठाई थी स्वत: लागू हो जाती हैं क्योंकि वे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सभी संबंधित देशों द्वारा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किया जाता है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय इन सभी बातों का उल्लेख करेंगे। परंतु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उन दिनों भी समुद्री लुटेरे होते थे। आज भी समुद्री लुटेरे हैं।

इतनी विशाल समुद्री तट रेखा का लाभ उठाते हुए वे बहुत से लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं। भारत में जहाज आ रहे हैं छोटे जहाज भी लगे हैं और बड़े जहाज पत्तनों पर अपना कार्गो उतारते हैं। भारत के पास इतना विशाल समुद्री तट है कि उसका लाभ उठाते हुए अवैध तरीकों से लोग भारत में प्रवेश कर लेते हैं। तट रक्षकों अथवा नौसेना के लिए वस्तुत: उन्हें रोक पाना संभव नहीं है। यह एक चिंता की बात है। लोग अवैध तरीकों से अन्य देशों में भी जाते हैं। यह उन देशों की एक बड़ी समस्या है जिनके पास विशाल समुद्री तट है। आस्ट्रेलिया में यह समस्या हैं, हमारे देश में यह समस्या है; तथा यूरोप के बहुत से देश जहां पर लंबा समुद्री तट है उन देशों में भी यह समस्या है।

इसके साथ-साथ, पत्तन सुविधाओं को भी विकसित किया जाना है जिसके लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है। भारत में कार्गो के निर्यात और आयात के लिए जहाजों की आवाजाही होती है इसलिए, हमें उन पर अच्छी पत्तन सुविधाओं की आवश्यकता है अत:, हमें पत्तनों पर अवसंरचना में सुधार और उनका उन्नयन करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में आना चाहेंगी, चूंकि हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है अत:, मेरा यह मानना है यदि उनकी सहायता से इन सुविधाओं का उन्नयन किया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। हमारे पास बूट (बी.ओ.ओ.टी.) पद्धति अथवा शुद्ध 'टी' अथवा अन्य पद्धतियां हैं परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा निर्यात और आयात बढ़ रहा है।

यह करते समय, सभी कुछ हवाई मार्ग से नहीं भेजा जा सकता; वस्तुओं को समुद्री मार्ग से भी भेजा जाना होता है तो भारत में आने वाले तथा भारत से जाने वाले जहाजों का उपयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तन होने चाहिए। अत:, हमारे पास 'टर्न अराउंड' नामक सुविधा होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वे प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। जब कभी भी वे आते हैं तो वे केवल कार्गो उतार कर 'टर्न-अराउंड' करके वापस जाना चाहते हैं क्योंकि यदि एक दिन के लिए भी जहाज पड़ा रहता है तो विलंब शुल्क और अन्य प्रभारों के रूप में उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अत:, यदि हमारे आयात निर्यात को बढ़ाना है तो हमें पत्तनों का उन्नयन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आजकल भारतीय वस्तुत: 'मर्चेन्ट नेवी' में जा रहे हैं। ऐसे बहुत से भारतीय है जो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है क्योंकि हम भी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं; और हम काफी समय से समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर रहे है क्योंकि यह हमारी एक जीवन शैली रही है-गुजरात और महाराष्ट्र से सदियों से लोग समुद्री यात्रा करते रहे है। जब हम अच्छे नाविक होते है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, मर्चेंट नेवी आदि में काम मिलता है। ऐसे लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि उनका ध्यान रखा जाएगा। परंतु मेरा कहना है कि हमें व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वे दूसरे देशों का दौरा करते हैं उस समय कौन-कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। उसके सामने वीजा और अनुबंध संबंधी अन्य समस्याएं आती हैं। इन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं यह भी कह सकता हूं कि इन्हीं जहाजों से नाभिकीय अपशिष्ट और व्यापक विनाशकारी हथियारों को लाया जाता है। 'सोलास' कंवेशन से इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। हमें एक ऐसी पद्धति की जानकारी होनी चाहिए जिससे ऐसी वस्तुओं का पता लगाया जा सके तथा उन्हें भारत में आने से रोका जा सके। भारत में समुद्री मार्ग से हथियार आ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर वस्तुत: किस प्रकार ध्यान देने जा रहे हैं? केवल इस कंवेशन पर हस्ताक्षर करके हम इस समस्या से नहीं बच सकते। मेरा मानना है कि हमें इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। आठ माननीय सदस्यों, सर्व श्री रासा सिंह रावत, के.एस. राव, गणेश सिंह, रतिलाल कालीदास वर्मा, अधीर चौधरी, समिक लाहिरी, बी.के. त्रिपाठी और विजयेन्द्र पाल सिंह ने चर्चा में भाग लिया।

जैसा कि सभी सदस्य पहले ही कह चुके हैं, एस ओ एल ए एस, 1974 संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का 1976 में अनुसमर्थन किया गया था और यह 1980 में लागू हुआ। इस विशिष्ट कन्वेंशन को अनेक बार नवीनतम घटनाओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं,

[श्री टी.आर. बालू]

9/11 की घटना के कारण संपूर्ण विश्व पोत, पत्तन या किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए नवीनतम सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रति सचेत हो गया। जहां तक पोतों का संबंध है, 1974 एस ओ एल ए एस कन्वेशन में इसका ध्यान रखा गया है। परंतु जहां तक पोत सुविधाओं का संबंध है, आई एस पी एस कोड को इसे ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन कन्वेशन के अनुसार संपूर्ण विश्व में आई एस पी एस कोड लागू किए जाने के कारण हमें अपने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन करना होगा।

कुछ मित्रों ने कहा है कि इस विधेयक को दो से अधिक वर्ष तक लंबित रखा गया था। यह सही है परंतु इसे वैध कारणों से लंबित रखा गया था। अंतर-मंत्रालयीय चर्चा द्वारा यह अपेक्षा थी कि यह विधेयक सहज रूप से पारित हो जाए। यहां तक कि 2007 में भी रक्षा मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगें जिन्हें हमने स्पष्ट किया। हम इस विधेयक में कभी भी विलंब करना नहीं चाहते थे। दलगत हितों से ऊपर उठकर हर कोई इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। यह सब के हित में है। हम इसमें विलंब क्यों करेंगे?

मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग चुप नहीं है। मंत्रालय उदासीन नहीं है। विलंब के बावजूद मैं, सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 12 मुख्य पत्तन हैं और सभी पत्तन आई एस पी एस कोड का अनुपालन कर रहे हैं। 1 जुलाई, 2004 को सभी मुख्य पत्तन आई एस पी एस कोड का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे यहां 187 छोटे राज्य पत्तन हैं और इसमें से 41 गैर-मुख्य पत्तन आई एस पी एस कोड का अनुपालन कर रहे हैं। दोनों शिपयार्ड आई एस पी एस कोड का अनुपालन कर रहे हैं। विदेश जाने वाले सभी 300 पोत आई एस पी एस का अनुपालन कर रहे हैं। कुल 518 तटीय पोत है और इनमें से 150 तटीय पोत आई एस पी एस कोड का अनुपालन कर रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या हमारी प्रतिक्रिया उदासीन थी। हमने वही किया जो सरकार कर सकती थी।

मित्रों हम जो कदम अब उठा रहे हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना जिसके द्वारा पोत और पत्तन सुविधाओं के सहयोग से समुद्रीय परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का पता लगाकर उनसे निपटा जा सकेगा। यह न केवल पता लगाएगा अपितु उनका निवारण भी करेगा। इसलिए, यह विशिष्ट संशोधन अत्यंत आवश्यक है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस विधेयक को दलगत हितों से ऊपर उठकर काफी समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं प्रत्येक सदस्य को उत्तर देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। भाजपा से मेरे मित्र श्री रावत जी ने पूछा है कि इसमें विलंब क्यों हुआ। मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। जहां तक सेतु परियोजना का संबंध है, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। यह बिल्कुल भिन्न विषय है। इसके अतिरिक्त, यह मेरे और उस ओर बैठे मेरे कुछ मित्रों के बीच संक्षोभ उत्पन्न कर सकता है।

मेरे मित्र श्री के.एस. राव ने कहा है कि इन दिनों आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और उन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना का आदान-प्रदान सही ढंग से किया जाना चाहिए। हमने इन सभी बातों का ध्यान रखा है। विधेयक के पारित होने के बाद इनकी चिन्ताओं के निराकरण के लिए पर्याप्त नियम बनाए जायेंगे।

श्री गणेश सिंह और श्री कालीदास वर्मा ने कुछ मुद्दों का जिक्र किया है। यह कहा गया है कि भारत सरकार गुजरात में छोटे पत्तनों की स्थापना हेतु शीघ्र अनुमोदन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करें। जहां तक छोटे पत्तनों का संबंध हैं, केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में छोटे पोतों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। अतः गुजरात को निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार की सहायता से एक छोटा पोत प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार इसकी सिफारिश करती है तो हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि 11वीं योजना में इसकी स्थापना हो जाए।

श्री अधीर चौधरी ने विलंब के मामले को उठाया है और यह पूछा है कि क्या वर्तमान पत्तन आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि सभी पत्तन आई एस पी एस अनुपालक हैं।

श्री लाहिरी स्थायी समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के संबंध काफी चिंतित थे। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं। स्थायी समिति सिफारिश करेगी परंतु साथ ही इसमें सरकार का मत भी होगा। कुल 11 सिफारिशें हैं और इसमें से चार सिफारिशें जिनका आपने अभी उल्लेख किया पर विचार किया गया है। 11 सिफारिशों में से चार सिफारिशों पर सहमति दी गई है। वे चार सिफारिशें क्या हैं? इसमें नाविक पहचान दस्तावेज सम्मिलित हैं, जिसे नियम बनाते समय तैयार और अधिसूचित किया जाएगा। दूसरा प्रतिरोध गतिविधि से संबंधित है। प्रतिरोधी गतिविधि का धारा 3 (44 क) (ii) में ध्यान रखा गया है। इसे प्रस्तावित संशोधन में सही ढंग से समाहित किया गया है। आप कृपया संशोधन को देख लें।

दूसरी बात 'ऐसा अन्य प्राधिकारी' शब्दों की अस्पष्टता से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि इसका दुरूपयोग किया जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा अन्य प्राधिकारी शब्दों के स्थान पर 'अभिहित प्राधिकारी' शब्द प्रतिस्थापित किये गए हैं।

अब 'अभिहित प्राधिकारी' शब्दों को सम्मिलित कर लिया गया है। अत: अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। इसके बाद मैं श्री त्रिपाठी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। उन्होंने क्रूज शिपिंग नीति के बारे में पूछा यह विचाराधीन है। यह तैयार किए जाने की प्रक्रिया में है। मैं समिति का सभापति हूं और माननीय पर्यटन मंत्री इसकी सदस्य हैं। हम नीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जायेगा और हमें आशा है कि इसे यथाशीघ्र स्वीकार कर लिया जाएगा।

अगला प्रश्न आई एस पी एस विधान के तहत नाविकों और पोत कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में था। इस मुद्दे का धारा 344 (ड) के परंतुक में ध्यान रखा गया है, जिसमें मानवीय पहलु पर विचार करने का प्रावधान है इसका प्रस्ताव विधेयक में पहले ही किया जा चुका है मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया विधेयक को देखें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह ने जन संहार के कुछ हथियारों के बारे में बात की उन्हें इस बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पत्तनों से जाने वाले सभी पोत आई एस पी एस का अनुपालन करते हैं और ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती हैं। इसके साथ ही जब हमारे पोत हमारे पत्तनों में प्रवेश करते हैं या हमारे पत्तनों से जाते हैं तो उन पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है और उनकी निरंतर निगरानी की जाती है। हम इस संबंध में सब बातों का ध्यान रख रहे हैं। इस संबंध में, मैं, सभा को सूचित करना चाहूंगा कि जे एन पी टी पत्तन में हमने एक एक्स रे मशीन लगाई है जहां प्रत्येक वैगन को एक्स रे मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय पत्तनों में कोई ऐसे ही प्रवेश कर सकता है। वस्तुत: कोई भी पत्तन किसी हिंसा या अन्य घटना के लिए भेद्य नहीं है। माननीय सदस्य इस बात की चिंता न करें।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्य अभी भी कुछ मार्ग दर्शन और सलाह देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे मुझे लिख सकते हैं और मैं निश्चित रूप से उनके सुझावों पर विचार करूंगा और देखूंगा कि उचित कार्यवाही की जाए।

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): सरकार पोतों और पत्तनों में कार्यरत कर्मियों के हितों की रक्षा करना कैसे सुनिश्चित करेगी? इस प्रश्न को अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। क्योंकि सुरक्षा के नाम पर कर्मियों को परेशान किया जा सकता है।

श्री टी. आर. बालू: विधेयक में मानवीय पहलु को ध्यान में रखा गया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कृपया विधेयक का अध्ययन करें।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

धारा तीन का संशोधन

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 2 पंक्ति 16 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(ii) किसी अन्य प्रतिकूल कृत्य और प्रभाव के विरुद्ध जिससे समुद्रीय परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा होता है।" (3)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया।
खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6

नये भाग 9ख का अंत: स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 17 और 18

"या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जो उसके द्वारा अभिहित किया जाएगा" के स्थान पर "या अभिहित प्राधिकरी, यथास्थिति", प्रति स्थापित किया गया। (4)

प्रष्ठ 4, पंक्ति 24 से 26 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"344 5(1) केन्द्रीय सरकार या अभिहित अधिकारी, यथास्थिति, तट छुट्टी (शोर लीव) जैसे मान व तत्व पर विचार करके, संरक्षा स्तर अधिकथित करेगा और उसकी सूचना सभी भारतीय पोतों को, जैसी कि विहित की जाए, देगा।" (5)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 और 2

"या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जो उसके द्वारा अभिहित किया जाए" के स्थान पर "या अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, यथास्थिति", प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और आरंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6-

"2004" के स्थान पर "2007" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

"पचपनवें" के स्थान पर "अट्ठानवें" प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

(श्री टी. आर. बालू)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री टी. आर. बालू: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.13 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम देश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा नामक मद संख्या 13 लेंगे।

माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, जिनका नाम आज नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरंभ करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री अनंत

कुमार को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष ने भी उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री अनंत कुमार को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दे दी है।

अब, श्री अनंत कुमार चर्चा आरंभ करें।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं अपने देश में अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ से उत्पन्न भयावह स्थिति के बारे में बहुत पीड़ा के साथ कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे देश में बाढ़ की गंभीरता को वर्णित करते हुए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक वक्तव्य दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे "भारत और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को अपनी याद्दाश्त में भयंकरतम स्थिति" कहा है। संयुक्त राष्ट्र का वक्तव्य है कि बाढ़ का प्रकोप और परिणाम और इससे प्रभावित लोगों की विशाल संख्या हेतु शीघ्र आवश्यक मानवीय सहायता को उन तक पहुंचाने के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती पैदा करती है।

हम बाढ़ के कारणों से भी अवगत हैं दुर्भाग्यवश, इस वर्ष भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों में ग्रीष्म काल में वर्षा सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार, केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी वाले 71 विशाल जलाशयों में से 41 जलाशय कुल भण्डारण क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक तक चले गए हैं। गंगा, सिंधु और गोदावरी जैसी प्रमुख नदियों में 21 जून की स्थिति के अनुसार पिछले दस वर्षों के औसत से अधिक पानी है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदन को देना चाहता हूं। हम लोग इसी विषय पर बहस भी कर रहे हैं। अभी-अभी जानकारी मिली है कि बिहार के बेतिया में बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित लोगों पर पुलिस क्रूरा लाठीचार्ज किया गया जिसमें 100 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह स्थिति मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। उसमें दस आदमी मरणासन्न स्थिति में हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी इस विषय पर डिस्कशन चल रहा है। आप चर्चा के दौरान अपनी बात रखिये।

श्री राम कृपाल यादव: मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया बैठिये।

श्री राम कृपाल यादव: राहत मांगने वालों को राहत नहीं देकर उन पर लाठीचार्ज किया जाए, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी?...*(व्यवधान)* यह सरकार है?

सभापति महोदय: आपने माननीय मंत्री जी के नोटिस में बात ला दी है।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): ये लाठीचार्ज की जानकारी दे रहे हैं जो बिहार में 15 साल शासन में रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): वहां गोलियां चली हैं। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप स्थान ग्रहण करें। अब कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: गणेश प्रसाद जी, आप स्थान ग्रहण करें। रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अनंत कुमार जी की बात के अलावा और कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सभापति जी, बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी राहत कार्यों में सन्नद्ध हैं और सरकार राहत कार्यों में लगी हुई है। मैं सदन के सभी सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब वहां बाढ़ आई हुई है और राहत कार्य चल रहे हैं, उसमें हमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

[श्री अनंत कुमार]

महोदय, पूरे देश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्य प्रभावित हैं। 22 से अधिक राज्य प्रभावित हैं; 192 जिले प्रभावित हुए हैं; और 24,472 से भी अधिक गांव पूरी तरह डूब गए हैं। लगभग 22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है; 1,483 से भी अधिक लोगों की जाने गई हैं; एक लाख से भी अधिक पशुधन का नुकसान हुआ है; 330 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं; और 6.40 लाख से भी अधिक मकान नष्ट हो गए हैं। ये सभी चीजें हुई हैं।

यह पूरे देश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण मात्र है। कर्नाटक राज्य की भी यही स्थिति है। कर्नाटक में बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण पहली बार 4,200 करोड़ रु. का भारी नुकसान हुआ है। राज्य के अनेक जिले जैसे बीजापुर, भागलकोट, धारवाड़, कारवार, हवेरी, बेलगम, देवनगेरे, शिमोगा, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, कुर्ग और बेल्लारी प्रभावित हुए हैं। अनेक जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

हमारे राज्य ने पहले ही राहत के लिए अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। भारत सरकार की अधिकारिक प्रेस विज्ञाप्ति को देखकर मुझे दुख हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2007-08 के लिए 4,258 करोड़ रु. की आपदा राहत निधि, प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,292 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष केन्द्रीय बजट में आपदा राहत कोष के लिए "एक्स" राशि का प्रावधान किया जाता है।

उसमें एक-चौथाई हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा तथा तीन-चौथाई, हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री ने मुझे बताया है कि हलांकि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन दे दिए हैं, परंतु कर्नाटक राज्य को अभी तक एक पैसा भी जारी नहीं किया गया है। यह कर्नाटक राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार है। मैं नहीं जानता कि राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, जब वह अपना उत्तर देंगे, तो उनसे यह भी जानना चाहूंगा—हम यह नहीं जानना चाहते कि कितना उपलब्ध कराया गया और कितने का प्रावधान किया गया—लेकिन अन्य राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई। मेरे विचार से यह सबसे महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री की बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा:

"कर्नाटक राज्य के प्रति केन्द्र का रवैया हमेशा से असहयोगात्मक रहा है। कुमारास्वामी ने कहा जब भी मदद मांगी जाती है, केन्द्र को उचित राहत नीति तैयार करनी चाहिए।"

यह कर्नाटक के लोगों का रोष है। हमने 4,000 करोड़ रु. से अधिक का राहत पैकेज मांगा है। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री तथा केन्द्र सरकार आपदा राहत कोष के माध्यम से कर्नाटक सहित सभी 20 राज्यों की तत्काल मदद करेंगे।

महोदय, यदि केन्द्र सरकार का मानना है कि बाढ़ के मामले में यह देश की सबसे बड़ी त्रासदी है, तो केवल 1,284 करोड़ रु. ही क्यों जारी किए गए हैं? पूरी राशि क्यों जारी नहीं की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल जैसे राज्यों जहां बाढ़ के कारण तबाही हुई है, इन राज्यों के लिए असाधारण अनुदान अथवा पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की गई है? मैं महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पक्षपातपूर्ण रवैया, दिखावटी सहानुभूति और किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, हमने एक नोट तैयार किया है और इसे सभी माननीय सदस्यों के बीच परिचालित किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में कितना नुकसान हुआ है, प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की आवश्यकता है, कितनी सहायता दी गई है और उन्हें क्या सहायता दी जा सकती है। अब अगर आप ऐसा कहते हैं कि हम कर्नाटक के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो यह केवल राजनीति है। मैंने यह दस्तावेज माननीय सदस्यों के हाथों में दिया है और इसमें प्रत्येक राज्य के बारे में कहा गया है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, यह नोट हमें नहीं मिला है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप इसे प्रकाशन फलक से प्राप्त कर लें...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं केवल कर्नाटक के लोगों की व्यथा को आपके सामने रख रहा हूं, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारिक प्रेस कान्फ्रेंस में व्यक्त की गई हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह कहा जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार: मैं जानता हूं कि इस धनराशि का बजट में प्रावधान किया जाता है और उन्हें निर्दिष्ट किया जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि दसवें वित्त आयोग से बारहवें वित्त आयोग तक विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। यह अनिवार्य धनराशि है। हम यही मांग रहे हैं। हम सामान्य अनुदान से अधिक धनराशि चाहते हैं। हमें एक पैकेज चाहिए। यदि "एक्स" राज्य को पैकेज दिया जा रहा है, यदि "वाई" राज्य को पैकेज दिया जा रहा है, तो कर्नाटक राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य ने पहले ही जुलाई में एक ज्ञापन दिया था। अब वे पुन: राहत के लिए 4200 करोड़ रु. से अधिक राशि का एक अन्य ज्ञापन लेकर आ रहे हैं। इसीलिए, हम असाधारण सहायता के लिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक राज्य में पहली बार बाढ़ के कारण 237 से अधिक लोगों मारे गए हैं।

माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील ने गुवाहाटी और पटना का दौरा किया। श्रीमती सोनिया जी भी उनके साथ गई थी। असम सरकार के प्रवक्ता ने गुवाहाटी में कहा असम में बाढ़ ने जून से 27 जिलों में से 26 को तबाह कर दिया है। कांग्रेस नेता ने पूर्वी असम का दौरा भी किया। यूपीए प्रमुख ने मुख्य मंत्री को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।" असम सरकार के वक्ता ने यह कहा। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है यदि यूपीए अध्यक्षा देश के विभिन्न भागों का दौरा करती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है। बाद में, पटना में सोनिया जी और पाटील जी ने राज भवन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति पर एक घण्टे तक चर्चा की यह पटना में था। यद्यपि, सोनिया जी मीडिया से दूर रहीं परंतु राज भवन के अंदर उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी असम राज्य से चुने गए हैं। वह असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह देश के मुख्य कार्यकारी हैं। मैं, माननीय गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। हमें आशा थी कि माननीय प्रधानमंत्री उन महत्वपूर्ण राज्यों का दौरा करेंगे जिन राज्यों को बाढ़ ने तबाह कर दिया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: वह कर्नाटक के दौरे पर गए थे।

श्री अनंत कुमार: हमें आशा थी कि वे कर्नाटक आएंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: वह कर्नाटक गए थे।

श्री अनंत कुमार: वह कर्नाटक नहीं आए...*(व्यवधान)* वह बाढ़ का जायजा लेने नहीं आए थे।

श्री शिवराज वि. पाटील: चर्चा के स्तर को नीचा नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* पिछले वर्ष मैं कर्नाटक गया था...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: इससे चर्चा का स्तर नीचा नहीं हो रहा है। मैंने आपकी बात स्वीकार नहीं की है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: पिछले वर्ष मैं कर्नाटक गया था। मैं असम नहीं जा सका...*(व्यवधान)* यह क्या है? मैं मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के साथ कर्नाटक के दौरे पर गया था परंतु मैं असम नहीं जा सका। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते कि मंत्री और प्रधानमंत्री प्रत्येक स्थान का दौरा करें...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मेरा मानीय गृह मंत्री जी केवल यही अनुरोध है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह भारत में सबसे भयंकर बाढ़ थी। जब स्थिति यह हो, तो मैं आशा करता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री असम, पूर्वोत्तर, कर्नाटक, गुजरात, केरल और उड़ीसा का दौरा करें, जो सबसे अधिक प्रभावित थे। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने दौरा क्यों नहीं किया...*(व्यवधान)*

माननीय गृह मंत्री जी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ जा सकते हैं परंतु वह कांग्रेस अध्यक्षा के साथ हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यही इस त्रासदी को हल्के तौर पर ले रहे हैं। इस पर राजनीति कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं यूपीए सरकार पर देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने में निर्दयता का प्रदर्शन करने का आरोप लगाता हूं। मैं इसके वैज्ञानिक कारण दूंगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दूरदृष्टि और बेहतर पूर्वानुमानों की आवश्यकता है। वे शासन के लिए उत्तरदायी हैं। पिछले वर्ष, हम आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने अनेक संगठनात्मक ढांचों की स्थापना का प्रस्ताव किया था। मुझे लगता है कि वे संसद और संसद के माध्यम से देश के संपूर्ण लोगों के प्रति जवाबदेह हैं कि ये तंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं।

मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घ-कालिक पूर्वानुमानों ने किसानों को हाल ही में आई बाढ़ और इससे उनकी फसलों को होने वाली क्षति के संबंध में चेतावनी नहीं दी।

मैं यह भी उद्धरण करना चाहूंगा कि महोदय इस वर्ष के क्षेत्रीय पूर्वानुमान मानसून की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में इसकी

[श्री अनंत कुमार]

अपनी लम्बी अवधि औसत अर्थात एल पी ए की 90% वर्षा होगी, उत्तर-पूर्व भारत में एल पी ए की 98% वर्षा होगी। मध्य भारत में एल पी ए की 96% और दक्षिण प्रायद्वीप में एल पी ए की 94% वर्षा होगी। यह वर्षा का समान वितरण दर्शाता है जैसा कि मानचित्र से देखा जा सकता है। देश के अनेक ऐसे भाग हैं जहां लगभग 200% वर्षा हुई है। मैसम विज्ञान विभाग ने 90%, 95% या 98% की आशा की थी जबकि वर्षा 200% तक हुई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि, महोदय क्या समस्या है और हम कहां गलत जा रहे हैं? हम वर्षा, अप्रत्याशित वर्षा और बाढ़ के बारे में पूर्व घोषणा करने और पूर्व चेतावनी देने में असमर्थ क्यों रह रहे हैं?

मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं, गृह मंत्री महोदय के राज्य से रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में, 10 जुलाई 2007 को महाराष्ट्र हेतु नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान मण्डल के पटल पर 18 अप्रैल को रखा गया। इसमें वर्ष 2005-06 में बाढ़ उपरांत आपदा राहत व्यय की संवीक्षा की गई थी। हमारे बाढ़ राहत कार्यक्रम क्यों असफल हो रहे हैं? मैं सोचता हूं कि इससे हमारी आंखें खुल जाएंगी। बाढ़ हेतु तैयारी और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पुनर्वास पर व्यय की निष्पादन लेखा परीक्षा दर्शाती है कि बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी नहीं थी। यह महाराष्ट्र पर सी ए जी रिपोर्ट है, प्रभावित व्यक्तियों की उपयुक्त ढंग से पहचान किये बिना राहत सहायता दी गई। वित्तीय प्रबंधन त्रुटि युक्त था और राहत एवं पुनर्वास गतिविधियों पर निगरानी असंतोषजनक थी। महोदय, सी ए जी रिपोर्ट में आगे कहा गया है। मैं इसे सम्मानित सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 2005 की बाढ़ आपदा से कोई सबक नहीं लिया गया। नांदेड और सांगली जिलों और कोल्हापुर जिले के 3 तालुकाओं में वी एच एफ तंत्र कार्य नहीं कर रहा था। इसके 2006 की बाढ़ आपदा में यद्यपि संघ सरकार द्वारा 1981 में तैयार आदर्श कार्य योजना मानसून के प्रारंभ होने से पूर्व रिहायशी क्षेत्रों से गुजरने वाली नालियों की नियमित सफाई पर बल दिया गया है, फिर भी सी ए जी की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि महाराष्ट्र के जिन 10 जिलों जहां लेखा परीक्षा समीक्षा की गई थी किसी भी जिले में से प्रशासनिक विभागों जिला प्राधिकारियों और स्थानीय निकायों को नालियों की सफाई के लिए अनुदेश जारी नहीं किए गए थे। यहां तक कि जुलाई-अगस्त 2005 में बाढ़ आपदा के बाद नदियों से गाद हटाने, पानी निकासी प्रणालियों में सुधार हेतु दीर्घगामी योजनाएं किसी भी जिले में लागू नहीं की गई थी। मुम्बई के मामले में सरकार की वस्तुस्थिति का पता लगाने वाली माधवराव चितले समिति की सिफारिशों पर मुम्बई की मीठी नदी की गाद निकालने और उसे चौड़ा करने का कार्य किया गया था। परंतु मैं उद्धरण करता हूं—यह काफी महत्वपूर्ण है—परंतु यहां भी सी ए जी मुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के इस दावे की पुष्टि करने में असमर्थ रहा कि नदी से 12.96 लाख घन मीटर गाद, मलबा और पत्थर निकाले गए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, अभी माननीय सदस्य श्री राम कृपाल यादव जी ने बेतिया में लाठी चलने की चर्चा उठाई। अभी हम बेतिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके आ रहे हैं। आज बेतिया में कोई लाठी नहीं चली है। बेतिया इलाका बाढ़ से पूर्ण प्रभावित नहीं है, बल्कि जिन लोगों की बरसात से फसल बर्बाद हुई है, वे लोग कल आये हुए थे। उन लोगों ने कल पुलिस पर ईंट-पत्थर चलाये थे, जिससे दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गये और एक भी पब्लिक का आदमी घायल नहीं हुआ। गलत तरीके का आरोप सदन में किसी सदस्य को नहीं लगाना चाहिए, जिम्मेदारीपूर्वक बात करनी चाहिए, इतनी गैर-जिम्मेदारीपूर्वक बात नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप स्थान ग्रहण करिये।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष केन्द्र और राज्य के बीच सामंजस्य न होने की एक और घटना प्रकट करना चाहूंगा जिसके कारण बार-बार बाढ़ आ रही हैं। मैं असम सरकार के जल संसाधन मंत्री के कथन का उद्धरण करना चाहूंगा। असम के जल संसाधन मंत्री श्री भरत चन्द्र नारह ने कहा:

> "यद्यपि, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन ई ई पी सी ओ) ने मीडिया रिपोर्टों का खण्डन किया है कि इसने अपनी रंगा नाधी परियोजना से पड़ोसी राज्यों को पानी छोड़ा है, असम सरकार संतुष्ट नहीं थी। हमें संदेह है कि एनईईपीसीओ ने रंगा नाधी से पानी जारी किया है। अन्यथा, लखीमपुर और धेमाजी के बड़े हिस्से बिना किसी भारी वर्षा के किस प्रकार पानी में अचानक डूब गये।"

महोदय, मैं इन सभी मामलों को माननीय गृह मंत्री के संज्ञान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि देश में इस बाढ़ स्थिति के नियंत्रण और बाढ़ से तबाह क्षेत्रों में लोगों की सहायता करने और उनके पुनर्वास के लिए संपूर्ण सभा उनके साथ है। भारत सरकार ने अगस्त 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई थी बाढ़ प्रबंधन भूमि कटाव और नियंत्रण पर एक कार्य बल गठित किया था।

माननीय प्रधानमंत्री संसद में असम राज्य का प्रधिनिधित्व करते हैं इसलिए मैं चाहता था कि वे असम का दौरा करें। इस कार्यबल को असम और कुछ अन्य निकटवर्ती राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ों की समस्या पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था और इसके प्रमुख केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष थे। कार्यबल ने 12 दिसम्बर, 2004 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसका अर्थ है कि इसने अपने गठन के छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। कार्यबल ने कुल 4,982.10 करोड़ रुपये की राशि के अनेक बाढ प्रबंधन कार्यों की सिफारिश की थी जिसमें 310.14 करोड़ रुपये की राशि तत्काल कार्यों और 2030.15 करोड़ रुपये की राशि अल्पावधि कार्यों और 2635.81 करोड़ रुपये की राशि अल्पावधि कार्य श्रेणी-2 के लिए थी जिन्हें क्रमश: 6 माह, 2 वर्ष और 7 वर्ष में लागू किया जाना था। यद्यपि, राज्य सरकारों को सभी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी थी और योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति हेतु तैयार करना था और कार्यान्वयन हेतु एजेन्सियों को अवगत करा कर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करनी थी। मेरा प्रश्न यह है कि कार्य बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन का क्या हुआ है? यदि इन सिफारिशों को असम राज्य और संपूर्ण पूर्वोत्तर हेतु लागू किया गया होता, तो क्या अब बाढ़ ने असम को तबाह किया होता?

महोदय, यहां तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यदि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना है तो इसे केवल बिहार सरकार के प्रयासों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, परंतु भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सरकार की एक बैठक होनी चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है क्योंकि केवल इसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़, को नियंत्रित किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर पर एक बैठक होगी क्योंकि यह बिहार में बाढ़ का लगातार तीसरा वर्ष है।

महोदय, माननीय गृह मंत्री ने बताया कि उनहोंने बाढ़ नियंत्रण के लिए की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में माननीय ससंद सदस्यों को एक रिपोर्ट परिचालित की है। मैं उनका ध्यान वर्ष 2006-07 की गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। पैरा 8.22 में 2006 में प्राकृतिक आपदाएं' शीर्षक के अंतर्गत यह बताया गया है।

"संर्पूण रूप में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, तेज बाढ़, बाढ़ों, भूस्खलनों, बादल फटने और चक्रवाती तूफानों द्वारा 22 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न प्रकार से प्रभावित हुए, राज्यों से प्राप्त हुई प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 47.74 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान हुआ और 8.82 लाख मकान प्रभावित हुए, इसके अतिरक्त 2,643 लोगों और 1,15,783 मवेशी की जानें गईं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में बाढ़ की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी।"

यह अंतिम वर्ष है। मैं इसी प्रकार इससे पूर्व के वर्ष हेतु भी आंकड़े पढ़ सकता हूं। इसलिए हम जो मांग और आग्रह कर रहे हैं वह यह है कि एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का भी यही कहना है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड के नॉटिंघम विश्वविद्यालय के भौतिक भूगोल विभागाध्यक्ष, प्रो. कोलीन थॉर्न कहते हैं—पर्यावरण परिवर्तन के लिए आप किन्हीं विशिष्ट घटनाओं को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। परंतु दूसरी ओर बाढ़ को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां और अधिक बार उत्पन्न होंगी वर्तमान की तुलना आने वाले प्रत्येक वर्ष में और अधिक बाढ़ आएंगी। इसलिए ऐसी संभाव्यता है कि हम और विनाशकारी घटनाएं देखेंगे।"

लंकाशायर विश्वविद्यालय के प्रो. ग्राहम चैपमेन एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कहा है: "आप को ऐसा समाज बनाना होगा जो इसके साथ रहना सीखे। बाढ़ों से सबसे पहली सीखने वाली बात यह है कि आप इन्हें रोक नहीं सकते, आपको इनके साथ रहना होगा।" जब स्थिति ऐसी हो, तो हम आशा करते हैं कि संघ सरकार, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और श्री शिवराज पाटील गृह मंत्री के मार्ग निर्देशन में बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए और गंभीर कदम उठायेंगे।

महोदय, माननीय गृह मंत्री ने 2006-07 की रिपोर्ट में यह बताया है: "सरकार ने 26 दिसम्बर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है"। यह बिल्कुल ठीक है। परंतु इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्य और जिला स्तरों पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा अवशमन कोष और इसी प्रकार के कोषों की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम में आपदा प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय निकायों की विशेष भूमिका का भी उपबंध है।

मेरा माननीय गृह मंत्री से सीधा प्रश्न यह है कि क्या हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना कर ली है। क्या उन्होंने राष्ट्रीय आपदा अवशमन कोष की स्थापना कर ली है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस अधिनियम को यह कहकर लाया गया है कि वर्तमान दोनों कोष अर्थात् आपदा सहायता कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम ये नए उपाय कर रहे हैं और अधिनियम को 2005 में पारित किया गया। अब, क्या किया गया है? क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं? यह मूल प्रश्न हैं?

[श्री अनंत कुमार]

मैं एक और महत्वपूर्ण बात उठाना चाहूंगा कि हम बार-बार इस सम्माननीय सभा, के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कहते हैं कि सी आर एफ दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए। अब क्या हुआ है कि जब बाढ़ आती है और एक हेक्टेयर के लिए क्षति...

श्री शिवराज वि. पाटील: हमने इसमें संशोधन कर दिया है। हमने इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि की है और हमने इसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया है। यह केवल दो माह पूर्व हुआ है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, यह 35 प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि यह पूर्व दिशानिर्देश के अनुसार 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर था।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम ऐसा पहले ही कर चुके हैं। हम इसका उल्लेख भी कर चुके हैं।

श्री अनंत कुमार: हम यह मांग कर रहे हैं कि यह प्रति हेक्टेयर नहीं बल्कि प्रति एकड़ 4000 रुपए दिए जाएं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह एक अलग मामला है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मृत्यु, गंभीर चोट, मकान क्षति, फसल नुकसार, हरेक के लिए 4000 रुपए दिए जाने चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह अंतिम पृष्ठ में दिया गया है। यदि आप अंतिम पृष्ठ देखेंगे तो यह वहां है। प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात वित्त आयोग एक रिपोर्ट देता है और उसके उपरांत मानदंडों को संशोधित किया जाता है। तदनुसार, 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मानदंड संशोधित किए गए हैं और मानदंडों में किस तरीके से संशोधन किया गया है, यह इस पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ में दिया गया है।

यदि आप इसे देखेंगे तो आप इसे वहां पायेंगे। मुझे याद है कि आप पिछली बार इस पर बल दे रहे थे। आपने भी इसे संशोधित कराने में योगदान दिया है।

श्री अनंत कुमार: धन्यवाद, महोदय, माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध यह है। वह हर बात को बेहतर जानते हैं। इन सीआरएफ दिशानिर्देशों ने मंत्री समूह का भी गठन किया है। आप उसके अध्यक्ष थे; माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री भी सी आर एफ दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु मंत्री समूह में शामिल थे। परंतु प्रश्न यह है कि हम क्या मांग कर रहे हैं? हम सभा में तीन चीजों की मांग कर रहे थे। प्रथतम: हम शुष्क कृषि में फसलों की क्षति हेतु क्षतिपूर्ति, संचित भूमियों में फसल क्षति हेतु और बागवानी भूमि में फसल क्षति हेतु क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। परंतु मात्र 35 प्रतिशत वृद्धि 2.4 एकड़ के लिए 1000 रुपये, प्रति हेक्टेयर का कोई लाभ नहीं है। यह अल्प राशि है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह एक अलग मामला है।

श्री अनंत कुमार: इसलिए हम सी आर एफ दिशानिर्देशों में सही प्रकार से संशोधन किए जाने की मांग कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री अनंत कुमार, आप कितना समय और लेंगे?

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अपनी बात समाप्त करने से पहले मेरी संघ सरकार से यह मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री को उन विभिन्न राज्यों का दौरा करना चाहिए जिन्हें बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है जैसे कर्नाटक, पूर्वोत्तर में उनका स्वयं का राज्य असम, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। माननीय प्रधानमंत्री को बाढ़ से हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इन सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए।

दूसरे, हम वर्षों से दी जा रही अनुग्रह राशि में आपदा राहत कोष संबंधी दिशा निदेशों की समीक्षा के अनुसार मात्र 35 प्रतिशत की वृद्धि से संतुष्ट नहीं है। यह वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित होने चाहिए। अत: हमारी मांग है कि फसल की हानि के लिए 4000 रु. प्रति एकड़ की न्यूनतम राशि दी जाए।

तीसरे, कार्यबल की चाहे जो भी सिफारिशें हों उन्हें समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमारे पास उनकी स्थिति संबंधी पत्र नहीं हैं कि उन्हें कार्यान्वित किया गया है या नहीं।

चौथे, मुझे यह नहीं मालूम कि इस यू.पी.ए. सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी मुद्दे को ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है।

मैं पुन: उस कार्य बल की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। कार्यदल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है:

"भंडारण बांधने जैसा कि प्रस्ताव किया गया है कि निर्माण से बाढ़ की गंभीरता और उससे अब होने वाले नुकसान में भारी कमी होगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ में लगभग 30 प्रतिशत की कमी होगी।

अलग-अलग स्थानों पर होने वाली वर्षा में भारी अंतर के कारण देश के कुछ भागों में बार-बार बाढ़ आती रहती है और अन्य क्षेत्रों में भयंकर सूख पड़ता है। विशेषकर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों जो हमारे देश के 60 प्रतिशत जल संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करती है, में बार-बार बाढ़ आती रहती है। बाढ़ से होने वाली क्षति जो 1953 में 52 करोड़ रुपए थी, 1998 में बढ़कर 5,846 करोड़ रुपए हो गई जिसका वार्षिक औसत 1343 करोड़ रुपए हैं तथा असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित हो रहे हैं। महोदय, अब दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं तथा असंख्य मानव कष्टों का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े क्षेत्रों को बार-बार सूखे का सामना करना पड़ता है।"

अत: मेरे प्रिय मित्र श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने एक भव्य योजना बनाई है जिसकी योजना श्री एम. विश्वेश्वरैया से लेकर डा. अम्बेडकर तथा डा. अम्बेडकर से के.एल. राव तथा श्री राव से लेकर राजीव गांधी द्वारा बनाई गई थी कि देश में नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य पूरा किया जाना चाहिए और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। देश में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने का केवल यही एक स्थायी समाधान है।

अत: मेरा संघ सरकार से यह अनुरोध है कि इस संबंध में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और न ही कोई भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए इसके लिए केवल झूठे सहानुभूति या घड़ियाली आंसू नहीं बहाए जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा यह कहा है कि

[हिन्दी]

कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, लेकिन आज आम आदमी, किसान तो बाढ़ में बह गया है और ऊपर से, एरियल सर्वे करते हुए हाथ दिखा रहे हैं।

[अनुवाद]

अब उन्हें जाग जाना चाहिए और देश में व्याप्त बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को भी समझना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र देशों के अनुसार इस देश के इतिहास में यह सबसे ज्यादा विनाशकारी बाढ़ है। अत: उन्हें प्रशासन को सक्रिय करना चाहिए और एक समयबद्ध तरीके से बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों को तुरंत राहत देनी चाहिए।

अपराह्न 3.51 बजे

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि यह बाढ़ यूनाइटेड नेशन्स की ओपिनियन में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ है, जिसे आज देश देख रहा है। इस राज्य में जो बाढ़ का प्रकोप देखा गया, वह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह बहुत ही भयानक बाढ़ है। मैं खुद बिहार में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आदि कुछ जगहों को देखकर आया हूं। बिहार में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ है वहां इससे निपटने में बहुत सी कमियां भी देखने को मिली जैसे कि लोगों के पास रिलीफ ठीक से नहीं पहुंची। वहां पर्याप्त नाव नहीं है। मैं 200 किलोमीटर तक गया लेकिन मुझे एक भी नाव नजर नहीं आई। पहले सात-आठ दिनों में कोई रिलीफ नहीं पहुंची, बाद में धीरे-धीरे रिलीफ पहुंचनी शुरू हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाढ़ आएगी, यह मालूम है। जब मालूम है तब भी पहले से तैयारी नहीं की गयी। 4300 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट में 393 जगहों के बारे में रिपोर्ट आई थी कि वहां रिपयेर करना है, लेकिन वह काम अभी भी बहुत जगहों पर शुरू नहीं हुआ है पहले इसे मई माह में शुरू करने के लिए तय किया गया था, लेकिन वह शुरू नहीं हुआ। यह मालूम है कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन उससे बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में 13 जिलों में, केरल में 14 जिलों में, आंध्र प्रदेश में 14 जिलों में, असम में 27 जिलों में, उड़ीसा में 9 जिलों में, गुजरात में 22 जिलों में, राजस्थान के 11 जिलों में और कर्नाटक व महाराष्ट्र में बाढ़ आई है। यह बहुत भयानक है, इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ लोग इस बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में, यह कोई सिखाने की बात नहीं है। आजादी के इन 60 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं है, जब देश में बाढ़ नहीं आई हो। बिहार में तो यह अक्सर होता है क्योंकि वहां नेपाल से पानी आता है। ऐसा ही बंगाल में और ईस्टर्न रीजन में भी होता रहता है। आजकल तो राजस्थान, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, में भी बाढ़ आने लगी है। गोरखपुर अभी भी खतरनाक स्थिति में है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): चाइना में भी बाढ़ आ गयी है।

श्री हन्नान मोल्लाह: चाइना ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में बाढ़ आई है। लंदन और जर्मनी में भी बाढ़ आई है। यह कोई

[श्री हन्नान मोल्लाह]

पोलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए देखना होगा कि किस तरह से इसका एक होकर मुकाबला किया जाए।

मैं पिछले 60 साल का एवरेज देख रहा था कि औसतन हर साल कितना खर्च होता है। मैं बताना चाहता हूं कि हर साल 1360 करोड़ रुपए औसतन खर्च होते हैं, 1560 लोगों की मौत होती है और एक लाख कैटल्स की मौत होती है। यह काफी बड़ा नुकसान है। हम हर साल बाढ़ के बाद रिलीफ और पुनर्वास का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि आज रिलीफ एक उद्योग बन गया है। इससे पीड़ितों की अपेक्षा दूसरे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए इस परिस्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए, यह देखना जरूरी है।

हाल में आई बाढ़ के कारण काफी जगहों पर कटाव हो गया है। बिहार के बहुत जिलों में नार्थ-ईस्टर्न रीजन में कटाव हुआ है। वहां से त्रूसराय में नेशनल हाइवे टूट गया है। इसके अलावा इरोजन भी काफी नदियों में हो रहा है, जिसका कारण एम्बैंकमेंट में कटाव हो रहा है। गंगा का अनुभव हमें काफी है। हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश में मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया में हमने इसे काफी देखा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र में भी काफी इरोजन होता है। इसलिए हमें बड़ी योजना बनाने के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे यह रुक सके। इसके लिए हमें सबसे पहले उन कारणों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बाढ़ आती है। ब्रिटिश काल से एम्बैंकमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी चल रहा है। उससे यह होता है कि साइड ऊंची हो जाती है और जमीन का स्तर वही रहता है। अगर कहीं साइड का बांध टूट जाए तो नहर का स्तर जमीन के बराबर हो जाता है और फिर वहां बाढ़ आ जाती है। डीवीसी प्लान में सोचा गया था कि दामोदर के पानी को रोकने के लिए आठ रिजर्वायर बनाए जाएं, जिससे बाढ़ का स्थाई समाधान हो सके और सिंचाई के लिए पानी भी मिल सके, लेकिन वह योजना पूरी नहीं हुई और आठ रिजर्वायर डीवीसी प्लान के तहत जो बनाए जाने थे, उनमें से चार ही बनाए गए हैं। उससे बिहार, बंगाल में स्थाई रूप से बाढ़ आती है हम हर साल 25 सितम्बर को यह मानकर चलते हैं कि हमारे यहां बाढ़ आएगी। डीवीसी के बाकी चार रिजर्वायर जो बनने थे, आज झारखंड सरकार जगह देने को राजी नहीं है। अगर उस समय ये बन जाते तो शायद ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए केवल एम्बैंकमेंट बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिजर्वायर बनाने का काम भी करना होगा और दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत करना होगा, वरना हर साल बाढ़ का जो सिलसिला शुरू होता है, वह चलता रहेगा, यह रिचुअल होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह किसने करना है?

श्री हन्नान मोल्लाह: सेंटर को और स्टेट को करना है। यदि जरूरी हो तो लोगों को भी शामिल करना होगा कि आप भी इसमें श्रमदान करें। इसलिए मैसिव स्केल पर काम करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती।

श्री शिवराज वि. पाटील: सेंटर को करना है या स्टेट को करना है?

श्री हन्नान मोल्लाह: स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज तीनों को करना है, राज्यों के पास पैसा नहीं है, सेंटर के पास पैसा है इसलिए उसे देना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम सब जगह खराब है। ड्रेनेज सिस्टम सिल्टिंग होने के कारण खराब हो रहा है। बंगाल में जब बाढ़ का सवाल आता है तो मिदनापुर, चौबीस परगना, हावड़ा और मुर्शिदाबाद में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने भी कुछ प्रोजैक्ट दिये हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा, जैसे मुम्बई को बचाने के लिए स्पैसिफिक ड्रेनेज प्रोग्राम लिया गया है; कलकत्ता में भी हर साल पानी भर रहा है। वहां का भी ड्रेनेज खराब है। शहर के लिए जो ड्रेनेज पैकेज प्रोग्राम है उसे भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो डीवीसी के बारे में मैंने कहा कि और ज्यादा रिजर्वायर बनाने का सवाल है वह नहीं होगा तो हमारा प्रांत बाढ़ से नहीं बच सकेगा। उस पर भी केन्द्र सरकार को सोचना होगा।

ब्रह्मपुत्र रिवर पर कोई रिजर्वायर नहीं है। हम केवल कमेटी बना रहे हैं। हमने चार कमेटीज बनाई हैं। एक है सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड 1954; उसके बाद ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड जो, 1979 में बना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जो 1982 में बना है और अब सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र अथॉरिटी 2007 में बनाएंगे। इस तरह से चार बोर्ड बन गये। मगर बोर्ड ने कहां तक कार्य किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कहां पर समस्या है, यह सब जब जब तक नहीं देखेंगे और नया बोर्ड बनाते जाएंगे तो काम नहीं होगा। दूसरी सरकार आयेगी तो आपको उल्टा बोलेगी और यह सब चलता रहेगा। बोर्ड जो बनाया है उसकी जिम्मेदारी क्या है उसने कितनी योजनाओं को लागू किया है, इन बातों का साफ होना बहुत जरूरी है।

अपराह्न 4.03 बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

हर जगह आज मैसिव इरोजन चल रहा है उसको रोकने के उपाय आपको करने होंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों में इरोजन को दूर करने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसके अलावा डीफॉरेस्टेशन की बात है। नदियों के किनारे जो पेड़ थे, वे सब काट लिये गये हैं और जब लोग वहां मिट्टी खोदते हैं घास उगाते हैं तो वहां बांध टूटेगा। उसको प्रोटैक्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं। पहले बांध के पास दस-दस किलोमीटर में दो-दो लोग रहते थे और वे घूम-घूम कर देखते थे कि बांध ठीक है या नहीं। वह सिस्टम सब खत्म हो गया है, अब कोई देखने वाला नहीं है। आज बांध में डी-फॉरेस्टेशन हो रहा है लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि कैसे वहां फारेस्टेशन किया जाए। हमारी कोई भी योजना प्रैक्टिकेबल नहीं है। हमें लोकल लोगों को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो हम इस परिस्थिति से बच नहीं सकेंगे।

बाकी समस्याओं में कॉन्टिजेंसी प्लान जरूरत है। प्लान तो तीन-चार महीने पहले बनना चाहिए। बाढ़ जब आयेगी तब आयेगी, कॉन्टिजेंसी प्लॉन पहले बनना चाहिए। हम कह रहे हैं कि कॉन्टिजेंसी पलॉन में जो कमियां हैं, उनको भी दूर करना चाहिए और इसे भी आपको देखना चाहिए। टाइम पर हैलीकॉप्टर नहीं मिलता है, टाइम पर चीजें नहीं पहुंचती हैं, फूड-ग्रेन्स की ड्रॉपिंग नहीं होती हैं और रैस्क्यू का काम ठीक ढंग से नहीं होता है। पानी जब चला जाएगा तो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसके लिए क्या डाक्टर्स की टीम तैयार है, क्या-क्या दवाइयां कहां-कहां भेजनी हैं, इसके लिए जब तक कॉन्टिजेंसी प्लॉन नहीं होगा, तो हम लोगों को बीमारियों से बचा नहीं पाएंगे।

कॉटिन्जैंसी प्लान के बारे में सरकार की क्या सोच है, इसे यहां बताने की जरूरत है। लौंग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। नदियों की मॉनिटरिंग ठीक ढंग से होनी चाहिए। किस समय उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब पहले से देखते हुए इंतजाम करने पड़ेंगे। फ्लड प्रोटैक्शन के जो कार्यक्रम हैं उनका ठीक ढंग से इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद सारे घर गिर जाएंगे। पिछले वर्ष जितने लाख घर गिरे थे, उनसे डबल मकान इस बार गिरने वाले हैं। नए मकान बनाने के लिए अभी से योजना बनानी पड़ेगी। इन्दिरा आवास योजना को मैक्सिमम इम्पलीमेंट करना चाहिए। जितनी राशि अभी दी जाती है, उसे आठ-दस गुना अधिक करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि एनआरईजीपी का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। नई सड़कें बनानी पड़ेंगी क्योंकि वे बाढ़ के कारण टूट गई हैं। सौ दिन का रोजगार देने का जो प्रोग्राम है, उसे भी उन इलाकों में चलाना चाहिए। गरीब लोगों के घर ज्यादा गिर गए हैं। उनके घर बनाए जाएं। अगर वे अपने घर बनाएं तो इस योजना को एनआरईजीपी में शामिल करना चाहिए। इसके लिए रूल्स रिलैक्स करने चाहिए। जिनके घर चले गए हैं, उनको एनआरईजीपी प्रोग्राम में शामिल करिए। इसके तहत उनको पैसा दिया जाए। जिन गरीब लोगों के घर गिरे हैं, उनको इससे मदद मिलेगी। इस प्रकार एनआरईजीपी को चेंज करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तकलीफ में महिलाएं, बच्चे और हैंडिकैप्ड लोग हैं। मैं उनको देख कर आया हूं। बाहर सड़कों में रह रहे हैं। आज पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। इन्सानों को थोड़ा खाना मिल जाता है लेकिन पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। यह भी एक समस्या है। मैं समझता हूं कि यह स्टेट का काम है। जो लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, उनको देखना जरूरी है। सीआरएफ को भी बढ़ाना आवश्यक है। विभिन्न चीजों के जो पुराने रेट थे, उनमें वृद्धि हो गई है। खाद और बीज के दाम भी बढ़ गए हैं। किसानों की पूरी मदद करने के लिए सीआरएफ की राशि बढ़ायी जाए।

नॉर्थ इंडिया के बाढ़ की जहां तक बात है, उसके बारे में नेपाल से बात करनी चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है, उसके बारे में नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए। उनका सारा पानी हमारे यहां आ जाता है। हम उसे रोक नहीं पाते हैं। जब तक वहां डैम नहीं बनेंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। डैम के बनने से इतनी बिजली बन सकती है कि वह एक-दो राज्यों को नहीं पूरे हिन्दुस्तान को कैटर कर सकती है। उसी बिजली के पैसे से नेपाल अमीर भी हो सकता है—यह कैसे हो सकता है? सरकार को इनीशिएटिव लेकर नेपाल से बात करनी चाहिए। इसका कोई परमानेंट हल निकालना चाहिए। जहां ज्यादा बाढ़ आती है, उसे रोकने का निदान ढूंढा जा सकता है। बाढ़ हर साल आती रहती है और चर्चा भी होती रहेगी मगर यह एक गम्भीर सवाल है जिसका लौंग टर्म सिस्टम बनाना जरूरी है। स्टेट, सेंटर सब बैठ कर कोई ऐसी योजना तैयार करें जिससे इसका हल निकाला जा सके। इसमें जनता को भी साथ जोड़ना चाहिए इस समस्या का हल निकाला जा सके। ऐसी कोई योजना तैयार करनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, हम लोग बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं और पीड़ितों के प्रति चिन्ता भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि, यह चर्चा सदन में पहली बार नहीं हो रही है। जब-जब बाढ़ का सीजन आता है तो बाढ़ आना भी तय है। देश के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिसमें सभापति जी, आपका भी प्रांत है। उत्तर प्रदेश और बिहार इससे प्रभावित होते हैं। इससे हमारे बगल के प्रांत असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी प्रभावित होते हैं। लगभग तय है कि

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

यहां बाढ़ आएगी। इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करके राजनीति में भी उलझते हैं। रिलीफ बांटा, नहीं बांटा इसकी भी चर्चा में उलझते हैं। लेकिन इस बार की बाढ़ जो बिहार में आई है, वह अप्रत्याशित विभीषिका है।

उसका कारण यह है कि खास तौर से उत्तर बिहार में नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में जुलाई से अगस्त प्रथम सप्ताह तक लगातार बीस दिन से ज्यादा बरसात हुई और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों से, 80-85 की उम्र के लोगों से जब चर्चा होती है तब वे कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इतनी लगातार बारिश नहीं देखी है। भारत मौसम विभाग कार्यालय, पटना में अवस्थित है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विगत सालों की तुलना में इस तरह की बारिश कभी नहीं हुई है। केन्द्रीय जल आयोग ने बताया कि नेपाल से सटी हुई नदी खतरे के निशान से दो से तीन मीटर ऊपर बह रही थी, स्वाभाविक है कि इस तरह की परिस्थिति में बाढ़ आनी थी और बाढ़ से तबाही होनी थी। इस बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, इस तबाही में एक ही वर्ग प्रभावित नहीं हुआ है, इसमें सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। चाहे वह गरीब से गरीब है या सम्पन्न लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान बिहार सरकार हुई है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 19 है, जिसके 187 प्रखंड प्रभावित हुए हैं, 187 प्रखंड में प्रभावित होने वाली पंचायतों की संख्या 1958 है। अगर गांव की संख्या पर जाएं तो यह 7302 है। यह अंदाजा है क्योंकि सही अंदाजा लगाना बाढ़ की अवधि में संभव नहीं है लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि करीब सवा करोड़ लोग इस बाढ़ की तबाही के शिकार हुए हैं। इसमें प्रभावित परिवारों की संख्या लगभग 30,00,000 आंकी गई है। यह अनुमानित आंकड़ा है, इसका सही आंकड़ा देना अभी संभव नहीं है। 1,35,000 घर बाढ़ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अंदाजा है कि 5,00,000 से ज्यादा घर उजड़ चुके हैं। प्रभावित लोगों में अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं, जो अपनी झोपड़ी बनाकर निचले इलाकों में रहते थे और जब बाढ़ का प्रकोप आया तो उन्होंने कहीं रेलवे लाईन पर ऊंचा स्थान देखकर किसी तरह से रहने की व्यवस्था की जहां रहने के लिए औरतें ने अपनी साड़ी ओढ़ाई या कहीं प्लास्टिक लगाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, वह कितनी ही राहत दे दे लेकिन बाढ़ की परिस्थिति से प्रभावित लोगों को आम जिंदगी लौटाना और देना कहीं से संभव नहीं है। बाढ़ की तबाही से किसान काफी परेशानी में हैं। लाखों एकड़ खड़ी फसल धान, ईख और अन्न बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार 7,00,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई है लेकिन यह भी अनुमानित है। इसका सही आंकड़ा देना अभी की स्थिति में संभव नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार बिहार में 943 करोड़ रुपए मूल्य की फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा लोगों के घर में रखा हुआ खाद्यान्न, वस्त्र बर्तन एवं अन्य सामान पानी में बह गया है। उनके मवेशियों का भी अता-पता नहीं है, कुछ बह गए हैं, कुछ मर गए हैं और कुछ भाग कर किसी गांव में गए हुए हैं। इस तरह से बहुत तबाही की स्थिति है, इससे कहीं भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

बिहार सरकार द्वारा युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। बिहार सरकार इस गंभीर चुनौती का पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ सामना कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के सीधे नेतृत्व में दिन-रात सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि हर प्रभावित परिवार को सहायता मिल सके। इस कार्य में न सिर्फ अधिकारी और पदाधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान मुहैया कराया जाए। वे उनकी दवा, भोजन और अन्य चीजों की देखभाल स्वयं कर रहे हैं।

करीब 5500 नाव बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाई जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कम प्रभावित इलाकों से ट्रकों में बड़ी नावों को भरकर अधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। दो लाख 36 हजार लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर, जो अस्थाई शरणस्थली बनाई गई हैं, वहां उनके रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके ऊपर छाने के लिए प्लास्टिक की व्यवस्था, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए दवाई आदि की व्यवस्था वहां अलग से की जा रही है। 441 मैडिकल टीमें मख्य मंत्री जी ने गठित की हैं और ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। ये टीमें वहां दिन-रात लगी हुई हैं और लोगों की दवा-दारू और देखभाल की व्यवस्था कर रही हैं। 265 पशु शिविर एवं 1062 सहायता शिविर बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्री जैसे चूरा, सत्तू, चना, गुड़, नमक, माचिस तथा मोमबत्ती आदि अभी तक 6900 क्विंटल बांटी जा चुकी है। राशन हेतु करीब 1 लाख 34 हजार क्विंटल गेहूं और चावल, 90 हजार पोलिथीन शीट्स एवं सात करोड़ रुपये अभी तक नकद बांटे जा चुके हैं। बिहार सरकार पूर्ण तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगी हुई है। लेकिन मुझे यह कहने में कठिनाई नहीं है कि ये सारी सहायता देने के बाद कोई भी सरकार लोगों को आम जिंदगी नहीं दे पाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा करीब 300 टन अन्न और एक लाख पोलिथीन शीट्स भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ पहुंचा है, जिसका लोगों के बीच में अभी वितरण किया जा रहा है और कुछ अभी छत्तीसगढ़ से पहुंचा नहीं है। पहुंचने के बाद वह भी उन लोगों के बीच में बांटा जायेगा। 2 अगस्त से लगातार चार हैलिकॉप्टर ऐसी जगहों पर खाद्य सामग्री को गिरा रहे हैं, जहां नाव या अन्य कोई साधन नहीं हैं, जिनके द्वारा सहायता सामग्री वहां पहुंचाई जा सके। अभी तक 36,340 पैकेट्स बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में हैलिकॉपटरों से गिराये जा चुके हैं।

सभापति महोदय, ये सारी व्यवस्था, सारी सुविधा राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। लेकिन बावजूद इसके वहां बाढ़ पीड़ित लोग काफी परेशानी और तबाही की स्थिति में है, जिनके साथ संवेदना होना स्वाभाविक है। लेकिन जो बिहार में बाढ़ की स्थिति है, वह सिर्फ बिहार की बाढ़ की स्थिति नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार नेपाल से वार्ता नहीं कर सकती। यहां जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब नेपाल से दो-तीन बार वार्ता भी हुई थी, लेकिन उस वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। आज भी जब तक नेपाल से वार्ता नहीं होगी, तब तक वहां बाढ़ का कोई समाधान संभव नहीं है। क्योंकि हर साल वहां बाढ़ आयेगी, रिलीफ बंटेगा, यह एक परम्परा जैसी बन गई है। इसमें कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग मरते हैं और हम लोग यहां लोक सभा में भाषण देते हैं, जो अखबारों में छपता है। इस परम्परा का हम लोग अनुपालन ही कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर अपना एक प्लान बनाया है, जिसे केन्द्र के पास भेजा है। हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने का एक प्लान बनाया है। हम यह नहीं कह सकते कि इन नदियों को आपस में जोड़ देने से हम बाढ़ से बिल्कुल बच जायेंगे, लेकिन जो तबाही अभी बिहार में हो रही है, वह तबाही वहां नहीं होगी। बल्कि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी आने के बावजूद बिहार में अभी गया इलाके का कुछ हिस्सा ऐसा है, जहां अभी भी सुखाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां अभी भी काफी गर्मी है। जबकि अभी छपरा की बात हुई है, अभी वहां तीन दिन से लगातार पानी गिर रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-प्रॉब्लम इस बाढ़ के कारण पैदा हुई है। एक तरफ जहां मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर का इलाका बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं उत्तर बिहार में बेतिया मुख्यालय से लेकर छपरा, सीवान, गोपालगंज और वैशाली का इलाका जलजमाव से तबाह है। चूंकि वहां पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। जो बड़े-बड़े चंवर हैं, वे पानी से भर चुके हैं। किसानों ने जो फसल बोई थी, वह डूब चुकी है और दोबारा से फसल लगाने की उनकी स्थिति नहीं है। साल भर फसल के अभाव में किसान को भुखमरी के कगार पर पहुंचना पड़ेगा। हम गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहयोग की उम्मीद करती है और इसी क्रम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 12.8.2007 को...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): क्या आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका देंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप तीन मिनट लीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, मैं बड़ी मुश्किल में हूं क्योंकि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और जो राहत के काम हैं, उनका जवाब गृह मंत्री जी देंगे, लेकिन बीच-बीच में जो सवाल उठे हैं, उनका मेरे मंत्रालय से ताल्लुक है। उनका जवाब मैं दे सकता हूं। इन्होंने नदियों का सवाल उठाया।..*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب میں بڑی مشکل میں ہوں کیونکہ باڑھ سے جو نقصان ہوا ہے، اور جو راحت کے کام ہیں ان کا جواب وزیر داخلہ دیں گے، لیکن بیچ بیچ میں جو سوال اٹھے ہیں، ان کا میری وزارت سے تعلق ہے۔ ان کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے ندیوں کا سوال اٹھایا۔۔۔ (مداخلت)

सभापति महोदय: बाद में जवाब दीजिएगा। अभी नहीं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: जो दो मिनट मैंने मांगे हैं, वह तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अभी जो बिहार के बारे में ये बता रहे थे, वहां की सरकार ने बहुत कुछ किया होगा। केन्द्र सरकार जो बिहार के लिए कर रही है या करने वाली है, उस पर भी रोशनी डाली जानी चाहिए।..*(व्यवधान)* हन्नान मोल्लाह साहब ने कहा कि एक ओर ब्रह्मपुत्र बोर्ड बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड को नयी शक्ल दी जा रही है।..*(व्यवधान)* इस बारे में नोट गया हुआ है, हम कैबिनेट के सामने जा रहे हैं ताकि पूरे रीजन को इसका फायदा हो जाए। मेरा मतलब यह है कि जो काम मेरे मंत्रालय से ताल्लुक रखता है, उसके लिए मैं कहना चाहता था नहीं तो गलतफहमी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: جی دو منٹ میں نے مانگے ہیں، وہ تو مجھے اپنی بات کہہ لینے دیجئے۔ ابھی جو بہار کے بارے میں یہ بتا رہے تھے، وہاں کی سرکار نے بہت کچھ کیا ہوگا۔ مرکزی سرکار جو بہار کے لئے کر رہی ہے یا کرنے والی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جانی چاہئے۔۔ (مداخلت)۔ حنان مولاہ صاحب نے کہا کہ ایک اور برہمپتر بورڈ بن رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ برہمپتر بورڈ نہیں بلکہ برہمپتر بورڈ کو نئی شکل دی جا رہی ہے۔۔ (مداخلت)۔ اس بارے میں نوٹ گیا ہوا ہے، ہم کیبنٹ کے سامنے جا رہے ہیں۔ تاکہ پورے ریجن کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ میری وزارت سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے میں کہنا چاہتا تھا نہیں تو غلط فہمی ہو جائیگی۔۔۔

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, जब डिबेट हो जाए तब आप जवाब दीजिएगा या आप इंटरवीन करना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा।

..(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': कोई गलतफहमी नहीं होगी। यह तो केन्द्र की जिम्मेदारी है, इसे पूरा करिएगा। यह सामूहिक जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी जवाब देंगे, उनको फीड बैक दीजिए। *..(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर आप इंटरवीन करना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मेरी अर्ज सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे लेकिन जो बीच-बीच में सवाल उठ रहे हैं कि केन्द्र सरकार बिहार के लिए क्या करना चाहती है?..*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: میری عرض سن لیجئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر داخلہ جواب دیں گے لیکن جو بیچ بیچ میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ مرکزی سرکار بہار کے لئے کیا کرنا چاہتے ہے؟ ---(مداخلت)

सभापति महोदय: आप भी जवाब दीजिएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आपकी सरकार में समन्वय का अभाव है।..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, बाढ़ पर बहस चल रही है, इसमें राहत भी शामिल है, और बाढ़ की योजनाएं भी शामिल हैं। बाढ़ की योजना से आपके विभाग का ताल्लुक है। जब बहस हो जाए और बीच में कुछ और माननीय सदस्य बोल लें तब आपको इंटरवीन करने का पूरा अधिकार है। आप अपनी सूचना देंगे, आपको इंटरवेंशन का मौका मिलेगा। अभी कृपया माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए। मंत्री लोग ही यदि टोकाटोकी करेंगे तो कार्यवाही तो रात तक चलेगी। प्रभुनाथ जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, देश के अंदर ही बिहार है और मैं यह कभी नहीं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार बिहार के प्रति चिन्तित नहीं होगी या अपने को जवाबदेय नहीं मानती होगी। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने परस्पर नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, माननीय मंत्री जी, आप उसे स्वीकृत करके धन मुहैया कराइए और वैसे भी कोई राज्य सरकार केन्द्र से यदि राशि मांगती है तो वह भीख नहीं मांगती है, उसका हक बनता है और वह अपना हक मांगती है। इसलिए यह कोई कृपा की बात नहीं है। केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता की सुरक्षा करें और इसमें आप उस जवाबदेही से कहीं अलग नहीं हैं। हम यह बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कई तरह के अनुरोध किये हैं जिसमें उन्होंने विभिन्न मदों में 11.56 करोड़ रुपये का संसाधन जुटाने का अनुरोध किया है। बाढ़ निरोधी और भूकम्प-निरोधी घरों के निर्माण एवं शरण स्थलों के लिए 5000 करोड़ रुपये की उन्होंने मांग की है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में हुई क्षति के लिए 700 करोड़ रुपये की मांग की गई है। बाढ़ निरोधी यानी उच्च तकनीक यानी वैज्ञानिक विधि से लोगों के प्रतिष्ठापन हेतु 1600 करोड़ रुपये की मांग की गई है। बिहार में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका का स्थायी समाधान खोजने हेतु उच्च स्तरीय टॉस्क फोर्स बनाने का अनुरोध किया गया है।

नेपाल के साथ हल ढूंढने के लिए उच्च स्तरीय पहल करने का भी अनुरोध किया गया है। गेहूं एवं चावल के 30 लाख क्विंटल अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है ताकि 50 किलों गेहूं और 50 किलो चावल प्रभावित प्रति परिवार को दिया जा सके। 180 लाख लीटर केरोसिन तेल की भी मांग की गई है। फसल के नुकसान हेतु किसानों को दी जा रही 2000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की गई है। स्टॉक एवं प्रबंध के अंतर्गत 212 करोड़ रुपये देय का अनुमान है जिसके लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसके लिए सहायता की मांग की गई है। हम बता रहे थे कि बाढ़ से न सिर्फ किसान प्रभावित हुए हैं बल्कि बिहार की सरकार भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने संकल्प के रूप में बिहार के विकास को लिया था और बिहार के चारों तरफ की सड़कों के निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका था।

लेकिन फिर से उन सड़कों को गड्ढे के रूप में तबदील कर दिया गया है। बिहार आर्थिक बोझ से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इन सारी बातों को बिहार के मुख्यमंत्री ने केन्द्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया है और मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, जो सवाल मैंने उठाये हैं, उन पर गंभीरता से चिन्तन करें और राज्य सरकार को सहायता दिलाने की कृपा करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं जवाब दूं, उस समय माननीय सदस्य शायद यहां न हों।..*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, मैं उस समय जरूर यहां रहूंगा।

सभापति महोदय: यह अभी जा रहे हैं, इनको जल्दी जाना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से तीन प्रकार की मदद की जाती है। एक-सीआरएफ, दो-एनसीसीआरएफ, तीन-प्लानिंग कमीशन मदद करते हैं। माननीय सदस्य जिस तरह की मांग कर रहे हैं, उसके लिये प्लानिंग कमीशन से पैसा दिया जाता है। वह केवल मैमोरैंडम न देकर उसका पूरा प्लान बनाकर भेजें कि कितने घर गिरे हैं, कितना उन पर पैसा लगता है, कितनी सड़कें खराब हुई हैं, उनकी मरम्मत के लिये कितना पैसा चाहिये और काश्तकारों को कितना पैसा देना है। इन सब का प्लान बनाकर भेज दीजिये, उसे हम दिखवा लेंगे। वह मामला कैबिनेट में जाता है। हर साल सभी प्रांतों के लोगों को, चाहे वे सुनामी से पीड़ित रहे हों, बाढ़ से हों या भूकम्प से

रहे हों, पैसा दिया जाता रहा है। सभापति जी, इनका प्लान आने पर पैसा दिया जायेगा लेकिन केवल लैटर लिखने से नहीं होगा। इनको प्लान बनाकर देना पड़ेगा कि किस काम के लिये कितना पैसा चाहिये, तब हम मदद कर पायेंगे।

सभापति महोदय: अभी तक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की मांग से बहुत पीछे हैं। इसके लिये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने तो 80 हजार करोड़ रुपया मांगा है और आप केवल 10-20 हजार करोड़ रुपया मांग रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, हमने भी मांगा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिन बातों को बताया, हम उन्हें राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे और हम प्रयास करेंगे कि जैसा केन्द्र ने प्रारूप की अपेक्षा की है, हम वैसा भेज देंगे।

सभापति जी, मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिहार में बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। अभी तक केन्द्र की ओर से बिहार के बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिली है।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है, आप किताब पढ़िये, उसमें लिखा हुआ है, यह अन्याय है, डिसइनफार्मेशन है।

श्री शिवराज वि. पाटील: अभी बिहार को 700 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, अभी जो बाढ़ से क्षति हुई है, उसके लिये केन्द्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह बिहार में एक टीम भेजे जो इस बात की समीक्षा करती लेकिन केन्द्र की ओर से बिहार के लिये कोई टीम नहीं भेजी गई। हां, केन्द्र से दो मंत्री जरूर गये हैं जिनमें से एक मंत्री हैलीकॉप्टर विवाद में फंस गये हैं, हैलीकॉप्टर से उतरना कहां था, उतर कहां गये और वह खबर अखबार में आ जाने से विवाद का विषय हो गया है। उन माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहार सरकार निकम्मी है और वह कुछ नहीं कर रही है। वे फोटोग्राफर साथ लेकर गये थे और फोटो खिंचवाकर अखबारों में भिजवा दिये। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे नेताओं और मंत्रियों को राजनीति नहीं करनी चाहिये क्योंकि बिहार कोई नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत प्रदेश नहीं, यह देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर मंत्री महोदय बिहार गये थे तो साथ में कुछ चूड़ा-मीठा लेकर जाते जिससे बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलती। जितना खर्च हैलीकॉप्टर को ले जाने में किया गया, चूड़ा-मीठा उससे कम खर्च में आता। हम समझते हैं कि बिहार की बाढ़ पीड़ित जनता आंसू बहा रही है। जब बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि जितना पानी आया है, उतना पारा हम पी जायेंगे लेकिन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई पारा नहीं जिससे वह बाढ़ का पानी पी जाते। आज इस सदन में यह आरोप लगाया जा रहा है कि बेतिया में लाठी चल गई, मुजफ्फरपुर में लाठी चल गई। बाढ़ पीड़ितों के साथ दोषारोपण की राजनीति न करके बिहार के लोगों के हित में काम करना चाहिये। देश के लोगों को समझाना चाहिये कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिये बिहार के मुख्य मंत्री ने यह संकल्प किया है कि बिहार के विकास के लिये वह कटिबद्ध हैं। उन लोगों में बेचैनी है कि सब लोगों को सहयोग करना चाहिये ताकि बिहार के लोगों के हित में काम हो सकें।

सभापति महोदय: आपको गैर-राजनीतिक भाषण देने के लिए धन्यवाद।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान्, मैं कहना चाहूंगा कि नीतिश कुमार जी के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला। मैं बताना चाहता हूं कि वहां जाने के बाद हमने 114 करोड़ रुपये ज्यादा दे दिये।..*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में नहीं कहा गया, किसी दूसरे के लिए कहा गया।..*(व्यवधान)* आपने वहां जाकर राहत कार्यों को देखा और मदद की, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब बात खत्म हो गई। आप बैठिये।

श्री बालासाहिब विखे पाटील।

..*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): सदन खाली बिहार की बात न करे, देश की बात भी करे।..*(व्यवधान)* आप बिहार की बात भी करें, महाराष्ट्र की भी करें, पूरे राष्ट्र की बात करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब तक राष्ट्र की बात हुई, अब आप महाराष्ट्र की बात करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया। चर्चा को शुरू करते हुए अनंत कुमार जी ने कहा कि

[अनुवाद]

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

सयुंक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की है कि भारत और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति अब तक की सबसे भयंकर स्थिति है।

[हिन्दी]

यह बात सही है और यह भी मानना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी करना एक बात होती है परंतु सोच के बाहर परिस्थिति चली जाती है तो अलग बात होती है। इसकी संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की है और किसी को एक्यूज करने से समस्या का हल नहीं होता। गृह मंत्री जी ने एक किताब पब्लिश की ''साऊथ वेस्ट मानसून 2007–फ्लड सिचूएशन इन द कन्ट्री''।

यह पहली बार हुआ है कि उनहोंने सब पब्लिकेशन काउंटर्स पर यह किताब दी जिसमें बताया गया है कि देश के हर राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या करना जरूरी है। यह एक अच्छी किताब दी है। इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं कि पहली बार संसद को विश्वास में लेकर यह किताब देने की कोशिश की है, नहीं तो एक नोट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था।

दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत राहत के आदेश दिये हैं। यह बात भी सही है कि पटना, गोहाटी और कुछ जगहों पर गृह मंत्री और यूपीए चेरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी गई। उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की, बात की और वहां राहत देने के लिए सरकार को कहा। गृह मंत्री जी ने भी कहा। वे वहां लोगों से मिले। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपरसन हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके वहां जाने में क्या आपत्ति है? कुछ सदस्य कह रहे थे कि वे क्यों गईं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जाना जरूरी है लेकिन हर राज्य में एक ही समय पर प्रधानमंत्री जी के लिए जाना मुमकिन नहीं है। अभी गुजरात में गावीत जी गए। उन्होंने स्टाफ ऑफ द सिचुएशन लिया और बात की। सरकार ने उनकी बात सुनी। आप भी एनडीए में सरकार में थे। आप जानते हैं। उस समय एक आदमी के लिए एक बार में देश के अंदर सभी जगह घूमना मुश्किल हो जाता था।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): आप भी तो हमारे साथ थे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होना जरूरी है। कर्नाटक में राजनीति हो रही है, बिहार में राजनीति हो रही है, गुजरात में राजनीति हो रही है। अभी बाढ़ अभी निपटने की तैयारी करनी है। सभी राज्यों में किसी न किसी दल की सरकार है। बंगाल में किसी पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में किसी और पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और है, उत्तरांखंड में और है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। किसी एक पार्टी की सरकार सभी राज्यों में नहीं है इसलिए हम किसी को क्रिटिसाइज करें और किसी का अभिनंदन करें वह ठीक नहीं है। यह ऐसी समस्या है जिसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ बैठे और एक नीति तैयार करे जिससे बंग्लादेश और नेपाल की समस्या जो कई सालों से चली आ रही है, आजादी के दिनों से चली आ रही है, वह दूर हो। एक जाइंट कमीशन बना। उसकी कई बार मीटिंग हुई है लेकिन उसका जो हल निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला है। नेपाल की राजकीय स्थिति भी अस्थिर है। हम चाहते हैं कि वहां जल्दी शांति आए और एक स्थिर सरकार बन जाए जिससे भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को भी राहत मिल सकती है। यह बात सही है कि वहां बिजली भी पैदा हो सकती है और वह बिजली नेपाल, भारत और बंग्लादेश को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार नहीं सोच रही कि राहत न मिले या नेपाल से बात न करे। नेपाल कोई अछूता देश नहीं है और नेपाल से हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल से कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सही नहीं है।

महोदय, नेपाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है अथवा भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, अथवा जब युनाइटेड नेशन्स ने कहा कि यह अनप्रेसीडेंटेड स्थिति है, यह अत्यंत गंभीर परिस्थिति है, तब सरकार ने ध्यान दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को दुबारा नहीं कहना चाहूंगा। बाढ़ के समय राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यह बात सही है कि केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि राज्य सरकारें यह सोचेंगी कि केन्द्र सरकार ही सब कुछ करेगा, तो कैसे काम चलेगा। केन्द्र सरकार को तो राज्यों की औटोनॉमी को प्रोटैक्ट करना है। सरकारिया कमीशन के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और न करना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी को भी केन्द्र निभाए और केन्द्र की जिम्मेदारी को तो केन्द्र निभाएगा ही। आप चाहते हैं कि केन्द्र पैसा दे और राज्य खाली पैसा लेने का ही काम करें, तो काम कैसे चल सकता है।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में रिवाइज गाइडलाइन बनाई हैं। उनके अनुसार पहले जहां कपैन्सेशन 50 हजार रुपए था, उसे अब केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पैसा बढ़ाया गया है। किसी की मृत्यु हो जाए, कोई कच्चा घर बनाए या कोई पक्का घर बनाए उसके लिए धनराशि दुगनी कर दी गई है। जो बाढ़ और कमांड एरिया है, उसे ईयरमार्क करके उससे बाहर रीहैबिलिटेशन होना चाहिए। रीहैबिलिटेशन अच्छी तरह से करने की बात चल रही है। रीहैबिलिटेशन करने के लिए हमेशा नदी के किनारे मकान बना दिए जाते हैं। इससे समस्या और जटिल होती है।

महोदय, अभी श्री हन्नान मोल्लाह साहब ने ठीक कहा कि हमने बांध बना दिए। मैं बताना चाहता हूं कि बांध बनाने के कारण नदियां ऊंची हो गई हैं और जमीन नीची हो गई है। इससे जैसे ही पानी बरसता है वैसे ही बाढ़ आ जाती है। पहले नैसर्गिक रूप से पानी फैलता था, तब बांध नहीं थे, पानी फैलता था और निकल जाता था। अब तो जून से पानी बरस रहा है। दो महीने से लोग परेशान हैं। बाढ़ से गरीब आदमियों की मवेशियां बह गईं, उसके बर्तन बह गए। उसकी रोजी नहीं, रोटी नहीं। यह ठीक है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकार मुफ्त खाना दे रहीं है। जब हम रीहैबिलिटेशन की बात करते हैं, तो वह पूरी तरह से होना चाहिए, आधा-अधूरा नहीं। जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना है। हमें अपने 50 साल के अनुभव से इसी प्रकार का एक विशेष पैकेज डाटप्रोन एरिया में और फ्लडप्रोन एरिया में देना चाहिए। उसके अंदर हमें उनके लिए अलग से मकान बनाने की योजना बनानी चाहिए। उनके लिए अलग से इंश्योरेंस की, सोश्यल सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आज क्या सोश्यल सिक्योरिटी है, उनके बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, वे कहा पढ़ेंगे? उनके छः महीने तो चले गए। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को मिलकर इकनौमीकल वीकर सैक्शन्स के बच्चों के लिए होस्टेल बनाने चाहिए, आश्रम स्कूल बनाने चाहिए और एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे उनकी आगे आनी वाली पीढ़ियों को, उनके बच्चों को, बाढ़ पीड़ित होने के कारण तरसना न पड़े, बल्कि वे खुद आगे जाकर कुछ करें।

महोदय, मेरा चौथा सुझाव है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनमें एम्पलाइमेंट गारंटी स्कीम प्राथमिकता के आधार पर चलानी चाहिए। महाराष्ट्र में यह चल रही है। महाराष्ट्र ने एक कोशिश की है कि रिवर्स को फ्लोर इर्रीगेशन के लिए डायवर्ट किया है, जैसा पठानकोट में है। कहीं 40 परसेंट कच्चे और कहीं 60 परसेंट पक्के में पानी बह जाता है। पानी बार-बार अनइर्रीगेटेड एरिया में चला जाता है। जब ऐसा होता है, तो बाढ़ की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि पानी अलग-अलग एरियाज में बह जाता है। अब क्या हो रहा है कि नई टैक्नोलोजी आ रही है। उसमें रिजरवायर भर जाता है, तो उसके गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख और कहीं 10 लाख क्यूसिक्स पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कभी-कभी आसमानी संकट के कारण भी बाढ़ आ जाती है। कभी-कभी रिजरवॉयर के ऊपर हमारा कंट्रोल गलत हो जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना होगा जिसके अंतर्गत यह हो कि कब हमें गेट बंद करने हैं और कब हमें गेट खोलने हैं। रिजवॉयर को हमें ठीक प्रकार से मॉनीटर करना होगा। पुराने समय में पानी बरसता था, तो निकल जाता था। कहीं गेट खोलने और बंद करने का कोई कारण हीं नहीं था। पहले इर्रीगेशन भी ठीक हो जाती थी, पानी सबमर्ज भी हो जाता था, लेकिन अब जो नई टेक्नॉलॉजी आ गई है, उसके कारण गढ़चिरौली, अमरावती, सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ-साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज भी विवाद चल रहा है।

जून के महीने में ही महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई है। अक्टूबर और नवम्बर के महीने तो अभी आने हैं, जिनमें बारिश आती है। हमें देखना चाहिए कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। यह अच्छी बात हैं कि इसके लिए मशीनें लगाई जाएंगी और वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जाएंगे। लेकिन बाढ़ की प्रमुख समस्या रिहेबिलिटेशन है। भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी कि वर्ष 2002 तक हर राज्य इंटरस्टेट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट तैयार करके भेजे। लेकिन कुछ राज्यों ने भेजा है और कुछ ने नहीं भेजा है। महाराष्ट्र ने भी भेजा है। मेरा कहना है कि जिन राज्यों ने अपने प्रोजेक्ट भेजे हैं, उनको तकनीकी रूप से देखकर उन्हें भारत सरकार के प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया जाए। यह एक केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए। लिंकेज प्रोजेक्ट तो अब यह बनेगा नहीं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया है। हर राज्य अलग-अलग बात कर रहा है। विभिन्न राज्यों के बीच इस संबंध में झगड़े चल रहे हैं। इस पर इम्पलीमेंट होने से न तो बिहार यह कहेगा कि उसका पानी तमिलनाडु जाए, न महाराष्ट्र कहेगा कि आंध्र जाए, न आंध्र वाले कहेंगे कि हमें पानी चाहिए..*(व्यवधान)* मैं विशेषकर राज्य के अंदर की बात कर रहा हूं। राज्य के अंदर ही रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट यदि इम्पलिमेंट होता है तो जहां ज्यादा बारिश होती है और पानी बह जाता है।

[अनुवाद]

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

अतिरिक्त जल को बेसिन के भीतर और बाहर के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

हम कृषि की ग्रोथ रेट 4 प्रतिशत चाहते हैं, नेशनल ग्रोथ रेट 8-10 प्रतिशत चाहते हैं, वह इससे ही अचिव होगी, क्योंकि जब तक बाढ़ पर नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। करोड़ों लोग इसके कारण बेघर हो गए हैं। लक्षावधि घर खत्म हो गए हैं, फसल नहीं के बराबर बची है। जिस कारण से बैंकों के ऋण डूब गए हैं। इसलिए बाढ़ नियंत्रण के लिए हम जो भी करना चाहते हैं, वह करना चाहिए, यह जरूरी भी है। कई अर्थशास्त्रियों और साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि बाढ़ नियंत्रण के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।

किसान की फसल बर्बाद होने के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वैद्यनाथन कमेटी ने सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों को पुनः ऋण का पैकेज दिया था, सुखाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था यदि एक साथ दो साल तक फसल का नुकसान हो जाता है तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि तीसरे साल भी वहीं होता है तो फिर क्या किया जाए? मेरा इस संबंध में यह आग्रह है कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए बाढ़ प्रभावित एरिया में बाढ़ से जिस किसान की फसल खत्म हो जाती है तो उसका ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को बैंकों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए अन्यथा इससे बैंक भी डूब सकता है।

महोदय, ब्रिटिश जमाने में और आजादी के बाद भी किसानों को तकावी लोन दिया जाता था। लेकिन तकावी लोन बाद में माफ भी किया जाता था। तकावी लोन मवेशी लेने के लिए, सीड लेने के लिए, हल खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए लेते थे। तकावी लोन का मकसद भी यही था। वर्ष 1972-74 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। उस समय वसंत राव नाइक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 700 करोड़ रुपये का तकावी ऋण किसानों को दिया था अनुग्रही राशि का भुगतान सहायता है। हमें यह सोचना चाहिए कि इसी तरह के नये और पुराने तरीकों को मिलाकर हम किस तरह से लोगों को राहत दे सकते हैं अन्यथा लोग यही कहेंगे कि हम केवल भाषण देते रहते हैं। पिछले साल तीन बार बाढ़ और अकाल पर चर्चा हुई। अकाल और बाढ़ पर चर्चा करना एक तरह से हाउस की मजबूरी हो गया है। यदि इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन चर्चा करने से भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। मैं 25 साल से इस हाउस में हूं 5-6 साल को छोड़कर। मैं देख रहा हूं कि हर साल यही चर्चा हो रही है। लेकिन कोई कन्क्रीट प्लान नहीं बनाया जा रहा है। अनन्त कुमार जी ने टास्क फोर्स की बात कही है।

वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के टास्क फोर्स ने सही लिखा है, उन्होंने 5300 करोड़ रुपये का प्लान बनाया था और उन्होंने 2010 के लिए 3400 करोड़ रुपये का प्लान बनाया था, 2005-06 और 2006-07, दो साल के लिए लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ उन्होंने यह भी लिखा है, राज्य ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। अतः, इसमें हिस्सेदारी की जानी चाहिए। शेयरिंग तो हो गई है, कुछ जगह उन्होंने 90 परसेंट शेयर दिया है, कुछ जगह 25 परसेंट शेयर स्टेट को दिया है और 75 परसेंट सैण्टर को दिया है। मैं यह सुझाव इसलिए आपको दे रहा हूं कि यह एक दिन का काम नहीं। इसे सड़क, सिंचाई आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के समान माना जाना चाहिए। अभी हम सभी भारतवर्ष की ग्लोबल इकोनोमी के कारण, हमारी आबादी बढ़ने के साथ हम ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं और ग्रोथ रेट के लिए हम बिजली चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम रास्ता चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम रेलवे चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम उद्योग चाहते हैं, ग्रोथ के लिए हम एस.ई.जैड. चाहते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हम कहते हैं तो फ्लड रीहैबिलिटेशन और फ्लड कंट्रोल को इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनाकर, बाहर से थोड़ा पैसा लेकर या ऋण लेकर इसके लिए थोड़ा बांड फ्लोट करो और राज्य पर जिम्मेदारी डालो। जो राज्य ठीक काम करेगा, उसको बाद में पैसा दे दो या लोन में पैसा दे दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि

[अनुवाद]

इसमें जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसा सरकारों अथवा संबंधित विभागों की जवाबदेही के बिना नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

अभी नार्थ ईस्ट की बात है, नोर्थ ईस्ट में यही हो रहा है। यह समस्या वहां हर साल आती है। हमारे यहां बिजली की भी कमी है, इसीलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं इसे बुनियादी सुविधा के समान समझा जाना चाहिए। अदरवाइज इसको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सरकार को 3-4 सुझाव और भी देना चाहूंगा।

अपराह्न 4.46 बजे

[श्री बरकला राधाकृष्ण *पीठासीन* हुए]

अभी जो वातावरण की स्थिति है, उसमें महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहा गया है। मैं आपको कहूंगा कि मुम्बई में जो कुछ पैसा

दिया है, वह ठीक ही चल रहा है। उससे वहां बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब अचानक बाढ़ आ जाती है तो कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, मुझे तो लगता है कि भारत सरकार का अभी तक जो सवाल है, उसमें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने कई सैण्टर्स खोले हैं। अब आर्मी के हैलीकॉप्टर्स वहां चले गये हैं और जवान काम कर रहे हैं, पूरी मिलिट्री की नौकाएं काम कर रही हैं। मेरा दूसरा यह सुझाव है कि दुनिया में मिलिट्री को इतनी तेजी से लगाते नहीं हैं। फ्लड सिचुएशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत एक ऐसा देश है कि किसी भी राज्य सरकार का कुछ काम हो, चाहे पीस का हो, दंगा हो, कुछ भी हो, मिलिट्री को बुला लेते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कोई एक संगठन होना चाहिए, जो खुद काम करे, क्योंकि उसमें कई समस्याएं तैयार हो जाती हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से अभी कितनी नावें चल रही हैं, कितने फौजी काम कर रहे हैं, आखिर वे भी तो इन्सान हैं, फौजी होने से क्या फर्क पड़ता है।

[अनुवाद]

वे भी इंसान हैं, कम से कम फौजी को काम करने के लिए भी, कुछ सोचना चाहिए। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए पृथक संगठन होना चाहिए। मैं यह समझ सकता हूं कि ऐसा केवल आपातकाल के लिए किया जाना चाहिए हमेशा के लिए नहीं।

[हिन्दी]

यह भी थोड़ा सा सरकार और सभी दल इकट्ठे बैठकर मेरा सुझाव है कि इसमें जरा सोचें कि कोई और रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं और कैसे लोगों की मदद भी हो सकती है और राहत का काम भी हो सकता है। आज आर्मी एक ऐसी चीज बन गई है कि जब चाहे उनको बुला लो। यह भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

हमारे पास प्रत्येक घाटी के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए। जब हमारे पास प्रत्येक घाटी के लिए एक प्राधिकरण हो जाएगा तब हम वर्षा, मार्ग, बाढ़ और सभी चीजों के लिए योजना बना सकते हैं। कुछ राज्यों ने बेसिन घाटी प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड से परिवर्तित होकर घाटी प्राधिकरण में परिवर्तित हो रहा है। यह एक प्रशंसनीय कदम है। ऐसी स्थिति में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। यह राज्य का विषय है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बात भी कही गई है। हर एक वैली के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूं। कानून और व्यवस्था, भूकम्प, बाढ़ की स्थिति चक्रवात और आसमान के नीचे सब कुछ

[हिन्दी]

और सभी राज्य सरकारों को भी यह देखना जरूरी है है कि हमारी जितनी नदियां हैं, हर एक नदी की 1-1 वाटर एथारिटी बन जाये। उसके कारण एक अच्छा प्लानिंग बनेगा। बाढ़ की स्थिति के लिए हमें थोड़ा सा अभ्यास तो है ही, लेकिन हमें इसे नियंत्रण करने में मदद होगी। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। समस्यायें तो कई हैं, लेकिन आप चयेरमैन हैं और आपने वार्निंग दी है, तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि

[अनुवाद]

हम आपकी बात से असहमत नहीं हो सकते अन्यथा आप हमें अगली बार बोलने की अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

मेरा यही सुझाव है कि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है, अनप्रेसीडेंटेड है, लेकिन कर्नाटक को पैसा दिया, यह गलत है। सभी स्टेट को भारत सरकार एक जैसा ले रही है, एक जैसा पैसा दे रही है। वे सभी को एक समान समझ रहे हैं। हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम राजनीति में भाषण करेंगे, तो समस्या बाजू हो जाएगी और खाली राजनीति की ठोका-ठोकी हो जाएगी और जहां लोग पीड़ित हैं, वे वैसे ही पीड़ित रह जाएंगे। यह समस्या का हल नहीं है।

[अनुवाद]

राजनीति में एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की होड़ से इस वाद-विवाद का कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलेगा।

[हिन्दी]

यह मेरी आप सभी से दरख्वास्त है।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, ससंद के इस सत्र का नाम ही मानसून सत्र है। जब से मैंने विधायिकी और संसदीय जीवन शुरू किया, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक, जब यह सत्र होता है, तो कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता, जब बाढ़, वर्षा और सूखा, इनके बारे में इस सत्र में चर्चा न हुई हो। लेकिन सत्र उठा, बाढ़ आयी, बाढ़ का पानी वापस गया, राहत के कुछ काम हुए-नहीं हुए और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि यह बाढ़ केवल इस वर्ष के लिए आयी, भविष्य में आनी नहीं है और इसके इंतजाम के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। हर साल जब भी चर्चा होती है, तो एक वाक्य जरूर सुनने को मिलता है कि ऐसी अभूतपूर्व बाढ़ पहले कभी नहीं आयी और मैं ऐसा समझता हूं कि हर बार इस वाक्य का उच्चारण होता है और उस अभूतपूर्व बाढ़ को पूर्व करने की कोई तैयारी हमारे देश में नहीं होती। इस वर्ष अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता प्रकट की कि भारत जिस तरह इस वर्ष बाढ़ से ग्रस्त हुआ संभवत: पहले नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों के यहां, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, इस वर्ष कहने लगे कि यह तो सन् 1998 की बाढ़ से भी अधिक ऊंची थी और जो सन् 1998 की जो वृहद् बाढ़ आयी, उसके बारे में कहते थे कि यह सन् 1936 की बाढ़ को भी पार करने वाली बाढ़ है। उसके बाद सभी लोग बाढ़ की विभषिका को भूल जाते हैं, खासतौर से राजनीति करने वाले, देश चलाने वाले, शासन और प्रशासन के तंत्र पर बैठे हुए लोग इसे भूल जाते हैं। हर साल से यह बाढ़ कुछ इस मायने में अलग है कि यह बाढ़ जून और जुलाई महीने में आयी। हमेशा बाढ़ अगस्त के अंत और सितंबर के महीने में आती थी।

एक संसदीय समिति के सिलसिले में मैं गुजरात गया था। बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके में जहां केवल रेगिस्तान है और मैं बहुत परेशान था कि यहां भीषण गर्मी है और यहां रुकना मुश्किल है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन कच्छ के रण में जो भीषण बारिश हुयी, उससे हम लोगों का अहमदाबाद तक आना एक कठिन काम हो गया। वह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली और एक हफ्ते में तकरीबन गुजरात एकदम डूबने जैसी स्थिति में हो गया और उसके पहले ही मुंबई में बाढ़ आकर, मुंबई को बहा ले गयी। मुझे इस बात पर संतोष हुआ कि हर बार जब हम लोग संसद में बहस करते थे, तो हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के साथी हम लोगों पर व्यंग करते थे कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार वाले केवल बाढ़-बाढ़ हल्ला करके कुछ अहेतुक सहायता के लिए ससंद में दबाव पैदा करते हैं, लेकिन पिछले दो-तीन-चार सालों से जो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की हालत है, हमारे देश के धनी प्रांतों को भी, बाढ़ की विभीषिका का कितना नुकसान और कितनी परेशानी लोगों को होती है, इसका एहसास उनके भी मन में होने लगा और उसकी संवेदना उनके भी दिल को परेशान करने लगी है, इस पर हमें संतोष होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आना हमेशा की गतिविधि है। लेकिन इस वर्ष गृह मंत्री जी ने 22 जिलों के नाम उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त जिलों में दिए हैं। इसमें एक-आध नाम छूटे हुए हैं जिसमें खास तौर से मेरा स्वयं का लोक सभा क्षेत्र देवरिया है। वहां भीषण बाढ़ थी, भारी नुकसान हुआ। बाढ़ आई और चली गई, लेकिन हमेशा के लिए चली गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी बाढ़ का सीजन बचा हुआ है, बाढ़ फिर से आ सकती है। ऐसे बहुत सारे जिले जिनमें हर साल बाढ़ आती है, गृह मंत्री जी ने हमें जो पुस्तिका प्रसारित की है, उनका उल्लेख उसमें नहीं है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की परेशानी सूखे की है। 22-24 जिले अभी बाढ़ से परेशान हुए। लेकिन शेष जो 35-36 जिले हैं, वे सूखे से बुरी तरह ग्रस्त हैं। इस बार की बाढ़ की परेशानी इस मायने में रही कि न प्रशासन, न शासन और न राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार थे कि इतनी जल्दी, जुलाई महीने में बाढ़ आने वाली है। लेकिन जैसे हमारे मित्र प्रभुनाथ जी कह रहे थे, बिहार में तकरीबन 30 दिन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों, खास तौर से गोरखपुर और बस्ती मंडल में लगातार 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अखंड वर्षा हुई है। कोठ काम नहीं हो सका जिसके चलते स्थानीय स्तर पर बाढ़ आना स्वाभाविक स्थिति थी और यह बाढ़ आई। आज अखबारों और टेलीविजन पर खबरें आ रही हैं कि बिहार में फिर से बहुत तेज बाढ़ शुरू हो गई क्योंकि कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमने भी टेलीफोन पर खबर ली तो पता लगा कि हमारे इलाके में भी कल से लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा और मौसम के मामले में हिन्दुस्तान का जो पूर्वी जोन है, उस जोन का हिस्सा देवरिया और कुशीनगर का हुआ करता है, इसलिए जब पटना, बेतिया और गोपालगंज में वर्षा होती है, तो स्वाभाविक ढंग से देवरिया और कुशीनगर में भी वर्षा होती है और उसी तरह की परेशानी के शिकार हम लोग भी होते हैं। टेलीविजन पर जो तस्वीर आ रही है, पटना शहर में घुटने से ऊपर तक पानी हो गया है। बहाव की गंभीर समस्या है। हमारे इलाके में एकाएक एक बांध टूटा जिसकी वजह से रात भर में पूरी तहसील जलमग्न हो गई और लोग परेशान हो गए। राहत की कोई व्यवस्था एकाएक संभव नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। हमारे पड़ोस गोरखपुर, महाराजगंज जनपद में एक त्रासदी हुई। एक छोटी सी नदी में भीषण बाढ़ आने से गांव के लोग प्रभावित हुए एक ही नौका पर तकरीबन पूरा गांव चढ़ने लगा। उस नाव के टूट जाने से सरकारी सूचना के मुताबिक 36 लोग पानी में डूब गए और उनका पता नहीं लगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। ऐसी ही त्रासदी कुशीनगर जिले में हुई। जब बांध टूटा, उसका पानी सारे गांव में

पहुंचा तो उस समय कुशीनगर जनपद में एक नाव डूबने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेकिन अभी तक सुझाव दिया गया कि जो भी बाढ़ के इलाके हैं, वहां के लोगों को उस कैचमैंट एरिया से बाहर निकालकर बसाया जाए। मैं ऐसा समझता हूं। कि इसके दो पक्ष हैं—एक पक्ष बाढ़ का है कि बाढ़ आने के बाद तत्काल राहत होनी चाहिए। कितने पशु मरे हैं, कितनी फसल बर्बाद हुई है और कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उसके हिसाब से उन्हें घर मुहैया किए जाएं। हम हर साल एक आकलन तैयार करते हैं कि भारत सरकार इस साल इंदिरा आवास योजना के तहत डेढ़ लाख घर बनाएगी। जब वह योजना प्रसारित हो जाती है तो डेढ़ लाख लोग फिर बिना घर-बार के हो जाते हैं और उन डेढ़ लाख लोगों को अतिरिक्त घर देने की आवश्यकता होती है। पहले से हमारी जो समग्र योजना है, वह ठंडे बस्ते में चली जाती है और नई समस्या सामने आ जाती है और तात्कालिक तौर पर ऐसे लोगों को घर बनाकर देने की बात होती है। लेकिन उनकी दुश्वारी है। यदि हम उन्हें कहें कि इस इलाके को छोड़कर जाइए क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हम आपको उठाकर ले जाते हैं और आप फिर इसी स्थान पर आ जाते हैं। वे वहां से चलने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी रोजी-रोटी उसी घर से जुड़ी हुई है। उनकी जमीन-जायदाद वहीं है और उसमें दैनिक मजदूरी करके अपनी जीविका को चलाने का काम उसी छोटे से इलाके में वे करते हैं। इसलिए वहां से हटने को तैयार नहीं हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार राहत की योजनाएं चलाने के साथ-साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों को हर साल डूब से बचाने के लिए उन सारे गांवों को ऊंचा करने की योजना बनाये। यदि उन सभी रिहायिशों को ऊंचा कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो ये घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोग मरते हैं, वे न होंगी।

हमारे जिले से गंडक नदी जो बड़ी नदी है, होकर गुजरती है। वह हमारे जिले को परेशान करने के साथ-साथ बिहार में तबाही करती है। हमारे जिले में जब से उस पर रेलवे का बड़ा पुल भारत सरकार के सहयोग से बना, तो केवल उस रेल के पुल को बचाये रखने के लिए कुशीनगर जनपद में उस नदी की धारा को प्रमुख इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग के जरिये घेर लिया। जब वह नदी आठ-नौ किलोमीटर घेर ली गयी, तो हजारों एकड़ फसल जो बाढ़ से जलमग्न होने वाली है, उसकी रक्षा हो गयी। लेकिन आगे उस नदी को नहीं घेरा गया जिस कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतिम इलाके में उसका पानी तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक योजना भारत सरकार को बनानी पड़ेगी चाहे वह कितनी ही खर्चीली दिखलाई पड़े। लेकिन वह भी एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है कि नदियों को सीधा करके, उनके पेटा को सीधा करके, उन नदियों के अरार को स्थायी बनाने का इंतजाम भारत सरकार को एक योजना के तहत बनाना चाहिए। एक-एक नदी को जो विनाशकारी नदियां हैं, उन सबको इस योजना में लेना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव और राहत इसलिए हो गया कि सबसे बड़ी नदी गंगा में बाढ़ नहीं थी। गंगा नदी में ऐसी बीसियों छोटी-बड़ी नदियां—घाघरा से लेकर रापती और अन्य नदियां हैं जिनका जल गंगा में जाता है। गांगा में चूंकि अभी पानी को समाहित करने की क्षमता अधिक थी इसलिए जितनी विभीषिका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़नी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ी। इस बात को कहने का मेरा अर्थ केवल इसलिए है कि जो योजना पूर्ववर्ती सरकारों ने, आज से नहीं जब डा. के.एल. राव हिन्दुस्तान के सिंचाई मंत्री बने, क्योंकि एक जमाना था जब इस देश में बाढ़ से बचाव का दायित्व भारत सरकार नहीं लेती थी। ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। हमारे संविधान के अनुसार सिंचाई का पूरा इंतजाम चूंकि राज्यों का विषय था इसलिए केन्द्र सरकार अपना हाथ झाड़ लेती थी कि इस बाढ़ से और बाढ़ से बचाव के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार इन योजनाओं को बनाये। लेकिन जब डा. के.एल. राव भारत के सिंचाई मंत्री हुए, तो उनको राज्य सरकारों ने खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन इस बात का दिया कि उत्तर प्रदेश की छोटी-बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर जिस नदी में अधिक पानी आये, बाढ़ आये, उसके पानी को जिस नदी की ओर बहाव कम है, पानी कम है, उस दिशा में उस नदी के बाढ़ के पानी को छोड़ दिया जाये जिससे बाढ़ के समय पानी का संचयन हो सके जो भविष्य में काम आये। उसी तरह जो नदियां नेपाल की ओर से निकलती हैं उनके उतार के स्थान पर जलकुंडी योजनाएं चलाकर बड़े-बड़े कुंड आस-पास बनाये जायें जिसमें बाढ़ के पानी को छोड़कर उसका स्थायी संचय किया जाये, ऐसी एक योजना डा. के.एल. राव के जमाने में बनी थी। उस योजना का पृष्ठपेषण पिछली एनडीए सरकार ने किया। उन्होंने सारी बड़ी नदियों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपस में जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना अपने दिमाग में बनायी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वह योजना खर्चीली हो सकती है लेकिन एक राष्ट्रीय संकल्प पैदा करके इस देश में उस योजना को पूरा करने की आवश्यकता है यदि हम बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान चाहते हैं।

तीसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि हिमालय की ओर से भारत की भूमि पर बहुत सारी विकराल नदियों का बहाव है खासतौर से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। अब हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया के पर्यावरणविद् यह कहने लगे हैं कि दो मीटर के हिसाब

[श्री मोहन सिंह]

से गंगोत्री ग्लेशियर सिकुड़ रहा है और आने वाले 50 वर्षों में गंगा नदी का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पंचनन्द है जिसमें सिंध से लेकर झेलम, चनाव, रावी आदि ये सारी नदियां हैं, उनका बहाव तिब्बत की ओर से है। जब से तिब्बत का अस्तित्व समाप्त हुआ, तो वे चीन के नियंत्रण में आयीं।

हमारे देश के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि नेपाल से बात करो, भूटान से बात करो लेकिन चीन से बात करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। इतने बड़े देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़े ग्लैशियर को तोड़-तोड़कर चिनाव नदी में डाल दिया गया जिसके चलते हिमाचल डूब गया। कभी हम यह बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस तरह से ग्लैशियर को तोड़कर नदी में गिराया गया। आज आने वाले नए न्युज चैनल्स से यह खबर मिलती है कि हाइड्रोजन के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बदलने की कोशिश, उसके कोर्स को चेंज करने की कोशिश चीन की सरकार निरंतर कर रही है। अभी अखबारों में खबर आई है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम हिन्दी में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में जिसे माउण्ट एवरेस्ट कहते हैं, उस तक चढ़ने के लिए सड़क बना रहा है, पूरे तिब्बत में उसने लम्बी-चौड़ी रेललाइन बिछा दी है। अब दुनिया के पर्यावरणविद् कहते हैं कि दुनिया की छतरी तिब्बत में पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके चलते वहां से निकलने वाले ग्लैशियरों में गर्मी पैदा होकर उनके सूखने की स्थिति बनी है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर नेपाल से बातचीत होनी चाहिए, जो कि पहले भी हो चुकी है, भूटान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही चीन से भी बातचीत होनी चाहिए। एक बार हमें साहस जुटाकर कर चीन से कहना चाहिए कि हे महान चीन, हम आपसे न केवल अपनी सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे, बल्कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके बहाव के बारे में और उनको संतुलित करने के बारे में भी बात करना चाहते हैं इन नदियों के बहाव को संतुलित करने के बारे में भारत और चीन के बीच एक समन्वित नीति बनानी चाहिए, तभी में समझता हूं कि उत्तर भारत की बाढ़ की समस्या के निदान की दिशा में हम एक सोच विकसित करेंगे। उस दिशा में कितने कदम उठाए जा सकेंगे, इस बारे में मेरी बहुत सारी आशंकाएं हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज देश के इस स्वोच्च सदन में बाढ़ जैसी विभीषिका पर चर्चा हो रही है। इस साल देश में जो अप्रत्याशित बाढ़ आई है, उसके बारे में यहां चर्चा हो रही है। यह आज देश के लिए चिन्ता का एक विषय बन गया है। अभी माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि हर साल, कोई भी ऐसा मानसून सत्र नहीं होता है, जिसमें हम बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा का कोई नतीजा निकलना चाहिए। इसीलिए मैं आज देश के सामने जो चुनौती खड़ी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाढ़ की जो मौजूदा स्थिति है, वह बहुत ही भयावह है, भयावह है। देश के लगभग 22 राज्य— बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आदि राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन 22 राज्यों में अभी तक लगभग 1,200 लोग मारे गए हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गयी है। बिहार में धान का बिजरा भी वाश-आउट हो गया है जिसकी वजह से अब वहां पर धान की फसल नहीं ली जा सकेगी। इस साल वहां लोग क्या खाएंगे, यह प्रश्न पैदा हो गया है क्योंकि वहां केवल गेहूं और धान दो ही फसलें होती हैं। 68,000 से ज्यादा पशु बाढ़ में बह गए हैं। खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ से ज्यादा बर्बादी हुई है। बिहार और पश्चिम बंगाल से लगभग 60 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा, राप्ती, शारदा, आदि दर्जनों नदियों से 21 जिले प्रभावित हुए हैं। 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ बिहार की नियति बन गयी है। बिहार के 20 जिलों में बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, गोपालगंज, खगड़िया, बेगूसराय, अररिया, पटना, नालन्दा, भागलपुर हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

बिहार में 22 दिन तक लगातार बारिश होती रही, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहां के लोगों की सात दिन तक बारिश झेलने की क्षमता है, लेकिन इतने दिनों तक हुई बारिश को वे नहीं झेल सके। यहां पर जल संसाधन विकास मंत्री जी बैठे हैं, यह जानते हैं कि वहां सबसे बड़ी नदी कमला है। उसके अलावा नेपाल से आने वाली नदियों कोसी, गंडक, बूढ़ी बालान, बागमती, बूढ़ी गंडक, अदवारा समूह, लखनदेई, घघरीया, फरेहा, महानंदा, नारायणी आदि बड़ी नदियों और अन्य छोटी-छोटी नदियों से उफान आ गया और भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे 30 वर्ष पुराना रिकार्ड टूट गया। आज तक वहां ऐसी अप्रत्याशित बाढ़ नहीं आई थी। वहां के लोगों को इतनी अधिक बाढ़ झेलने की आदत नहीं थी। उत्तर बिहार का

इलाका तहस-नहस हो गया। वहां यातायात का कोई साधन नहीं बचा, क्योंकि सारी सड़कें टूट गईं। जिले से अनुमंडल मुख्यालय और अनुमंडल से प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट गया, यातायात का कोई रास्ता नहीं बचा। स्थिति यह बन गई कि एक जगह से दूसरी जगह कोई आ-जा नहीं सकता था। जो सामान जहां था, वह वहीं रह गया। आपदा पूर्व जो प्रबंधन होना चाहिए, नावों की व्यवस्था करनी चाहिए, वह नहीं की गई। मैं इस बहस का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार स्थिति ठीक नहीं रही। नावों को ठीक नहीं किया गया। बरसात से करीब छः महीने पहले नावों को दुरूस्त किया जाता है, जिससे वे पानी में चलने लायक बन सकें, लेकिन इस बार जो आपदा से पूर्व प्रबंधन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। इस बार तो पटना जिला भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा। वहां जल्ला क्षेत्र, मोकामाबाढ़इया, फतवाटाल क्षेत्र जो 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

अपराह्न 5.12 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

सम्पूर्ण बिहार में दलहन का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। पुन-पुन से जहानाबाद और नालंदा आदि तक सभी बांध और तटबंध टूट गए। जितनी नदियों पर तटबंध थे, चाहे कोसी पर हों, भूतही बालान पर हों, कमला बालान पर हों, सभी टूट गए। इन तीनों नदियों से मेरा संसदीय क्षेत्र झंझारपुर घिरा हुआ है। तटबंधों के रखरखाव के लिए जो काम होते हैं, वे नहीं हुए मैंने पूर्व में ही, मई-जून में, त्राहिमाम संदेश सरकार को लिखकर दिया था। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार काफी संवेदशील रही और युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन वस्तव में कुछ नहीं किया गया। मेरे पास प्रमाण है। मैंने मधुबनी के कलेक्टर को भी सूचित किया था। सचिव, आयुक्त जल संसाधन विभाग को भी सूचना दी थी और मधुबनी के जिलाधिकारी को भी कहा था कि इस बार तटबंध टूट जाएंगे और लोगों को परेशानी होने वाली है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 भुतही-बलान तटबंधों में स्थानों पर पहले से जो टूटने की आशंका जाहिर की गई थी, उसके बारे में तीन महीने पहले सूचित किया गया था, इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने खुद बिहार के मुख्यमंत्री को त्रामिमाम संदेश दिया था कि आप तटबंधों की रक्षा कीजिए, नहीं तो लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा और खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस पर कोई एहतियाती कार्रवाई नहीं हुई। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 3 अगस्त को जारी सूचना के मुताबिक खासकर 20 जिलों में डेढ़ करोड़ आबादी बाढ़ की चपेट में आई है, लगभग 200 लोगों की जान गई है और साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ में नाव दुर्घटना से, सांप काटने से और पानी में डूबने से, इन तीन कारणों से लोगों की मौत होती है। 1200 लोगों में से 300 लोग अकेले बिहार में बाढ़ के कारण मारे गये हैं। साथ ही डेढ़ करोड़ से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ की चपेट में प्रभावित आबादी 1 करोड़ 40 लाख 54 हजार है। हमने डेढ़ करोड़ कहा है और हमें लगता है कि इसका विश्लेषण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। हम लोगों ने बांध पर, तटबंध पर जो 10-15 दिन बिताए हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में, वहां हमने देखा कि कितने लोग मारे गये हैं। यह रिपोर्ट तो सरकारी है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दी है, इसमें यह स्थिति दर्शायी गयी है। यहां तक कि राज्य सरकार ने जो क्षति का अनुमान दिया है वह 315.76 करोड़ रुपये की क्षति का है। क्या केवल 315.76 करोड़ रुपये की ही क्षति हुई होगी? करोड़ों रुपये की तो धान की फसल ही नष्ट हो गयी है और लाखों लोग बेघर हो गये हैं। कच्चे घर पानी में बह गये और करोड़ों लोग बेघर हो गये हैं। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार भी इसमें विशेष आर्थिक पैकेज देकर जो बेघर लोग हैं उनको सहारा दे। इंदिरा आवास योजना की गाइड-लाइन्स में अगर परिवर्तन भी करना पड़े तो सरकार को परिवर्तन करके बाढ़ पीड़ित लोगों के घरों का निर्माण होना चाहिए। लोगों के सिर पर छत होगी तभी तो वे कुछ कर सकेंगे। आज उनके सिर पर छत भी नहीं है। राहत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसमें सब लोगों को मिलकर इस समस्या का हल खोजना चाहिए।

सभापति महोदया, राहत के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल 31 दिसम्बर, 2006 तक सीआरएफ और एनसीसीएफ से जारी राशि का जो ब्यौरा है जिसमें वर्ष 2006-07 में सीआरएफ के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश को आवंटित राशि 361.28 करोड़ है और जारी की गयी सीआरएफ में केन्द्र का अंश 335.48 करोड़ है। एनसीसीएफ के अंतर्गत जारी राशि 203.06 करोड़ है। बिहार में 153.23 करोड़ रुपये सीआरएफ के अंतर्गत आवंटित है। लेकिन जारी 0.00 जारी किया गया है। इसी प्रकार से और राज्यों का है। उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया जो एक तरीका है। जब राज्य यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो जो आवंटित राशि 153.23 करोड़ रुपये 31 दिसम्बर 2006 तक की है वह राशि रिलीज नहीं हुई। वह रिलीज हुई है अभी, जब माननीय गृह मंत्री जी और यूपीए की चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी ने हवाई सर्वेक्षण किया है तो 10 अगस्त 2007 को पैसा रिलीज हुआ है। यह चार दिन पहले 114.92 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। इसमें केन्द्रीय अंश की पहली किश्त 2006-07 की है। राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद 10 अगस्त 2007 को पैसा रिलीज हुआ है। उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिला, इसीलिए पैसा रिलीज नहीं हुआ था। यह बुनियादी कारण है जो

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

बिहार पैसे से अछूता रहा। वे पैसे खर्च नहीं हुए। इसीलिए जो राहत की बात कर रहे हैं उसकी मैं चर्चा करता हूं।

राहत की हालत यह है कि राहत के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। अभी कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। सभापति महोदया, एक हृदय विदारक घटना है। मेरा जिला जो मधुबनी है उसमें एक गांव है चकदह। मैं उस गांव में रात को 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचा जहां गोली से एक दर्शनानन्द ठाकुर की मौत हो गई। उसका क्या अपराध था? मधुबनी में बाढ़ का पानी भरा था और जिला प्रशासन के लोग चकदा गांव में पानी डालना चाहते थे, वे खुद पानी में नहीं डूब पाए चाहे जनता डूब जाएं, मैंने वहां एक सीमेंट की सड़क बनवायी थी, वहां लोग पड़े हुए थे, दोनों तरफ पानी था, प्रशासन ने कहा कि पानी जाने दो, गांव के लोगों ने कहा कि हम तो डूब ही रहे हैं, हमें और क्यों डूबो रहे हो, हमारी कम आबादी है, तुम शहर के बहुत लोग हो, नाला चीर कर दूसरी तरफ पानी ले जाओ, कहा गया कि इसी में कटेगा, समूचे मधुबनी थाने की पुलिस बुला ली गई, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला था, सारे जिले के पुलिस पदाधिकारी आए, उसमें जबर्दस्ती काटना शुरू किया। ऐसे में गांव के लोगों ने उस बांध पर मानव कडी बना ली और कहा कि पहले हमें काटो, फिर हमारे गांव में पानी जाएगा वरना जब तक हमें नहीं काटोगे, गांव में पानी जाने नहीं देंगे। गांव में सभी लोग जमा हो गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज में लोग घायल हुए, तब भी लोग नहीं हटे, कुछ लोग घायल होकर अस्पताल में हैं, मैं घायल लोगों के नाम शिवनाद चौधरी और धनिकलाल चौधरी बता सकता हूं, इसके बाद पुलिस ने चकदह मोहल्ले में घुस कर गोलीबारी शुरू कर दी जिस में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव श्री दर्शनानन्द ठाकुर जो बिसवीं गांव में आए थे, बैग रख ही रहे थे, उनकी पत्नी और एक बच्चा भी था, 39 साल के नौजवान पर ऑन दी सपॉट गोली लगा दी गई। जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए राहत की मांग कर रहे थे, उनको गोली मार दी जाती है। गोली चलाने से पहले पानी की बौछारें डाली जा सकती थी, लाठीचार्ज किया जा सकता था, अगर इससे भी वे नहीं मानते तो रबड़ की बुलेट को चलाना चाहिए, अश्रु गैस छोड़ना था। जब भीड़ उग्र दिखायी देती तब गोली चलायी जा सकती थी। आप साबित कर दें कि वहां रबड़ की बुलेट, पानी की बौछारें चलायी गई। एकाएक बूंदक चलाना मानवाधिकार का हनन है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के साथ जो घटना घटी, वह बहुत गंभीर है। वे संवेदना की बात करते हैं, केवल गृह सचिव दूसरे दिन गए और कहा कि मृतक परिवार को एक लाख रुपए का मुआवजा देंगे।

सभापति महोदया: आपकी पार्टी के चार और सांसद बोलने वाले हैं। बाकी सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमें समय से न बांधा जए। यह एक गम्भीर विषय है। इस पर दो दिन और बहस चलायी जाए। हम लोगों ने बीएसी की मीटिंग में यह बात रखी थी। विषय की गंभीरता को देखते हुए इस पर बोलने का समय दिया जाए। सम्पूर्ण देश में सबसे बड़ा विषय बाढ़ की विभीषिका है क्योंकि कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। जिस तरह चकदह गांव में 3 अगस्त को गोली चला कर श्री दर्शनान्द ठाकुर को मार दिया गया, हमने लगातार यह मांग की कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाए क्योंकि सभी आला अधिकारी दोषी हैं। बाढ़ पीड़ितों पर लाठी और गोली चली। कहा गया कि रात को ही पोस्टमार्टम किया जाए। मैं इतने में अस्पताल पहुंच गया। जिलाधिकारी ने रात को जो पोस्टमार्टम करना था, उसे स्थगित कर दिया। मैंने कहा कि रात को पोस्टमार्टम करने का कोई नियम नहीं है। एक तो गोली मार दी और रात को उसके आश्रित परिवार पर दबाव डाला गया कि अभी पोस्ट मार्टम होगा, मैंने कहा कि रात को पोस्टमार्टम करने का नियम नहीं है, दिन में पोस्टमार्टम हो और दिन में गृह सचिव आए जो घटना स्थल पर जाने से कतरा रहे थे। बाद में उनसे कहा गया कि जाकर देखें कि क्या स्थिति है। आप जानते हैं गृह सचिव, बिहार ने क्या किया? उन्होंने एक हवलदार के ऊपर हत्या का मुकदमा कर दिया और घुमा कर सब बात स्वीकार की जो अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे रहा है उसे इनवॉल्व नहीं किया, केवल एक हवलदार के ऊपर हत्या का मुकदमा करके कर्तव्य की इतिश्री कर दी। यह है बाढ़ पीड़ितों के राहत के बदले गोली की कहानी। सोनवर्षा प्रखंड जो सहरसा जिला में है, वहां पर लाठीचार्ज से इन लोगों की मौत हुई। बाढ़ में राहत देने के नाम पर मौत हो रही है। वे लोग पानी में तो डूब कर मर गए, साथ में गोलीबारी से भी मौत हो गई। समस्तीपुर में नाव दुर्घटना से कई लोग मरे लेकिन जो बच गए, वे राहत के क्रम में मारे गए। यह अमानवीय कार्य है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसकी न्यायिक जांच हो वरना केन्द्र सरकार मधुबनी गोलीकांड की सीबीआई से जांच कराए ताकि सही बात सामने आ सके।

हम केन्द्र सरकार से बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग करते हैं और जो गृह विहीन लोग हैं, उनके लिए अलग से विशेष इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के घर की मांग करते हैं, सारे नियमों को शिथिल करके यह काम किया जाना चाहिए।

मैं इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि यह समस्या तो अगली बार होगी ही। अभी ये लोग राहत में क्या दे रहे हैं,

इसके बारे में प्रभुनाथ सिंह जी बता रहे थे कि राहत कार्य काफी हो रहा है लेकिन राहत में क्या हो रहा है सिर्फ ढाई सौ रुपया मिल रहा है। इसे लेकर वे लोग कहां ऊंचे तटबंध पर जाएंगे? लोग ऊंचे तटबंध पर बैठे हुए हैं, न वहां कहीं आटा पीसने का प्रबंध है, न वहां चावल बनाकर खाना खा सकते हैं, उनको रेडीमेड फूड जैसे चना, सत्तू या चूरा देना चाहिए लेकिन इन्हें वह न देकर ढाई सौ रुपया दे रहे हैं। इनका अनाज तो चारों तरफ से घिर गया है, चारों तरफ तटबंध और सड़क टूट गई, कहीं से अनाज की आवाजाही नहीं हो सकती है, दो या तीन महीने पहले यह काम होना चाहिए था। जब हिली एरियाज में लैंड स्लाइड होना होता है तो पहले अनाज का स्टोरेज कर लिया जाता है लेकिन इस संबंध में आपदा प्रबंधन के काम में सरकार बिल्कुल विफल रही है। इसके लिए आपदा पूर्व प्रबंधन होना चाहिए कि नैचुरल कैलेमिटी को कैसे फेस किया जाए।

आज पशु चारे का घोर संकट है। पशु जान की तेजी से हानि हो रही है। पोलीथीन शीट कहीं नहीं है, हम कोलकाता से पोलिथीन गंगा रहे हैं। सबको साहब आशा दिलाते रहे मुजफ्फरपुर आ गया है लेकिन कहीं पोलिथीन नहीं जा सका, मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग कटा हुआ है, स्कूल टूटे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, किस रास्ते से जाएंगे, यातायात बंद है। अभी महामारी की बीमारी काफी फैल रही है, जब पानी घटता है तब यह होती है। अभी फिर से पानी बढ़ गया है क्योंकि कल से बरसात तेज हो गई है, इसमें जीवन रक्षक दवाएं, सांप डंस की दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

अब मैं अंतिम बात अस्थाई समाधान के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। हर साल बाढ़ आती है इसका उपाय क्या है? हम बाढ़ के विषय पर छः महीने बाद बहस करते रहते हैं और सुखाढ़ के विषय पर अगले छः महीने बहस करते रहते हैं। 9 अगस्त दिसंबर 2002 को संसद मार्ग पर काफी प्रदर्शन हुआ था, यहां काफी लोग आए थे, हमने लाठी भी खाई थी, हमने कहा था कि बाढ़ का स्थायी समाधान करो। तब श्री अर्जुन चरण सेठी जी जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि जो नेपाल-भारत वार्ता 2001 में हुई थी, उसके अनुसार सात जगह पर जेपीओ कार्यालय खुलेगा। उत्तरी भारत का नेपाल के ऊपरी भाग में भारत-नेपाल समझौता के तहत अस्थायी समाधान हो सकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों को बचाया जा सकता है। अस्थायी समाधान के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलना था, इस संबंध में राज्य मंत्री बताएंगे 2004 में कहां कार्यालय खुले हैं। नेपाल-भारत समझौता 2001 में हो चुका था और मात्र चार जगह कार्यालय खुला है, सात जगह नहीं खुला है, यहां भारत और नेपाल, दोनों के इंजीनियर मिलकर डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाएंगे। डीपीआर रिपोर्ट के लिए 2004 में आश्वस्त किया गया था अब 2007 आ गया है, दो साल में बनकर डीपीआर तैयार होना था लेकिन अब 2007 गुजर रहा है, पता नहीं डीपीआर कब बनेगा? जब तक इसे प्रॉयरिटी नहीं दी जाएगी, यह नहीं होगा। स्थायी समाधान का मतलब है हाई लैवल डैम, जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, चाहे कोसी काबराह में, चाहे कमला नदी का सीसापानी में, बागमती का नुंथर में, ये प्रस्तावित जगह है, इन जगहों पर हाई लैवल डैम बनकर मल्टी परपज सिद्ध होगा, इससे बाढ़ का कंट्रोल होगी, पानी का नियंत्रण होगा और जल विद्युत पैदा होगी। इससे दस हजार मेगावाट पन-बिजली पैदा हो सकती है, इससे सात राज्यों को बिजली मुहैया कराई जा सकती है और सस्ती दर पर किसानों की दी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट को नहीं किया जा रहा है इसमें केन्द्र सरकार की अहम भूमिका है, इसमें राज्य सरकार की भी संयुक्त जिम्मेदारी है। जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक हर साल लोग बाढ़ में डूबते रहेंगे और विनाश लीला देखते रहेंगे। ये लोग राहत का गाना गाते रहेंगे, राहत से पुरुषार्थ घटेगा, इस देश में पुरुषार्थ से खैरात पसंद लोगों को बना देंगे, यह राष्ट्र कमजोर होगा, पुरुषार्थहीन होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाढ़ के स्थाई समाधान पर जोर देना चाहिए और हाई लैवल डैम बनाकर पानी को कंट्रोल करें। भारत और नेपाल के बीच में 2001 में जो समझौता हुआ है, केन्द्र सरकार को उसका अनुपालन गारंटी से सुनिश्चित करना चाहिए। अभी तात्कालिक राहत का काम चलाकर वहां लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन आगे स्थाई समाधान पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा इस सवाल पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वर्ष 2002 में हमने जो किया था, यदि फिर हमें अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मैं संसद मार्च करूंगा। जब तक इसका स्थाई समाधान नहीं होगा, यहां की जनता का और बाढ़ पीड़ित लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मैं इस बात से सदन को आगाह कर देना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को प्राथमिकता के आधार पर ले।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): सभापति महोदया, देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ के बारे में सदन में चर्चा चल रही है। एक तरफ कुछ ऐसे राज्य हैं, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन जिस विदर्भ क्षेत्र से

अपराह्न 5.31 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मैं आता हूं वह हर साल सूखा रहता है। हर साल सूखा रहने के बाद जब इस वर्ष मानसून की शुरूआत हुई तो मानसून की

[श्री अनंत गुढ़े]

शुरूआत में ही जब देश में बरसात नहीं आई थी, जून महीने के सैकिंड-थर्ड वीक में यहां बड़ी मात्रा में बरसात हुई। जिसकी कोई जानकारी, कोई वैदर रिपोर्ट नहीं दी गई कि यहां भारी बरसात होने वाली है। इसके बारे में कोई वैदर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण भारी मात्रा में विदर्भ में तबाही मच गई। अमरावती, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा आदि जिले बाढ़ से प्रभावित हो गये, जो सूखे जिले थे। सारी नदियों में डैम का पानी छोड़ा गया और सब नदियों में बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। अमरावती जिले में अंजनगांव, सूरजी, चांदुरबाजार, दरयीपु, अमरावती, अंतकुली जो तहसीलें थी, उनमें इतनी तबाही मच गई कि जो नदी, नालों के किनारों में रहने वाले लोग थे, वे बड़ी संख्या में बह गये। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मिट्टी के घर हैं, जो साधारण लोग हैं, उनके घरों का सारा सामान बह गया। उनके घरों के बर्तन बह गये, कपड़े बह गये और लोग जाकर स्कूलों और इधर-उधर जगहों पर रहने लगे। आज वहां बाढ़ आये हुए डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बाद भी जो सुविधाएं वहां लोगों को मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिली। वहां लोगों को केवल एक हजार रुपये की सहायता मिली। केवल बीस किलो अनाज मिला। डेढ़ महीने से उन लोगों के पास न खाने को अनाज है, न पीने को पानी है और न रहने के लिए कोई जगह है। आज वहां ऐसी दयनीय स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता भेजी है। सरकार ने जो किताब आज यहां प्रस्तुत की है, उसमें लिखा है कि हमने राज्य को 245 करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन आज भी जो प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग वहां स्कूलों में रह रहे हैं, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। इसमें अगर पूरे विदर्भ की नहीं, केवल एक-दो जिलों का भी यदि ब्यौरा लिया जाए तो 2170 पुलिया टूट गई हैं, 2477 रास्ते बेकार हो चुके हैं। 179 रास्तों की आज भी ऐसी स्थिति है कि उन पर चलना मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन गांवों में स्कूल या हाई स्कूल नहीं हैं, जिन गांवों के बच्चे दूसरे गांवों के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, वहां जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। बच्चों को महीना, डेढ़ महीना घर में बैठे हो गया है, न उनके पास कुछ खाने के लिए है और न ही वे स्कूलों को जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो इमरजेन्सी सपोर्ट थी, जो इमरजेन्सी काम करने की जरूरत थी, उसके बारे में बताता हूं। वहां मुख्यमंत्री आये, उप-मुख्यमंत्री आये, राज्य के कई मंत्री आये, उन्होंने कहा हम अर्जेंट सारी राहत देते हैं, अर्जेंट में सारे रास्ते बना देते हैं। लेकिन आज डेढ़-दो महीने हो रहे हैं, जो रास्ते डैमेज हुए थे, जिनकी थोड़ी मरम्मत करनी थी, वह रास्ते भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं।

इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और जो राहत उनको मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है। जो भी लोग बह गये हैं वे सारे लोग आज पुनर्वास की मांग कर रहे हैं क्योंकि नदी नालों के किनारे लोग रहते हैं और हर साल बाढ़ नदी नालों में आती रहेगी, लोग बहते जाएंगे, उनको हम कुछ मदद देते रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी तो हम देश में ऐसे लोगों का परमानेंट पुनर्वास नहीं कर सकते। इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। इसीलिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम बाढ़ के लिए सारे राज्यों को मदद दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार का जो अंशदान है, राज्य सरकार की जो मानसिकता है, वह ठीक नहीं है। जो बाढ़ के पैसे मिलते हैं, वे पैसे राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों को नहीं देती है। वह धनराशि राज्य सरकार दूसरी जगह पर खर्च कर देती है। पिछले साल 26 जुलाई को मुम्बई में बाढ़ आई थी। वहां मीठी नदी के बारे में सारे समाचार-पत्रों में लिखा गया था लेकिन आज भी मीठी नदी की स्थिति एक साल के बाद भी वैसी ही है। केन्द्र सरकार ने कहा था कि हम 500 करोड़ रुपये देते हैं। सरकार ने कहा कि हम मीठी नदी के लिए सारी चीजें मुहैया करेंगे लेकिन आज भी मीठी नदी का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो स्थिति पिछले साल थी, वही स्थिति आज भी है। जो गांव बह गये हैं, वहां भी वही स्थिति है।

आज जो केवल विदर्भ का इलाका है, इस इलाके में सारे लोगों को सुविधा मिलने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये की जरूरत वहां है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 5 जिलों को पैकेज दिया है। जब सूखा पड़ा था तब किसान मर रहे थे और कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की। सारी दुनिया और देश का ध्यान विदर्भ ने आकर्षित किया है। 5 जिलों को पैकेज दिया गया है लेकिन उसका कुछ फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार को जो रिपोर्ट मिली है, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, सबमें उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है, उसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है और सूखे की चपेट में जो किसान आए थे, जो आत्महत्याएं कर रहे थे, आज वही किसान बाढ़ की चपेट में आ गये हैं और इसकी वजह से लोग फिर से आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि हजारों एकड़ खेती बह गई है। नालों के किनारे सारे लोगों ने बुवाई की थी, फसलें आ रही थी और बाढ़ की वजह से सारी फसलें खत्म हो गई हैं। आज डेढ़ महीना हो गया है, कोई सर्वे वहां नहीं किया गया है। सही लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वहां के जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्होंने अपने-अपने नाम डाल लिये हैं। जिनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं, उनको पैसे मिल गये हैं लेकिन प्रभावित परिवारों

को पैसे आज भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो मांग है कि जो नदी-नालों के किनारे गरीब लोग बसते हैं, उनको वहां एक रैड लाइन लगानी चाहिए कि इस रैड लाइन के अंदर कोई बसना नहीं चाहिए। अगर रैड लाइन के अंदर जो बसेंगे और बाद में अगर वे बाढ़ में फंस जाएंगे तो उनको मदद नहीं मिलेगी। उनको परमानेंट वहां बसाना चाहिए। आज स्कूल में लोग रह रहे हैं क्योंकि वहां टैम्परी शैड दिये जा रहे हैं। स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूल से निकालकर टैम्परी जगह भी ले ली गई है लेकिन टैम्परी शैड का एस्टीमेट 15 हजार रुपये का दस साल पुराना एस्टीमेट है। आज वह एस्टीमेट 40,000 रुपये हो गया है लेकिन हम कहते हैं कि 15,000 रुपये में बनाओ। 15,000 रुपये में सामान ही नहीं मिलता तो कैसे बनेगा? 15,000 रुपये से ज्यादा हम देते नहीं हैं और 15,000 रुपये की वजह से काम नहीं होता है। सब चीजों के दाम बढ़े हैं। सीमेंट, लोहे के दाम बढ़े हैं। दो साल पहले जो सीमेंट 100 रुपये था, आज वह 300 रुपये हो गया है। इसलिए यह देखना चाहिए कि आज की कीमतें क्या हैं? 40,000 रुपये देकर टैम्परी शैड बनाना चाहिए तो लोग वहां जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी जो खल्लर गांव से हैं, वह पूरा गांव बह गया है। उनके गांव में पूरी तबाही मची हुई है।

ग्राम पंचायत की दो मंजिला बिल्डिंग और पूरी की पूरी जमीन नष्ट हो गई है, सारे रास्ते नष्ट हो गये हैं, वे लोग चाहते हैं कि उनके लिये कोई दूसरी जगह दे दी जाये लेकिन सरकार की ओर से कोई नई योजना नहीं आ रही है। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज दो महीने से ऊपर हो गये हैं, लोगों के पास न खाने के लिये कुछ है और न रहने के लिये जगह है। बच्चे सकूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ते नहीं बनाये जा सके हैं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस ओर उसे ध्यान देना चाहिये। अगर यह कहा जाता है कि केन्द्र की ओर से पैसा जा रहा है तो राज्य सरकार उस पैसे का क्या कर रही है? यह केन्द्र सरकार को देखना चाहिये। महाराष्ट्र में अभी भी बरसात चालू है जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर केन्द्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और खराब हो जायेगी। लोग बेघर हो गये हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। उन लोगों का समाज मंदिर तक बह गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के तहत देश के अंदर बाढ़ की भीषण त्रासदी के बारे में यह सदन आज चर्चा कर रहा है। यह ठीक ही कहा गया है कि प्रतिवर्ष यह विषय केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाता है। बाढ़ की प्राकृतिक त्रासदी भूकम्प या चक्रवात की तरह नहीं है जिसका पूर्वानुमान न हो। हमें मालूम है कि देश के मुख्य-मुख्य क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आयेंगे और अमुक क्षेत्र सूखे की चपेट में आयेंगे। यह दुखद बात है कि कल हम लोग देश की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनायेंगे लेकिन इन 60 वर्षों में इस देश की जिन प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान हो सकता है, उनके बारे में कोई ठोस योजना हम सब के सामने नहीं होगी। हम राष्ट्र को कुछ देने की स्थिति में नहीं होंगे। प्रतिवर्ष हजारों मौतें बाढ़ के कारण होती हैं। प्रतिवर्ष लाखों हैक्टेयर जमीन की फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं। प्रतिवर्ष लाखों पशुधन की हानि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इन सब के बावजूद जब हम सदन में पहुंचते हैं तो यह बात केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आता हूं। यह स्थान नेपाल से आने वाली छोटी-बड़ी नदियों के मुहाने पर स्थित है। प्राय: यह चर्चा में आता है कि नेपाल से आने वाली पहाड़ी नदियों में वर्षा होती है तो वे बड़े वेग से पानी लाती हैं जिससे वह एक बहुत बड़े भू-भाग को अपनी चपेट में ले लेती हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान बाढ़ की त्रासदी के बारे में जो आंकड़े हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में से 22 जिले नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुये हैं जो बाढ़ की भीषण त्रासदी का शिकार हुये हैं। इनमें 2546 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और 30 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आई है।

29,55,000 हैक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हुई, 2,03,700 मकान क्षतिग्रस्त हुए, हजारों पशुधन की हानि हुई। राज्य सरकार द्वारा कुल क्षति का अनुमान 1728 करोड़ रुपये का है। महोदय, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं स्वयं उन क्षेत्रों में गया था और मैंने स्वयं देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर प्रशासनिक मशीनरी और तंत्र नहीं पहुंच पाया था। उनके द्वारा राहत कार्य नहीं पहुंच पाया था और वह पहुंचेगा भी नहीं। मैं समझता हूं कि जब प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचेगा तो वहां आंकड़े इस प्रकार की पुस्तकों में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। प्रतिवर्ष हम चर्चा करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के बारे में जो स्वाभाविक रूप से तराई का क्षेत्र है। अगर हम उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में आर्थिक निवेश की दृष्टि से भी पूरे प्रदेश का मात्र 2.4 प्रतिशत कुल आर्थिक निवेश अब तक हुआ है। एक करोड़ छत्तीस लाख की जनसंख्या में प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर छ: लोगों को औपचारिक रोजगार की व्यवस्था शासन द्वारा दी गई है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश उस क्षेत्र में मात्र 300 रुपये से भी कम है। वहां पर पहली

[योगी आदित्यनाथ]

से ही गरीबी है। भूमिहीन लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, पंजाब और देश के अन्य क्षेत्रों में जाकर सात-आठ महीने मजदूरी करते हैं और वहां से जब वापस आते हैं और खेती पर जो भी पूंजी लगाने का प्रयास करते हैं तो बाढ़ की त्रासदी का शिकार होकर जो भी उनकी फसल होती है, वह नष्ट हो जाती है। वही लोग विस्थापित होकर दूसरे देशों में गए और मॉरिशस, फिजी, गुयाना, थाईलैंड, मलेशिया, आदि देशों के विकास में अपना योगदान दिया लेकिन अपने ही देश में उपेक्षित रहे और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया । गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण और दूसरी तमाम बीमारियों के शिकार वे होते रहे हैं। हम सदन में इसकी चर्चा भी करते हैं। 2005 में बीआईडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में 3000 से अधिक बच्चे छः महीने में ही जापानी एनसिफैलाइटिस से मरे थे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र में कोई चिकित्सीय सुविधाएं या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी। आज जिस प्रकार की स्थिति उन क्षेत्रों में हैं, लगातार वे क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्रदेश सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 22 जिले बाढ़ की त्रासदी के शिकार हुए हैं।

गोरखपुर से बिहार की तरफ नरकटियागंज मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही भी कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ी। भारत को नेपाल से जोड़ने वाला गोरखपुर सोनौली मार्ग बाढ़ के कारण बंद रहा। आज भी बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता सामग्री दी जा रही है, यह बहुत कम है। मैं पढ़ रहा था जो भारत सरकार उपलब्ध करा रही है, उसके अनुरूप भी वहां नहीं मिल रहा है। मैंने एक केन्द्र का निरीक्षण किया। मैंने पूछा प्रतिवर्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना मिल रहा है। कहा कि 10 किलो चावल, दो किलो आलू और दो लीटर मिट्टी का तेल। चावल तुलवाए तो वे दस किलो नहीं, सात किलो ही थे। सात किलो को दस किलो के नाम पर वहां के लोगों को दिया जा रहा था। यह राहत-कार्य है। इस प्रकार की वहां स्थिति है।

महोदय, जो लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके गांव पानी में डूब गए हैं, उन लोगों के अस्थायी निवास की तब बात आई और जब उन्हें बरसाती देने की बात आई, तो शासन ने उन्हें पांच मीटर बरसाती स्वीकृती की, लेकिन देखा गया है कि बहुत से क्षेत्रों में कहीं तीन मीटर और कहीं चार मीटर बरसाती दी जा रही है और कहीं बिलकुल ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविर लगाने की जब बात आई, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक भी चिकित्सा शिविर अभी तक नहीं लगा है। पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और बाढ़ के पानी के कारण पशु धन को जो बीमारियां हो रही हैं, उनसे बचाव के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

महोदय, यह सब वर्तमान में वहां की बाढ़ की स्थिति है, वह मैं बयान कर रहा हूं। वहां बाढ़ की त्रासदी से लोग जूझ रहे हैं। वहां लोग इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस पुस्तिका में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर जब सरकार को मालूम है, केन्द्र सरकार भी जानती है, प्रदेश सरकार भी जानती है कि बाढ़ आती है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं?

महोदय, हम मानते हैं कि नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत में बाढ़ की विभीषिका पैदा करती हैं। वर्तमान में नेपाल की जो स्थिति है उसके कारण हम मानते हैं कि नेपाल में भारत सरकार की सहायता से लगने वाली कोई भी परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वहां की सत्ता में माओवादी हावी रहेंगे। हमारी कहीं न कहीं यह रणनीतिक भूल है, कहीं न कहीं हमारी वैदेशिक नीति की असफलता है कि नेपाल भारत का एक मित्र राष्ट्र होते हुए भी, भारत से दूर होता जा रहा है और हम लोगों की कमजोरी के कारण वे लोग सत्ता में हावी होते जा रहे हैं जो कि न केवल भारत के धुर विरोधी हैं अपितु भारत की सभी परियोजनाओं का भी विरोध करते हैं।

महोदय, बाढ़ से संबंधित बहुत से प्रश्न मैंने इस सदन में किए थे। उनमें से एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। एक प्रश्न का उत्तर दिनांक 19 जुलाई, 2004 को सरकार ने दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नेपाल के अंदर जो छः प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, उनमें नंबर 1-पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, 2-सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं समकोसी भंडारण सहडायवर्जन स्कीम, 3-बूढ़ी गंडक जलविद्युत परियोजना, 4-ऊपरी करनाली जलविद्युत परियोजना, 5-कमला बहुउद्देशीय परियोजना, और 6 बाघमती बहुउद्देशीय परियोजना। इन छः परियोजनाओं को भारत, नेपाल के साथ मिलकर स्थापित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी एन.डी.ए. की सरकार में ही इनके लिए प्रयास किए गए हैं, बल्कि 1954 से इन परियोजनाओं को स्थापित करने की बात चल रही है और तब से लेकर अब तक यानी 1954 से लेकर वर्ष 2007 तक एक भी परियोजना प्रारंभ नहीं हो पाई है। जब भी कोई परियोजना प्रारंभ होने की स्थिति में आती है, तो नेपाल के अंदर माओवादियों द्वारा उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। वर्ष 2001 में एन.डी.ए. सरकार ने कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया

था, लेकिन माओवादियों के विरोध और स्थानीय राजनीति के कारण ये योजनाएं प्रारंभ नहीं हो पाईं। हम आज भी यह मानते हैं कि जब तक नेपाल में शांति नहीं होती और जब तक नेपाल के अंदर माओवादियों का वर्चस्व सत्ता में होगा, तब तक नेपाल में भारत की कोई भी परियोजना सफल नहीं हो सकती है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ परियोजनाएं प्रारंभ यदि नहीं हो सकती हैं, तो भी हम स्थानीय स्तर पर तो प्रयास कर ही सकते हैं और बाढ़ को आने से रोक सकते हैं। हम स्थानीय स्तर पर तटबंध बनाकर नदी की ओर से ठोकर लगाकर बॉर्डर से पीचिंग कर के, इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य कर सकते हैं जिससे कि इस समय बाढ़ से जो भीषण हानि होती है और जो जलप्लावन की स्थिति आती है, उससे गांवों को डूबने से बचाया जा सकता है। अब जिस प्रकार से गांवों के पूरी तरह से डूबने की स्थिति होती है, उससे उन्हें बचाया जा सकता है।

महोदय, भारत सरकार ने रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की है। इसमें एक रेश्यो रखा है कि 60 प्रतिशत कच्चा और 20 प्रतिशत पक्का काम कराया जाए अथवा कहीं 80 प्रतिशत कच्चा और 20 प्रतिशत पक्का काम कराया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जहां गांवों के बाढ़ में डूबने की स्थिति आती है, वहां उन गांवों को मिट्टी से पाटने की व्यवस्था करें और यह काम उन्हीं गांवों के लोगों से कराया जाए। इससे मैं मानता हूं कि इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं मानता हूं कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उन लोगों को बाढ़ की भीषण त्रासदी से भी बचा पाएंगे।

महोदय, वर्ष 1998 और वर्ष 2000 की बाढ़ में गोरखपुर जिला प्रशासन को चार मीटर वोट उपलब्ध करवायी थी। उनमें से दो मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और दो सांसद निधि से उपलब्ध करवायी थी। इस बार जब बाढ़ आई तो मैंने जिला प्रशासन से कहा कि मोटर वोट उपलब्ध करवाईए, क्योंकि हमें राहत सामग्री लेकर प्रभावित गांवों में जाना है। लेकिन उस समय एक भी मोटर वोट ठीक नहीं थी। जिन गांवों में बाढ़ आई थी, उनमें वोट की व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नाव नहीं है। जब ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि, जिला प्रशासन और भी तमाम तरह की आपदा राहत योजनाओं में पैसा है तब क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो गांव हर बार बाढ़ की चपेट में आते हैं, वहां स्थायी रूप से बड़ी और छोटी नाव उपलब्ध करवायी जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल के जनपद महाराजगंज में नाव से भीषण दुर्घटना हुई थी। यद्यपि वह मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था, मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल में था। वहां 26 लोग नाव के डूबने के कारण मरे थे। मैंने उनसे पूछा कि नाव कैसे डूबी? उन्होंने कहा कि नाव पुरानी थी और मझोली थी। बड़ी साइज की नाव नहीं थी। तीन साइज की नाव होती हैं। एक छोटी नाव होती है, जिसे डोंगी कहते हैं, जिसमें तीन-चार लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके पलटने का खतरा रहता है। दूसरी मझोली नाव होती है, जिसमें 10 से 12 लोग जा सकते हैं। तीसरी बड़ी नाव होती है, जिसमें 40-50 लोग जा सकते है। दुर्घटनाग्रस्त नाव मझोली थी। उसमें 12-15 लोग ही जा सकते थे, लेकिन उसमें 50-60 लोग बैठ गए। जब पूरा गांव पानी से भर रहा था तो आखिर लोग कहां जाते? वह पुरानी नाव थी, बीच में गई और वहीं डूब गई। 26 लोग उस गांव के उस नाव दुर्घटना में मरे थे। इस तरह की स्थिति हर गांव में हो सकती है। इस बार इस तरह की सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज, वाराणसी और कुशीनगर में इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार में इस प्रकार की दो बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक दुर्घटना में तो 100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ जल समाधि ले ली थी। कहीं न कहीं हम लोगों की मानवीय चूक यह है कि हम लोगों ने बाढ़ आपदा के लिए ठीक व्यवस्था नहीं की है।

महोदय, नेपाल के साथ 6 जलकुण्डी विद्युत परियोजनाएं हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि सांसद आवासों और संसद में भी जब हम बैठते हैं तो अक्सर बिजली गायब हो जाती है। सांसद आवासों में तो इस समय अक्सर बिजली गायब हो रही है। इसका कारण यह है कि बिजली की कमी है। ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास योजना नहीं है। नेपाल के साथ हमारी जल विद्युत परियोजनाओं को यदि हम पूरा कर दें तो भारत और नेपाल की विद्युत की सभी कमियां दूर हो सकती है और साथ ही साथ बाढ़ की इन त्रासदियों से भी हम लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारी 6 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से हम न केवल विद्युत उत्पादन कर पाएंगे अपितु जलकुण्डी के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की इस भीषण त्रासदी से बचा पाएंगे। साथ ही साथ जिस समय उन क्षेत्रों को जल की आवश्यकता है, उस समय उनको जल की आपूर्ति भी कर सकते हैं। पहले हमें नेपाल में शांति बहाल करने में सहयोग करना चाहिए, माओवादियों के वर्चस्व को रोकना चाहिए और फिर नेपाल के साथ मिलकर इन योजनाओं को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। अन्यथा उस परिप्रेक्ष्य हम जितनी भी योजनाएं बना लें मैं समझता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को हम बाढ़ की इन त्रासदियों से नहीं बचा पाएंगे।

महोदय, एनडीए की सरकार ने देश की नदियों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उस योजना को यूपीए की सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया है।

[योगी आदित्यनाथ]

तमाम राज्यों ने इस पर प्रस्ताव तैयार किए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें रुचि लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और पश्चिम के जिलों में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है।

सायं 6.00 बजे

सभी नदियों को जोड़ने की योजना अगर क्रियान्वित होती तो कम से कम इस प्रकार कहीं जल प्लावन की स्थिति और कहीं पर सूखे की स्थिति से बचा जा सकता था। मैं समझता हूं कि देश के अंदर जो सूखे, जल प्लावन और बाढ़ से जो भीषण समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका सामना भी हम लोग कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि नेपाल के साथ जल विद्युत परियोजनाओं पर क्या प्रगति हुई है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरे जो देश की नदियों को जोड़ने के लिए एन.डी.ए. की सरकार के समय योजना तैयार हुई थी, उन नदियों के बारे में सरकार की क्या नीति है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बाढ़ के बारे में जब चर्चा होती है तो केवल जन-हानि के बारे में ही हमेशा चर्चा होती है, पशुधन के बारे में नहीं। यहां पर जो माननीय गृह मंत्री ने बाढ़ से सम्बन्धित पुस्तिका हमें उपलब्ध करवाई है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सचमुच मैं जहां भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया हूं, राहत कार्यों में सामग्री इस प्रकार से कहीं वितरित नहीं हो रही है। पशुधन की हानि जहां भी हुई है, किसी भी पशुपालक को उसके पशु के मरने पर, उसके बहने पर मुआवजा नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह डिस्कशन 16 तारीख को भी जारी रहेगा।

[अनुवाद]

इसे 16 तारीख को भी जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

अभी मेरे पास लिस्ट में दो स्पीकर्स आज के लिए और बाकी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप बैठ जायें।

योगी आदित्यनाथ: मैं 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आपको मैंने मोर दैन सफीशिएंट टाइम दिया है।

योगी आदित्यनाथ: मैं अपना वक्तव्य समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे मैं रख रहा हूं। इस देश के किसानों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके पशुधन के बारे में कोई नहीं बोलेगा? अब तक तो मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पशुधन हानि हो रही है, उसकी जो क्षति हो रही है, उसके लिए उनको कहीं से भी कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह बात कही है, मैं उनसे अवश्य अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अन्य क्षेत्रों में गये, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माननीय प्रधान मंत्री जी या भारत सरकार का कोई भी मंत्री नहीं गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक केन्द्रीय प्रतिनिधि मंडल उन क्षेत्रों का अवश्य दौरा करे, सारे विषयों पर चर्चा करे और जो नुकसान हुआ है, घरों की छति के बारे में जो चर्चा की गई है...*(व्यवधान)* जो घर गिरे हैं, वे बाढ़ के समय गिरे होंगे और घर गिरने की स्थिति अब आयेगी, जब बाढ़ का पानी समाप्त होगा तो मिट्टी के जो कच्चे घर होंगे, वे अब गिरेंगे। यहां पर दो लाख से ऊपर घर गिरने की बात की गई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा क्षति अब होगी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 25 हजार रुपया उन लोगों को गृह निर्माण के लिए दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 25 हजार रुपये की राशि गृह निर्माण के लिए बहुत कम हैं, इस राशि को बढ़ाया जाये और कम से कम 50 हजार रुपये किया जाये और उसका पूरा सर्वेक्षण कराकर एक बार में बाढ़ राहत के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाये, जिससे जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन लोगों को भरपूर मदद दी जा सके।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हर पार्टी का नम्बर रोटेशन से आता है, लेकिन हमारा नम्बर नहीं आता है। सब पार्टियों को मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम तो सूची में है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: नाम है, वह दूसरी बात है लेकिन रोटेशन बार-बार चेंज क्यों होता है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे यह नहीं पता। मैं उस समय वहां नहीं था।

[हिन्दी]

मिनिस्टर साहब तो बीच में कभी भी इण्टरवीन कर सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उड़ीसा के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, जबकि उड़ीसा बाढ़ से काफी पीड़ित है।...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

बाढ़ पर विस्तार से सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य भी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही और बर्बादी हो रही है। इससे अरबों रुपये की हानि होती है, जान-माल की हानि होती है, क्षति होती है और बहुत सी बर्बादी होती है। बिहार, असम, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में बाढ़ की भयंकर विभीषिका से भारी जान-माल की हानि हो रही है। यह एक बड़ा गंभीर विषय है। बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हमें इस समस्या का निदान निकालना है। जब हम बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करेंगे, तब हम सुखाड़ का भी बेहतर प्रबंधन कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बाढ़ का बेहतर प्रबंधन नहीं करेंगे, इसके बचाव का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक हम सुखाड़ का भी इंतजाम नहीं कर सकते। सुखाड़ से बाढ़ का प्रबंधन नहीं हो सकता, लेकिन बाढ़ के बेहतर प्रबंधन से सुखाड़ का भी प्रबंधन हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही अहम सवाल इस सदन के सामने है। जो बाढ़ आयी, सभी माननीय सदस्यों ने उस पर अपनी-अपनी राय रखी। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन कई ऐसे तथ्य और सवाल हैं, जिनको सदन के माध्यम से पूरे देश को जानने का हक है। पूरे राष्ट्र के लोगों को जानने का हक है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होती है? हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी होती है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात कहिएगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: एक संवेदनशील इन्सान बन कर इन्सानियत के साथ हमें उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। सदन लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और इसकी आवाज गांव-गांव तक जाती है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं और राजनीति करना भी नहीं है। जब हमें उत्तरदायित्व मिला है,, तो हम पूरे तथ्यों के साथ सदन में आना चाहते हैं। पूरी स्थिति के बारे में स्वयं माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन जो अन्य राज्यों का देश के अंदर और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यह फ्लड का रिस्क जोन है। यह सबसे खतरनाक जोन है, जहां बाढ़ आती है, बर्बादी आती है, लेकिन वहां युद्ध स्तर पर तैयारी की जाती है। हम जानते हैं कि हर साल बाढ़ आती है। हम क्या उसकी तैयारी करते हैं, क्या रसद है, क्या उसके लिए इंतजाम हैं, क्या इंतजामात हैं, हमें पहले से प्रीकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन यह प्रीकॉशन लिया गया या नहीं लिया गया, इसके लिए तैयारी की गयी या नहीं की गयी, यह तैयारी 15 जून के पहले की जाती है।

महोदय, मैं कई तथ्यों के साथ आपके सामने आऊंगा। लेकिन मैं एक तथ्य सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि बिहार में जो भयंकर बाढ़ आयी है और अरबों रुपयों की हानि हुई है, नेपाल की तराई से जो बाढ़ का पानी आया, उससे जो क्षति और बर्बादी हुयी है, 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग डेढ़ करोड़ की आबादी बाढ़ से ग्रसित हैं, परेशानी में है। लगभग 11 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल की हानि हुई है, मरने वालों की संख्या 160 से ऊपर है, जो आंकड़े बताते हैं, लेकिन और कितने लोग मरे हैं, इसका लेखा-जोखा सामने नहीं है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जो गांव हैं, उनकी संख्या लगभग 70 सौ है। यह बिहार की स्थिति है। इस आंकड़े के साथ और इन तथ्यों के साथ आपके बीच हम आना चाहते हैं कि इस बार 15 जून से पहले क्या तैयारी करनी थी और क्या तैयारी करके हमें प्रीकॉशन लेना चाहिए था? युद्ध में, बेटी की शादी में, शमशान घाट में और प्राकृतिक आपदा में कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम सही तथ्यों को इस सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं। बाढ़ से पूर्व राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उसमें बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद द्वारा 393 योजनाओं को स्वीकृति दी गयी। लगभग 4 सौ योजनाओं की स्वीकृति दी गयी और यह कहा गया कि हम उसमें से 102 योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और 102 योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। जब बाढ़ आ गयी तो कितनी योजनायें पूर्ण हुईं, 20 दिनों से लोग बाढ़ में मर रहे हैं, तब तक केवल 79 योजनाएं पूर्ण होती हैं। 400 में से 102 लिए जाते हैं, 102 में से 79 पूरे होते हैं यानी कुल योजना का 26 प्रतिशत अमल में आता है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। यदि किसी के पास तथ्य होंगे तो वे अपनी बात कहते समय बताएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): यह भारत सरकार के मंत्री हैं। इन्होंने अभी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।...*(व्यवधान)* पूरा भाषण बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए है।...*(व्यवधान)* यहां केन्द्र के मंत्री खड़े हो जाएंगे। बिहार सरकार ने क्या किया, इस बारे में बिहार सरकार जवाब देगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: मैं तथ्यों के साथ आना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मानसून से पूर्व जो योजनाएं ली गई उसे शत प्रतिशत पूरा करना था मगर मात्र 20% कार्य किया गया। ...*(व्यवधान)* यह तथ्य चौंकाने वाला है। राज्य सरकार को सुस्ती खत्म कर कार्य करना था जो समय से नहीं हुआ और भारी संकट बाढ़ का आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको और आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का समय दूंगा। उस समय आप जो कहना चाहें, बता दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय सदस्य समय आने पर अपनी बात रखें।...*(व्यवधान)* ऐसे तथ्यों पर अपनी बात रखिए। बिहार की जनता जान रही है कि आप क्या काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं। आप सुनिए, धीरज रखिए।...*(व्यवधान)* बहुत धीरज के साथ अपने तथ्यों को रखेंगे।...*(व्यवधान)* हम क्या करने वाले हैं, वह भी बताएंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सर्वोच्च सदन में अपनी बात रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, इसलिए मैंने यहां इन तथ्यों को रखा। हम दो नई योजनाओं के साथ आ रहे हैं। हम अभी और बातें बताएंगे, आप धीरज से सुनिए। ...*(व्यवधान)* हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जा रहे हैं। बिहार को तोहफा दिया जा रहा है और उसमें एक, बागमती तटबंध और दूसरा, महानंदा तटबंध। बागमती तटबंध के लिए 798 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा रहा है। महानंदा तटबंध के लिए 855 करोड़ रुपये की लागत का पैकेज दिया जा रहा है। इन दो बड़ी योजनाओं के साथ हम आ रहे हैं। सन् 2004 में जो भयंकर बाढ़ आई थी, उससे जो बर्बादी हुई थी, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। उसकी रिपोर्ट आई। राज्य सरकार से कहा गया कि योजनाएं भेजिए। जो योजना आई, उसके लिए केन्द्र सरकार ने पैसे दिए। मेरे पास आंकड़े हैं और हम बाद में आंकड़ों पर भी आएंगे। फिर कार्यबल बना और उसने 2004 में जो सिफारिश की, उसके आधार पर स्कीम ली गई। उस पर आगे की कार्यवाही हो रही है। आप कहते हैं कि बातों को रखिए और वह सही तरीके से आनी चाहिए। बूढ़ी गंडक में इस बार जो कटाव हुआ, बसई जो बेगुसराय में है, उसके लिए 2004-05 में तीन योजनाएं ली गई थी। केन्द्रीय सहायता के पास 3 करोड़ 43 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं आया। इसी तरह 2006-07 में केन्द्र द्वारा दो योजनाओं के लिए 1012.82 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में 3 करोड़ 50 लाख रुपये 13.2.2007 को जारी किए गए, परंतु आज तक उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हुआ जबकि इसी बेगुसराय जिले के बसई में तटबंध टूटने से इस बार व्यापक नुकसान और बाढ़ आई।

वहां से उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं आया लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। "सांच पर आंच क्या" जो सच्चाई है, वह छिपती नहीं है। असत्य से सत्य को जीता नहीं जा सकता। सत्य को परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): सच यह है कि बिहार को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि उसे सुधारने में समय लगेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अभी कई चीजों के ऊपर हम बोलेंगे। इसके साथ-साथ...*(व्यवधान)* आप किसको सुनाना चाहते हैं? आप बैठिये। आप हमारे बगल में रहते हैं इसलिए आपको सारी जानकारी मिल जायेगी।...*(व्यवधान)* गंडक के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं उन तथ्यों को भी बताऊंगा लेकिन आप पहले धीरज के साथ सुनिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यही सही नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हम अपनी बात रख रहे हैं। आप सुनिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं गयी और उनकी भी कोई बात रिकार्ड में नहीं गयी।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: गंडक के बारे में हम बताना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

आप छोड़िये।...*(व्यवधान)* हम इसको दूसरे रूप में लेते हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप छोड़िये। हां, हम माननीय मंत्री हैं। मैं जिन तथ्यों को रख रहा हूं, उसे आप नोट करके मिलान कीजिए तब आपको पता चजेगा कि हम सही बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सीताराम यादव जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: गंडक नदी के लिए भी राशि दी गयी। इसके साथ-साथ गंगा बेसिन है। मैं स्वयं बक्सर, भोजपुर, पटना, छपरा, हाजीपुर और भागलपुर जहां के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वहां गया। हम इनके क्षेत्र में गये।...*(व्यवधान)* हमने इनके क्षेत्र में कितना पैसा दिया, करसेला में कितना पैसा दिया, बीहपुर में कितना पैसा दिया, यह तथ्य भी हमारे पास हैं। यदि केन्द्र सरकार न होती, तो आपके तटबंधों का बचाव आज नहीं होता। हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है। जब जिम्मेदारी का अहसास कहीं नहीं होता, तो उसके लिए जरूर आगाह किया जाता है। इसलिए मन में कोई भी भावना नहीं रखनी चाहिए। भागलपुर में आज जो 17 करोड़ रुपये का काम हो रहा है, उसे हमने बैठकर किया। डिपार्टमेंट के साथ हमने मीटिंग की है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं कि मैंने कितनी बार मीटिंग की है। मैंने 9 जुलाई, 2007 को मीटिंग की, 23 जुलाई, 2007 को मीटिंग की। अभी हाई डैम के बारे में चर्चा हो रही है। इस पर हम आगे आयेंगे।...*(व्यवधान)* हम लगातार अधिकारियों को बुलाते रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने माननीय मंत्री को टेलीफोन किया कि आप अधिकारियों को भेजिये। केन्द्र सरकार दोनों हाथों से पैसा देने के लिए तैयार है। आप क्या काम कराना चाहते हैं, क्या राशि लेना चाहते हैं, यह हमें बताइये क्योंकि हम देना चाहते हैं। टर्नअप नहीं होते रहे। मेरे पास हर डेट की जानकारी है। मेरे पास 23 जुलाई, 9 जुलाई, 29 मार्च, 8 मार्च, 9 फरवरी और 29 जनवरी के आंकड़े हैं कि हमने क्यों अधिकारियों को बुलाया? अभी दस दिन पहले हमने बिहार के अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। हमने उनसे कहा कि आप टेबल पर बैठकर अपने काम को देखिये और उसे बिहार का कार्य कराकर ले जाइये। यहां जो काम करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको भेजते हैं इसलिए कोई भी चीज होती है, तो उसकी गंभीरता रहनी चाहिए। इसके साथ-साथ पटना और अन्य जो जल वाला इलाका है, उन इलाकों के साथ...*(व्यवधान)* अन्य इलाके में पटना के कई भागों में तबाही हो रही है। अभी कैसे हो गया। अभी तो हमने शुरूआत की है। इसके साथ-साथ ललबकिया, बागमती, कमलाबलान, खांडू तटबंधों के उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए राशि दी गयी। इसके साथ-साथ कोसी परियोजना के लिए अलग से राशि दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से स्थायी निदान पाने के लिए हाई डैम की बात हो रही है। लेकिन मैं इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि यूपीए सरकार जब बनी, सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2004 में दौरा किया, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं दौरा किया।

माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं दौरा किया, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं दौरा किया था और मैं भी उनके साथ था। नेपाल में हाईडैम बनाने की चर्चा जब सामने आई तो फरवरी, 2004 में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जयप्रकाश नारायण यादव]

श्री श्याम शरण जी नेपाल में राजदूत थे।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य मेरी बात को सुनिए, इन तथ्यों को गंभीरता से सुनिए। फरवरी, 2004 में नेपाल में भारतीय राजदूत श्री श्याम शरण जी से टेलीफोन पर मेरी बात हुई। हमने कहा कि लेटर ऑफ एक्सचेंज जरूर होना चाहिए ताकि सौहार्दपूर्ण ढंग से नेपाल में हाईडैम बने। इस पर उन्होंने कहा कि यह आपने बहुत अच्छी शुरूआत की है। उस समय यहां नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री आए थे। उनसे इस विषय पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आती है, तो हाईडैम की चर्चा होती है, इस काम को आगे बढ़ाओ, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की और फरवरी में लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ। उसके बाद वहां कार्यालय खोलने पर सहमति हुई। 32 करोड़ रुपए देकर यूपीए सरकार ने कहा कि नेपाल में हाईडैम बने। जिसके लिए डी.आर.पी. बनाइये वहां भारी वर्षा होने से उत्तरी बिहार में जो तबाही होती है और कोसी नदी, जिसके लिए कहा जाता है कि जब वह हंसती है तो बिहार रोता है, उससे आने वाली बाढ़ की तबाही से बिहार को बचाने के लिए वहां हाईडैम जरूरी है। इसके लिए वर्ष 1984 में बिहार के सदन में भी हमने बाढ़ पर बहस कराई थी। उस समय मैं वहां एमएलए था। मैंने बहस कराई थी, मेरे पास इसके डाक्युमेंट्स हैं। लेकिन जब सौहर्दपूर्ण वातावरण में नेपाल से वार्ता हो गयी, तो उन्होंने कहा कि हम वहां कार्यालय खोल सकते हैं। 32 करोड़ रुपए वित्त विभाग से होते हुए दिए गए। उसके बाद नेपाल में कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हो गयीं, जिनमें लगभग डेढ़ साल का समय बर्बाद हुआ। इस बीच बहुत सी मीटिंग्स होती रहीं। श्री सोज सहब यहां बैठे हुए हैं, करीब 7 माह पूर्व नेपाल के सिंचाई मंत्री आए थे, उन्होंने इसमें पूरा सहयोग करने की बात कही है। अभी नेपाल में सात जगहों पर हमारे कार्यालय चल रहे हैं। विराटनगर में मुख्य कार्यालय, जनकपुर में डिवीजन कार्यालय, भरान में डिवीजन कार्यालय, कटनी में सब-डिवीजन कार्यालय, लहान में सब-डिवीजन कार्यालय, चतरा में सब-डिजीजन कार्यालय और चतरा में दूसरा सब डिवीजन कार्यालय चल रहे हैं। इस बारे में कुछ दिन पहले हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई। जब उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2009 तक बनेगा, तो मैंने कहा कि पहले ही इसमें डेढ़-दो साल का समय नष्ट हो गया है, इसलिए हमें दिसंबर, 2008 तक नेपाल में हाईडैम बनाने के लिए डी.आर.पी. तैयार कर लेना है। यह यूपीए सरकार की जीत है। इसमें कहां से दूसरी बात और तीसरी बात आ गयी और कहां से एनडीए हुकूमत की बात आ गयी? आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, वही तथ्य है। इसलिए मैं अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके साथ-साथ जब माननीय रेलमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे करके कहा कि बिहार की हालत बहुत खराब है, वहां बाढ़ से बहुत तबाही हो रही है, लाखों-करोड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी स्थिति बहुत बदतर है। वहां हेलीकॉप्टर उतरा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर स्वयं माननीय रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का एवं संयुक्त हस्ताक्षर श्री राम विलास पासवान जी का और अन्य सांसदगण मिलने गए, तो उन्होंने स्वयं कहा कि आज 21 दिन हो गए, भारत सरकार से राज्य (बिहार) सरकार ने सहायता की मांग नहीं की है, लेकिन सीआरएफ का 5500 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है, उस पैसे का अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के साथ उपस्थित सदस्यों के सामने सम्मानपूर्वक कहा। यह सत्य बात है। प्रमाणपत्र नहीं मिलने के बावजूद पुनः प्रधान मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हम 174 करोड़ रुपए भेज रहे हैं और पड़ोसी राज्यों से पोलीथीन मंगाकर देने को कहा गया है। इसके अलावा वहां सेना को भी सतर्क कर दिया गया और उनकी नावों की व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। बाढ़ पीड़ितों के लिए जानमाल की हानि, बर्बादी न हो, यह सब भारत सरकार ने बिना मांगे दिया, क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है। राज्य सरकार ने कुछ नहीं मांगा और बाढ़ से बचाव के लिए कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)* यह बड़ा ही दुखद है। ऐसे वक्त में सभी मतभेद भूल बाढ़ पीड़ितों को बचाना ही एकमात्र धर्म है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यह सेंटर के मंत्री हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने नहीं मांगा। यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, जब प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे थे, तब पाटील जी ने कहा था कि आपको जो चाहिए वह प्रोजेक्ट बनाकर भेजें। इस तरह से इनके और गृह मंत्री जी के बयान में डिफरेंस आ रहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: जितना डिफरेंस आएगा, आप उसे सुधारते रहें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनें और अंत में आप भी कहेंगे कि आप ठीक कर रहे थे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह बिहार के मंत्री हैं या सेंटर के मंत्री हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, जबकि बाढ़ उड़ीसा में भी आई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं उड़ीसा, असम आदि राज्यों के बारे में भी कहूंगा। सबसे ज्यादा तबाही बाढ़ से असम और बिहार में हुई है। बिहार में तो अरबों रुपए की तबाही हुई है, जहां हाई डैम बनाने की बात हो रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बिहार में यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी और रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी साथ गए थे। उन्होंने वहां बिहार का एरियल सर्वे किया और कहा कि बिहार में भारी बर्बादी हुई है, लेकिन रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार की स्थिति बद से बदतर है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा कि रिलीफ का काम करने के लिए आदेश 13 तारीख को निकले हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मेरे पास भी बिहार सरकार का कागज है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: यदि हम बाढ़ का स्थाई निदान चाहते हैं तो हमें हाई डैम बनाने होंगे। पुनपुन में एक महीने पहले 199 करोड़ रुपए बेहतर प्रबंधन के लिए दिए गए हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके। बराज बन सके। बाढ़ नियंत्रण आयोग का होना भी जरूरी है। माननीय संप्रग की चेयरपरसन सोनिया जी और पाटिल जी को विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने बाढ़ से स्थाई समाधान के लिए ज्ञापन भी पटना में दिये हैं कि बाढ़ से प्रत्येक वर्ष होने वाली तबाही को रोकने के लिए इस तरह के आयोग की जरूरत है। आजकल तो राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है। असम, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेशों में तो हर साल बाढ़ आती है। असम में ब्रहमपुत्र बोर्ड बना है, गंगा बेसिन है, वे काम कर रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी ऐसा करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, उसके तहत उन्हें भी काम करना चाहिए। हमें मालूम है कि कहां-कहां बाढ़ से कटाव हुआ है। किस-किसने भारी बारिश की फोरकास्ट की थे, यह सब जानकारी मेरे पास है। राज्य सरकार को तैयार हो जाना चाहिये था। मगर लापरवाही बरती गई।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नेपाल ने क्या फोरकास्ट की थी?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: मेरे पास सारी जानकारी है। इस बार फोरकास्ट हुआ था कि भारी बारिश होगी और कई जिलों में तबाही हो सकती है। यह भी कहा गया था कि 5 जुलाई से ही भारी बारिश हो सकती है और नेपाल तथा बंगाल की खाड़ी से बादल आने के कारण काफी बारिश होगी। इस सबकी तैयारी 15 जून से ही बिहार सरकार को करनी थी, लेकिन वह नहीं की गई। वहां के मुख्यमंत्री तो उस समय मारीशस की यात्रा पर थे। प्रदेश सरकार के इरीगेशन कमिश्नर मई से जून तक नहीं थे। इसलिए बाढ़ से निपटने की तैयारी जो तैयारी विभाग ने की थी, नहीं हो पाई। असम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उड़ीसा में 6 जून से 8 जून तक भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच तीन स्थानों पर भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में 28 तारीख को भारी बारिश हुई। मेरे सामने सारे आंकड़े हैं कि किन-किन प्रदेशा में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तबाही और हानि हो रही है। बिहार की तो भारी बाढ़ से बर्बादी हुई है। रिलीफ नहीं मिल रहा है। नौका दुर्घटना हो रही है, डूब कर लोग मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर गंभीर चर्चा हो रही है और केन्द्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने केन्द्र से जितना भी सहयोग मांगा है हम उसे पूरा करेंगे और जो सहयोग पहले दिया गया है उस खर्चे के लिए भी हम तैयार हैं। नेपाल में हाई कैपेसिटी डैम बने। इसके लिए विभाग संप्रग सरकार बेहतर पहल कर रही है। हम लगातार लगे हैं। एक फिजिकल रिपोर्ट हम कमला और बागमती नदी पर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी संबंध में अभी माननीय शाहनवाज जी बोल रहे थे। हमने भागलपुर में कटाव निरोधी कार्य के लिए यहां 17 करोड़ रुपये का काम कराया है। मुंगेर में कार्य करना है। केन्द्र सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी विश्वास दिलाता हूं और ऐसी विपत्ति के समय, लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, केन्द्र सरकार युद्धस्तर पर सहायता के लिए तैयार हो और सहायता में जरा भी कमी नहीं आने देगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, दिन के अंत में, मैं देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पौराणिक काल में एक ऐसा समय था जब इन्द्र के लोगों को ईश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ा। आज, देश के विभिन्न भाग चाहे वे ब्रहमपुत्र में हों अथवा गंगा या महानदी अथवा सुबरनरेखा में हों, मानसून के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों में भी बाढ़ आ रही है। बाढ़ के कारण असंख्य लोग मर रहे हैं और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक

[श्री भर्तृहरि महताब]

ओर वर्षा देश के लोगों को राहत और उनमें नुकसान भर रही है साथ ही इससे कई राज्यों में बाढ़ आ रही है।

बाढ़ और कटाव के संकट के पुनरावृत्ति, राष्ट्र के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में यह कृषि और विशेषकर बुनियादी सुविधाओं पर भारी क्षति पहुंचाने वाला देश के लिए एक बारामासी शाप बन गया है। इस समस्या का स्थायी समाधान जिसे अब तक टाला जाता रहा है। निधियों की कमी है जिसे इसका मुख्य कारण माना गया है। निधियों की कमी का कारण ए डी बी और नाबार्ड सहित अन्य चैनलों से देश से सहायता प्राप्त होता है। परंतु यह समस्या समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन न होने के कारण भी है।

हाल ही में, कटाव से होने वाला खतरा बाढ़ से अधिक गंभीर हो जाता गया है। आज, चयनित क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है और दीर्घकालिक कटावरोधी परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को तटबंधन के अलावा अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए जैसाकि वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि तटबंधन से नदी तल में अक्सर असामान्य वृद्धि होती है और तटबंध के एक बार टूटने या अधिक पानी भर जाने पर बाढ़ की गंभीरता बढ़ जाती है। विभिन्न बड़ी नदियों जो 50 तक जो पहले के मुकाबले उथली हो चुकी हैं, पर भी सरकार को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

अत: ''तटबंध संरक्षित क्षेत्र'' की अवधारणा तथा हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में वास करने वाले लोगों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास किए जाने पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे, बांधों और जलाशयों से यह साबित हो चुका है कि वे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उपचारी उपाय नहीं है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या अबाधित प्रवाह से मदद मिलेगी, क्योंकि तटबंधों को रखरखाव राजस्व पर भारी बोझ है। इस विषय तथा बाढ़ नियंत्रण की समग्र व्यवस्था पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह साबित हो चुका है कि बाढ़ों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसलिए उनको विनियमित किया जाना चाहिए।

मैं उस समस्या पर आता हूं जिसका सामना हमारा राज्य कर रहा है। उड़ीसा राज्य को जुलाई से सितम्बर, 2006 तक पांच बार आई बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई थी। इस भीषण आपदा के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ था। भारत सरकार से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने तथा राहत सेवाओं में तत्काल सुधार करने तथा उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए एन सी सी एफ में से केन्द्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात भारत सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय दल को वहां भेजा था। उन्होंने 12 जिलों का दौरा उस समय किया, जब राज्य चौथी बार बाढ़ का सामना कर रहा था। मैं इस सभा को स्मरण कर दूं कि पिछले वर्ष उड़ीसा में पांच बार बाढ़ आई थी।

भारत सरकार को अंतिम ज्ञापन 18 सितम्बर, 2006 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्यय को पूरा करने के लिए एन सी सी एफ में से 2,382.43 करोड़ रु. की सहायता तथा एक लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मानसून के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा किया और बाढ़ की गंभीरता को महसूस करते हुए एन सी सी एफ में से 200 करोड़ रु. की सहायता देने की घोषणा की। लेकिन, बाद में केवल 25 करोड़ रु. ही दिए गए। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री ने मीडिया के समक्ष एन सी सी एफ में से 2,000 करोड़ रु. देने की घोषणा के थी लेकिन, बाद में केवल 25 करोड़ रु. ही दिए गए। यह असमानता क्यों? आप उड़ीसा की उपेक्षा क्यों करते हैं? राज्य में बाढ़ आने के सात महीनों के बाद तथा 17 जनवरी, 2007 को केन्द्रीय दल के दौरे के पांच महीनों के पश्चात् उच्चाधिकार समिति ने राज्य के सी आर एफ खाते में उपलब्ध बकाया राशि के 75 प्रतिशत का समायोजन करने के अध्यधीन एन सी सी एफ में से 115.24 करोड़ रु. स्वीकृत किए। यह केवल गणितीय जादूगरी है। यह मेरा आरोप है। वास्तव में प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद कोई राशि जारी नहीं की गई। यदि यह केन्द्र की उदासीनता नहीं, तो और क्या है?

माननीय मंत्री ने जून में हुई वर्षा का विवरण दिया। जुलाई के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण राज्य के विभिन्न भागों तथा स्वर्ण रेखा, जलका, वैतरणी, बुढ्ढा बादान्का के विभिन्न नदी क्षेत्रों के ऊपरी तथा निचले जलाग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज जिले पूरी तरह प्रभावित हुए तथा केन्द्रपाड़ा के कुछ क्षेत्र तूफानी लहरों तथा बाढ़ से प्रभावित हुए। जून के अंतिम सप्ताह के दौरान कोरापुट, कांडावाल, नयागढ़, गंजम, सुंदरगढ़ और ओगुल में भयंकर बाढ़ आई। कुल मिलाकर 12 जिले, 46 ब्लाक और लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए। लगभग 306 करोड़ रु. की हानि हुई। एक केन्द्रीय दल ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में वहां का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अगस्त के पहले सप्ताह में उड़ीसा में 72 घंटों में औसत से 26 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई और बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा तथा जगतसिंहपुर में बाढ़ के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मेरे जन्म स्थान कटक शहर में दस घंटों के भीतर ही 330.25 मि.मी. वर्षा हुई, जिसने 1934 के 320 मि. मी. के रिकार्ड को तोड़ दिया तथा 330 मि.मी. का अर्थ है कि दस घंटों के भीतर लगभग 13 इंच या उससे अधिक वर्षा। महा चक्रवात के दौरान शहर में दो दिनों में 205 मि.मी. वर्षा हुई थी। शहर के प्रमुख इलाके डूब गए थे तथा उस नगर निगम के 48 वार्ड और 3.5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए थे। पचास हजार लोगों को असहाय छोड़ दिया गया था तथा 3,146 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। तूफान के कारण लगभग 34,16,801 क्यूबिक मीटर पानी जमा हुआ। मेन स्ट्रॉम वाटर चैनल की निकासी क्षमता प्रति सेकेण्ड 21 क्यूबिक मीटर है। इतने पानी की निकासी में लगने वाला औसत समय 76 घंटे है। मुझे सरकार और नगर निगम प्राधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके हम 48 घंटों के भीतर शहर से पानी की निकासी कर सके।

महोदय, बाढ़ के कारण हुए राहत व्यय को पूरा करने के लिए मेरे पास सरकार के लिए तीन सुझाव हैं। पहला, उड़ीसा सरकार ने एन सी सी एफ में से 506.70 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मांग की है। दूसरा, वर्ष 2006-07 के दौरान अनुदान के रूप में 58.66 करोड़ रु. की अग्रिम राशि के केन्द्र के हिस्से का समायोजन करने के पश्चात् वर्ष 2007-08 के लिए सी आर एफ आबंटन 319.38 करोड़ रु. निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बाढ़ पीड़ितों, जिनके मकान बाढ़ के कारण नष्ट हो गए के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 50,000 मकान आबंटित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस सभा में अस्सी और नब्बे के दशकों के दौरान कालाहांडी के बारे में बार-बार चर्चा की गई। इन दिनों उस क्षेत्र में सूखा लोगों की दुर्दशा, बच्चों की बिक्री होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज कालाहांडी जिले में चावल की अच्छी फसल होती है। इन्द्रावती परियोजना के कारण यह बदलाव आया है। आज अन्य नदी हाती के कारण कालाहांडी जिले के अधिकतर क्षेत्र जलमग्न हैं।

महोदय, हाल ही में खबर आई थी कि रायपुर, भवानीपटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार मीटर तक पानी एकत्र हो गया था। एक ट्रक बह गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाती नदी के तटबंधों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। असम सरकार को संदेह है—यह खबर मीडिया में भी आई है और हम इस बारे में सरकार से उत्तर चाहते हैं—कि क्या इतना पानी ऊपरी बांध से छोड़ा गया है अथवा अरुणाचल प्रदेश में कोई प्राकृतिक बांध टूट गया है। असम के जल संसाधन मंत्री—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—ने कहा, हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि उन्होंने अपनी रांग नदी परियोजना से पड़ोसी राज्य में पानी छोड़ा है, लेकिन असम सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे दो मिनट का समय और चाहिए। आज दुनिया के लगभग सभी देश बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं जो स्थिति आम तौर पर नहीं होती है, लेकिन यह बहुत असामान्य है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो सकती हैं और यह कि नुकसान को कम करने के लिए इससे सबक लेने की जरूरत है। भूंकप, युद्ध अथवा सुनामी की तुलना में बाढ़ से कम मौतें होती हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर कम आकृष्ट होता है, लेकिन उनसे व्यापक तबाही हुई है। दुनिया भर के प्रमुख देश बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र नरक में तब्दील हो रहे हैं। बाढ़ का मूल कारण अनियोजित, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, खराब निकासी व्यवस्था तथा नॉन-बायोडीग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादों, जो गौण कारण हैं, के उपयोग के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस सभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से सामने आए तथ्यों का स्मरण कराना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है:

> "बाढ़ की तैयारी अपर्याप्त थी, प्रभावित लोगों की पहचान किए बिना ही राहत सहायता दी गई; वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था तथा राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी असंतोषजनक थी।"

यह केवल एक राज्य ही नहीं अपितु सभी राज्यों की यही स्थिति है।

जब तक हमारे योजना निर्माता निकासी तथा ऊपरी एवं निचले प्रवाहों संबंधी एकीकृत योजना नहीं बनाते, तब तक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं बाढ़ आपदा से लोगों को सुरक्षित करने में असफल होती रहेंगी। अत: बार-बार असंगत अनुमानों के कारण मौसम विभाग की सभी वर्गों द्वारा आलोचना की जा रही है। मौसम विभाग के उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। मौसम संबंधी अनुमान वास्तविकता के करीब क्यों नहीं हो सकते?

अंत में, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि किसानों को फसल बीमा के माध्यम से पर्याप्त सहायता दी जाए। तद्नुसार, किसानों के लाभ के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को बीज तथा पौधे पुनः प्राप्त कराए जाने के लिए पूर्ण सहायता दी जानी चाहिए। इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आपदा की इस स्थिति में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं सभा स्थगित करूं, हमारे पास दो और वक्ता शेष हैं। वे 16 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

[हिन्दी]

दो-दो मिनट ये बोलेंगे।

[अनुवाद]

सर्वप्रथम, मैं श्री राम चन्द्र पासवान से अनुरोध करना चाहता हूं। आपको केवल दो से तीन मिनट ही मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान (रोसेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बारे में इस संसद में ही नहीं, पूरे देश में यह मैसेज जा रहा है कि हमारे बारे में हमारे प्रतिनिधि वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। संयोग से हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में काफी बाढ़ आई हुई है। वहां कोई प्रखंड ऐसा नहीं, जिस प्रखंड में हम या अन्य कोई लोग आसानी से जा सकते हों। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा वहां लोगों को न तो किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और न बाढ़ राहत कार्य चलाये गये हैं। वहां सबसे अधिक जरूरत आज नावों की है। आज वहां कोई ऐसी जगह नहीं है, जिस जगह राज्य सरकार के द्वारा नाव चलाई गई हों। आज सैकड़ों लोग मर रहे हैं। वहां रिलीफ के नाम पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। हम और हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी गये हुए थे। पूरे बिहार में जहां भी बाढ़ आई, हर बाढ़ग्रस्त एरिया का हम लोगों ने दौरा किया। वहां लाखों लोग पानी में खड़े थे और उनके लिए कहीं किसी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। आज हम कहना चाहते हैं कि जो लाखों लोग बाढ़ पीड़ित हो गये हैं, जिनके घर डूब गये हैं, मकान गिर गये हैं, आज उनके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। हम आशा ही नहीं, इस पर विश्वास भी करते हैं कि केन्द्र सरकार इस पर पहल करे। हम लोग जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री गये हुए थे, श्रीमती सोनिया गांधी गई हुई थी और सारे इलाकों का उन्होंने दौरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां पंजिकार साहब थे, वह भी हम लोगों से मिलने के लिए आये थे और उन्होंने बताया कि 550 करोड़ रुपये बिहार सरकार के पास हैं। यदि दूसरी किस्त की डिमांड करेंगे तो हम दे सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास डिमांड नहीं आई है। लेकिन उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने 150 करोड़ रुपया दे दिया है लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? क्या योजना राशि खर्च करने के लिए है या रखने के लिए है? यह अभी तक हमें पता नहीं चला है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आज जो बिहार में बाढ़ आई है और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अधिकांश किसानों को ऋण केन्द्र सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करके माफ कराए। राज्य सरकार को जो पैसा दिया गया है, केन्द्र सरकार से मोनीटरिंग कराई जाए कि वह पैसा कहां लगाया गया है। जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत उनके लिए मकान बनाए जाएं, विशेष लाभकारी योजना चलाई जाए और नेपाल जो हमारी बगल में है और नेपाल का पानी हर साल तकरीबन पूरे बिहार में आ जाता है, जब फसल का समय आता है, उस समय यहां बाढ़ पर बहस होती है, हम चिल्लाते रहते हैं, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, बाढ़ खत्म हो जाती है और इसके ऊपर फिर कोई चर्चा नहीं चलती है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी थोपती है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप थोपती है जिसका नतीजा यह है कि बिहार की जनता त्राहि-त्राहि करती है। एक तरफ वहां बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ से भी लोग ग्रस्त हैं। बाढ़ के इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। नाव की व्यवस्था इसलिए नहीं हुई है कि वहां नाव का जो मालिक है, उसे पैसे का पेमेंट नहीं मिल रहा है। नाव तो वह चलवाता है लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता है। नेपाल सरकार का जिस समय बाढ़ प्रोटैक्शन बांध 1960 में बना था, उस समय उस बांध के बनाने का मकसद यह था कि एक तरफ पानी को स्टोर किया जाए और दूसरी तरफ नहर के माध्यम से उस क्षेत्र में सिंचाई में उस पानी को काम में लाया जाए लेकिन फ्लड प्रोटैक्शन बांध बन गया लेकिन सिंचाई के लिए नहर का जो साधन था, नहर नहीं बनवाई गई जिसके चलते एक तरफ बाढ़ से लोग ग्रसित रहते हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह मामला एक साल का नहीं, हर साल का है और केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करके राज्य सरकार के माध्यम से हो या नेपाल सरकार के माध्यम से हो, इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

फूजा दरजिया बांध जो वहां बना हुआ है, उसका 14 कि.मी. का एरिया बनना शेष है। वह बांध राज्य सरकार ने कभी बनाया होगा, अपने पैसे से बनाया होगा लेकिन राज्य सरकार के पास अब कौड़ी भी नहीं है। इसलिए फूजा दरजिया बांध नहीं बनाने के चलते 50 कि.मी. का इलाका जलमग्न हो जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि शेष 14 कि.मी. का बांध बनावाया जाए और बिहार जो जलमग्न है, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, उन लोगों की जमीन बर्बाद हो रही है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, हमने सारा आंकड़ा देखा है, 1,25,000 मकान दिये गये हैं लेकिन 1,25,000 ही मकान नहीं हैं।

यहां कम से कम 5 लाख मकान ध्वस्त हो गये हैं। यहां जो सर्वेक्षण किया गया या हो रहा है, वह कतई संभव नहीं है। उसके लिये व्यापक पैमाने पर योजना बनाई जाये। यह अच्छी बात है कि बाढ़ पर डिबेट हो रही है जो 16 और 17 तारीख तक जायेगी। लेकिन इस डिबेट से यह सुनिश्चित हो जाये कि जिन बाढ़ प्रभावित लोगों की जान-माल की क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाये। इन्दिरा आवास योजना में उन लोगों को मकान दिये जायें, किसानों को ऋण की माफी दी जाये। भविष्य में खेती-बाड़ी करने के लिए उन्हें सब्सिडी दर पर ऋण मुहैया कराया जाये।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा दो तरह की होती हैं—एक, जो हमें मालूम है, और दो, जो हमें मालूम नहीं है कि कब आयेगी, कैसे आयेगी। यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज हमें मालूम है या जो आने वाली है, उसके लिये सरकार की तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिये, वह क्यों नहीं होती है? उसके लिये मन में गुस्सा आता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सब से ज्यादा बरसात होती है। हमें मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी डैंजरमार्क पार कर जाती है, कितने गांव डूबेंगे, अरुणाचल में कितनी बरसात आयेगी, कितना नुकसान होने वाला है, रास्ते बह जाने वाले हैं, इस बात का पता रहता है, फिर भी तैयारी नहीं होती है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। तीन साल हो गये हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया हुआ है। न जाने क्यों वहां अपने को रोकते हैं? इससे देश के लोगों को क्या मैसेज जायेगा?

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेज पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई अच्छे काम किये हैं, इस बात को बताने में मुझे कोई संकोच नहीं क्योंकि जो काम अच्छा करता है, उसे बताना चाहिये। जब पिछली बार उनके अपने गांव में लोग दबकर मर गये और मेरे गांव का आधा भाग कट गया तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी मदद की जिसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह दुख की बात है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो पायेंगे कि सारे हिन्दुस्तान के आधे से अधिक हाईडल पावर प्रोजैक्ट्स वहां हैं। इकौनोमी के लिये कितना बड़ा राज्य है? ऑयल, गैस, हिन्दुस्तान के सब से ज्यादा जंगल वहां हैं। सब लोग मानते हैं कि अरुणाचल एक महत्वपूर्ण राज्य है लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण नहीं करेंगे तो असम की समस्या हल नहीं हो सकती है क्योंकि असम की नदियों का कम से कम 98 प्रतिशत पानी अरुणाचल से आता है। उसका रेगुलेशन कैसे किया जाये? अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को सियन कहते हैं, और तिब्बत में हम्फको कहते हैं, उसे कैसे रेगुलेट किया जाये। यहां की नदियों में ऐसी बात नहीं जो वहां की नदियों में है क्योंकि ह्यूज वाटर रहता है। सरकार ने उसे रेगूलेट करने के लिये आज तक कोई नीति नहीं बनाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी असम से एम.पी. हैं और रेलवे मिनिस्ट्री ने घोषित किया है कि बोगीबील प्रोजैक्ट बना रहे हैं। उसके बनाने के लिये जितने पत्थर की जरूरत होगी, वह सारा अरुणाचल प्रदेश से लाया जायेगा लेकिन बाढ़ को रोकने के लिये पत्थर रहता है, सारा पत्थर उठाने के बाद पूरा का पूरा फ्लडिंग हो जायेगा।

सायं 7.00 बजे

उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापक दृष्टि से वह नीति तय करनी पड़ेगी। 500 करोड़ रुपये देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर ऐसी ही नीति रहेगी और सरकार का रवैया यही रहेगा तो मुझे कोई सुधार होना संभव नहीं लगता। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है उसके लिए हमें कोई नीति बनानी चाहिए, एक पत्र निकालना चाहिए। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह बहुत गलत बात है।

हमारे प्रदेश में 16 जिलों में रास्ते टूट गए हैं। किसी भी जिले का संपर्क देश के किसी कोने से नहीं है। वहां हैलीपैड भी नहीं हैं कि कोई जाकर हालात का जायजा ले, सड़कें पहले ही टूट गई हैं। यहां एक अननोन बीमारी से कई लोगों की मौत भी हो गई है। उसका जायजा लेने के लिए मैडिकल टीम भेजने का भी कोई जरिया नहीं है। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में देखें तो बाढ़ आने के दो-तीन दिन बाद हैलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे तो घर पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। हमारे वहां पानी एक बार घर ले गया तो ले गया। आपको प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता कि मकान है। फोटोग्राफर जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। इस प्रकार की काफी बातें हैं जिनको समझना

[श्री कीरेन रिजीजू]

पड़ेगा। मंत्रालय में जो लोग हैं, जब तक इस चीज को नहीं सोचेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। यदि आप बिहार को, अरुणाचल को एक नजर से देखेंगे, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान को एक नजर से देखेंगे तो वह नीति सक्सैस नहीं होगी। हिन्दुस्तान में अलग-अलग प्रांतों की एक विशेष समस्या है। उस हिसाब से नीति भी तय करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है कि आज तक जो कहा गया वह अलग बात है लेकिन आईन्दा जो आपका रवैया है, उससे बदलाव आना चाहिए और जो आप भीख के तौर पर एक-दो करोड़ रुपये देकर लोगों को खुश करने वाली बात करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। व्यापक दृष्टि से मोटे तौर पर एक ऐसा पैकेज बनाएं जिससे हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा आरंभ करेगी। चौधरी लाल सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से अपनी स्टेट जम्मू और कश्मीर का एक महत्वपूर्ण मामला सदन और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जो विलेज डिफैन्स कमेटीज होती हैं, ये जिस समय बनाई गई थीं, इनका काम था कि दिन भर काम करें और काम करने के बाद शाम को उस विलेज के चार आदमी सुरक्षा करेंगे और बाकी लोग अपना काम करेंगे। तब ठीक था। अब क्या स्थिति है कि लगातार एक आदमी जैसे सुबह से काम करता है, वैसी ड्यूटी एक आदमी से ली जाती है।

सायं 7.04 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

जब बराबर ड्यूटी ली जाती है तो आप जो ऑनरेरियम देते हैं, 200 रुपये या 400 रुपये, वह उस आदमी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर वह इंकार करता है तो आप उसको विलेज डिफेन्स कमेटी से बाहर निकाल देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य अगर उस व्यक्ति से सिपाही की तरह काम लिया जाता है तो उसकी तनख्वाह, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी वर्दी, उसके कपड़े, उसकी बंदूक, उसके जूते, उसके रहने का पूरा इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। उसको ऑनरेरियम नहीं, पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपने हमारी स्टेट में एसपीओ लगाए हैं।

महोदय, लगभग 425 बी.डी.एस. वाले और एस.पी.ओज के जवान मारे गए हैं। यह सरकार का आंकड़ा है। चूंकि वे परमानेंट एम्प्लाई नहीं हैं, इसलिए उनके परिवार के किसी व्यक्ति को न नौकरी मिल सकती है और न उन्हें सरकार की ओर से कोई और फायदा दिया जा सकता है। इस प्रकार देखें, तो उनका नुकसान ही नुकसान है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए; 'शून्यकाल' का उल्लेख मात्र है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, तब मैं कनक्लूड कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं यहां कई बार रहा हूं। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके लिए मैं यहां आया हूं और यहां बैठा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो बाहर के पुलिसकर्मी हैं, उन्हें खुराक के रूप में एक जवान को केवल 450 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि सी.आर.पी.एफ. के एक जवान को 1200 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों जवानों को भूख बराबर लगती है। इसलिए मेरा कहना है कि बाहर के पुलिसकर्मी को भी 1200 रुपए मासिक खुराक के रूप में मिलने चाहिए।

महोदय, ये तीनों मसले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि वह इनके ऊपर सिरिसयली विचार करे और इन्हें सॉर्ट-आउट करें क्योंकि मैं इनके बारे में हाउस में कई मर्तबा बोल चुका हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर देश के विभिन्न भागों में वर्ष भर चलने वाले सरकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। स्वतंत्रता दिवस से प्रारंभ होने वाले और अगले वर्ष 11 अगस्त को समाप्त होने वाले सुझाए गए कम-से-कम 65 कार्यक्रमों की सूची तैयार की गयी है। लेकिन मुझे हैरानी है कि इस सूची में उड़ीसा में होने वाले एक भी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है। हालांकि, यहां के लोगों की बलिदान यदि अधिक नहीं है तो कम भी नहीं है। वर्ष 1857 की स्वतंत्रता की प्रत्येक लड़ाई में हती सिंह और मांधो सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के जुर्म में अण्डमान में बंदी बनाया गया था और बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। सरदार सुरेन्द्र साई ने 27 वर्ष से भी अधिक समय तक इस संघर्ष की अगुआई की और उन्हें हजारीबाग में कैद कर लिया गया, जिसे सिपाहियों ने नष्ट कर दिया और वे आजाद हो गए। पुरी की चाखी खुंटिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के दौरान बहुत करीब से उनसे जुड़ी रही। 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान अंग्रेजी ताकतों का अहिसांत्मक ढंग से विरोध करते हुए इराम में 29 लोगों ने अपनी जान दे दी। इंचुड़ी का नमक सत्याग्रह डाण्डी के बराबर ही माना गया है। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान लक्ष्मण नामक एक आदिवासी युवक को फांसी पर लटका दिया गया। 1942 के बाद उसकी शहादत शायद इकलौती शहादत है। लेकिन सरकार ने सूची में एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कुछ घटनाएं या इन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी कार्यक्रम में शामिल करें और उड़ीसा में भी समारोह मनाएं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं आपका और सभा का ध्यान भूमि सुधार नीति के अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, भूमि सुधार कार्यक्रम को पहले ही यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है; दो वर्ष बाकी हैं। लेकिन अधिकांश राज्यों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हुआ है; बल्कि इसकी उपेक्षा की गई। अत:, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में हजारों किसान सामने आ रहे हैं। वे सड़कों पर उतर आए हैं और वे भूमि सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लाड़ाई लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में पिछले माह जुलाई में सात दिन से अधिक अथवा सप्ताह भर चलने वाले आंदोलन, हड़ताल, धरने और सत्याग्रह हुए थे।

सत्याग्रह के बाद एक दिन 28 जुलाई को पुलिस ने संघर्षरत किसानों के ऊपर गोली चलाई और सात निरपराध लोग पुलिस द्वारा मारे गए। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अन्य सभी राज्यों में भी किसान सड़कों पर उतर रहे हैं।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें और इस मामले के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं ताकि यथाशीघ्र संपूर्ण देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जा सके।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसीलिए मैं इस मामले को सभा के समक्ष लाया हूं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उरई, जो कि जनपद जालौन का मुख्यालय है। वहां स्टेशन पर एक पोस्ट आफिस है, जिसे किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण हटाया जा रहा है। हजारों-लाखों उसके उपभोक्ता हैं। वहां लाखों चिट्ठियां आती हैं और वहां से अन्य शहरों और ग्रामों में जाती हैं। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनता और उपभोक्ताओं के हित में उस पोस्ट आफिस का कहीं और मर्जर न किया जाए ताकि जिले की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मेरी मांग है कि इस पोस्ट आफिस को और विकसित किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा उस पोस्ट आफिस से हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर दिलाना चाहती हूं। छत्तसीगढ़ प्रदेश नवोदय राज्य है, पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है। लेकिन खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने हमारे राज्य का एपीएल चावल का कोटा जो कि 60 हजार मिट्रिक टन का होता है, इस साल सिर्फ 740 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे राज्य शासन पर 150 करोड़ का अतिरिक्त भार आ गया है। यह विषय में इसलिए उठा रही हूं क्योंकि बीच-बीच में केन्द्र की सरकार हमारा कभी शक्कर का कोटा कम कर देती है, कभी मिट्टी के तेल का कोटा कम करती है। इसके अलावा 398 मेगावाटी बिजली केन्द्र पूल से हमेशा के लिए देना बंद कर दी गई है। अब रहा-सहा छत्तीसगढ़ का जो मुख्य भोजन चावल को भी केन्द्र की सरकार ने एपीएल के काटे को कम कर दिया है। इस सरकार से मेरा निवेदन है कि आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार कम से कम गरीबों के पेट पर लात न मारे और छत्तीसगढ़ जो कि केवल सात वर्ष की आयु का है, उसके साथ भेदभाव न करे। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोगी गलत दवा का उपयोग करने से समय से पहले स्वर्ग सिधार जाते हैं तथा बड़ी संख्या में विकलांग अथवा ब्रेन डेड हो जाते हैं। डॉक्टरों द्वारा मरीज को जो दवा का पर्चा बनाया जा है, वह लिखाई इतनी अस्पष्ट एवं न पढ़ी जा सकने वाली होती है कि जब मरीज दवा दुकान पर जाता है तो वहां मालिक के दवा देने वाले कम पढ़े-लिखे लोग भ्रमित होकर कुछ की कुछ दवा दे देते हैं जैसे कॉरफलो की जगह कॉरफ्लेम, आइसोर्डिल की जगह फार्मासिस्ट ने प्लेंडिल दे दी। नतीजा मरीज को हृदयाघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5000 ब्रांड नामों से दवाएं बिक रही हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा नाम आपस में मिलते-जुलते हैं। डॉक्टर की लिखी दवाएं सिर्फ नर्स या दवा विक्रेता ही पढ़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुउद्देशीय दुकानें होती हैं, जहां किराना, कपड़ा, लोहा और दवाएं एक ही दुकान पर मिलती हैं। कम पढ़े-लिखे लोग मिलती-जुलती दवाएं दे देते हैं, जिससे रोगी सांसत में पड़ जाते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दवाओं की शीशी एवं रेपरों पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी दवा का नाम लिखा जाना चाहिए।

भारत में लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अपनी मातृभाषा के बाद उनका सीधा सम्पर्क हिन्दी से होता है, इसलिए हिन्दी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों द्वारा अपनाये जाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मीडियम (भद्राचलम): सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं इस मामले को गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह आंध्र प्रदेश में दलितों और अन्य उपेक्षित लोगों की नृशंस हत्याओं के संबंध में है।

आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में मुदिगोण्डा गांव में एके-47, एस एल आर जैसे दूर से मार करने वाले आधुनिक हथियारों से 28 जुलाई, 2007 को सात लोगों को मार डाला गया। ये भूमिहीन गरीब लोग तीन महीनों से घरों के लिए जगह और कृष्य भूमि को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन ने गरीबों की इस वैध मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पूरे राज्य में अनिश्चित कालीन भूख-हड़तालों की शक्ल में राज्यव्यापी विरोध हुए, लगभग 250 लोग युदिगोण्डा में भूख हड़ताल शिविर में इकट्ठा हुए।

एक विशेष नक्सल-विरोधी दस्ता उस स्थान पर लाया गया और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोई प्रारंभिक कदम उठाए बिना, भूख हड़ताल शिविर के आसपास इकट्ठा लोगों पर एकदम गोलियां चला दी। चार लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की गोली लगने के कारण बाद में मृत्यु हो गई। लगभग 15 लोग घायल हुए जिनका स्थानीय अस्पतालों में अब भी उपचार किया जा रहा है। मारे गए सात लोगों में से 4 लोग अनुसूचित जाति और तीन लोग अन्य पिछड़े समुदायों के हैं। वे सब किराए की झोपड़ियों में रहते हैं और उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। उनकी आजीविका पूर्णत: उनकी दैनिक मजदूरी पर निर्भर है।

सभापति महोदय, इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस घटना की सी बी आई जांच करवाएं और साथ ही यह भी मांग करता हूं कि मारे गए और घायल लोगों को उपयुक्त मुआवजा भी दिया जाए तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत और अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का देश में उर्वरक की लगातार हो रही कमी के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आज से 2-3 वर्ष पहले तक हमारे देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं होती थी और देश में जो उर्वरक की पैदावार करने वाले कारखाने थे, वे पूरी तरह से इसकी आपूर्ति करने में सक्षम थे। अचानक केन्द्र सरकार की एक गलत नीति के चलते उर्वरक के सारे कारखाने बंद हो गये और मजबूर होकर देश को विदेशों से उर्वरक आयात करना पड़ रहा है। एक नई बात अचानक सामने आई है कि पहले तो केन्द्र सरकार स्वयं उर्वरक का आयात करती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी गई। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी जो केन्द्र सरकार की थी, वह राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी गई और आज यह स्थिति हो रही है कि किसानों को उर्वरक की जरूरत के समय पर वह किसानों का उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक तो वैसे भी किसान गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, कभी बाढ़, कभी अकाल, कभी ओले से तो कभी पाले से और वर्तमान में तो यह स्थिति हो चुकी है कि जो हमारा उत्पादन है, वह बहुत धीमी गति से घटता चला जा रहा है। खाद्यान्न की कमी से मजबूर होकर केन्द्र सरकार अभी फिर पांच लाख टन से ज्यादा गेहूं विदेशों से आयात कर रही है। इतनी ऊंची दर पर गेहूं यहां

बाहर से आयात हो रहा है, जबकि हमारे देश के किसान कम दाम पर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने का काम भी नहीं हो रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहूंगा कि इस तरह की गलत नीति के चलते जो किसानों की आर्थिक हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही हैं, इससे ये देश को कहां ले जाने का काम कर रहे हैं। देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर था, लेकिन आज हमारी वह आत्मनिर्भरता धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। आज हमारे यहां बीज भी विदेशों से आ रहा है, हमारा खाने का अनाज भी विदेशों से आ रहा है तो इस देश की आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आत्मनिर्भरता हमारी जिस कृषि के क्षेत्र में थीं, उसको और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार को नई योजना बनानी चाहिए और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): धन्यवाद, महोदय, मैं सभा का ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले डेढ़ महीने में अरुणाचल प्रदेश से 6,000 लोगों, नागालैण्ड से 2,000 लोगों और मिजोरम से 500 लोगों, ये सभी मुसलमान हैं, को इन राज्यों से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उन्हें बाग्लादेशी माना गया है। इन सब के पास अंदरूनी सीमा में रहने (इनर लाइन) के परमिट हैं और ये लोग 10 से 30 सालों से की अधिक से समय से यहां बसे हुए हैं।

छात्र संगठनों और कुछ उग्र राष्ट्रवादी और साम्प्रदायिक ताकतों ने उन्हें बाहर निकाल किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम की सरकारें मौन रही और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तथा उन उग्र राष्ट्रवादी और साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया। बाद की घटनाओं में उन्हें बाहर कर असम में पहुंचा दिया गया तथा असम सरकार ने उन सभी 8500 लोगों की नागरिकता की जांच की और उन्हें वैध भारतीय नागरिक पाया।

सभापति महोदय: यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप शून्य काल में इस पर चर्चा नहीं कर सकते। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह समस्या क्या है।

सभापति महोदय: यह एक बहुत गंभीर मामला है और इसे शून्य काल में नहीं उठाया जा सकता। आपके कारण मैं यहां हूं। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): धन्यवाद महोदया। मैं इस समस्या को स्पष्ट कर रहा हूं।

असम के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि यदि कोई उनमें से किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक सिद्ध कर दे तो वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। वस्तुस्थिति यह है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप शून्य काल में यह मामला नहीं उठा सकते।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी संगठन अथवा उग्र राष्ट्रवादी तथा साम्प्रदायिक ताकत कानून को अपने हाथ में न ले। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उन्हें फिर से वहां बसाया जाए और दुकानों व्यवसाय प्रतिष्ठानों गोदामों और घरों को हुई क्षति के लिए उन्हें मुआवजा भी दिया जाए।

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल): धन्यवाद महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान मछुआरों के जीवन और उनके जीवनयापन से संबंधित अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि मत्स्यन हेतु एक पृथक मंत्रालय, कम से कम राज्य मंत्री के स्तर का एक मंत्रालय बनाया जाए। यह उल्लेख करना संगत है कि तीन तरफ से समुद्र से घिरे भारतीय प्रायद्वीप के लंबे क्षेत्र में तटीय गांवों में करोड़ों लोग रहे हैं। के अपने जीवन-यापन हेतु समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं तथा अपने जीवन को जोखिम में डालकर वे उनकी खोज में समुद्र में उतरते हैं। उतनी ही संख्या में भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने जीवन यापन हेतु समुद्री उत्पादों पर निर्भर हैं।

यह बहुत दुखद बात है कि उनकी वेदना परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। दिसम्बर, 2004 में आए विनाशकारी सुनामी के पश्चात उनकी दशा और चिंताजनक हो गई है। तटीय गांव जलमग्न हो गए। जिससे उनके आवास पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गए। समुद्री जल के उतरने के साथ अफरातफरी फैल गई जिससे बड़े पैमाने पर परेशानियां पैदा हुई तथा पलायन हुआ। समुद्र में उतरने वाले मछुआरों के लापता होने और डूब जाने की घटनाएं होती रहती हैं। समुद्री लुटेरों द्वारा मछुआरों के उत्पीड़न, अपहरण, उन्हें

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

पकड़ने तथा बंधक बनाने की घटनाएं होती रहती हैं पड़ोसी देशों द्वारा इन लोगों को बंदी बनाने तथा कभी-कभी गोलीबारी अथवा बम विस्फोट की घटनाओं में इनकी जान भी चली जाती है। हाल ही के समय में इस तरह की आपदाएं आना आरंभ हो गई है। जान और माल के नुकसान की घटनाएं हुई हैं तथा मछली पकड़ने के उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें लगभग प्रतिदिन सामने रही हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय के मौजूदा प्रबंध अपर्याप्त है। हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। सुनामी में हुई मौतों के लिए अभी तक क्षतिपूर्ति की धनराशि का पूर्णत: वितरण नहीं किया गया है। राज्य सरकारों में अलग-अलग मंत्रालयों को मामलों को निपटाने हेतु लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है क्योंकि उन्हें केन्द्रीय मंत्रालय से स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्राप्त करने में बहुत समय लगता है।

प्रस्तावित तटीय क्षेत्र प्रबंधन विधेयक से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे समुद्री क्षेत्रों के व्यवसायिक दोहन में और वृद्धि होगी। अत:, मैं सरकार से मत्स्यन और समुद्री संसाधनों हेतु एक पृथक मंत्रालय बनाने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

वर्ष 1982 में उड़ीसा में ललितगिरी में पुरातत्व संबंधी खुदाई के दौरान एक सुनहरे डिब्बे में भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष मिले। यह दुलर्भ और बहुमूल्य अवशेष ललितगिरी के प्रसिद्ध बुद्ध स्थल में पाई गई।

गत 25 वर्षों से यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित मुख्यालय के सुरक्षित कक्ष में रखे हुए हैं। बार-बार यह मांग उठाई जाती रही है कि इन अवशेषों को इनके प्राप्त होने के स्थान अर्थात ललितगिरी में ही रखा जाए। अब मेरी जानकारी में यह आया है कि भारत सरकार ने हाल ही में इस पवित्र अवशेष को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक बौद्ध स्थल रत्नागिरी में स्थानांतरित करने और उसे सदा के लिए वहां रखने का निर्णय लिया है।

सरकार के इस निर्णय से ललितगिरी क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोग बौद्ध संस्कृति के एक प्राचीन केन्द्र और विशेषकर सुदूर पूर्व से विदेशी पर्यटकों की संभावित यात्रा स्थल के रूप में ललितगिरी पर गर्व करते हैं।

चूंकि ललितगिरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और इस पवित्र अवशेष को रत्नागिरी स्थानांतरित करने के निर्णय के विरुद्ध एक जन आंदोलन तैयार हो रहा है। मैं, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री से उपरोक्त निर्णय पर पुन: विचार करने और भगवान बुद्ध के इस पवित्र अवशेष को इसके प्राप्त होने के स्थान अर्थात ललितगिरी, उड़ीसा में ही रखने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, उत्तराखंड राज्य के जिला नैनीताल में एचएमटी घड़ी बनाने के कारखाने की एक इकाई है। वह 45 करोड़ रुपये के कर्जे से लगी थी जबकि कारखाने ने आज तक 280 करोड़ रुपये का ब्याज अदा कर दिया है और मुख्यालय को 67 करोड़ रुपये का डैप्रिसिएशन दिया गया। इसके द्वारा अभी तक 620 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा कि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने इस कारखाने को बंद करने का निर्णय लिया है जबकि यहां 600 मजदूर और उनके परिवार कामगार हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो उत्तराखंड में घड़ी निर्माण का कार्य कर रहा है। यह एकमात्र ऐसी फैक्ट्री है जहां अंधों के लिए ब्रेल सिस्टम पर आधारित घड़ियां बनती थी। यह क्वार्टज घड़ी के साथ-साथ मकेनिकल घड़ियां भी बना रहे थे। यहां अभी तक नान-वॉच कम्पोनेंट्स भी बन रहे थे। इसमें मजदूरों की एवरेज एज 41 साल है जबकि बंगलौर और तुमकुर जो एचएमटी के अन्य कारखाने हैं, वहां एवरेज एज 57 साल है। यहां के सैक्रेटरी का सैलरी बिल भी सारे कारखानों में सबसे लोएस्ट था। एचएमटी के प्रैजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर इसे चलाने के लिए तैयार हैं। जब वे इसे चलाने के लिए तैयार हैं और फैक्ट्री की मशीनरी नहीं है, तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि ऐसी फैक्ट्री जो देश हित में अंधों के लिए घड़ियां बनाती हो, उसे बंद न किया जाए। यदि इसे बंद करना आवश्यक है तो इसका मर्जर बंगलौर के साथ किया जाए। उत्तरांचल के इम्पलाइज को बंगलौर के बजाए बीएचईएल जो हरिद्वार में है, उसके साथ मर्जर किया जाए। इन परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है। यह उत्तराखंड का एकमात्र उद्योग है और इसे बंद न किया जाए, मैं भारत सरकार के मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, दो नोटिस प्रात: 9.30 के पश्चात प्राप्त हुए हैं। मैं आपको इस शर्त पर बोलने की अनुमति दूंगा कि आप यथाशीघ्र अपना भाषण पूरा करेंगे। यदि नहीं, तो आपके भाषण के बीच में सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे। कृपया, संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र चायल, उत्तर प्रदेश जिसमें इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर, तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एमपीलैड में सांसद निधि का जो पैसा है, उसे वहां के अधिकारी काफी देर में खर्च करते हैं। विभिन्न परियोजनाओं पर हमने जो धन आवंटित किया है, उसकी वे एक किश्त तो दे देते हैं लेकिन दूसरी किश्त देने में काफी देरी करते हैं जिसके कारण तमाम अधूरी परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। इस बीच जैसा कि अभी सम्मानित सदन में इस बात की चिंता और चर्चा हुई कि बाढ़ और सूखे की स्थिति पूरे देश में है। हमारे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के खासकर चीफ सैक्रेट्री और वहां के चीफ मिनिस्टर को कहें कि जो सांसद निधि का पैसा है, वह उचित समय पर खर्च हो और अधूरी परियोजनाओं को उसका आवंटन कर दें ताकि वे परियोजनाएं पूरी हों।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, अपनी बात पूरी कीजिए। इसके लिए, मंत्री के अधीन एक अलग मंत्रालय है और इस संबंध में आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसके साथ-साथ मैं आपकी मार्फत एक मांग करना चाहूंगा कि जहां-जहां बाढ़ और सूखे की स्थिति है वहां पर सांसद निधि का अन्य बजट एडवांस में दे दिया जाये ताकि वह राशि बाढ़ और सुखाड़ क्षेत्रों की समस्याओं पर खर्च हो सके। इससे लोगों को रोजगार मिल सके और विकास कार्य जो अधूरे हैं, वे पूरे किये जा सकें।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): माननीय सभापति महोदय, मैं लोक हित का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। देश में गंगा बेसिन में गंभीर और लगातार भूकटाव के कारण प्रति वर्ष देश में काफी लोग पीड़ित होते हैं। पश्चिम बंगाल में कटवा, कलना, तमघाट, डांगापाड़ा, कालीनगर, मायापुर, नवाद्वीप, अग्रद्वीप बालागढ़ में पैरामदी बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं।

सभा को यह स्मरण होगा कि गत दो सत्रों के दौरान मैंने गंगा के तट पर भूकटाव की गंभीरता के मुद्दे को उठाया था परंतु, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यहां, यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 30 जून, 2007 को कटवा में हजारों लोगों ने श्री लालू प्रसाद यादव माननीय रेल मंत्री और श्री जय प्रकाश नारायण यादव, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री जी की उपस्थिति में अपनी जान और माल की सुरक्षा को लेकर चिंता और अनिश्चितता व्यक्त की।

मुझे रेल मंत्रालय की बंदेल-कटवा रेल लाइन के दोहरीकरण की योजना तथा कुछ अन्य जारी कार्यों के बारे में संदेह है। इन परियोजनाओं को वे किस सीमा तक पूरा करने में सफल होंगे जबकि पूरा समुद्रगढ़ और कालीनगर रेलवे स्टेशन गंगा द्वारा भूकटाव से पूर्णत: नष्ट हो जाने के कगार पर हैं।

उक्त क्षेत्रों में गंगा नदी द्वारा भूकटाव की व्यापकता और गंभीरता तथा उससे संबंधित ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को इसे एक राष्ट्रीय समस्या मानते हुए संयुक्त रूप से आगे आना चाहिए और इस चुनौती के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय: सभा, गुरूवार, 16 अगस्त, 2007 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 16 अगस्त 2007/25 श्रावण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	डा. अरुण कुमार शर्मा	41
2.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्री संजय धोत्रे	42
3.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	43
4.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	44
5.	श्री किरेन रिजीजू श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	45
6.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री उदय सिंह	46
7.	श्री किन्जरपु येरननाडु श्री प्रबोध पाण्डा	47
8.	श्री बसंतराव मोरे श्री किसनभाई वी. पटेल	48
9.	श्री पी. करूणाकरन	49
10.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	50
11.	श्री रमेश दूबे	51
12.	श्री तथागत सत्पथी श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	52
13.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री सी.के. चन्द्रप्पन	53
14.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री फ्रांसिस फैन्थम	54
15.	श्री नवीन जिन्दल	55
16.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	56
17.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री सुकदेव पासवान	57
18.	प्रो. प्रेम कुमार धूमल	58
19.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	59
20.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	337, 411, 465, 498
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	362, 494, 515
3.	आदित्यनाथ, योगी	456, 463, 496
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	417, 470, 502
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	299, 374
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	315, 400, 428, 476, 506
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	319, 394, 417
8.	आठवले, श्री रामदास	309, 379, 454, 501, 520
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	409
10.	बैठा, श्री कैलाश	456
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	386, 394, 455, 488
12.	बर्मन, श्री हितेन	314, 381, 473, 504
13.	बर्मन, श्री रनेन	435, 481
14.	बखला, श्री जोवाकिम	349, 423
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	456
16.	भगोरा, श्री महावीर	323, 406, 463, 495, 514
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	365, 439, 477
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	302
19.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	306, 376, 446, 484, 517
20.	बोस, श्री सुब्रत	304, 427, 475

1	2	3
21.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	344, 363, 437, 491
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	348
23.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	329
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	394, 459, 491
25.	चिन्ता मोहन, डा.	325, 331, 407
26.	चौधरी, श्री पंकज	394
27.	चौधरी, श्री अधीर	394, 424, 491
28.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	399
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	322, 388, 453, 488
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	344, 355, 431, 479, 508
31.	धोत्रे, श्री संजय	393
32.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	350, 382, 450
33.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	356, 398, 432
34.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	320
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	411, 465, 498
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	394, 409
37.	गंगवार, श्री संतोष	330, 459, 461, 490
38.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	393
39.	हसन, चौधरी मुनव्वर	367
40.	हुसैन, श्री अनवर	339, 414, 467, 500
41.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	310, 340, 389, 461
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	340, 415, 456, 469
43.	झा, श्री रघुनाथ	297, 390, 413, 466, 468
44.	जिन्दल, श्री नवीन	371, 443
45.	जोगी, श्री अजीत	514
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	316, 329, 383, 451
47.	कनोडीया, श्री महेश	334
48.	करूणाकरन, श्री पी.	394
49.	खैरे, श्री चंद्रकांत	318, 456
50.	खन्ना, श्री अनिवाश राय	300, 375, 421, 445, 454
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	308, 378, 448, 494, 519
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	307, 353, 377, 447, 505
53.	कृष्ण, श्री विजय	357, 440, 482, 510
54.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	394, 400
55.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	335
56.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	330, 459, 490
57.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	331, 347, 407
58.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	430
59.	महतो, श्री नरहरि	303, 384, 480, 509
60.	महताब, श्री भर्तृहरि	345, 420, 472, 491
61.	महतो, श्री टेक लाल	351, 426
62.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	330, 459, 461, 490
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	327, 404

1	2	3
64.	मसूद, श्री रशीद	343, 409, 419, 471, 503
65.	मिश्रा, डा. राजेश	337, 344
66.	मोहन, श्री पी.	325, 361, 436
67.	मो. ताहिर, श्री	394, 476
68.	मोल्लाह, श्री हन्नान	394
69.	मंडल, श्री अबु अयीश	326, 402, 462
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	394, 455, 456
71.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	456
72.	नायक, श्री अनंत	491
73.	निखिल कुमार, श्री	394
74.	ओराम, श्री जुएल	350, 394, 425, 513
75.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	400, 461, 493
76.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	313, 380, 485, 494
77.	पाण्डा, श्री प्रबोध	456
78.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	291, 373, 456
79.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	368, 403
80.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	333
81.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	394, 409, 464, 497
82.	पटैरिया, श्रीमती नीता	294
83.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	492
84.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	342, 418
85.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	301, 514
86.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	386, 394, 455, 488
87.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	456

1	2	3
88.	राजगोपाल, श्री एल.	334, 360, 394, 434
89.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	348, 415, 422, 463
90.	राणा, श्री काशीराम	338, 412, 463
91.	रानी, श्रीमती के.	424
92.	राव, श्री के.एस.	312, 324, 410, 511
93.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	394, 395, 456, 489
94.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	394
95.	रावले, श्री मोहन	317, 337, 438
96.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	329, 370, 442, 487
97.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	408
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	394, 424
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	401
100.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	399, 459, 491
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	328, 405
102.	सज्जन कुमार, श्री	337, 344
103.	रिजीजू श्री किरेन	456
104.	साई प्रताप, श्री ए.	353, 394
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	404, 514
106.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	392
107.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	394
108.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	352, 475
109.	सत्पथी, श्री तथागत	394, 398
110.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	325, 354, 429, 477, 507

1	2	3
111.	सेन, श्रीमती मिनाती	293, 421
112.	सेनथिल, डा. आर.	335
113.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	296, 329
114.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	455
115.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	391, 401, 460, 492
116.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	373, 456
117.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	295, 372, 444, 496
118.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	353, 455, 456
119.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	328, 351
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	400, 421, 491
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	341, 512, 513
122.	सिंह, श्री गणेश	337, 463
123.	सिंह, श्री मोहन	359, 433
124.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	297, 305, 413, 466, 499
125.	सिंह, श्री राकेश	419
126.	सिंह, श्री रेवती रमन	394, 461
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	394, 409, 464, 497
128.	सिंह, श्री सूरज	325, 403
129.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	334
130.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	292, 369, 441, 483, 516
131.	सुगावनम, श्री ई.जी.	321, 387, 452, 486, 513, 518
132.	सुमन, श्री रामजीलाल	347, 403
133.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	311, 334, 385
134.	थामस, श्री पी.सी.	358
135.	ठुम्मर, श्री वी.के.	338, 405
136.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	301, 514
137.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	397, 458, 490
138.	वल्लभनेनी, श्री बालासोअरी	366
139.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	333, 412
140.	वीरेन्द्र कुमार, श्री. एम.पी.	336
141.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	346
142.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	391, 401, 478
143.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	394
144.	यादव, श्री मित्रसेन	364
145.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	396, 457

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	45, 47, 55, 58
गृह	:	44, 46, 48, 49, 54, 59
मानव संसाधन विकास	:	41, 42, 50, 52, 56
सूचना और प्रसारण	:	43
खान	:	
संसदीय कार्य	:	
वस्त्र	:	51
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	53, 57, 60

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	291, 303, 304, 311, 313, 314, 329, 330, 333, 335, 338, 348, 349, 361, 363, 379, 381, 384, 385, 410, 423, 427, 434 435, 441, 444, 451, 454, 458, 459, 460, 467, 470, 471, 472, 473, 475, 477, 481, 485, 494, 504, 515, 516, 520
गृह	:	294, 296, 298, 300, 302, 305, 306, 312, 321, 324, 326, 334, 337, 341, 344, 352, 353, 354, 355, 360, 365, 369, 373, 375, 377, 380, 388, 389, 391, 394, 397, 399, 400, 404, 409, 411, 412, 413, 416, 419, 437, 455, 456, 461, 465, 466, 483, 484, 490, 496, 497, 498, 505, 506, 511, 512, 513, 514, 517, 519
नव संसाधन विकास	:	292, 293, 297, 299, 307, 308, 315, 316, 318, 320, 322, 325, 327, 328, 332, 339, 342, 346, 347, 357, 358, 367, 370, 372, 382, 383, 395, 396, 401, 402, 406, 407, 408, 414, 415, 418, 422, 424, 428, 429, 431, 433, 436, 438, 440, 447, 453, 469, 478, 480, 482, 486, 487, 491, 493, 499, 501, 503, 507, 510
सूचना और प्रसारण	:	295, 301, 340, 345, 350, 359, 364, 368, 376, 378, 403, 417, 420, 426, 439, 443, 446, 448, 462, 464, 468, 488, 500
खान	:	309, 317, 336, 356, 362, 366, 398, 425, 430, 432, 450, 476, 479, 489, 502
संसदीय कार्य	:	371
वस्त्र	:	310, 319, 323, 331, 343, 374, 387, 393, 405, 421, 442, 445, 449, 452, 463, 495, 518
जनजातीय कार्य	:	392, 457, 474, 509
महिला और बाल विकास	:	351, 386, 390, 400, 492, 508.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।